यूको बैंक UCO BANK
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)

84th YEAR OF THE NATION'S TRUST

वार्षिक प्रतिवेदन
ANNUAL REPORT
2025-2026

www.uco.bank.in | 1800 8910 | 7666399400 | 8334001234 | Follow us

यूको बैंक UCO BANK
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)

सम्मान आपके विश्वास का Honours Your Trust

यूको बैंक UCO BANK

(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)

सम्मान आपके विश्वास का **Honours Your Trust**

वार्षिक प्रतिवेदन - 2025-26

Annual Report - 2025-26

विषय-सूची / CONTENTS

मद	पृष्ठ सं.	Item	Page No.
निदेशक मंडल	003	Board of Directors	003
सीवीओ और मुख्य महाप्रबंधक	005	CVO & Chief General Managers	005
व्यावसायिक प्रदर्शन का संक्षिप्त विवरण	006	Business Performance at a Glance	006
महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन संकेतक	008	Key Performance Indicators	008
अध्यक्ष का संदेश	009	Chairman's Message	009
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश	015	Managing Director & CEO's Message	015
निदेशकों की रिपोर्ट एवं प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण	025	Directors' Report & Management Discussion and Analysis	025
कारोबारी उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट	061	Business Responsibility and Sustainability Report	061
कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट	125	Report on Corporate Governance	125
कारपोरेट अभिशासन का अनुलग्नक	160	Annexures to Corporate Governance	160
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	166	Secretarial Audit Report	166
वित्तीय विवरण		Financial Statements	
• तुलन-पत्र	170	• Balance Sheet	170
• लाभ-हानि लेखा	172	• Profit & Loss A/c	172
• लेखों से संबंधित अनुसूची (1 से 18)	174	• Schedule to Accounts (1 to 18)	174
• नकदी प्रवाह विवरण	258	• Cash Flow Statement	258
• स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट	261	• Independent Auditor's Report	261
लाभांश वितरण दिशानिर्देश	275	Dividend Distribution Guidelines	275
बासेल-III प्रकटीकरण	275	Basel III Disclosure	275

सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक / STATUTORY CENTRAL AUDITORS

पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार	संजय दीप एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार	एच डी एस जी एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार	पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार
P S M G & ASSOCIATES Chartered Accountants	**SANJAY DEEP & ASSOCIATES** Chartered Accountants	**H D S G & ASSOCIATES** Chartered Accountants	**P V A R & ASSOCIATES** Chartered Accountants

शेयरधारक शिकायतों के लिए, कृपया संपर्क करे / For Shareholder Grievances, please contact:

श्री विकास गुप्ता
कंपनी सचिव
2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस (तीसरा तल), कोलकाता - 700 001
ई-मेल : hosgr.calcutta@uco.bank.in दूरभाष: 033-44557227

Mr. Vikash Gupta
Company Secretary
2, India Exchange Place (3rd Floor), Kolkata-700 001
Email: hosgr.calcutta@uco.bank.in Ph. : 033 44557227

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता का विवरण/Details of Registrar and Share Transfer Agent

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
(यूनिट-यूको बैंक)
सेलेनियम बिल्डिंग, टावर-बी, प्लॉट नंबर 31 और 32,
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी,
तेलंगाना, भारत - 500 032, ईमेल आईडी : einward.ris@kfintech.com
टोल फ्री नंबर: 1800 309 4001
निवेशक सहायता केंद्र : https://kprism.kfintech.com/

KFIN Technologies Limited
(Unit-UCO Bank)
Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32,
Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy,
Telangana, India - 500 032. Email ID: einward.ris@kfintech.com
Toll Free Number: 1800 309 4001
Investor Support Centre: https://kprism.kfintech.com/

यूको बैंक UCO BANK

(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)

निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS

दिनांक 31.03.2026 तक/As on 31.03.2026

श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार
गैर- कार्यपालक अध्यक्ष
Shri Aravamudan Krishna Kumar
Non-Executive Chairman

श्री अश्वनी कुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Shri Ashwani Kumar
Managing Director & Chief Executive Officer

श्री राजेन्द्र कुमार साबू
कार्यपालक निदेशक
Shri Rajendra Kumar Saboo
Executive Director

श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले
कार्यपालक निदेशक
Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble
Executive Director

श्री सुधीर श्याम
भारत सरकार के नामिती निदेशक
Shri Sudhir Shyam
Government Nominee Director

डॉ. सारदा प्रसन मोहन्ती
भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक
Dr. Sarada Prasan Mohanty
RBI Nominee Director

श्री रवि कुमार अग्रवाल
अशंकालिक गैर सरकारी निदेशक
Shri Ravi Kumar Agrawal
Part-time Non-Official Director

श्री अंजन तालुकदार
अशंकालिक गैर सरकारी निदेशक
Shri Anjan Talukdar
Part-time Non-Official Director

श्री सुभाष शंकर मलिक
अशंकालिक गैर सरकारी निदेशक
Shri. Subhash Shankar Malik
Part-time Non-Official Director

श्री राजेश कुमार अलावादी
शेयरधारक निदेशक
Shri Rajesh Kumar Ailawadi
Shareholder Director

यूको बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

UCO BANK
(A Govt. of India Undertaking)

मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ)
CHIEF VIGILANCE OFFICER (CVO)

श्री धीरेन्द्र सेट्टीपल्ली
Shri Dheerendra Settipalli

मुख्य महाप्रबंधक
CHIEF GENERAL MANAGERS

श्री गौतम पात्रा
Shri Goutam Patra

श्री अभिमन्नू रजक
Shri Abhimannu Rajak

श्री राजेश नागर
Shri Rajesh Nagar

श्री सरोज रंजन नायक
Shri Saroj Ranjan Nayak

श्री प्रेम शंकर झा
Shri Prem Shankar Jha

श्री अविनाश शुक्ला
Shri Avinash Shukla

पांच वर्षों के व्यावसायिक प्रदर्शन का संक्षिप्त विवरण
Five-Year Business Performance at a Glance

वैश्विक व्यापार प्रदर्शन /Global Business Performance

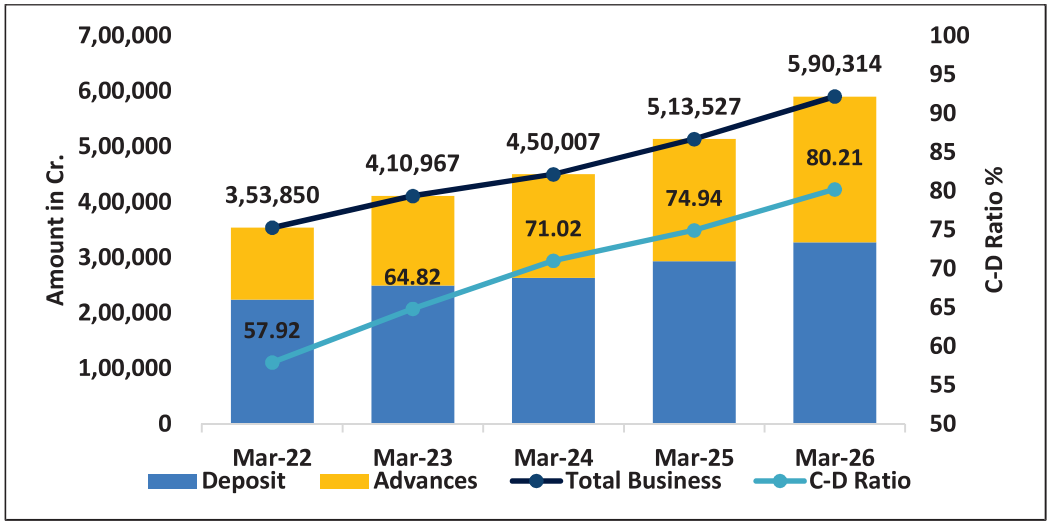

वैश्विक व्यापार / Global Business सीएजीआर/CAGR – 13.65%	वैश्विक अग्रिम / Global Advances सीएजीआर/CAGR –19.25%	वैश्विक जमा /Global Deposits सीएजीआर /CAGR – 9.96%

घरेलू व्यापार प्रदर्शन / Domestic Business Performance

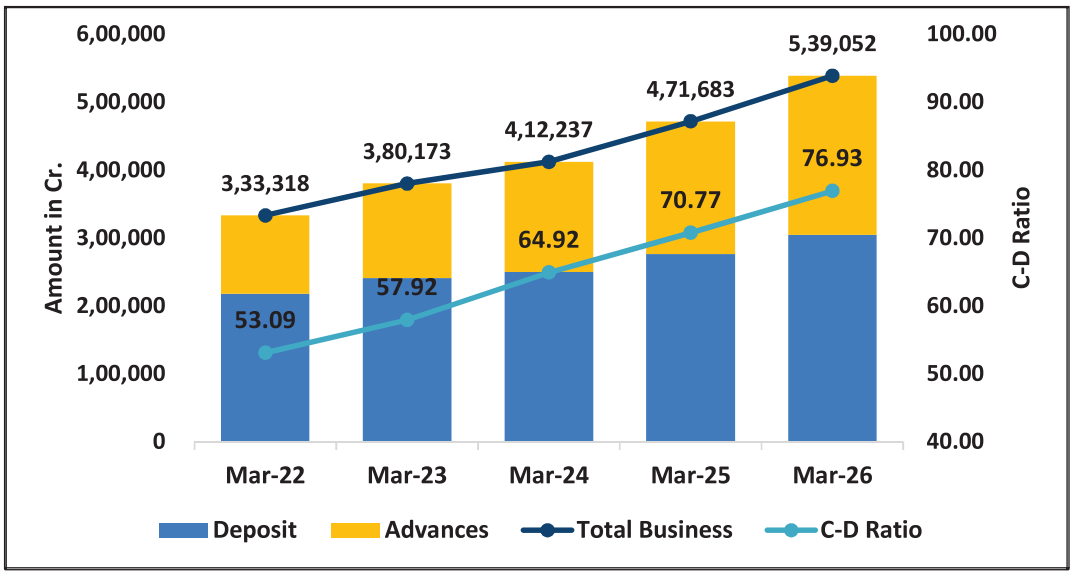

घरेलू व्यापार / Domestic Business सीएजीआर /CAGR – 12.77%	घरेलू अग्रिम /Domestic Advances सीएजीआर / CAGR – 8.76%	घरेलू जमा / Domestic Deposit सीएजीआर / CAGR – 19.33%

घरेलू जमा प्रदर्शन / Domestic Deposit Performance

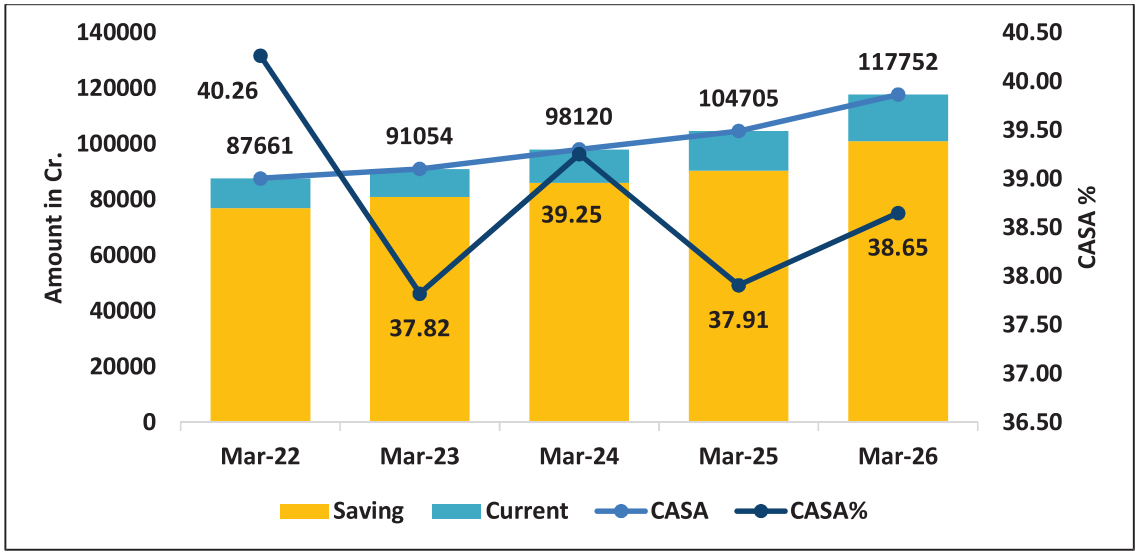

बचत जमा / Savings Deposit	चालू जमा /Current Deposit	कासा /CASA
सीएजीआर / CAGR – 7.01%	सीएजीआर/CAGR –12.02%	सीएजीआर /CAGR – 7.66%

अग्रिम प्रदर्शन (आरएएम)/Advances Performance (RAM)

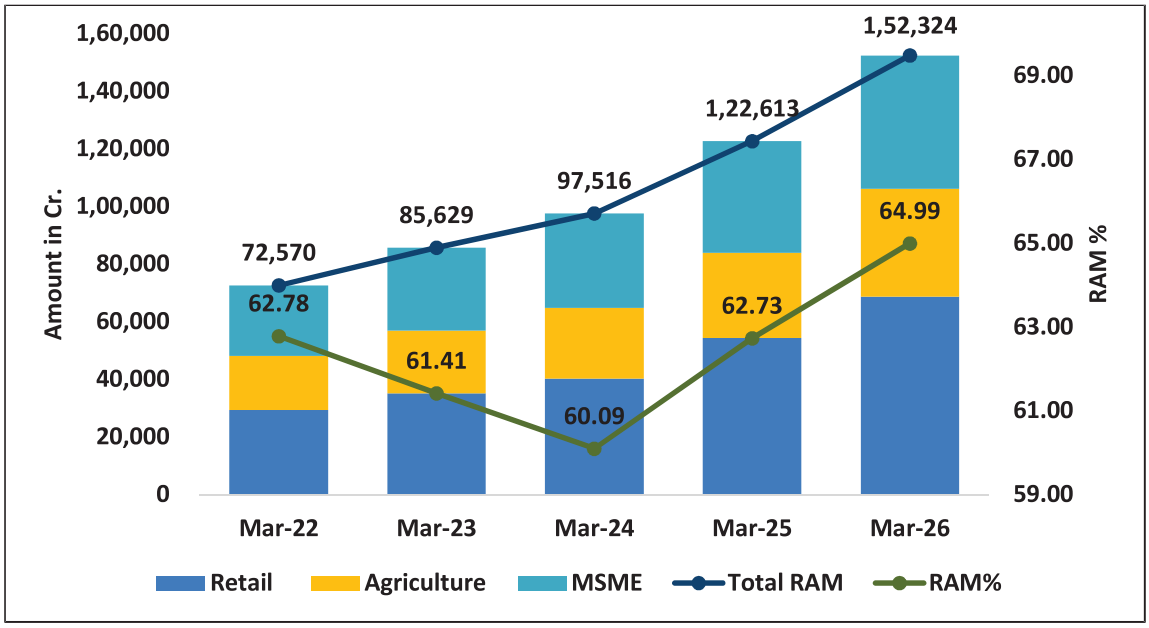

खुदरा अग्रिम / Retail Advances	कृषि अग्रिम / Agriculture Advances	एमएसएमई अग्रिम / MSME Advances
सीएजीआर / CAGR – 23.74%	सीएजीआर /CAGR – 18.66%	सीएजीआर / CAGR – 17.33%

*सीएजीआर/CAGR – चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर / Compounded Annual Growth Rate

दिनांक 31.03.2026 को समाप्त 10 वर्ष की अवधि के महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन संकेतक
KEY PERFORMANCE INDICATORS FOR 10 YEARS PERIOD ENDED ON 31.03.2026

(₹ करोड़ में/ ₹ in Crore)

कारोबार मानदंड / Business Parameters	मार्च 2026 March 2026	मार्च 2025 March 2025	मार्च 2024 March 2024	मार्च 2023 March 2023	मार्च 2022 March 2022	मार्च 2021 March 2021	मार्च 2020 March 2020	मार्च 2019 March 2019	मार्च 2018 March 2018	मार्च 2017 March 2017
कुल जमा/Total Deposits	327563	293542	263130	249338	224073	205919	193203	197907	181849	201285
कुल अग्रिम/Total Advances	262751	219985	186877	161629	129777	118405	114961	119573	123990	131655
कुल कारोबार/Total Business	590314	513527	450007	410967	353850	324324	308165	317480	305839	332940
निवेश/Investment	99295	94868	95265	97669	99045	95835	92915	83810	72590	74768
ब्याज आय/Interest Income	26281	25067	21854	17651	14981	14446	15134	14331	14020	16326
ब्याज व्यय/Interest Expenditure	16085	15437	13754	10307	8508	8966	10042	10019	10895	12509
निवल ब्याज आय/Net Interest Income	10196	9630	8101	7343	6473	5480	5092	4311	3125	3817
परिचालन लाभ/Operating Profit	6429	6037	4576	4341	4797	4149	3870	2414	688	2250
निवल लाभ/Net Profit	2768	2445	1654	1862	930	167	-2437	-4321	-4436	-1851
ऋण जमा अनुपात/Credit Deposit Ratio	80.21	74.94	71.02	64.82	57.92	57.50	59.50	60.42	68.18	65.41

दिनांक 31.03.2026 को समाप्त 10 वर्ष की अवधि की वित्तीय विशिष्टताएं
FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR 10 YEARS PERIOD ENDED ON 31.03.2026

विवरण / Particulars कारोबार मानदंड/Business Parameters	मार्च 2026 March 2026	मार्च 2025 March 2025	मार्च 2024 March 2024	मार्च 2023 March 2023	मार्च 2022 March 2022	मार्च 2021 March 2021	मार्च 2020 March 2020	मार्च 2019 March 2019	मार्च 2018 March 2018	मार्च 2017 March 2017
कुल आय के %रूप में शुद्ध ब्याज आय Net Interest Income as % to Total Income	34.28	32.67	32.25	36.43	35.80	30.16	28.28	27.21	20.64	20.70
कुल अग्रिम/Average Cost of Deposits (%)	4.72	4.85	4.78	4.06	3.81	4.29	4.90	5.07	5.37	5.83
अग्रिमों से औसत आय (%)/Average Yield on Advances (%)	8.09	8.69	8.46	7.46	7.70	7.81	9.20	9.52	8.69	9.60
निवल ब्याज मार्जिन (%)/Net Interest Margin (%)	3.03	3.17	2.92	2.87	2.81	2.58	2.44	2.15	1.52	1.76
पूंजी पर्याप्तता (%) बासेल- III/Capital Adequacy (%) BASEL - III	18.61	18.49	16.98	16.51	13.74	13.74	11.70	10.70	10.94	10.93
प्रति शाखा कारोबार (करोड़ ₹)/Business per Branch (₹ Crore)	172.91	155.43	139.23	128.31	115.11	104.99	99.79	102.81	98.40	107.26
प्रति कर्मचारी कारोबार (करोड़ ₹)/Business per Employee (₹ Crore)	28.08	24.35	20.93	18.90	16.33	14.70	13.70	13.69	12.74	13.48
सकल अनर्जक आस्ति अनुपात (%)/Gross NPA Ratio (%)	2.17	2.69	3.46	4.78	7.89	9.59	16.77	25.00	24.64	17.12
निवल अनर्जक आस्ति अनुपात (%)/Net NPA Ratio (%)	0.27	0.50	0.89	1.29	2.70	3.94	5.45	9.72	13.10	8.94
आस्तियों पर प्रतिफल (%)/Return on Assets (%)	0.79	0.76	0.56	0.62	0.34	0.06	-0.96	-1.84	-1.88	-0.75
प्रति शेयर बही मूल्य (₹ में)/Book Value per Share (in ₹)	20.48	17.53	14.26	12.34	9.74	9.96	7.56	12.82	31.53	48.50
प्रति शेयर अर्जन (₹ में)*/Earning per Share (in ₹)*	2.21	2.04	1.38	2	0.8*	0.17	-3.10	-11.16*	-25.23*	-13.29*
* शेयरों की संख्या का भारित औसत/* Weighted average number of Share										

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयरधारकों, निवेशकों और सम्मानित ग्राहकों,

वित्तीय वर्ष 2025-26 का समापन हमें उस वर्ष पर विचार करने का अवसर प्रदान करता है, जो हाल ही में समाप्त हुआ है। इस अवसर पर मुझे एक शाश्वत सत्य स्मरणीय है कि सर्वोत्तम प्रगति तभी संभव है जब हम कठिन एवं जटिल परिस्थितियों का दृढ़तापूर्वक सामना करते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 बिल्कुल ऐसा ही वर्ष था। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने ऊर्जा की कीमतों को बढ़ा दिया है और भारत के उच्च विकास एवं कम मुद्रास्फीति के 'गोल्डिलॉक्स' दौर को बाधित किया है। इसने व्यवसायों को इस तरह प्रभावित किया कि उद्देश्य की स्पष्टता, संकल्प की स्थिरता, और अनिश्चितता के बीच नवाचार करने की इच्छाशक्ति की आवश्यकता हुई। यूको बैंक ने इस वर्ष सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयासों के कारण स्वयं को अधिक मजबूत, अधिक लाभदायक और अधिक उद्देश्यपूर्ण संस्था के रूप में स्थापित किया है। हम अपने उन शेयरधारकों के प्रति आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने हम पर विश्वास बनाए रखा, अपने ग्राहकों का धन्यवाद करते हैं जिनकी निष्ठा ने हमारी आकांक्षाओं को आधार दिया, तथा अपने कर्मचारियों का अभिनंदन करते हैं जिनके समर्पणभाव ने हमारी योजनाओं को कार्यान्वित किया।

हमारी मार्गनिर्देशित दुनिया

वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रही। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत का अनुमान लगाया है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा अनुमानित 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में कम है।

पश्चिम एशिया का संघर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में चार प्राथमिक तनाव मार्गों के माध्यम से गुजर रहा है - ऊर्जा लागत मुद्रास्फीति, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, राजकोषीय दबाव और बाहरी क्षेत्र का दबाव। सबसे गंभीर अल्पकालिक जोखिम उन क्षेत्रों में केंद्रित हैं जैसे विमानन, पर्यटन, एफएमसीजी (तेज़ी से चलने वाले उपभोक्ता सामान) और कृषि। वहीं मध्यम अवधि का खतरा, मुख्यतः प्रेषण प्रवाह, विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता और चालू खाता घाटे के लिए, संभावित रूप से अधिक संरचनात्मक और दीर्घकालिक नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार, मार्च 2026 में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि 4.1 प्रतिशत रही, जबकि अप्रैल-मार्च की संचयी वृद्धि भी 4.1 प्रतिशत दर्ज की गई। व्यापार के सम्मुख, मार्च 2026 में भारत का निर्यात बढ़कर 38.92 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो फरवरी के 36.61 अरब डॉलर से अधिक है। हालांकि, यह आंकड़ा पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 7.4 प्रतिशत कम है, क्योंकि युद्ध-प्रभावित मध्य पूर्व में जारी आपूर्ति व्यवधानों का निर्यात मात्रा पर असर जारी है। हालाँकि सरकार ने इस क्षेत्र को लक्षित करते हुए निर्यातकों के लिए सहायता उपाय पेश किए हैं, लेकिन लंबे समय तक संघर्ष बने रहने से इस वित्तीय वर्ष में व्यापार का कार्यनिष्पादन और कमजोर हो सकता है।

मुद्रास्फीति, वर्ष के अधिकांश समय तक ऊँचे स्तर पर बनी रही, जबकि नीतिगत कदमों ने विकास को गति देने में मदद की। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने रेपो दर में संचयी रूप से 125 आधार अंकों की कटौती की, जिससे बेंचमार्क दर घटकर 5.25 प्रतिशत हो गई।

बैंकिंग परिदृश्य

भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने वित्त वर्ष 2025-26 में मजबूत स्थिति के साथ प्रवेश किया। यह प्रणाली अच्छी पूंजीकरण, लचीलेपन और विवेकपूर्ण नियामकीय शासन के व्यापक समर्थन से सुदृढ़ बनी रही। फिर भी, यह वर्ष चुनौतियों से मुक्त नहीं था। वर्ष के अंत तक तरलता की स्थिति काफी सख्त हो गई, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को कई संतुलित उपाय अपनाने पड़े। इनमें ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (ओएमओ), वेरिएबल रेट रेपो(वीआरआर) नीलामी, तथा डॉलर-रुपया खरीद-बिक्री स्वैप नीलामी शामिल हैं। 2025 की शुरुआत में शुरूकिए गए इन हस्तक्षेपों के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त तरलता डाली गई, जिससे मुद्रा बाजार की स्थितियों को स्थिर रखने में सहायता मिली।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा राशि व्यापक मुद्रा आपूर्ति (एम3) का प्रमुख हिस्सा बनी रही, जो लगभग 80 प्रतिशत के मध्य के स्तर पर रही। वर्ष के दौरान बैंकों में कुल जमा वृद्धि में मामूली सुधार देखा गया, हालांकि यह पिछले चक्र में दर्ज उच्च स्तरों से नीचे ही रही। ऋण वृद्धि भी पिछले वर्ष के ऊँचे स्तरों की तुलना में और धीमी हुई, जिसका कारण आधारभूत प्रभाव तथा ऋण वितरण की अधिक संतुलित गति का संयुक्त प्रभाव था। इसके परिणामस्वरूप, ऋण-जमा अनुपात में केवल मामूली उतार-चढ़ाव के साथ हुई और यह कुल मिलाकर व्यापक रूप से स्थिर बना रहा।

उत्साहजनक रूप से, संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली में आस्ति गुणवत्ता में और सुधार हुआ, जिसमें सकल अनर्जक आस्तियाँ (जीएनपीए) घटकर कई वर्षों के निचले स्तर पर आ गई, जो तुलन पत्र के निरंतर मजबूतीकरण को रेखांकित करता है। उच्च निधीकरण लागत के निरंतर दबाव के बावजूद, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निवल ब्याज मार्जिन(एनआईएम) मजबूत और स्थिर बना रहा।

इस बीच, डिजिटल बैंकिंग ने अपनी मजबूत गति को लगातार बनाए रखा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान तेज़ वृद्धि का सिलसिला जारी रखा, जिसमें लेनदेन परिमाण में और वृद्धि दर्ज की गई। इससे डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत की वैश्विक अग्रणी स्थिति और अधिक मजबूत हुई।

यूको बैंकः प्रगति की दिशा में कार्यनीति

यूको बैंक के लिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 सुनियोजित कार्यों, क्षमताओं के विकास, ग्राहक संबंधों को और मजबूत बनाने तथा दीर्घकालिक मूल्य सृजन की नींव को सुदृढ़ करने का वर्ष रहा।

वित्त वर्ष 2025-26 में, संगठन ने ग्राहक सुविधा, वित्तीय समावेशन, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी-संचालित नवाचार पर विशेष ध्यान देते हुए अपनी डिजिटल परिवर्तन यात्रा को तेज किया। मुख्य उपलब्धियों में उन्नत मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग सुविधाओं की शुरुआत शामिल थी, जैसे लाभार्थी खोज, शाखा स्लॉट बुकिंग, बायोमेट्रिक और चेहरा-प्रमाणीकरण-सक्षम यूपीआई सेवाएँ, डिजिटल पुरस्कार, हरित सावधि जमा प्रमाण पत्र, और सहज 'पे टू कॉन्टैक्ट्स' सुविधा। वाहन, गृह, स्वर्ण, डेयरी, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई), और कृषि वित्तपोषण में एंड-टू-एंड स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) ऋण प्रक्रियाओं पर विशेष जोर दिया गया, जिससे तेज डिजिटल संस्वीकृतियाँ और बेहतर ऋण पहुँच संभव हो सकी।

तकनीकी मोर्चे पर, संगठन ने प्रमुख संस्थानों के साथ एपीआई बैंकिंग साझेदारियों को और मजबूत किया, इन-हाउस डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऋण प्रसंस्करण प्रणालियों की शुरुआत की, सुरक्षित ".bank.in" डोमेन पर माइग्रेट किया गया, तथा परिचालन लचीलापन और साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 150 से अधिक प्रणाली नियंत्रण उपायों को लागू किया गया।

साथ ही, हमने भौतिक पहुंच के महत्व को भी नजरअंदाज नहीं किया है। वर्ष के दौरान, हमने 110 नई शाखाएँ जोड़ीं, जिससे हमारा घरेलू नेटवर्क देशभर में बढ़कर 3,412 शाखाओं तक पहुँच गया। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि डिजिटल क्षेत्र में हमारी वृद्धि के साथ-साथ भौगोलिक और सामुदायिक स्तर पर भी हमारी पहुँच और गहरी हुई है।

इस वर्ष हमारा कुल कारोबार 5.9 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। यह उपलब्धि, जो विवेकपूर्ण व्यावसायिक निर्णयों और हमारे हितधारकों के विश्वास के माध्यम से धीरे-धीरे सुदृढ़ हुई, यूको बैंक परिवार के लिए गर्व का विषय है। इस प्रदर्शन की मान्यता में और शेयरधारक मूल्य को बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, निदेशक मंडल ने 4.40 प्रतिशत लाभांश की सिफारिश की है, जो प्रति इक्विटी शेयर 0.44 रुपये के बराबर है। यह पिछले वर्ष की घोषित 3.90 प्रतिशत लाभांश से अधिक है।

आंकड़ों पर एक नज़र

लाभप्रदताः बैंक का परिचालन लाभ वित्तीय वर्ष 2025-26 में 6.49 प्रतिशत बढ़कर 6,429 करोड़ हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह 6,037 करोड़ था। निवल लाभ में और भी अधिक मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जो 13.21 प्रतिशत से बढ़कर 2,768 करोड़ हो गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह 2,445 करोड़ था।

ब्याज आयः कुल ब्याज आय में 4.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 26,281 करोड़ हो गई, जिसमें अग्रिमों से प्राप्त ब्याज आय में 8.64 प्रतिशत की वृद्धि होकर यह 18,596 करोड़ हो गई। निवेशों से प्राप्त ब्याज आय में 1.97 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 6,472 करोड़ हो गई।

निवल ब्याज आयः ब्याज व्यय की तुलना में ब्याज आय में अधिक वृद्धि के कारण निवल ब्याज आय 5.89 प्रतिशत से बढ़कर 10,197 करोड़ हो गया। कुल ब्याज व्यय 4.20 प्रतिशत से बढ़कर 16,085 करोड़ हो गया; जमा औसत लागत 4.85 प्रतिशत से घटकर 4.72 प्रतिशत हो गई।

परिचालन व्ययः परिचालन व्यय 7,227 करोड़ रहा, जो 9.65 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। कर्मचारी लागत में 13.06 प्रतिशत की कमी आई और यह घटकर 4,741 करोड़ हो गई। अन्य परिचालन व्यय में भी 2.36 प्रतिशत की कमी आई, जो लाभप्रदता में सुधार के लिए बैंक की लागत और व्यय को सुव्यवस्थित करने की कार्यनीति के अनरूप है।

प्रावधानः वर्ष के लिए कुल प्रावधान 3,661 करोड़ रहा, जो 1.92 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है, जिसमें अनर्जक आस्ति (एनपीए) के लिए 1,363 करोड़, मानक आस्तियों और अन्य के लिए 692 करोड़ और आयकर के लिए 1,606 करोड़ शामिल हैं।

पूंजी एवं आरक्षित निधियाँः प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी 12,540 करोड़ पर स्थिर रही। कुल भंडार एवं अधिशेष दिनांक 31.03.2026 को बढ़कर 20,710 करोड़ हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह 18,465 करोड़ था।

तुलन पत्रः कुल आस्तियों में 9.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वे बढ़कर 3,95,858 करोड़ हो गईं। वैश्विक अग्रिमों में 19.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वह बढ़कर 2,62,752 करोड़ हो गया। वैश्विक जमाओं में 11.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वह बढ़कर 3,27,563 करोड़ हो गया। सकल निवेश 99,295 करोड़ का रहा।

हमारा लक्ष्यः वित्तीय वर्ष 2026-27 और उसके बाद

आने वाले वर्ष के प्रति हमारी सकारात्मक सोच है। मुद्रास्फीति में नरमी आने, वैश्विक अस्थिरता में धीरे-धीरे स्थिरता आने और अनुकूल मौद्रिक नीति एवं राजकोषीय वातावरण के चलते घरेलू मांग में नई गति आने की संभावना के चलते भारत का व्यापक आर्थिक परिदृश्य सकारात्मक बना हुआ है। लघु एवं मध्यम उद्यम, खुदरा ऋण क्षेत्र और अक्षय ऊर्जा (नवीकरणीय ऊर्जा) जैसे क्षेत्र बैंकिंग उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

यूको बैंक का वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कार्यनीतिक कार्य-सूची पांच स्पष्ट अनिवार्यताओं पर आधारित हैः

- आस्ति की गुणवत्ता पर समझौता किए बिना, उद्योग के रुझानो के अनरूप ऋण वृद्धि को बनाए रखना;
- समृद्ध डिजिटल प्रस्तावों के माध्यम से अपने रिटेल और एमएसएमई पोर्टफोलियो को गहरा और विस्तारित करना;
- सभी डिलीवरी चैनलों पर ग्राहकों के अनुभवों को बेहतर और समृद्ध बनाना;
- साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विश्लेषण में निवेश को तेज करना ताकि हमारे संचालन को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके; और
- शेयरधारकों और हितधारकों के मूल्य में वृद्धि के आधार के रूप में सतत लाभप्रदता प्रदान करना।

समाहार

कोई भी बैंक तभी सफल होता है जब लोग उस पर भरोसा करते हैं। इस रिपोर्ट का हर परिणाम, हमारी हर नई शाखा, हमारे द्वारा समर्थित हर ऋण और हमारे द्वारा बेहतर किया गया हर डिजिटल अनुभव, यह सब उसी विश्वास और उसके प्रति हमारी ज़िम्मेदारी को दर्शाता है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसी संस्था का नेतृत्व करने में सहयोग कर रहा हूँ जो इस विश्वास को हर दिन आगे बढ़ाता है।

मैं अपने ग्राहकों, प्रबंधन, कर्मचारियों, साझेदारों, शेयरधारकों, निदेशकों और सभी हितधारकों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, जिनके अटूट विश्वास ने यूको बैंक को इस मुकाम तक पहुँचाया है। मैं भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार के निरंतर सहयोग, मार्गदर्शन और अनुकूल नियामक वातावरण के लिए भी अपनी आभार प्रकट करना चाहता हूँ।

यूको बैंक के रूप में, हम सब मिलकर एक ऐसे भारत के प्रति प्रतिबद्ध हैं जो मजबूत, अधिक न्यायसंगत और कल की संभावनाओं से सशक्त हो।

हार्दिक शुभकामनाओं और असीम कृतज्ञता सहित,

अरवमुदन कृष्ण कुमार
गैर-कार्यपालक अध्यक्ष
यूको बैंक

Chairman's Message

Dear Shareholders, Investors and Esteemed Customers,

The conclusion of financial year 2025-26 offers an opportunity to reflect upon the year that has just drawn to a close; I am reminded of the enduring truth that the best progress happens when we work through hard and complex situations. FY 2025-26 was precisely such a year. The ongoing conflict in West Asia has pushed up energy prices and disturbed India's Goldilocks moment of high growth and low inflation. It has affected businesses in a way that demanded clarity of purpose, steadiness of resolve, and the willingness to innovate amid uncertainty. UCO Bank has emerged stronger, more profitable, and more purposeful this year due to the collective effort of every stakeholder. We thank our shareholders who entrusted us with their confidence, our customers whose loyalty anchored our ambitions, and our employees whose dedication turned our plans into action.

THE WORLD WE NAVIGATED

India's economy continued to stand strong despite global uncertainty.The Reserve Bank of India (RBI) has projected India's GDP growth for FY 2026-27 at 6.9 percent which is a moderation from the 7.6 percent growth estimatedby the National Statistical Office for FY 2025-26.

The West Asia conflict is transmitting across India's economy through four primary stress pathways - energy cost inflation, supply chain disruption, fiscal strain, and external sector pressure. The most acute near-term risks are concentrated in sectors such as, aviation, tourism, FMCG, and agriculture and the medium-term threat, mainly to remittance flows, manufacturing competitiveness, and the current account deficit is potentially more structurally damaging.

Industrial output growth, as measured by the Index of Industrial Production stood at 4.1 percent for March 2026, with the cumulative April-March figure also at 4.1 percent. On the trade front, India's exports reached $38.92 billion in March 2026, an increase from $36.61 billion in February. However, this figure remains 7.4% lower than the same period last year, as ongoing supply disruptions in the war-affected Middle East continue to impact shipment volumes. While the government has introduced support measures for exporters targeting the region, a prolonged conflict could further weaken trade performance this fiscal year

Inflation remained elevated for much of the year, while policy actions helped drive growth. During FY 2025-26, the RBI cumulatively cut the repo rate by 125 basis points bringing the benchmark rate to 5.25 percent.

THE BANKING LANDSCAPE

The Indian banking system entered FY 2025-26 in sound health being well-capitalised, resilient, and broadly supported by prudent regulatory governance. Nonetheless, the year was not without its tests. Liquidity conditions tightened significantly toward the end of the year, prompting the Reserve Bank of India to deploy a calibrated set of measures, including open market operations (OMOs), variable rate repo (VRR) auctions, and dollar-rupee buy-sell swap auctions. These interventions, initiated in early 2025, injected substantial liquidity into the banking system and helped stabilise money market conditions.

Deposits with Scheduled Commercial Banks continued to account for a dominant share of broad money (M3), at around the mid-80 percent range. Aggregate deposit growth across banks showed a modest recovery during the year, though it remained below the highs seen in the previous cycle. Credit growth moderated further from the elevated levels of the prior year, reflecting a combination of base effects and a more measured pace of lending. Consequently, the credit-deposit ratio remained broadly stable, with only marginal movements.

Encouragingly, asset quality across the banking system improved further, with Gross Non-Performing Assets (GNPA) declining to multi-year lows, underscoring sustained balance sheet strengthening. Net Interest Margins (NIMs), particularly for public sector banks, remained resilient despite continued pressure from higher funding costs.

Meanwhile, digital banking continued its strong momentum. National Payments Corporation of India's Unified Payments Interface (UPI) sustained its rapid growth trajectory, with transaction volumes rising further during FY2025-26, reinforcing India's position as a global leader in digital payments.

UCO BANK: STRATEGY IN MOTION

For UCO Bank, FY 2025-26 was a year of deliberate action, of building capabilities, deepening customer relationships, and fortifying the foundations for long-term value creation.

In FY 2025-26, the organisation accelerated its digital transformation journey with a strong focus on customer convenience, financial inclusion, security, and technology-led innovation. Key highlights included the rollout of advanced mobile and internet banking features such as beneficiary lookup, branch slot booking, biometric and face-authentication-enabled UPI services, digital rewards, green fixed deposit certificates, and seamless "Pay to Contacts" functionality.A major thrust was placed on end-to-end Straight Through Processing (STP) loan journeys across vehicle, home, gold, dairy, SHG, MSME, and agricultural financing, enabling faster digital sanctions and improved credit access.

On the technology front, the organisation strengthened API banking partnerships with major institutions, launched in-house digital platforms and loan processing systems, migrated to the secure ".bank.in" domain, and implemented over 150 system control measures to enhance operational resilience and cybersecurity.

At the same time, we have not lost sight of the importance of physical reach. During the year, we added 110 new branches, expanding our domestic network to 3,412 branches across the country and ensuring that our growth in the digital realm is matched by deeper geographic and community penetration.

The year also witnessed us cross our Total Business to more than Rs. 5.9 lakh crore. This achievement, built brick by brick through prudent business decisions and the confidence of our stakeholders, is one that the entire UCO Bank family can take pride in. In recognition of this performance and in affirmation of our commitment to enhancing shareholder value, the Board of Directors has recommended a dividend of 4.40 percent, amounting to Rs. 0.44 per equity share, which was higher than the 3.90 percent declared in the previous year.

CLOSER LOOK AT THE NUMBERS

Profitability: The Bank's operating profit improved by 6.49 percent to Rs. 6,429 crore in FY 2025-26, against Rs. 6,037 crore in the preceding year. Net profit grew at an even more robust pace with13.21 percent increase, reaching Rs. 2,768 crore, up from Rs. 2,445 crore in FY 2024-25.

Interest Income: Total interest income rose 4.84 percent to Rs. 26,281 crore, led by an 8.64 percent increase in interest income from advances to Rs. 18,596 crore. Interest income from investments grew by 1.97 percent to Rs. 6,472 crore.

Net Interest Income: NII grew by 5.89 percent to Rs. 10,197 crore, supported by higher growth in interest income relative to interest expenses. Total interest expenses rose by 4.20 percent to Rs. 16,085 crore; the average cost of deposits reduced to 4.72 percent from 4.85 percent.

Operating Expenses: Operating expenses stood at Rs. 7,227 crore, reflecting a 9.65 percent decrease. Staff costs reduced by13.06 percent to Rs. 4,741 crore. Other operating expenses also decreased by 2.36 percent, in direct alignment with the Bank's streamlining of cost and expense strategy for improvement of profitability.

Provisions: Total provisions for the year amounted to Rs. 3,661 crore, a 1.92 percent increase, comprising Rs. 1,363 crore for NPAs, Rs. 692 crore for standard assets and others and Rs. 1,606 crore for income tax.

Capital & Reserves: Paid-up equity share capital remained at Rs. 12,540 crore. Total Reserves and Surplus increased to Rs. 20,710 crore as on 31.03.2026, compared with Rs. 18,465 crore a year ago.

Balance Sheet: Total assets grew by 9.21 percent to Rs. 3,95,858 crore. Global Advances expanded by 19.44 percent to Rs. 2,62,752 crore. Global Deposits rose by 11.59 percent to Rs. 3,27,563 crore. Gross Investments stood at Rs. 99,295 crore.

OUR HORIZON: FY 2026-27 AND BEYOND

As we look to the year ahead, we do so with measured confidence. India's macro outlook remains constructive as inflation appears to be softening , global volatility may gradually stabilise, and domestic demand is expected to gather renewed momentum, aided by conducive monetary policy and fiscal environment. Sectors such as MSME, Retail, and Renewable Energy are poised to be growth vectors for the banking industry.

UCO Bank's strategic agenda for FY 2026-27 is anchored on five clear imperatives:

- Sustaining credit growth in line with industry trends, without compromise on asset quality;
- Deepening and scaling our Retail and MSME portfolios through enriched digital propositions;
- Improving and enriching customer experiences across all delivery channels;
- Accelerating investment in cybersecurity, Artificial Intelligence, and data analytics to future-proof our operations; and
- Delivering sustainable profitability as the bedrock of enhanced shareholder and stakeholder value.

IN CLOSING

A bank succeeds only when people trust it. Every result in this report, every branch we added, every loan we supported, and every digital experience we improved reflects that trust and our responsibility towards it. I feel privileged to help lead an institution that carries this forward every day.

I extend my wholehearted appreciation to our customers, management, employees, partners, shareholders, directors, and all stakeholders whose steadfast faith in UCO Bank has made this journey possible. I also wish to place on record our gratitude to the Reserve Bank of India and the Government of India for their continuous support, guidance, and the conducive regulatory environment they have fostered.

Together, as UCO Bank, we stand committed to an India that is stronger, more equitable, and empowered by the possibilities of tomorrow.

With warm regards and deep gratitude,

Aravamudan Krishna Kumar
Non-Executive Chairman
UCO Bank

एमडी और सीईओ की डेस्क से संदेश

सम्मानित शेयरधारकों, मूल्यवान ग्राहकों, सहकर्मियों और हितधारकों

यह मेरे लिए सौभाग्य (विशेषाधिकार) और ज़िम्मेदारी दोनों की बात है कि मैं वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए यूको बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यूको बैंक के लिए विगत वित्तीय वर्ष महत्वपूर्ण था क्योंकि हमने 5.90 लाख करोड़ रुपये के वैश्विक कारोबार के रूप में मील के पत्थर को पार कर लिया है। यह पिछला वित्तीय वर्ष सामान्य प्रगति का वर्ष नहीं था। यह एक ऐसा वर्ष था जिसमें हमने आस्ति गुणवत्ता, डिजिटल गंभीरता और दीर्घकालिक सामर्थ्य का विचारपूर्वक निर्णय लिया।

हमने अपनी सामाजिक प्रतिबद्धताओं को और प्रगाढ़ किया है, अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे का विस्तार किया है, अपनी ऋण पहुंच (आउटरीच) को बढ़ाया है, और उन प्रणालियों को मजबूत किया है जो आपके बैंक को लंबे समय तक शासित, संरक्षित और सशक्त बनाए रखते हैं और मुझे इन परिणामों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है।

जिस परिवेश में हमने कार्य किया

वैश्विक अनिश्चितता, उच्च मुद्रास्फीति के दबाव और विकसित नियामक अपेक्षाओं से आकार लेने वाले व्यापक आर्थिक वातावरण में, आपके बैंक ने आत्मविश्वास के साथ प्रतिक्रिया दी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में वैश्विक पृष्ठभूमि एक मिश्रित कैनवास थी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 2026 के लिए वैश्विक विकास दर 3.1 प्रतिशत और 2027 के लिए 3.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जो महामारी से पहले के मानकों के अनुसार कम (मामूली) है, लेकिन कई लोगों की आशंकाओं के कहीं अधिक मजबूत है। दो वर्षों से उच्च स्तर पर बने मुद्रास्फीति दबाव में कमी आने लगी है और वैश्विक मुद्रास्फीति दर 2026 में 5.4% से बढ़कर 2027 में 5.8% होने का अनुमान है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारत की संरचनात्मक मजबूती बनी रही। भारतीय रिज़र्व बैंक की एमपीसी ने रेपो दर को 5.25% पर बरकरार रखा, जो इस बात का संकेत है कि केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति की दिशा को लेकर आश्वस्त है और साथ ही विकास को गति प्रदान करने में भी सहायक है। दिसंबर, 2023 में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद, सीपीआई मुद्रास्फीति मार्च 2026 में घटकर 3.4% हो गई। एमपीसी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.9% और सीपीआई मुद्रास्फीति का अनुमान 4.6% पर बरकरार रखा है। ऊर्जा की ऊंची कीमतों और संभावित जोखिमों को देखते हुए सीपीआई अनुमानों को संशोधित किया गया है।

यूको बैंक - कार्यनिष्पादन पर विशेष ध्यान -

कारोबार: 31 मार्च, 2026 को आपके बैंक का वैश्विक कारोबार रु. 5,90,314 करोड़ से अधिक हो गया, जो एक वर्ष पहले के रु. 5,13,527 करोड़ रुपये से बढ़कर 14.95% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। प्रति कर्मचारी कारोबार 31 मार्च, 2026 को बढ़कर 28 करोड़ हो गया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 24 करोड़ था।

जमा: कुल जमा राशि रु. 2,93,542 करोड़ से बढ़कर रु. 3,27,563 करोड़ रुपये हो गई, जो 11.59% की वृद्धि दर्शाती है। घरेलू जमा में कासा का अनुपात 38.65% पर स्थिर रहा, जिससे फंड की लागत स्थिर बनी रही। बचत जमा में 11.78% की वृद्धि होकर यह रु. 1,01,025 करोड़ हो गई, जबकि चालू जमा में 16.77% की वृद्धि होकर यह रु. 16,727 करोड़ हो गई, जो लेन-देन संबंधी बैंकिंग संबंधों में मजबूती को दर्शाती है।

अग्रिम संविभाग (एडवांस पोर्टफोलियो): गुणवत्तापूर्ण वृद्धि की कहानीः संभवतः सबसे संतोषजनक उपलब्धि ऋण वृद्धि की संरचना और गुणवत्ता में निहित है। कुल अग्रिम 19.44% बढ़कर रु. 2,62,752 करोड़ हो गया।

खुदरा ऋण संविभाग (पोर्टफोलियो) में 26.62% की अच्छी वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें गृह ऋण में 19.11% और वाहन ऋण में 71.12% की वृद्धि हुई। ये वे क्षेत्र हैं जहां हमने मजबूत डिजिटल ऋण वितरण नेटवर्क विकसित किया है और बाजार में वास्तविक हिस्सेदारी हासिल की है। कृषि ऋण संविभाग (पोर्टफोलियो) में 26.24% और एमएसएमई ऋण में 19.36% की वृद्धि हुई, जो सामूहिक रूप से उत्पादक अर्थव्यवस्था के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। घरेलू ऋणों में आरएएम (रिटेल, कृषि, एमएसएमई) की हिस्सेदारी अब 64.98% है, जो एक विविध और राष्ट्रीय आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप संविभाग (पोर्टफोलियो) संरचना है।

आय विश्लेषण: वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए परिचालन लाभ रु. 6,429 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष के रु. 6,037 करोड़ से 6.49% अधिक है। हमने इस वर्ष रु. 2,768 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया। यह पिछले वर्ष के रु. 2,445 करोड़ के आंकड़े से 13.21% की वृद्धि है। इस प्रकार, कंपनी का परिचालन तंत्र स्वस्थ है और लगातार मजबूत हो रहा है।

शुद्ध ब्याज आय 5.89% बढ़कर रु. 10,197 करोड़ हो गई, जबकि ब्याज आय में 4.84% की वृद्धि दर्ज की गई और यह रु. 26,281 करोड़ हो गई।

आस्ति गुणवत्ता और वसूली: सबसे महत्वपूर्ण कहानी यदि किसी एक मापदंड से पिछले कुछ वर्षों में यूको बैंक के परिवर्तन को समझा जा सकता है, तो वह है बैंक की एनपीए में गिरावट। सकल एनपीए घटकर रु. 5,690 करोड़ (2.17%) हो गया, जो एक वर्ष पहले रु. 5,919 करोड़ (2.69%) था। निवल एनपीए रु. 702 करोड़ है, जो कुल अग्रिमों का मात्र 0.27% है, जो पिछले वर्ष के 0.50% से कम है। बैंक ने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उधारकर्ताओं के साथ व्यक्तिगत बातचीत, राष्ट्रीय लोक अदालतों में सक्रिय भागीदारी और समझौता/पीटीएस तंत्र के माध्यम से समाधान के जरिए 'यूको अदालत' की शुरुआत करके वसूली प्रयासों को मजबूत किया। इन पहलों के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान कुल रु. 2,944.30 करोड़ की वसूली और अपग्रेडेशन हुआ।

पूंजी एवं प्रावधान: इस वर्ष आपके बैंक की पूंजी स्थिति मजबूत और स्थिर बनी रही, जिसमें पूंजी पर्याप्तता अनुपात 18.61% और सीईटी-1 अनुपात 16.36% रहा, जो भविष्य के व्यवसाय और विकास के लिए एक ठोस पूंजीगत सुरक्षा प्रदान करता है।

समान रूप से महत्वपूर्ण 97.79% का प्रावधान कवरेज अनुपात है, जो समकक्ष समूह में सबसे उच्च स्तरों में से एक है और यह दर्शाता है कि हमारे एनपीए पोर्टफोलियो के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, स्लिपेज अनुपात 0.78% पर अच्छी तरह से नियंत्रित रहा, जो ऋण संविभाग (पोर्टफोलियो) की गुणवत्ता को बनाए रखने के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

यूको बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन के प्रति विवेकपूर्ण और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है। मार्च, 2026 तक, बैंक ने अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) के लिए रु. 1037.59 करोड़ का अग्रिम प्रावधान रखा है। पिछले तीन तिमाहियों से लगातार किए गए प्रावधान के कारण अब बैंक ईसीएल रूपरेखा में परिवर्तन के लिए मजबूत स्थिति में है। इसके अतिरिक्त, कोविड-19 से संबंधित रु. 530 करोड़ का प्रावधान और 31 मार्च, 2026 तक वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए रु. 341 करोड़ का आकस्मिक प्रावधान भी रखा गया है। कुल मिलाकर, बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनिवार्य प्रावधान के अतिरिक्त मानक ऋण पुस्तिका पर रु. 1900 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त प्रावधान रखा है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में शुरू की गई प्रमुख पहलें

नेटवर्क विस्तार: आज आपके बैंक का देश और विदेश में एक सुव्यवस्थित और व्यापक शाखा नेटवर्क फैला हुआ है। बैंक 49 अंचल कार्यालयों और 3412 घरेलू शाखाओं के माध्यम से संचालित होता है, जिन्हें 2 विदेशी शाखाओं और ईरान में 1 प्रतिनिधि कार्यालय भी इसमें सहायक है, जिससे बैंक का वैश्विक शाखा नेटवर्क 3414 तक पहुंच गया है। यह व्यापक उपस्थिति वित्तीय समावेशन, ग्राहक संपर्क और भौगोलिक क्षेत्रों में निर्बाध बैंकिंग सेवाओं के प्रति बैंक की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

डिजिटल रूपांतरण: बैंकिंग अनुभव को पुनर्परिभाषित करना

यूको बैंक की डिजिटल परिवर्तन यात्रा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में एक नए और निर्णायक चरण में प्रवेश किया। मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, एपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई और एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा और नियामक प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में बैंक ने ऐसे निवेश और नवाचार किए हैं जिनका प्रभाव आने वाले वर्षों में और भी गहरा होगा।

डिजिटल तुलन पत्र: डिजिटल पहलों के परिणामस्वरूप रु. 25,350 करोड़ की एक मजबूत डिजिटल तुलन पत्र तैयार हुई है, जिसमें 31 स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग डिजिटल प्रक्रियाएं शामिल हैं। यह प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्राहक सेवा में बदलाव लाने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, निर्णयों में तेजी लाने और त्वरित ऋण वितरण को सक्षम बनाने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

देयता पक्ष: हमने प्रमुख सुधारों के माध्यम से डिजिटल पहलों से रु. 14,218 करोड़ का कारोबार हासिल किया है: बायोमेट्रिक यूपीआई लेनदेन, व्हाट्सएप बैंकिंग, डिजिटल पुरस्कार, ग्रीन एफडी प्रमाणपत्र, #UCOgoesDigital अभियान जिसके परिणामस्वरूप रिकॉर्ड मोबाइल बैंकिंग सक्रियण हुई, ब्रेल डेबिट कार्ड के माध्यम से समावेशी डिजिटल बैंकिंग की गई।

आस्ति पक्ष: डिजिटल ऋण से 11,132 करोड़ का कारोबार हुआ है, जिसमें वाहन ऋण, गृह ऋण, स्वर्ण ऋण, एमएसएमई ऋण, स्वयं सहायता समूह ऋण, केसीसी ऋण, डेयरी ऋण और पीएम विश्वकर्मा ऋण शामिल हैं।

व्हाट्सएप बैंकिंग: मार्च, 2025 तक व्हाट्सएप बैंकिंग में 6 लाख पंजीकृत उपयोगकर्ताओं से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक 21 लाख उपयोगकर्ता हो गए हैं। व्हाट्सएप बैंकिंग 14 भाषाओं में उपलब्ध है और वर्तमान में उपयोगकर्ताओं को 49 सेवाएं प्रदान करता है।

वास्तविक अर्थव्यवस्था की सेवा: कृषि, ग्रामीण भारत और प्राथमिकता क्षेत्र: आपके बैंक के कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम रु. 1.05 लाख करोड़ तक पहुंच गए हैं, जो समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के 52.52% के बराबर है।

आपके बैंक ने नारी समृद्धि और स्वयं सहायता समूह समृद्धि जैसे विशेष उत्पादों की शुरुआत करके ग्रामीण विकास एजेंडा को सुदृढ़ किया है, जिससे महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को हमारी समावेशी ऋण कार्यनीति के केंद्र में रखा गया है। बकाया स्वयं सहायता समूह ऋण में 27.78% की वृद्धि हुई है, जिससे देशभर में 1.88 लाख स्वयं सहायता समूहों को लाभ हुआ है।

हमारे 28 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों ने वर्ष के दौरान 25,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया, जिससे रु. 59 करोड़ के ऋण की सुविधा उपलब्ध हुई। हमारे 127 वित्तीय साक्षरता केंद्रों ने सामूहिक रूप से 18 लाख से अधिक प्रतिभागियों तक पहुँच बनाई, जिससे जमीनी स्तर पर वित्तीय जागरूकता को बढ़ावा मिला। 'बैंक सखी' पहल ने स्वयं सहायता समूहों की पहुँच को और मजबूत किया और हमने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्रों की बिक्री से 19.62 करोड़ अर्जित किए, जो आपके बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र पोर्टफोलियो की गहराई और गुणवत्ता का ठोस प्रमाण है।

वित्तीय समावेशनः अंतिम छोर तक बैंकिंग - वित्तीय वर्ष 2025-26 में, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, हमने 11,136 बैंक मित्रों के बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट नेटवर्क के सहयोग से 4,122 उप-सेवा क्षेत्रों के माध्यम से 16,281 आवंटित गांवों में बैंकिंग पहुंच को मजबूत किया। इस वर्ष इस नेटवर्क के माध्यम से रु. 13,148 करोड़ के 304 लाख से अधिक माइक्रो-एटीएम लेनदेन संसाधित किए गए। हमने अपने पीएमजेडीवाई खाता खोलने के लक्ष्य को पार करते हुए 6.48 लाख नए खाते खोले, जिससे कुल पीएमजेडीवाई जमा राशि 156.45 लाख खातों में रु. 8,081.15 करोड़ तक पहुंच गई, जबकि लाभार्थियों को 64 लाख से अधिक रुपे कार्ड जारी किए गए।

आपके बैंक के सामाजिक सुरक्षा तंत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें पीएमजेजेबीवाई के तहत 37.46 लाख ग्राहक, पीएमएसबीवाई के तहत 84.90 लाख ग्राहक और अटल पेंशन योजना के तहत 3.42 लाख नए नामांकन शामिल हैं। इस वृद्धि के साथ हमने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 105% लक्ष्य प्राप्ति के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमने मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और एसएमएस के माध्यम से बीमा योजनाओं के लिए स्व-नामांकन को सक्षम बनाया है, जिससे लाखों ग्राहकों के लिए पहुंच अधिक सुविधाजनक और सम्मानजनक हो गई है।

300 आधार नामांकन केंद्र चालू होने और परिचालन बचत खातों में 91% आधार सीडिंग के साथ, हम पहचान, पहुंच और समावेशन का एक ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार कर रहे हैं जो दशकों तक भारत की सेवा करेगा।

उद्यमशीलता को बढ़ावाः एमएसएमई विकास - भारत की आर्थिक गतिशीलता उसके लघु व्यवसायों की उद्यमशीलता और व्यक्तिगत उधारकर्ताओं की आकांक्षाओं में सर्वथा झलकती है। आपके बैंक के एमएसएमई पोर्टफोलियो में वार्षिक आधार पर 19.36% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई और इस दौरान एमएसएमई ऋणों की कुल स्वीकृति राशि रु. 15,000 करोड़ से अधिक हो गई। छह नए एमएसएमई और छह नए रिटेल ऋण प्रसंस्करण केंद्रों के संचालन से कुल एसएमई एवं कृषि ऋण केंद्रों की संख्या 49, रिटेल ऋण केंद्रों की संख्या 50 और एकीकृत ऋण केंद्रों की संख्या 9 हो गई है। इनसे ऋण प्रदान करने की दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और लघु व्यवसाय उधारकर्ताओं के लिए ऋण प्रक्रिया में लगने वाला समय काफी कम हो गया है।

हमने एमएसएमई पर केंद्रित 12 नई योजनाएं शुरू कीं, जिनमें यूको संजीवनी प्लस, यूको एमएसएमई स्मार्ट प्रोफेशनल, यूको सोलर प्रोजेक्ट फाइनेंस जैसी उत्पाद-विशिष्ट योजनाएं; यूको हॉस्पिटैलिटी प्लस, यूको आयरन एंड स्टील क्लस्टर फाइनेंस, यूको ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर और यूको सिरेमिक क्लस्टर जैसी क्लस्टर योजनाएं; स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस और पीएम स्वनिधि लाभार्थियों के लिए विशेष रूप से निर्मित डिजिटल ऋण मंच शामिल हैं। डिजिटल चैनलों के माध्यम से रु. 625 करोड़ के 12,000 से अधिक डिजिटल एमएसएमई ऋण स्वीकृत किए गए, जबकि आपके बैंक के TReDS व्यवसाय में 47.47% की वृद्धि दर्ज की गई।

खुदरा ऋण वृद्धिः रिटेल पोर्टफोलियो ने शानदार 27% वार्षिक वृद्धि दर्ज की, जिसमें वाहन ऋणों में उल्लेखनीय 71% की वृद्धि के साथ-साथ गृह, व्यक्तिगत, शिक्षा और स्वर्ण ऋण क्षेत्रों में मजबूत कार्यनिष्पादन शामिल है। नए उत्पादों में किफायती आवास (ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/एमआईजी वर्ग) के लिए यूको आश्रय, महिला-केंद्रित स्वास्थ्य सेवा वित्त के लिए यूको आंचल, विशेष भूमि सुधार क्षेत्रों के ग्राहकों के लिए यूको आशियाना और युवा और उच्च आय वाले वेतनभोगी उधारकर्ताओं के लिए यूको होम प्लस शामिल हैं, जो हमारे ग्राहकों की तरह ही विविध और महत्वाकांक्षी उत्पादों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

सामाजिक और समावेशी बैंकिंग पहलः इसके अतिरिक्त, आपके बैंक ने वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ग्राहक-केंद्रित पहलों के माध्यम से समावेशी और सामाजिक रूप से जिम्मेदार बैंकिंग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने दिव्यांग ग्राहकों के लिए सुगम्यता और बैंकिंग सुविधा बढ़ाने के लिए ब्रेल-सक्षम डेबिट कार्ड, लाइव एजेंट सांकेतिक भाषा सहायता, शाखाओं में विशेष रूप से डिज़ाइन की गई रैंप सुविधाएं और ब्रेल कीपैड लॉन्च किए, जिससे समावेशी डिजिटल बैंकिंग के हमारे दृष्टिकोण को बल मिला। साथ ही, आपके बैंक ने प्लेटफॉर्म आधारित और जीआईजी इकॉनमी गतिविधियों में लगे उभरते कार्यबल की जरूरतों को पूरा करने के लिए यूको जीआईजी बचत योजना शुरू की।

महिलाओं का सशक्तिकरण, प्रगति को गति प्रदान करनाः यूको बैंक में, हम मानते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण न केवल एक सामाजिक दायित्व है, बल्कि एक आर्थिक अनिवार्यता भी है। महिला उद्यमियों को सहयोग देने के लिए यूको आंचल, नारी समृद्धि और नारी शक्ति जैसी महिला केंद्रित ऋण योजनाओं का विस्तार किया गया है। महिलाओं के नेतृत्व में विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता बैंक के स्वयं सहायता समूह पोर्टफोलियो में परिलक्षित होती है, जहां हमने मार्च, 2026 तक 18.05 लाख महिला लाभार्थियों को सहायता प्रदान की है, जिसमें वार्षिक आधार पर 11.01% की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, अपराजिता बचत खाता, यूको जयलक्ष्मी चालू खाता और यूको संचयिका आरडी जैसे महिला विशिष्ट जमा उत्पाद भी महिला ग्राहकों को प्रदान किए जाते हैं। हमने महिला ग्राहकों के लिए विशेष सुविधाओं से युक्त रूपे प्लेटिनम वुमन कार्ड 'अपराजिता डेबिट कार्ड' भी लॉन्च किया है।

महिला केंद्रित पहलः बैंक ने महिला कर्मचारियों के कार्य-जीवन संतुलन और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिला केंद्रित नीति शुरू की है। प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैंः प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान बच्चों की देखभाल के लिए सहायता, जिसमें देखभालकर्ता के यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति शामिल है, मेंटरिंग योजनाएं (मेंटर-मेंटी और SHERise), कर्मचारी सहायता कार्यक्रम (ईएपी), मातृत्व सहायता, शिशु देखभाल भत्ता, कैरियर उन्नति कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण। **अतिरिक्त पहलों में शामिल हैं** - वार्षिक स्वास्थ्य जांच के लिए अतिरिक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति, गर्भवती कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण सहायता, मातृत्व अवकाश से लौटने वाली महिलाओं के लिए स्वागत कार्यक्रम।

आँकड़े, विश्लेषण और कृत्रिम बुद्धिमत्ताः एक केंद्रीकृत एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस की स्थापना, साथ ही परिचालन क्षेत्रों में एआई और जनरेटिव एआई अनुप्रयोगों की तैनाती ने यूको बैंक द्वारा डेटा के उपयोग के तरीके में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। सुदृढ़ नियामक डेटा प्रबंधन और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अनुपालन में प्रगति ने जिम्मेदार नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि डेटा न केवल एक संपत्ति है, बल्कि एक विश्वसनीय संपत्ति भी है।

साइबर सुरक्षा और लचीलापनः बढ़ते साइबर खतरों की दुनिया में, लचीलापन कोई विकल्प नहीं, बल्कि अस्तित्व का आधार है। हमारा 24x7 साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र, एसओएआर और डेटाबेस गतिविधि निगरानी के कार्यान्वयन, आईएसओ 27001:2022 मानकों में परिवर्तन और व्यापक ग्राहक साइबर जागरूकता अभियानों के साथ मिलकर, बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर स्थापित करता है।

एपीआई बैंकिंग विस्तार, यूको सेतु ऐप, यूएलपीएस ऋण प्रसंस्करण प्लेटफॉर्म और उन्नत सीबीडीसी क्षमताओं ने व्यापक डिजिटल और तकनीकी प्रगति के एक वर्ष को और भी बेहतर बनाया।

ग्राहक अनुभव और परिचालन उत्कृष्टता: बैंकिंग मूल रूप से एक संबंध है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, यूको बैंक ने प्रत्येक ग्राहक के साथ बातचीत की गुणवत्ता, समावेशिता और ईमानदारी में गहन निवेश किया। उन्नत आईवीआर, लाइव एजेंट एकीकरण के साथ उन्नत यूडे चैटबॉट और स्वचालित वॉइसबॉट आउटरीच से लैस यूको संपर्क 2.0 के शुभारंभ ने ग्राहक सेवा संरचना को आधुनिक बना दिया। दिव्यांग ग्राहकों के लिए यूको संवाद कियोस्क और महिला ग्राहकों को महिला सेवा एजेंटों से जोड़ने वाली यूको पिंक लाइन ने यह प्रदर्शित किया कि ग्राहक अनुभव में उत्कृष्टता में विविधता और गरिमा के हर आयाम को शामिल किया जाना चाहिए।

एआई/एमएल द्वारा संचालित ओजीआरएस 2.0 ने शिकायत निवारण को गति प्रदान की, जबकि आपके बैंक की समर्पित ग्राहक संतुष्टि टीम और 360-डिग्री फीडबैक तंत्र ने सेवा सुधार के निरंतर चक्रों का निर्माण किया। धोखाधड़ी की रोकथाम में, म्यूलहंटर.एआई और विजिल-पल्स जैसे उन्नत उपकरण, राष्ट्रीय धोखाधड़ी खुफिया प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत होकर, ग्राहकों की संपत्तियों और संस्थागत अखंडता की सक्रिय रूप से सुरक्षा करते हैं।

एक उल्लेखनीय उपलब्धि 'आपका पूंजी, आपका अधिकार' राष्ट्रीय अभियान के तहत 34,644 खातों में रु. 144.24 करोड़ की अदावाकृत (अदावी) जमा राशि का निपटान था। उद्योग जगत से मान्यता प्राप्त होने के बाद, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार और शिकायत निवारण में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शीर्ष स्थान ने यह साबित कर दिया कि ग्राहक सुरक्षा पर हमारा ध्यान वास्तविक और प्रभावी दोनों है।

पर्यावरण, कल्याण और विकास (ईएसजी) संबंधी पहलें: पर्यावरण के क्षेत्र में, यूको बैंक की हरित जमा राशि मार्च 2025 में रु. 46 करोड़ से बढ़कर मार्च, 2026 में रु. 213 करोड़ हो गई, जबकि अक्षय (नवीकरणीय) ऊर्जा में निवेश रु. 2677 करोड़ से बढ़कर रु. 3848 करोड़ हो गया। यूको बैंक पीएम सूर्योदय, पीएम कुसुम, पीएम सूर्यघर और ई-वाहन जैसी हरित योजनाओं का सक्रिय रूप से समर्थन कर रहा है। सामाजिक रूप से, हमने 58,858 वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से 18 लाख से अधिक लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, 7 राज्यों में फैले अपने 28 आरएसईटीआई (आरसेटी) के माध्यम से 25,569 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है, और पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेबीवाई और एपीवाई के तहत करोड़ों लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान किया है। शासन के क्षेत्र में, हमने वित्तीय उत्सर्जन को मापने के लिए पीसीएएफ ग्लोबल स्टैंडर्ड को अपनाया है, उल्लंघन और हमले के सिमुलेशन के माध्यम से अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत किया है, सक्रिय रेड टीम अभ्यास आयोजित किए हैं, और मजबूत निगरानी के लिए एक अनुपालन प्रबंधक उपकरण तैनात किया है। ये पहलें बेहतर भविष्य के लिए जिम्मेदार, टिकाऊ और समावेशी बैंकिंग के प्रति यूको बैंक की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

बैंक की सबसे बड़ी संपत्ति: जनता, क्षमता और संस्कृति: यूको बैंक के 20,984 कर्मचारी इसकी सबसे महत्वपूर्ण पूँजी (संपत्ति) हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, हमने ऐसे कार्यबल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है जो न केवल कुशल हो, बल्कि लैंगिक समानता, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/समुदायों, विशिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्तियों, अल्पसंख्यकों और पूर्व सैनिकों का प्रतिनिधित्व भी करता हो। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने विभिन्न विशेषज्ञ संवर्ग के क्षेत्रों में 649 कर्मचारियों की भर्ती की। इस भर्ती में आईटी अधिकारी, कृषि क्षेत्र अधिकारी, विधि अधिकारी और अन्य विशेषज्ञ अधिकारी शामिल थे, जिनका उद्देश्य बैंक की परिचालन दक्षता को बढ़ाना था।

अधिगम, विकास और भविष्य के लिए तैयार संगठन: आंतरिक प्रशिक्षण केंद्रों, प्रमुख बाहरी संस्थानों और डिजिटल शिक्षण प्लेटफार्मों के संयोजन के माध्यम से प्रति वर्ष प्रत्येक कर्मचारी को कम से कम एक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के अपने लक्ष्य के साथ, हमने आपके बैंक की अधिगम और विकास नीति को संशोधित किया है। बैंक ने ग्राहक सेवा, कौशल विकास, परिचालन उत्कृष्टता और विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता निर्माण पर केंद्रित संरचित भौतिक और स्थानीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से मानव संसाधन विकास में निवेश जारी रखा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रशिक्षित कर्मचारियों में से 98.8% को डिजिटल बैंकिंग, साइबर सुरक्षा, एआई/एमएल, ईएसजी-अनरूप वित्तपोषण, जोखिम और अनुपालन, एएमएल/सीएफटी, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा, सतर्कता जागरूकता और ग्रामीण उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया गया। आपके बैंक के ई-लर्निंग इकोसिस्टम का विस्तार एआई बेसिक्स, ईएसजी, एक्सेसिबिलिटी, क्षेत्रीय भाषाओं और बैंकिंग उत्पादों से संबंधित मॉड्यूल के साथ किया गया, जिन्हें प्रमाणन और इंटरैक्टिव सामग्री द्वारा समर्थित किया गया, जिससे सीखना निरंतर, आकर्षक और मापने योग्य बन गया। हमने आईआईएम इंदौर, एनआईबीएम पुणे, बर्ड लखनऊ एसबीआईएल कोलकाता, एनआईबीएसकॉम नोएडा, सीएबी (आरबीआई), आईआईबीएफ, सीएएफआरएएल, मणिपाल विश्वविद्यालय, आईआईबीएम गुवाहाटी और देश भर के विभिन्न प्रतिष्ठित बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों में अपने कार्यपालकों और अधिकारियों को प्रायोजित करना जारी रखा, जिससे उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करने में मदद मिली।

पुरस्कार और सम्मान: यूको बैंक को वर्ष के दौरान कई विशिष्ट सम्मान प्राप्त हुए, जो बैंकिंग के प्रमुख क्षेत्रों में उत्कृष्टता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।

- बीएफएसआई- वित्त वर्ष 2025-26 में प्रोजेक्ट परिवर्तन के लिए स्वर्ण श्रेणी के लिए स्कॉच पुरस्कार विजेता।
- बैंक को वित्तीय अपराध विशेषज्ञ द्वारा बीएफएसआई धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पुरस्कार 2025 से भी सम्मानित किया गया और शिकायत निवारण के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में राष्ट्रीय स्तर पर 5वां स्थान प्राप्त हुआ।
- आईबीईएक्स इंडिया बीएफएसएआई तकनीकी पुरस्कार वित्तीय वर्ष 2025-26 में डिजिटल ट्रेलब्लेज़र श्रेणी में रजत पुरस्कार।
- चौथे आईबीए सीआईएसओ समिट एंड साइटेशन्स 2025 में, बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्रः मध्यम बैंक श्रेणी में चार प्रतिष्ठित साइबर सुरक्षा पुरस्कार जीते, जिनमें साइबर सुरक्षा परिवर्तन ऑफ द ईयर (विजेता), साइबर सुरक्षा टीम ऑफ द ईयर (उपविजेता), साइबर घटना प्रतिक्रिया परिपक्वता (उपविजेता) और साइबर सुरक्षा अनुपालन चैंपियन (विशेष पुरस्कार) शामिल हैं।
- अदावी (अदावाकृत) जमा राशि के निपटान के लिए 'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' अभियान के तहत शीर्ष रैंक हासिल की।

- राजभाषा कार्यान्वन के क्षेत्र में, यूको बैंक के प्रधान कार्यालय को गृह मंत्रालय,राजभाषा विभाग से विशेष सम्मान प्राप्त हुआ; हमारी त्रैमासिक हिंदी पत्रिका 'यूको अनुगूंज' को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार - द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया; हमारे संयोजक के रूप में नराकास (बैंक) कोलकाता (संयोजक - यूको बैंक) के कार्यालय को नराकास राजभाषा सम्मान - द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ; और अंचल कार्यालय, भागलपुर को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के कर-कमलों से क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार - प्रथम पुरस्कार (पूर्वी क्षेत्र) से सम्मानित किया गया।

ये सम्मान हमारी पूरी टीम के समर्पण और कड़ी मेहनत को दर्शाते हैं, और हमें सेवा, अनुपालन और नवाचार के मानकों को लगातार बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं।

आगे का रास्ताः अवसरों की निरंतर प्रगति

भारतीय बैंकिंग के लिए आगे के अवसर वास्तव में उत्साहजनक हैं। भारत तीव्र विकास के दौर में प्रवेश कर रहा है, जिसमें तीव्र शहरीकरण, बढ़ती घरेलू आय, ऊर्जा खपत में वृद्धि और औद्योगीकरण का विस्तार शामिल है, जो साथ ही साथ ऋण मांग को भी नया आकार दे रहे हैं। सरकार का ध्यान लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण देने, अवसंरचना, हरित ऊर्जा, परिवहन, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि अवसंरचना पर केंद्रित होने से ऋण के अवसरों का एक व्यापक शृंखला बनता है, जिसका लाभ उठाने के लिए आपका बैंक अपने मौजूदा क्षेत्रीय संबंधों के कारण पूरी तरह से तैयार है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रवेश करते हुए, हम स्पष्ट दिशानिर्देश और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। इस वर्ष प्रौद्योगिकी, प्रतिभा, ऋण अवसंरचना, ग्राहक अनुभव और शासन में किए गए निवेश अपने आप में अंतिम लक्ष्य नहीं हैं, बल्कि हमारी संस्थागत यात्रा के अगले चरण की नींव हैं।

हम कृषि, स्वयं सहायता समूह और खुदरा क्षेत्रों में एसटीपी-सक्षम प्रक्रियाओं के माध्यम से आपके बैंक के डिजिटल ऋण देने के कार्यावली को गति देंगे। हम विस्तारित ऋण गारंटी अवसंरचना और आपूर्ति श्रृंखला वित्तपोषण के माध्यम से अपने एमएसएमई और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करेंगे। हम उच्च आय वर्ग और अति उच्च आय वर्ग के लिए बैंकिंग, नए निवेश उत्पादों और पूंजी बाजार प्रकोष्ठ के प्रति विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाकर अपनी जमा कार्यनीति को सुदृढ़ करेंगे। हम वित्तीय समावेशन में अग्रणी बने रहेंगे, अधिक से अधिक ग्राहकों तक पहुंचेंगे, अधिक से अधिक लोगों को सेवाएं प्रदान करेंगे और यह सब तेज, अधिक विश्वसनीय और अधिक मानवीय माध्यमों से करेंगे।

हमारी मानव संसाधन कार्यनीति में, हम भूमिका-आधारित विशेषज्ञता को और मजबूत करेंगे; मिश्रित अधिगम में निवेश करेंगे और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए अपने कर्मचारियों के कौशल को निखारेंगे। शासन में, हम उच्च मानकों को बनाए रखेंगे क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग में, सत्यनिष्ठा विकास में बाधा नहीं बल्कि उसकी अनिवार्य शर्त है।

इन सबसे ऊपर, हम अपने मूल उद्देश्य में दृढ़ रहेंगेः एक ऐसा बैंक बनना जो भारत के साथ विकसित हो, हर भारतीय की सेवा करे और उचित कार्यनिष्पादन, पारदर्शिता और मूल्यों के माध्यम से प्रत्येक हितधारक का विश्वास अर्जित करे।

समाहार

आज मैंने आप सभी के साथ जो कुछ भी साझा किया है, वह हमारे यूको कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। मैं यूको बैंक के प्रत्येक कर्मचारी को उनकी प्रतिबद्धता और सत्यनिष्ठा के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं आप सभी शेयरधारकों को इस संस्था पर आपके विश्वास के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रबंधन टीम और निदेशक मंडल को उनके निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूँ।

मैं, भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक को उनकी नीतिगत दूरदर्शिता और अटूट मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूँ। साथ ही, मैं अपने ग्राहकों का भी आभार प्रकट करता हूँ, जिनका विश्वास हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी और सबसे बड़ी प्रेरणा है।

बैंक के निदेशक मंडल को यह बताते हुए विशेष गर्व की अनुभूति हो रही है कि बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रति शेयर 0.44 रुपये (4.4%) का लाभांश देने की अनुशंसा की है। यह अनुशंसा बैंक के मजबूत वित्तीय कार्यनिष्पादन, निरंतर दृढ़ता और सभी हितधारकों को दीर्घकालिक मूल्य प्रदान करने की उसकी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, बैंक ग्राहक केंद्रितता, ग्राहक संरक्षण और उच्चतम स्तर की ग्राहक सेवा के प्रति प्रतिबद्ध है। बैंक पूंजी को मजबूत करने, विकास को बढ़ावा देने और ग्राहक-केंद्रित बैंकिंग सेवाओं को बेहतर बनाने के साथ-साथ सभी हितधारकों अर्थात् ग्राहकों, कर्मचारियों, भारत सरकार, नियामकों और शेयरधारकों के प्रति संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

भवदीय,

(अश्वनी कुमार)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
यूको बैंक

Message from the Desk of the MD & CEO

ESTEEMED SHAREHOLDERS, VALUED CUSTOMERS, COLLEAGUES AND STAKEHOLDERS

It is both a privilege and a responsibility to stand before you today to present the Annual Report of UCO Bank for the financial year 2025-26. The year was pivotal for UCO Bank as we crossed the landmark of Rs. 5.90 lakh crore in Global Business. This past year was not a year of silent progress. It was a year in which we made a deliberate choice of asset quality, digital depth and long-term strength.

We have deepened our social commitments, expanded our digital infrastructure, scaled our credit outreach, and strengthened the systems that govern, protect, and sustain your Bank for the long term, and I am proud to report the results.

THE ENVIRONMENT WE OPERATED IN

In a macroeconomic environment shaped by global uncertainty, elevated inflationary pressures, and evolving regulatory expectations, your Bank responded with confidence. The global backdrop in FY 2025-26 was a mixed canvas. The IMF has pegged global growth for 2026 at 3.1% and for 2027 at 3.2%, which is modest by pre-pandemic standards, but more resilient than many feared. Inflationary pressures, which had remained elevated for two years, began to soften with global headline inflation projected to rise from 5.4% in 2026 to 5.8% in 2027.

Closer home, the Indian story remained one of structural resilience. The RBI's MPC held the repo rate at 5.25%, a signal that the Central Bank is confident in the inflation trajectory while protecting the growth impulse. CPI inflation, after its December 2023 peak, has since trended down to 3.4% in Mar-26. The MPC has retained its GDP growth projection at 6.9% for FY 2026-27 and CPI inflation at 4.6% for FY 2026-27. CPI estimates have been revised upwards, given elevated energy prices and further risks that may emerge.

UCO BANK- PERFORMANCE IN FOCUS:

Business: Your Bank's Global Business crossed Rs. 5,90,314 crore as on 31st March 2026, up from Rs. 5,13,527 crore a year ago, a year-on-year growth of 14.95%. Business per employee improved to Rs. 28 crore as on 31.03.2026, as against Rs. 24 crore for the same period of the preceding year.

Deposit: Total Deposits grew to Rs. 3,27,563 crore from Rs. 2,93,542 crore, registering 11.59% growth. CASA domestic ratio held firm at 38.65% of domestic deposits, anchoring cost of funds. Savings Deposits grew 11.78% to Rs. 1,01,025 crore, while Current Deposits surged 16.77% to Rs. 16,727 crore, reflecting deepening transactional banking relationships.

Advance Portfolio: A Story of Quality Growth: Perhaps the most gratifying achievement lies in the composition and quality of credit growth. Total Advances grew 19.44% to Rs. 2,62,752 crore.

Retail loan portfolio grew at a healthy 26.62%, within which Home Loans grew 19.11%, and Vehicle Loans grew 71.12%. These are segments where we have built strong digital origination pipelines and gained real market share. The Agriculture loan portfolio grew 26.24% and MSME 19.36%, collectively reinforcing our commitment to the productive economy. The RAM (Retail, Agriculture, MSME) share now stands at 64.98% of domestic advances, a portfolio structure that is both diversified and aligned with national economic priorities.

Earnings Profile: Operating Profit for FY 2025-26 stood at Rs. 6,429 crore, up 6.49% over the prior year's Rs. 6,037 crore. We reported a Net Profit of Rs. 2,768 crore for the year. This is a jump of 13.21% from the previous year's figure of Rs. 2,445 crore. Thus, the underlying operating engine is healthy and growing stronger.

Net Interest Income grew 5.89% to Rs. 10,197 crore, while Interest Income recorded 4.84% increase to Rs. 26,281 crore.

Asset Quality and Recovery: The Most Important Story. If there is one metric that captures the transformation of UCO Bank over the past several years, it is the bank's NPA trajectory. Gross NPA fell to Rs. 5,690 crore (2.17%) from Rs. 5,919 crore (2.69%) a year ago. Net NPA stands at Rs. 702 crore, just 0.27% of net advances, down from 0.50% last year. The Bank strengthened its recovery efforts through the introduction of "UCO Adalat", involving one-to-one negotiations with the borrowers by senior executives, active participation in National Lok Adalats, and resolution through compromise/PTS mechanisms. These initiatives resulted in total recovery and upgradation of Rs. 2,944.30 crore during the year.

Capital & Provision: Your Bank's capital position remained strong and resilient this year, with a Capital Adequacy Ratio at 18.61% and a CET-1 ratio at 16.36%, providing a solid capital buffer for future business and growth.

Equally significant is the Provision Coverage Ratio of 97.79%, among the highest in the peer group, demonstrating that our NPA book is well provided for. Additionally, the slippage ratio remained well controlled at 0.78%, reflecting continued focus on maintaining the quality of the loan portfolio.

UCO Bank has maintained a prudent and proactive approach to credit risk management. As of March 2026, Bank holds a forward-looking provision of Rs 1037.59 crore on account of Expected Credit Loss (ECL), having consistently provisioned over the last three quarters and is now well-positioned to transition to the ECL framework. Additionally, Covid-19-related provisions of Rs 530 crore and contingency provisions of Rs 341 crore in view of global uncertainties as of 31st March 2026 are being maintained. In total, the Bank has maintained additional provisions of more than Rs 1900 crore on the standard loan book over and above the mandated provision as per RBI guidelines.

KEY INITIATIVES UNDERTAKEN IN FY 2025-26

Network Expansion: Your bank today has a well-diversified and extensive branch network spread across the country and overseas. The bank operates through 49 zonal offices and 3412 domestic branches, supported by 2 overseas branches and 1 representative office in Iran, taking the Bank's global branch network to 3414. This widespread presence reflects the Bank's strong commitment towards financial inclusion, customer outreach, and seamless banking services across geographies.

Digital Transformation: Redefining the Banking Experience

The digital transformation journey of UCO Bank entered a new and decisive phase in FY 2025-26. Across mobile and internet banking, API infrastructure, AI and analytics, cybersecurity, and regulatory technology, the Bank made investments and innovations that will compound in their impact for years to come.

Digital Balance Sheet: Digital initiatives have yielded a robust digital balance sheet of Rs. 25,350 crore featuring 31 Straight Through Processing digital journeys. This reflects our commitment to transforming customer service through technology, streamlining processes, expediting decisions, and enabling swift credit delivery.

Liability Side: We have achieved Rs. 14,218 crore in business through digital initiatives, driven by key enhancements: Biometric UPI transactions, WhatsApp Banking, Digital rewards, Green FD certificates, #UCOgoesDigital campaign resulting in record mobile banking activation, and Inclusive digital banking with Braille Debit Card.

Asset Side: Digital lending has generated Rs. 11,132 crore in business covering: Vehicle loans, Home loans, Gold loans, MSME loans, SHG loans, KCC loans, Dairy loans, and PM Vishwakarma loans.

WhatsApp Banking: From 6 Lakh registered users in WhatsApp Banking till Mar'25, the user base has increased to 21 Lakhs at the end of FY 2025-26. WhatsApp Banking is available in 14 languages and at present provides 49 services to users.

Serving the Real Economy: Agriculture, Rural India, and Priority Sectors: Your Bank's aggregate Priority Sector Advances reached Rs. 1.05 lakh crore, which is equivalent to 52.52% of Adjusted Net Bank Credit.

Your Bank reinforced the rural development agenda through the introduction of dedicated products like Nari Samriddhi and SHG Samriddhi, which have placed women and self-help groups at the centre of our inclusive credit strategy. Outstanding SHG credit grew 27.78%, benefiting 1.88 lakh SHGs across the country.

Our 28 Rural Self Employment Training Institutes trained over 25,000 rural youth during the year, facilitating credit linkage worth Rs. 59 crore. Our 127 Centres for Financial Literacy collectively reached over 18 lakh participants, deepening financial awareness at the grassroots. The 'Bank Sakhi' initiative further strengthened SHG outreach, and we earned Rs. 19.62 crore through Priority Sector Lending Certificate sales, which is tangible evidence of the depth and quality of your Bank's priority sector portfolio.

Financial Inclusion: Banking at the Last Mile- In FY 2025-26, Under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, we strengthened banking access across 16,281 allocated villages through 4,122 Sub Service Areas, supported by a Business Correspondent network of 11,136 Bank Mitras. The year saw over 304 lakh micro-ATM transactions worth Rs. 13,148 crore processed through this network. We surpassed our PMJDY account opening target, opening 6.48 lakh new accounts, taking total PMJDY deposits to Rs. 8,081.15 crore across 156.45 lakh accounts, while issuing over 64 lakh RuPay cards to beneficiaries.

Your Bank's social security ecosystem grew substantially with 37.46 lakh subscribers under PMJJBY, 84.90 lakh under PMSBY, and 3.42 lakh new enrolments under Atal Pension Yojana, earning us the 3rd position among public sector banks with a 105% target achievement. We enabled self-enrolment for insurance schemes through mobile banking, internet banking, and SMS, making access more convenient and more dignified for millions of customers.

With 300 Aadhaar Enrolment Centres operational and 91% Aadhaar seeding across operative savings accounts, we are building an infrastructure of identity, access, and inclusion that will serve India for decades.

Driving Enterprise: MSME Growth - India's economic dynamism is best expressed in the enterprise of its small businesses and aspirations of its individual borrowers. Your Bank's MSME portfolio expanded by a robust 19.36% year-on-year growth, with total MSME sanctions crossing Rs. 15,000 crore during the year. The operationalisation of six new MSME and six new Retail Loan Processing Hubs has taken the total to 49 SME & Agri Loan Hubs, 50 Retail Loan Hubs and 9 Integrated Loan Hubs. These have substantially improved credit underwriting efficiency and reduced turnaround times for small business borrowers.

We launched 12 new MSME-focused schemes, including product-specific schemes like UCO Sanjeevani Plus, UCO MSME Smart Professional, UCO Solar Project Finance; Cluster Schemes like UCO Hospitality Plus, UCO Iron and Steel Cluster Finance, UCO Automotive Component Manufacturer and UCO Ceramic Cluster; Straight Through Processes and a purpose-built digital lending platform for PM SVANidhi beneficiaries. Over 12,000 digital MSME loans worth Rs. 625 crore were sanctioned through digital channels, while your Bank's TReDS business recorded a 47.47% growth.

Retail Credit Growth: The retail portfolio registered an impressive 27% year-on-year growth, led by a remarkable 71% surge in vehicle loans alongside strong performance in home, personal, education, and gold loan segments. New product launches include UCO Aashray for affordable housing (EWS/LIG/MIG segments), UCO Aanchal for women-centric healthcare finance, UCO Aashiyana for customers in special land reform areas, and UCO Home Plus for young and high-income salaried borrowers demonstrated our commitment to products that are as diverse and aspirational as our customers themselves.

Social and Inclusive Banking Initiatives - Additionally, your Bank continued to strengthen its commitment towards inclusive and socially responsible banking through customer-centric initiatives aimed at empowering the underserved segments. During the year, your Bank launched Braille-enabled Debit Cards, live agent sign-language support, specially designed ramp facilities at branches and Braille keypad to enhance accessibility and banking convenience for differently- abled customers, reinforcing our vision of inclusive digital banking. Further, your Bank introduced the UCO Gig Savings Scheme to cater to the emerging workforce engaged in platform-based and gig economy activities.

Empowering Women, Enabling Progress: At UCO Bank, we believe that empowering women is not just a social obligation, but it is an economic imperative. Women-centric loan schemes such as UCO Anchal, Nari Samriddhi and Nari Shakti are expanded to support women entrepreneurs. Our commitment to women-led growth is reflected in your Bank's Self Help Group Portfolio, where we have supported 18.05 lakh women beneficiaries as of March 2026, with a year-on-year growth of 11.01%. Additionally, women-specific deposit products like Aprajita Savings Account, UCO Jayalaxmi Current Account and UCO Sanchayika RD are also offered to women customers. We have also introduced the "Aparajita Debit Card", a Rupay Platinum Women Card with special features for women customers.

Women Centric Initiatives - The Bank has introduced a women-centric policy aimed at supporting the work-life balance and professional growth of our women employees. Key features include: Child Care Support during training programs, with reimbursement of travel costs for a caretaker, Mentoring schemes (Mentor-Mentee & SHERise), Employee Assistance Program (EAP), Maternity Support, Crèche Allowance, Capacity building through Career Advancement Programs, **Additional initiatives include:** medical reimbursement for annual health check-ups, Relocation support for pregnant employees, Welcome back program for women returning from maternity leave.

Data, Analytics, and Artificial Intelligence: The establishment of a centralised Enterprise Data Warehouse, combined with the deployment of AI and Generative AI applications across operational domains, marked a step-change in how UCO Bank harnesses data. Strengthened regulatory data governance and progress on Digital Personal Data Protection compliance reflected our commitment to responsible innovation, ensuring that data is not only an asset but a trustworthy one.

Cybersecurity and Resilience: In a world of increasing cyber threats, resilience is not optional; it is existential. Our 24x7 Cyber Security Operations Centre, augmented by SOAR and Database Activity Monitoring implementation, migration to ISO 27001:2022 standards, and extensive customer cyber-awareness campaigns, positioned the Bank as a leader in cybersecurity among public sector institutions. API banking expansion, the UCO Setu App, the ULPS loan processing platform, and enhanced CBDC capabilities further rounded out a year of comprehensive digital and technology progress.

Customer Experience and Operational Excellence: Banking is, at its core, a relationship. And in FY 2025-26, UCO Bank invested deeply in the quality, inclusivity, and integrity of every customer interaction. The launch of UCO Sampark 2.0, featuring an upgraded IVR, enhanced UDAY chatbot with live agent integration, and automated voicebot outreach, modernised the customer service architecture. UCO Samwaad Kiosks for Divyang customers and the UCO Pink Line, connecting female customers with female service agents, demonstrated that excellence in customer experience must encompass every dimension of diversity and dignity.

AI/ML-powered OGRS 2.0 accelerated grievance resolution, while your Bank's dedicated Customer Delight Team and 360-degree feedback mechanisms created continuous loops of service improvement. In fraud prevention, advanced tools such as MuleHunter.AI and VIGIL-PULSE, integrated with national fraud intelligence platforms, proactively safeguarded customer assets and institutional integrity.

A standout achievement was the settlement of Rs. 144.24 crore of unclaimed deposits across 34,644 accounts under the 'आपकी पूँजी, आपका अधिकार' national campaign. Industry recognition followed: awards for fraud risk management excellence and a top ranking among PSBs in grievance handling confirmed that our focus on customer protection is both genuine and effective.

ESG Initiatives: On the Environment front, UCO Bank's Green Deposits increased to Rs. 213 crore in March 2026 from Rs. 46 crore in March 2025, while Renewable Energy exposure increased to Rs. 3848 crore from Rs. 2677 crore. UCO Bank is also actively supporting green schemes such as PM Suryodaya, PM Kusum, PM Suryaghar, and E-Vahaan. Socially, we have touched over 18 lakh lives through 58,858 Financial Literacy programs, trained 25,569 candidates through our 28 RSETIs across 7 states, and extended social security coverage to crores of beneficiaries under PMSBY, PMJJBY, and APY. On Governance, we have adopted PCAF Global Standard for measuring financial emissions, strengthened our cyber security posture through Breach and Attack Simulation, conducted proactive Red Team exercises, and deployed a Compliance Manager Tool for robust oversight. These initiatives reflect UCO Bank's unwavering commitment to responsible, sustainable, and inclusive banking for a better tomorrow.

Bank's Greatest Asset: People, Capability, and Culture: UCO Bank's 20,984 employees are its most important asset. In FY 2025-26, we deepened our commitment to a workforce that is not only skilled but representative across gender, SC/ST/OBC/EWS communities, persons with benchmark disabilities, minorities, and ex-servicemen. During the FY 2025-26, the Bank recruited 649 employees across various specialised domains. The recruitment included IT officers, Agricultural Field officers, Law officers and other specialist Officers aiming to enhance the operational efficiency of our Bank.

Learning, Development, and the Future-Ready Organisation: With our aim to impart at least one training programme per employee per year through a combination of in-house training centres, premier external institutions, and digital learning platforms, we have revamped your bank's Learning and Development Policy. The Bank continued to invest in human resource development through structured physical and locational training programmes focused on customer service, soft skills, operational excellence, and capacity building for officers and staff across various functional areas. The training portfolio covered 98.8% employees who were trained during FY 2025-26, spanning digital banking, cybersecurity, AI/ML, ESG-compliant financing, risk and compliance, AML/CFT, customer service excellence, vigilance awareness, and rural entrepreneurship. Your Bank's e-learning ecosystem was expanded with modules covering AI basics, ESG, accessibility, regional languages, and banking products, supported by certifications and interactive content that makes learning continuous, engaging, and measurable. We also continued to sponsor our Executives & Officers in reputed External Training Institutes like IIM Indore, NIBM Pune, BIRD Lucknow, SBIL Kolkata, NIBSCOM Noida, CAB (RBI), IIBF, CAFRAL, Manipal University, IIBM Guwahati and various reputed external Training Institutes across the country, which helped them in acquiring a global competitive edge.

Awards and Recognition: UCO Bank received several distinguished honours during the year, underscoring our commitment to excellence across key areas of banking.

- SKOCH Award winner for the Gold category in BFSI- FY 2025-26 for Project Parivartan.
- The Bank was also conferred the BFSI Fraud Risk Management Award 2025 by Fin Crime Expert, and was ranked 5th nationally among Public Sector Banks for grievance redressal.
- Silver Award at IBEX India BFSAI Tech Awards FY 2025-26 in Digital Trailblazer Category.
- At the 4th IBA CISO Summit & Citations 2025, the Bank bagged four prestigious Cyber Security Awards in the Public Sector: Medium Bank category, including the Cyber Security Transformation of the Year (Winner), Cyber Security Team of the Year (Runner-Up), Cyber Incident Response Maturity (Runner-Up), and Cyber Security Compliance Champion (Special Prize).
- Achieved a top rank under the 'आपकी पूँजी, आपका अधिकार' campaign for settlement of unclaimed deposits.
- In the domain of Official Language, UCO Bank, Head Office, received special distinction from the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs; our quarterly Hindi journal 'UCO Anugoonj' was awarded the Rajbhasha Kirti Puraskar - Second Prize; TOLIC (Bank's), Kolkata, under our convenership, received the NARAKAS Rajbhasha Samman - Second Prize;

and the Zonal Office, Bhagalpur, was conferred the Regional Official Language Award - First Prize (Eastern Region) from the hands of the Hon'ble Union Minister of Home Affairs, Shri Amit Shah.

These recognitions reflect the dedication and hard work of our entire team, and inspire us to continue raising the standards of service, compliance, and innovation.

The Road Ahead: Opportunity in Motion

The opportunities ahead for Indian banking are genuinely exciting. India is entering its acceleration phase, marked by rapid urbanisation, rising household incomes, deepening energy consumption, and expanding industrialisation, which are simultaneously reshaping credit demand. The government's focus on MSME lending, infrastructure, green energy, transport, food processing, and agri-infrastructure creates a pipeline of lending opportunities that your Bank is well-positioned to access, given our existing sectoral relationships.

As we enter FY 2026-27, we do so with a clear sense of direction and a confident momentum. The investments made this year in technology, talent, credit infrastructure, customer experience, and governance are not ends in themselves, but foundations for the next phase of our institutional journey.

We will accelerate your Bank's digital lending agenda through STP-enabled journeys across agriculture, SHG, and retail segments. We will deepen our MSME and start-up ecosystem through expanded credit guarantee infrastructure and supply chain finance. We will strengthen our deposit franchise through a differentiated approach to HNI and UHNI banking, new investment products, and a Capital Market Cell. We will continue to lead in financial inclusion, reaching further, serving more, and doing so through channels that are faster, more reliable, and more human.

In our people strategy, we will deepen role-based specialisation; invest in blended learning, and upskill our employees for future demands. In governance, we will continue to raise the bar because in public sector banking, integrity is not a constraint on growth, but it is the condition for it.

Above all, we will remain anchored in our core purpose: to be a Bank that grows with India, serves every Indian, and earns the trust of every stakeholder through performance, transparency, and values.

In Closing

Everything I have shared with you today is the product of the collective effort of our UCOites. I thank every employee of UCO Bank for their commitment and integrity. I thank you, our shareholders, for your confidence in this institution. I thank the Management Team and the Board of Directors for their continued guidance and support.

I thank the Government of India and the Reserve Bank of India for their policy wisdom and steadfast guidance. And I thank our customers, whose trust remains both our greatest responsibility and our greatest motivation.

It is with particular pride that the Board of Directors of the Bank has recommended a dividend of Rs. 0.44 per share (4.4%) for FY 2025-26. This recommendation reflects the Bank's strong financial performance, sustained resilience, and continued commitment towards delivering long-term value to all stakeholders.

As we move forward, the Bank remains committed towards customer centricity, customer protection and the highest level of customer service. Bank is also committed to maintaining a balanced approach towards all the stakeholders, i.e. customers, employees, Government of India, regulators and shareholders, while strengthening capital, supporting growth, and enhancing customer-centric banking services.

Yours sincerely,

(Ashwani Kumar)
Managing Director & Chief Executive Officer
UCO Bank

निदेशक मंडल की रिपोर्ट : 2025-26

निदेशक मंडल को 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए यूको बैंक के लेखापरीक्षित खातों के विवरण सहित निदेशक रिपोर्ट 2025-26 को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

कार्यकारी सारांशः

यूको बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुशासित ऋण वृद्धि, आस्ति गुणवत्ता में मजबूत सुधार तथा डिजिटल परिवर्तन कार्यावली को और मजबूत करने के परिणामस्वरूप सशक्त वित्तीय कार्य-निष्पादन किया। वर्ष के दौरान बैंक की प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नानुसार संक्षेपित हैंः

- कुल व्यापार रु. 5.90 लाख करोड़ को पार कर गया, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष 14.95% की वृद्धि दर्ज की गई।
- निवल लाभ 13.21% से बढ़कर रु. 2,767.86 करोड़ हो गया; परिचालन लाभ 6.49% से बढ़कर रु. 6,428.94 करोड़ हो गया।
- सकल एनपीए कई वर्षों के निचले स्तर 2.17% पर आ गया; निवल अनर्जक आस्ति 0.27% रहा, जो संपत्ति की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम एएनबीसी का 52.52% रहा, जो 40% के अनिवार्य लक्ष्य से काफी ऊपर है।
- कृषि ऋण 26.24% (वर्ष दर वर्ष) से बढ़कर, रु. 37,336 करोड़ तक पहुंच गया।
- एमएसएमई व्यापार में वर्ष दर वर्ष 19.36% की वृद्धि हुई; कुल एमएसएमई ऋण संस्वीकृति वित्त वर्ष 2025-26 में 15,000 करोड़ को पार कर गई।
- रिटेल पोर्टफोलियो में 26.62% (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि हुई, जिसमें वाहन ऋण 71.12% और स्वर्ण ऋण 72.61% की वृद्धि हुई ।
- 31 डिजिटल ऋण प्रक्रियाएँ संचालित की गईं; डिजिटल तुलन-पत्र का कुल मूल्य रु. 25,350 करोड़ से अधिक रहा।
- यूको बैंक ने आईबीए सीआईएसओ समिट 2025 में चार प्रतिष्ठित साइबर सुरक्षा पुरस्कार जीते।
- कुल स्टाफ संख्या 20,984 रही, जिसमें महिलाएं कार्यबल का 29.54% हैं।

1. आर्थिक परिदृश्यः

बढ़ते व्यापारिक तनावों तथा निरंतर भू-राजनैतिक अनिश्चितताओं से युक्त अस्थिर वैश्विक वातावरण के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय लचीलापन एवं सतत विकास का प्रदर्शन किया है। भारत की विकास यात्रा को मजबूत घरेलू उपभोग, पूंजी निर्माण पर बढ़े हुए सरकारी व्यय तथा नियंत्रित होती मुद्रास्फीति से समर्थन प्राप्त हुआ है। सक्रिय नीतिगत उपायों ने बाजार की तरलता को स्थिर करने में मदद की है, हालाँकि विदेशी पोर्टफोलियो बहिर्वाह, मुद्रा मूल्यह्रास और बढ़ती ऊर्जा लागत प्रमुख जोखिम कारक बने हुए हैं।

1.1 सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) :

भारतीय रिजर्व बैंक की वित्त वर्ष 2026-27 की पहली मौद्रिक नीति समिति की बैठक में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर इस वर्ष के लिए 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। इस अनुमान में भू-राजनैतिक जोखिम की एक निश्चित सीमा को शामिल किया गया है, हालांकि यह पश्चिम एशिया संघर्ष को एक अलग कारक के रूप में पृथक नहीं करता है। यह वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 3.2 प्रतिशत के वैश्विक विकास अनुमान की तुलना में काफी बेहतर है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत का वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.6 प्रतिशत (नई 2022-23 आधार श्रृंखला के तहत) तय की गई है। पश्चिम एशिया में भू-राजनैतिक तनावों में वृद्धि भारत के अल्पकालिक विकास प्रक्षेपवक्र के लिए एक नकारात्मक जोखिम पैदा करती है, जिसका पूर्ण प्रभाव वर्तमान आधिकारिक अनुमानों में अपूर्ण रूप से शामिल किया गया है।

पश्चिम एशिया संघर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था में चार प्राथमिक तनाव मार्गों के माध्यम से संचारित हो रहा हैः ऊर्जा लागत मुद्रास्फीति, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान, राजकोषीय दबाव और बाह्य क्षेत्र का दबाव। सबसे गंभीर अल्पकालिक जोखिम विमानन, पर्यटन, एफएमसीजी और कृषि में केंद्रित हैं। प्रेषण प्रवाह, विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता और चालू खाता घाटे के लिए मध्यम अवधि का खतरा संभावित रूप से अधिक संरचनात्मक चुनौतियाँ पैदा करता है।

1.2 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक :

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति 4.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जो पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक ऊर्जा कीमतों में वृद्धि के जोखिमों को दर्शाता है। मार्च 2026 में भारत की सीपीआई मुद्रास्फीति 3.40 प्रतिशत रही।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के अधिकांश भाग में प्रमुख उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में आई कमी ईंधन की कीमतों में नरमी और खाद्य कीमतों में सुधार से सहायता प्राप्त थी। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत में भू-राजनैतिक प्रभावों के कारण खाद्य कीमतों में फिर से दबाव देखा गया। मार्च 2025 की तुलना में मार्च 2026 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) पर वार्षिक मुद्रास्फीति 3.87 प्रतिशत (अनंतिम) रही।

1.3 औद्योगिक उत्पादन सूचकांकः

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) ने मार्च 2026 में वर्ष-दर-वर्ष 4.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की (त्वरित अनुमान), जो फरवरी 2026 में 5.2 प्रतिशत (अंतिम अनुमान) से गिरावट है। मार्च 2026 के लिए खनन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्रों में वृद्धि क्रमशः 5.5 प्रतिशत, 4.3 प्रतिशत और 0.8 प्रतिशत रहा। आईआईपी का त्वरित अनुमान मार्च 2025 में 166.3 के मुकाबले 173.2 रहा।

2. बैंकिंग क्षेत्र का अवलोकनः

भारतीय बैंकिंग उद्योग ने मजबूत आर्थिक विकास, बढ़ती प्रयोज्य आय, बढ़ते उपभोक्तावाद और बेहतर ऋण पहुंच की मदद से अपनी उर्ध्वगति को बनाए रखा है।

मार्च 2026 तक, बारह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) मजबूत स्थिति में हैं, जिनमें घरेलू जमा में औसत वार्षिक वृद्धि 9.83 प्रतिशत और घरेलू अग्रिम में 16.61 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। आरएएम (खुदरा, कृषि और एमएसएमई) अग्रिम कुल घरेलू अग्रिम का 63.42 प्रतिशत है, जिसकी वार्षिक वृद्धि दर 20.10 प्रतिशत है। इस अवधि में खुदरा अग्रिम ने 23.78 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ गति प्रदान की है।

इसके अतिरिक्त, बारह पीएसबी का सकल अनर्जक आस्ति मार्च 2025 की तुलना में मार्च 2026 में कुल मिलाकर 38,018 करोड़ या 13.20 प्रतिशत की गिरावट आई है। बारह बैंकों के जीएनपीए की वर्तमान स्थिति उनके कुल अग्रिम का 2.09 प्रतिशत है, जो एक वर्ष पहले के 2.84 प्रतिशत से एक महत्वपूर्ण गिरावट है। 95.41 प्रतिशत के औसत प्रावधान कवरेज अनुपात के साथ, पीएसबी अपनी तनावग्रस्त बही के लिए अच्छी तरह से प्रावधानित हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्तीय वर्ष 226 के दौरान कुल मिलाकर लगभग 1,97,604 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.79 प्रतिशत की स्वस्थ वृद्धि हुई है। बैंकों के तुलन पत्र में सुधार जारी रहा है, जिसमें कई वर्षों के निचले स्तर के अनर्जक आस्ति अनुपात, उच्च प्रावधानन, मजबूत पूंजी स्थिति और मजबूत कमाई के विकास शामिल हैं जो सामूहिक रूप से व्यापक-आधारित और निरंतर ऋण विस्तार की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अच्छे स्वास्थ्य का संकेत देता है और उनकी सुदृढ़ता और लचीलेपन को दर्शाता है।

3. यूको बैंकः वितरक चैनल और नेटवर्कः

3.1 शाखा और कार्यालय नेटवर्क

यूको बैंक का पूरे भारत में भौगोलिक रूप से चारों ओर फैला हुआ शाखा नेटवर्क है, जो अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति से परिपूर्ण है। 31 मार्च, 2026 तक, बैंक के पास 49 अंचल कार्यालय, 3,412 घरेलू शाखाएं, 2 विदेशी शाखाएं (सिंगापुर और हांगकांग), और ईरान में एक प्रतिनिधि कार्यालय है, जिससे इसका वैश्विक शाखा नेटवर्क 3,414 हो गया।

विगत पांच वर्षों में बैंक के वैश्विक शाखा नेटवर्क की वृद्धि नीचे प्रस्तुत की गई हैः

मार्च 2022	मार्च 2023	मार्च 2024	मार्च 2025	मार्च 2026
3,074	3,207	3,232	3,304	3,414

दिनांक 31.03.2025 और 31.03.2026 तक घरेलू शाखाओं का जनसंख्या श्रेणी-वार विवरण नीचे दिया गया हैः

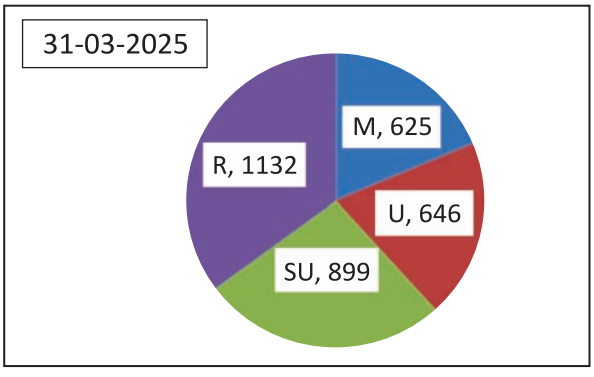

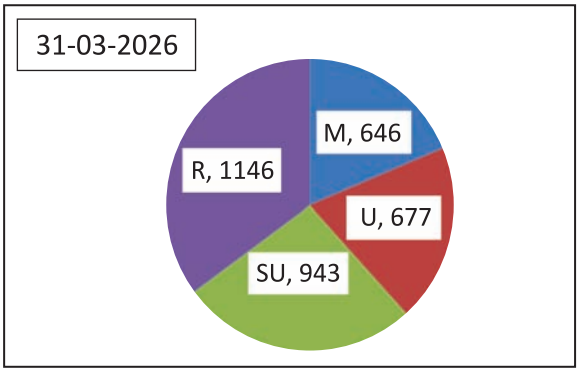

घरेलू शाखा नेटवर्क में 6 प्रमुख कॉर्पोरेट शाखाएं, 8 परिसंपत्ति प्रबंधन शाखाएं, 4 सेवा शाखाएं, 1 केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र, 1 एकीकृत कोषागार शाखा और 42 मध्य-कॉर्पोरेट इकाई (एमसीयू) शाखाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक विभिन्न केंद्रों में प्रमुख शहरी शाखाओं से जुड़े 50 खुदरा ऋण केंद्र, 49 लघु एवं मध्यम उद्यम एवं कृषि ऋण केंद्र, 9 एकीकृत ऋण केंद्र और 70 मुद्रा तिजोरी संचालित करता है।

4. व्यावसायिक कार्य-निष्पादनः

4.1 वैश्विक व्यवसायः

- दिनांक 31 मार्च 2026 को बैंक का वैश्विक व्यवसाय रु. 5,90,314 करोड़ रहा, जो दिनांक 31 मार्च 2025 को रु.5,13,527 करोड़ की तुलना में 14.95 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की दर्शाता है।
- दिनांक 31 मार्च 2026 तक वैश्विक जमा 11.59 प्रतिशत बढ़कर रु. 3,27,563 करोड़ हो गया, जो दिनांक 31 मार्च 2025 को रु. 2,93,542 करोड़ था।
- वैश्विक अग्रिम दिनांक 31 मार्च 2026 तक 19.44 प्रतिशत बढ़कर रु. 2,62,752 करोड़ हो गया, जो दिनांक 31 मार्च 2025 को रु. 2,19,985 करोड़ था।

4.2 घरेलू व्यवसायः

- दिनांक 31 मार्च 2026 को कुल घरेलू व्यवसाय 14.28 प्रतिशत से बढ़कर रु. 5,39,052 करोड़ हो गया, जो दिनांक 31 मार्च 2025 को रु. 4,71,683 करोड़ था।
- दिनांक 31 मार्च 2026 तक घरेलू जमा 10.30 प्रतिशत से बढ़कर रु. 3,04,668 करोड़ हो गई।
- दिनांक 31 मार्च 2026 तक घरेलू अग्रिमों में 19.91 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह रु. 2,34,384 करोड़ तक पहुँच गया।
- कासा जमा वार्षिक आधार पर 12.46 प्रतिशत से बढ़कर रु. 1,17,752 करोड़ हो गई।बचत बैंक जमा 11.78 प्रतिशत से बढ़कर रु. 1,01,025 करोड़ हो गई, जबकि चालू जमा 16.77 प्रतिशत से बढ़कर रु. 16,727 करोड़ हो गई।
- कासा की कुल घरेलू जमा राशि में हिस्सेदारी 31 मार्च 2025 को 37.91 प्रतिशत से सुधरकर दिनांक 31 मार्च 2026 तक 38.65 प्रतिशत हो गई है।

5. वित्तीय कार्य-निष्पादनः

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान नियमित वित्तीय कार्य-निष्पादन किया है। परिचालन लाभ पिछले वर्ष के 6,037.29 करोड़ से 6.49 प्रतिशत से बढ़कर रु. 6,428.94 करोड़ हो गया है। सकल लाभ वित्त वर्ष 2024-25 के रु. 2,444.96 करोड़ की तुलना में 13.21 प्रतिशत से बढ़कर रु. 2,767.86 करोड़ हो गया। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुपालन में, बैंक ने 691.96 करोड़ वैधानिक आरक्षित निधि में स्थानांतरित किए हैं, जो चालू वर्ष के लाभ का 25 प्रतिशत है।

सकल एनपीए 31 मार्च, 2025 के रु. 5,918.54 करोड़ (2.69 प्रतिशत) से घटकर 31 मार्च, 2026 को रु. 5,690.20 करोड़ (2.17 प्रतिशत) हो गया है। वर्ष की कुल आय रु. 29,740.98 करोड़ रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.91 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करती है। प्रावधान कवरेज अनुपात पिछले वर्ष के 96.69 प्रतिशत से सुधरकर 97.79 प्रतिशत हो गया है, जो विवेकपूर्ण प्रावधानन के प्रति बैंक की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

5.1 वित्तीय मुख्य बिंदुः

(करोड़ रुपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26
कुल जमा राशि	2,93,542.18	3,27,562.53
घरेलू जमा	2,76,209.02	3,04,667.83
अंतर्राष्ट्रीय जमा	17,333.16	22,894.70
कासा जमा (घरेलू)	1,04,704.40	1,17,752.09
कुल अग्रिम	2,19,984.81	2,62,751.19
घरेलू अग्रिम	1,95,474.11	2,34,383.58
अंतर्राष्ट्रीय अग्रिम	24,510.70	28,367.61
कुल आस्ति	3,62,481.08	3,95,858.44
निवल ब्याज आय (एनआईआई)	9,630.08	10,196.37
अन्य आय	4,406.63	3,459.63
जिसमें से - व्यापारिक लाभ	338.81	442.61
एनआईआई + अन्य आय	14,036.71	13,656.00
परिचालन लाभ	6,037.29	6,428.94
कर के अतिरिक्त प्रावधान	2203.74	2055.45
एनपीए और बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान	1632.82	1362.62
कर पूर्व लाभ	3,833.58	4,373.49
कर के लिए प्रावधान#	1388.59	1605.63
शुद्ध लाभ	2,444.96	2,767.86
#जिनमें से डीटीए	1335.33	1555.97

5.2 प्रमुख प्रदर्शन कार्य-निष्पादनः

सूचक	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26
निधि की लागत (%)	4.78	4.58
अग्रिमों पर प्रतिफल (%)	8.55	8.09
निवल ब्याज मार्जिन (%)	3.08	3.03
लागत-से-आय अनुपात (%)	56.99	52.92

5.3 पूंजी पर्याप्तताः

पैरामीटर (%)	**31.03.2025**	**31.03.2026**
पूंजी पर्याप्तता अनुपात - बेसल III	18.49	18.61
सीईटी-I	16.03	16.36
स्तर I	16.37	16.59
स्तर II	2.12	2.02

5.4 राजकोष परिचालनः

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सकल निवेश में 4.67 प्रतिशत की वृद्धि होकर यह रु. 99,295 करोड़ हो गया। विदेशी निवेश में 13.82 प्रतिशत की वृद्धि होकर यह रु. 3,458 करोड़ तथा घरेलू निवेश में 4.36 प्रतिशत की वृद्धि होकर यह रु. 95,837 करोड़ हो गया। घरेलू निवेश में एसएलआर का हिस्सा मार्च 2025 के 72.38% से बढ़कर मार्च 2026 में 74.94% हो गया।

5.5 अंतर्राष्ट्रीय व्यापारः

31 मार्च 2026 तक, सिंगापुर और हांगकांग में बैंक की विदेशी शाखाओं से कुल कारोबार रु. 51,262 करोड़ रहा, जो वैश्विक कारोबार का 8.68 प्रतिशत है। इसमें रु. 22,895 करोड़ की कुल जमा राशि और रु. 28,367 करोड़ का कुल अग्रिम शामिल है।

पूरे भारत में बैंक की 66 श्रेणी "शाखाएं निर्यातकों, आयातकों और धन प्रेषण (रेमिटेंस) ग्राहकों की विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल मर्चेंट विदेशी मुद्रा टर्नओवर रु. 1,00,378 करोड़ रहा।

6. सामाजिक और प्राथमिकता क्षेत्र बैंकिंगः

6.1 कृषि ऋण

कृषि ऋण 31 मार्च 2025 के 29,575 करोड़ से 26.24 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ 31 मार्च 2026 को रु. 37,336 करोड़ हो गया। खंडवार विवरण नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

खंड (रुपये करोड़)	**31.03.2025**	**31.03.2026**	**वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%)**
फसल ऋण	11,185	15,009	34.18
निवेश ऋण	8,360	9,125	9.15
कृषि संबद्ध	6,276	8,608	37.16
अवसंरचना एवं सहायक	3,754	4,594	22.38
कुल कृषि	29,575	37,336	26.24

6.2 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का प्रदर्शन

यूको बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण में महत्वपूर्ण सुधार प्रदर्शित किया है और अपने व्यापक ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखा नेटवर्क के माध्यम से इस क्षेत्र की प्रभावी ढंग से सेवा करता है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनिवार्य लक्ष्यों के प्रतिकुल प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:

वर्ग	मात्रा (रुपये करोड़)	एएनबीसी का %	लक्ष्य (%)
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम (निवेश और पीएसएलसी सहित)	1,05,326	52.52	40.00
कुल कृषि अग्रिम	36,870	18.39	18.00
लघु एवं सीमांत किसान (पीएसएलसी सहित)	21,031	10.49	10.00
गैर-कॉर्पोरेट किसान	32,203	16.06	14.00
सूक्ष्म लघु उद्योग	30,557	15.24	7.50
कमजोर वर्ग	30,662	15.29	12.00

यूको बैंक ओडिशा और हिमाचल प्रदेश जैसे दो राज्यों में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के संयोजक के रूप में कार्य करता है और असम में एक नए गठित जिले सहित कुल 35 जिलों में अग्रणी बैंक (लीड बैंक) की जिम्मेदारी निभा रहा है।

6.3 स्वयं सहायता समूह ऋण

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) भारत में महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण सूक्ष्म उद्यम प्रोत्साहन के लिए सबसे प्रभावी तंत्रों में से एक हैं। मार्च 2026 तक स्वयं सहायता समूहों को दिया गया बकाया ऋण रु. 5,313 करोड़ था, जिसमें 1.88 लाख एसएचजी शामिल थे और इसमें 27.78 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।

बैंक ने एसएचजी (स्वयं सहायता समूह) व्यवसाय की सोर्सिंग और एसएचजी -एनआरएलएम खातों को जोड़ने के लिए सखी चैनल, साथ ही व्यक्तिगत एसएचजी सदस्यों को वित्तपोषित करने के लिए 'समृद्धि योजना' और शहरी एसएचजी के लिए 'एसएचजी समृद्धि' योजना शुरू की गयी है।

6.4 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

बैंक ने कौशल विकास, वित्तीय साक्षरता और सामुदायिक जुड़ाव की पहल के माध्यम से अपने सीएसआर आदेश को पूरा करना जारी रखा। कुछ प्रमुख कार्यों में शामिल हैं:

- 28 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) ने असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे 7 राज्यों में फैले इन संस्थानों ने 865 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 25,456 उम्मीदवारों ने भाग लिया। इनमें से 13,537 लाभार्थियों को ऋण सहायता प्राप्त हुई।
- वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 59.09 करोड़ की कुल राशि के साथ 127 ग्राहक वित्तीय साक्षरता (सीएफएल) केंद्रों ने 58,858 शिविर आयोजित किए, जिनमें 18,44,043 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया; 4,14,487 लाभार्थियों को बैंक से जोड़ा गया।
- 35 वित्तीय साक्षरता केंद्रों ने 5,286 शिविर आयोजित किए, जिनमें वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 1,79,538 प्रतिभागियों तक पहुँच बनाई गई।
- धुबरी, ढेंकानाल और बिलासपुर स्थित तीन 'आरएसईटीआई' ने इस वर्ष के दौरान आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन प्राप्त किया
- वित्त वर्ष 2025-26 में 21.93 करोड़ की रिकॉर्ड आरएसईटीआई दावा राशि प्राप्त हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 57 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि को दर्शाती है।

7. वित्तीय समावेशन:

7.1 प्रधानमंत्री जन धन योजना

यूको बैंक को देश भर में समावेशी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए 16,281 गांव आवंटित किए गए हैं। इन्हें 4,122 उप-सेवा क्षेत्रों (एसएसए) में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें से 3,656 क्षेत्रों में व्यवसाय संवाददाता (बीसी) एजेंटों के माध्यम से और 466 क्षेत्रों में टियर-5 बस्तियों (5,000 से अधिक जनसंख्या) के लिए शाखा-आधारित कवरेज के माध्यम से सेवा प्रदान की जाती है।

बैंक के पास 31 मार्च 2026 तक 11,136 बीसी तैनात हैं, जिनमें वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 936 नए बीसी जोड़े गए हैं। वर्ष के दौरान, बीसी एजेंटों द्वारा संचालित माइक्रो एटीएम के माध्यम से कुल लेनदेन 304.68 लाख रहा, जो कुल रु. 13,148.42 करोड़ का था।

यूको बैंक के पास 31 मार्च 2026 तक 156.45 लाख पीएमजेडीवाय खातों में रु. 8,081.15 करोड़ की जमा राशि है, जो पीएमजेडीवाय जमा में 5.43 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। प्रति खाता औसत शेष रु. 5,165 था। बैंक ने वर्ष के दौरान 6.48 लाख नए पीएमजेडीवाय खाते खोले हैं और पात्र खाताधारकों को लगभग 64.49 लाख रुपये कार्ड जारी किए हैं।

7.2 सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

बैंक ने अपने शाखा और बीसी नेटवर्क के माध्यम से पीएमजेजेबीवाय, पीएमएसबीवाई और एपीवाई सहित सरकार की प्रमुख बीमा और पेंशन योजनाओं को लागू किया है। पीएमजेजेबीवाई के तहत, 37.92 लाख ग्राहकों ने रु. 2 लाख के जीवन बीमा के लिए नामांकन किया है, जबकि पीएमएसबीवाई के तहत 85.16 लाख ग्राहकों ने दुर्घटना बीमा के लिए नामांकन किया है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान निपटाए गए दावे:

योजना	निपटान किए गए दावे (वित्तीय वर्ष 2025-26)	संचयी दावे
पीएमजेजेबीवाई	1,629	17,436
पीएमएसबीवाई	354	3,143

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 3.42 लाख पात्र ग्राहकों को नामांकित किया गया, जिससे बैंक 105 प्रतिशत लक्ष्य उपलब्धि के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में तीसरे स्थान पर रहा। कुल एपीवाई लाभार्थियों की संख्या 16.83 लाख है।

पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई का नामांकन यूको ई-बैंकिंग और यूको एम-बैंकिंग ऐप में भी उपलब्ध है। पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई का नामांकन एसएमएस सुविधा के माध्यम से भी किया जा सकता है, जिसमें ग्राहक अपने पंजीकृत मोबाइल नंबरों से एसएमएस भेजकर स्वयं नामांकन कर सकते हैं। डिजिटल नामांकन के लिए प्रोत्साहन (इंसेंटिव) ग्राहकों को कम प्रीमियम के रूप में दिया जा रहा है।

दिनांक 31 मार्च 2026 तक, लगभग 91 प्रतिशत चालू बचत खातों को यूआईडीएआई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आधार नंबरों से जोड़ा जा चुका है।

8. एमएसएमई बैंकिंग:

8.1 वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रमुख पहलें

- देश भर में 58 ऋण प्रसंस्करण केंद्र (49 एसएमई और कृषि केंद्र तथा 9 एकीकृत ऋण केंद्र) अब चालू हैं, ताकि ऋण बीमा लेखन (अंडरराइटिंग) की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके और टर्नअराउंड समय (कार्य पूरा करने में लगने वाला समय) को कम किया जा सके।
- दिनांक 31 मार्च 2026 तक संचयी बकाया मुद्रा ऋण रु. 7,043 करोड़ रहा, जिसने रु. 7,000 करोड़ के आवंटित लक्ष्य का 101 प्रतिशत प्राप्त किया।
- एमएसएमई-केंद्रित 12 नई योजनाएँ प्रारंभ की गईं, जिनमें उत्पाद-विशिष्ट योजनाएँ जैसे यूको संजीवनी प्लस, यूको एमएसएमई स्मार्ट प्रोफेशनल, यूको सोलर प्रोजेक्ट फाइनेंस; क्लस्टर योजनाएँ जैसे यूको हॉस्पिटैलिटी प्लस, यूको आयरन एंड स्टील क्लस्टर फाइनेंस, यूको ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर तथा यूको सिरेमिक क्लस्टर; स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस तथा पीएम स्वनिधि लाभार्थियों हेतु विशेष रूप से विकसित डिजिटल ऋण मंच शामिल हैं। गारंटी-समर्थित ऋण वितरण को गति प्रदान करने हेतु प्रधान कार्यालय में एक समर्पित केंद्रीकृत क्रेडिट गारंटी प्रकोष्ठ की स्थापना भी की गई।
- गारंटी-कवर वाले ऋण को बढ़ावा देने के लिए प्रधान कार्यालय में एक समर्पित केंद्रीकृत केडिट गारंटी सेल की स्थापना की गई।
- सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में बाज़ार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक सप्लाई चेन फाइनेंस वर्टिकल स्थापित किया गया।
- ट्रेड्स (TReDS) बिज़नेस में वर्ष-दर-वर्ष 47.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई और दिनांक 31 मार्च 2026 तक यह रु. 2,336 करोड़ हो गया।
- 8 एसएमई और एग्री हब में समर्पित स्टार्टअप डेस्क के माध्यम से रु. 135.05 करोड़ (फंड-आधारित और गैर-फंड आधारित) के 69 स्टार्टअप ऋण स्वीकृत किए गए।

8.2 एमएसएमई व्यवसाय वृद्धि:

वित्त वर्ष 2025-26 में एमएसएमई व्यवसाय रुपये 7,508 करोड़ बढ़ गया, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष 19.36 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष के दौरान कुल एमएसएमई ऋण स्वीकृतियां रुपये 15,000 करोड़ से अधिक रहीं। दैनिक औसत एमएसएमई ऋण स्वीकृति वित्त वर्ष 2024-25 के 33.49 करोड़ से सुधरकर 41.56 करोड़ हो गया। औसत टिकट साइज़ पिछले वर्ष की तुलना में रुपये 13.61 लाख से बढ़कर रुपये 16.96 लाख हो गया। इसके अतिरिक्त, एंड-टू-एंड डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से रुपये 625 करोड़ कुल राशि की 12,129 डिजिटल एमएसएमई ऋण (नवीकरण को छोड़कर) संस्वीकृत किए गए।

बैंक ने एमएसएमई (एमएसएमई) ऋण की वृद्धि में तेजी लाने के लिए दिनांक 21 अप्रैल 2025 से 24 मार्च 2026 तक देश भर में पाक्षिक 'कार्निवल' शुरू किया। इस अभियान के माध्यम से स्वीकृत कुल एमएसएमई ऋण वर्ष के दौरान रु. 11,703 करोड़ रहा।

9. रिटेल बैंकिंग:

9.1 पोर्टफोलियो कार्य-निष्पादन:

वित्तीय वर्ष 2025-26 में रिटेल पोर्टफोलियो में 26.62 प्रतिशत की समग्र वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। प्रमुख खंड-वार विकास दरें इस प्रकार हैं:

- गृह ऋण :19.11 प्रतिशत
- वाहन ऋण: 71.12 प्रतिशत
- वैयक्तिक ऋण : 11.07 प्रतिशत
- शिक्षा ऋण : 8.00 प्रतिशत
- स्वर्ण ऋण : 72.61 प्रतिशत

9.2 नए उत्पाद और योजनाओं में संशोधनः

- यूको आश्रय : इस योजना के तहत 35 लाख (मेट्रो शहरों) और 25 लाख (अन्य केंद्रों) तक के गृह ऋण प्रदान किया जाता है। यह 25 साल तक की अवधि के साथ ईडब्लूएस, एलआईजी और एमआईजी वर्गों की जरूरतों को पूरा करता है।
- यूको आंचल : महिलाओं के लिए व्यक्तिगत ऋण, जो प्रसवकालीन स्वास्थ्य देखभाल, आईवीएफ उपचार, प्रसव, गोद लेने से संबंधित खर्चों और प्रसव के बाद की देखभाल को कवर करता है।
- यूको आशियाना : उन क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिए एक विशिष्ट गृह ऋण उत्पाद जो विशेष भूमि सुधार कानून द्वारा शासित हैं।
- यूको होम प्लस : एक गृह ऋण उत्पाद जो युवा वेतनभोगी और उच्च आय वाले ग्राहकों को लक्षित करता है, जिसमें उच्च ऋण पात्रता और लचीली पुनर्भुगतान संरचनाएं हैं।
- पीएम विद्यालक्ष्मी शिक्षा ऋण योजना : विविध सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए पहुंच में सुधार के लिए कार्यन्वियता संशोधन।
- यूको सूर्योदय : सौर ऋण अपनाने के लिए वेंडर विस्तार और स्वचालित लीड जनरेशन।
- गृह ऋण और कार ऋण दोनों के तहत प्रतिपूर्ति सुविधा शुरू की गई है, जो निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वयं की निधि से खरीदी गई संपत्तियों/वाहनों के लिए है।

9.3 मार्केटिंग और सेल्स चैनलः

- सेल्स फ़ोर्स टीम, जिसमें रिटेल लोन सेल्स टीमें (आरएलएसटी, एचएलएसटी) और एमएसएमई लोन सेल्स टीम (एमएलएसटी) शामिल हैं, ने वित्त वर्ष 2025-26 में आंतरिक रूप से उत्पन्न लीड के माध्यम से रु. 3,295 करोड़ की राशि संस्वीकृत की।
- डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स (डीएसए) ने मंजूरियों में रु. 8,612 करोड़ का योगदान दिया, जो साल-दर-साल 88 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है। बैंक ने सुजुकी स्मार्ट फाइनेंस के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से अपनी डिजिटल लीड जनरेशन क्षमताओं का भी विस्तार किया, जिससे इस चैनल के माध्यम से वर्ष के दौरान 2,500 से अधिक कार ऋण मंजूर किए गए।

10. संसाधनः

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने सभी प्रमुख जमा श्रेणियों में स्वस्थ वृद्धि दर्ज की गई, जो निरंतर ग्राहक विश्वास और प्रभावी संसाधन जुटाने के प्रयासों को दर्शाती है। चालू जमा ने 16.77% की मजबूत साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की, जबकि बचत जमा में पिछले वर्ष की तुलना में 11.78% की वृद्धि हुई। कासा जमा में कुल मिलाकर वार्षिक आधार पर 12.46% की वृद्धि हुई, जो कम लागत वाले जमा आधार की निरंतर मजबूती को प्रदर्शित करती है। विदेशी जमा में भी 32.09% की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई, जिससे वर्ष के दौरान कुल जमा में 11.59% की समग्र वृद्धि हुई।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने कुल जमा आधार को बढ़ाने, ग्राहकों के जुड़ाव में सुधार करने और संस्थागत साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से कई लक्षित पहलें कीं।

10.1 वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान लागू की गई नई उत्पाद पहल

बैंक ने विभिन्न ग्राहक वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष उत्पादों की एक श्रृंखला पेश की और बैंक के ग्राहक आधार को व्यापक बनाने में योगदान दिया, साथ ही उभरते बाजार क्षेत्रों की बदलती वित्तीय आवश्यकताओं को भी संबोधित किया। नए उत्पादों में निम्नलिखित शामिल हैंः बच्चों के लिए 'यूको राइजिंग स्टार' बचत योजना 'यूको गिग' बचत योजना, 'यूको आरंभ' स्टार्टअप्स के लिए चालू खाता योजना, यूको आईसीसीएल ईएफडीआर आईसीसीएल सदस्यों के लिए योजना।

10.2 वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान किए गए रणनीतिक समझौते और गठबंधन

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान किए गए रणनीतिक समझौते और गठबंधन वर्ष के दौरान, बैंक ने सरकारी निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं, वित्तीय संस्थानों और कॉर्पोरेट संगठनों के साथ कई रणनीतिक साझेदारियाँ और प्रौद्योगिकी एकीकरण किए ताकि ट्रांजेक्शन बैंकिंग, संग्रह सेवाओं, डिजिटल एकीकरण और संस्थागत व्यावसायिक अवसरों को मजबूत किया जा सके। इन सहयोगों ने बैंक के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया, संस्थागत व्यावसायिक अवसरों को बढ़ाया और कई क्षेत्रों में अपनी सेवा वितरण क्षमताओं का विस्तार किया।

10.3 वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान शुरू की गई प्रक्रिया

परिचालन दक्षता, ग्राहकों की सुविधा और खाता प्रबंधन प्रक्रियाओं में सुधार के लिए, बैंक ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रक्रिया पहल लागू कीः

- चालू और बचत खातों (कासा) के सुव्यवस्थित प्राधिकरण और प्रसंस्करण के लिए कासा बैक-ऑफिस संचालन का केंद्रीकरण।
- ग्राहकों की पहुंच बढ़ाने और डिजिटल ऑनबोर्डिंग के लिए ऑनलाइन बचत बैंक खाता खोलने की सुविधा की शुरुआत।
- ग्राहक जुड़ाव को मजबूत करने और मौजूदा ग्राहक आधार को बनाए रखने के लिए एक समर्पित 'कस्टमर रिटेंशन स्क्वाड' का गठन।

11. वसूली और एनपीए प्रबंधनः

11.1 वसूली ढांचाः

यूको बैंक की वसूली प्रणाली को एक संरचित, प्रौद्योगिकी-सक्षम और बहु-चैनल दृष्टिकोण के माध्यम से व्यापक रूप से मजबूत किया गया है, जिसे तनावग्रस्त परिसंपत्तियों से अधिकतम वसूली सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। यह रणनीति कानूनी प्रवर्तन, समझौता निपटान, उधारकर्ता संपर्क, निरंतर निगरानी और संस्थागत जवाबदेही को समाहित करता है।

11.2 कानूनी और प्रवर्तन-आधारित वसूली

- बैंकनेट (ई-बिक्रय) प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुरक्षित संपत्तियों के प्रवर्तन और नीलामी सहित एसएआरएफएईएसआई कार्रवाइयों की समय पर शुरुआत, जिसमें भौतिक कब्जे के लिए डीएम की अनुमतियों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- विधिक वसूली की समय-सीमा में तेजी लाने हेतु डीआरटी आवेदन, सिविल मुकदमे और धारा 138 एनआई अधिनियम के मामले दर्ज किए गए।
- फरार उधारकर्ताओं और गारंटरों का पता लगाने हेतु जासूसी एजेंसियों की नियुक्ति तथा पात्र मामलों में डीआरटी के माध्यम से कुर्की की कार्यवाही शुरू करना।
- पात्र खातों को एनसीएलटी के समक्ष प्रस्तुत करना और आईबीसी ढांचे के तहत व्यक्तिगत गारंटियों को लागू करना।
- नियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार इरादतन चूककर्ताओं की घोषणा करना, ताकि यह एक निवारक उपाय के रूप में कार्य करे।

11.3 समाधान एवं समझौता संबंधी उपाय

- व्यवहार्य खातों के पुनरुद्धार तथा वसूली संभावनाओं में सुधार हेतु पुनर्गठन एवं हैंडहोल्ड सहायता प्रदान की गई।
- बैंक की विशेष ओटीएस योजना ('लक्ष्य-ऋण मुक्ति 2025-26') और सामान्य ओटीएस योजना के तहत एकमुश्त निपटान (ओटीएस) के माध्यम से 1.00 करोड़ रुपये तक के खाता शेष वाले एनपीए/पीडब्ल्यूओ खातों का समाधान।
- 'यूको अदालत' की शुरुआत की गई है, जो एक संरचित वार्ता मंच है, जिसके माध्यम से प्रधान कार्यालय एवं अंचल कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उधारकर्ताओं के साथ आमने-सामने संवाद स्थापित किया जाता है।
- लघु राशि वाले एनपीए खातों के निपटान हेतु राष्ट्रीय लोक अदालतों में सक्रिय भागीदारी।

11.4 वसूली में कार्यनिष्पादनः

(राशि करोड़ में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2026
नकद वसूली + उन्नयन	1,397.62	1,226.58	1,147.74
तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए खातों में वसूली	1,475.38	2,630.61	1,415.61
कुल वसूली + उन्नयन	3126.56	4428.72	2944.30
सकल एनपीए (करोड़ रुपये)	6,463.31	5,918.54	5,690.20
सकल एनपीए (%)	3.46%	2.69%	2.17%
सकल एनपीए (करोड़ रुपये)	1,621.65	1,068.31	701.91
सकल एनपीए (%)	0.89%	0.50%	0.27%

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कुल नकद वसूली और उन्नयन (अपग्रेडेशन) रु. 2,944.30 करोड़ रही। तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए खातों से वसूली रु. 1,415.61 करोड़ रही।

12. जोखिम प्रबंधनः

यूको बैंक एक व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत कार्य करता है जो केडिट जोखिम, बाजार जोखिम, तरलता जोखिम और परिचालन जोखिम को संबोधित करता है- यह बैंकिंग परिचालन में निहित जोखिम की प्रमुख श्रेणियों हैं। सभी उत्पाद, प्रक्रियाएं और नीतियां बोर्ड की मंजूरी से पहले कार्यकारी स्तर की जोखिम समितियों (सीआरएमसी, ओआरएमसी, एएलसीओ और एमआरएमसी) और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) के माध्यम से पारित किया जाता है। बैंक ने नियामकीय एवं जोखिम प्रबंधन क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखने वाले एक समर्पित जोखिम सलाहकार की भी नियुक्ति की है।

12.1 केडिट जोखिम प्रबंधनः

ऋण जोखिम का प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, जिसमें सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप नीतियां, प्रक्रियाएं और रिपोर्टिंग संरचनाएं शामिल हैं। बैंक ने पोर्टफोलियो की मजबूती सुनिश्चित करने तथा एकाग्रता जोखिम को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न उद्योगों, क्षेत्रों, उधारकर्ताओं, देशों, राज्य सरकारों तथा समूह उधारकर्ताओं के लिए विवेकपूर्ण जोखिम सीमाएं निर्धारित की हैं। प्रमुख जोखिमों, खंडों और उद्योगों की त्रैमासिक समीक्षा एक समर्पित ऋण जोखिम प्रबंधन प्रकोष्ठ द्वारा की जाती है।

बैंक ने सभी 1.00 करोड़ और उससे अधिक के केडिट प्रस्तावों (खुदरा योजनाबद्ध ऋणों को छोड़कर) के लिए जोखिम-समायोजित पूंजी पर प्रतिफल (आरएआरओसी) की गणना अनिवार्य कर दी है, जिससे विवेकपूर्ण पूंजी आवंटन सुनिश्चित हो सके। एक स्वतंत्र केडिट जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया, केडिट जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया (सीआरईपी) के माध्यम से उधारकर्ताओं को कम, मध्यम या उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

12.2 परिचालन जोखिम प्रबंधनः

बैंक का परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचा (ओआरएमएफ) परिचालन जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना, शासन, नीतियां, प्रक्रियाएं और निगरानी प्रणालियों को समाहित करता है। आंतरिक हानि डेटा का एक भंडार स्थापित किया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण हानि घटनाओं के लिए मूल कारण विश्लेषण किया जाता है। जोखिम नियंत्रण और स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) और प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई) मैट्रिक्स स्वचालित हैं और वास्तविक समय निगरानी प्रणालियों में एकीकृत हैं। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में जोखिम अधिकारियों को नियुक्त किया गया है ताकि वे मुख्यालय में जोखिम प्रबंधन विभाग के साथ समन्वय कर सकें।

12.3 बाजार जोखिम प्रबंधनः

बाजार जोखिम, जो ब्याज दरों, विनिमय दरों और अन्य बाजार चरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होता है, का ट्रेडिंग बुक के लिए संशोधित अवधि, पीवी01 और जोखिम मूल्य (वीएआर) के माध्यम से दैनिक आधार पर निगरानी की जाती है। विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन नेट ओवरनाइट ओपन पोजीशन (एनओओपी) सीमा, वीएआर सीमा और एग्रीगेट गैप लिमिट्स (एजीएल) के माध्यम से किया जाता है। बैक-टेस्टिंग और स्ट्रेस टेस्टिंग नियमित आधार पर की जाती है। एंटरप्राइज-स्तरीय वीएआर और स्ट्रेस्ड वीएआर की गणना और बैक-टेस्टिंग बोर्ड-अनुमोदित स्ट्रेस टेस्टिंग नीति के तहत प्रतिदिन की जाती है। बाजार जोखिम पूंजी प्रभार की गणना मानकीकृत मापन पद्धति (एसएमएम) का उपयोग करके की जाती है।'

12.4 तरलता जोखिम प्रबंधनः

बैंक, बोर्ड द्वारा अनुमोदित एएलएम नीति के अंतर्गत प्रवाह-आधारित और स्टॉक-आधारित दोनों दृष्टिकोणों के माध्यम से तरलता जोखिम की निगरानी करता है। बेसल III तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) ढांचा लागू किया गया है, जिसमें हर समय अभारग्रस्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियों (HQLA) का पर्याप्त स्तर बनाए रखा जाता है। शुद्ध स्थिर वित्तपोषण अनुपात (एनएसएफआर) को नियामक न्यूनतम सीमा से ऊपर बनाए रखा जाता है, जिससे एक स्थिर दीर्घकालिक वित्तपोषण सुनिश्चित होता है। बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) का मापन और निगरानी पारंपरिक गैप विश्लेषण, जोखिम पर आय (ईएआर) और इक्विटी की संशोधित अवधि के ढांचे के माध्यम से किया जाता है।

12.5 केडिट रेटिंग सिस्टमः

बैंक 25.00 लाख (एमएसएमई) और 50.00 लाख (कृषि) से अधिक जोखिम वाले सभी उधारकर्ताओं के लिए आंतरिक केडिट रेटिंग करता है। अक्टूबर 2023 से प्रभावी रूप से उन्नत किया गया केडिट रेटिंग मॉडल, बेहतर चूक (डिफॉल्ट) भविष्यवाणी क्षमता और बाहरी रेटिंग एजेंसियों के साथ अधिक निकटता प्रदान करता है। रीटेल, एमएसएमई (25 लाख तक) तथा कृषि (50 लाख तक) उधारकर्ताओं का मूल्यांकन 19 कैलिब्रेटेड स्कोरकार्ड मॉडलों के माध्यम से किया जाता है, जिनका समय-समय पर बाहरी एजेंसियों द्वारा सत्यापन किया जाता है।

12.6 धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधनः

जोखिम प्रबंधन विभाग के अंतर्गत कार्यरत धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रकोष्ठ, आरबीआई और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को धोखाधड़ी की घटनाओं की समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करता है। धोखाधड़ी जोखिम रिपोर्टिंग और प्रबंधन समिति (सीओई-एफआरआरएम) धोखाधड़ी संबंधी घोषणाओं की निगरानी करती है। दो धोखाधड़ी प्रबंधन समूह (एफएमजी) संभावित संदिग्ध खातों की पहचान के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेतों का विश्लेषण करते हैं। एंटरप्राइज फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम (ईएफआरएमएस), जिसमें एक जोखिम-आधारित लेनदेन निगरानी प्रणाली (आरटीएमएस) शामिल है, वास्तविक समय में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए 24x7 आधार पर संचालित होता है।

12.7 ऋण निगरानीः

बैंक ने इस वर्ष के दौरान अपनी ऋण निगरानी आसंरचना को काफी मजबूत किया हैः

- अर्ली वार्निंग सिग्नल (ईडब्ल्यूएस) प्रणालीः मेकर-चकर तंत्र, भूमिका-आधारित प्राधिकरण और प्राधान कार्यालय में केंद्रीकृत अलर्ट क्लोजर के साथ उन्नत शासन व्यवस्था। ईडब्ल्यूएस अलर्ट की प्रभावशीलता की समीक्षा बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा त्रैमासिक आधार पर की जाती है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान चुनिंदा अलर्ट के लिए सिस्टम-संचालित ऑटो-क्लोजर लागू किया गया।
- ईडीसीएएम मॉड्यूलः संपत्ति खाता दस्तावेज़ प्रबंधन के लिए एंड-टू-एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो सुरक्षा दस्तावेजों की डिजिटल जांच, निर्बाध संवितरण, अनुमोदन और केंद्रीकृत अभिलेखागार को सक्षम बनाता है।

- तनावग्रस्त और एनपीए खातों की वास्तविक समय में शाखा-स्तरीय निगरानी के लिए एनपीए ट्रैकर मोबाइल एप्लिकेशन तैनात किया गया है।
- 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक के एक्सपोजर वाले खातों की रिपोर्ट सीआरआईएलसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आरबीआई को साप्ताहिक रूप से दी जाती है और उनकी दैनिक निगरानी की जाती है।
- उच्च शक्ति समितियाँ (एचपीसी) तनावग्रस्त संपत्तियों की संरचित वरिष्ठ प्रबंधन निगरानी प्रदान करना जारी रखती हैं, जिसमें महाप्रबंधक और कार्यकारी निदेशक स्तर पर मासिक समीक्षा की जाती है।

12.8 सतत वित्त और ईएसजीः

भारतीय रिज़र्व बैंक के जलवायु जोखिम और सतत वित्त संबंधी दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट जुटाए हैं तथा अपने ग्रीन लेंडिंग पोर्टफोलियो का विस्तार किया है। बैंक ने वित्तपोषित उत्सर्जन के आकलन हेतु पीसीएएफ मानकों (स्कोप 3, श्रेणी 15) को अपनाया है तथा एक व्यापक नेट ज़ीरो ट्रांज़िशन प्लान विकसित किया है, जिसके तहत वर्ष 2056 तक अपने परिचालन और वित्तपोषित पोर्टफोलियो में नेट-ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई गई है।

ऊर्जा दक्षता पहलों के अंतर्गत बैंक की शाखा परिसरों में रूफटॉप सोलर पैनलों की स्थापना, मोशन-सेंसर आधारित एलईडी प्रकाश व्यवस्था तथा बैंक-स्वामित्व वाली इमारतों में सक्रिय जल-संचयन (वाटर हार्वेस्टिंग) की व्यवस्था शामिल है।

13. डिजिटल बैंकिंग और प्रौद्योगिकीः

13.1 ग्राहक अनुभव संवर्द्धन

- मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग में एनईएफ़टी, आरटीजीएस और आईएमपीएस लेनदेन के लिए लाभार्थी खोज सुविधा लागू की गई है।
- मोबाइल बैंकिंग में ब्रांच विजिट स्लॉट बुकिंग फीचर लॉन्च किया गया है।
- ग्राहकों के साथ बेहतर सहभागिता के लिए बैज आइकन (सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम) पेश किए गए हैं।
- यूपीआई लेनदेन के लिए यूपीआई फेस ऑथेंटिकेशन और ओएस-नेटिव बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण शुरू किया गया है।
- ग्राहक सत्यापन में आसानी के लिए एटीएम के माध्यम से पुनः केवाईसी शुरू की गई है।
- डिजिटल एफडी रसीद का प्रारूप संशोधित किया गया; बैंक की कागज रहित पहल के तहत पंजीकृत ईमेल आईडी पर ग्रीन एफडी प्रमाणपत्र भेजा गया।
- पे-टू-कॉन्टैक्ट्सः ग्राहक केवल अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके यूको बैंक के उपयोगकर्ताओं को धनराशि हस्तांतरित कर सकते हैं।
- कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर चालू और नकद केडिट खातों में मल्टी-अकाउंट एक्सेस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

13.2 सीधे प्रसंस्करण की प्रक्रियाएँ

- बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 में 31 एंड-टू-एंड डिजिटल ऋण यात्राओं को परिचालित किया, जिनमें शामिल हैंः
- एसटीपी प्री-क्वालिफाइड वाहन ऋण (पीकेवीएल), यूको सेलेक्ट प्लस, एसटीपी कार ऋण, एसटीपी स्वर्ण ऋण, एसटीपी केसीसी फ्रेश (आरबीआईएच के सहयोग से), एसटीपी एसएचजी ऋण, एसटीपी डेयरी ऋण, एसटीपी गृह ऋण, यूको आश्रय, डिजिटल यूको कैश ऋण, और प्री-क्वालिफाइड व्यवसाय ऋण
- 31 मार्च 2026 तक कुल डिजिटल तुलन-पत्र रु. 25,350 करोड़ से अधिक हो गईं (रु. 11,132 करोड़ से अधिक अग्रिम; रु.14,218 करोड़ से अधिक देनदारियाँ)।

13.3 डेबिट कार्ड और व्हाट्सएप बैंकिंग

- महिला ग्राहकों के लिए 'अपराजिता डेबिट कार्ड', प्रीमियम ग्राहकों के लिए 'मेटल डेबिट कार्ड' और दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए 'ब्रेल डेबिट कार्ड' लॉन्च किया गया।
- व्हाट्सएप बैंकिंग में 9 अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषाएँ और केडिट कार्ड नवीनीकरण, खाता डेबिट फ्रीज और एडीसी ब्लॉक जैसी नई सुविधाएँ शामिल की गई हैं।

13.4 सीबीडीसी और अवसंरचना

- एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के लिए सीबीडीसी एप्लिकेशन लॉन्च किया गया; सुभद्रा योजना के तहत भुगतान सीबीडीसी के माध्यम से किया जाएगा।
- यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी सुविधा सीबीडीसी वॉलेट और यूपीआई इकोसिस्टम के बीच निर्बाध लेनदेन को सक्षम बनाती है।
- इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना लेनदेन को सक्षम करने हेतु सीबीडीसी ऑफ़लाइन सुविधा शुरू की गई है, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अत्यंत प्रासंगिक है।
- एप्लिकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग (एपीएम) टूल को वास्तविक समय में अनुप्रयोग के स्वास्थ्य और प्रदर्शन की जानकारी के लिए लागू किया गया है।
- सुरक्षा और प्रामाणिकता बढ़ाने के लिए बैंक की वेबसाइट को .bank.in डोमेन में स्थानांतरित किया गया है।

13.5 वित्तीय वर्ष 2025-26 में असाधारण उपलब्धियाँ

- एक कार्य-दिवस में 1,718 स्वर्ण ऋण स्वीकृत किए गए, जिनकी कुल राशि रु. 59.33 करोड़ थी।
- एक कार्य-दिवस में 163 डिजिटल वाहन ऋण स्वीकृत किए गए, जिनकी कुल राशि रु. 14.99 करोड़ है।
- एक कार्य-दिवस में 906 डिजिटल सीसी नवीकरण संसाधित किए गए, जिनकी कुल राशि रु. 24.46 करोड़ थी।
- एक कार्य-दिवस में 12,283 मोबाइल बैंकिंग सक्रियण।
- एक कार्य-दिवस में ग्राहकों को 27,014 नए डेबिट कार्ड जारी किए गए।

14. साइबर सुरक्षाः

यूको बैंक ने अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (सीएसओसी) की स्थापना की है, जो 24X7 कार्यरत है। बैंक के सीबीएस, आरटीजीएस और यूपीआई सिस्टम को एनसीआईआईपीसी द्वारा भारत के महत्वपूर्ण वित्तीय बुनियादी ढांचे के रूप में चिन्हित गया है। बैंक सीईआरटी-इन और एनसीआईआईपीसी के थ्रेट डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म (टीडीपी) के साथ सीधे तौर पर एकीकृत है और बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार के साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र के साथ साझेदारी की है।

14.1 प्रमुख पहलः

- बेहतर खतरे से निपटने के लिए एसआईईएम के साथ सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशन, ऑटोमेशन और रिस्पांस (एसओएआर) का कार्यान्वयन।
- डेटाबेस रिस्क एनालिटिक्स (डीआरए) और डेटाबेस सिक्योरिटी फैब्रिक (डीएसएफ) के साथ डेटाबेस एक्टिविटी मॉनिटरिंग (डीएएम) को बेहतर बनाया गया है।
- बैंक के डेटा केंद्रों और सहायक कार्यों के लिए आईएसओ 27001:2022 मानक में परिवर्तन।
- सुरक्षा उपकरणों में ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए एसएसएल ऑफलोडर तैनात किया गया है।
- बैंक की वेबसाइट पर समर्पित साइबर जागरूकता कॉर्नर; सभी शाखाओं में मासिक साइबर जागरूकता दिवस मनाया जाता है।
- कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए साइबर जागरूकता पुस्तिकाएं, ई-लर्निंग मॉड्यूल, मासिक प्रश्नोत्तरी और साइबर अभ्यास आयोजित किए जाते हैं।

15. विश्लेषण और डेटा प्रबंधनः

- नियामक रिपोर्टिंग के लिए 171 महत्वपूर्ण डेटा तत्वों की पहचान की गई; फिनैकल, एलओएस और अन्य स्रोत प्रणालियों में नियंत्रण सत्यापन लागू किए गए।
- एसएएस-आधारित आर्किटेक्चर पर स्थापित केंद्रीकृत एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस (ईडीडब्ल्यू) एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ के रूप में कार्य करता है, जो पुराने एमआईएस सिस्टम को समेकित करता है।
- बिजनेस लाइव डैशबोर्ड को 10,000 से अधिक समवर्ती उपयोगकर्ताओं की समवर्ती क्षमता के साथ तैनात किया गया है, जो शाखाओं, अंचल कार्यालयों और मुख्यालय में वास्तविक समय की व्यावसायिक जानकारी प्रदान करता है।
- बैंक के एयर-गैप्ड ऑन-प्रिमाइसेस वातावरण में स्वदेशी ओपन-सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पर कई व्यावसायिक डोमेन में इन-हाउस एआई और जेनरेटिव एआई एप्लिकेशन बनाए और तैनात किए गए हैं - जिनमें आरएजी-आधारित नॉलेज असिस्टेंट, एचआर उपयोग मामले और बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स शामिल हैं।
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम का कार्यान्वयनः 30 पहचाने गए व्यक्तिगत पहचान योग्य डेटा तत्वों पर डेटा संपादन लागू किया गया; व्यापक अंतर विश्लेषण के लिए सलाहकार की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।
- सीआईबीआईएल डीक्यूआई में सुधार होकर उपभोक्ता श्रेणी में 98 प्रतिशत और वाणिज्यिक श्रेणी में 94 प्रतिशत हो गया है हो गया है; साथ ही, भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार 1 जुलाई 2026 से डेटा प्रस्तुत करने की आवृत्ति दैनिक की जा रही है।

16. परिचालन एवं सेवाएंः

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने ग्राहक-केंद्रितता, धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायत निवारण और परिचालन लचीलेपन पर केंद्रित पहलों का एक व्यापक समूह शुरू किया।

- यूको संपर्क 2.0: पुनः डिज़ाइन किए गए आईवीआर ट्री से कॉल ड्रॉप में कमी आई है और नेविगेशन दक्षता में सुधार हुआ है।
- उदय चैटबॉट: चेक बुक अनुरोध, चेक रोकना, पुनः केवाईसी, बैलेंस पूछताछ और मिनी स्टेटमेंट जैसी सेवाएं विस्तारित की गईं; लाइव एजेंट सहायता शुरू की गई।
- यूको संवाद कियोस्क: दिव्यांग (विकलांग व्यक्तियों) ग्राहकों के लिए शुरू की गई है।
- यूको पिंक लाइन: महिला ग्राहकों को महिला एजेंटों से जोड़ने हेतु समर्पित रूटिंग व्यवस्था प्रारंभ की गई है।
- ओजीआरएस 2.0 लॉन्च किया गया, जो एआई/एमएल द्वारा संचालित है, जिससे शिकायतों का तीव्र वर्गीकरण और समाधान हो सके।
- म्यूलहंटर.एआई को म्यूल खातों का रियल टाइम में पता लगाने हेतु लागू किया गया है; सक्रिय धोखाधड़ी रोकथाम के लिए आई4सी सस्पेक्ट रजिस्ट्री और डीओटी पोर्टलों के साथ एकीकृत किया गया है।
- विजिल-पल्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जो 200 से अधिक जोखिम स्रोतों के आधार पर खातों की जांच करता है।
- ऑनलाइन ग्राहक दावों के लिए समर्पित अनक्लेम्ड डिपॉजिट पोर्टल लॉन्च किया गया।
- 34,644 डीईएएफ़/निष्क्रिय खातों में 144.24 करोड़ का रिकॉर्ड निपटान-किसी भी वित्तीय वर्ष में यह उच्चतम स्तर है। बैंक ने त्वरित भुगतान योजना के तहत आरबीआई से 9.28 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्राप्त किया।

17. मानव संसाधनः

17.1 जनशक्ति

31 मार्च 2026 तक कुल कर्मचारी संख्या 20,984 थी, जिसमें 13,717 अधिकारी, 5,514 क्लर्क तथा 1,753 अधीनस्थ कर्मचारी शामिल थे। महिला कर्मचारियों की संख्या 6,199 थी, जो कुल कार्यबल का 29.54 प्रतिशत है। बैंक में 518 बेंचमार्क दिव्यांगजन (पीडब्लूबीडी) कार्यरत हैं तथा अल्पसंख्यक समुदायों से 1,451 कर्मचारी जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त, 1,289 भूतपूर्व सैनिक भी बैंक में कार्यरत हैं।

17.2 भर्ती

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने आईटी अधिकारी, कृषि क्षेत्रीय अधिकारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, विधि अधिकारी, लोकल बैंक अधिकारी तथा ग्राहक सेवा सहयोगी जैसे प्रमुख पदों पर कुल 649 कर्मचारियों की भर्ती की। नई भर्तियों में महिलाओं की भागीदारी 35 प्रतिशत रही। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान 228 प्रशिक्षु भी नियुक्त किए गए। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 100 परिवीक्षाधीन अधिकारियों, 190 विशेषज्ञ अधिकारियों (जिसमें एआई/एमएल, साइबर सुरक्षा, डेटा साइंस और सीए प्रोफाइल शामिल हैं) तथा 419 ग्राहक सेवा सहयोगियों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।

17.3 पीएमएस कक्षः

प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली किसी भी संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, जो कर्मचारियों के योगदान का आकलन करने, निरंतर सुधार को प्रोत्साहित करने तथा सकारात्मक एवं उत्पादक कार्य वातावरण बनाने में सहायक होती है। पीएमएस नीति के अनुसार स्केल VIII तक के सभी अधिकारियों/कार्यपालकों को त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

- संसिद्धि एप्लिकेशन के माध्यम से आवंटित भूमिकाओं के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।
- आवंटित कार्य के अनुसार भूमिकाओं का निर्धारण पारदर्शिता, कार्य संतुष्टि में वृद्धि करता है तथा भ्रम या विवाद को कम करता है।
- केआरए की मापनीयता में निरंतर सुधार से पीएमएस की निष्पक्षता को बेहतर बनाने में सहायता मिलती है।
- मासिक स्कोर कार्ड के माध्यम से प्रगति की नियमित निगरानी के साथ स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण किया जाता है।
- अधिकारियों के लिए वैज्ञानिक मानव संसाधन नियोजन उपकरण तथा स्थानांतरण प्रक्रिया का स्वचालन।
- संसिद्धि परफॉर्मेंस लीडर बोर्ड तथा होम लोन, कार लोन, अनुपालन अधिकारी, हिंदी अधिकारी आदि विभिन्न श्रेणियों में 'माह का कर्मचारी' सम्मान।
- बैंक की सभी साक्षात्कार प्रक्रियाओं हेतु संसिद्धि आधारित बायोडाटा प्रणाली।
- अधिकारियों/कार्यपालकों के लिए पुरस्कार एवं मान्यता ढांचे की नीति, जिसके अंतर्गत शाखा, अंचल कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय स्तर पर व्यावसायिक सृजन से जुड़े कार्यों में प्रदर्शन के आधार पर (आर्थिक एवं गैर-आर्थिक दोनों प्रकार के) उपयुक्त रूप से अधिकारियों/कार्यपालकों के प्रदर्शन को मान्यता दी जाती है।

- विभिन्न संविभाग में चिन्हित की गई आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिकाओं को संग्रहित करते हुए उत्तराधिकार योजना, जिसमें स्केल III से VII तक के पात्र अधिकारियों को शामिल किया जाता है।

- संसिद्धि में संबंधित अधिकारी/कार्यपालक तथा उनकी रिपोर्टिंग प्राधिकरण से प्राप्त निविष्टि/वरीयताओं के आधार पर पात्र अधिकारियों को जॉब फैमिली का आवंटन।

आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी):

हमारा बैंक लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे आर्थिक विकास और समावेशी वृद्धि होती है तथा संपूर्ण राष्ट्र को लाभ प्राप्त होता है।

महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल वातावरण बनाने के संदर्भ में, हमारे बैंक ने यौन उत्पीड़न (कार्यस्थल पर महिलाओं का रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में निर्धारित नियमों को लागू करते हुए, ऐसी शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु शीर्ष स्तर तथा स्थानीय स्तर पर आंतरिक शिकायत समितियों का गठन किया है।

17.4 आरक्षण कक्ष:

बैंक, भारत सरकार के निर्देशों/आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), दिव्यांगजन तथा भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, छूट एवं अन्य रियायतों को लागू कर रहा है। 31/12/2025 तक एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्लूएस कर्मचारियों का समग्र प्रतिनिधित्व क्रमशः 19.80%, 8.31%, 24.38% तथा 1.68% था। प्रत्यक्ष भर्ती एवं पदोन्नति दोनों के लिए अलग-अलग रोस्टर रजिस्टर रखे जाते हैं।

एससी/एसटी कर्मचारियों के लिए आरक्षण प्रकोष्ठ तथा ओबीसी/ईडब्लूएस कर्मचारियों के लिए अलग ओबीसी प्रकोष्ठ वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रधान कार्यालय स्तर पर तथा सभी अंचल कार्यालय स्तर पर स्थापित किए गए हैं, जो क्रमशः मुख्य संपर्क अधिकारी तथा पदेन संपर्क अधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करते हैं। पीडब्लूबीडी तथा ईडब्लूएस कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक अलग शिकायत निवारण अधिकारी भी नियुक्त किया जा चुका है, जो उनकी शिकायतों का समाधान देखता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने कुल 11,978 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया, जिनमें अनुसूचित जाति (एससी) के 4,062, अनुसूचित जनजाति (एसटी) के 1,738, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के 5,314, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस) के 384 तथा दिव्यांगजन (पीडब्लूडी) के 480 कर्मचारी शामिल थे। बैंक ने अधिकारियों की अंतर-स्केल पदोन्नति हेतु 1,731 कर्मचारियों को पूर्व-पदोन्नति प्रशिक्षण प्रदान किया, जिनमें एससी-585, एसटी-293, ओबीसी-790 तथा पीडब्लूडी-63 कर्मचारी शामिल थे। लिपिकीय संवर्ग से अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति हेतु 189 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिनमें एससी-84, एसटी-15, ओबीसी-85 तथा पीडब्लूडी-5 कर्मचारी शामिल थे। अधीनस्थ संवर्ग से लिपिकीय संवर्ग में पदोन्नति हेतु एससी/एसटी/ओबीसी एवं पीडब्लूडी श्रेणी के 175 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिनमें एससी-101, एसटी-19, ओबीसी-48 तथा पीडब्लूडी-7 कर्मचारी शामिल थे। बैंक के एससी/एसटी एवं ओबीसी कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु, उनके कल्याण संघों के साथ शीर्ष स्तर तथा अंचल कार्यालय स्तर (जहाँ आरक्षण रोस्टर बनाए जाते हैं) पर त्रैमासिक बैठकें आयोजित की जाती हैं। एससी/एसटी/ओबीसी/पूर्व सैनिक (एक्स-एसएम)/पीडब्लूडी श्रेणी के कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण की निगरानी हेतु प्रधान कार्यालय स्तर पर एक आंतरिक शिकायत समिति कार्यरत है। इन शिकायतों का संबंधित प्रकोष्ठ द्वारा बैंक की प्रचलित नीतियों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार समाधान एवं निस्तारण किया जाता है।

दिनांक 31-12-2025 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडबल्यूएस) तथा दिव्यांगजन (पीडबल्यूडी) के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला निर्धारित प्रारूप में वार्षिक विवरण अनुबंध-I एवं अनुबंध-II में दिया गया है।

अनुलग्नक - I

31.12.2025 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का समूहवार प्रतिनिधित्व

संस्था का नाम :यूको बैंक

समूह	कार्मिकों की संख्या (31.12.2025 के अनुसार)					कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान की गई नियुक्तियों/पदोन्नति यों की संख्या (यानि 01.01.2025 से 31.12.2025)														
						सीधी भर्ती से नियुक्ति					पदोन्नति द्वारा नियुक्ति					अन्य विधियों द्वारा नियुक्ति				
	कुल	अजा	अजजा	ओबीसी	ईडबल्यू एस	कुल	अजा	अजजा	ओबीसी	ईडबल्यू एस	कुल	अजा	अजजा	ओबीसी	ईडबल्यू एस	कुल	अजा	अजजा	ओबीसी	ईडबल्यू एस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
समूह-क	13648	2295	1119	3617	218	351	42	21	94	27	222	31	10	46**	0	0	0	0	0	0
समूह-ख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
समूह-ग	5686	1042	492	1316	137	272	55	29	63	15	83	9	7	20**	0	16	0	1	9	0
समूह-घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	1842	856	148	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	6	2	5	0
समूह-घ (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	**21176**	**4193**	**1759**	**5162**	**355**	**623**	**97**	**50**	**157**	**42**	**305**	**40**	**17**	**66****	**0**	**34**	**6**	**3**	**14**	**0**

*समूह घ (बिंदु 4) में हाउस कीपर सह चपरासी शामिल हैं
* * अपिव वर्ग के अभ्यर्थियों को पदोन्नति में अनारक्षित माना जाएगा
***उपरोक्त डेटा 31.12.2025 तक का है
सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कैडर/ ग्रुप के भीतर पदोन्नति के लिए कोई आरक्षण लागू नहीं है।

अनुलग्नक - II

दिनांक 31.12.2025 तक दिव्यांग व्यक्तियों का समूह-वार प्रतिनिधित्व

संस्था का नाम : यूको बैंक

समूह Group	कार्मिकों की संख्या (31.12.2025 के अनुसार)					कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान की गई नियुक्तियों/पदोन्नति यों की संख्या (यानि 01.01.2025 से 31.12.2025)																				
						सीधी भर्ती से नियुक्ति										पदोन्नति द्वारा नियुक्ति											
						आरक्षित रिक्तियों की संख्या					नियुक्तियों की संख्या					आरक्षित रिक्तियों की संख्या					नियुक्तियों की संख्या				
	कुल	वी एच	एच एच	ओ एच	आईडी एवं ओटीएच	कुल	वी एच	एच एच	ओ एच	आईडी एवं ओटीएच	कुल	वी एच	एच एच	ओ एच	आईडी एवं ओटीएच	कुल	वी एच	एच एच	ओ एच	आईडी एवं ओटीएच	कुल	वी एच	एच एच	ओ एच	आईडी एवं ओटीएच
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
समूह-क	13648	107	47	224	5	13	6	4	1	2	9	5	2	1	1	18	4	6	3	5	4	2	1	0	1
समूह-ख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
समूह-ग	5686	30	8	69	3	14	2	4	4	4	2	0	0	2	0	5	2	1	1	1	0	0	0	0	0
समूह-घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	1842	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समूह-घ (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	**21176**	**137**	**55**	**319**	**8**	**27**	**8**	**8**	**5**	**6**	**11**	**5**	**2**	**3**	**1**	**23**	**6**	**7**	**4**	**6**	**4**	**2**	**1**	**0**	**1**

नोटः

(i)वीएच का तात्पर्य दृष्टिबाधित (अंधेपन या कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति) से है।

(ii)एचएच का तात्पर्य श्रवण विकलांग (श्रवण विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति) से है।

(iii)ओएच का तात्पर्य ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड (चलने-फिरने में अक्षमता या सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित व्यक्ति) से है।

17.5 शिक्षण एवं विकास

वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 20,729 कर्मचारियों-जिनमें 954 कार्यपालक, 12,334 अधिकारी तथा 7,441 उप-कर्मचारी शामिल हैं-को आंतरिक एवं बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। प्रमुख प्रशिक्षण विषयों में ईएएसई जागरूकता, ईएसजी वित्तपोषण, एएमएल/सीएफटी, साइबर सुरक्षा, डिजिटल बैंकिंग, बैंकिंग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), प्राथमिकता क्षेत्र ऋण तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग शामिल थे। सभी स्टाफ प्रशिक्षण केंद्रों में स्मार्ट कक्षाओं को लागू किया गया।

बैंक ने कार्यपालकों एवं अधिकारियों को प्रमुख बाह्य संस्थानों जैसे एनबीआईएम पुणे, बीआईआरडी लखनऊ, सीएबी (भारतीय रिज़र्व बैंक), आईआईबीएफ, सीएएफआरएएल, आईआईएम इंदौर तथा एसबीआईएल हैदराबाद में प्रायोजित किया। स्केल IV एवं V के पदोन्नत कार्यपालकों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम आईआईएम इंदौर तथा एसबीआईएल हैदराबाद में आयोजित किए गए।

18. लेखा-परीक्षा एवं निरीक्षण:

- वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2,815 शाखाओं तथा 108 ऋण प्रसंस्करण केंद्रों में जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरबीआईए) की गई। लेखा-परीक्षा की आवृत्ति जोखिम स्तर के अनुसार निर्धारित की जाती है: निम्न जोखिम (15-16 महीने), मध्यम जोखिम (12-13 महीने), उच्च जोखिम (9-10 महीने), अति उच्च जोखिम (8-9 महीने) तथा अत्यंत उच्च जोखिम (6-7 महीने)।
- समवर्ती लेखा-परीक्षा के अंतर्गत 809 शाखाएँ, 114 विशिष्ट शाखाएँ तथा 6 प्रधान कार्यालय विभाग शामिल हैं - जो कुल अग्रिमों का 76.87 प्रतिशत, कुल जमा का 52.72 प्रतिशत तथा कुल व्यवसाय का 63.10 प्रतिशत कवर करते हैं।
- वर्ष के दौरान 35 अंचल कार्यालयों, 25 प्रधान कार्यालय के विभागों तथा 7 स्टाफ प्रशिक्षण केंद्रों की प्रबंधन लेखा-परीक्षा पूर्ण की गई।
- 1,558 शाखाओं में राजस्व लेखा-परीक्षा की गई; चिन्हित राजस्व हानि की वसूली कर ली गई है।
- आईएस ऑडिट में एप्लिकेशन, सोर्स कोड, प्रक्रिया, विकेता, डेटाबेस, नेटवर्क, वीए एवं पीटी ऑडिट शामिल हैं, साथ ही नए ऑडिट क्षेत्र जैसे परिवर्तन लॉग ऑडिट, परिवर्तन अनुरोध ऑडिट तथा बैच जॉब ऑडिट (टीअ1 आधार पर संचालित) भी सम्मिलित किए गए हैं।

19. सतर्कता:

यूको बैंक, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के मार्गदर्शन में, अपने समग्र प्रबंधन कार्यों के अनुरूप एक सुदृढ़ सतर्कता प्रशासन ढांचा बनाए रखता है। सतर्कता कार्यों का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) द्वारा किया जाता है, जिसमें पारदर्शिता और जवाबदेही के आधार स्तंभ के रूप में सहभागी, सक्रिय तथा निवारक सतर्कता पर विशेष जोर दिया जाता है।

- वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान डीएफएस, सीवीसी, भारतीय रिज़र्व बैंक, सीबीआई तथा अन्य स्रोतों से कुल 215 शिकायतें प्राप्त हुईं; सतर्कता संबंधी सभी शिकायतों का निपटारा सीवीसी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर कर दिया गया।
- ईमानदारी और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए इन-हाउस त्रैमासिक सतर्कता पत्रिका 'यूको विजिल' का प्रकाशन जारी रखा गया।
- मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) की अध्यक्षता में मासिक अंतर-विभागीय समन्वय बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें धोखाधड़ी रिपोर्टिंग, जांच, शिकायतें तथा एबीबीएफ़एफ़ से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई।
- 'मिशन जागृति' निवारक सतर्कता पहल के अंतर्गत, प्रधान कार्यालय के अधिकारियों द्वारा जागरूकता सत्र एवं संवादात्मक चर्चाओं हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा किया गया।
- 'सतर्कताजिम्मेदारी साझा हमारी' : विषय पर 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

20. अनुपालन:

यूको बैंक का अनुपालन विभाग, जिसका नेतृत्व महाप्रबंधक एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी द्वारा किया जाता है, भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एकल संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता है तथा जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) एवं एसपीएआरसी ढांचे के निर्बाध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अनुपालन कार्य नीति, जिसकी प्रतिवर्ष समीक्षा की जाती है, बैंक के अनुपालन दर्शन एवं संगठनात्मक संरचना को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रमुख अनुपालन पहलें:

- कर्मचारियों की विशिष्ट भूमिका प्रोफाइल के आधार पर त्रैमासिक स्व-प्रमाणन हेतु व्यक्तिगत स्तर की अनुपालन स्व-प्रमाणन प्रणाली शुरू की गई।
- 'डिज़ाइन टूलकिट के द्वारा अनुपालन' प्रारंभ किया गया - यह एक चेकलिस्ट-आधारित, मॉड्यूलर मार्गदर्शन प्रणाली है, जो उत्पाद एवं प्रक्रिया कार्यान्वयन में अनुपालन नियंत्रणों को समाहित करती है।
- सिंगापुर एवं हांगकांग स्थित विदेशी शाखाओं में समर्पित अनुपालन अधिकारी नियुक्त हैं, जो मेजबान देश के विनियमों, केवाएसी, एएमएल तथा सीएफटी मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हैं तथा नियमित अनुपालन स्थिरता रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

21. राजभाषा:

यूको बैंक भारत सरकार की राजभाषा नीति के क्रियान्वयन में सदैव सक्रिय रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग तथा संसदीय राजभाषा समिति की तृतीय उपसमिति के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया।

वर्ष के दौरान प्राप्त उल्लेखनीय सम्मान:

- भारत सरकार द्वारा 'यूको अनुगूंज' के लिए (पत्रिका श्रेणी में) राजभाषा कीर्ति पुरस्कार - द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया।
- यूको बैंक के संयोजकत्व में नराकास (बैंक), कोलकाता को नराकास राजभाषा सम्मान - द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

- क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार - प्रथम पुरस्कार (पूर्वी क्षेत्र) क्षेत्रीय कार्यालय, भागलपुर को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा प्रदान किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु यूको बैंक के प्रधान कार्यालय को वित्तीय सेवा विभाग द्वारा द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया।
- प्रधान कार्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर 172 हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं, जिनमें लगभग 4,577 अधिकारियों एवं लिपिकीय कर्मचारियों को शामिल किया गया।
- 'विकसित भारत @ 2047' पर आधारित पुस्तक का विमोचन 14 सितंबर 2025 को गांधीनगर में वरिष्ठ सरकारी गणमान्यों की उपस्थिति में किया गया।

22. पुरस्कार और मान्यताः

2025-26 के वित्तीय वर्ष के दौरान यूको बैंक को कई पुरस्कार और मान्यता मिली है।

- प्रोजेक्ट परिवर्तन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में बीएफ़एसआई की स्वर्ण श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार विजेता।
- बैंक को वित्तीय अपराध विशेषज्ञ द्वारा बीएफएसआई धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पुरस्कार 2025 से भी सम्मानित किया गया और शिकायत निवारण के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में राष्ट्रीय स्तर पर 5 स्थान प्राप्त हुआ।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 में डिजिटल ट्रेलब्लेज़र श्रेणी के अंतर्गत आईबीईएक्स इंडिया बीएफ़एसआई टेक अवार्ड्स में रजत पुरस्कार प्राप्त किया।
- चौथे आईबीए सीआईएसओ समिट एंड साइटेशन्स 2025 में, बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्रः मध्यम बैंक श्रेणी में चार प्रतिष्ठित साइबर सुरक्षा पुरस्कार जीते - जिनमें साइबर सुरक्षा परिवर्तन ऑफ द ईयर (विजेता), साइबर सुरक्षा टीम ऑफ द ईयर (उपविजेता), साइबर घटना प्रतिक्रिया परिपक्वता (उपविजेता), और साइबर सुरक्षा अनुपालन चैंपियन (विशेष पुरस्कार) शामिल हैं।
- अदावी जमा राशि के निपटान के लिए 'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' अभियान के तहत शीर्ष रैंक हासिल की।
- राजभाषा के क्षेत्र में, यूको बैंक के प्रधान कार्यालय को गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से विशेष सम्मान प्राप्त हुआ; हमारी त्रैमासिक हिंदी पत्रिका 'यूको अनुगूंज' को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार - द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया; हमारे संयोजक के रूप में नराकास(बैंक), कोलकाता को नराकास राजभाषा सम्मान - द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ; और अंचल कार्यालय, भागलपुर को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के हाथों क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार - प्रथम पुरस्कार (पूर्वी क्षेत्र) से सम्मानित किया गया।

23. कॉर्पोरेट शासनः

यूको बैंक पारदर्शिता, व्यावसायिकता और जवाबदेही जैसे अपने मूल मूल्यों द्वारा निर्देशित सशक्त कॉर्पोरेट शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ है। बोर्ड का मानना है कि सुदृढ़ शासन, ग्राहकों, व्यावसायिक साझेदारों, कर्मचारियों और निवेशकों के बीच विश्वास, निष्ठा और सद्भावना के निर्माण की आधारशिला है।

23.1 बोर्ड समितियाँः

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निदेशक मंडल की 11 बैठकें आयोजित की गईं। इस अवधि में विभिन्न बोर्ड समितियों की बैठकों की संख्या निम्नलिखित हैः

समिति	बैठकें आयोजित की गईं
बोर्ड की प्रबंधन समिति	12
बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति	09
बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति	06
बोर्ड की मानव संसाधन समिति	06
बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति	05
एनपीए खातों में वसूली की निगरानी हेतु बोर्ड स्तरीय समिति	04
धोखाधड़ी मामलों की निगरानी हेतु बोर्ड की विशेष समिति	04
बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति	04
व्यवसाय समीक्षा एवं विकास समिति	04
बोर्ड की कार्य-निष्पादन मूल्यांकन समिति	02
बोर्ड स्तरीय कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति	02
स्वतंत्र निदेशकों की बैठक	02
बोर्ड की हितधारक संबंध समिति	01
बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	01
गैर-पदोन्नति के विरुद्ध अपीलों के निपटारे हेतु समिति	01
समीक्षा समिति (इच्छाकृत चूककर्ता)	01

23.2 निदेशक मंडल में परिवर्तनः

सुश्री रचना खरे, शेयरधारक निदेशक, ने पुणे में बीमा लोकपाल के रूप में अपनी नियुक्ति के परिणामस्वरूप 25 दिसंबर 2025 से बोर्ड से अपना इस्तीफा दे दिया। श्री राजेश कुमार ऐलावाड़ी को 8 मार्च 2026 से शेयरधारक निदेशक के रूप में मनोनीत किया गया। विपणन, प्रशासन, बीमांकिक, कार्मिक, औद्योगिक संबंध और कानूनी कार्यों में उनका व्यापक अनुभव बैंक के संचालन ढांचे को और मजबूत करेगा।

23.3 निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरणः

निदेशक मंडल इसकी पुष्टि करता है किः

- वित्तीय वर्ष 2025-26 के वार्षिक खातों की तैयारी में, सभी लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है, और यदि कोई महत्वपूर्ण विचलन है तो उसका उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।
- लेखांकन नीतियां आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई हैं और उनका लगातार पालन किया जाता है।
- बैंक की 31 मार्च 2026 की स्थिति का सही और निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करने के लिए उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाए गए हैं।
- लागू कानूनों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई है।
- खाते निरंतर संचालन के आधार पर तैयार किए गए हैं; पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं।

23.4 आभार

निदेशक मंडल श्री राजेश कुमार ऐलावाड़ी का शेयरधारक निदेशक के रूप में हार्दिक स्वागत करता है और निदेशक मंडल में अपने कार्यकाल के दौरान सुश्री रचना खरे के बहुमूल्य योगदान के लिए अपनी हार्दिक प्रशंसा व्यक्त करता है।

बोर्ड वर्ष भर अटूट सहयोग देने के लिए बैंक के ग्राहकों, कर्मचारियों, विकेताओं, शेयरधारकों, व्यावसायिक सहयोगियों और संवाददाता बैंकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है। बोर्ड भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और सभी नियामक प्राधिकरणों के निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग के लिए भी अत्यंत आभारी है।

बोर्ड कर्मचारियों के संघों और संगठनों के रचनात्मक सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है और संगठन के सभी स्तरों पर प्रत्येक कर्मचारी द्वारा प्रदर्शित समर्पण, प्रतिबद्धता और एकजुटता के लिए अपनी गहरी प्रशंसा व्यक्त करता है। यूको बैंक के कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास बैंक की निरंतर प्रगति और सफलता की आधारशिला बने हुए हैं।

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS: 2025-26

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS: 2025-26

The Board of Directors has the pleasure in presenting the Director's Report 2025-26 together with the Audited Statement of Accounts of UCO Bank for the financial year ended March 31, 2026.

EXECUTIVE SUMMARY:

UCO Bank delivered a strong financial performance in FY 2025-26, driven by disciplined credit growth, robust asset quality improvement, and a deepening digital transformation agenda. The Bank's key achievements for the year are summarised below.

- Global business crossed Rs. 5.90 lakh crore, registering a year-on-year growth of 14.95%.
- Net Profit grew by 13.21% to Rs. 2,767.86 crore; Operating Profit grew 6.49% to Rs. 6,428.94 crore.
- Gross NPA declined to a multi-year low of 2.17%; Net NPA stood at 0.27%, reflecting significantly improved asset quality.
- Priority Sector Advances constituted 52.52% of ANBC, well above the mandatory target of 40%.
- Agriculture credit grew at 26.24% YoY, reaching Rs. 37,336 crore.
- MSME business grew 19.36% YoY; total MSME loan sanctions crossed Rs. 15,000 crore in FY 2025-26.
- Retail portfolio grew 26.62% YoY, with Vehicle Loans up 71.12% and Gold Loans up 72.61%.
- 31 digital lending journeys operationalised; digital balance sheet totalled Rs. 25,350 crore.
- UCO Bank bagged four prestigious Cyber Security Awards at the IBA CISO Summit 2025.
- Total staff strength stood at 20,984, with women comprising 29.54% of the workforce.

1. ECONOMIC SCENARIO:

In a volatile global environment marked by escalating trade tensions and persistent geopolitical uncertainties, the Indian economy demonstrated remarkable resilience and sustained growth. India's growth trajectory has been supported by robust domestic consumption, increased government expenditure on capital formation, and moderating inflation. Proactive policy measures have helped stabilise market liquidity, though foreign portfolio outflows, currency depreciation, and rising energy costs remain key risk factors.

1.1 Gross Domestic Product:

The Reserve Bank of India's (RBI) first Monetary Policy Committee (MPC) meeting for FY 2026-27 projected India's real GDP growth at 6.9 per cent for the year. This projection implicitly accounts for a degree of geopolitical risk, though it does not isolate the West Asia conflict as a discrete variable. This compares favourably with the International Monetary Fund's global growth projection of 3.2 per cent for 2026.

The Second Advance Estimate of the National Statistical Office (NSO) for FY 2025-26 pegs India's real GDP growth at 7.6 per cent (under the new 2022-23 base series). The escalation of geopolitical tensions in West Asia introduces a downside risk to India's near-term growth trajectory, the full impact of which remains incompletely captured in current official estimates.

The West Asia conflict is transmitting across the Indian economy through four primary stress pathways: energy cost inflation, supply chain disruption, fiscal strain, and external sector pressure. The most acute near-term risks are concentrated in aviation, tourism, FMCG, and agriculture. The medium-term threat to remittance flows, manufacturing competitiveness, and the current account deficit poses potentially more structural challenges.

1.2 Consumer Price Index:

The RBI has projected retail inflation (CPI) for FY 2026-27 at 4.6 per cent, reflecting upside risks from elevated global energy prices linked to the West Asia conflict. India's CPI inflation stood at 3.40 per cent in March 2026.

The moderation in headline CPI through most of FY 2025-26 was aided by softer fuel prices and a correction in food prices. However, food prices showed renewed pressure in early FY 2026-27 due to geopolitical spillovers. Year-on-year inflation based on the All India Consumer Food Price Index (CFPI) for March 2026 over March 2025 stood at 3.87 per cent (provisional).

1.3 Index of Industrial Production:

The Index of Industrial Production (IIP) recorded 4.1 per cent year-on-year growth in March 2026 (Quick Estimate), declining from 5.2 per cent (Final Estimate) in February 2026. Growth in the Mining, Manufacturing, and Electricity sectors for March 2026 stood at 5.5 per cent, 4.3 per cent, and 0.8 per cent respectively. The Quick Estimate of IIP stands at 173.2 against 166.3 in March 2025.

2. BANKING SECTOR OVERVIEW:

The Indian banking industry has maintained an upward trajectory, aided by strong economic growth, rising disposable incomes, increasing consumerism, and improved credit access.

As of March 2026, the twelve Public Sector Banks (PSBs) are positioned strongly with an average year on year growth of 9.83 percent in Domestic Deposit and 16.61 percent in Domestic Advance. RAM (Retail, Agriculture and MSME) Advance constitutes 63.42 percent of the total Domestic Advance with an annual growth rate of 20.10 percent. Retail advance provided the thrust with a growth rate of 23.78 percent in this period.

Additionally, GNPA of the twelve PSBs have cumulatively declined by Rs. 38,018 crores or 13.20 percent in March 2026 over March 2025. The present position of GNPA of the twelve Bank stands at 2.09 percent of their Total Advance, which is a significant decline from 2.84 percent a year ago. With an average Provision Coverage Ratio of 95.41 percent, the PSBs are well provided for in their stressed book.

The PSBs have cumulatively earned a net profit of about Rs. 1,97,604 crore during FY26, which is a healthy rise of 10.79 percent over the previous year. Banks' balance sheets have continued to strengthen, with multi-year low NPA ratios, higher provisioning, stronger capital positions, and robust earnings developments that are collectively facilitating a broad-based and sustained credit expansion. This signals good health of the PSBs and reflects strongly on their soundness and resilience.

3. UCO BANK: DELIVERY CHANNEL AND NETWORK:

3.1 Branch and Office Network

UCO Bank operates a geographically well-spread branch network across India, complemented by an international presence. As on 31st March 2026, the Bank had 49 Zonal Offices, 3,412 domestic branches, 2 overseas branches (Singapore and Hong Kong), and one representative office in Iran, bringing its global branch network to 3,414.

The growth of the Bank's global branch network over the past five years is presented below:

March 2022	March 2023	March 2024	March 2025	March 2026
3,074	3,207	3,232	3,304	3,414

The population category-wise break-up of domestic branches as of 31.03.2025 & 31.03.2026 is given below:

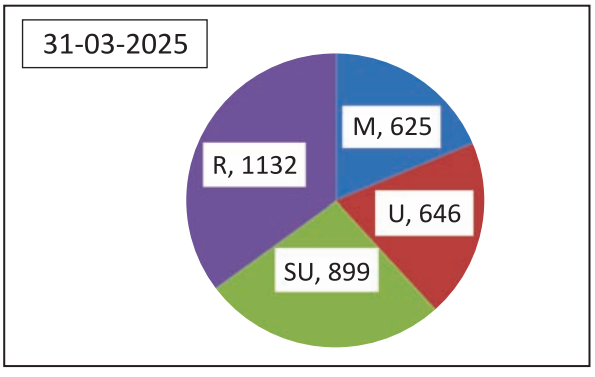

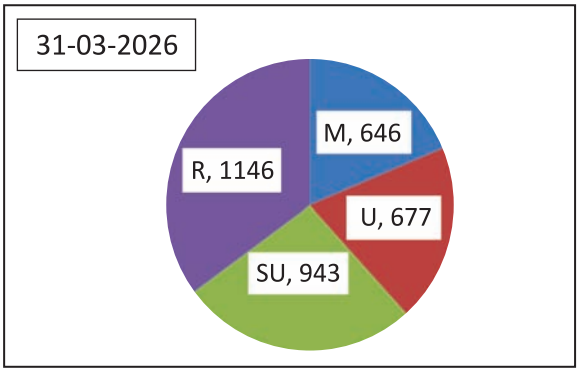

The domestic branch network comprises 6 Flagship Corporate Branches, 8 Asset Management Branches, 4 Service Branches, 1 Central Pension Processing Centre, 1 Integrated Treasury Branch, and 42 Mid-Corporate Unit (MCU) branches. In addition, the Bank operates 50 Retail Loan Hubs, 49 SME & Agri Loan Hubs, 9 Integrated Loan Hubs, and 70 Currency Chests attached to major city branches across various centres.

4. BUSINESS PERFORMANCE:

4.1 Global Business:

- Global business of the Bank stood at Rs. 5,90,314 crore as on 31st March 2026, registering a year-on-year growth of 14.95 per cent over Rs. 5,13,527 crore as on 31st March 2025.
- Global deposits grew by 11.59 per cent to Rs. 3,27,563 crore as on 31st March 2026, from Rs. 2,93,542 crore as on 31st March 2025.
- Global advances increased by 19.44 per cent to Rs. 2,62,752 crore as on 31st March 2026, from Rs. 2,19,985 crore as on 31st March 2025.

4.2 Domestic Business:

- Overall domestic business grew by 14.28 per cent to Rs. 5,39,052 crore as on 31st March 2026, from Rs. 4,71,683 crore as on 31st March 2025.
- Domestic deposits grew by 10.30 per cent to Rs. 3,04,668 crore as on 31st March 2026.
- Domestic advances registered a growth of 19.91 per cent to Rs. 2,34,384 crore as on 31st March 2026.
- CASA deposits grew by 12.46 per cent year-on-year to Rs. 1,17,752 crore. Savings Bank deposits grew 11.78 per cent to Rs. 1,01,025 crore, while Current deposits grew 16.77 per cent to Rs. 16,727 crore.
- The share of CASA in total domestic deposits improved from 37.91 per cent as on 31st March 2025 to 38.65 per cent as on 31st March 2026.

5. FINANCIAL PERFORMANCE:

The Bank delivered a steady financial performance during FY 2025-26. Operating Profit increased by 6.49 per cent to Rs. 6,428.94 crore from Rs. 6,037.29 crore in the previous year. Net Profit grew by 13.21 per cent to Rs. 2,767.86 crore, compared to Rs. 2,444.96 crore in FY 2024-25. In compliance with the Banking Regulation Act, 1949, the Bank transferred Rs. 691.96 crore, representing 25 per cent of current year profit to the Statutory Reserve Fund.

Gross NPA declined to Rs. 5,690.20 crore (2.17 per cent) as on 31st March 2026, from Rs. 5,918.54 crore (2.69 per cent) as on 31st March 2025. Total income stood at Rs. 29,740.98 crore for the year, registering a growth of 0.91 per cent over the previous year. The Provision Coverage Ratio improved to 97.79 per cent from 96.69 per cent, reflecting the Bank's continued commitment to prudent provisioning.

5.1 Financial Highlights:

(Rs. in crore)

Particulars	FY 2024-25	FY 2025-26
Total Deposits	2,93,542.18	3,27,562.53
Domestic Deposits	2,76,209.02	3,04,667.83
Overseas Deposits	17,333.16	22,894.70
CASA Deposits (Domestic)	1,04,704.40	1,17,752.09
Total Advances	2,19,984.81	2,62,751.19
Domestic Advances	1,95,474.11	2,34,383.58
Overseas Advances	24,510.70	28,367.61
Total Assets	3,62,481.08	3,95,858.44
Net Interest Income (NII)	9,630.08	10,196.37
Other Income	4,406.63	3,459.63
Of which - Trading gains	338.81	442.61
NII + Other Income	14,036.71	13,656.00
Operating Profit	6,037.29	6,428.94
Provisions other than tax	2203.74	2055.45
Provision for NPAs and Bad debts written off	1632.82	1362.62
Profit Before Tax	3,833.58	4,373.49
Provision for Tax#	1388.59	1605.63
Net Profit	2,444.96	2,767.86
# of which DTA	1335.33	1555.97

5.2 Key Performance Indicators:

Indicator	FY 2024-25	FY 2025-26
Cost of Funds (%)	4.78	4.58
Yield on Advances (%)	8.55	8.09
Net Interest Margin (%)	3.08	3.03
Cost-to-Income Ratio (%)	56.99	52.92

5.3 Capital Adequacy:

Parameter (%)	31.03.2025	31.03.2026
Capital Adequacy Ratio - Basel III	18.49	18.61
CET-I	16.03	16.36
Tier I	16.37	16.59
Tier II	2.12	2.02

5.4 Treasury Operations:

Gross investments grew by 4.67 per cent to Rs. 99295 crore in FY 2025-26. Overseas Investment increased by 13.82 per cent to Rs. 3458 crore and Domestic Investment increased by 4.36 per cent to Rs. 95837 crore. Share of SLR in Domestic investment grew from 72.38% in March 2025 to 74.94% in March 2026.

5.5 Overseas Business:

As on 31st March 2026, the Bank's total business from its overseas branches at Singapore and Hong Kong stood at Rs. 51,262 crore, constituting 8.68 per cent of global business. This comprised total deposits of Rs. 22,895 crore and total advances of Rs. 28,367 crore.

The Bank's 66 Category B branches across India cater to the forex requirements of exporters, importers, and remittance customers. Total merchant forex turnover for FY 2025-26 stood at Rs. 1,00,378 crore.

6. SOCIAL AND PRIORITY SECTOR BANKING:

6.1 Agriculture Credit

Agriculture credit grew at 26.24 per cent year-on-year from Rs. 29,575 crore as on 31st March 2025 to Rs. 37,336 crore as on 31st March 2026. The segment-wise details are presented below:

Segment (Rs. crore)	31.03.2025	31.03.2026	YoY Growth (%)
Crop Loans	11,185	15,009	34.18
Investment Credit	8,360	9,125	9.15
Agriculture Allied	6,276	8,608	37.16
Infrastructure & Ancillary	3,754	4,594	22.38
Total Agriculture	29,575	37,336	26.24

6.2 Priority Sector Performance

UCO Bank has demonstrated significant improvement in priority sector lending and effectively serves this segment through its extensive rural and semi-urban branch network. Key achievements for FY 2025-26 against mandatory targets are as follows:

Category	Amount (Rs. cr)	% of ANBC	Target (%)
Priority Sector Advances (incl. investments & PSLC)	1,05,326	52.52	40.00
Total Agriculture Advances	36,870	18.39	18.00
Small & Marginal Farmers (incl. PSLC)	21,031	10.49	10.00
Non-Corporate Farmers	32,203	16.06	14.00
Micro Enterprises	30,557	15.24	7.50
Weaker Sections	30,662	15.29	12.00

UCO Bank serves as the Convener of the State Level Bankers' Committee (SLBC) in two states of Odisha and Himachal Pradesh and shoulders Lead Bank responsibility across 35 districts, including one newly formed district in Assam.

6.3 Self Help Group Credit

Self Help Groups (SHGs) represent one of the most effective mechanisms for women's empowerment and rural microenterprise promotion in India. Outstanding credit to SHGs stood at Rs. 5,313 crore, covering 1.88 lakh SHGs as on March 2026, registering an annual growth of 27.78 per cent.

The Bank introduced the 'Bank Sakhi' channel for sourcing SHG business and onboarding SHG-NRLM accounts, as well as the 'Nari Samriddhi' scheme for financing individual SHG members and the 'SHG Samriddhi' scheme for urban SHGs.

6.4 Corporate Social Responsibility

The Bank continued to pursue its CSR mandate through multifaceted initiatives in skill development, financial literacy, and community engagement. Some major programmes include:

- 28 Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) across 7 states in Assam, Bihar, Himachal Pradesh, Odisha, Punjab, Rajasthan, and West Bengal conducted 865 training programmes involving 25,456 candidates. Of these, 13,537 beneficiaries received credit linkage aggregating Rs. 59.09 crore during FY 2025-26.
- 127 Customer Financial Literacy (CFL) centres conducted 58,858 camps with 18,44,043 participants; 4,14,487 beneficiaries received bank linkage.
- 35 Financial Literacy Centres conducted 5,286 camps, reaching 1,79,538 participants during FY 2025-26.
- Three UCO RSETIs in Dhubri, Dhenkanal, and Bilaspur obtained ISO 9001:2015 certification during the year.
- A record RSETI claim amount of Rs. 21.93 crore was received in FY 2025-26, representing over 57 per cent growth over the previous year.

7. FINANCIAL INCLUSION:

7.1 Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana

UCO Bank has been allotted 16,281 villages across the country for providing inclusive banking facilities in unbanked and underbanked areas. These have been categorised into 4,122 Sub-Service Areas (SSAs), of which 3,656 are served through Business Correspondent (BC) agents and 466 through branch-based coverage for tier-5 settlements (population above 5,000).

The Bank has 11,136 BCs deployed as on 31st March 2026, with 936 new BCs added during FY 2025-26. During the year, total transactions through Micro ATMs operated by BC agents stood at 304.68 lakh, aggregating Rs. 13,148.42 crore.

UCO Bank holds deposits of Rs. 8,081.15 crore in 156.45 lakh PMJDY accounts as on March 2026, registering a growth of 5.43 per cent in PMJDY deposits. The average per-account balance was Rs. 5,165. The Bank opened 6.48 lakh new PMJDY accounts during the year and has issued approximately 64.49 lakh RuPay Cards to eligible account holders.

7.2 Social Security Schemes

The Bank has implemented the Government's flagship insurance and pension schemes including PMJJBY, PMSBY, and APY through its branch and BC network. Under PMJJBY, 37.46 lakh subscribers are enrolled for life cover of Rs. 2 lakh each, while 84.90 lakh customers have enrolled for accidental insurance under PMSBY. Claims settled during FY 2025-26:

Scheme	Claims Settled (FY 2025-26)	Cumulative Claims
PMJJBY	1,629	17,436
PMSBY	354	3,143

Under APY, 3.42 lakh eligible customers were enrolled during FY 2025-26, enabling the Bank to secure 3rd position among PSBs with 105 per cent target achievement. Total APY beneficiaries stand at 16.83 lakh.

Enrolment of PMJJBY and PMSBY is also available in UCO E-Banking and UCO M- Banking app. Enrolment of PMJJBY & PMSBY can be done through SMS facility also in which, customers can self-enrol by sending SMS from their registered mobile numbers. Incentive for digital enrolment is being passed on to the customers by the way of reduced premium.

As on 31st March 2026, approximately 91 per cent of operative savings accounts have been seeded with Aadhaar numbers, in line with UIDAI guidelines.

8. MSME BANKING:

8.1 Key Initiatives in FY 2025-26

- 58 Loan Processing Hubs (49 SME & Agri Hubs and 9 Integrated Loan Hubs) are now operational across the country to enhance credit underwriting quality and reduce turnaround time.
- Cumulative outstanding Mudra loans stood at Rs. 7,043 crore as on 31st March 2026, achieving 101 per cent of the allocated target of Rs. 7,000 crore.
- 12 new MSME-focused schemes were launched, including Product specific Schemes like UCO Sanjeevani Plus, UCO MSME Smart Professional, UCO Solar Project Finance; Cluster Schemes like UCO Hospitality Plus, UCO Iron and Steel Cluster Finance, UCO Automotive Component Manufacturer and UCO Ceramic Cluster; Straight Through Processes and a purpose-built digital lending platform for PM SVANidhi beneficiaries. A dedicated Centralised Credit Guarantee Cell was established at the Head Office to accelerate guarantee-covered lending.
- A dedicated Centralised Credit Guarantee Cell was established at Head Office to accelerate guarantee-covered lending.
- A Supply Chain Finance (SCF) Vertical was established to capture market share in supply chain financing.
- TReDS business grew 47.47 per cent year-on-year to Rs. 2,336 crore as on 31st March 2026.
- 69 start-up loans aggregating Rs. 135.05 crore (Fund-Based and Non-Fund-Based) were sanctioned through dedicated Start-up Desks at 8 SME & Agri Hubs.

8.2 MSME Business Growth:

MSME business grew by Rs. 7,508 crore in FY 2025-26, registering a year-on-year growth of 19.36 per cent. Total MSME loan sanctions exceeded Rs. 15,000 crore during the year. Average daily MSME loan sanctions improved to Rs. 41.56 crore from Rs. 33.49 crore in FY 2024-25. Average ticket size improved to Rs. 16.96 lakh from Rs. 13.61 lakh in the previous year. Additionally, 12,129 digital MSME loans (excluding renewals) aggregating Rs. 625 crore were sanctioned through end-to-end digital processes.

The Bank launched a fortnightly 'UCO Carnival' from 21st April 2025 to 24th March 2026 across the country to accelerate MSME loan origination. Total MSME loans sanctioned through this campaign stood at Rs. 11,703 crore during the year.

9. RETAIL BANKING:

9.1 Portfolio Performance:

The retail portfolio recorded an overall growth of 26.62 per cent year-on-year in FY 2025-26. Key segment-wise growth rates are:

- Home Loans: 19.11 per cent
- Vehicle Loans: 71.12 per cent
- Personal Loans: 11.07 per cent
- Education Loans: 8.00 per cent
- Gold Loans: 72.61 per cent

9.2 New Products and Scheme Modifications:

- UCO Aashray: Offers home loans up to Rs. 35 lakh (metros) and Rs. 25 lakh (other centres) with tenures up to 25 years, catering to the EWS, LIG, and MIG segments.
- UCO Aanchal: Personal loans for women covering perinatal healthcare, IVF treatment, childbirth, adoption-related expenses, and post-natal care.
- UCO Aashiyana: A differentiated home loan product for individuals in areas governed by special land reform legislation.
- UCO Home Plus: A home loan product targeting young salaried and high-income customers with higher loan eligibility and flexible repayment structures.
- PM Vidyalaxmi Education Loan Scheme: Modifications implemented to improve accessibility for students across diverse socio-economic backgrounds.
- UCO Suryodaya: Vendor expansion and automated lead generation for solar loan adoption.
- Reimbursement facility introduced under both Home Loan and Car Loan schemes for properties/vehicles purchased from own funds within defined timelines.

9.3 Marketing and Sales Channel:

- The Sales Force Team comprising Retail Loan Sales Teams (RLST, HLST) and MSME Loan Sales Team (MLST) sanctioned Rs. 3,295 crore through internally generated leads in FY 2025-26.
- Direct Selling Agents (DSAs) contributed Rs. 8,612 crore in sanctions, registering 88 per cent year-on-year growth. The Bank also expanded its digital lead generation capabilities through its partnership with Maruti Suzuki Smart Finance, sanctioning more than 2,500 car loans via this channel during the year.

10. RESOURCES:

During FY 2025-26, the Bank recorded healthy growth across all major deposit segments, reflecting sustained customer confidence and effective resource mobilisation efforts. Current Deposits registered a robust year-on-year growth of 16.77%, while Savings Deposits increased by 11.78% over the previous year. CASA Deposits as a whole grew by 12.46% on a year-on-year basis, demonstrating continued strengthening of the low-cost deposit base. Overseas Deposits also witnessed significant growth of 32.09%, contributing to an overall increase of 11.59% in Total Deposits during the year.

During FY 2025-26, the Bank undertook several targeted initiatives aimed at increasing the overall deposit base, improving customer engagement, and strengthening institutional partnerships.

10.1 New Product Initiatives Implemented During FY 2025-26

The Bank introduced a range of specialised products catering to diverse customer segments and contributed towards broadening the Bank's customer base while addressing the evolving financial requirements of emerging market segments. The new products include 'UCO Rising Star' Savings Scheme for Children, 'UCO Gig' Savings Scheme, 'UCO Aarambh' Current Account Scheme for Start-ups and 'UCO ICCL eFDR' Scheme for ICCL Members.

10.2 Strategic Agreements and Tie-ups Undertaken During FY 2025-26

During the year, the Bank entered into multiple strategic partnerships and technology integrations with government bodies, public sector entities, financial institutions, and corporate organisations to strengthen transaction banking, collection services, digital integration, and institutional business opportunities. These collaborations strengthened the Bank's digital ecosystem, enhanced institutional business opportunities, and expanded its service delivery capabilities across multiple sectors.

10.3 Process Initiatives Undertaken During FY 2025-26

To improve operational efficiency, customer convenience, and account management processes, the Bank implemented the following process initiatives during the year:

- Centralisation of CASA back-office operations for streamlined authorisation and processing of Current and Savings Accounts.
- Introduction of an online Savings Bank account opening facility to enhance customer accessibility and digital onboarding.
- Formation of a dedicated Customer Retention Squad to strengthen customer engagement and improve retention of the existing customer base.

11. RECOVERY AND NPA MANAGEMENT:

11.1 Recovery Framework:

UCO Bank's recovery mechanism has been comprehensively strengthened through a structured, technology-enabled, and multi-channel approach designed to maximise recovery from stressed assets. The strategy encompasses legal enforcement, compromise settlements, borrower engagement, ongoing monitoring, and institutional accountability.

11.2 Legal and Enforcement-Driven Recovery

- Timely initiation of SARFAESI actions, including enforcement and auction of secured assets through the BAANKNET (eBikray) platform, with special focus on DM permissions for physical possession.
- Filing of DRT applications, Civil Suits, and Section 138 NI Act cases to accelerate legal recovery timelines.
- Deployment of Detective Agencies to trace absconding borrowers and guarantors, and initiation of attachment proceedings through DRT where eligible.
- Referral of eligible accounts to NCLT and invocation of personal guarantees under the IBC framework.
- Declaration of Wilful Defaulters in accordance with regulatory guidelines as a deterrent measure.

11.3 Resolution and Compromise Measures

- Restructuring and handholding support extended to viable accounts for revival and improved recovery prospects.
- Resolution through One Time Settlement (OTS) under the Bank's Special OTS Scheme ('Lakshya-Rin Mukti 2025-26') and Normal OTS Scheme, for NPA/PWO accounts with ledger balance up to Rs. 1.00 crore.
- Introduction of 'UCO Adalat', a structured negotiation platform enabling one-to-one engagement with borrowers through senior Head Office and Zonal Office executives.
- Active participation in National Lok Adalats for settlement of small-ticket NPA accounts.

11.4 Recovery Performance:

(Amount in Rs. crore)

Particulars	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2026
Cash Recovery + Upgradation	1,397.62	1,226.58	1,147.74
Recovery in Technically Written-Off Accounts	1,475.38	2,630.61	1,415.61
Total Recovery + Upgradation	3126.56	4428.72	2944.30
Gross NPA (Rs. crore)	6,463.31	5,918.54	5,690.20
Gross NPA (%)	3.46%	2.69%	2.17%
Net NPA (Rs. crore)	1,621.65	1,068.31	701.91
Net NPA (%)	0.89%	0.50%	0.27%

Total cash recovery and upgradation during FY 2025-26 stood at Rs. 2,944.30 crore. Recovery from technically written-off accounts stood at Rs. 1,415.61 crore.

12. RISK MANAGEMENT:

UCO Bank operates within a comprehensive Risk Management framework that addresses Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, and Operational Risk - the principal categories of risk inherent in banking operations. All products, processes, and policies are routed through Executive-Level Risk Committees (CRMC, ORMC, ALCO, and MRMC) and the Risk Management Committee of the Board (RMCB) prior to Board approval. The Bank has also engaged a dedicated Risk Advisor with extensive regulatory and risk management experience.

12.1 Credit Risk Management:

Credit risk is managed through a Board-approved framework encompassing policies, procedures, and reporting structures aligned with best practices. The Bank has established prudential exposure caps across industries, sectors, borrowers, countries, state governments, and group borrowers to build portfolio resilience and mitigate concentration risk. Quarterly reviews of key exposures, segments, and industries are conducted by a dedicated Credit Risk Management Cell.

The Bank has made computation of Risk-Adjusted Return on Capital (RAROC) mandatory for all credit proposals of Rs. 1.00 crore and above (excluding retail schematic loans), ensuring prudent capital deployment. An independent credit risk evaluation process classifies borrowers as low, medium, or high risk through the Credit Risk Evaluation Process (CREP).

12.2 Operational Risk Management:

The Bank's Operational Risk Management Framework (ORMF) encompasses organisational structure, governance, policies, procedures, and monitoring systems for the effective management of operational risk. A repository of Internal Loss Data has been established, with Root Cause Analysis conducted for significant loss events. Risk Control and Self-Assessment (RCSA) and Key Risk Indicator (KRI) matrices are automated and integrated into real-time monitoring systems. Risk Officers are designated across all Zonal Offices for coordination with the Risk Management Department at Head Office.

12.3 Market Risk Management:

Market risk - arising from adverse movements in interest rates, exchange rates, and other market variables - is monitored daily through Modified Duration, PV01, and Value at Risk (VaR) for the trading book. Foreign Exchange Risk is managed through Net Overnight Open Position (NOOP) limits, VaR limits, and Aggregate Gap Limits (AGL). Back-testing and stress testing are conducted on a regular basis. The Enterprise-level VaR and Stressed VaR are calculated and back-tested daily under a Board-approved Stress Testing Policy. Market Risk Capital Charge is computed using the Standardised Measurement Method (SMM).

12.4 Liquidity Risk Management:

The Bank monitors liquidity risk through both flow-based and stock-based approaches under a Board-approved ALM Policy. The Basel III Liquidity Coverage Ratio (LCR) framework has been implemented, with adequate levels of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLA) maintained at all times. The Net Stable Funding Ratio (NSFR) is maintained above the regulatory minimum, ensuring a stable long-term funding profile. Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) is measured and monitored through Traditional GAP Analysis, Earnings at Risk (EaR), and Modified Duration of Equity frameworks.

12.5 Credit Rating Systems:

The Bank undertakes internal credit rating for all borrowers with exposure greater than Rs. 25.00 lakh (MSME) and Rs. 50.00 lakh (Agriculture). The credit rating model, upgraded with effect from October 2023, offers enhanced default predictability and closer alignment with external rating agencies. Retail, MSME (up to Rs. 25 lakh), and Agriculture (up to Rs. 50 lakh) borrowers are assessed through 19 calibrated scorecard models, periodically validated by external agencies.

12.6 Fraud Risk Management:

The Fraud Risk Management Cell, operating under the Risk Management Department, ensures timely reporting of fraud incidents to the RBI and law enforcement agencies. The Committee of Executives - Fraud Risk Reporting and Management (CoE-FRRM) oversees fraud declarations. Two Fraud Management Groups (FMGs) analyse Early Warning Signals for potential Red Flag Account identification. The Enterprise Fraud Risk Management System (EFRMS), incorporating a Risk-Based Transaction Monitoring System (RTMS), operates on a 24x7 basis for real-time fraud detection.

12.7 Credit Monitoring:

The Bank has significantly strengthened its credit monitoring infrastructure during the year:

- Early Warning Signal (EWS) system: Enhanced governance with maker-checker mechanisms, role-based authorisation, and centralised alert closure at Head Office. The efficacy of EWS alerts is reviewed quarterly by the Risk Management Committee of the Board. System-driven auto-closure was implemented for select alerts during FY 2025-26.

- eDCAAM Module: A single-window digital platform for end-to-end asset account document management, enabling digital scrutiny of security documents, seamless disbursement approvals, and centralised archival.

- NPA Tracker mobile application deployed for real-time branch-level monitoring of stressed and NPA accounts.
- Accounts with exposure of Rs. 5 crore and above are reported weekly to RBI through the CRILC platform and monitored daily.
- High Power Committees (HPCs) continue to provide structured senior management oversight of stressed assets, with monthly reviews at GM and Executive Director levels.

12.8 Sustainable Finance and ESG:

In alignment with the RBI's directions on climate risk and sustainable finance, the Bank has mobilised green deposits and expanded its green lending portfolio. The Bank has adopted PCAF standards for assessing financed emissions (Scope 3, Category 15) and has developed a comprehensive Net Zero Transition Plan, committing to net-zero carbon emissions across its operational and financed portfolio by 2056.

Energy-efficiency initiatives include the installation of rooftop solar panels, motion-sensor LED lighting in branch premises, and active water harvesting at Bank-owned buildings.

13. DIGITAL BANKING AND TECHNOLOGY:

13.1 Customer Experience Enhancements

- Beneficiary Lookup Facility implemented in Mobile Banking and Internet Banking for NEFT, RTGS, and IMPS transactions.
- Branch Visit Slot Booking feature launched in Mobile Banking.
- Badge icons (Silver, Gold, Platinum) introduced for improved customer engagement.
- UPI face authentication and OS-native biometric authentication introduced for UPI transactions.
- Re-KYC through ATM introduced for ease of customer verification.
- Digital FD receipt format revamped; Green FD Certificate sent to registered email ID as part of the Bank's paperless initiative.
- Pay-to-Contacts: Customers can transfer funds to UCO Bank users using only their mobile number.
- Multi-Account Access enabled for corporate customers across Current and Cash Credit accounts in a single platform.

13.2 Straight Through Processing Journeys

- The Bank operationalised 31 end-to-end digital lending journeys in FY 2025-26, including:
- STP Pre-Qualified Vehicle Loan (PQVL), UCO Select Plus, STP Car Loan, STP Gold Loan, STP KCC Fresh (in collaboration with RBIH), STP SHG Loan, STP Dairy Loan, STP Home Loan, UCO Aashray, Digital UCO Cash Loan, and Pre-Qualified Business Loan.
- Total digital balance sheet reached Rs. 25,350 crore as on 31st March 2026 (Rs. 11,132 crore in advances; Rs. 14,218 crore in liabilities).

13.3 Debit Card and WhatsApp Banking

- Launched the 'Aparajita Debit Card' for women customers, a 'Metal Debit Card' for premium customers, and a 'Braille Debit Card' for visually impaired customers.
- WhatsApp Banking expanded with 9 additional regional languages and new features including CC Renewal, Account Debit Freeze, and ADC Block.

13.4 CBDC and Infrastructure

- CBDC application launched for Android users; Subhadra scheme disbursements routed through CBDC.
- UPI Interoperability feature enables seamless transactions between CBDC wallets and the UPI ecosystem.

- CBDC Offline feature introduced to enable transactions without internet connectivity, particularly relevant for rural areas.
- Application Performance Monitoring (APM) tool implemented for real-time application health and performance insights.
- Migration of the Bank's website to the .bank.in domain to enhance security and authenticity.

13.5 Exceptional Achievements in FY 2025-26

- 1,718 gold loans sanctioned on a single day aggregating Rs. 59.33 crore.
- 163 digital vehicle loans sanctioned on a single day aggregating Rs. 14.99 crore.
- 906 digital CC renewals processed on a single day aggregating Rs. 24.46 crore.
- 12,283 mobile banking activations in a single day.
- 27,014 fresh debit cards issued to customers in a single day.

14. CYBER SECURITY:

UCO Bank has established a state-of-the-art Cyber Security Operations Centre (CSOC) operational on a 24x7 basis. The Bank's CBS, RTGS, and UPI systems have been identified by NCIIPC as part of India's critical financial infrastructure. The Bank is directly integrated with the Threat Dissemination Platform (TDP) of CERT-In and NCIIPC, and has forged a partnership with the Cyber Security Centre of Excellence, Government of West Bengal.

14.1 Key Initiatives:

- Implementation of Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR) with SIEM for improved threat response.
- Database Activity Monitoring (DAM) enhanced with Database Risk Analytics (DRA) and Database Security Fabric (DSF).
- Migration to ISO 27001:2022 standard for the Bank's Data Centres and support functions.
- SSL Offloader deployed to enhance traffic management across security devices.
- Dedicated Cyber Awareness Corner on the Bank's website; monthly Cyber Jagrookta Diwas observed across the branch network.
- Cyber awareness booklets, e-learning modules, monthly quizzes, and cyber drills conducted for staff and customers.

15. ANALYTICS AND DATA MANAGEMENT:

- 171 critical data elements identified for regulatory reporting; control validations implemented in Finacle, LOS, and other source systems.
- Centralised Enterprise Data Warehouse (EDW) established on a SAS-based architecture as a Single Source of Truth, consolidating legacy MIS systems.
- Business LIVE Dashboard deployed with a concurrency capacity of 10,000+ simultaneous users, providing real-time business intelligence across Branches, Zonal Offices, and Head Office.
- In-house AI and Generative AI applications built and deployed across multiple business domains - including RAG-based Knowledge Assistants, HR use cases, and business intelligence tools - on indigenous open-source Large Language Models within the Bank's air-gapped on-premises environment.
- Digital Personal Data Protection (DPDP) Act implementation: data redaction implemented on 30 identified PII data elements; consultant appointment in progress for comprehensive gap analysis.
- CIBIL DQI improved to 98 per cent (Consumer) and 94 per cent (Commercial); submission frequency transitioning to daily as per revised RBI guidelines from 1st July 2026.

16. OPERATIONS AND SERVICES:

During FY 2025-26, the Bank undertook a comprehensive set of initiatives focused on customer-centricity, fraud prevention, grievance redressal, and operational resilience.

- UCO Sampark 2.0: Redesigned IVR tree reducing call drops and improving navigation efficiency.
- UDAY Chatbot: Services extended to cheque book requests, Stop Cheque, Re-KYC, balance enquiry, and mini statements; Live Agent support introduced.
- UCO Samwaad Kiosks: Rolled out for Divyang (Persons with Disabilities) customers.
- UCO Pink Line: Dedicated routing of female customers to female agents introduced.
- OGRS 2.0 launched, powered by AI/ML for faster complaint categorisation and resolution.
- MuleHunter.AI deployed for real-time detection of mule accounts; integration with I4C Suspect Registry and DoT portals for proactive fraud prevention.
- VIGIL-PULSE platform introduced, screening accounts against 200+ risk sources.
- Dedicated Unclaimed Deposits Portal launched for online customer claims.
- Record settlement of Rs. 144.24 crore across 34,644 DEAF/inoperative accounts - the highest in any financial year. The Bank secured Rs. 9.28 crore RBI incentive under the Accelerated Payout Scheme.

17. HUMAN RESOURCES:

17.1 Manpower

The total staff strength as on 31st March 2026 stood at 20,984, comprising 13,717 Officers, 5,514 Clerks, and 1,753 Sub-Staff. Women employees number 6,199, constituting 29.54 per cent of the total workforce. The Bank employs 518 Persons with Benchmark Disability (PwBD) and 1,451 employees from Minority Communities, along with 1,289 Ex-Servicemen.

17.2 Recruitment

During FY 2025-26, the Bank recruited 649 employees across key roles including IT Officers, Agricultural Field Officers, Chartered Accountants, Law Officers, Local Bank Officers, and Customer Service Associates. Women constituted 35 per cent of new recruits. An additional 228 apprentices were engaged during the year. For FY 2026-27, recruitment has been initiated for 100 Probationary Officers, 190 Specialist Officers (including AI/ML, Cyber Security, Data Science, and CA profiles), and 419 Customer Service Associates.

17.3 PMS Cell:

Performance Management System is a vital tool for any organization to assess employee's contribution, drive continuous improvement, create a positive and productive work environment. As per PMS Policy all Officers/ Executives upto scale VIII have to submit Quarterly as well as Annual Performance Appraisal.

- Appraisals based on allocated Roles through Samsiddhi application.
- Role allocations as per allocated work improve transparency, job satisfaction and reduce confusion or conflicts.
- With continuous improvement in KRA measurability, helps in improving PMS objectivity.
- Clear goal setting with regular monitoring of progress through monthly score card.
- Scientific Manpower Planning Tool for Officers and automation of Transfer process.
- Samsiddhi Performance Leader Board, Employee of Month in different categories like Home Loan, Car Loan, Compliance Officer, Hindi Officer etc.

- Samsiddhi based Bio data for all Interview Process in Bank.

- Policy on Rewards and Recognition Framework for Officers/Executives to suitably recognize Officers/ Executive Performance at Branch, Zonal Office and Head Office level through Performance Linked (Both Monetary/Non-monetary) Rewards in Business generating roles.

- Succession Planning covering different critical roles across multiple verticals as per the identified requirements, covering eligible officers in scale III to VII.

- Job Family Allocation to eligible officers by obtaining inputs/preferences from the respective Officer/Executive along with their Reporting Authority in Samsiddhi.

Internal Complaints Committee (ICC):

Our Bank is committed to promote gender equality and women's empowerment which result in economic development and inclusive growth and benefit the nation as a whole.

In terms of creating safe workplace environment for women our Bank has constituted Internal Complaints Committees at Apex level as well as Local Level enforcing the rules as laid out in the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 for quick redressal of such complaints, if any.

17.4 Reservation Cell:

Bank has been implementing reservation, relaxation and other concessions extended to SC/ST/OBC/Differently abled Persons and Ex-Servicemen employees as per instruction/direction of the Government of India. The overall representation as on 31/12/2025 of SC/ST/OBC/ EWS employees is19.80%, 8.31%, 24.38% and 1.68% respectively. Separate roster registers are maintained for direct recruitment as well as for promotion.

For SC/ST employees, reservation cell and separate OBC cell for OBC/EWS employees are set up at HO level and across all ZO level as per DFS guidelines, functioning under the direct control of Chief Liaison Officer as well as Ex-officio Liaison Officer respectively. Separate Grievance Redressal officer for PwBD and EWS employees has already been appointed to look after their grievance.

During FY 2025-26, Bank imparted training to 11978 employees out of SC-4062, ST-1738, OBC-5314, EWS-384 and PWD-480. Bank has imparted pre-promotional training to 1731 employees (SC-585, ST-293, OBC-790 and PWD-63) for inter-scale promotion of officers, 189 employees (SC-84 ST-15, OBC-85 and PWD-5) for promotion from Clerical to Officers and 175 employees (SC-101, ST-19, OBC-48 and PWD-7) for promotion from Sub-ordinate to Clerical cadre belonging to SC/ST/OBC and PWD Category. In order to address the issues of SC/ ST & OBC employees of the Bank, meetings are called at Apex level as well as at Zonal office level quarterly basis (Where reservation roster is maintained) with Welfare Association of such employees. An Internal Grievance Committee is functioning at Head office level for monitoring the grievances redressal of the employees belonging to SC/ST/OBC/Ex-SM/PWD, which are handled and subsequently redressed by the respective cell, as per Bank's extant policy and guidelines.

The Annual Statement in the prescribed format showing the representation of SCs, STs, OBCs, EWSs and PWDs as on 31-12-2025 are given in Annexure-I & Annexure-II

Annexure - I

Group-wise representation of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Section upto 31.12.2025

Name of the Organization : UCO BANK

Group	No. of Employees (As on 31.12.2025)					Number of appointments/promotions made during the calender year 2025 (i.e. 01.01.2025 to 31.12.2025)														
						Appointment by direct Recruitment					Appointment by Promotion					Appointment by other Methods				
	Total	SCs	STs	OBCs	EWS	Total	SCs	STs	OBCs	EWS	Total	SCs	STs	OBCs	EWS	Total	SCs	STs	OBCs	EWS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Group-A	13648	2295	1119	3617	218	351	42	21	94	27	222	31	10	46**	0	0	0	0	0	0
Group-B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Group-C	5686	1042	492	1316	137	272	55	29	63	15	83	9	7	20**	0	16	0	1	9	0
Group-D (Excluding Safai Karamchari)	1842	856	148	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	6	2	5	0
Group-D (Safai Karamcharies)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**21176**	**4193**	**1759**	**5162**	**355**	**623**	**97**	**50**	**157**	**42**	**305**	**40**	**17**	**66****	**0**	**34**	**6**	**3**	**14**	**0**

* Group D (point 4) include House Keeper Cum Peon

* * The Candidate belongs to OBC are treated as UR in Promotion

*** Data mentioned above is upto 31.12.2025

As per Govt. guidelines No Reservation is applicable for promotion within the Cadre/Group

Annexure - II

Group-wise representation of Persons with Disablities up to 31.12.2025

Name of the Organization : UCO BANK

समूह Group	No. of Employees (As on 31.12.2025)					Number of appointments/promotions made during the calender year 2025 (i.e. 01.01.2025 to 31.12.2025)																			
						Appointment by direct Recruitment										Appointment by Promotion									
						No of vacancies reserved					No of appointments made					No of vacancies reserved					No of appointments made				
	Total	VH	HH	OH	ID&OTH	Total	VH	HH	OH	ID & OTH	Total	VH	HH	OH	ID & OTH	Total	VH	HH	OH	ID & OTH	Total	VH	HH	OH	ID & OTH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Group-A	13648	107	47	224	5	13	6	4	1	2	9	5	2	1	1	18	4	6	3	5	4	2	1	0	1
Group-B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Group-C	5686	30	8	69	3	14	2	4	4	4	2	0	0	2	0	5	2	1	1	1	0	0	0	0	0
Group-D (Excluding Safai Karamchari)	1842	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Group-D (Safai Karamcharies)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**21176**	**137**	**55**	**319**	**8**	**27**	**8**	**8**	**5**	**6**	**11**	**5**	**2**	**3**	**1**	**23**	**6**	**7**	**4**	**6**	**4**	**2**	**1**	**0**	**1**

Note:

(i) VH stands for visually Handicapped (persons suffering from blindness or low vision).

(ii) HH stands for Hearing Handicapped (persons suffering from hearing impairment).

(iii) OH stands for Orthopedically Handicapped (persons suffering from locomotors disability or cerebral palsy).

17.5 Learning and Development

A total of 20,729 employees comprising 954 Executives, 12,334 Officers, and 7,441 Sub-Staff were trained in FY 2025-26 through internal and external programmes. Key training themes included EASE Awareness, ESG Financing, AML/CFT, Cyber Security, Digital Banking, AI in Banking, Priority Sector Lending, and International Banking. Smart Classrooms were implemented across all Staff Training Centres.

The Bank sponsored executives and officers at premier external institutions including NIBM Pune, BIRD Lucknow, CAB (RBI), IIBF, CAFRAL, IIM Indore, and SBIL Hyderabad. Management Development Programmes for promotee executives in Scale IV and V were conducted at IIM Indore and SBIL Hyderabad.

18. AUDIT AND INSPECTION:

- Risk-Based Internal Audit (RBIA) conducted in 2,815 branches and 108 Loan Processing Hubs during FY 2025-26. Audit frequency is calibrated to risk level: Low Risk (15-16 months), Medium Risk (12-13 months), High Risk (9-10 months), Very High Risk (8-9 months), and Extremely High Risk (6-7 months).
- Concurrent Audit covers 809 branches, 114 specialised branches, and 6 Head Office departments - covering 76.87 per cent of advances, 52.72 per cent of deposits, and 63.10 per cent of total business.
- Management Audit completed for 35 Zonal Offices, 25 Head Office Departments, and 7 Staff Training Centres during the year.
- Revenue Audit conducted at 1,558 branches; detected revenue leakages have been recovered.
- IS Audit covers Application, Source Code, Process, Vendor, Database, Network, VA & PT audits, supplemented by new audit areas: Change Log Audit, Change Request Audit, and Batch Job Audit (conducted on T+1 basis).

19. VIGILANCE:

UCO Bank maintains a robust vigilance administration framework aligned with its overall management functions, guided by the Central Vigilance Commission (CVC). Vigilance functions are headed by the Chief Vigilance Officer (CVO), with emphasis on Participative, Proactive, and Preventive Vigilance as the cornerstones of transparency and accountability.

- 215 complaints received from DFS, CVC, RBI, CBI, and other sources during FY 2025-26; all complaints with vigilance overtones disposed of within CVC-prescribed timelines.
- In-house quarterly vigilance magazine 'UCO VIGIL' continued publication to promote integrity and transparency.
- Monthly inter-departmental Coordination Meetings held under CVO chairmanship, covering fraud reporting, investigations, complaints, and ABBFF matters.
- 'Mission Jagriti' preventive vigilance initiative: Head Office officials conducted visits to Zonal Offices for awareness sessions and interactive discussions.
- Vigilance Awareness Week observed from 27th October to 2nd November 2025 on the theme 'Vigilance: Our Shared Responsibility.'

20. COMPLIANCE:

UCO Bank's Compliance Department, headed by the General Manager and Chief Compliance Officer, serves as the single point of contact with the Reserve Bank of India and ensures seamless implementation of Risk-Based Supervision (RBS) the SPARC framework. The Board-approved Compliance Function Policy, reviewed annually, articulates the Bank's compliance philosophy and organisational structure. Key compliance initiatives during FY 2025-26:

- Individual-level compliance self-certification tool introduced, with quarterly self-certifications by employees based on their specific role profiles.
- Compliance by Design Toolkit launched - a checklist-driven, modular guidance system embedding compliance controls into product and process rollouts.
- Overseas branches at Singapore and Hong Kong maintain dedicated Compliance Officers who ensure adherence to host-country regulations, KYC, AML, and CFT standards, and submit regular compliance sustainability reports.

21. OFFICIAL LANGUAGE:

UCO Bank has been proactive in implementing the Official Language Policy of the Government of India. During FY 2025-26, the Bank achieved full compliance with directives from the Department of Financial Services, Ministry of Finance, and the Third Sub-Committee of the Committee of Parliament on Official Language.

Notable distinctions received during the year:

- Rajbhasha Kirti Puraskar - Second Prize (Magazine Category) for 'UCO Anugoonj', conferred by the Government of India.
- TOLIC (NARAKAS) Rajbhasha Samman - Second Prize, for TOLIC (Banks), Kolkata, under UCO Bank's convenership.

- Regional Official Language Award - First Prize (Eastern Region) for Zonal Office, Bhagalpur, conferred by the Hon'ble Union Home Minister.
- Department of Financial Services Second Prize for UCO Bank Head Office for outstanding Official Language implementation in FY 2024-25.
- 172 Hindi workshops conducted at Head Office and Zonal levels, covering approximately 4,577 officers and clerical staff.
- Book on 'Viksit Bharat @ 2047' released at Gandhinagar on 14th September 2025 in the presence of senior Government dignitaries.

22. AWARDS AND RECOGNITION

During the Fy 2025-26 UCO Bank has received several Awards and Recognitions.

- SKOCH Award winner for Gold category in BFSI- FY 2025-26 for Project Parivartan.
- The Bank was also conferred the BFSI Fraud Risk Management Award 2025 by Fin Crime Expert, and was ranked 5th nationally among Public Sector Banks for grievance redressal.
- Silver Award at IBEX India BFSAI Tech Awards FY 2025-26 in Digital Trailblazer Category.
- At the 4th IBA CISO Summit & Citations 2025, the Bank bagged four prestigious Cyber Security Awards in the Public Sector: Medium Bank category, including the Cyber Security Transformation of the Year (Winner), Cyber Security Team of the Year (Runner-Up), Cyber Incident Response Maturity (Runner-Up), and Cyber Security Compliance Champion (Special Prize).
- Achieved a top rank under the "आपकी पूँजी, आपका अधिकार" campaign for settlement of unclaimed deposits.
- In the domain of Official Language, UCO Bank, Head Office, received special distinction from the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs; our quarterly Hindi journal 'UCO Anugoonj' was awarded the Rajbhasha Kirti Puraskar - Second Prize; TOLIC (Banks), Kolkata, under our convener ship, received the NARAKAS Rajbhasha Samman - Second Prize; and the Zonal Office, Bhagalpur, was conferred the Regional Official Language Award - First Prize (Eastern Region) from the hands of the Hon'ble Union Minister of Home Affairs, Shri Amit Shah.

23. CORPORATE GOVERNANCE:

UCO Bank remains steadfast in its commitment to strong Corporate Governance, guided by its core values of transparency, professionalism, and accountability. The Board believes that sound governance is the cornerstone of building trust, loyalty, and goodwill among clients, business partners, employees, and investors.

23.1 Board Committees:

Eleven meetings of the Board of Directors were held during FY 2025-26. The number of meetings of various Board Committees held during the period is as follows:

Committee	Meetings Held
Management Committee of the Board	12
Audit Committee of the Board	09
Risk Management Committee of Board	06
HR Committee of the Board	06
IT Strategy Committee of the Board	05
Board Level Committee for Monitoring Recovery in NPA Accounts	04
Special Committee of the Board for Monitoring Fraud Cases	04
Customer Service Committee of the Board	04
Business Review and Development Committee	04
Performance Evaluation Committee of the Board	02
Board Level Corporate Social Responsibility Committee	02
Meeting of Independent Directors	02
Stakeholders' Relationship Committee of Board	01
Nomination and Remuneration Committee of the Board	01
Committee for Disposal of Appeals Against Non-Promotion	01
Review Committee (Wilful Defaulters)	01

23.2 Changes in the Board of Directors:

Ms. Rachna Khare, Shareholder Director, tendered her resignation from the Board with effect from 25th December 2025, consequent to her appointment as Insurance Ombudsman, Pune. Shri Rajesh Kumar Ailawadi was nominated as Shareholder Director with effect from 8th March 2026. His extensive experience across Marketing, Administration, Actuarial, Personnel, Industrial Relations, and Legal functions will further strengthen the Bank's governance framework.

23.3 Directors' Responsibility Statement:

The Board of Directors confirms that:

- In the preparation of the Annual Accounts for FY 2025-26, all applicable accounting standards have been followed, with proper explanation for material departures, if any.
- Accounting policies have been framed in accordance with RBI guidelines and consistently applied.
- Reasonable and prudent judgements and estimates have been made to present a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March 2026.
- Proper and sufficient care has been taken for maintenance of adequate accounting records in accordance with applicable laws.
- Accounts have been prepared on a going concern basis; adequate internal financial controls are in place.

23.4 Acknowledgements

The Board of Directors warmly welcomes Shri Rajesh Kumar Ailawadi as Shareholder Director and places on record its sincere appreciation for the valuable contributions of Ms. Rachna Khare during her tenure on the Board.

The Board extends its heartfelt gratitude to the Bank's customers, staff, vendors, shareholders, business associates, and correspondent banks for their unwavering support throughout the year. The Board remains deeply thankful to the Government of India, the Reserve Bank of India, and all regulatory authorities for their continued guidance and co-operation.

The Board expresses its appreciation to staff unions and associations for their constructive engagement, and places on record its deep appreciation for the dedication, commitment, and solidarity demonstrated by every employee across all levels of the organisation. The collective efforts of UCO Bank's employees remain the cornerstone of the Bank's sustained progress and success.

कारोबारी उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट 2025-26

Business Responsibility and Sustainability Report 2025-26

खंड क : सामान्य प्रकटन / Section A - General Disclosures

I. बैंक का विवरण / Details of the Bank

1.	कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) Corporate Identity Number (CIN)	लागू नहीं Not Applicable
2.	बैंक का नाम / Name of the Bank	यूको बैंक / UCO Bank
3.	निगमन का वर्ष / Year of Incorporation	1943
4.	पंजीकृत कार्यालय का पता / Registered office address	10, बी टी एम सारणी, कोलकाता -700001 10 , B T M Sarani, Kolkata-700001
5.	कॉरपोरेट कार्यालय का पता / Corporate office address	नं.2 इंडिया एक्सचेंज प्लेस, 3सरा तल, कोलकाता-700001 No.2 India Exchange Place, 3rd Floor, Kolkata - 700001
6.	ई-मेल / Email	hosgr.calcutta@uco.bank.in
7.	टेलीफोन / Telephone	+91 33 4455 7227
8.	वेबसाइट / Website	www.uco.bank.in
9.	वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है Financial year for which reporting is being done	2025-26
10.	स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं Name of the Stock Exchange(s) where shares are listed	बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड BSE Ltd. and National Stock Exchange of India Ltd.
11.	प्रदत्त पूंजी Paid-up Capital	Rs. 12539.56 crore
12.	उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है Name and contact details (telephone, email address) of the person who may be contacted in case of any queries on the BRSR report	श्री विकास गुप्ता कंपनी सचिव Mr Vikash Gupta Company Secretary फोन : Ph : +91 33 4455 7227 hosgr.calcutta@uco.bank.in
13.	रिपोर्टिंग सीमा Reporting boundary	इस रिपोर्ट में किए गए खुलासे एकल आधार पर हैं, जिनमें भारत भर में यूको बैंक के सभी कार्यालय और शाखाएं शामिल हैं। Disclosures made in this report are on a standalone basis including all offices and branches of UCO Bank across India.
14.	आश्वासन मूल्यांकन या आश्वासन प्रदाता का नाम Name of assessment or assurance Provider	मेसर्स के घोष एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार M/s K Ghosh & Associates, Chartered Accountants
15.	प्राप्त मूल्यांकन या आश्वासन का प्रकार Type of assessment or assurance obtained	उचित आश्वासन Reasonable Assurance

II. उत्पाद/सेवाएँ / Product / Services

16. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण :

Details of Business Activities :

क्र.सं. Sl.	मुख्य गतिविधि का विवरण Description of Main activity	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण Description of Business Activity	टर्नओवर का प्रतिशत % of turnover
1	बैंकिंग और वित्तीय सेवाएँ Banking and Financial Services	बैंक के व्यावसायिक परिचालन को मोटे तौर पर चार खंडों में वर्गीकृत किया गया है: The business operations of the Bank are broadly classified into four segments: (ए) कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग,/(a) corporate /wholesale banking, (बी) खुदरा बैंकिंग,/(b) retail banking, (सी) ट्रेजरी, और/(c) treasury, and (डी) अन्य बैंकिंग सेवाएँ/(d) other banking services.	100

17. बैंक द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएं / Products/ Services Sold By the Bank

क्र.सं. Sl.	उत्पाद/सेवा Product/Service	एनआईसी कोड NIC Code	कुल टर्नओवर का प्रतिशत अंशदान % of total turnover contributed
1.	बैंकिंग सेवाएँ और उत्पाद Banking Services and Products	64191	100

III. परिचालन / Operations

18. उन स्थानों की संख्या जहां इकाई के संयंत्र और/या परिचालन/कार्यालय स्थित हैं: Number of locations where plants and/or operations offices of the entity are situated:

स्थान Location	संयंत्रों की संख्या No. of Plants	कार्यालयों की संख्या No. of Offices	कुल Total
राष्ट्रीय / National	लागू नहीं / Not Applicable	17245 #	17245
अंतर्राष्ट्रीय / International		3*	3

* इसमें तेहरान, ईरान स्थित यूको बैंक का प्रतिनिधि कार्यालय शामिल है।
It includes representative office of UCO Bank at Tehran, Iran

\# इसमें देश में स्थित बैंक की शाखाएँ(3412), एटीएम केंद्र (2647), कारोबार सहायक इकाइयाँ (11136) एवं प्रशासनिक कार्यालय (50) शामिल हैं।
It includes domestic branches(3412), ATM centres(2647), Business Correspondent units(11136) and Administrative offices of the Bank(50)

19. बैंक द्वारा सेवित बाजार / Markets served by the Bank :

ए/a.स्थानों की संख्या / Number of locations :

स्थान / Locations	संख्या / Number
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या) National (No. of states)	भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश 28 states and 8 Union Territories of India
अंतर्राष्ट्रीय (राष्ट्रों की संख्या) International (No. of Countries)	3

बी/b. इकाई के कुल पण्यावर्त(टर्नओवर) के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान क्या है? What is the contribution of exports as a percentage of the total turnover of the entity?

- लागू नहीं / Not applicable

सी/c. ग्राहक के प्रकारों की संक्षिप्त सूचना / A brief on types of customers

- बैंक अपने विविध स्वरूपी ग्राहक आधार को उत्पादों और सेवाओं की एक व्यापक शृंखला की पेशकश करता है जिसमें व्यक्ति, कृषक, एमएसएमई, कॉरपोरेट संस्थाएँ, सरकारी निकाय, स्वयं सहायता समूह, न्यास, क्लब आदि शामिल हैं।
  Bank provides wide array of product and services and caters to the diverse customer base including individuals, farmers, MSME's, Corporates, Government entities, Self Help Groups, Trusts, Clubs etc.

IV. कर्मचारी /Employees

20. 31.03.2026 तक की स्थिति का विवरण / Details as on 31.03.2026 :

क/a. कर्मचारी एवं श्रमिक (दिव्यांग सहित) / Employees and workers (including differently abled) :

क्र.सं. S.No.	विवरण Particulars	कुल /Total (ए)/(A)	पुरुष / Male (बी)/(B)	% (बी/ए)/(B/A)	महिला / Female (सीC)	% (सी/ए)/(C/A)
	कर्मचारी / Employees					
1.	स्थायी (डी) Permanent (D)	20984	14785	70.46	6199	29.54
2.	स्थायी के अलावा अन्य (ई) Other than Permanent (E)	09	08	88.89	01	11.11
3.	**कुल कर्मचारी (डी + ई) Total Employees (D + E)**	**20993**	**14793**	**70.47**	**6200**	**29.53**
	श्रमिक / Workers					
4.	स्थायी (एफ़) Permanent (F)	लागू नहीं / Not Applicable				
5.	स्थायी के अलावा अन्य (जी) Other than Permanent (G)					
6.	**कुल श्रमिक (एफ़ + जी) Total Workers (F + G)**					

बी/b. दिव्यांग कर्मचारी और श्रमिक / Differently abled Employees and workers :

क्र.सं. S.no	विवरण Particulars	कुल (ए)/ Total (A)	पुरुष / Male		महिला / Female	
			(बी)/(B)	% (बी/ए)/(B/A)	(सी)/(C)	% (सी/ए)/(C/A)
भिन्न प्रकार से सक्षम कर्मचारी/Differently Abled Employees						
1.	स्थायी (डी) Permanent (D)	518	413	79.73	105	20.27
2.	स्थायी के अलावा अन्य (ई) Other than Permanent (E)	लागू नहीं / Not Applicable				
3.	**कुल दिव्यांग कर्मचारी (डी + ई) Total differently abled employees (D + E)**	**518**	**413**	**79.73**	**105**	**20.27**
दिव्यांग श्रमिक / DIFFERENTLY ABLED WORKERS						
4.	स्थायी (एफ़) Permanent (F)	लागू नहीं / Not Applicable				
5.	स्थायी के अलावा अन्य (जी) Other than Permanent (G)					
6.	**कुल दिव्यांग श्रमिक (डी + ई) Total differently abled workers (D + E)**					

21. महिलाओं की भागीदारी/समावेशन/प्रतिनिधित्व / Participation/inclusion/representation of women :

	कुल Total (ए)/(A)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत No. and percentage of Females	
		(बी)/(B)	% (बी/ए)/(B/A)
निदेशक मंडल / Board of Directors	10	0	-
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक / Key Managerial Personnel	5*	0	-

* इसमें तीन पूर्णकालिक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव शामिल हैं /
It includes 3 Whole time Directors, Chief Financial Officer and Company Secretary

22. स्थायी कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए आवर्त दर / Turnover rate for permanent employees

	वित्तीय वर्ष/FY 2025-26			वित्तीय वर्ष/FY 2024-25			वित्तीय वर्ष/FY 2023-24		
	एम/M	एफ/F	टी/T	एम/M	एफ/F	टी/T	एम/M	एफ/F	टी/T
स्थायी कर्मचारी/Permanent Employees	2.74	1.34	2.33	3.79	2.67	3.46	4.59	3.23	4.20
स्थायी श्रमिक/Permanent workers	लागू नहीं / Not Applicable								

**एम का अर्थ है पुरुष, एफ का अर्थ है महिला, टी का अर्थ है कुल*

M implies Male, F implies Female, T implies Total

V. होल्डिंग, अनुषंगी और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यमों समेत)/
Holding, Subsidiary and Associate Companies (Including Joint Ventures)

23. होल्डिंग, अनुषंगी, सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों का नाम
Name of holding, Subsidiary, Associate Companies / Joint Ventures

क्र.सं. S. No	होल्डिंग/अनुषंगी/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों का नाम **Name of the holding / Subsidiary / Associate Companies / Joint Ventures**	होल्डिंग/अनुषंगी/ सहयोगी/संयुक्त उद्यम **Holding/ Subsidiary/ Associate/ Joint Venture**	यूको बैंक के धारित शेयरों का प्रतिशत **% of shares held by UCO Bank**	क्या कॉलम क में दर्शाई गई इकाई सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेती है? **Does the entity indicated at column A, participate in the Business Responsibility Initiatives of the listed entity?**
दिनांक 31.03.2026 तक बैंक की कोई होल्डिंग / अनुषंगी/ सहयोगी कंपनियाँ / संयुक्त उपक्रम नहीं हैं। Bank has no holding / subsidiary / associate companies / joint ventures as on 31.03.2026.				

VI. सीएसआर विवरण / CSR Details

24. (i) क्या सीएसआर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार लागू है: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 यूको बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर लागू नहीं है। हालाँकि, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) बैंक के परिचालन का एक अभिन्न अंग है, जो स्थायी पद्धतियों एवं सामाजिक जवाबदेही के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। एक वित्तीय संस्थान के रूप में, यह पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को स्वीकार करता है, और अपनी सीएसआर पहल के माध्यम से सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

Whether CSR is applicable as per section 135 of Companies Act, 2013 : Section 135 of Companies Act 2013 is not applicable to Public Sector Banks including UCO Bank. However, Corporate Social Responsibility (CSR) is an integral to the Bank's operations, showcasing its commitment to sustainable practices and social accountability. As a financial institution, it acknowledges its impact on the environment, society, and economy, striving to foster a positive change through its CSR initiatives.

(ii) टर्नओवर (परिचालन से राजस्व) रुपए 29,705 करोड़ / Turnover (Revenue from Operations) : Rs. 29,705 crore

(iii) निवल मालियत रुपए 24,462 करोड़ / Net Worth : Rs. 24,462 crore

VII. पारदर्शिता और प्रकटन अनुपालन / Transparency and Disclosure Compliances

25. उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) को लेकर शिकायतें / परिवाद:
Complaints/Grievances on any of the principles (Principles 1 to 9) under the National Guidelines on Responsible Business Conduct:

हितधारकों का समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है **Stakeholder group from whom complaint is received**	विद्यमान शिकायत निवारण तंत्र **Grievance Redressal Mechanism in Place** (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें) **(If Yes, then provide web-link for grievance redress policy)**	वित्तीय वर्ष/FY 2025-26			वित्तीय वर्ष/FY 2024-25		
		वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या **Number of complaints filed during the year**	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या **Number of complaints pending resolution at close of the year**	टिप्पणियां **Remarks**	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या **Number of complaints filed during the year**	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या **Number of complaints pending resolution at close of the year**	टिप्पणियां **Remarks**
समुदाय Communities	-	-	-	-	-	-	-
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा) Investors (other than shareholders)	जी हाँ। प्रधान कार्यालय में बैंक का अलग निवेशक संबंध प्रकोष्ठ है। Yes. Bank has separate Investor Relation cell at Head Office.	-	-	-	-	-	-

हितधारकों का समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है **Stakeholder group from whom complaint is received**	विद्यमान शिकायत निवारण तंत्र **Grievance Redressal Mechanism in Place** (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें) **(If Yes, then provide web-link for grievance redress policy)**	वित्तीय वर्ष/FY 2025-26			वित्तीय वर्ष/FY 2024-25		
		वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या **Number of complaints filed during the year**	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या **Number of complaints pending resolution at close of the year**	टिप्पणियां **Remarks**	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या **Number of complaints filed during the year**	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या **Number of complaints pending resolution at close of the year**	टिप्पणियां **Remarks**
शेयरधारक Shareholders	जी हाँ। प्रधान कार्यालय में बैंक का अलग निवेशक संबंध प्रकोष्ठ है। Yes. Bank has separate investor relation cell at Head Office.	945	5	-	860	14	-
कर्मचारी Employees	Through Bank 's internal HRMS Portal	408	01	-	331	14	-
ग्राहक Customer	जी हाँ/ Yes https:// spgrs.ucoonline.in)	124422	3770#		85474	2128*	-
वैल्यू चेन पार्टनर्स Value Chain Partners	-	-	-	-	-	-	-

** 3770 लंबित शिकायतों में से 1057 सामान्य शिकायतें, 2692 विफल/विवादित लेनदेन से संबंधित शिकायतें तथा 21 शिकायतें बैंकिंग लोकपाल से संबंधित हैं*

 # 2128 लंबित शिकायतों में से 1094 सामान्य शिकायतें हैं और 990 विफल/विवादित लेनदेन से संबंधित शिकायतें हैं। और 44 शिकायेत बैंकग लोकपाल से संबांधीत।

** Out of 3770 pending complaints, 1057 are General Grievances, 2692 are failed/ disputed transaction related grievance and 21 complaints related to Banking Ombudsman*

 # Out of 2128 pending complaints, 1094 are General Grievances, 990 are failed/ disputed transaction related grievance and 44 complaints related to Banking Ombudsman

26. इकाई के महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण मुद्दों का अवलोकन :

Overview of the entity's material responsible business conduct issues :

इस अनुभाग के तहत, बैंक ने महत्वपूर्ण मुद्दों का खुलासा किया है। फिनटेक कंपनियों को शामिल करना, किफायती आवास, स्वच्छ/नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, सीएसआर, पर्यावरण और सामाजिक मामलों से संबंधित दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली जो निम्नलिखित प्रारूप में इसके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर प्रस्तुत करती हैः

Under this section, Bank has disclosed material issues viz. onboarding of Fintech companies, affordable housing, promoting clean/renewable energy, CSR, Document Management Systempertaining to environmental and social matters that present a risk or an opportunity to its business in the following format :

क्र.सं. S. no.	महत्वपूर्ण मुद्दा जिसकी पहचान की गई **Material Issue identified**	निर्दिष्ट करें कि जोखिम है या अवसर (जो/अव) **Indicate whether risk or opportunity (R/O)**	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य **Rationale for identifying the risk / opportunity**	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने का तरीका **In case of risk, approach to adapt or mitigate**	जोखिम या अवसर के वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव निर्दिष्ट करें) **Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)**
1.	नैतिक शासन और भ्रष्टाचार विरोधी Ethical Governance and Anti-Corruption	जोखिम Risk	हितधारकों का विश्वास बनाए रखने, धोखाधड़ी को रोकने और नियामक अपेक्षाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत प्रशासन आवश्यक है। Strong governance is essential to maintain stakeholder trust, prevent fraud, and ensure compliance with regulatory expectations.	बोर्ड द्वारा अनुमोदित आचार संहिता को अपनाना, नियमित नैतिकता प्रशिक्षण, गुमनाम मुखबिर चैनल, आंतरिक सतर्कता तंत्र। Adoption of Board-approved Code of Conduct, regular ethics training, anonymous whistleblower channels, internal vigilance mechanisms.	**सकारात्मक** - हितधारकों का विश्वास बढ़ाता है, दंड और नियामक कार्रवाई के जोखिम को कम करता है, और जिम्मेदार निवेशकों को आकर्षित करता है। **Positive -** Enhances stakeholder confidence, reduces risk of penalties and regulatory action, and attracts responsible investors.
2.	ग्राहक केन्द्रितता और वित्तीय समावेशन Customer Centricity and Financial Inclusion	अवसर Opportunity	वित्तीय समावेशन ग्राहक आधार का विस्तार करने, नियामक आदेशों को पूरा करने और बैंक के सामाजिक प्रभाव को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। Financial inclusion is key to expanding the customer base, fulfilling regulatory mandates, and strengthening the bank's social impact.	ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में लक्षित पहुंच, बीसी (बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट) मॉडल, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम और डिजिटल बैंकिंग पहल। Targeted outreach in rural/semi-urban areas, BC (Business Correspondent) model, financial literacy programs, and digital banking initiatives.	**सकारात्मक** - ग्राहक आधार में वृद्धि, CASA वृद्धि, तथा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) मानदंडों को पूरा करना, विनियामकों से प्रोत्साहन आकर्षित करना। **Positive -** Increases customer base, CASA growth, and meets Priority Sector Lending (PSL) norms, attracting incentives from regulators.
3.	डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा Data Privacy and Cybersecurity	जोखिम Risk	बढ़ते डिजिटलीकरण से साइबर हमलों और डेटा उल्लंघन का खतरा बढ़ जाता है, जिससे प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है और कानूनी दायित्व भी उत्पन्न हो सकता है। Increasing digitization brings risk of cyberattacks and data breaches, which can harm reputation and invite legal liabilities.	मजबूत आईटी सुरक्षा प्रणालियों (फ़ायरवॉल, डीएलपी उपकरण), आवधिक साइबर ऑडिट, सीईआरटी-इन अनुपालन, स्टाफ संवेदीकरण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन। Implementation of robust IT security systems (firewalls, DLP tools), periodic cyber audits, CERT-In compliance, staff sensitization programs.	**मिश्रित** - बुनियादी ढांचे के लिए उच्च प्रारंभिक लागत, लेकिन डेटा उल्लंघन, प्रतिष्ठा की क्षति और नियामक जुर्माना से बड़े नुकसान को रोकता है। **Mixed -** High upfront cost for infrastructure, but prevents larger losses from data breaches, reputational damage, and regulatory fines.

क्र.सं.	महत्वपूर्ण मुद्दा जिसकी पहचान की गई	निर्दिष्ट करें कि जोखिम है या अवसर (जो/अव)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने का तरीका	जोखिम या अवसर के वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव निर्दिष्ट करें)
S. no.	**Material Issue identified**	**Indicate whether risk or opportunity (R/O)**	**Rationale for identifying the risk / opportunity**	**In case of risk, approach to adapt or mitigate**	**Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)**
4.	जिम्मेदार उत्पाद प्रकटीकरण और शिकायत निवारण	जोखिम	भ्रामक उत्पाद जानकारी या अनसुलझे शिकायतों के कारण नियामक जांच, प्रतिष्ठा को नुकसान, तथा ग्राहक में कमी हो सकती है।	मानकीकृत उत्पाद प्रकटीकरण, बहु-चैनल शिकायत तंत्र (डिजिटल, शाखा, कॉल सेंटर), ग्राहक सेवा ऑडिट और शिकायत ट्रैकिंग प्रणाली।	**सकारात्मक** - ग्राहक निष्ठा को मजबूत करता है, प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम को कम करता है, और आरबीआई/बीसीएसबीआई निष्पक्ष व्यवहार संहिताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करता है।
	Responsible Product Disclosures & Grievance Redressal	Risk	Misleading product information or unresolved complaints can lead to regulatory scrutiny, reputational damage, and customer attrition.	Standardized product disclosures, multi-channel grievance mechanisms (digital, branch, call center), customer service audits, and complaint tracking systems.	**Positive -** Strengthens customer loyalty, reduces reputational risk, and ensures compliance with RBI/ BCSBI fair practice codes.
5.	उधारकर्ताओं और एमएसएमई के साथ लेन-देन में पारदर्शिता	जोखिम	एमएसएमई को अक्सर नियम व शर्तों को समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप विवाद, तनावग्रस्त खाते और ऋण अनुशासन संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं।	सरलीकृत दस्तावेज़ीकरण, ब्याज/मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता, आरबीआई ढांचे के अंतर्गत पुनर्गठन सहायता और उधारकर्ताओं के लिए शिकायत निवारण।	**सकारात्मक** - इससे उधारकर्ताओं का विश्वास बढ़ता है, एमएसएमई क्षेत्रों में एनपीए कम होता है, तथा दीर्घकालिक ऋण संबंध बढ़ते हैं।
	Transparency in Dealings with Borrowers and MSMEs	Risk	MSMEs often face difficulty in understanding terms and conditions, leading to disputes, stress accounts, and credit discipline issues.	Simplified documentation, transparency in interest/pricing, restructuring support under RBI frameworks, and grievance redressal for borrowers.	**Positive -** Improves borrower confidence, reduces NPAs in MSME segments, and enhances long-term credit relationships.
6.	एएमएल और केवाईसी विनियमों का अनुपालन	जोखिम	एएमएल/केवाईसी मानदंडों का अनुपालन न करने पर गंभीर विनियामक दंड लग सकता है तथा वित्तीय अपराध की संभावना बढ़ सकती है।	केंद्रीकृत केवाईसी सत्यापन, जोखिम आधारित ग्राहक जांच, लेनदेन निगरानी उपकरण, तथा पीएमएलए दिशानिर्देशों के अनुरूप नियमित स्टाफ प्रशिक्षण।	**यदि अनुपालन न हो तो नकारात्मक, यदि सुदृढ़ हो तो सकारात्मक** - सुचारू विनियामक निरीक्षण सुनिश्चित करता है, प्रतिष्ठा और कानूनी जोखिमों को कम करता है।
	Compliance with AML and KYC Regulations	Risk	Non-compliance with AML/ KYC norms can lead to severe regulatory penalties and increased financial crime exposure.	Centralized KYC validation, risk-based customer due diligence, transaction monitoring tools, and regular staff training in line with PMLA guidelines.	**Negative if non-compliant, positive if robust -** Ensures smooth regulatory inspections, reduces reputational and legal risks.

क्र.सं.	महत्वपूर्ण मुद्दा जिसकी पहचान की गई	निर्दिष्ट करें कि जोखिम है या अवसर (जो/अव)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने का तरीका	जोखिम या अवसर के वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव निर्दिष्ट करें)
S. no.	**Material Issue identified**	**Indicate whether risk or opportunity (R/O)**	**Rationale for identifying the risk / opportunity**	**In case of risk, approach to adapt or mitigate**	**Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)**
7.	बोर्ड की विविधता और क्षमता	अवसर	एक विविध और कुशल बोर्ड रणनीतिक निगरानी, जोखिम प्रबंधन और दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ाता है।	बैंकिंग, कानून, प्रौद्योगिकी, लिंग समावेशन, नियमित बोर्ड मूल्यांकन और कौशल मैट्रिक्स आकलन में विशेषज्ञता वाले स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति।	**सकारात्मक** - इससे मजबूत निर्णय लेने, बेहतर जोखिम निरीक्षण और आरबीआई, सेबी और हितधारकों से शासन संबंधी अपेक्षाओं के साथ संरेखण को बढ़ावा मिलता है।
	Board Diversity and Competence	Opportunity	A diverse and skilled board enhances strategic oversight, risk management, and long-term sustainability.	Appointment of independent directors with expertise in banking, law, technology, gender inclusion, regular board evaluations and skill matrix assessments.	**Positive -** Leads to stronger decision-making, better risk oversight, and alignment with governance expectations from RBI, SEBI, and stakeholders.
8.	कर्मचारी नैतिकता, आचरण और प्रशिक्षण	जोखिम	कर्मचारियों का आचरण सीधे तौर पर ग्राहक के विश्वास और परिचालन निष्ठा को प्रभावित करता है; प्रशिक्षण की कमी से विनियामक या परिचालन संबंधी त्रुटियां हो सकती हैं।	अनिवार्य वार्षिक नैतिकता और अनुपालन प्रशिक्षण, ग्राहक सेवा, डिजिटल साक्षरता, सतर्कता जागरूकता और मानव संसाधन अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।	**सकारात्मक** - परिचालन जोखिम को कम करता है, अनुपालन संस्कृति में सुधार करता है, और सेवा उत्कृष्टता और ग्राहक प्रतिधारण में योगदान देता है।
	Employee Ethics, Conduct & Training	Risk	Staff conduct directly impacts customer trust and operational integrity; lack of training may lead to regulatory or operational errors.	Mandatory annual ethics and compliance training, refresher courses on customer service, digital literacy, vigilance awareness, and HR disciplinary procedures.	**Positive -** Minimizes operational risk, improves compliance culture, and contributes to service excellence and customer retention.
9.	जिम्मेदार आउटसोर्सिंग और विकेता प्रबंधन	जोखिम	आईटी, ग्राहक सेवा और परिचालन के लिए तीसरे पक्ष के विकेताओं पर बढ़ती निर्भरता बैंक को प्रतिष्ठा और परिचालन संबंधी जोखिमों के प्रति उजागर करती है।	विकेता की उचित तत्परता, निष्पादन और अनुपालन धाराओं के साथ एसएलए, नियमित लेखा परीक्षा और आउटसोर्स सेवाओं के लिए व्यवसाय निरंतरता योजनाओं का कार्यान्वयन।	**सकारात्मक** - परिचालन संबंधी व्यवधानों और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम को कम करता है, अनुपालन सुनिश्चित करता है, और पेशेवर साझेदारी के माध्यम से सेवा वितरण में सुधार करता है।
	Responsible Outsourcing and Vendor Management	Risk	Increasing reliance on third-party vendors for IT, customer service, and operations exposes the Bank to reputational and operational risks.	Implementation of vendor due diligence, SLAs with performance and compliance clauses, regular audits, and business continuity plans for outsourced services.	**Positive -** Reduces operational disruptions and reputational risk, ensures compliance, and improves service delivery via professional partnerships.

क्र.सं.	महत्वपूर्ण मुद्दा जिसकी पहचान की गई	निर्दिष्ट करें कि जोखिम है या अवसर (जो/अव)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने का तरीका	जोखिम या अवसर के वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव निर्दिष्ट करें)
S. no.	Material Issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk / opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
10.	जलवायु जोखिम और परिचालन का पर्यावरणीय प्रभाव	अवसर	हितधारकों और नियामकों को उम्मीद है कि बैंक अपने पर्यावरणीय प्रभाव पर ध्यान देंगे और हरित वित्तपोषण का समर्थन करेंगे।	हरित प्रथाओं को अपनाना (ऊर्जा-कुशल शाखाएं, कागज रहित बैंकिंग), ईएसजी-लिंक्ड ऋणों को बढ़ावा देना, तथा कार्बन फुटप्रिंट प्रकटीकरण पहल।	**सकारात्मक** - ईएसजी के प्रति सजग निवेशकों को आकर्षित कर सततता-आधारित वित्तपोषण को बढ़ावा देता है, हितधारकों के विश्वास को सुदृढ़ कर बेहतर समन्वय स्थापित करता है, भविष्य के जलवायु-संबंधी प्रकटीकरण मानकों के अनुरूप है तथा दीर्घकालिक संसाधन लागतों को कम करता है।
	Climate Risk and Environmental Impact of Operations	Opportunity	Stakeholders and regulators expect banks to address their environmental footprint and support green financing.	Adoption of green practices (energy-efficient branches, paperless banking), promotion of ESG-linked loans, and carbon footprint disclosure initiatives.	**Positive -** Attracts ESG-conscious investors augmenting sustainability linked financing, Strengthen stakeholder trust improving alignment, aligns with future climate-related disclosure norms, and reduces long-term resource costs.
11.	बैंकिंग पुस्तक में ब्याज दर जोखिम	जोखिम	ब्याज दरों में संशोधन का नियामक का निर्णय बैंक के ब्याज मार्जिन को प्रभावित करता है, जिसका परिणाम बैंक की लाभप्रदता पर पड़ता है।	बैंक बैंकिंग बही में ब्याज जोखिम को संबोधित करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर रहा है, जिसमें जमा उत्पादों की हेजिंग और तदनुसार मूल्य निर्धारण शामिल है।	**मिश्रित** - अनुकूल ब्याज दरों में परिवर्तन से लाभप्रदता बढ़ सकती है, जबकि प्रतिकूल परिवर्तन से मार्जिन और आर्थिक मूल्य में कमी आ सकती है, जिससे वित्तीय जोखिम बढ़ जाता है।
	Interest Rate Risk in Banking Book	Risk	Regulator's decision of modification in interest rates impacts Bank's interest margins which in turn effects the profitability of the Bank.	Bank is employing various techniques to address interest risk in Banking Book including hedging & pricing of its deposit products accordingly.	**Mixed -** Favorable interest rate movements can enhance profitability, while adverse changes may reduce margins and economic value, increasing financial risk.
12.	तरलता जोखिम	जोखिम	बैंक को किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त तरलता रखने की आवश्यकता है, जिससे बैंक पर तरलता की कमी हो सकती है।	बैंक अपने स्ट्रोक/प्रवाह अनुपातों और अन्य विनियामक मुद्दों जैसे एलसीआर और एनएसएफआर की नियमित निगरानी करके अपनी तरलता समस्याओं का सक्रिय रूप से प्रबंधन कर रहा है।	**नकारात्मक**- परिपक्वता विसंगति को कम करने और स्थिर तरलता भाग सुनिश्चित करने के लिए तरलता जोखिम को सक्रिय रूप से प्रबंधित करने की आवश्यकता है।
	Liquidity Risk	Risk	Bank needs to carry enough liquidity to address any unforeseen circumstances leading to a liquidity run on the bank.	Bank is actively managing its liquidity issues by regularly monitoring its strk/flow ratios and other regulatory issues such as LCR & NSFR	**Negative-** Liquidity risk needs to be actively managed to reduce maturity mismatch & ensure stable liquidity portion

खंड बीः प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटन
Section B: Management and Process Disclosures

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा निर्धारित उत्तरदायित्वपूर्ण व्यावसायिक आचरण के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश (एनजीआरबीसी) निम्नलिखित पी1पी9 के रूप में संदर्भित नौ सिद्धांतों की बात करता हैः

The National Guidelines for Responsible Business Conduct (NGRBC) as prescribed by the Ministry of Corporate Affairs advocates nine principles referred as P1-P9 as given below:

पी1 **P1**	व्यवसायों को नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से ईमानदारी के साथ आचरण और शासन करना चाहिए Businesses should conduct and govern themselves with integrity in a manner that is ethical, transparent and accountable
पी2 **P2**	व्यवसायों को वस्तु एवं सेवाएँ इस प्रकार प्रदान करनी चाहिए जो टिकाऊऔर सुरक्षित हो Businesses should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe
पी3 **P3**	व्यवसायों को अपनी मूल्य शृंखला के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों की भलाई का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains
पी4 **P4**	व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए Businesses should respect the interests of and be responsive towards all its stakeholders
पी5 **P5**	व्यवसायों को मानव अधिकारों का सम्मान और प्रचार करना चाहिए Businesses should respect and promote human rights
पी6 **P6**	व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए और पर्यावरण को बहाल करने के प्रयास करने चाहिए Businesses should respect, protect and make efforts to restore the environment
पी7 **P7**	व्यवसाय जब सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न होते हैं, तो इसे ऐसे तरीके से करना चाहिए जो जिम्मेदार और पारदर्शी हो Businesses when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent
पी8 **P8**	व्यवसायों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए Businesses should promote inclusive growth and equitable development
पी9 **P9**	व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ ज़िम्मेदारीपूर्ण तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner

प्रकटीकरण प्रश्न/Disclosure Questions	पी/P1 पी/P2 पी/P3 पी/P4 पी/P5 पी/P6 पी/P7 पी/P8 पी/P9
नीति एवं प्रबंधन प्रक्रिया/Policy and management processes	
1. ए. क्या आपकी संस्था की नीति/ नीतियां एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को कवर करती हैं। a. Whether your entity's policy/policies cover each principle and its core elements of the NGRBCs.	हाँ Yes.
बी. क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है? b. Has the policy been approved by the Board?	हाँ Yes.
सी. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो c. Web Link of the Policies, if available	नीतियां बैंक की वेबसाइट https://uco.bank.in/web/guest/policies पर उपलब्ध हैं। उपर्युक्त के अलावा अन्य नीतियां जो बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं हैं, आंतरिक दस्तावेज होने के कारण केवल कर्मचारियों के लिए बैंक के इंट्रानेट पर उपलब्ध हैं। The policies are available on Bank's website at https://uco.bank.in/web/guest/policies The policies other than those which are not available in the Bank's website, being internal documents are available only to the employees on Bank's intranet.
2. क्या संस्था ने नीति को प्रक्रियाओं में रूपांतरित किया है। (हां/नहीं) Whether the entity has translated the policy into procedures. (Yes / No)	जी हाँ। बैंक ने बैंक द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में प्रक्रियाओं और प्रथाओं में लागू होने वाली नीतियों का रुपांतरित किया है। Yes. The Bank has translated the policies as applicable into procedures and practices in all spheres of activities that the Bank undertakes.
3. क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य शृंखला भागीदारों तक विस्तारित हैं? (हां/ नहीं) Do the enlisted policies extend to your value chain partners? (Yes/No)	जी हाँ। बैंक अपेक्षा करता है कि उसके हितधारक अपने सभी लेन-देन में उपर्युक्त सिद्धांतों का पालन करेंगे। Yes. The Bank expects its stakeholders to adhere to the above mentioned principles in all their dealings.
4. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कोड/प्रमाणीकरण/लेबल/मानकों के नाम (उदाहरण के लिए फ़ॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयर ट्रेड, रेनफ़ॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टिया) मानकों (जैसे SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) को आपकी इकाई द्वारा अपनाया गया है और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किया गया है। Name of the national and international codes /certifications/ labels/ standards (e.g. Forest Stewardship Council, Fair trade, Rainforest Alliance, Trustea) standards (e.g.SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) adopted by your entity and mapped to each principle.	बैंक ने सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO 27001:2013 प्राप्त किया है। गतिविधियों के दायरे में सूचना सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और गोपनीयता संरक्षण, डेटा सेंटर (DC) और आपदा रिकवरी साइट्स (DRS) का कार्यान्वयन शामिल है। Bank has obtained ISO 27001:2013 for Information Security Management System. The scope of activities includes implementation of information security, Cyber Security & Privacy Protection, Data Centres(DC) and Disaster Recovery Sites (DRS).

5. इकाई द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं और लक्ष्य और यदि कोई समय सीमा निर्धारित हो तो वह भी। Specific commitments, goals and targets set by the entity with defined timelines, if any.	बैंक ने भारत सरकार की जलवायु प्रतिबद्धताओं एवं राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (NDCs) के अनुरूप एक नेट ज़ीरो ट्रांज़िशन योजना अपनाई है तथा वित्तपोषित उत्सर्जन के आकलन हेतु PCAF मानकों का अनुपालन करता है। ● नेट ज़ीरो लक्ष्यः वर्ष 2056 तक (परिचालन एवं वित्तपोषित पोर्टफोलियो सहित) ● स्कोप 1 एवं 2: वर्ष 2050 तक नेट ज़ीरो ● स्कोप 3: वर्ष 2026-2028 के दौरान उत्सर्जन तीव्रता का स्थिरीकरण (आधार वर्षः 2025), तत्पचात वर्ष 2056 तक नेट ज़ीरो प्राप्त करने हेतु क्रमिक कमी ● हरित वित्तपोषणः पोर्टफोलियो के डीकार्बोनाइजेान को समर्थन देने हेतु हरित ऋण वितरण में क्रमिक वृद्धि यह दृष्टिकोण क्षेत्र-विशिष्ट मार्गों तथा विकसित हो रहे नियामकीय ढांचे के अनुरूप है। The Bank has adopted a Net Zero Transition Plan aligned with Government of India climate commitments and NDCs, and follows PCAF standards for financed emissions assessment. ● Net Zero Target: By 2056 (operations and financed portfolio) ● Scope 1 & 2: Net zero by 2050 ● Scope 3: Emission intensity stabilisation during 2026-2028 (base year: 2025), followed by gradual reduction to achieve net zero by 2056 ● Green Financing: Progressive increase in green lending to support portfolio decarbonisation The approach is aligned with sectoral pathways and evolving regulatory framework.
6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं और लक्ष्यों पर इकाई का कार्यनिष्पादन, साथ ही साथ यदि उन्हें पूरा नहीं किया जाता है तो कारण दें Performance of the entity against the specific commitments, goals and targets along-with reasons in case the same are not met	लागू नहीं Not Applicable

अभिशासन, नेतृत्व और निगरानी

7. निदेशक मंडल द्वारा वक्तव्य, जिसमें ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया।

बैंक अपनी मुख्य नीतियों में पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) सिद्धांतों को एकीकृत करने पर महत्वपूर्ण जोर देता है। पारदर्शिता, नैतिक प्रथाओं और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए, बैंक ने ग्राहक-केंद्रित उत्पाद लॉन्च किए हैं, अत्याधुनिक डिजिटल समाधान अपनाए हैं और कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता दी है। बिजली, ईंधन और कागज की खपत को कम करने और साइबर और सूचना सुरक्षा को मजबूत करने जैसी संधारणीय प्रथाएँ ईएसजी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

बैंक का कॉर्पोरेट प्रशासन व्यावसायिकता और पारदर्शिता के सिद्धांतों पर आधारित है, और यह वित्तीय समावेशन के प्रयासों का नेतृत्व करना जारी रखता है, जिससे हाशिए पर पड़े समुदायों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाया जा सके। इससे उन लोगों के बीच बचत की संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद मिली है जो पहले आर्थिक मुख्यधारा से बाहर थे।

जलवायु परिवर्तन को पर्यावरण और व्यवसाय दोनों के लिए जोखिम मानते हुए, बैंक संधारणीय प्रथाओं के माध्यम से अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने में सक्रिय है। इनमें कागज रहित लेन-देन को प्रोत्साहित करना, पर्यावरण के अनुकूल रेफ्रिजरेंट्स, ग्रीन जनरेटर और शाखाओं में ऊर्जा-कुशल प्रकाश व्यवस्था का उपयोग करना शामिल है। ईएसजी प्रथाओं पर हितधारकों के साथ नियमित चर्चा उत्पादों और सेवाओं में निरंतर नवाचार सुनिश्चित करती है, जिससे हमारी दीर्घकालिक स्थिरता मजबूत होती है।

Governance, leadership and oversight

7. Statement by Board of Directors, highlighting ESG related challenges, targets and achievements.

The Bank places significant emphasis on integrating Environmental, Social, and Governance (ESG) principles into its core policies. With a focus on transparency, ethical practices, and innovation, the Bank has launched customer-centric products, adopted cutting-edge digital solutions, and prioritized employee welfare. Sustainable practices, such as reducing electricity, fuel, and paper consumption, and strengthening cyber and information security, reflect our commitment to ESG.

The Bank's corporate governance is grounded in the principles of professionalism and transparency, and it continues to lead efforts in financial inclusion, bringing marginalized communities into the formal banking system. This has helped foster a culture of savings among those previously excluded from the economic mainstream.

Recognizing climate change as both an environmental and business risk, the Bank is proactive in mitigating its carbon footprint through sustainable practices. These include encouraging paperless transactions, using eco-friendly refrigerants, green generators, and energy-efficient lighting across branches. Regular discussions with stakeholders on ESG practices ensure continuous innovation in products and services, reinforcing our long-term sustainability.

8. व्यवसाय उत्तरदायित्व नीति (यों) के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण। Details of the highest authority responsible for implementation and oversight of the Business Responsibility policy (ies).	बैंक का निदेशक मंडल Board of Directors of the Bank
9. क्या संस्था में धारणीयता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार बोर्ड/निदेशक की एक विशिष्ट समिति है? Does the entity have a specified Committee of the Board/ Director responsible for decision making on sustainability related issues?	जी हाँ। बोर्ड की सभी समितियाँ अपने एजेंडे की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार धारणीयता संबंधी मुद्दों को देखती हैं। Yes. All committees of the Board look after the sustainability related issues as per their agenda specific requirement.

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरणः /
Details of Review of NGRBCs by the Company:

समीक्षा का विषय **Subject for Review**	**सिद्धांतों की समीक्षा और बारंबारता** **Review of Principles undertaken by and frequency**								
	पी1 **P1**	**पी2** **P2**	**पी3** **P3**	**पी4** **P4**	**पी5** **P5**	**पी6** **P6**	**पी7** **P7**	**पी8** **P8**	**पी9** **P9**
उपर्युक्त नीतियों पर कार्यनिष्पादन और अनुवर्ती कार्रवाई Performance against above policies and follow up action	बैंक की बीआर रिपोर्ट की समीक्षा वार्षिक आधार पर निदेशक मंडल द्वारा की जाती है। इस मूल्यांकन के दौरान, नीतियों की प्रभावशीलता की समीक्षा की जाती है और नीतियों और प्रक्रियाओं में आवश्यक परिवर्तन कार्यान्वित किए जाते हैं। BR Report of the Bank is reviewed by the Board of Directors on an annual basis. During this assessment, the efficacies of the policies are reviewed and necessary changes, if any, to policies and procedures are implemented.								
सिद्धांतों की प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन और किसी गैर-अनुपालन में सुधार Compliance with statutory requirements of relevance to the principles, and, rectification of any non-compliances	बैंक लागू मौजूदा विनियमों को अनुपालन करता है। The Bank is in compliance with the extant regulations as applicable.								

11. क्या संस्था ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र निर्धारण/मूल्यांकन किया है? (हां/नहीं)? यदि हां, तो एजेंसी का नाम बताएं।

Has the entity carried out independent assessment/ evaluation of the working of its policies by an external agency?(Yes/No). If yes, provide name of the agency.

- नहीं / No

12. यदि उपर्युक्त प्रश्न (1) का उत्तर 'नहीं' है, अर्थात सभी सिद्धांत किसी नीति के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो कारण बताएंः

If answer to question (1) above is "No" i.e. not all Principles are covered by a policy, reasons to be stated:

- लागू नहीं / Not Applicable

बैंक की नीतियों का प्रतिचित्रण /Mapping of Bank's Policies :

	सिद्धांत Principles	निदर्शी बैंक नीति Illustrative Bank's Policy
पी1	व्यवसायों को नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से ईमानदारी से आचरण और शासन करना चाहिए	अनुपालन नीति, व्हिसिल ब्लोअर नीति, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति, लाभांश वितरण दिशानिर्देश, घटनाओं/सूचना के प्रकटीकरण के लिए महत्ता-निर्धारण नीति, सम्बद्ध पक्ष लेनदेन नीति, आंतरिक लोकपाल योजना, ग्राहक अधिकार नीति, केवाईसी एएमएल सीएफटी नीति आदि।
P1	Businesses should conduct and govern themselves with integrity in a manner that is ethical, transparent and accountable	Compliance Policy, Whistle Blower Policy, Fraud Risk Management Policy,Dividend Distribution Guidelines, Policy on Determination of Materiality for Disclosure of Events/ Information, Policy on Related Party Transactions, Internal Ombudsman Scheme, Customer Rights Policy, KYC AML CFT Policy, etc.
पी2	कारोबारों को वस्तु एवं सेवाएँ इस प्रकार प्रदान करनी चाहिए जो टिकाऊऔर सुरक्षित हो।	परिचालन जोखिम पर नीति, उद्यम व्यापी जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, दबाव परीक्षण नीति, डेरिवेटिव नीति, ऋण नीति, आस्ति देयता प्रबंधन नीति, बीसीपी - नीति आदि।
P2	Businesses should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe.	Policy on Operational Risk, Enterprise Wide Risk Management Policy, Market Risk Management Policy, Policy on Stress Test, Derivative Policy, Loan Policy, Asset Liability Management Policy, BCP - Policy etc.
पी3	व्यवसायों को अपनी मूल्य शृंखला के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों की भलाई का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।	प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षुओं की भर्ती और नियुक्ति नीति, अधिकारियों एवं पंचाट कर्मचारियों के लिए पदोन्नति नीति, समान अवसर नीति, यौन उत्पीड़न नीति एवं महिला कर्मचारियों पर नीति, व्हिसिल ब्लोअर नीति आदि।
P3	Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains	Policy on Recruitment and engagement of Apprentice under Apprentice Act 1961, Promotion Policy for Officers and Award Staff, Equal Opportunity Policy, Sexual Harassment Policy & Policy on Women Employees, Whistle Blower Policy etc.
पी4	व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए	उद्यमव्यापी जोखिम प्रबंधन नीति, लाभांश वितरण दिशानिर्देश, आस्ति-देयता प्रबंधन नीति, शिकायत निवारण नीति, निष्क्रिय एवं अदावी जमा नीति, ज्ञानार्जन एवं विकास नीति, मृत खाताधारक एवं लापता व्यक्तियों के खातों के निपटान की नीति, आंतरिक लोकपाल योजना, कर्मचारी जवाबदेही नीति, ईएसजी नीति आदि।
P4	Businesses should respect the interests of and be responsive towards all its stakeholders	Enterprise Wide Risk Management Policy, Dividend Distribution Guidelines, Asset Liability Management Policy, Grievance Redressal Policy, Inoperative and Unclaimed Deposits Policy, Learning and Development Policy, Policy on Settlement of Deceased Account Holder & Missing Persons, Internal Ombudsman Scheme, Staff Accountability Policy, ESG Policy etc.

	सिद्धांत Principles	निदर्शी बैंक नीति Illustrative Bank's Policy
पी5	व्यवसायों को मानव अधिकारों का सम्मान और प्रचार करना चाहिए	बैंक की सभी मानव संसाधन संबंधी नीतियां, शिकायत निवारण नीति, यौन उत्पीड़न नीति और महिला कर्मचारियों पर नीति, व्हिसल ब्लोअर नीति, ज्ञानार्जन एवं विकास नीति आदि।
P5	Businesses should respect and promote human rights	All HR Policies of the Bank, Grievance Redressal Policy, Sexual Harassment Policy & Policy on Women Employees, Whistle Blower Policy,
पी6	व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए और पर्यावरण को बहाल करने के प्रयास करने चाहिए	डिजिटल ऋण नीति, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति आदि।
P6	Businesses should respect, protect and make efforts to restore the environment	Digital Lending Policy, Policy on Corporate Social Responsibility etc.
पी7	व्यवसाय जब सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न होते हैं, तो इसे ऐसे तरीके से करना चाहिए जो जिम्मेदार और पारदर्शी हो	सांविधिक केंद्रीय एवं शाखा लेखा परीक्षकों के चयन तथा नियुक्ति की नीति, लाभांश वितरण दिशानिर्देश, परिचालन जोखिम नीति, उद्यम व्यापी जोखिम प्रबंधन नीति, बाज़ार जोखिम प्रबंधन नीति, दबाव परीक्षण नीति, क्रय नीति आदि।
P7	Businesses when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent	Policy on Selection & Appointment of Statutory Central & Branch Auditors, Dividend Distribution Guidelines, Policy on Operational Risk, Enterprise Wide Risk Management Policy, Market Risk Management Policy, Policy on Stress TestPurchase Policy, etc.
पी8	व्यवसायों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए	वित्तीय समावेशन नीति, एमएसएमई नीति, शिकायत निवारण नीति, यौन उत्पीड़न नीति और महिला कर्मचारी नीति, अधिकारियों एवं पंचाट कर्मचारियों की पदोन्नति नीति, ज्ञानार्जन एवं विकास नीति आदि।
P8	Businesses should promote inclusive growth and equitable development	Policy on Financial Inclusion, MSME Policy, Grievance Redressal Policy, Sexual Harassment Policy & Policy on Women Employees, Promotion policy for Officers and Award Staff, Learning and Development Policy etc.
पी9	व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ ज़िम्मेदारीपूर्ण तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए	साइबर सुरक्षा नीति, साइबर संकट प्रबंधन योजना, सूचना सुरक्षा नीति, अनुपालन नीति, कॉर्पोरेट संसूचना नीति, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति, कॉरपोरेट अभिशासन पर बैंक की आचार संहिता, बीसीपी - नीति, जमा नीति आदि।
P9	Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner	Cyber Security Policy, Cyber Crisis Management Plan, Information Security Policy, Compliance Policy, Corporate Communication Policy, Policy on Corporate Social Responsibility, Bank's Code of Conduct on Corporate Governance, BCP - Policy, Deposit Policy etc.

खंड ग : सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन प्रकटन

Section C : Principle wise Performance Disclosure

सिद्धांत 1: व्यवसाय को ईमानदारी अर्थात नीतिसम्मतता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ अपना संचालन और नियंत्रण करना चाहिए।

Principle 1: Businesses Should Conduct and Govern Themselves with Integrity, and in a Manner that is Ethical, Transparent and Accountable.

आवश्यक संकेतक

Essential Indicators

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवरेज प्रतिशतः

Percentage coverage by training and awareness programmes on any of the Principles during the financial year:

खंड **Segment**	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या **Total number of training and awareness programmes held**	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/ सिद्धांत और उसका प्रभाव **Topics / principles covered under the training and its impact**	जागरुकता कार्यक्रमों द्वारा कवर किए गए संबंधित श्रेणी में व्यक्तियों का प्रतिशत **%age of persons in respective category covered by the awareness programmes**
निदेशक मंडल (बीओडी) Board of Directors (BOD)	1	ऋण जोखिम प्रबंधन आदि से संबंधित क्षेत्र। Areas relating to Credit Risk Management, etc.	10
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) Key Managerial Personnel (KMP)	3	नेतृत्व विकास, परिचालन जोखिम प्रबंधन, साइबर सुरक्षा जागरूकता तथा अनुपालन। Leadership Development, Operational Risk Management, Cyber Security Awareness, Compliance	40
बीओडी/केएमपी को छोड़कर अन्य कर्मचारी Employees other than BOD/KMP	1992	नैतिकता, शासन, परिचयात्मक प्रशिक्षण, अभिमुखीकरण तथा कौशल विकास कार्यक्रम। Ethics, Governance, Induction, Orientation, Skill Development program	97.05
श्रमिक / Workers		लागू नहीं / Not Applicable	

2. वित्तीय वर्ष 2025-26 में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाहियों (इकाई द्वारा या निदेशकों/केएमपी द्वारा) में भुगतान किए गए जुर्माने/दंड/सजा/पंचाट/ योग किया गया शुल्क/ निपटान राशि का विवरणः
(नोटः संस्था सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण दायित्व) विनियमन, 2015 के विनियम 30 में विनिर्दिष्ट और संस्था की वेबसाइट में प्रकट की गई तथ्यपरकता के आधार पर प्रकटीकरण करेगी।):

2. Details of fines / penalties /punishment/ award/ compounding fees/ settlement amountpaid in proceedings (by the entity or by directors / KMPs) with regulators/ lawenforcement agencies/ judicial institutions in FY 2025-26 :
(Note: the entity shall make disclosures on the basis of materiality as specified in Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Obligations) Regulations, 2015 and as disclosed on the entity's website):

मौद्रिक / Monetary					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत NGRBC Principle	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थानों का नाम Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions	राशि (रुपए में) Amount (In Rs.)	प्रकरण की संक्षिप्त विवरण Brief of the Case	क्या अपील दायर की गई है?(हां/नहीं) Has an appeal been preferred? (Yes/No)
शास्ति/जुर्माना Penalty/Fine	बैंक द्वारा भुगतान किया गया शास्ति/जुर्माना/समझौता/ संयोजन शुल्क, यदि कोई हो, बैंक की गुरुता नीति के अनुसार महत्वपूर्ण नहीं है और वित्तीय परिणामों के हिस्से के रूप में खातों के नोट में तिमाही आधार पर प्रकट किया जाता है। Penalty/Fine/Settlement/Compounding fee, if any, paid by the Bank is not material as per the Materiality policy of the Bank. Details of penalty are being disclosed on a quarterly basis in the notes to accounts forming part of financial results.				
समझौता Settlement					
संयोजन शुल्क Compounding fee					
गैर-मौद्रिक / Non-Monetary					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत NGRBC Principle	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थानों का नाम Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions	राशि (रुपए में) Amount (In Rs.)	प्रकरण की संक्षिप्त विवरण Brief of the Case	क्या अपील दायर की गई है?(हां/नहीं) Has an appeal been preferred? (Yes/No)
कारावास Imprisonment	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
दंड Punishment	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil

3. उपर्युक्त प्रश्न 2 में बताए गए उदाहरणों में से, अपील/संशोधन का विवरण उन मामलों में पसंद किया जाता है जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई हो।

- लागू नहीं

3. Of the instances disclosed in Question 2 above, details of the appeal/revision preferred in cases where monetary or non-monetary action has been appealed.

- Not Applicable

4. क्या संस्था के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वतखोरी विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षेप में विवरण दें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

जी हाँ। बैंक ने व्हिसल ब्लोअर नीति बनाई है और यह बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध ह। (वेबलिंक Weblink https://uco.bank.in/documents/d/guest/whistle-blower-policy)

नीति का उद्देश्य बैंक में कार्यपालकों/अधिकारियों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को उजागर करके भ्रष्टाचार को कम करना और व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा करना है। बैंक उच्चतम नैतिक मानकों के साथ और सभी लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करते हुए कारोबार करने और अपने सभी हितधारकों के साथ व्यवहार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

4. Does the entity have an anti-corruption or anti-bribery policy? If yes, provide details in brief and if available, provide a web-link to the policy.

Yes. The Bank has framed Whistle Blower Policy and the same is available on Bank's Website.(Weblink https://uco.bank.in/documents/d/guest/whistle-blower-policy)

The objective of the policy is to reduce corruption and safeguarding whistle blower who sounded the misuse of power by Executives/Officers in the bank from victimization. The Bank is committed towards conducting the business and dealing with all its stakeholders, with highest ethical standards and in compliance with all the applicable laws and regulations.

बैंक के आंतरिक पोर्टल पर व्हिसल ब्लोअर के लिए एक अलग लिंक बनाया गया है।संस्था के भीतर चल रही किसी भी गैरकानूनी गतिविधियों / धोखाधड़ी / निवारक सतर्कता को लागू करने के लिए आवश्यक कदमों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए बैंक के सभी कर्मचारियों के लिए यह लिंक उपलब्ध है।पोर्टल व्हिसिल ब्लोअर के बारे में सभी जानकारी और घटना/सूचना का पूरा विवरण दर्ज करेगा।इस लिंक पोर्टल का उपयोग करके दर्ज किए गए विवरण को विशेष रूप से बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा एक्सेस किया जाएगा।

A separate link for the Whistle Blower has been created inside Bank's Internal portal. The link is accessible to all employees of the Bank to share information about any unlawful activities going on within organization / frauds / steps required to implement preventive vigilance. The portal will capture all information about the Whistle Blower and complete details of incident/information. The details entered using this link portal will be accessed exclusively by Chairman of the Audit Committee of Board.

5. निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या जिनके विरुद्ध रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गईः

5. Number of Directors/KMPs/employees/workers against whom disciplinary action was taken by any law enforcement agency for the charges of bribery/ corruption:

	वित्तीय वर्ष / FY 2025-26	**वित्तीय वर्ष / FY 2024-25**
निदेशक / Directors	शून्य / Nil	शून्य / Nil
केएमपी / KMP's	शून्य / Nil	शून्य / Nil
कर्मचारी / Employees	शून्य / Nil	शून्य / Nil
श्रमिक / Workers	लागू नहीं / N A	लागू नहीं / N A

6. हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरणः

6. Details of complaints with regard to conflict of interest:

	वित्तीय वर्ष / FY 2025-26		**वित्तीय वर्ष / FY 2024-25**	
	संख्या Number	**टिप्पणियाँ Remarks**	**संख्या Number**	**टिप्पणियाँ Remarks**
निदेशकों के हितों के टकराव के मामलों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या। Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the Directors	शून्य Nil	-	शून्य Nil	-
केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the KMPs	शून्य Nil	-	शून्य Nil	-

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों में जुर्माने/दंड/नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

- शून्य

7. Provide details of any corrective action taken or underway on issues related to fines / penalties / action taken by regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, on cases of corruption and conflicts of interest.

- Nil

8. निम्नलिखित प्रारूप में देय खातों (देय खाते *365) के दिनों की संख्या/ खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत):

8. Number of days of accounts payables ((Accounts payable *365) / Cost of goods/services procured) in the following format:

	वित्तीय वर्ष / FY 2025-26	**वित्तीय वर्ष / FY 2024-25**
देय खातों के दिनों की संख्या Number of days of account payables	22.72	15.34

9. कारोबार का खुलापन

निम्नलिखित प्रारूप में व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ खरीद एवं बिक्री के साथ-साथ ऋण, अग्रिम और निवेश की जानकारी प्रदान करें:

9. Open-ness of business

Provide details of concentration of purchases and sales with trading houses, dealers, and related parties along-with loans and advances & investments, with related parties, in the following format:

मापदंड/ Parameter	मैट्रिक्स/ Metrics	वित्तीय वर्ष / FY 2025-26	वित्तीय वर्ष / FY 2024-25
खरीद का संकेन्द्रण Concentration of Purchases	क) कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में व्यापारिक घरानों से खरीद a. Purchases from trading houses as % of total purchases.	व्यवसाय की प्रकृति के कारण लागू नहीं। Not Applicable owing to the nature of Business	
	ख) व्यापारिक घरानों की संख्या जहां से खरीदारी की जाती है b. Number of trading houses where purchases are made from		
	ग) व्यापारिक घरानों से कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में शीर्ष 10 व्यापारिक घरानों से खरीदारी c. Purchases from top 10 trading houses as% of total purchases from trading houses		
बिक्री का संकेन्द्रण Concentration of Sales	क) कुल बिक्री के % के रूप में डीलरों/वितरकों को बिक्री a. Sales to dealers/distributors as % of total sales		
	ख) डीलरों/वितरकों की संख्या जिन्हें बिक्री की जाती है b. Number of dealers/distributors to whom sales are made		
	ग) डीलरों/वितरकों को कुल बिक्री के प्रतिशत के रूप में शीर्ष 10 डीलरों/वितरकों को बिक्री c. Sales to Top 10 dealers/distributors as % of total sales to dealers/distributors		
इसमें आरपीटी का भाग Share of RPTs in	क) खरीद (संबंधित पक्षों के साथ खरीद/कुल खरीद) a. Purchases (Purchases with related parties/Total purchases)	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	ख) बिक्री (संबंधित पक्षों को बिक्री/कुल बिक्री) b. Sales (Sales to related parties/Total Sales)	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	ग) ऋण एवं अग्रिम (संबंधित पक्षों को दिये गये ऋण एवं अग्रिम/कुल ऋण एवं अग्रिम) c. Loans & Advances (Loans & Advances given to related parties/Total loans & advances)	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	घ) संबंधित पक्षों में निवेश/किया गया कुल निवेश d. Investments in related parties/Total investment made	शून्य / Nil	शून्य / Nil

नेतृत्व संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य शृंखला भागीदारों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

   - शून्य

2. क्या संस्था के पास बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने/ प्रबंधित करने के लिए प्रक्रियाएँ हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो उसका विवरण दें।

   हाँ। बैंक ने अपने बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने और उन्हें प्रबंधित करने के लिए प्रक्रियाएँ स्थापित की हैं। इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, बैंक प्रत्येक निदेशक से वार्षिक आधार पर एक घोषणा प्राप्त करता है जिसमें अन्य संस्थाओं के साथ उनके हितों/ संबंधों का खुलासा किया जाता है। अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस ढांचे के तहत, बैंक ने सभी निदेशकों और कोर प्रबंधन कर्मियों पर लागू एक आचार संहिता लागू की है। यह आचार संहिता हितों के टकराव को रोकने के लिए क्या करें और क्या न करें की रूपरेखा तैयार करती है और निदेशकों को ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल होने से रोकती है जो ऐसे टकरावों को जन्म दे सकती है। प्रत्येक निदेशक वार्षिक आधार पर हस्ताक्षरित घोषणा के माध्यम से आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि करता है।

Leadership Indicators

1. Awareness programmes conducted for value chain partners on any of the principles during the financial year.

   - Nil

2. Does the entity have processes in place to avoid/ manage conflict of interests involving members of the board? (Yes/ No) If yes, provide details of the same.

   Yes. The Bank has established processes to avoid and manage conflicts of interest involving its Board members.As part of this process, Bank obtains declaration on an annual basis from each Director disclosing their interests/ associations with other entities.Under its Corporate Governance framework, the Bank has implemented a Code of Conduct applicable to all Directors and Core Management personnel.This Code of Conduct outlines the dos and don'ts to prevent conflicts of interest and restrains Directors from engaging in any activities that may give rise to such conflicts.Each Director affirms compliance with the Code of Conduct through a signed declarationon an annual basis.

सिद्धांत- 2 : व्यवसाय को ऐसी वस्तुएँ और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हों

आवश्यक संकेतक

1. उत्पाद के पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों में सुधार के लिए विशिष्ट तकनीकों में अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत और क्रमशः संस्थान द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय निवेश की प्रक्रियाएं।

Principle 2 : Businesses Should Provide Goods and Services in a Manner that is Sustainable and Safe

Essential Indicators

1. Percentage of R&D and capital expenditure (capex) investments in specific technologies to improve the environmental and social impacts of product and processes to total R&D and capex investments made by the entity, respectively

	वित्तीय वर्ष / FY 2025-26	वित्तीय वर्ष / FY 2024-25	पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण Details of improvements in environmental and social impacts
आर एंड डी R & D	लागू नहीं / Not Applicable		
कैपेक्स CAPEX			

बैंक के व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए, विशिष्ट तकनीकों में अनुसंधान एवं विकास निवेश के लिए सीमित अवसर और गुंजाइश थी जो बैंकिंग उत्पादों और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को बढ़ा सके।

बैंक का पूँजी निवेश प्रमुखतः सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) केपैक्स तक सीमित है। डिजिटल प्लेटफार्मों को अधिकता से अपनाने से न केवल प्रचालनों की कार्यक्षमता बढ़ती है बल्कि कागज की खपत में भी बहुत हद तक कमी आना सुनिश्चित होता है जिससे कार्बन फुटप्रिंट परोक्ष रूप से घटता है।

Given the nature of business of the Bank, there were limited opportunities and scope for R&D investments in specific technologies that could enhance the environmental and social impacts of banking products and processes.

Bank capital investment is largely restricted to Information Technology (IT) capex. Greater adoption of digital platforms not only brings in increased efficiencies of operations but also ensures substantially reduced consumption of paper, thereby indirectly reducing the carbon footprints.

2. ए. क्या संस्था के पास टिकाऊ सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएँ हैं?

एक वित्तीय सेवा संस्थान होने के कारण बैंक का कच्चे माल की खरीद से प्रत्यक्ष संबंध सीमित है। तथापि, बैंक की खरीद प्रक्रियाओं में सततता संबंधी विचारों को समाहित किया गया है। बैंक द्वारा खरीद कार्य सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) तथा अन्य अनुमोदित माध्यमों के जरिए किया जाता है, जिससे पारदर्शिता एवं सरकारी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिचित होता है।

2. a. Does the entity have procedures in place for sustainable sourcing?

Being a financial services institution, the Bank has limited direct exposure to raw material sourcing. However, sustainability considerations are embedded in its procurement practices. The Bank undertakes procurement through Government e-Marketplace (GeM) and other approved channels, ensuring transparency and compliance with Government guidelines.

आईटी उपकरणों, विद्युत उपकरणों तथा अवसंरचना संबंधी वस्तुओं की खरीद में लागू ऊर्जा दक्षता एवं पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने वाले उत्पादों को प्राथमिकता दी जाती है। नवीनीकरण एवं अवसंरचना संबंधी निविदाओं में भी सततता पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है, जिसमें ऊर्जा-कुाल प्रणालियों एवं पर्यावरण-अनुकूल विनिर्देशों को अपनाना शामिल है।

बी. यदि हां, तो कितने प्रतिशत निविष्टियों को टिकाऊ रूप से प्राप्त किया गया?

लागू नहीं। एक वित्तीय सेवा संस्थान होने के कारण बैंक के परिचालन में कच्चे माल की महत्वपूर्ण खरीद शामिल नहीं है। साथ ही, सतत खरीद संबंधी पहलुओं को वर्तमान में खरीद प्रक्रियाओं में समाहित किया गया है (जैसे ऊर्जा-कुशल एवं पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप उत्पादों को प्राथमिकता देना); तथापि, बैंक सतत रूप से प्राप्त इनपुट्स के प्रतिशत का मात्रात्मक अभिलेख नहीं रखता है।

3. (ए) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (बी) ई-अपशिष्ट (सी) हानिकारक अपशिष्ट और (डी) अन्य अपशिष्ट के लिए उनके जीवन के अंत में पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए अपने उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

बैंक के सामान्य परिचालन में कोई भौतिक उत्पाद उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। अतः बैंकिंग व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए उपयोग के पचात उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा लागू नहीं होती है।

ए) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) - लागू नहीं

बी) ई- अपशिष्ट - लागू नहीं

सी) हानिकारक अपशिष्ट - लागू नहीं

डी) अन्य अपशिष्ट - लागू नहीं

4. क्या विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) इकाई की गतिविधियों पर लागू होता है (हां/नहीं)? यदि हां, तो क्या अपशिष्ट संग्रह योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इससे निपटने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दें।

बैंक के लिए लागू नहीं है।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या इकाई ने अपने किसी उत्पाद (निर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/ मूल्यांकन (एलसीए) आयोजित किया है? यदि हॉ, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण दें?

In procurement of IT equipment, electrical appliances and infrastructure-related items, preference is accorded to products meeting applicable energy efficiency and environmental standards. Sustainability aspects are also considered in renovation and infrastructure tenders, including adoption of energy-efficient systems and eco-friendly specifications.

b. If yes, what percentage of inputs were sourced sustainably?

Not applicable. Being a financial services institution, the Bank's operations do not involve significant raw material sourcing. Further, sustainable sourcing is currently embedded in procurement practices (such as preference for energy-efficient and environmentally compliant products); however, the Bank does not maintain a quantified measure of the percentage of inputs sourced sustainably.

3. Describe the processes in place to safely reclaim your products for reusing, recycling and disposing at the end of life, for (a) Plastics (including packaging) (b) E-waste (c) Hazardous waste and (d) other waste

The Bank does not have physical product offerings in the normal course of operations. As a result, the amount of waste generated after use is not applicable given the nature of the banking business

a) Plastics (including packaging) - Not Applicable

b) E-waste - Not Applicable

(c) Hazardous waste - Not Applicable

(d) Other waste - Not Applicable

4. Whether Extended Producer Responsibility (EPR) is applicable to the entity's activities (Yes / No). If yes, whether the waste collection plan is in line with the Extended Producer Responsibility (EPR) plan submitted to Pollution Control Boards? If not, provide steps taken to address the same.

Not Applicable for Bank.

Leadership Indicators

1. Has the entity conducted Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) for any of its products (for manufacturing industry) or for its services (for service industry)? If yes,provide details in the following format?

एनआईसी कोड	सेवा का नाम	टर्नओवर का प्रतिशत योगदान	सीमा जिसके लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन किया गया था	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है (हां/नहीं) यदि हां, तो वेब-लिंक प्रदान करें।
NIC Code	Name of Service	% of Turnover contributed	Boundary for which the Life Cycle Perspective / Assessment was conducted	Whether conducted by independent external agency (Yes/ No)	Results communicated in public domain (Yes/No) If yes, provide the web-link.
बैंक के लिए लागू नहीं / Not Applicable for Bank					

2. यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से उत्पन्न कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिम हैं, जैसा कि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम से पहचाना गया है, तो उसको कम करने के लिए कार्रवाई के साथ-साथ उसका संक्षेप में वर्णन करें।

2. If there are any significant social or environmental concerns and/or risks arising from production or disposal of your products / services, as identified in the Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) or through any other means, briefly describe the same along-with action taken to mitigate the same.

उत्पाद/सेवा का नाम Name of Product / Service	जोखिम/संस्था का विवरण Description of the risk / concern	की गई कार्रवाई Action Taken
बैंक के लिए लागू नहीं / Not Applicable for Bank		

3. उत्पादन (निर्माण उद्योग के लिए) या सेवा प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्याधारित) में पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत।

3. Percentage of recycled or reused input material to total material (by value) used in production (for manufacturing industry) or providing services (for service industry).

इनपुट सामग्री इंगित करें Indicate input material	कुल सामग्री के लिए पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की जाने वाली इनपुट सामग्री Recycled or re-used input material to total material	
	वित्तीय वर्ष / FY 2025-26	वित्तीय वर्ष / FY 2024-25
व्यवसाय की प्रकृति की वजह से प्रयोज्य नहीं है / Not applicable owing to the nature of business		

4. उत्पादों के जीवन के अंत में पुनः प्राप्त किए गए उत्पादों और पैकेजिंग में से, राशि (मीट्रिक टन में) का पुनः उपयोग, पुनर्नवीनीकरण और सुरक्षित रूप से निपटान।

बैंक की सेवाओं से उपभोक्ता-उपरांत महत्वपूर्ण अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होता है; अतः बैंक द्वारा ऐसे किसी अपशिष्ट का पुनर्ग्रहण नहीं किया जाता है।

4. Of the products and packaging reclaimed at end of life of products, amount (in metric tonnes) reused, recycled, and safely disposed.

Bank's services do not result in material post-consumer waste generation hence, no such waste is reclaimed by the Bank.

	वित्तीय वर्ष / FY 2025-26			वित्तीय वर्ष / FY 2024-25		
	पुनः उपयोग Re-Used	पुनर्नवीनीकरण Recycled	सुरक्षित रूप से निपटारा Safely Disposed	पुनः उपयोग Re-Used	पुनर्नवीनीकरण Recycled	सुरक्षित रूप से निपटारा Safely Disposed
प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)/ Plastics (including packaging)	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA
ई-अपशिष्ट/E-waste	शून्य/Nil	शून्य/Nil	1.28 टन/tonnes	शून्य/Nil	शून्य/Nil	22 टन/tonnes
हानिकारक अपशिष्ट Hazardous waste	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA
अन्य अपशिष्ट Other Waste	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनः प्राप्त किए गए उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)।

5. Reclaimed products and their packaging materials (as percentage of products sold) for each product category.

उत्पाद श्रेणी इंगित करें Indicate Product category	पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री संबंधित श्रेणी में बेचे गए कुल उत्पादों के प्रतिशत Reclaimed products and their packaging materials as % of total products sold in respective category
व्यवसाय की प्रकृति की वजह से प्रयोज्य नहीं है / Not applicable owing to the nature of business	

सिद्धांत-3 : व्यवसायों को सभी कर्मचारियों तथा मूल्य शृंखला में शामिल लोगों का सम्मान करना चाहिए तथा उनके कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. ए. कर्मचारियों की भलाई के लिए उपायों का विवरण:

Prinicple 3 : Businesses Should Respect and Promote The Well-being of all Employees, including those in their Value Chains

Essential Indicators

1. a. Details of measures for the well-being of employees:

श्रेणी Category	कवर किए गए कर्मचारियों का प्रतिशत / % of employees covered by										
	कुल (ए) Total (A)	स्वास्थ्य बीमा Health Insurance		दुर्घटना बीमा Accident Insurance		मातृत्व लाभ Maternity benefits		पितृत्व लाभ Paternity benefits		डे केयर सुविधाएं Day Care facilities	
		संख्या (बी) No. (B)	% (बी/ए)/ (B/A)	संख्या (सी) No. (C)	% (सी/ए)/ (C/A)	संख्या (डी) No. (D)	% (डी/ए)/ (D/A)	संख्या (ई) No. (E)	% (ई/ए)/ (E/A)	संख्या (एफ) No. (F)	% (एफ/ए)/ (F/A)
स्थायी कर्मचारी / Permanent Employees											
पुरुष MALE	14785	14785	100	-	-	-	-	14785	100	-	-
महिला FEMALE	6199	6199	100	-	-	6199	100	-	-	-	-
कुल TOTAL	20984	20984	100	-	-	6199	29.54	14785	70.46	-	-
स्थायी कर्मचारी के अलावे / Other than Permanent Employees											
पुरुष MALE	लागू नहीं / Not Applicable										
महिला FEMALE											
कुल TOTAL											

बी. श्रमिकों की भलाई के लिए उपायों का विवरण:
लागू नहीं

सी. निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारियों एवं श्रमिकों (स्थायी और स्थायी के अलावा अन्य सहित) के कल्याण के उपायों पर खर्च करना -

b. Details of measures for the well-being of workers : Not applicable

c. Spending on measures towards well-being of employees and workers (including permanent and other than permanent) in the following format -

	वित्तीय वर्ष / FY 2025-26	वित्तीय वर्ष / FY 2024-25
बैंक के कुल राजस्व के % के रूप में कल्याण के उपायों व्ययगत लागत Cost incurred on well-being measure as a % of total revenue of the bank	0.85	0.75

नोट : 1. वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कर्मचारी कल्याण उपायों के दायरे का विस्तार किया गया है। तदनुसार, तुलनात्मकता सुनिचित करने हेतु वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़े को कुल राजस्व के 0.39% से संशोधित कर 0.75% कर दिया गया है।

नोटः2. इस बिंदु के लिए उचित आश्वासन प्राप्त किया गया है।

Note: 1. The scope of employee well-being measures has been expanded during FY 2025-26. Accordingly, for comparability, the FY 2024-25 figure has been restated from 0.39% to 0.75% of total revenue.

Note : 2. Reasonable Assurance obtained for this Point.

2. वर्तमान और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण

2. Details of retirement benefits for the Current and Previous Financial Year

लाभ Benefits	वित्तीय वर्ष / FY 2025-26		वित्तीय वर्ष / FY 2024-25	
	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या No. of employees covered as a % of total employees	कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा की गई (हां/नहीं/लागू नहीं। Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या No. of employees covered as a % of total employees	कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा की गई (हां/नहीं/लागू नहीं। Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)
पीएफ़ PF	13.77	हाँ / Y	15.42	हाँ / Y
ग्रेच्युटी Gratuity	100	हाँ / Y	100	हाँ / Y
ईएसआई ESI	लागू नहीं / N A	लागू नहीं / N A	लागू नहीं / N A	लागू नहीं / N A
अन्य - एनपीएस Others - NPS	86.23	हाँ / Y	84.58	हाँ / Y

3. कार्यस्थलों तक पहुँच

क्या दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार, संस्था के परिसर/कार्यालय अलग-अलग विकलांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या संस्था द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाए जा रहे हैं।

हां, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार परिसर/कार्यालय दिव्यांग कर्मचारियों के लिए सुलभ हैं।

3. Accessibility of workplaces

Are the premises / offices of the entity accessible to differently abled employees and workers, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If not, whether any steps are being taken by the entity in this regard.

Yes, the premises/offices are accessible to differently abled employees as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

4. क्या संस्था के पास विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि ऐसा है, तो नीति के लिए एक वेब-लिंक प्रदान करें।

बैंक की समान अवसर नीति है जो निम्नलिखित वेब लिंक पर उपलब्ध है : https://www.uco.bank.in/documents/d/guest/equal-opportunity-policy-for-fy-2024-27

4. Does the entity have an equal opportunity policy as per the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If so, provide a web-link to the policy.

Bank has Equal Opportunity Policy which is available on the given web link :https://www.uco.bank.in/documents/d/guest/equal-opportunity-policy-for-fy-2024-27

5. स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दर -

5. Return to work and Retention rates of permanent employees and workers that took parental leave.-

	स्थायी कर्मचारी / Permanent employees	
लिंग Gender	काम पर वापसी का दर Return to work rate	प्रतिधारण दर Retention rate
पुरुष / Male	100%	100%
महिला / Female	100%	100%
कुल / Total	100%	100%

6. क्या कर्मचारियों और श्रमिकों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें।

6. Is there a mechanism available to receive and redress grievances for the following categories of employees and workers?If yes, give details of the mechanism in brief.

	हाँ /नहीं (यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें) Yes/No (if yes, give details of the mechanism in brief)
स्थायी कर्मचारी Permanent Employees	जी हाँ। बैंक के पास अपने कर्मचारियों के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र है। कर्मचारी बैंक आंतरिक एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं Yes. Bank has a Grievance Redressal Mechanism for its employees. Employees can raise their grievances through Bank Internal HRMS Portal.
स्थायी कर्मचारियों के अलावा Other than Permanent Employees	लागू नहीं / Not Applicable
स्थायी श्रमिक Permanent Workers	लागू नहीं / Not Applicable
स्थायी श्रमिकों के अलावा Other than Permanent workers	लागू नहीं / Not Applicable

7. बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त संघों या यूनियनों में कर्मचारियों और कामगारों की सदस्यता :

7. Membership of employees and worker in association(s) or Unions recognised by the Bank:

श्रेणी Category	वित्तीय वर्ष / FY 2025-26			वित्तीय वर्ष / FY 2024-25		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी (ए) Total employees in respective category (A)	संबंधित श्रेणी में एसोसिएशन या यूनियन में शामिल कर्मचारियों की संख्या (बी) No. of employees in respective category, who are part of association(s) or Union (B)	% (बी/ए) % (B/A)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी (सी) Total employees in respective category (C)	संबंधित श्रेणी में एसोसिएशन या यूनियन में शामिल कर्मचारियों की संख्या (डी) No. of employees in respective category, who are part of association(s) or Union (D)	% (डी/सी) % (D/C)
कुल स्थायी कर्मचारी Total Permanent Employees	20984	18694	89.08	21049	19047	90.48
- पुरुष/Male	14785	12998	87.91	14913	13346	89.49
- महिला/Female	6199	5696	91.88	6136	5701	92.91
कुल स्थायी श्रमिक Total Permanent workers	लागू नहीं / Not Applicable					
- पुरुष /Male						
- महिला/Female						

8. कर्मचारियों एवं श्रमिकों को दिये गये प्रशिक्षण का विवरण:

8. **Details of training given to employees and workers :**

श्रेणी Category	वित्तीय वर्ष / **FY 2025-26**					वित्तीय वर्ष / **FY 2024-25**				
	कुल (ए) **Total (A)**	स्वास्थ्य और सुरक्षा/ कल्याण पर **On health and safety/wellness measures**		कौशल उन्नयन पर **On skill upgradation**		कुल (डी) **Total (D)**	स्वास्थ्य और सुरक्षा/ कल्याण पर **On health and safety/wellness measures**		कौशल उन्नयन पर **On skill upgradation**	
		(बी) **(B)**	% (बी/ए)/ **(B/A)**	(सी) **(C)**	% (सी/ए)/ **(C/A)**		(ई) **(E)**	% (ई/डी)/ **(E/D)**	(एफ) **(F)**	% (एफडी) **(F/D)**
कर्मचारी / Employees										
पुरुष MALE	14785	2225	15.05	12518	84.67	14921	3535	23.69	10781	72.25
महिला FEMALE	6199	951	15.34	5151	83.09	6137	1222	19.91	4547	74.09
कुल TOTAL	20984	3176	15.14	17669	84.20	21058	4757	22.59	15328	72.79
श्रमिक / Workers										
पुरुष MALE	लागू नहीं / Not Applicable									
महिला FEMALE										
कुल TOTAL										

9. कर्मचारियों और श्रमिकों के कार्यनिष्पादन और करियर विकास समीक्षा का विवरण:

9. **Details of performance and career development reviews of employees and workers:**

श्रेणी/ **Category**	वित्तीय वर्ष / **FY 2025-26**			वित्तीय वर्ष / **FY 2024-25**		
	कुल (ए)/ **Total (A)**	संख्या (बी)/ **No. (B)**	% (बी/ए)/ **% (B/A)**	कुल (सी)/ **Total (C)**	संख्या (डी)/ **No. (D)**	% (डी/सी)/ **% (D/C)**
कर्मचारी / Employees						
पुरुष/Male	14785	9487	64.16	14913	9260	62.09
महिला/Female	6199	4066	65.59	6136	3930	64.05
कुल/Total	20984	13553	64.58	21049	13190	62.66
श्रमिक / Workers						
पुरुष/Male	लागू नहीं / Not Applicable					
महिला/Female						
कुल/Total						

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली :

ए) क्या संस्थान द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हां नहीं)? यदि हां, तो ऐसी व्यवस्था के बारे में बताएं।

हमारे पास पूरे भारत में फैली सभी शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों में एक सक्रिय जीविका स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली है।

बी) कार्य से संबंधित खतरों की पहचान करने और संस्थान द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?

कारोबार के प्रकार को देखते हुए यह प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं है। तथापि नियत अवधि पर फायर मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है, जिससे कि जोखिमों का आकलन किया जा सके तथा संबंधित कर्मचारियों में जागरूकता पैदा की जा सके।

सी) क्या आपके पास काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और कर्मचारियों को ऐसे जोखिमों से दूर रखने के लिए के लिए प्रक्रियाएं हैं ? (हाँ/नहीं) - लागू नहीं

डी) क्या कर्मचारियों की गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है? (हां/नहीं)

जी हाँ, सभी बैंक कर्मचारियों को आईबीए के द्वारा यथानिर्धारित समूह स्वास्थ्य चिकित्सा बीमा पॉलिसी के अंतर्गत बीमारक्षित किया गया है। बीमित राशि से अधिक के खर्च को भी नियमों और शर्तों के अधीन कारपोरेट अधिशेष के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। बैंक स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी प्रदान करता है, जैसे वार्षिक स्वास्थ्य जांच सुविधा, वार्षिक चिकित्सा भत्ता, चश्मे की लागत की प्रतिपूर्ति, नियत अवधि पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच आदि।

10. Health and Safety management system :

a) Whether an occupational health and safety management system has been implemented by the entity? (Yes/ No). If yes, the coverage such system?

We have an active occupational health and safety management system at all the branches & administrative offices spreading across Pan India.

b) What are the processes used to identify work-related hazards and assess risks on aroutine and non-routine basis by the entity? -

Given the nature of business, this is not directly applicable. However, fire mock drills are conducted on a periodical basis for assessing the risks and creating awareness among the employees concerned.

c) Whether you have processes for workers to report the work related hazards and toremove themselves from such risks. (Y/N) -Not Applicable

d) Do the employees have access to non-occupational medical and healthcare services? (Yes/ No)

Yes. All employees of Bank are covered under Group Health Medical Insurance policy as envisaged by IBA. Expenses incurred over and above the sum insured are also covered under Corporate Buffer subject to terms & conditions. Bank also provides health related facilities viz.Yearly Health Checkup facility, Annual Medical Allowance, reimbursement of cost of spectacles, periodic free health checkup camp etc.

11. सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण :

11. Details of safety related incidents :

सुरक्षा घटना/संख्या Safety incident/number	श्रेणी Category	वित्तीय वर्ष / FY 2025-26	वित्तीय वर्ष / FY 2024-25
काम के समय चोट/घटना बारंबारता दर (एलटीआईएफ़आर) (प्रति दस लाख व्यक्ति के कार्य घंटे में) Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) (per one million-person hours worked) कुल रिकॉर्ड करने योग्य काम से संबंधित चोटें Total recordable work-related injuries सुविधाओं की संख्या No. of fatalities उच्च परिणाम कार्य-संबंधी चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर) High consequence work-related injury or ill-health (excluding fatalities)	कर्मचारी और श्रमिक Employees & Workers	लागू नहीं / Not Applicable	

12. सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए संस्थान द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।

सुरक्षा और संरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुपालन में, हमने सभी शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों में व्यापक उपाय किए हैं। इसमें आग के खतरों को कम करने के लिए अग्निशामक यंत्रों और

12. Describe the measures taken by the entity to ensure a safe and healthy work place.

In adherence to our commitment to safety and security, we have implemented comprehensive measures across all branches and administrative offices. This includes the

हमारी ऊंची इमारतों में अग्नि हाइड्रेंट तथा अलार्म प्रणाली का संस्थापन शामिल है। इसके अलावा, अपनी परिसंपत्ति और अपने कर्मियों दोनों की सुरक्षा के लिए देश भर में हमने अपनी सभी शाखाओं में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली और डिजिटल फायर सह बर्गलर अलार्म प्रणाली स्थापित किए हैं।

अपने प्रधान कार्यालयों में, हमने आगंतुकों की पहुंच को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए सक्रिय आगंतुक प्रबंधन प्रणाली और फ्लैप बाधाओं का एकीकरण किया है। इसके अतिरिक्त, संभावित खतरों या निषिद्ध वस्तुओं की पहचान और रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए, कर्मचारियों और आगंतुकों दोनों के सामानों की पूरी तरह से जांच करने के लिए एक्स-रे बैगेज स्कैनर मशीनें लगाई गई हैं।

installation of fire extinguishers to mitigate fire risks and the deployment of fire hydrants and alarm systems in our high-rise buildings. Furthermore, to safeguard both our assets and the well-being of our personnel, we have deployed CCTV surveillance systems and Digital Fire cum Burglar alarm systems throughout our branches nationwide.

At our Head Offices, we have integrated Active Visitor Management system and Flap barriers to regulate visitor access effectively. Additionally, X-ray baggage scanner machines have been installed to thoroughly screen the belongings of both staff and visitors, ensuring the identification and prevention of potential threats or prohibited items.

13. कर्मचारियों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या :

13. Number of Complaints on the following made by employees :

श्रेणी **Category**	वित्तीय वर्ष / **FY 2025-26**			वित्तीय वर्ष / **FY 2024-25**		
	वर्ष भर में दर्ज **Filed during the year**	**वर्ष के अंत में निपटान के लिए लंबित** **Pending resolution at the end of the year**	**टिप्पणियाँ** **Remarks**	**वर्ष भर में दर्ज** **Filed during the year**	**वर्ष के अंत में निपटान के लिए लंबित** **Pending resolution at the end of the year**	**टिप्पणियाँ** **Remarks**
कार्य की स्थिति Working conditions	-	-	-	-	-	-
स्वास्थ्य व सुरक्षा Health & Safety	-	-	-	-	-	-

14. वर्षभर के लिए आकलन / Assessments for the year :

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का प्रतिशत जिनका मूल्यांकन किया गया था (किसी संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्ष द्वारा) % of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
स्वास्थ्य और सुरक्षा आचरण / Health and Safety practices	100%*
कार्य की स्थिति / Working Conditions	लागू नहीं / Not Applicable

* *बैंक के पास विभिन्न वार्षिक रखरखाव अनुबंध हैं जो इसके कार्यालयों/शाखाओं के लिए विभिन्न सुरक्षा प्रथाओं से संबंधित हैं /*
Bank has various annual maintenance contracts which deals with various safety practices for its offices/branches

15. सुरक्षा से संबंधित घटनाओं (यदि कोई हो) से निपटने के लिए और स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

बैंक ने समय-समय पर अपने मुख्यालय में पुलिस विभाग और पश्चिम बंगाल के अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग के सहयोग से मॉक फायर ड्रिल का आयोजन किया, ताकि जागरूकता बढ़ाई जा सके और हमारे कर्मियों को अप्रत्याशित आग की घटनाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक कौशल से लैस किया जा सके। इसके अलावा, अग्नि सुरक्षा के लिए आवश्यक निर्देश और व्यापक दिशा-निर्देश हमारी सभी शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों में अग्निशामक यंत्रों के उचित उपयोग के लिए प्रमुखता से प्रदर्शित किए गए हैं। स्टाफ सदस्यों को पोर्टेबल अग्निशामक यंत्रों के सही संचालन और प्रभावी उपयोग पर जागरूकता सत्र भी प्रदान किया गया।

15. Provide details of any corrective action taken or underway to address safety-related incidents (if any) and on significant risks / concerns arising from assessments of health & safety practices and working conditions.

Bank organized a mock fire drill in collaboration with the Police Department and Fire & Emergency Services Department of West Bengal at our Head Office from time to time to enhance awareness and equip our personnel with the necessary skills to respond effectively to unforeseen fire incidents. Furthermore, necessary instructions and comprehensive guidelines for fire safety are prominently displayed at all our branches and administrative officesfor the appropriate usage of fire extinguishers.Staff members were also provided with an awareness session on the correct handling and effective use of portable fire extinguishers.

नेतृत्व संकेतक

1. क्या कर्मचारियों की मृत्यु की स्थिति में संस्था किसी जीवन बीमा या किसी क्षतिपूर्ति पैकेज लागू करती है कर्मचारी (हाँ/नहीं) - हाँ

   बैंक अनुकंपा नियुक्ति नीति के अंतर्गत दिवंगत कर्मचारी के जीवन साथी / निर्भर परिजन को रोजगार की पेशकश करता है। भविष्य निधि, उपदान, अधिवर्षिता और कर्मचारी जमानिधि संबंधी बीमा जैसे लाभ यथाप्रयोज्य प्राथमिकता आधार पर निपटाए जाते हैं।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि मूल्य शृंखला भागीदारों द्वारा वैधानिक रूप से देय राशि काट ली गई है और जमा कर दी गई है, बैंक द्वारा किए गए उपाय प्रदान करें ।

   बैंक सुनिश्चित करता है कि बैंक के दायरे में आनेवाले लेन-देन पर यथाप्रयोज्य सांविधिक शुल्क विद्यमान विनियमों के अनुसार काटकर जमा किए जा रहे हैं। इस गतिविधि की भी आंतरिक और सांविधिक लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में समीक्षा की जाती है। बैंक अपेक्षा करता है कि उसकी मूल्य शृंखला के भागीदार कारोबार उत्तरदायित्व सिद्धांतों तथा पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी के मूल्यों का पालन करेंगे।

3. उन कर्मचारियों की संख्या दें, जिन्हें अत्यधिक परिणामी कार्य-संबंधित चोट/बीमारी/मृत्यु का सामना करना पड़ा है (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों की Q11 में रिपोर्ट किया गया है), जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें अनुपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया हैः

Leadership Indicators

1. Does the entity extend any life insurance or any compensatory package in the event of death of Employees (Y/N)-Yes

   Bank offers employment to spouse /dependent of deceased employee as per Compassionate Appointment Policy of the Bank. Benefits like provident fund, gratuity, superannuation and employees' deposit linked insurance, as applicable, are settled on a priority basis.

2. Provide the measures undertaken by the Bank to ensure that statutory dues have beendeducted and deposited by the value chain partners.

   The Bank ensures that statutory dues as applicable to the transactions within the remit of the Bank are deducted and deposited in accordance with extant regulations. This activity is also reviewed as part of the internal and statutory audit. The Bank expects its value chain partners to uphold business responsibility principles and values of transparency and accountability.

3. Provide the number of employees having suffered high consequence work-related injury / ill-health /fatalities (as reported in Q11 of Essential Indicators above), who have been rehabilitated and placed insuitable employment or whose family members have been placed in suitable employment:

	प्रभावित कर्मचारियों/श्रमिकों की कुल संख्या Total no. of affected employees/workers		उन कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या जिनका पुनर्वास किया गया है और उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है No. of employees/workers that are rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment	
	वित्तीय वर्ष/FY 2025-26	**वित्तीय वर्ष/FY 2024-25**	**वित्तीय वर्ष/FY 2025-26**	**वित्तीय वर्ष/FY 2024-25**
कर्मचारी / Employees	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
श्रमिक / Workers	लागू नहीं / Not Applicable	लागू नहीं / Not Applicable	लागू नहीं / Not Applicable	लागू नहीं / Not Applicable

4. क्या संस्था सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप निरंतर रोजगार और कैरियर के अंत के प्रबंधन की सुविधा के लिए परिवर्तन-काल सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हाँ/नहीं)

   जी हाँ, बैंक किसी कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान व्यापक अधिगम को प्राथमिकता देता है, जिसमें उनके प्रारंभिक प्रेरण, नौकरी पर चल रहे प्रशिक्षण, कौशल वृद्धि कार्यक्रम से लेकर नेतृत्व विकास, ज्ञान और पेशेवर विकास के निरंतर एकीकरण को बढ़ावा देना शामिल है।

4. Does the entity provide transition assistance programmes to facilitate continued employability and the management of career endings resulting from retirement or termination of employment? (Yes/No)-

   Yes. The Bank prioritizes comprehensive learning throughout an employee's journey, spanning from their initial induction, ongoing on-the-job training, skill enhancement programs, to leadership development, fostering a continuous integration of knowledge and professional growth.

5. मूल्य शृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण

5. Details on assessment of value chain partners

	मूल्य शृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) जिनका मूल्यांकन किया गया था % of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएं / Health and Safety practices	शून्य/Nil
कार्य दशा / Working Conditions	

6. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं के आकलन और मूल्य शृंखला भागीदारों की कार्य दशाओं से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं

6. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks/concerns arising from assessments of health and safety practices and working conditions of value chain partners.

Not Applicable

सिद्धांत 4 : व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए

Principle 4 : Businesses should respect the interests of and be responsive to all its stakeholders

आवश्यक संकेतक

Essential Indicators

1. संस्थान के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें

   बैंकिंग संस्था होने के नाते, निवेशक, विकेता, नियामक, कर्मचारी, ग्राहक, व्यापक रूप से समुदाय, आदि बैंक के हितधारक हैं। प्रमुख हितधारक समूह की पहचान करने के लिए बैंक के पास कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है।

2. अपनी संस्था के लिए मुख्य रूप में पहचान किए गए हितधारक समूहों की सूची बनाएँ तथा प्रत्येक के हितधारक समूह में उनके जुड़ाव की बारंबारता बनाएँ।

1. Describe the processes for identifying key stakeholder groups of the entity.

   Being a banking entity, stakeholders of the bank are, investors, vendors, Government, Regulators, employees, customers, communities at large etc.

2. List stakeholder groups identified as key for your entity and the frequency ofengagement with each stakeholder group.

हितधारक समूह Stakeholder group	क्या असुरक्षित और सीमांत ग्रुप की तरह चिन्हित है (हाँ/नहीं) Whether identified as Vulnerable & Marginalized Group (Yes/No)	संचार के माध्यम (ईमेल, एसएमएस, अखबार, पर्चे, विज्ञापन, समुदाय बैठकें, सूचना पट्ट, वेबसाइट), अन्य Channels of communication (Email, SMS, Newspaper, Pamphlets, Advertisement, Community Meetings, Notice Board, Website), Other	जुड़ाव की बारंबारता (वार्षिक / अर्ध-वार्षिक/ त्रैमासिक / अन्य - कृपया उल्लिखित करें) Frequency of engagement (Annually/ Half yearly/Quarterly / others - please specify)	जुड़ाव के उद्देश्य एवं गुंजाइश और ऐसे जुड़ाव के दौरान मुख्य मुद्दा और व्यक्त की गई चिंताएँ Purpose and scope of engagement including key topics and concerns raised during such engagement
कर्मचारी Employees	नहीं No	एसएमएस, ई-मेल और प्रत्यक्ष एवं अन्य संचार माध्यम SMS, E-mail and Direct and other modes of communication	बार-बार और आवश्यकता आधारित Frequent and need based	उन्हें बैंक के मिशन और नई नीतियों के बारे में अद्यतन रखने के लिए To Keep them updated about the mission and new policies of the Bank

शेयरधारक Shareholders	नहीं No	समाचार पत्र, बैंक और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, शेयरधारकों की बैठक, ईमेल Newspaper, Website of Bank and stock Exchanges, Shareholder's Meeting	बार-बार और आवश्यकता आधारित Frequent and event based	उन्हें बैंक के नवीनतम घटनाक्रम के बारे में अद्यतन रखने के लिए To Keep them updated about the latest development of the Bank
ग्राहक Customers	नहीं No	एसएमएस, ई-मेल, पत्र SMS, Email, Letter	बार-बार Frequent	उन्हें बैंक के नवीनतम घटनाक्रम के बारे में अद्यतन रखने के लिए To Keep them updated about the latest development of the Bank
नियामक अर्थात आरबीआई, सेबी आदि। Regulators viz. RBI, SEBI etc.	नहीं No	ई-मेल, पत्र, बैठकें Email, Letter, Meetings	निर्देशानुसार As per Direction	- -
भारत सरकार Government of India	नहीं No	ई-मेल, पत्र, बैठकें Email, Letter, Meetings	निर्देशानुसार As per Direction	- -

नेतृत्व संकेतक

1. हितधारकों और बोर्ड के बीच आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक विषयों पर परामर्श के लिए प्रक्रियाओं की जानकारी दें या यदि परामर्श प्रत्यायोजित किया जाता है, तो ऐसे परामर्शों से प्रतिक्रिया कैसे बोर्ड को प्रदान की जाती है।

   आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक क्षेत्रों के अंतर्गत बैंक द्वारा किए गए कई उपायों को वार्षिक रिपोर्ट के निदेशकों की रिपोर्ट और प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण अनुभाग में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे शेयरधारकों के साथ साझा किया जाता है और बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। शेयरधारकों को शेयरधारक बैठकों के दौरान आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक पहलुओं सहित विभिन्न विषयों पर बोर्ड के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श करने का अवसर प्रदान किया जाता है। बैंक नियमित अंतराल पर ग्राहक बैठकें और टाउन हॉल बैठकें भी आयोजित करता है, जहाँ इन क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है और उनका समाधान किया जाता है।

2. क्या पर्यावरण, और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन के अनुसमर्थन के लिए हितधारक परामर्श का उपयोग किया जाता है (हां / नहीं)? यदि ऐसा है, तो उदाहरणों का विवरण दें कि कैसे इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को संस्थान की नीतियों और गतिविधियों में शामिल किया गया।

   हां। नीतियों को तैयार करने और उत्पादों को डिजाइन करते समय हितधारकों से प्राप्त इनपुट को ध्यान में रखा जाता है। ग्राहक बैठकों, टाउन हॉल सत्रों और शिकायत चैनलों से प्राप्त फीडबैक ने बैंक को सेवा वितरण को बढ़ाने, समावेशी बैंकिंग को बढ़ावा देने और अपने प्रस्तावों में पर्यावरण और सामाजिक रूप से जिम्मेदार प्रथाओं को शामिल करने में मदद की है।

Leadership Indicators

1. Provide the processes for consultation between stakeholders and the Board on economic, environmental, and social topics or if consultation is delegated, how is feedback from such consultations provided to the Board.

   Several measures undertaken by the Bank under economic, environmental, and social segments are presentedin the Directors Report and Management Discussion and Analysis Section of the Annual Report,which is shared with shareholders and published on the Bank's website. Shareholders are provided opportunities to deliberate with members of the Board on various topics, including economic, environmental, and social aspects, during shareholder meetings. The Bank also conducts customer meets and town hall meetings at regular intervals, where issues related to these segments are discussed and addressed.

2. Whether stakeholder consultation is used to support the identification and management of environmental, and social topics (Yes / No). If so, provide details of instances as to how the inputs received from stakeholders on these topics were incorporated into policies and activities of the entity.

   Yes. Inputs received from stakeholders are taken into account while formulating policies and designing products. Feedback from customer meets, town hall sessions, and grievance channels has helped the Bank enhance service delivery, promote inclusive banking, and incorporate environmentally and socially responsible practices into its offerings.

3. कमजोर/सीमांत के हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए किए गए कार्यों के साथ जुड़ाव के उदाहरणों का विवरण प्रदान करें।

बैंक वित्तीय समावेशन और सामाजिक उत्थान के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी पहलों के साथ जुड़कर कमजोर और हाशिए पर पड़े हितधारक समूहों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ता है और उनका समर्थन करता है। PMAY (होम लोन), मुद्रा लोन और PM स्वनिधि जैसी योजनाओं के माध्यम से, बैंक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, कम आय वाले समूहों, छोटे और सीमांत किसानों, महिला लाभार्थियों और अन्य वंचित समुदायों को सुलभ ऋण प्रदान करता है। ये प्रयास कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए बैंक की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

3. Provide details of instances of engagement with, and actions taken to, address the concerns of vulnerable/ marginalized stakeholder groups.

The Bank actively engages with and supports vulnerable and marginalized stakeholder groups by aligning with various Government initiatives aimed at financial inclusion and social upliftment. Through schemes such as PMAY (home loans), MUDRA loans, and PM SVANidhi, the Bank provides accessible credit to economically weaker sections, low-income groups, small and marginal farmers, women beneficiaries, and other underserved communities. These efforts reflect the Bank's continued commitment to empowering vulnerable segments and promoting inclusive growth.

सिद्धांत 5 :व्यवसायों को मानव अधिकारों का सम्मान और प्रचार करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. कर्मचारी और कामगारों जिन्हें मानवाधिकार मुद्दों और नीतियों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:

Principle 5 : Businesses Should Respect and Promote Human Rights

Essential Indicators

1. Employees and workers who have been provided training on human rights issues and policy(ies) :

श्रेणी **Category**	वित्तीय वर्ष / **FY 2025-26**			वित्तीय वर्ष / **FY 2024-25**		
	कुल (ए) **Total (A)**	शामिल कर्मचारियों की संख्या (बी) **No. of employees covered (B)**	% (बी/ए)/ **(B/A)**	कुल (सी) **Total (C)**	शामिल कर्मचारियों की संख्या (डी) **No. of employees covered (D)**	% (डी/सी)/ **(D/C)**
कर्मचारी / Employees						
स्थायी कर्मचारी Permanent employees	20984	1076	5.12	21049	86	0.41
स्थायी के अलावा Other than permanent	09	-	-	09	-	-
कुल कर्मचारी Total Employees	20993	1076	5.12	21058	86	0.41
श्रमिक / Workers						
स्थायी के अलावा Permanent Workers	लागू नहीं / Not Applicable					
स्थायी के अलावा Other than permanent						
कुल श्रमिक Total Workers						

2. कर्मचारियों और श्रमिकों को भुगतान की जाने वाली न्यूनतम मजदूरी का विवरण :
Details of minimum wages paid to employees and workers :

श्रेणी/ Category	वित्तीय वर्ष/FY 2025-26					वित्तीय वर्ष/FY 2024-25				
	कुल (ए) Total (A)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर Equal to Minimum Wage		न्यूनतम मजदूरी से ज्यादा More than Minimum Wage		कुल (डी) Total (D)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर Equal to Minimum Wage		न्यूनतम मजदूरी से ज्यादा More than Minimum Wage	
		संख्या (बी) No. (B)	% (बी/ए) % (B/A)	संख्या (सी) No. (C)	% (सी/ए) % (C/A)		संख्या (ई) No. (E)	% (ई/डी) % (E/D)	संख्या (एफ़) No. (F)	% (एफ़/डी) % (F/D)
कर्मचारी / Employees										
स्थायी Permanent										
- पुरुष/Male	14785	-	-	14785	100	14913	-	-	14913	100
- महिला/Female	6199	-	-	6199	100	6136	-	-	6136	100
स्थायी के अलावा **Other than permanent**	शून्य / Nil									
- पुरुष/Male	8	-	-	8	100	8	-	-	8	100
- महिला/Female	1	-	-	1	100	1	-	-	-	-
श्रमिक/Workers										
स्थायी Permanent - पुरुष/Male - महिला/Female स्थायी के अलावा **Other than permanent** - पुरुष/Male - महिला/Female	लागू नहीं / Not Applicable									

3. पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण / Details of Remuneration/Salary/Wages

ए. औसत पारिश्रमिक/मजदूरी :/ a. Median Remuneration/Wages :

	पुरुष/Male		महिला/Female	
	संख्या Number	औसत पारिश्रमिक/वेतन संबंधित श्रेणी Median remuneration/salary respective category	संख्या Number	औसत पारिश्रमिक/वेतन संबंधित श्रेणी Median remuneration/ salary respective category
निदेशक मंडल (बीओडी) Board of Directors (Bod))	3*	333644	0	0
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) Key Managerial Personnel (KMP)	2#	234502	0	0
बीओडी एवं केएमपी के अतिरिक्त कर्मचारी Employees other than BoD and KMP	14740	112148	6182	101529
श्रमिक/Workers		लागू नहीं / Not Applicable		

*includes MD &CEO and two ED's, # CFO and CS

ख) निम्नलिखित प्रारूप में बैंक द्वारा भुगतान की गई कुल मजदूरी के % के रूप में महिलाओं को भुगतान किया गया सकल मजदूरी:

b. Gross wages paid to females as % of total wages paid by the Bank, in the following format:

	वित्तीय वर्ष/FY 2025-26	वित्तीय वर्ष/FY 2024-25
महिलाओं को कुल मजदूरी के % के रूप में भुगतान किया गया सकल मजदूरी Gross Wages paid to females as % of total wages	27.84%	26.85%

4. क्या व्यवसाय द्वारा मानवाधिकार को प्रभावित या उत्पन्न होने वाले मुद्दे या अभिदत्त मुद्दों को संबोधित करने हेतु आपका कोई फोकस बिन्दु (व्यक्ति/समिति) है? (हां/नहीं)

जी हाँ, बैंक में मानवाधिकार के मुद्दों से निपटने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति/समितियां हैं। उदाहरण के लिए- यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निराकरण के लिए आंतरिक शिकायत समिति, विशेष रूप से सक्षम कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए अंचल कार्यालय और प्रधान कार्यालय दोनों स्तरों पर शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति आदि।

5. मानवाधिकार के मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।

लिंग, जाति, नस्ल, पद, आदि से निरपेक्ष होकर बैंक अपने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्यप्रद और सुरक्षित कार्यपरक वातावरण बनाए रखना सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही बैंक में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न से बचाव की नीति, समान अवसर की नीति आदि मौजूद हैं। कर्मचारी अपनी शिकायतों के समाधान के लिए बैंक के इंट्रानेट एचआरएमएस पोर्टल में प्रदत्त शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से भी अपनी चिंता जाहिर कर सकते हैं।

4. Do you have a focal point (Individual/ Committee) responsible for addressing human rights impacts or issues caused or contributed to by the business?(Yes/ No)

Yes. Bank has Individuals/Committees responsible for addressing human right issues. For instance - Internal Complaints Committee for redressal of complaints of Sexual Harassment, Grievance Redressal Officers appointed both at Zonal and Head Office levels for resolution of Grievances of Specially abled employees, etc.

5. Describe the internal mechanisms in place to redress grievances related to human rights issues

Bank ensure to maintain healthy and safe working environment for our employees irrespective of their Gender, Caste, Ethnicity, Designation, etc. Also Bank has Policy in place for Prevention of Sexual Harassment of Women Employees, Equal Opportunity Policy etc. Employees can also raise their issue through Grievance Redressal Mechanism provided in Bank's intranet HRMS portal for resolution of their Grievances.

6. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या: / Number of Complaints on the following made by employees and workers :

	वित्तीय वर्ष/FY 2025-26			वित्तीय वर्ष/FY 2024-25		
	वर्ष भर में दर्ज Filed during the year	वर्ष के अंत में निपटान के लिए लंबित Pending resolution at the end of the year	टिप्पणियाँ Remarks	वर्ष भर में दर्ज Filed during the year	वर्ष के अंत में निपटान के लिए लंबित Pending resolution at the end of the year	टिप्पणियाँ Remarks
यौन उत्पीड़न Sexual Harassment	05	01	Inquiry under process	शून्य/NIL	शून्य/NIL	-
कार्यस्थल पर भेदभाव Discrimination at workplace	शून्य/NIL	शून्य/NIL		4	0	शिकायतों का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान किया गया complaints were resolved amicably
बालश्रम Child Labour	शून्य/NIL	शून्य/NIL	-	शून्य/NIL	शून्य/NIL	-
बाध्यश्रम/अनैच्छिक श्रम Forced Labour/ Involuntary Labour	शून्य/NIL	शून्य/NIL	-	शून्य/NIL	शून्य/NIL	-
पारिश्रमिक Wages	शून्य/NIL	शून्य/NIL	-	शून्य/NIL	शून्य/NIL	-
अन्य मानवाधिकार संबंधी मुद्दे Other human rights related issues	शून्य/NIL	शून्य/NIL	-	शून्य/NIL	शून्य/NIL	-

7. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत निम्नलिखित प्रारूप में दर्ज की गई शिकायतें:

7. Complaints filed under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, in the following format:

	वित्तीय वर्ष/FY 2025-26	वित्तीय वर्ष/FY 2024-25
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 (पीओएसएच) के तहत दर्ज की गई कुल शिकायतें Total Complaints reported under Sexual Harassment of women at Workplace(Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 (POSH)	05	शून्य/Nil
पीओएसएच पर महिला कर्मचारियों/श्रमिकों के % के रूप में शिकायतें Complaints on POSH as a % female employees	0.08	-
पीओएसएच पर बरकरार शिकायतें Complaints on POSH upheld	02	लागू नहीं / Not Applicable

8. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता के प्रति प्रतिकूल परिणामों को रोकने हेतु व्यवस्था।

बैंक ने पीओएसएच अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत अंचल स्तर एवं प्रधान कार्यालय स्थित सर्वोच्च स्तर, दोनों ही स्तरों पर आंतरिक शिकायत समिति गठित की है।

बैंक में विशेष रूप से सक्षम कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए अंचल एवं प्रधान कार्यालय दोनों ही स्तरों पर शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

8. Mechanisms to prevent adverse consequences to the complainant in discrimination and harassment cases.

Bank has constituted Internal Complaints Committee at both Zonal Level and Apex Level at Head Office under the provisions of POSH Act, 2013.

Bank also has Grievance Redressal Officers appointed both at Zonal and Head Office levels for resolution of Grievances of Speciallyabled employees.

9. क्या मानवाधिकार आवश्यकताएं आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हाँ/नहीं)

जी हाँ, संबंधित विधि के अनुसार आवश्यक सीमा तक।

9. Do human rights requirements form part of your business agreements and contracts? (Yes/No)

Yes, to the extent required as per relevant laws.

10. वर्ष हेतु आकलनः / Assessments for the year :

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का प्रतिशत जिनका मूल्यांकन किया गया था (संस्था या वैधानिक अधिकारियों या तीसरे पक्ष द्वारा) % of your plants and offices that were assessed(by entity or statutory authorities orthird parties)
बालश्रम / Child Labour	लागू नहीं/Not Applicable
बाध्य/ अनैच्छिक श्रम/ Forced/involuntary Labour	लागू नहीं/Not Applicable
यौन उत्पीड़न/ Sexual harassment	लागू नहीं/Not Applicable
कार्यस्थल पर भेदभाव/ Discrimination at workplace	लागू नहीं/Not Applicable
पारिश्रमिक/ Wages	लागू नहीं/Not Applicable

11. उपर्युक्त प्रश्न 9 के अवलोकनोपरांत उत्पन्न होनेवाले महत्वपूर्ण जोखिमों/ अंदेशों को दूर करने के लिए की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण दें।

- लागू नहीं

11. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question 9 above.

- Not Applicable

नेतृत्व संकेतक

1. मानवाधिकार संबंधी शिकायतों/ परिवेदनों के समाधान के परिणामस्वरूप संशोधित/ शुरू की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण।

बैंक ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव की नीति और समान अवसर नीति गठित की है। बैंक ने सभी कर्मचारियों को उनके जीवन के सभी क्षेत्रों में मानवाधिकारों का पालन और संरक्षण करने के प्रति सुग्राही बनाया है।

2. यदि कोई मानवाधिकार ड्यू डेलीजेन्स किया गया हो तो उसकी व्याप्ति एवं उसके कार्य-क्षेत्र का विवरण।

बैंक अपने सभी कर्मचारियों के लिए समान अवसर देनेवाला सुरक्षित तथा कार्यानुकूल वातावरण बनाए रखने का प्रयास करता है। लिंग, राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, विकलांगता, भाषा, आदि पर आधारित भेदभावपरक मुद्दों की छानबीन की जाती है, विद्यमान नीतियों, विधि और विनियमन के प्रावधानों के अंतर्गत समुचित जांच भी कराई जाती है।

3. क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुरूप, संस्था का परिसर/कार्यालय दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ है?

हाँ, अन्य प्रकार से सक्षम कर्मचारियों के लिए परिसर/कार्यालय प्रवेश सुलभ हैं, जो कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की अपेक्षाओं के अनुरूप है।

Leadership Indicators

1. Details of a business process being modified / introduced as a result of addressinghuman rights grievances/complaints.

Bank has formulated the Policy on Prevention of Sexual Harassment at Workplace and Equal Opportunity Policy. Bank has also sensitized all employees for observing and protection of Human Rights in all the walks of their life.

2. Details of the scope and coverage of any Human rights due-diligence conducted.

The Bank endeavors to maintain a safe and conducive working environment providing equal opportunities for all employee of the Bank. Issues related to discrimination based on gender, nationality, religion, caste, disability, language, etc. are investigated with proper scrutiny as per the provisions of the existing polices, laws and regulations

3. Is the premise/office of the entity accessible to differently abled visitors, as per therequirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016?

Yes, the premises/offices are accessible to differently abled employees as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

4. मूल्य शृंखला साझेदारों के मूल्यांकन पर विवरण / Details on assessment of value chain partners:

	मूल्य शृंखला साझेदारों का प्रतिशत (ऐसे साझेदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) जिनका मूल्यांकन किया गया था **% of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed**
यौन उत्पीड़न/Sexual Harassment	लागू नहीं Not Applicable
कार्यस्थल पर भेदभाव/Discrimination at workplace	
बालश्रम/Child Labour	
बाध्य श्रम/अनैच्छिक श्रम/Forced Labour/Involuntary Labour	
पारिश्रमिक/Wages	
अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें/Other -please specify	

5. उपर्युक्त प्रश्न 4 के अवलोकनोपरांत उत्पन्न महत्वपूर्ण जोखिमों/ अंदेशों को दूर करने के लिए की गई या की जा रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण दें।

लागू नहीं

5. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks /concerns arising from the assessments at Question 4 above.

Not Applicable

सिद्धांत 6 :व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान करते हुए इसकी रक्षा और पुनर्स्थापना हेतु प्रयास करना चाहिए।

Principle 6 :Businesses Should Respect and Make Efforts to Protect and Restore the Environment

आवश्यक संकेतक

Essential Indicators

1. कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा की तीव्रता का विवरण:/
Details of total energy consumption (in Giga Joules) and energy intensity :

मानदंड / Parameter	**वित्तीय वर्ष/FY 2025-26**	**वित्तीय वर्ष/FY 2024-25**
नवीकरणीय स्त्रोतों से/From renewable sources		
कुल बिजली खपत (ए)/Total electricity consumption (A)	1274	256.60
कुल ईंधन खपत (बी)/Total fuel consumption (B)	-	-
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (सी)/ Energy consumption through other sources (C)	-	-
नवीकरणीय स्त्रोतों से कुल ऊर्जा खपत (एअबीअसी) Total energy consumption from renewable sources (A+B+C)	1274	256.60
गैर-नवीकरणीय स्त्रोतों से /From non-renewable sources		
कुल बिजली खपत (डी)/Total electricity consumption (D)	251474	339840
कुल ईंधन खपत (ई)/Total fuel consumption (E)	12529	12855
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (एफ) Energy consumption through other sources (F)	-	-
गैर-नवीकरणीय स्त्रोतों से कुल ऊर्जा खपत (डीअईअएफ) Total energy consumption from non-renewable sources (D+E+F)	264003	352695
कुल ऊर्जा खपत (एअबीअसीअडीअईअएफ) Total energy consumed (A+B+C+D+E+F)	265277	352951.60
प्रति करोड़ रुपये टर्नओवर मे ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/रुपये में पण्यावर्त टर्नओवर) Energy intensity per rupee of turnover (Total energy consumption/turnover in Rs. crore)	8.93	11.99
क्रय शक्ति क्षमता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर के प्रति रुपये की ऊर्जा तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से कुल ऊर्जा खपत / राजस्व) (जीजे / यूएसडी) **Energy intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)** (Total energy consumed/Revenue from operations adjusted for PPP)(GJ/USD Cr.)	184.50	247.75
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा की तीव्रता Energy intensity in terms of physical output	-	-
ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक)-प्रासंगिक मीट्रिक का चयन इकाई द्वारा किया जाए। Energy intensity (optional)-the relevant metric may be selected by the entity	-	-

इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? *- हां, के घोष एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा उचित आश्वासन दिया गया।*

Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? *Yes, Reasonable Assurance carried out by K Ghosh & Associates, Chartered Accountants.*

नोटः (क) परिचालन से प्राप्त कारोबार/राजस्व में लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार अर्जित ब्याज एवं अन्य आय शामिल है, जिसमें भवन/अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री पर शुद्ध लाभ/(हानि) को शामिल नहीं किया गया है। यह राशि 31.03.2026 को 29,705 करोड़ तथा 31.03.2025 को 29,433 करोड़ रही।

a) Turnover/Revenue from operations comprises Interest Earned and Other Income as per audited financial statements, excluding net profit/(loss) on sale of building/other assets) = Rs.29705 crore (31.03.2026) and Rs.29433 crore (31.03.2025)

बी) इस रिपोर्ट में जहां भी उपयोग किया गया है, वित्त वर्ष 2025-26 और 2024-25 के लिए पीपीपी रूपांतरण दर 20.66 रुपये प्रति अंतर्राष्ट्रीय अमेरिकी डॉलर है। स्त्रोत - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) - वर्ल्ड इकनोमिक आउटलुक (WEO) डेटाबेस।

b) PPP conversion rate, wherever used in this report, for FY 2025-26 and 2024-25 is Rs.20.66 INR per international US dollar.(Source- International Monetary Fund (IMF) - World Economic Outlook (WEO) database)

2. क्या भारत सरकार की निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के अंतर्गत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचानी गई कोई साइट/सुविधाएं हैं?

पीएटी योजना बैंक पर लागू नहीं है।

3. जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटन का विवरण दें:

बैंक में जल का उपयोग मानवीय खपत के प्रयोजन तक ही सीमित है। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं कि कार्यालय परिसरों में पानी समुचित रूप से उपयोग किया जाए। बैंक सुनिश्चित करता है कि कार्यालय और शाखाओं का घरेलू कचरा(सीवेज) जलाशयों में न छोड़ दिया जाए।

2. Does the entity have any sites / facilities identified as designated consumers (DCs) underthe Performance, Achieve and Trade (PAT) Scheme of the Government of India?

PAT Scheme is not applicable to the Bank.

3. Provide details of the following disclosures related to water.

Bank's usage of water is restricted to human consumption purposes only. Efforts have been made to ensure that water is consumed judiciously in the office premises. Bank ensures that the domestic waste (sewage) from office and branches are not let into water bodies.

मानदंड / **Parameter**	वित्तीय वर्ष/**FY 2025-26**	वित्तीय वर्ष/**FY 2024-25**
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)/Water withdrawal by source (in kilolitres)		
i) सतही जल/Surface water	शून्य/Nil	शून्य/Nil
ii) भूजल/Groundwater	288530	289424
iii) तृतीय पक्ष जल/Third Party Water	शून्य/Nil	शून्य/Nil
iv) समुद्री जल/अलवणीकृत जल/Sea water/Desalinated water	शून्य/Nil	शून्य/Nil
v) अन्य/Others	शून्य/Nil	शून्य/Nil
जल निकासी कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)/ Total volume of water withdrawal (in kilolitres) (i + ii + iii + iv + v)	288530	289424
जल की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में) Total volume of water consumption (in kilolitres)	236070	236801
प्रति रुपये टर्नओवर मे ऊर्जा तीव्रता (कुल जल की खपत/परिचालन से राजस्व) **Water intensity per rupee of turnover** (Total water consumption/Revenue from operations) (Kl/Rs. in crore)	7.95	8.05
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर में प्रति रुपये पानी की मात्रा (कुल जल की खपत/पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से राजस्व) **Water intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)** (Total water consumption/Revenue from operations adjusted for PPP) (Kl/USD Cr.)	164.19	166.62
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में जल की मात्रा Water intensity in terms of physical output	-	-
जल की तीव्रता (वैकल्पिक)/Water intensity (optional)	-	-

इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? *- हां, के घोष एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा उचित आश्वासन दिया गया।*

Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? *Yes, Reasonable Assurance carried out by K Ghosh & Associates, Chartered Accountants.*

नोटः प्रति दिन जल की खपत निर्धारित करने के लिए, भारतीय मानक दस्तावेज़ - जल आपूर्ति, जल निकासी और स्वच्छता के लिए बुनियादी आवश्यकताओं की संहिता (चौथा संशोधन) का संदर्भ दिया गया था। दस्तावेज़ के अनुसार प्रति वर्ष 250 कार्य दिवसों के डेटा की गणना प्रति व्यक्ति (कार्यालयों) दैनिक जल आपूर्ति आवश्यकता के रूप में 45 लीटर प्रति दिन के अनुमान के साथ की गई थी।

Note : In order to determine water consumption per day, Indian Standard document - Code of basic requirements for water supply, drainage, and sanitation (Fourth Revision) was referred. Data for 250 working days per year was calculated with an estimate of 45 litres per day per head (offices) as daily water supply requirement as per the document.

4. स्रावित जल से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

4. Provide the following details related to water discharged:

मानदंड / Parameter	**वित्तीय वर्ष/FY 2025-26**	**वित्तीय वर्ष/FY 2024-25**
निर्दिष्ट स्थान और निरूपण स्तर के अनुसार जल प्रवाह (किलोलीटर में) **Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)**		
i) सतही जल को / To Surface water - कोई उपचार नहीं / No treatment - प्रबंधन के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें - with treatment-please specify level of treatment	व्यवसाय की प्रकृति के कारण, यह प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं होता है। Owing to the nature of business, this is not directly applicable.	
ii) भू जल को / To Groundwater - कोई उपचार नहीं / No treatment - प्रबंधन के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें - with treatment-please specify level of treatment		
iii) समुद्री जल को / To Seawater - कोई उपचार नहीं / No treatment - प्रबंधन के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें - with treatment-please specify level of treatment		
iv) तृतीय पक्ष को प्रेषित / Sent to third-parties - कोई उपचार नहीं / No treatment - प्रबंधन के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें - with treatment-please specify level of treatment		
v) अन्य / Others - कोई उपचार नहीं / No treatment - प्रबंधन के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें - with treatment-please specify level of treatment		
विसर्जित कुल जल (किलोलीटर में) **Total water discharged (in kilolitres)**		

इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? *- हां, के घोष एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा उचित आश्वासन दिया गया।*

Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? *Yes, Reasonable Assurance carried out by K Ghosh & Associates, Chartered Accountants.*

5. क्या इकाई ने शून्य तरल निर्वहन के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि इसकी व्याप्ति और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।

Has the entity implemented a mechanism for Zero Liquid Discharge? If yes, provide details of its coverage and implementation.

नहीं / No.

6. कृपया बैंक द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण दें :

6. **Please provide details of air emissions (other than GHG emissions) by the Bank:**

मानदंड/Parameter	इकाई/Unit	2025-26	2024-25
एनओएक्स / NOx	व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए, वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। Given the nature of business, the air emission (other than GHG emission) is not material to us.		
एसओएक्स / Sox			
कणिकीय पदार्थ (पीएम) / Particulate matter (PM)			
स्थायी जैविक प्रदूषक (पीओपी) / Persistent organic pollutants (POP)			
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी) / Volatile organic compounds (VOC)			
खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी) / Hazardous air pollutants (HAP)			
अन्य- कृपया निर्दिष्ट करें / Others - please specify			

7. ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप1 और स्कोप2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण दें। /
Provide details of greenhouse gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) & its intensity

मानदंड / Parameter	इकाई / Unit	2025-26	2024-25
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (GHG का CO_2, CH4, N_2O, HFCs, PFCs, SF_6, NF_3 में विभाजन, यदि उपलब्ध हो) **Total Scope 1 emissions (Break-up of the GHG into CO_2, CH_4, N_2O, HFCs, PFCs, SF_6, NF_3, if available)**	tCo2	831.58	890.46
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (GHG का CO_2, CH_4, N_2O, HFCs, PFCs, SF_6, NF_3 में विभाजन, यदि उपलब्ध हो) **Total Scope 2 emissions (Break-up of the GHG into CO_2, CH_4, N_2O, HFCs, PFCs, SF_6, NF_3, if available)**	tCo2	50783.83	69537.52
टर्नओवर के प्रति रुपये पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन (स्कोप 1 तथा स्कोप 2 का योग परिचालन से जीएचजी उत्सर्जन/ राजस्व) **Total Scope 1 and Scope 2 emissions per rupee of turnover (Total Scope 1 and Scope 2 GHG emissions/Revenue from operations)**	tCo2e/ Rs. in Crore	1.74	2.39
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर के प्रति रुपये में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन (पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन/राजस्व) **Total Scope 1 and Scope 2 emissions per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total Scope 1 and Scope 2 GHG emissions/Revenue from operations adjusted for PPP)**	tCo2e/ USD Crore	35.90	49.44
भौतिक आउटपुट के संदर्भ में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन मात्रा **Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity in terms of physical output**	-	-	-
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन मात्रा (वैकल्पिक) **Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity (optional)**	-	-	-

नोटः इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? *हां, के घोष एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा उचित आश्वासन दिया गया।*

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? *Yes, Reasonable Assurance carried out by K Ghosh & Associates, Chartered Accountants.*

नोटः 1) वित्त वर्ष 2025-26 और 2024-25 के लिए उपयोग की जाने वाली बिजली के लिए उत्सर्जन कारक 0.727 है (भारतीय विद्युत क्षेत्र के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के CO_2 बेसलाइन डेटाबेस, संस्करण 20.0 से प्राप्त) 2) वित्त वर्ष 2025-26 और 2024-25 के लिए उपयोग किए जाने वाले पेट्रोल के लिए उत्सर्जन कारक 2.27 है (भारत जीएचजी कार्यक्रम के अनुसार)

Note : 1) Emission factor for electricity used for FY 2025-26 and 2024-25 is 0.727 (derived from the Central Electricity Authority (CEA)'s CO_2 Baseline Database for the Indian Power Sector, Version 20.0) 2) Emission Factor for Petrol used for FY 2025-26 and 2024-25 is 2.27 (As per India GHG Programme)

8. क्या संस्था के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है?

- नहीं

8. Does the entity have any project related to reducing Green House Gas emission?

- No

9. इकाई द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण दें:

9. Provide details related to waste management by the entity :

मानदंड / Parameter	वित्तीय वर्ष /FY 2025-26	वित्तीय वर्ष /FY 2024-25
उत्पन्न अपशिष्ट/पुनर्चक्रण (मीट्रिक टन में) Waste generated/Recycled (in metric tonnes)		
प्लास्टिक अपशिष्ट (ए) / Plastic waste (A)	-	-
ई-अपशिष्ट (बी)/E-waste (B)	1.28	22
जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (सी)/Bio-medical waste (C)	-	-
निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट (डी)/Construction and Demolition waste (D)	-	-
बैटरी अपशिष्ट (ई)/Battery waste (E)	-	-
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (एफ)/Radioactive Waste (F)	-	-
अन्य खतरनाक अपशिष्ट, यदि कोई हो(जी)/Other Hazardous waste, if any (G)	-	-
अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट, यदि कोई हो (एच)। कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो (संरचना के आधार पर विभाजन अर्थात क्षेत्र से संबंधित सामग्री के आधार पर) Other non-Hazardous waste, if any (H).Please specify, if any (Break-up by composition i.e. by materials relevant to the sector)	-	-
कुल/Total (A+B+C+D+E+F+G+H)	1.28	22
प्रति रुपए टर्नओवर पर अपशिष्ट की मात्रा (कुल उत्पन्न अपशिष्ट/परिचालन से राजस्व) Waste intensity per rupee of turnover (Total waste generated/Revenue from operations) (tonnes/Rs. in crore)	Negligible	0.00075
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर के प्रति रुपए में अपशिष्ट मात्रा (पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से उत्पन्न कुल अपशिष्ट / राजस्व) Waste intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total waste generated /Revenue from operations adjusted for PPP) (tonnes/USD in crore)	Negligible	0.006
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में अपशिष्ट मात्रा Waste intensity in terms of physical output	-	-
अपशिष्ट मात्रा (वैकल्पिक)/Waste intensity (optional)	-	-
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों (मीट्रिक टन में) के माध्यम से प्राप्त कुल अपशिष्ट For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in metric tonnes)		
अपशिष्ट की श्रेणी/Category of Waste		
(i) पुनर्चक्रण/Recycled	-	-
(ii) पुनः उपभुक्त/Re-Used	-	-
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति विकल्प/Other recovery options	-	-
कुल/Total	-	-
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति द्वारा निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में) For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)		
अपशिष्ट की श्रेणी/Category of Waste		
(i) भस्मीकरण/Incineration	-	-
(ii) भूभराव/Landfilling	-	-
(iii) अन्य निपटान कारवाई/Other disposal operations	-	-
कुल/Total	-	-

नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? हां, के घोष एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा उचित आश्वासन दिया गया।

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? *Yes, Reasonable Assurance carried out by K Ghosh & Associates, Chartered Accountants.*

10. अपने संस्थान में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन कार्यप्रणाली का संक्षेप में वर्णन करें। आपके उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने हेतु आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे अपशिष्ट प्रबंधन हेतु अपनाई गई कार्यप्रणाली का वर्णन करें।

कारोबार की प्रकृति को देखते हुए, प्रचालनों में कोई भी हानिकारक और विषाक्त रसायन उपयोग नहीं किए जाते हैं। कचरा प्रबंधन रीतियों के लिए सिद्धांत 2 देखें (आवश्यक संकेतक-बिंदु 3)।

11. कृपया विनिर्दिष्ट करें, यदि इकाई के पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यानों,वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल निचय (हाट्सपौट), आर्द्रभूमि, जैविक वैविध्य अतिक्षेत्र, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की आवश्यकता है, में / के आसपास संचालन/ कार्यालय हैं।

लागू नहीं। बैंक के पास पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में/ के आसपास कोई सुविधाएँ नहीं हैं, लिहाज़ा किसी भी तरह के पर्यावरणीय अनुमोदनों/अनुमतियों की जरूरत नहीं है।

12. चालू वित्तीय वर्ष में प्रयोज्य विधियों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन का ब्यौरा।

लागू नहीं

13. क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरण कानून /नियमों /दिशानिर्देशों; जैसे जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसमें निहित नियमों का अनुपालन करती है; (हां/नहीं)। यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर-अनुपालन का विवरण दें।

कारोबार की प्रकृति को देखते हुए, नई शाखाओं की स्थापनो के साथ-साथ अपने संचालन के दौरान भारत में प्रयोज्य पर्यावरणीय कानून/ विनियमन/दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा है।

10. Briefly describe the waste management practices adopted in your establishments. Describe the strategy adopted by your company to reduce usage of hazardous and toxic chemicals in your products and processes and the practices adopted to manage such wastes.

Given the nature of the business, no hazardous and toxic chemicals used in operations. For waste management practices, refer Principle 2 (Essential Indicator-Point 3)

11. If the entity has operations/offices in/around ecologically sensitive areas (such as national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, wetlands, biodiversity hotspots, forests, coastal regulation zones etc.) where environmental approvals / clearances are required, please specify details.

Not Applicable. The Bank does not have any facilities in / around ecologically sensitive areas and as such no special environmental approvals / clearances are required

12. Details of environmental impact assessments of projects undertaken by the entity based on applicable laws,in the current financial year.

Not Applicable

13. Is the entity compliant with the applicable environmental law/ regulations/ guidelines in India; such as theWater (Prevention and Control of Pollution) Act, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, EnvironmentProtection Act and Rules thereunder (Y/N). If not, provide details of all such non-compliances.

Given the nature of business, Bank ensures compliance with applicable environmental law/ regulations/ guidelines in Indiaduringsetting up of a new-branches as well as, duringits operation.

नेतृत्व संकेतक

1. जल संकट वाले क्षेत्रों में जल निकासी, खपत और निर्वहन (किलोलीटर में):

लागू नहीं। एक बैंकिंग इकाई होने के नाते, पानी की खपत केवल कार्यालय और व्यक्तिगत उपयोग तक ही सीमित है।

Leadership Indicators

1. Water withdrawal, consumption and discharge in areas of water stress (in kilolitres):

Not applicable. Being a banking entity, water consumption is limited to office and personal usage only.

मानदंड / Parameter	वित्तीय वर्ष /FY 2025-26	वित्तीय वर्ष /FY 2024-25
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)/Water withdrawal by source (in kilolitres)		
i) सतही जल/Surface water	-	-
ii) भूजल/Groundwater	-	-
iii) तृतीय पक्ष जल/Third Party Water	-	-
iv) समुद्री जल/अलवणीकृत जल/Sea water/Desalinated water	-	-
v) अन्य/Others	-	-
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)/ Total volume of water withdrawal (in kilolitres)	-	-
जल उपभोग की कुल मात्रा (किलोलीटर में)/ Total volume of water consumption (in kilolitres)	-	-
प्रति रुपए टर्नओवर में जल की तीव्रता/Water intensity per rupee of turnover	-	-
जल की तीव्रता (वैकल्पिक)/Water intensity (optional)	-	-
गंतव्य के अनुसार जल निर्वहन एवं व्यवहार का स्तर (किलोलीटर में)/ Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)		
i) सतही जल के लिए/To Surface water		
- कोई व्यवहार नहीं / No treatment		
- व्यवहार के साथ - कृपया व्यवहार का स्तर निर्दिष्ट करें/ - with treatment-please specify level of treatment	-	-
ii) भूजल के लिए / To Groundwater		
- कोई व्यवहार नहीं / No treatment		
- व्यवहार के साथ - कृपया व्यवहार का स्तर निर्दिष्ट करें/ - with treatment-please specify level of treatment	-	-
iii) समुद्री जल के लिए / To Seawater		
- कोई व्यवहार नहीं / No treatment		
- व्यवहार के साथ - कृपया व्यवहार का स्तर निर्दिष्ट करें/ - with treatment-please specify level of treatment	-	-
iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया / Sent to third-parties		
- कोई व्यवहार नहीं /No treatment		
- व्यवहार के साथ - कृपया व्यवहार का स्तर निर्दिष्ट करें/ - with treatment-please specify level of treatment	-	-
v) अन्य/Others		
- कोई व्यवहार नहीं / No treatment		
- व्यवहार के साथ - कृपया व्यवहार का स्तर निर्दिष्ट करें/ - with treatment-please specify level of treatment	-	-
कुल निर्वहन जल (किलोलीटर में)/Total water discharged (in kilolitres)	-	-

नोटः बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? - नहीं

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? - No

2. कृपया कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और उसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें -

Please provide details of total Scope 3 emissions & its intensity -

मानदंड / Parameter	इकाई / Unit	2025-26	2024-25
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन (GHG का CO_2, CH4, N_2O, HFCs, PFCs, SF_6, NF_3 में विभाजन, यदि उपलब्ध हो) Total Scope 3 emissions (Break-up of the GHG into CO_2, CH_4, N_2O, HFCs, PFCs, SF_6, NF_3, if available)	मीट्रिक टन tCo2 समतुल्य	67,672,070	कोई आकलन नहीं किया गया No assessment done
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन प्रति रुपया टर्नओवर/Total Scope 3 emissions per rupee of turnover (Total Scope 3 GHG emissions/Revenue from operations)	tCO2e/Rs. in crore	2278.14	
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) Total Scope 3 emission intensity (optional)	-	-	

नोटः इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है?
Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency?

3. उक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में बताए गए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे क्षेत्रों में रोकथाम और उपचार गतिविधियों के साथ-साथ जैव विविधता पर इकाई के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण प्रदान करें। -
   लागू नहीं
4. यदि संस्था ने कोई विशिष्ट पहल की है या संसाधन दक्षता में सुधार हेतु नवीन प्रौद्योगिकी या समाधान का उपयोग किया है, या उत्सर्जन / बहिःस्राव निर्वहन / अपशिष्ट उत्पन्न होने के कारण प्रभाव को कम किया है तो कृपया इस तरह की पहल के परिणाम के साथ-साथ विवरण दें।
   लागू नहीं
5. क्या संस्था के पास व्यवसाय सातत्य और आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों/वेबलिंक में विवरण दें।
   बैंक में निदेशक मंडल के द्वारा अनुमोदित कारोबार निरंतरता नीति(बीसीपी) है जो प्रमुखतः आपदाओं के समय सहायक होती है। बीसीपी में एक स्वीकार्य स्तर पर ऐसे मानक और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जिनसे निरंतरता, पुनः आरंभ और महत्वपूर्ण कारोबार प्रक्रियाओं की बहाली सुनिश्चित की जा सके और जनता, प्रक्रियाओं और आधार-संरचना पर आपदा के प्रभाव को सीमित किया जा सके अथवा इस प्रकार की आपदा से उभरनेवाली परिचालनगत, वित्तीय, विधिक, प्रतिष्ठाजन्य एवं अन्य तत्त्वगत परिस्थितियों को न्यूनतम पर लाया जा सके।
   ऐसे अनेक खतरे और कमजोरियाँ हैं जिनका सामना बैंकिंग संस्थाओं को करना पड़ता है। प्राकृतिक आपदाएं, इरादतन आपदाएं, आईटी संबंधी आपदाएं, माननीय भूलों के कारण होनेवाली आपदाएं हो सकती हैं जिनकी वजह से कारोबार को नुकसान होता है।
   आईटी प्रणालियों के लिए आपदा बचाव योजना(डीआरपी) बीसीपी का एक अविभाज्य हिस्सा होगी, जिसमें आईटी परिवेश में आपदा घटित होने की सूरत में जनता, प्रक्रियाओं और आधार-संरचना का कार्यनीतिगत एवं परिचालनगत ढांचा सम्मिलित किया जाएगा।
6. संस्था की मूल्य शृंखला से जनित पर्यावरण पर पड़ने वाले किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव को स्पष्ट करें। इस संबंध में संस्था द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं।

   लागू नहीं
7. मूल्य शृंखला साझीदारों का प्रतिशत (ऐसे साझीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य द्वारा) जिनका मूल्यांकन पर्यावरणीय प्रभावों के लिए किया गया था।
   लागू नहीं
8. कितने ग्रीन केडिट सृजित या प्राप्त किये गये हैं?
   ए. सूचीबद्ध इकाई द्वारा - शून्य
   बी. शीर्ष दस (क्रमशः खरीद और बिक्री के मूल्य के संदर्भ में) मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा - शून्य

3. With respect to the ecologically sensitive areas reported at Question 11 of Essential Indicators above, provide details of significant direct & indirect impact of the entity on biodiversity in such areas along-with prevention and remediation activities. -

   Not Applicable

4. If the entity has undertaken any specific initiatives or used innovative technology or solutions to improve resource efficiency, or reduce impact due to emissions / effluent discharge / waste generated, please provide details of the same as well as outcome of such initiatives

   Not Applicable

5. Does the entity have a business continuity and disaster management plan? Give details in 100 words/ web link.

   Bank has a Board approved Business Continuity Policy (BCP) which primarily serves as insurance against disasters. BCP includes standards and procedures to ensure continuity, resumption and recovery of critical business processes, at an agreed level and limit the impact of the disaster on people, processes and infrastructure or to minimize the operational, financial, legal, reputational and other material consequences arising from such a disaster.

   There are various threats and vulnerabilities to which banking entities are exposed. There could be natural disasters, intentional disasters, IT related disasters, disaster due to human errors resulting in disruption of business.

   The Disaster Recovery Plan (DRP) for IT Systems shall be an integral part of the BCP, covering the strategic and operational framework of the people, processes and infrastructure in the event of disasters in IT environment

6. Disclose any significant adverse impact to the environment, arising from the value chain of the entity. What mitigation or adaptation measures have been taken by the entity in this regard.-

   Not applicable

7. Percentage of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed for environmental impacts.

   Not applicable

8. How many Green Credits have been generated or procured.

a. By the listed entity - Nil

b. By the top ten (in terms of value of purchases and sales, respectively) value chain partners - Nil

सिद्धांत 7 : सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करनेवाले व्यवसाय उत्तरदायित्वपूर्ण और पारदर्शी तरीके से किए जाने चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. (ए) सम्बद्ध व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों की संख्या - आठ

(बी)10 शीर्ष व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची बनाएं जो संस्था के सदस्य हैं / या संस्था से संबद्ध हैं।

PRINICIPLE 7 : BUSINESSES, WHEN ENGAGING IN INFLUENCING PUBLIC AND REGULATORY POLICY, SHOULD DO SO IN A MANNER THAT IS RESPONSIBLE AND TRANSPARENT

Essential Indicators

1. a. Number of affiliations with trade and industry chambers/ associations-Eight

b. List the top 10 trade and industry chambers/ associations (determined based on the total members of such body) the entity is a member of/ affiliated to.

क्र.सं. S.No.	व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों के नाम Name of the trade and industry chambers/ associations	व्यापार और उद्योग कार्यालयों /संघों का फैलाव (राज्य/राष्ट्रीय) Reach of trade and industry chambers/ associations (State/National)
1	भारतीय बैंक संघ (आईबीए) Indian Banks Association (IBA)	राष्ट्रीय National
2	भारतीय विदेशी मुद्रा विनिमय व्यापारी संघ (एफ़ईडीएआई) Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI)	राष्ट्रीय National
3	फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआइएमएमडीए) Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)	राष्ट्रीय National
4	भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) Clearing Corporation of India Ltd. (CCIL)	राष्ट्रीय National
5	भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ़) Indian Institute of Banking and Finance (IIBF)	राष्ट्रीय National
6	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) National Payment Corporation of India (NPCI)	राष्ट्रीय National
7	वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड Financial Benchmarks India Pvt Ltd	राष्ट्रीय National
8	पार्टनर्शिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फिनन्सियल्स Partnership for Carbon Accounting Financials	अंतरराष्ट्रीय International

2. नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर, संस्था द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या की जा रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण दें।

लागू नहीं

2. Provide details of corrective action taken or underway on any issues related to anticompetitive conduct by the entity, based on adverse orders from regulatory authorities.

Not Applicable

नेतृत्व संकेतक

1. संस्था द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति की स्थितियों का विवरण:

बैंक नीति की वकालत नहीं करता है, परंतु सरकार और बैंकिंग उद्योग के अन्य निकायों के साथ परामर्श/विचार-विमर्श में सक्रिय रूप से भाग लेता है।

Leadership Indicators

1. Details of public policy positions advocated by the entity:

The Bank does not engage in policy advocacy, but is actively involved in consultation/ discussion forums with the Government and other bodies in the banking industry.

सिद्धांत 8 : व्यवसायों को समावेशी विकास और निष्पक्ष उत्थान को बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. चालू वित्तीय वर्ष हेतु प्रयोज्य विधियों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव के आकलन (एसआईए) का विवरण।

Principle 8 Businesses Should Promote Inclusive Growth and Equitable Development

Essential Indicators

1. Details of Social Impact Assessments (SIA) of projects undertaken by the entity based on applicable laws, inthe current financial year.

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण Name and brief details of project	एसआईए अधिसूचना संख्या SIA Notification No.	अधिसूचना की तिथि Date of notification	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया जाता है (हां/नहीं) Whether conducted by independent external agency (Yes / No)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है (हाँ/नहीं) Results communicated in public domain (Yes / No)	संबंधित वेब लिंक Relevant Web link
लागू नहीं / Not Applicable					

2. उन परियोजनाओं के बारे में जानकारी दें जिनके लिए आपकी संस्था द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) चलाये जा रहे हैं।

लागू नहीं

2. Provide information on project(s) for which ongoing Rehabilitation and Resettlement (R&R) is being undertaken by your entity.

Not applicable

3. समुदाय से शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने संबंधी प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

बैंक के परिचालन से आस-पास के समुदायों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। हालाँकि, किसी भी शिकायत निवारण के लिए, ग्राहकों/समुदायों को बैंक की सेवा, उत्पादों के खिलाफ मामला उठाने और अपनी प्रतिक्रिया/सुझाव देने के लिए कई विकल्प दिए जाते हैं।

3. Describe the mechanisms to receive and redress grievances of the community.

Bank's operations do not adversely impact nearby communities. However,for any grievanceredressal, customers/communities are given multiple options to raise the matteragainst the Bank's service, products and to provide their feedback / suggestions.

4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त निवेशित सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के आधार पर कुल इनपुट के लिए इनपुट)।

4. Percentage of input material (inputs to total inputs by value) sourced from suppliers

मानदंड / Parameter	**वित्तीय वर्ष /FY 2025-26**	**वित्तीय वर्ष /FY 2024-25**
एमएसएमई/लघु उत्पादकों से सीधे प्राप्त Directly sourced from MSMEs/ small producers	एक वित्तीय संस्थान के रूप में, हमारी खरीद मुख्य रूप से तकनीकी अवसंरचना, प्लेटफ़ॉर्म और डिजिटल सेवाओं के इर्द-गिर्द घूमती है। हालाँकि, देश भर में हमारी व्यापक शाखा नेटवर्क को देखते हुए, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि स्टेशनरी आइटम जैसी उपभोग्य वस्तुएँ हमारी शाखाओं के आस-पास के विकेताओं से स्थानीय रूप से प्राप्त की जाएँ।	
भारत के भीतर सीधे स्रोत Directly sourced within India	As a financial institution, our procurement largely revolves around technological infrastructure, platforms, and digital services. However, given our wide branch network across the country, we ensure that consumables such as stationery items are sourced locally from vendors in the vicinity of our branches.	

5. छोटे शहरों में रोजगार सृजन - निम्नलिखित स्थानों पर नियोजित व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी / अनुबंध के आधार पर नियोजित कर्मचारियों या श्रमिकों सहित) को कुल वेतन लागत के % के रूप में भुगतान किए गए वेतन का खुलासा करें

5. Job creation in smaller towns - Disclose wages paid to persons employed (including employees or workers employed on a permanent or non-permanent / on contract basis) in the following locations, as % of total wage cost.

स्थान/Location	**वित्तीय वर्ष**/FY 2025-26	**वित्तीय वर्ष**/FY 2024-25
ग्रामीण/Rural	27.41%	21.92%
अर्ध शहरी/Semi-urban	23.90%	20.14%
शहरी/Urban	24.05%	27.34%
महानगरीय/Metropolitan	24.64%	30.59%

(आरबीआई वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार स्थान वर्गीकृत) /

(Place categorized as per RBI Classification system)

नेतृत्व संकेतक

1. सामाजिक प्रभाव आकलन में चिन्हित किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण दें। (संदर्भः उपर्युक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न1) - लागू नहीं

2. सरकारी निकायों द्वारा चिन्हित नामित आकांक्षी जिलों में अपनी संस्था द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित जानकारी दें।

Leadership Indicators

1. Provide details of actions taken to mitigate any negative social impacts identified in the Social Impact Assessments (Reference: Question 1 of Essential Indicators above)- Not applicable

2. Provide the following information on CSR projects undertaken by your entity in designated aspirational districts as identified by government bodies

क्र.सं. S. No.	राज्य State	आकांक्षी जिला Aspirational District	व्यय की गई राशि(रु.) Amount Spent (Rs.)
1	बिहार/Bihar	जमुई/Jamui	30,000/-
2	बिहार/Bihar	बांका/Banka	68,055/-
3	बिहार/Bihar	बेगूसराय/Begusarai	7,05,000/-
4	झारखंड/Jharkhand	रामगढ़/Ramgarh	-
5	झारखंड/Jharkhand	रांची/Ranchi	4,37,385/-
6	ओडिशा/Odisha	निमापारा/Nimapara	53,490/-
7	त्रिपुरा/Tripura	धलाई/Dhalai	-

3. (ए) क्या आपके पास कोई अधिमान्य खरीद नीति है जहां आप सीमांत/ सुभेद्य समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं?

नहीं, बैंक की कोई वरीयताप्राप्त खरीद नीति नहीं है। तथापि, बैंक हाशिए पर स्थित अथवा संवेदनशील वर्गों से संबंधित आपूर्तिकर्ताओं से सामग्री एवं सेवाओं की खरीद के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक, एमएसएमई एवं लघु आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं की खरीद हेतु जीईएम पोर्टल के उपयोग को प्रोत्साहित करता है।

(बी) आप किन सीमांत/ सुभेद्य समूहों से खरीदारी करते हैं?

बैंक की कोई वरीयताप्राप्त खरीद प्रक्रिया नहीं है। तथापि, बैंक एमएसएमई तथा हाशिए पर स्थित/संवेदनशील वर्गों से खरीद को प्रोत्साहित करता है।

(सी) यह कुल खरीद (मूल्य से) का कितना प्रतिशत है?

लागू नहीं

3.(a) Do you have a preferential procurement policy where you give preference to purchase from suppliers comprising marginalized /vulnerable groups?

No, the Bank does not have a preferential procurement policy. However, it is committed to procure materials and services from suppliers belonging to the marginalized or vulnerable groups. The Bank promotes the use of the GeM Portal for the procurement of services from MSME and small-scale suppliers

(b) From which marginalized /vulnerable groups do you procure?

The Bank does not have a preferential procurement process. However, it encourages procurement from MSME and marginalized/vulnerable groups.

(c) What percentage of total procurement (by value) does it constitute?

Not Applicable

4. पारंपरिक ज्ञान के आधार पर आपकी संस्था (चालू वित्तीय वर्ष में) के स्वामित्व या अधिग्रहित प्रज्ञात्मक सम्पत्तियों से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण।

लागू नहीं

4. Details of the benefits derived and shared from the intellectual properties owned or acquired by your entity (in the current financial year), based on traditional knowledge.

Not applicable

5. प्रज्ञात्मक सम्पत्तियों से संबंधित विवादों में किसी भी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है।

लागू नहीं

5. Details of corrective actions taken or underway, based on any adverse order in intellectual property related disputes wherein usage of traditional knowledge is involved.

Not applicable

6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरणः

एक उत्तरदायी एवं प्रतिबद्ध कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान विभिन्न कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पहलों को सक्रिय रूप से क्रियान्वित किया। ये प्रयास स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पर्यावरणीय सततता, स्वच्छता, पेयजल, ग्रामीण विकास, आपदा राहत तथा सामुदायिक कल्याण सहित विभिन्न क्षेत्रों में विस्तृत रहे।

वर्ष के दौरान बैंक ने स्वास्थ्य अवसंरचना (जैसे एम्बुलेंस, डायलिसिस मशीनें), शैक्षिक एवं डिजिटल अवसंरचना, पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाओं तथा वर्षा जल संचयन एवं हरित गतिशीलता जैसे पर्यावरणीय उपायों से संबंधित पहलों को समर्थन प्रदान किया। बैंक ने आजीविका एवं कौशल विकास कार्यक्रमों में भी योगदान दिया तथा संवेदनशील समुदायों एवं आपदा-प्रभावित जनसंख्या को सहायता प्रदान की।

6. Details of Beneficiaries of CSR Projects :

As a responsible and committed corporate citizen, Bank has actively undertaken a wide range of CSR initiatives during the Financial Year 2025-26. These efforts span across various sectors including healthcare, education, environmental sustainability, sanitation, drinking water, rural development, disaster relief, and community welfare.

During the year, the Bank supported initiatives including healthcare infrastructure (ambulances, dialysis machines), educational and digital infrastructure, drinking water and sanitation facilities, and environmental measures such as rainwater harvesting and green mobility. The Bank also contributed to livelihood and skill development programmes and extended support to vulnerable communities and disaster-affected populations.

सरकारी निकायों, स्थानीय प्राधिकरणों, संस्थानों एवं अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग के माध्यम से इन पहलों ने विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न किया। यद्यपि लाभार्थियों की सटीक संख्या निर्धारित करना संभव नहीं है, तथापि इन गतिविधियों से बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए हैं, जिनमें समाज के संवेदनशील एवं वंचित वर्गों का उल्लेखनीय हिस्सा शामिल है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान किए गए प्रमुख CSR योगदानों एवं गतिविधियों का विस्तृत सारांा नीचे प्रस्तुत है :

Through collaborations with government bodies, local authorities, institutions, and other agencies, these initiatives have created a positive impact across regions. While the exact number of beneficiaries is not ascertainable, the activities have benefited a large number of people, including a significant proportion from vulnerable and marginalized sections of society. Below is a comprehensive summary of key CSR contributions and activities carried out during the financial year 2025-26 :

सीएसआर परियोजना **CSR Project**	**सीएसआर परियोजना से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या** **No. of persons benefitted from CSR Project**	**कमजोर और सीमांत लाभार्थियों का प्रतिशत %** **% of beneficiaries from vulnerable and marginalized groups**
1. **आजीविका संवर्धन एवं कौाल विकास** **Livelihood Enhancement & Skill Development** • सिलीगुड़ी नगर निगम द्वारा संचालित फुटबॉल अकादमी में नामांकित पिछड़े/जनजातीय युवाओं हेतु पोषण संबंधी व्यवस्थाओं को समर्थन प्रदान किया। Supported nutritional arrangements for backward/tribal youth enrolled in a Football Academy run by Siliguri Municipal Corporation. • MSME ग्राहकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पूर्णथा एंड कंपनी (Poornatha & Co.) के साथ साझेदारी जारी रखी। Continued partnership with Poornatha& Co. for conducting training programmes for MSME customers. • छत्रपति महाराज कॉलेज (कोल्हापुर) एवं तिहू कॉलेज (असम) जैसे शैक्षणिक संस्थानों को कंप्यूटर अवसंरचना उपलब्ध कराई। Provided computer infrastructure to educational institutions such as Chhatrapati Maharaj College (Kolhapur) and Tihu College (Assam). **2. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता/Health & Sanitation** • कोलकाता स्थित JITO डे-केयर सेंटर में डायलिसिस मशीनों की स्थापना हेतु सहयोग प्रदान किया। Supported installation of dialysis machines at JITO Day Care Centre, Kolkata. • जीसी मेडिकल कॉलेज (असम), धुबरी मेडिकल कॉलेज तथा आइजोल नगर निगम सहित विभिन्न चिकित्सा संस्थानों को एम्बुलेंस/ आपातकालीन वाहन उपलब्ध कराए। Provided ambulances/emergency vehicles to medical institutions including GC Medical College (Assam), Dubri Medical College, and Aizawl Municipal Corporation. • स्वास्थ्य एवं पर्यावरण मेलों में सहभागिता सहित स्वास्थ्य संबंधी पहलों को प्रायोजित किया। Sponsored health-related initiatives including participation in health and environment fairs.	सटीक संख्या का पता नहीं चल पाया है Exact number not ascertained	Approximately 50%

सीएसआर परियोजना CSR Project	सीएसआर परियोजना से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या No. of persons benefitted from CSR Project	कमजोर और सीमांत लाभार्थियों का प्रतिशत % % of beneficiaries from vulnerable and marginalized groups
3. शिक्षा एवं क्षमता निर्माण/Education & Capacity Building • बाबू जगजीवन राम छात्रावास (सिलीगुड़ी) में पुस्तकालय सुविधाओं के विकास हेतु योगदान दिया। Contributed towards development of library facilities at Babu Jagjivan Ram Chhatravas (Siliguri). • असम विश्वविद्यालय एवं IIIT भागलपुर जैसे संस्थानों में अवसंरचना विकास का समर्थन किया, जिसमें इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट जैसी हरित गतिशीलता पहलें भी शामिल हैं। Supported infrastructure development at institutions such as Assam University and IIIT Bhagalpur (including green mobility initiatives like electric golf carts). **4. पर्यावरणीय सततता एवं स्वच्छता** **Environmental Sustainability & Sanitation** • योगदा सत्संग महाविद्यालय, रांची में वर्षा जल संचयन प्रणालियों की स्थापना की। Installed rainwater harvesting systems at Yogada Satsang Mahavidyalaya, Ranchi. • अपशिष्ट प्रबंधन को समर्थन देने हेतु नगर निगमों (जालंधर) को लीफ श्रेडर जैसे उपकरण उपलब्ध कराए। Provided equipment such as leaf shredders to Municipal Corporations (Jalandhar) to support waste management. • फकीरमोहन विश्वविद्यालय (ओडिशा) जैसे संस्थानों हेतु विद्युत यात्री वाहनों के माध्यम से हरित गतिशीलता को प्रोत्साहित किया। Promoted green mobility through electric passenger vehicles for institutions like Fakirmohan University (Odisha). 5. **पेयजल एवं सार्वजनिक उपयोगिताएँ** **Drinking Water & Public Utilities** • वाराणसी में वाटर एटीएम तथा प्रधान कार्यालय, कोलकाता सहित विभिन्न स्थानों पर पेयजल सुविधाओं की स्थापना की। Installed water ATMs in Varanasi and drinking water facilities at multiple locations including Head Office, Kolkata. • रोहतक जिले जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जल शुद्धिकरण प्रणालियों को समर्थन प्रदान किया। Supported water purification systems in rural areas such as Rohtak district. • अमरनाथ यात्रा श्रद्धालुओं हेतु पेयजल व्यवस्थाओं में योगदान दिया। Contributed to drinking water arrangements for Amarnath Yatra pilgrims. **6. अवसंरचना विकास एवं जनकल्याण** **Infrastructure Development & Public Welfare** • गिरिराज जी महाराज मंदिर (मेरठ) सहित धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता सुविधाओं (शौचालय एवं पेयजल) के निर्माण को समर्थन प्रदान किया।		

सीएसआर परियोजना CSR Project	सीएसआर परियोजना से No. of persons	कमजोर और सीमांत लाभार्थियों का % of beneficiaries from
Supported construction of sanitation facilities (toilets and drinking water) at religious and public places including Giriraj Ji Maharaj Temple (Meerut). • विभिन्न स्थानों पर सरकारी कार्यालयों एवं मंदिरों को वातानुकूलन प्रणालियाँ, विद्युत उपकरण एवं सार्वजनिक उपयोगिता अवसंरचना उपलब्ध कराई। Provided air conditioning systems, electrical equipment, and public utility infrastructure to government offices and temples across locations. • सार्वजनिक उद्यानों एवं नागरिक अवसंरचना के विकास एवं सौंदर्यीकरण में योगदान दिया। Contributed to development and beautification of public parks and civic infrastructure. **7. सामुदायिक कल्याण एवं राहत** **Community Welfare & Relief** • उत्तराखंड जिला प्रशासन के माध्यम से आपदा-प्रभावित परिवारों को CSR सहायता प्रदान की। Provided CSR support for disaster-affected families through District Administration, Uttarakhand. • कोलकाता स्थित दृष्टिबाधित संस्थानों सहित संवेदनशील वर्गों के लिए राशन वितरण, भोजन सेवा एवं कंबल वितरण जैसी कल्याणकारी पहलों को समर्थन दिया। Supported welfare initiatives such as ration distribution, meal services, and blanket distribution for vulnerable groups including visually impaired institutions in Kolkata. • स्वच्छता कर्मियों को शीतकालीन वर्दी (अलीग़ढ) उपलब्ध कराकर सहायता प्रदान की। Extended support to sanitation workers through provision of winter uniforms (Aligarh).		

सिद्धांत 9 : व्यवसाय को एक जिम्मेदार तरीके से अपने उपभोक्ताओं के साथ जुड़ना चाहिए और उन्हे अहमियत देनी चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. उपभोक्ता से शिकायतें और प्रतिक्रिया प्राप्त करने और प्रत्युत्तर देने हेतु स्थापित प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

बैंक ने उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक को कुशलतापूर्वक निपटाने के लिए व्यापक तंत्र स्थापित किया हैः

शिकायत चैनलः

व्यक्तिगत रूप सेः ग्राहक सीधे शाखा, आंचलिक कार्यालय या मुख्य कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं और पावती प्राप्त कर सकते हैं। शिकायत को शिकायत बॉक्स में भी डाला जा सकता है।

फोनः बैंक की 24/7 उपलब्ध टोल-फ्री हेल्पलाइन (1800 8910) के माध्यम से शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं।

PRINCIPLE 9 :BUSINESSES SHOULD ENGAGE WITH AND PROVIDE VALUE TO THEIRCONSUMERS IN A RESPONSIBLE MANNER

Essential Indicators

1. Describe the mechanisms in place to receive and respond to consumer complaints andfeedback.

The Bank has established comprehensive mechanisms to efficiently handle consumer complaints and feedback:

Complaint Channels:

In Person: Customers can submit complaints directly at the branch, zonal office, or head office, and receive an acknowledgment. Complaints can also be dropped in the complaint box.

Phone: Grievances can be lodged via the bank's toll-free helpline (1800 8910) available 24/7.

ईमेल/वेबसाइटः शिकायतें hosp.cscell@uco.bank.in पर या ऑनलाइन शिकायत प्रणाली https://spgrs.ucoonline.in के माध्यम से भेजी जा सकती हैं, जो 24/7 उपलब्ध है।

पावतीः लिखित शिकायतों की पावती तीन दिनों के भीतर दी जाती है, जबकि फोन या ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतों को संदर्भ या पावती संख्या प्रदान की जाती है।

बैंक ने ग्राहक शिकायतों के अभिलेखीकरण एवं निगरानी हेतु एक केंद्रीकृत तंत्र स्थापित किया है। शाखाओं, आंचलिक कार्यालयों एवं प्रधान कार्यालय के माध्यम से प्राप्त सभी शिकायतों के साथ-साथ केंद्रीय/राज्य सरकारों, मंत्रालयों, सरकारी विभागों, भारतीय रिज़र्व बैंक, संसद/विधान परिषद सदस्यों, आईबीए तथा अन्य एजेंसियों सहित नियामकीय एवं सरकारी प्राधिकरणों से भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा प्राप्त शिकायतों को प्रभावी निगरानी एवं समाधान सुनिचित करने हेतु ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली (ओजीआरएस) में दर्ज किया जाता है।

ग्राहक प्रतिक्रिया तंत्रः

बैंक सेवा प्रदायगी में निरंतर सुधार हेतु ग्राहकों से सक्रिय रूप से फीडबैक प्राप्त करता है। फीडबैक बैंक की वेबसाइट, शाखाओं में प्रदर्शित क्यूआर कोड, एटीएम, मोबाइल बैंकिंग एवं ई-बैंकिंग प्लेटफॉर्म सहित विभिन्न माध्यमों से प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एक कर्मचारी-विशिष्ट फीडबैक व्यवस्था भी लागू है, जिसके अंतर्गत शाखाओं में आने वाले ग्राहकों को सेवा गुणवत्ता एवं लेनदेन बिंदुओं पर कर्मचारियों की तत्परता के संबंध में अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

इसके अलावा, बैंक के पास हेड ऑफिस में शेयरधारकों के प्रश्नों/शिकायतों के निवारण के लिए अलग सेल है। शेयरधारकों के प्रश्नों/शिकायतों के लिए एक विशेष ईमेल आईडी hosgr.calcutta@uco.bank.in है।

Email/Website: Complaints can be sent to hosp.cscell@uco.bank.in or through the online grievance system at https://spgrs.ucoonline.in, accessible 24/7.

Acknowledgment: Written complaints are acknowledged within three days, while complaints lodged via phone or the online system are provided with a reference or acknowledgment number.

The Bank has established a centralized mechanism for capturing and monitoring customer grievances. All complaints received through branches, zonal offices, Head Office, as well as those received from regulatory and government authorities-including Central/State Governments, Ministries, Government Departments, Reserve Bank of India, Members of Parliament/ Legislative Councils, IBA, and other agencies-through physical or electronic modes are recorded in the Online Grievance Redressal System (OGRS) to ensure effective tracking and resolution.

Customer Feedback Mechanism:

The Bank actively engages with customers to obtain feedback for continuous improvement in service delivery. Feedback is collected through multiple channels, including the Bank's website, QR codes displayed at branches, ATMs, mobile banking, and e-banking platforms. In addition, an employee-specific feedback mechanism is in place wherein customers visiting branches are encouraged to share their experience regarding service quality and staff responsiveness at transaction points.

Further, Bank has separate cell for redressing the grievances of the shareholder queries/complaints at Head Office. An exclusive email id for shareholders queries/complaint is hosgr.calcutta@uco.bank.in

2. उन सभी उत्पादों/सेवाओं का पण्यावर्त जिनके बारे में जानकारी है, से उत्पादों/सेवाओं के पण्यावर्त का प्रतिशत :पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटानः

2. Turnover of products and/ services as a percentage of turnover from all products/servicethat carry information about:

	कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में As a percentage to total turnover
उत्पाद के लिए प्रासंगिक पर्यावरणीय और सामाजिक मानदंड Environmental and social parameters relevant to the product	लागू नहीं / Not Applicable
सुरक्षित और उत्तरदायी उपयोग Safe and responsible usage	
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान Recycling and/or safe disposal	

3. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्याः / Number of consumer complaints in respect of the following:

	वित्तीय वर्ष/FY 2025-26			वित्तीय वर्ष/FY 2024-25		
	वर्ष भर में दर्ज **Filed during the year**	वर्ष के अंत में निपटान के लिए लंबित **Pending resolution at the end of the year**	टिप्पणियाँ **Remarks**	वर्ष भर में दर्ज **Filed during the year**	वर्ष के अंत में निपटान के लिए लंबित **Pending resolution at the end of the year**	टिप्पणियाँ **Remarks**
डाटा गोपनीयता Data Privacy	-	-	-	-	-	-
विज्ञापन Advertising	-	-	-	-	-	-
साइबर सुरक्षा Cyber-Security	-	-	-	-	-	-
आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति Delivery of essential services	-	-	-	-	-	-
प्रतिबंधात्मक व्यापार कार्यप्रणाली Restrictive trade practices	-	-	-	-	-	-
अनुचित व्यापार कार्यप्रणाली Unfair trade practices	-	-	-	-	-	-
अन्य Other (एटीएम/ई-बैंकिंग/अतिरिक्त प्रभार लगाना/खाता खोलने संबंधी आदि) (ATM/e-banking /levy of excess charges/Account opening related etc.)	124422	3770	-	85474	2128	-

4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद प्रत्याहार के उदाहरणों का विवरण /
Details of instances of product recalls on account of safety issues:

	संख्या/Number	प्रत्याहार के कारण/Reason for recall
स्वैच्छिक प्रत्याहार/Voluntary recalls	लागू नहीं/Not applicable	
बाध्य प्रत्याहार/Forced recalls		

5. क्या संस्था के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों के संबंध में कोई रूपरेखा/नीति है? (हां/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक दें।

बैंक के बोर्ड ने साइबर सुरक्षा नीति और डेटा सुरक्षा एवं गोपनीयता नीति को मंजूरी दे दी है और उपरोक्त नीतियां बैंक के आंतरिक यूसीओ ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की सुपुर्दगी; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता; उत्पाद प्रत्याहार के उदाहरणों की पुनरावृत्ति; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकरणों द्वारा दंड/कार्रवाई संबंधी मुद्दों पर की गई या जारी किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण दें।

5. Does the entity have a framework/ policy on cyber security and risks related to data privacy? (Yes/No) If available, provide a web-link of the policy.

Bank has Board approved Cyber Security Policy and Data Security & Privacy Policy and the aforesaid policies are available at Bank's Internal UCO Online Portal.

6. Provide details of any corrective actions taken or underway on issues relating to advertising and delivery of essential services; cyber security and data privacy of customers; re-occurrence of instances of product recalls; penalty/action taken by regulatory authorities on safety of products/services.

मानवीय कमजोरियों से उत्पन्न साइबर जोखिमों के समाधान हेतु बैंक उभरते साइबर खतरों एवं संबंधित सुरक्षा उपायों के प्रति ग्राहकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न निवारक एवं सुधारात्मक कदम निरंतर उठा रहा है।

- बैंक के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ग्राफिक एवं चित्रात्मक साइबर सुरक्षा परामर्श प्रसारित किए जाते हैं।
- ग्राहकों को साइबर जोखिमों एवं निवारक उपायों के संबंध में समय-समय पर पुश नोटिफिकेान एवं अनुकूलित ई-मेल भेजे जाते हैं।
- कर्मचारियों की साइबर सुरक्षा तैयारी को सुदृढ़ करने हेतु नियमित रूप से जागरूकता संगोष्ठियॉं, वेबिनार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
- व्यापक ग्राहक पहुंच सुनिचित करने के लिए शाखाओं एवं एटीएम परिसरों में साइबर सुरक्षा परामर्श प्रदर्शित किए जाते हैं।
- सुरक्षा अलर्ट एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को एटीएम स्क्रीन, इंटरनेट बैंकिंग एवं मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म सहित विभिन्न डिजिटल माध्यमों में समाहित किया गया है।
- ग्राहकों एवं आम जनता के बीच साइबर सुरक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु बैंक की वेबसाइट पर एक समर्पित 'साइबर सुरक्षा जागरूकता कॉर्नर संचालित किया जाता है।

इन सतत पहलों के माध्यम से बैंक ग्राहक सुरक्षा को सुदृढ़ करने एवं अपने समग्र साइबर प्रत्यास्थता ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में निरंतर कार्यरत है।

7. डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

क) डेटा उल्लंघनों के मामलों की संख्या - शून्य

ख) ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से संबंधित डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत - लागू नहीं

ग) डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हो - लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. चैनल/प्लेटफ़ॉर्म जहां संस्था के उत्पादों और सेवाओं से संबन्धित जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक दें।)

उत्पादों/सेवाओं के बारे में जानकारी बैंक की वेबसाइट (www.ucobank.com) के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

सोशल मीडिया चैनलों की सूची जहां बैंक अपनो उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करता है:

To address cyber risks arising from human vulnerabilities, the Bank continues to undertake multiple preventive and corrective measures to enhance customer awareness on emerging cyber threats and associated safety practices.

- Graphic and illustrative cyber security advisories are disseminated through the Bank's official social media platforms.
- Periodic push notifications and customized emails are sent to customers highlighting cyber risks and preventive measures.
- Awareness seminars, webinars, and training programmes are conducted regularly to strengthen employees' cyber security preparedness.
- Cyber security advisories are displayed at branches and ATM premises for wider customer outreach.
- Security alerts and best practices are integrated across digital channels including ATM screens, Internet Banking, and Mobile Banking platforms.
- A dedicated 'Cyber Security Awareness Corner' is maintained on the Bank's website to promote cyber safety among customers and the general public.

Through these ongoing initiatives, the Bank continues to strengthen customer protection and enhance its overall cyber resilience framework.

7. Provide the following information relating to data breaches:

a. Number of instances of data breaches - Nil

b. Percentage of data breaches involving personally identifiable information of customers - Not Applicable

c. Impact, if any, of the data breaches -Not Applicable

Leadership Indicators

1. Channels / platforms where information on products and services of the entity can be accessed (provide web link, if available).

Information about products/services offered can be accessed through Bank's Website (www.uco.bank.in). List of Social Media Channels where bank disseminates information on its products and services :

फेसबुक/Facebook	https://www.facebook.com/official.ucobank/
एक्स (पूर्व में ट्विटर)/X (Formerly Twitter)	https://twitter.com/UCOBankOfficial
लिंक्डइन/Linkedin	https://www.linkedin.com/company/3205517/
इंस्टाग्राम/Instagram	https://www.instagram.com/official.ucobank/
यूट्यूब/Youtube	https://www.youtube.com/channel/UCuXnmG5210XSLSwyyJsiYQ/featured
थ्रेइस/Threads	https://www.threads.com/@official.ucobank

2. उपभोक्ताओं को उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में सूचित और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।

बैंक नियमित रूप से एसएमएस, ई-मेल, पुश नोटिफिकेशन के साथ-साथ बैंक के सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से ग्राहकों को डिजिटल उत्पादों और उनके सुरक्षित उपयोग पर साइबर शिक्षा/जागरूकता संदेश भेज रहा है।

3. उपभोक्ताओं को आवश्यक सेवाओं में व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में सूचित करने के लिए तंत्र मौजूद हैं।

उपभोक्ताओं को आवश्यक सेवाओं में व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में सूचित करने के लिए बैंक के पास निम्नलिखित तंत्र हैं:

क) एम-बैंकिंग, ई-बैंकिंग और एटीएम जैसी महत्वपूर्ण प्रणालियों को प्रभावित करने वाली किसी भी निर्धारित रखरखाव गतिविधियों से पहले, बैंक यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहकों को एसएमएस और पुश नोटिफिकेशन जैसे प्रत्यक्ष सूचना चैनलों के माध्यम से पहले से सूचित किया जाए, जिससे ग्राहक तदनुसार योजना बना सकें और किसी भी असुविधा को कम कर सकें।

ख) बैंक अपनी वेबसाइट, ई-बैंकिंग पोर्टल और एटीएम स्क्रीन सहित कई प्लेटफार्मों पर सूचनात्मक संदेश प्रदर्शित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ग्राहकों को किसी भी आगामी सेवा व्यवधान के बारे में अच्छी तरह से सूचित किया जा सके।

4. क्या इकाई स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य से अधिक उत्पाद पर उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है? (हां/नहीं/लागू नहीं) यदि हाँ, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें। क्या आपकी इकाई ने इकाई के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, इकाई के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या समग्र इकाई से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हां नहीं)

जी नहीं, बैंक स्थानीय कानूनों के अनुसार उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करता है।

जी हाँ, बैंक ने एम-बैंकिंग, ई-बैंकिंग, कियोस्क आदि जैसे प्रमुख चैनलों पर उपलब्ध फीडबैक प्रणाली के माध्यम से प्रमुख उत्पादों/सेवाओं से संबंधित ग्राहकों की संतुष्टि पर विभिन्न सर्वेक्षण किए हैं।

इसके अलावा, बैंक किसी भी लेनदेन पर ग्राहकों को उनके बहुमूल्य फीडबैक/रेटिंग/सुझाव के लिए फीडबैक लिंक भी भेजता है।

2. Steps taken to inform and educate consumers about safe and responsible usage of products and/or services.

Bank is regularly sending cyber education/awareness messages to the customers on Digital Products and their safe usage through SMS, E-Mail, Push notifications as well as through Bank's Social Media handles.

3. Mechanisms in place to inform consumers of any risk of disruption/discontinuation of essential services.

Bank has following mechanism in place to inform consumers of any risk of disruption/discontinuation of essential services :

a) Prior to any scheduled maintenance activities affecting vital systems such as M-Banking, E-Banking, and ATMs, bank ensures customers are informed in advance through direct communication channels like SMS and push notifications, allowing customers to plan accordingly and mitigate any inconvenience.

b) Bank displays informative messages on multiple platforms including the bank's website, e-banking portaland ATM screens, ensuring customers are kept well-informed about any upcoming service interruptions.

4. Does the entity display product information on the product over and above what is mandated as per local laws? (Yes/No/Not Applicable) If yes, provide details in brief. Did your entity carry out any survey with regard to consumer satisfaction relating to the major products / services of the entity, significant locations of operation of the entity or the entity as a whole? (Yes/No)

No, Bank displays product information as per local laws.

Yes, Bank carried out various surveys among customers on their satisfaction relating to major products/services through feedback system, made available on major channels like M-Banking, E-Banking, Kiosk etc.

Further, Bank also sends feedback link to customers on any transaction for their valuable feedback/rating/suggestion.

कारोबारी उत्तरदायित्व और धारणीयता रिपोर्ट (बीआरएसआर) 2025-26 में चयनित गैर-वित्तीय धारणीयता प्रकटीकरण पर यूको बैंक को स्वतंत्र यथोचित आश्वासन रिपोर्ट

सेवा में
निदेशक मंडल
यूको बैंक
कोलकाता

हमें, मेसर्स के घोष एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार को यूको बैंक ('बैंक') द्वारा चयनित गैर-वित्तीय धारणीयता प्रकटीकरण ('परिचिह्नित धारणीयता सूचना') पर स्वतंत्र उचित आश्वासन प्रदान करने के उद्देश्य से नियुक्त किया गया है जिसे 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि के लिए बैंक की व्यावसायिक जिम्मेदारी और धारणीयता रिपोर्ट (बीआरएसआर) 2025-26 में प्रस्तुत किया गया।

परिचिह्नित धारणीयता सूचना

दिनांक 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए परिचिह्नित की गई धारणीयता सूचना का सारांश निम्नलिखित हैः

धारणीयता जानकारी जहां यथोचित आश्वासन पूरा दिया जाता है	बीआरएसआर 2025-26 का क्रॉस संदर्भ
• देय खातों के दिनों की संख्या • कारोबार में खुलापन	सिद्धांत 1 के तहत आवश्यक संकेतकों का प्रः 8 आवश्यक संकेतकों का प्रः 9
• कर्मचारियों की भलाई के उपायों पर खर्च • कर्मचारियों के लिए सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण	सिद्धांत 3 के तहत आवश्यक संकेतकों का प्रः 1(सी) आवश्यक संकेतकों का प्रः 11
• भुगतान की गई मजदूरी के % के रूप में महिलाओं को सकल मजदूरी का भुगतान • पीओएसएच पर शिकायतें	सिद्धांत 5 के तहत आवश्यक संकेतकों का प्रः 3(बी) आवश्यक संकेतकों का प्रः 7
• ऊर्जा फुटप्रिंट • जल फुटप्रिंट • गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन • ग्रीन-हाउस गैस (जीएचजी) फुटप्रिंट • अवशिष्ट प्रबंधन	सिद्धांत 6 के तहत आवश्यक संकेतकों का प्रः 1 आवश्यक संकेतकों का प्रः 3 आवश्यक संकेतकों का प्रः 4 आवश्यक संकेतकों का प्रः 7 आवश्यक संकेतकों का प्रः 9
• सोर्स की गई इनपुट सामग्री • छोटे शहरों में रोजगार सृजन	सिद्धांत 8 के तहत आवश्यक संकेतकों का प्रः 4 आवश्यक संकेतकों का प्रः 5
• ग्राहकों के डेटा के नुकसान / उल्लंघन से जुड़े मामले	सिद्धांत 9 के तहत आवश्यक संकेतकों का प्रः 7

हमारा यथोचित आश्वासन केवल दिनांक 31.03.2026 को समाप्त वर्ष की जानकारी के संबंध में था जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो और हम पहले की अवधि या बीआरएसआर में शामिल किसी भी अन्य तत्व के संबंध में कोई निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

मानदंड

चिह्नित की गई धारणीयता सूचना तैयार करने के लिए बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले मानदंड अनुलग्नक-ए के रूप में संलग्न हैं.

प्रबंधन का उत्तरदायित्व

बैंक का प्रबंधन धारणीयता सूचना पर रिपोर्टिंग, प्रमुख पहलुओं की पहचान, हितधारकों के साथ जुड़ाव, सामग्री तैयारी और लागू कानूनों और विनियमों, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए, बीआरएसआर तैयार करने के लिए उपयुक्त मानदंड चुनने या स्थापित करने के लिए मानदंड के अनुसार चिह्नित की गई धारणीयता संबंधी जानकारी की प्रस्तुति के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में बीआरएसआर की तैयारी और परिचिह्नित धारणीयता सूचना की माप के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, तथा जो धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से संभव महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त है। बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वह बीआरएसआर की सामग्री की वार्षिक रूप से समीक्षा करे।

अंतर्निहित सीमाएं

गैर-वित्तीय जानकारी का मूल्यांकन और माप करने के लिए स्थापित प्रथा के एक महत्वपूर्ण निकाय की अनुपस्थिति अलग-अलग, लेकिन स्वीकार्य, उपायों और माप तकनीकों की अनुमति देती है और यह संस्थाओं के बीच तुलना को प्रभावित कर सकती है।

हमारी स्वतंत्रता और गुणवत्ता नियंत्रण

हमने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी है और हम पुष्टि करते हैं कि हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता की अपेक्षाओं को पूरा किया है और इस आश्वासन कार्य को संचालित करने के लिए हमारे पास आवश्यक योग्यताएं और अनुभव हैं।

यह फर्म गुणवत्ता नियंत्रण (एसक्यूसी) 1 पर मानक, 'ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी और अन्य आश्वासन और संबंधित सेवाओं के कार्यों की लेखा परीक्षा और समीक्षा करने वाली फर्मों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण' लागू करती है, और तदनुसार नैतिक आवश्यकताओं, पेशेवर मानकों और लागू कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के संबंध में प्रलेखित नीतियों और प्रक्रियाओं सहित गुणवत्ता नियंत्रण की एक व्यापक प्रणाली बनाए रखती है।

हमारा उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी बीआरएसआर 2025-26 में निहित चिन्हित स्थिरता सूचना पर, बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई प्रक्रियाओं और जानकारी के आधार पर, एक यथोचित आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त करना है। इस कार्य में, हमने बैंक की प्रमुख नीतियों का संदर्भ लिया है, जिनमें ईएसजी नीति, सीएसआर एवं दान नीति, और व्हिसल ब्लोअर नीति शामिल हैं। चूंकि हमने पूर्व में बीआरएसआर 2024-25 में प्रकशित चिन्हित स्थिरता सूचना पर यथोचित आश्वासन कार्य किया था, अतः हमने उस कार्य पर भरोसा किया है और तदनुसार, बीआरएसआर 2025-26 में सम्मिलित तुलनात्मक जानकारी पर भी, जहां तक वह जानकारी संगत और तुलनीय है, हमारा आश्वासन व्यक्त करना जारी रखा है।

हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस एंगेजमेंट्स (एसएसएई) 3000, 'स्थिरता सूचना पर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स' पर मानक के अनुसार अपना कार्य किया। इस मानक के लिए आवश्यक है कि हम रिपोर्टिंग मानदंड के अनुसार, सभी भौतिक मामलों में, परिचिह्नित स्थिरता जानकारी तैयार की गई है या नहीं, इसके बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की योजना बनाएं और उसका पालन करें। एक उचित आश्वासन संलग्नता में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण परिचिह्नित स्थिरता जानकारी के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन करना, परिस्थितियों में आवश्यक रूप से मूल्यांकन किए गए जोखिमों का जवाब देना शामिल है।

हमारे द्वारा की गई प्रक्रियाएँ हमारे व्यावसायिक निर्णय पर आधारित थीं, जिनमें पूछताछ, निष्पादित प्रक्रियाओं का अवलोकन, दस्तावेजों का निरीक्षण, मात्रात्मक विधियों और रिपोर्टिंग नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन, विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएँ तथा मूल अभिलेखों से मिलान या सामंजस्य स्थापित करना शामिल था। यह उल्लेख किया गया है कि प्लास्टिक अपशिष्ट वर्तमान में मात्रात्मक रूप से मापने योग्य नहीं है, और इस कारण से हमारे मूल्यांकन में इसकी मात्रात्मकता को शामिल नहीं किया गया है।

संलग्नता की परिस्थितियों को देखते हुए, ऊपर सूचीबद्ध प्रक्रियाओं को निष्पादित करने में, हमने प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई प्रक्रियाओं और सूचनाओं के साथ-साथ आश्वासन संलग्नता के दौरान प्रबंधन द्वारा उपयोग किए गए माप दृष्टिकोण के आधार पर पहचानी गई स्थिरता जानकारी पर उचित आश्वासन प्रदान किया। इस सहभागिता के एक भाग के रूप में, हमने परिमाणीकरण विधियों की उपयुक्तता, पहचानी गई स्थिरता जानकारी तैयार करने में बैंक द्वारा उपयोग किए गए मानदंडों की उपयुक्तता और बीआरएसआर 2025-26 में निहित पहचानी गई स्थिरता जानकारी को सुनिश्चित करने/तैयार करने के लिए बैंक द्वारा किए गए अनुमानों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन किया।

अपवर्जनः

हमारे आश्वासन के दायरे में निम्नलिखित शामिल नहीं है और इसलिए हम उस पर कोई निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैंः

- बैंक के वित्तीय कार्यनिष्पादन से संबंधित जानकारी।
- बीआरएसआर के पहलू और पहचानी गई स्थिरता जानकारी के अलावा डेटा/सूचना (गुणात्मक या मात्रात्मक)
- वे कथन जो कंपनी द्वारा प्रदान किए गए विचार, विश्वास, आकांक्षा, अपेक्षा, लक्ष्य या भविष्य के इरादों की अभिव्यक्ति का वर्णन करते हैं।

मन्तव्य

हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कि दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए परिचिह्नित स्थिरता सूचना (जैसा कि 'परिचिह्नित स्थिरता सूचना 'के अंतर्गत बताया गया है) सभी भौतिक मामलों में मानदंडों के अनुसार तैयार की गई है और हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि बैंक के बीआरएसआर 2025-26 में बताई गई परिचिह्नित स्थिरता संबंधी जानकारी सेबी द्वारा अपने परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-एसईसी-2/पी/सीआईआर/2023/122 दिनांक 12.07.2023 द्वारा निर्धारित मानकों/दृष्टिकोण के आधार पर, भौतिक संबंध में निष्पक्ष रूप से नहीं बताई गई है। व्यवसाय उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) कोर पर उद्योग मानक नोट और सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2025/42 दिनांक 28.03.2025।

जीएचजी उत्सर्जन की गणना के लिए जिन धारणाओं का पालन किया जा रहा है, उनकी और समीक्षा की जा सकती है और उन्हें मजबूत किया जा सकता है और डेटा मालिकों के बीच स्थिरता से संबंधित प्रकटीकरण की समझ को बढ़ाने की गुंजाइश है।

प्रयोग पर प्रतिबंध

हमारी रिपोर्ट पूरी तरह से बैंक के अनुरोध पर तैयार की गई है और बैंक के निदेशक मंडल को संबोधित की गई है। तदनुसार, हम बैंक के अलावा किसी अन्य के प्रति कोई दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं। बैंक के अलावा कोई भी पक्ष जो हमारी रिपोर्ट या उसकी प्रति तक पहुंच प्राप्त करता है और हमारी रिपोर्ट (या उसके किसी भी हिस्से) पर भरोसा करता है, वह अपने जोखिम पर ऐसा करेगा। हमारे डिलिवरेबल्स का उपयोग बैंक के अलावा किसी अन्य उद्देश्य या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। फर्म न तो किसी अन्य उद्देश्य के लिए या किसी अन्य पक्ष के लिए देखभाल या दायित्व के किसी भी कर्तव्य को स्वीकार करती है और न ही मानती है, जिसे हमारे डिलिवरेबल्स दिखाए जाते हैं या जिनके हाथों में यह लिखित रूप में हमारी पूर्व सहमति के बिना आ सकता है।

कृते के घोष एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(फर्म का पंजीकरण क्रमांक 326664ई)

ह/-
(सीए कौशिक घोष)
पदनाम : स्वत्वाधिकारी
सदस्यता संख्या :061176
यूडीआईएनः 26061176DEGROB8527

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 08.05.2026

अनुलग्नक-ए

(कारोबारी उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) 2025-26 में चुनिंदा गैर-वित्तीय स्थिरता प्रकटीकरण पर यूको बैंक को स्वतंत्र उचित आश्वासन रिपोर्ट का हिस्सा बनाना

सिद्धांत संख्या	परिचिह्नित संधारणीयता संबंधी जानकारी	मापन दृष्टिकोण
1.	• देय खातों के दिनों की संख्या • व्यवसाय का खुलापन	**देय खातों के दिनों की संख्या.** देय खातों के दिनों की इस संख्या की गणना करने के लिए, डेटा ऑडिटेड वित्तीय विवरण से लिया गया है। (देय खाते*365 / खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत)। अन्य देयता अनुसूची और परिचालन व्यय अनुसूची के तहत प्रासंगिक मदों पर विचार किया गया है। **व्यवसाय का खुलापन** व्यवसाय की प्रकृति के कारण, यह सीधे लागू नहीं होता है। .
3.	• कर्मचारियों की भलाई के उपायों पर व्यय • कर्मचारियों के लिए सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण	**कर्मचारियों की भलाई के उपायों पर खर्च** कर्मचारियों की भलाई के लिए किए गए व्यय जैसे स्वास्थ्य जांच, चश्मा, नेत्र जांच, मनोरंजन भत्ता, असुविधा भत्ता, सफाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम आदि की लागत की प्रतिपूर्ति को ध्यान में रखा जाता है और बैंक के कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। परिचालन से कुल राजस्व ब्याज अर्जित अनुसूची और अन्य आय अनुसूची लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों से लिया गया था। परिचालन से राजस्व निकालने के लिए भवन/अन्य परिसंपत्तियों (शुद्ध) की बिक्री पर लाभ/(हानि) को अन्य आय से घटाया गया। बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां हैं, जिनमें विभिन्न कर्मचारी कल्याण उपाय शामिल हैं। **कर्मचारियों के लिए सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण** कारोबार की प्रकृति को देखते हुए यह प्रयोज्य नहीं है। हालांकि, बैंक अपने कार्य परिवेश में स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है और उनका पालन करता है।
5.	• भुगतान की गई मजदूरी के **%** के रूप में महिलाओं को सकल मजदूरी का भुगतान • पीओएसएच पर शिकायतें	**महिलाओं को भुगतान की गई मजदूरी के % के रूप में सकल वेतन का भुगतान** इस जानकारी के लिए हमने बैंक के कर्मचारियों के वेतन से संबंधित संबंधित विभाग/सेल द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर भरोसा किया है। **पीओएसएच पर शिकायतें** इस जानकारी के लिए, हमने बैंक के संबंधित विभाग/सेल द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा किया है। (वर्ष 2025-26 के दौरान POSH के संबंध में पांच शिकायतें दर्ज की गईं और POSH के संबंध में दो शिकायतें सही पाई गईं ।)
6.	• ग्रीन-हाउस गैस (जीएचजी) फुटप्रिंट • ऊर्जा फुटप्रिंट • जल फुटप्रिंट • गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन • अवशिष्ट प्रबंधन	**ग्रीन-हाउस गैस (जीएचजी) फुटप्रिंट** **स्कोप I उत्सर्जन** केवल बैंक के स्वामित्व वाले वाहन को कवर करता है। हम स्कोप I उत्सर्जन की गणना के चरणों का सारांश प्रस्तुत करते हैं - चरण I: शाखाओं/कार्यालयों द्वारा किया गया राज्यवार पेट्रोल व्यय चरण II: राज्यवार पेट्रोल की कीमत

सिद्धांत संख्या	परिचिह्नित संधारणीयता संबंधी जानकारी	मापन दृष्टिकोण
		चरण III: लीटर में राज्यवार पेट्रोल की खपत का पता लगाना (चरण I / चरण II) चरण IV: सभी राज्यों की पेट्रोल खपत का योग और उत्सर्जन कारक से गुणा किया गया चरण V: चरण IV से KgCo2 में अनुमानित दायरा I उत्सर्जन KgCo2 को tCo2 में बदला गया। नोटः वित्त वर्ष 2025-26 और 2024-25 के लिए उपयोग किए जाने वाले पेट्रोल के लिए उत्सर्जन कारक 2.27 है (भारत जीएचजी कार्यक्रम के अनुसार) **स्कोप II उत्सर्जन** ग्रिड से केवल बैंक की बिजली खपत को कवर करता है। हम स्कोप II उत्सर्जन की गणना के चरणों का सारांश प्रस्तुत करते हैं - चरण I: शाखाओं/कार्यालयों द्वारा किया गया राज्यवार बिजली व्यय चरण II: राज्यवार प्रति यूनिट बिजली शुल्क चरण III: Kwh में राज्यवार बिजली की खपत का पता लगाना (चरण I / चरण II) चरण IV: सभी राज्यों की बिजली खपत का योग और उत्सर्जन कारक से गुणा किया गया चरण V: चरण IV से KgCo2 में स्कोप II उत्सर्जन का पता लगाया गया KgCo2 को tCo2 में बदला गया। नोटः वित्त वर्ष 2025-26 और 2024-25 के लिए उपयोग की जाने वाली बिजली के लिए उत्सर्जन कारक 0.727 है (भारतीय विद्युत क्षेत्र के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के Co2 बेसलाइन डेटाबेस, संस्करण 20.0 से प्राप्त) **ऊर्जा फुटप्रिंट** बिजली की खपत (किलोवाट घंटे में) और ईंधन की खपत (लीटर में) को स्कोप II उत्सर्जन और स्कोपI उत्सर्जन गणना के रूप में लिया जाता है और इसे गैर-नवीकरणीय ऊर्जा के तहत गीगाजूल में परिवर्तित किया जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग का उल्लेख किया गया है और इसे कुल ऊर्जा खपत में शामिल किया गया है। **जल फुटप्रिंट एवं सतत जल** प्रतिदिन जल उपभोग का निर्धारण करने के लिए भारतीय मानक दस्तावेज - जल आपूर्ति, जल निकासी और स्वच्छता के लिए बुनियादी आवश्यकताओं की संहिता (चौथा संशोधन) का संदर्भ लिया गया। दस्तावेज के अनुसार प्रति व्यक्ति (कार्यालयों) को प्रतिदिन 45 लीटर जल आपूर्ति की आवश्यकता के अनुमान के साथ प्रति वर्ष 250 कार्य दिवसों के लिए डेटा की गणना की गई। संख्या की गणना करने के लिए, हमने वर्ष के अंत तक कर्मचारियों की संख्या का उपयोग किया है और उसके अनुसार गणना की है।

सिद्धांत संख्या	परिचिह्नित संधारणीयता संबंधी जानकारी	मापन दृष्टिकोण
		गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन कारोबार की प्रकृति को देखते हुए यह प्रयोज्य नहीं है। **अवशिष्ठ प्रबंधन** इसके तहत बैंक के संबंधित विभाग/सेल द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर ई-कचरे पर डेटा रिपोर्ट किया गया है। कारोबार की प्रकृति को देखते हुए अन्य अपशिष्ट श्रेणियां महत्वपूर्ण / प्रयोज्य नहीं है। नोटः इस रिपोर्ट में जहां भी उपयोग किया गया है, वित्त वर्ष 2025-26 और 2024-25 के लिए पीपीपी रूपांतरण दर 20.66 रुपये प्रति अंतर्राष्ट्रीय अमेरिकी डॉलर है (स्रोत- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) - वर्ल्ड इकनोमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) डेटाबेस)
8.	• सोर्स की गई इनपुट सामग्री • छोटे शहरों में रोजगार सृजन	**सोर्स की गई इनपुट सामग्री** व्यवसाय की प्रकृति के कारण, यह लागू नहीं है **छोटे शहरों में रोजगार सृजन** हमने कर्मचारियों के एमआईएस पर भरोसा किया है और 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए कर्मचारियों की नौकरी पोस्टिंग के आधार पर डेटा प्राप्त किया गया है।
9.	• ग्राहकों के डेटा की हानि / उल्लंघन से जुड़े मामले	बैंक के संबंधित विभाग/प्रकोष्ठ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ग्राहकों के डेटा के नुकसान/उल्लंघन से संबंधित कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

कृते के घोष एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(फर्म का पंजीकरण क्रमांक 326664ई)

ह/-

(सीए कौशिक घोष)
पदनाम : स्वत्वाधिकारी
सदस्यता संख्या :061176
यूडीआईएनः 26061176DEGROB8527

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 08.05.2026

INDEPENDENT REASONABLE ASSURANCE REPORT TO UCO BANK ON SELECT NON-FINANCIAL SUSTAINABILITY DISCLOSURES IN THE BUSINESS RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY REPORT (BRSR) 2025-26

To
The Board of Directors
UCO Bank
Kolkata

We ("M/s K Ghosh & Associates, Chartered Accountants or the Firm) have been engaged by the UCO Bank ("Bank") for the purpose of providing Independent Reasonable Assurance on the select non-financial sustainability disclosures ("Identified Sustainability Information") presented in the Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) 2025-26 of the Bank for the period covering 1st April 2025 to 31st March 2026.

Identified Sustainability Information

The Identified Sustainability Information for the year ended 31.03.2026 is summarized below:

Sustainability Information where reasonable assurance is carried out	Cross Reference to BRSR 2025-26
• Number of days of accounts payable. • Open-ness of business	Under Principle 1 Q: 8 of Essential Indicators Q: 9 of Essential Indicators
• Spending on measures towards well-being of employees • Details of safety related incidents for employees	Under Principle 3 Q : 1(c) of Essential Indicators Q : 11 of Essential Indicators
• Gross wages paid to females as % of wages paid • Complaints on POSH	Under Principle 5 Q : 3(b) of Essential Indicators Q : 7 of Essential Indicators
• Energy footprint • Water footprint • Water Discharge by destination and levels of Treatment • Green-house gas (GHG) footprint • Waste Management	Under Principle 6 Q : 1 of Essential Indicators Q : 3 of Essential Indicators Q : 4 of Essential Indicators Q : 7 of Essential Indicators Q : 9 of Essential Indicators
• Input material sourced • Job creation in smaller towns	Under Principle 8 Q : 4 of Essential Indicators Q : 5 of Essential Indicators
• Instances involving loss / breach of data of customers	Under Principle 9 Q : 7 of Essential Indicators

Our reasonable assurance engagement was with respect to the year ended 31.03.2026 information only unless otherwise stated and we have not performed any procedures with respect to earlier periods or any other elements included in the BRSR and, therefore, do not express any conclusion thereon.

Criteria

The criteria used by the Bank to prepare the Identified Sustainability Information is enclosed as Annexure-A

Management's Responsibility

The management at the Bank is responsible for selecting or establishing suitable criteria for preparing the BRSR, taking into account applicable laws and regulations, if any, related to reporting on the Sustainability Information, Identification of key aspects, engagement with stakeholders, content, preparation and presentation of the Identified Sustainability Information in accordance with the Criteria. This responsibility includes design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the BRSR and the measurement of Identified Sustainability Information, which is free from material misstatement, whether due to fraud or error. The management at the Bank is responsible reviewing the contents of the BRSR on an annual basis.

Inherent limitations

The absence of a significant body of established practice on which to draw to evaluate and measure non-financial information allows for different, but acceptable, measures and measurement techniques and can affect comparability between entities.

Our Independence and Quality Control

We have maintained our independence and confirm that we have met the requirements of the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India and have the required competencies and experience to conduct this assurance engagement.

The firm applies Standard on Quality Control (SQC) 1, "Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements", and accordingly maintains a comprehensive system of quality control including documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards, and applicable legal and regulatory requirements.

Our Responsibility

Our responsibility is to express a reasonable assurance conclusion on the Identified Sustainability Information contained in the BRSR 2025-26 based on the procedures and information provided by the Management of the Bank. In carrying out our engagement, we have referred to key policies of the Bank, including the ESG Policy, CSR & Donation Policy, and Whistle Blower Policy. As we had previously conducted a reasonable assurance engagement on the Identified Sustainability Information disclosed in the BRSR 2024-25, we have placed reliance on that engagement and, accordingly, continue to express our assurance on the corresponding comparative information included in the BRSR 2025-26, to the extent that such data remains consistent and comparable.

We conducted our engagement in accordance with the Standard on Sustainability Assurance Engagements (SSAE) 3000, "Assurance Engagements on Sustainability Information", issued by the Sustainability Reporting Standards Board of the Institute of Chartered Accountants of India. This standard requires that we plan and perform our engagement to obtain reasonable assurance about whether the Identified Sustainability Information are prepared, in all material respects, in accordance with the Reporting Criteria. A reasonable assurance engagement involves assessing the risks of material misstatement of the Identified Sustainability Information whether due to fraud or error, responding to the assessed risks as necessary in the circumstances.

The procedures we performed were based on our professional judgment and included inquiries, observation of processes performed, inspection of documents, evaluating the appropriateness of quantification methods and reporting policies, analytical procedures and agreeing or reconciling with underlying records. It is noted that plastic waste are currently not quantifiable and, therefore, were excluded from quantification in our assessment.

Given the circumstances of the engagement, in performing the procedures listed above, we provided Reasonable Assurance on Identified Sustainability Information based on the procedures and information as provided by the Management as well measurement approach used by the Management during the assurance engagement. As a part of this engagement, we evaluated appropriateness of the quantification methods, suitability of the criteria used by the Bank in preparing the Identified Sustainability Information and the reasonableness of the estimates made by the Bank for ascertaining/preparing the Identified Sustainability Information contained in the BRSR 2025-26.

Exclusions:

Our assurance scope excludes the following and therefore we do not express a conclusion on the same:

- Information related to the Bank's Financial Performance
- Aspects of the BRSR and the data/information (qualitative or quantitative) other than the Identified Sustainability Information.
- The statements that describe expression of opinion, belief, aspiration, expectation, aim, or future intentions provided by the Company

Opinion

Based on the procedures we have performed and the evidence we have obtained, the Identified Sustainability Information for the year ended 31.03.2025 (as stated under "Identified Sustainability Information") are prepared in all material respects, in accordance with the criteria and nothing has come to our attention that causes us to believe that Identified Sustainability Information disclosed in the Bank's BRSR 2025-26 are not fairly stated and properly prepared, in material respects, based on the standards/approach stipulated by the SEBI vide their circular SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 dated 12.07.2023, Industry Standards Note on Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) Core and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-1/P/CIR/2025/42 dated 28.03.2025.

The assumptions that are being followed for calculation of GHG emissions can be further reviewed and strengthened and there is a scope of enhancing the understanding of the sustainability related disclosures among the data owners.

Restriction on use

Our report has been prepared and addressed to the Board of Directors of the Bank at the request of the Bank solely. Accordingly, we accept no liability to anyone, other than the Bank. Any party other than the Bank who obtains access to our report or a copy thereof and chooses to rely on our report (or any part thereof) will do so at its own risk. Our Deliverables should not be used for any other purpose or by any person other than the Bank. The firm neither accepts nor assumes any duty of care or liability for any other purpose or to any other party to whom our Deliverables are shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

For K Ghosh & Associates
Chartered Accountants
(Firm's Registration No. 326664E)

sd/-

(C A Kausik Ghosh)
Designation: Proprietor
Membership No: 061176
UDIN : 26061176DEGROB8527

Place: Kolkata
Date: 08.05.2026

Annexure - A

(Forming part of Independent Reasonable Assurance Report to UCO Bank on Select Non-Financial Sustainability Disclosures in the Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) 2025-26

Principle No.	Identified Sustainability Information	Measurement Approach
1.	• Number of days of accounts payable. • Open-ness of business	**Number of days of accounts payable.** To compute this number of days of accounts payable, data has been taken from Audited financial statement.(Accounts Payable*365 / Cost of goods/services procured). Relevant items under Other Liabilities Schedule and Operating Expenses Schedule have been considered. **Open-ness of business** Owing to the nature of business, this is not directly applicable.
3.	• Spending on measures towards well-being of employees • Details of safety related incidents for employees	**Spending on measures towards well-being of employees** Expenditure incurred towards well-being of employees viz. reimbursement to Cost of Health check-up, Spectacles, Eye Check-up, Entertainment Allowance, Discomfort Allowance, Cleaning Allowance, Medical Allowance and Health Insurance Premium etc. are taken into consideration and presented as a percentage of total revenue of the Bank. Total revenue from operations was taken from Interest Earned Schedule and Other Income Schedule audited financial statements. Profit/(Loss) on sale of building/Other assets (net) deducted from Other income for arriving at Revenue from Operations. The Bank has Board-approved policies in place that encompass various employee well-being measures. **Details of safety related incidents for employees** Owing to the nature of business, this is not applicable. However, the Bank actively promotes and adheres to health and safety standards within its work environment.
5.	• Gross wages paid to females as % of wages paid • Complaints on POSH	**Gross wages paid to females as % of wages paid** For this information, we have relied on the information provided by the respective department/cell dealing with Salaries of the employees of the Bank. **Complaints on POSH** For this information, we have relied on the information provided by the respective department/cell of the Bank. Five complaints on POSH reported during the year 2025-26 and two complaints on POSH upheld.
6.	• Green-house gas (GHG) footprint • Energy footprint • Water footprint • Water Discharge by destination and levels of Treatment • Waste Management	**Green-house gas (GHG) footprint** **Scope I emission** covers only Bank's owned vehicle. We summarize the steps for computation of Scope I emission - Step I : State Wise Petrol Expenditure incurred by the Branches /Offices

Principle No.	Identified Sustainability Information	Measurement Approach
		Step II : State Wise Petrol Price Step III : Ascertained State wise Petrol Consumption in litres (Step I / Step II) Step IV : Summation of Petrol Consumption of all States and multiplied by emission factor Step V : Ascertained Scope I Emission in KgCo2 from Step IV. Converted the KgCo2 into tCo2 Note : Emission Factor for Petrol used for FY 2025-26 and 2024-25 is 2.27 (As per India GHG Programme) **Scope II emission** covers only bank's electricity consumption from Grid. We summarize the steps for computation of Scope II emission - Step I : State Wise electricity expenditure incurred by the Branches /Offices Step II : State Wise per unit electricity charges Step III : Ascertained State wise electricity Consumption in Kwh (Step I / Step II) Step IV : Summation of electricity consumption of all States and multiplied by emission factor Step V : Ascertained Scope II Emission in KgCo2 from Step IV. Converted the KgCo2 into tCo2 Note : Emission factor for electricity used for FY 2025-26 and 2024-25 is 0.727 (derived from the Central Electricity Authority (CEA)'s Co2 Baseline Database for the Indian Power Sector, Version 20.0) **Energy footprint** Electricity Consumption (in Kwh) and Fuel Consumption (in litres) is taken Scope II emission and Scope I emission calculation and converted the same into Gigajoules under non-renewable energy. Usage of renewable energy is mentioned and considered in the total energy consumption. **Water Footprint and sustainable water** In order to determine water consumption per day, Indian Standard document - Code of basic requirements for water supply, drainage, and sanitation (Fourth Revision) was referred. Data for 250 working days per year was calculated with an estimate of 45 litres per day per head (offices) as daily water supply requirement as per the document. To compute the number, we have used the employee count as on year end and worked out accordingly.

Principle No.	Identified Sustainability Information	Measurement Approach
		Water Discharge by destination and levels of Treatment Owing to the nature of business, this is not applicable. **Waste Management** Data on E-waste has been reported under this based on the information provided by the respective department/cell of the Bank. Owing to the nature of business, other wastes categories are not material/applicable. Note : PPP conversion rate, wherever used in this report, for FY 2025-26 and 2024-25 is Rs.20.66 INR per international US dollar (Source- International Monetary Fund (IMF) - World Economic Outlook (WEO) database)
8.	• Input material sourced • Job creation in smaller towns	**Input material sourced** Owing to the nature of business, this is not applicable **Job creation in smaller towns** We have relied on the MIS of Employees and data has been fetched based on the job posting of employees for the year ended 31.03.2026.
9.	• Instances involving loss / breach of data of customers	No instances involving loss / breach of data of customers has been reported for the FY 2025-26 as per the information furnished by the respective department/cell of the Bank

For K Ghosh & Associates
Chartered Accountants
(Firm's Registration No. 326664E)

sd/-

(C A Kausik Ghosh)
Designation: Proprietor
Membership No: 061176
UDIN : 26061176DEGROB8527

Place: Kolkata
Date: 08.05.2026

कॉर्पोरेट अभिशासन से संबंधित रिपोर्ट

1. बैंक का कॉर्पोरेट अभिशासन दर्शन:

यूको बैंक कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाओं के क्षेत्र में सर्वोत्तम पद्धति के लिए अक्षरशः प्रतिबद्ध है। सर्वोत्तम कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाओं का पालन करना बैंक के कार्यों का एक अभिन्न हिस्सा है। बैंक का मानना है कि अच्छा कॉर्पोरेट अभिशासन अधिक से अधिक सांविधिक और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन से है। सुशासन उच्च स्तर का व्यावसायिक सदाचार प्रदान करता है और बड़े पैमाने पर अपने सभी हितधारकों और समाज को अत्यधिक महत्व देता है।

यूको बैंक का कार्पोरेट अभिशासन दर्शन उसके कार्य में निहित उच्च-स्तरीय नैतिक मूल्यों को बनाए रखना है। बैंक की कार्पोरेट अभिशासन नीतियां पारदर्शिता एवं व्यावसायिकता के महत्वपूर्ण मूल्यों पर केंद्रित हैं। बैंक अपने सभी हितधारकों एवं समाज को अधिकतम महत्व देने हेतु कार्पोरेट अभिशासन को और अधिक समृद्ध करने के लिए अपनी सर्वोत्तम पद्धति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रति लगातार प्रयासरत है।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 के उपबंधों द्वारा शासित होता है। कार्पोरेट अभिशासन संबंधी आवश्यकताओं को, जैसा कि सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्कताएं) विनियम, 2015 में दिया गया है, इन संविधियों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

बैंकिंग कंपनी (अर्जन और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1970 के अनुसार धारा 9 (3ए) (ए) के अंतर्गत खंड एच के अंतर्गत नामित निदेशकों तथा बैंकिंग कंपनी (अर्जन और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) के क्लॉज (आई) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित निदेशकों को निम्न में से किसी एक या एक से अधिक क्षेत्र का विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारी क्षेत्र (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग या विशेष ज्ञान का कोई और क्षेत्र और व्यावहारिक अनुभव जिसे बैंक के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यक समझे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र संख्या डीबीआर. एपीपीटी. बीसी. संख्या 38/29.39.001/ 2016-17 दिनांक 24.11.2016 द्वारा अधिसूचित किया है कि (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान एवं निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन एवं (v) व्यापार प्रबंधन को बैंकिंग के लिए विशेष ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव के क्षेत्र में उपयोगी समझा जाए।
बैंक के निदेशक अनुभवी हैं तथा उन्हें बैंक को उपयुक्त दिशा प्रदान करने एवं बैंक की कार्यप्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु बैंकिंग, वित्त और प्रबंधन आदि के क्षेत्र में आवश्यक विशेषज्ञता हासिल है।

2.1. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और दो कार्यपालक निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक निदेशक हैं जबकि अन्य निदेशकों को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) 9(3) (क) से 9 (3) (ज) तक की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत नियुक्त /

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Corporate Governance Philosophy of the Bank:

UCO Bank is committed to the best practices in the area of corporate governance practices, in letter and in spirit. Adherence to best corporate governance practices is an integral part of Bank's operations. Bank believes that good corporate governance is much more than complying with statutory and regulatory requirements. Good governance facilitates high level of business ethics and to optimise the value for all its stakeholders and the society, at large.

UCO Bank's Corporate Governance Philosophy is to maintain high standards of ethical practices in conduct of its business. The Bank's Corporate Governance policies are woven around the core values of transparency and professionalism. The Bank constantly endeavours to ensure implementation of best practices aimed at enhancing the corporate governance that optimize the value for all its stakeholders and the society, at large.

2. Board of Directors

The constitution of the Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. The requirements of Corporate Governance as envisaged in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are to be read along with these statutes.

In terms of Section 9 (3A) (A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the directors nominated under Clause (h) and elected by the shareholders under Clause (i) of Section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, shall have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely: (i) agricultural and rural economy, (ii) banking,(iii)co-operative, (iv) economics,(v) finance, (vi) law, (vii) small scale industry, or any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank, be useful to the bank.

Reserve Bank of India vide its circular No. DBR.Appt.BC.No.38/ 29.39.001/2016-17 dated 24.11.2016 notified that special knowledge or practical experience in matters or areas relating to (i) Information Technology (ii) Payment and Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, would be useful to a banking company.

The Directors of the Bank are experienced and have requisite expertise in the fields of banking, finance, and risk management so as to provide appropriate directions and exercise effective control in the functioning of the Bank.

2.1 Managing Director and Chief Executive Officer and two Executive Directors are the whole-time directors. All directors including the whole-time directors are appointed/nominated by Government of India under various sections viz. 9(3) (a) to 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 (hereinafter referred as Act). Besides,

नामांकित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 9(3) (झ) के अधीन शेयरधारक अपने में से एक निदेशक का निर्वाचन (केन्द्र सरकार से भिन्न) कर सकते हैं।

2.2 दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल का संघटन :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम,1970 के उपबंधों के अनुसार निदेशक मंडल का गठन किया गया है। प्रत्येक निदेशक का विवरण, निदेशक मंडल की अन्य समितियाँ जिनमें वे सदस्य या अध्यक्ष हैं और अन्य कंपनियों में अध्यक्ष या निदेशक होने तथा बैंक में हितधारिता की जानकारी नीचे प्रस्तुत की जा रही है:

under Section 9(3) (i) of the said Act, the shareholders of the Bank are entitled to elect one director (other than the Central Government) from among themselves.

2.2 Composition of the Board of Directors as on 31.03.2026:

The Board is constituted in accordance with the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The details of each Director, no. of various Board Committees where he/she is a member or Chairperson, directorship of other companies and shareholding in the Bank are as follows:

क्रम सं. Sl. No.	निदेशक का नाम एवं पदनाम Name & Designation of Director	पदभार ग्रहण करने की तारीख Date of assuming office	दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार धारित यूको बैंक शेयर No. of UCO Bank shares held as on 31.03.2026	बैंक की समितियों में सदस्यता की संख्या (बोर्ड को छोड़कर) No. of membership in Committees of the Bank (excluding Board)	अन्य बैंक/कंपनियों के बोर्ड की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या No. of membership/ Chairmanship in committees of the board of other bank/companies	अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद Directorship held in other companies
1.	श्री अरवमुदन कृष्णा कुमार,अंशकालिक गैर - सरकारी निदेशक एवम गैर - कार्यपालक अध्यक्ष Shri Aravamudan Krishna Kumar, Part-time Non-Official Director and Non-Executive Chairman of the Board	21.02.2024	शून्य/Nil	7	3	3
2.	श्री अश्वनी कुमार, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक निदेशक Shri Ashwani Kumar, Managing Director & Chief Executive Officer	01.06.2023	शून्य/Nil	13	शून्य/Nil	2
3.	श्री राजेन्द्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director	21.11.2022	शून्य/Nil	13	शून्य/Nil	शून्य/Nil
4.	श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले, कार्यपालक निदेशक Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble, Executive Director	09.10.2023	शून्य/Nil	13	शून्य/Nil	शून्य/Nil
5.	श्री सुधीर श्याम, भारत सरकार के नामिती निदेशक Shri Sudhir Shyam Government Nominee Director	13.05.2024	शून्य/Nil	9	शून्य/Nil	शून्य/Nil
6.	डॉ. सारदा प्रसन मोहन्ती, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक Dr. Sarada Prasan Mohanty RBI Nominee Director	05.08.2024	शून्य/Nil	4	शून्य/Nil	शून्य/Nil

क्रम सं. Sl. No.	निदेशक का नाम एवं पदनाम Name & Designation of Director	पदभार ग्रहण करने की तारीख Date of assuming office	दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार धारित यूको बैंक शेयर No. of UCO Bank shares held as on 31.03.2026	बैंक की समितियों में सदस्यता की संख्या (बोर्ड को छोड़कर) No. of membership in Committees of the Bank (excluding Board)	अन्य बैंक/कंपनियों के बोर्ड की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या No. of membership/ Chairmanship in committees of the board of other bank/companies	अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद Directorship held in other companies
7.	श्री सुभाष शंकर मलिक, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक* Shri Subhash Shankar Malik Part-time Non-Official Director*	08.05.2023	शून्य/Nil	9	शून्य/Nil	शून्य/Nil
8	श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक # Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director #	11.04.2025	शून्य/Nil	11	1	1
9	श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक # Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director #	11.04.2025	शून्य/Nil	12	0	0
10	श्री राजेश कुमार अलावादी Shri Rajesh Kumar Ailawadi	08.03.2026	600	7	शून्य/Nil	शून्य/Nil

11.04.2026 से कार्यकाल पूरा होने पर पद त्याग दिया / # Demitted office on completion of term w.e.f. 11.04.2026

* 08.05.2026 से कार्यकाल पूरा होने पर पद त्याग दिया / * Demitted office on completion of term w.e.f. 08.05.2026

नोटः ए. 31.03.2026 को अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार के निदेशकत्व का विवरणः

Note : A. Details of Directorship of Shri Aravamudan Krishna Kumar in other listed entities as on 31.03.2026 :

क्र.सं. Sl no	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम Name of other listed entities	निदेशकत्व की श्रेणी Category of Directorship
1.	एमटीएआर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड MTAR Technologies Limited	स्वतंत्र निदेशक Independent Director
2.	जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विसेज लिमिटेड Zaggle Prepaid Ocean Services Limited	स्वतंत्र निदेशक Independent Director
3.	डेल्फी टीवीएस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड Delhpi TVS Technologies Ltd.	स्वतंत्र निदेशक Independent Director

वी. 31.03.2026 को अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में श्री अश्विनी कुमार के निदेशकत्व का विवरणः

B. Details of Directorship of Shri Ashwani Kumar in other listed entities as on 31.03.2026:

क्र.सं. Sl no	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम Name of other listed entities	निदेशकत्व की श्रेणी Category of Directorship
1.	भारतीय निर्यात-आयात बैंक* Export -Import Bank of India*	गैर-कार्यकारी निदेशक Non-Executive Director
2.	भारतीय सामान्य बीमा निगम पुनर्बीमा General Insurance Corporation of India- Reinsurance	स्वतंत्र निदेशक Independent Director

*ऋण सूचीबद्ध इकाई / Debt Listed Entity

2.2.1 दिनांक 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त /इस्तीफा देने वाले निदेशकगण

2.2.1 Directors who retired/resigned during the year ended on 31.03.2026:

क्र. सं. Sl. No.	निदेशक का नाम Name of the Director	नियुक्ति की तारीख Date of Appointment	निदेशक पद की समाप्ति की तारीख Date of Cessation of Directorship w.e.f.	यूको बैंक के निदेशक मंडल की समितियों की संख्या जिनके वे सदस्य थे No. of Committees of the Board of UCO Bank on which a member
1	सुश्री रचना खरे Ms. Rachna Khare	10.01.2025	25.12.2025	13

2.2.2 दिनांक 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान शामिल होने वाले निदेशक:
2.2.2 Directors who joined during the year ended on 31.03.2026:

क्र. सं. Sl. No.	निदेशक का नाम Name of the Director	नियुक्ति की तारीख Date of Appointment	निदेशक पद की समाप्ति की तारीख Date of Cessation of Directorship w.e.f.	यूको बैंक के निदेशक मंडल की समितियों की संख्या जिनके वे सदस्य थे No. of Committees of the Board of UCO Bank on which a member
1	श्री रवि कुमार अग्रवाल Shri Ravi Kumar Agrawal	11.04.2025	अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष तक या अगले आदेश तक, जो भी लागू हो One year from the date of notification or until further orders, whichever is applicable	12
2	श्री अंजन तालुकदार Shri Anjan Talukdar	11.04.2025		11
3	श्री राजेश कुमार अलावादी Shri Rajesh Kumar Ailawadi	08.03.2026	09.01.2028	7

2.2.3 निदेशकों की संक्षिप्त रूपरेखा

श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार, गैर- कार्यपालक अध्यक्ष

श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि धारक और भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट (सीएआईआईबी) हैं। उनका भारतीय स्टेट बैंक में 39 वर्षों का लंबा और प्रतिष्ठित करियर रहा है । उन्होंने अप्रैल-2011 से नवंबर-2014 की अवधि में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया।

वे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, आंध्र बैंक, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एसबीआई कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लिमिटेड, एसबीआई कैप सिक्योरिटीज लिमिटेड, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड जैसी कई प्रतिष्ठित कंपनियों के बोर्ड में भी रहे हैं।

वर्तमान में वे एमटीएआर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, डेल्फी टीवीएस टेकनोलॉजीज लिमिटेड, जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड जैसी कई कंपनियों के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक हैं।

2.2.3 Brief Profile of the Directors

Shri Aravamudan Krishna Kumar, Non-Executive Chairman

Shri Aravamudan Krishna Kumar holds Bachelor degree in Economics from Delhi University and Certified Associate of the Indian Institute of Bankers (CAIIB). He has had a long and distinguished career of 39 years at State Bank of India. He served as the Managing Director of the State Bank of India for the period April' 2011 - November' 2014.

He has also been on the Board of several reputed companies such as Central Depository Services (India) Limited, Andhra Bank, Rural Electrification Corporation Limited, SBI Life Insurance Company Limited, SBI Commercial and International Bank Limited, SBI Cap Securities Limited, SBI General Insurance Company Limited, SBI Cards and Payment Services Limited to name a few.

At present he is an independent director on the Board of several companies such as MTAR Technologies Limited, Delphi TVS Technologies Limited, Zaggle Prepaid Ocean Services Limited.

श्री अश्वनी कुमार, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

श्री अश्वनी कुमार वाणिज्य में स्नातकोत्तर, चार्टर्ड एकाउंटेंट तथा भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान के सर्टिफाइड सदस्य भी हैं। उन्हें बैंकिंग में दो दशकों से अधिक का समृद्ध अनुभव है।

श्री अश्वनी कुमार सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (अब पंजाब नेशनल बैंक में विलय), पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक में कार्यरत रहे। उनके व्यावसायिक अनुभव में थोक बैंकिंग प्रभाग और औद्योगिक वित्त शाखाओं और बड़ी कॉर्पोरेट शाखाओं सहित कई शाखाओं के प्रमुख के रूप में काम करने का अनुभव शामिल है। महाप्रबंधक के रूप में, उन्होंने मिड कॉर्पोरेट और लार्ज कॉर्पोरेट वर्टिकल का नेतृत्व किया था। उन्होंने अंचल प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया है, विभिन्न अंचलों कार्यालयों के प्रधान का दायित्व निभाया है और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में भी कार्य किया है।

एक उत्साही ज्ञानार्जक के रूप में, उन्होंने आईआईएम और कैफ़रल सहित भारत और विदेशों में प्रमुख संस्थानों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है। उन्होंने आईबीए के परामर्श से बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा क्यूरेट किए गए आईआईएम बैंगलोर तथा एगॉन जेंडर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के नेतृत्व विकास कार्यक्रमों में भाग लिया है।

एमडी और सीईओ के रूप में यूको बैंक में शामिल होने से पहले, वे इंडियन बैंक के कार्यपालक निदेशक थे।

वर्तमान में, वे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया (एक्जिम बैंक) के बोर्ड में निदेशक और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया-रीइंश्योरेंस (जीआईसी-री) के बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशक हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक

श्री राजेन्द्र कुमार साबू ने दिनांक 21.11.2022 को यूको बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। श्री राजेन्द्र कुमार साबू ने वर्ष 1994 में तत्कालीन ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में एक परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरूकिया। उन्हें क्षेत्रीय और प्रशासनिक कार्यालयों में विभिन्न पदों पर बैंकिंग-कार्य का वृहत अनुभव है। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर शाखा प्रमुख, क्षेत्रीय प्रमुख और क्लस्टर प्रमुख के रूप में कार्य किया है। उन्होंने महाप्रबंधक के रूप में एकीकृत ट्रेजरी और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग और कोष प्रबंधन का नेतृत्व किया। यूको बैंक में शामिल होने से पहले श्री साबू पंजाब नेशनल बैंक में कार्यनीति प्रबंधन, आर्थिक सलाहकार, एमआईएस और डेटा एनालिटिक्स के मुख्य महाप्रबंधक थे।

श्री राजेन्द्र कुमार साबू वाणिज्य में स्नातकोत्तर हैं और उन्हें व्यवसाय प्रशासन (बैंकिंग और वित्त) में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हैं। वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स (सीएआईआईबी) के सर्टिफाइड एसोसिएट हैं और वे एडवांस्ड डिप्लोमा इन मैनेजमेंट के सर्टिफिकेटधारी है। उन्होंने वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो द्वारा संचालित क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आयोजित नेतृत्व विकास कार्यक्रम में भाग लिया है।

श्री राजेन्द्र कुमार साबू को कई बैंकिंग डोमेनों यथा, ब्रांच बैंकिंग, क्रेडिट, एचआर, ट्रेजरी आदि में काम करने का अनुभव है।

श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले, कार्यपालक निदेशक

श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले बैंकिंग क्षेत्र में 33 वर्षों से अधिक के व्यापक कैरियर वाले एक अनुभवी बैंकर हैं। उन्होंने 1990 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक कृषि क्षेत्र अधिकारी के रूप में अपनी यात्रा शुरूकी और तब से वे विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते आए हैं। उन्हें नागपुर अंचल, मुंबई अंचल आदि जैसे प्रमुख स्थानों में अंचल प्रबंधक के रूप में काम करने का अनुभव है। इसके अलावा, उन्होंने महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड आदि के बोर्ड में निदेशक के रूप में अपनी विशेषज्ञता का योगदान दिया है।

Shri Ashwani Kumar, Managing Director and Chief Executive Officer

Shri Ashwani Kumar is a Chartered Accountant, Post Graduate in Commerce and also a Certified Member of Indian Institute of Banking and Finance. He has more than two decades of rich experience in banking.

Shri Ashwani Kumar rose through the ranks serving in various Public Sector Banks such as Bank of Baroda, Corporation Bank, Oriental Bank of Commerce (now merged with Punjab National Bank), Punjab National Bank and Indian Bank. His experience includes Wholesale Banking Division and Head of several branches including Industrial Finance Branches and Large Corporate Branches. As a General Manager, he was heading Mid Corporate and Large Corporate verticals. He has served as a Zonal Manager, heading various Zones and also as the Chief Financial Officer (CFO).

As an avid learner, he has attended various training programs in premier institutes in India and abroad including IIM and CAFRAL. He has also completed the Leadership Development Programme of IIM Bangalore, curated by the Banks Board Bureau in consultation with IBA and Egon Zehnder International Pvt. Ltd.

Prior to joining UCO Bank as MD and CEO, he was Executive Director of Indian Bank.

At present, he is a Director on the Board of Export Import Bank of India (Exim Bank) and Non-Executive Director on the Board of General Insurance Corporation of India- Reinsurance (GIC-Re).

Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director

Shri Rajendra Kumar Saboo assumed the charge as Executive Director of UCO Bank on 21.11.2022. Shri Rajendra Kumar Saboo started his career as a Probationary Officer in erstwhile Oriental Bank of Commerce in the year 1994 and has a rich banking experience in various capacities at field and administrative offices. He acted as Branch Head, Regional Head and Cluster Head at various locations. In his capacity as General Manager, he headed Integrated Treasury and International Banking, Digital Banking and Wealth Management. Before joining UCO Bank, Shri Saboo was the Chief General Manager in Punjab National Bank heading Strategic Management, Economic Advisory, MIS and Data Analytics.

Shri Rajendra Kumar Saboo is a Post Graduate in Commerce and holds a Master Degree in Business Administration (Banking and Finance). He is a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB) and holds a certificate for Advanced Diploma in Management. He had undergone the Leadership Development Program for Senior Management of PSBs conducted through Financial Services Institutions Bureau (FSIB).

Shri Rajendra Kumar Saboo has experience across multiple banking domains viz. Branch Banking, Credit, HR, Treasury etc.

Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble, Executive Director

Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble is a seasoned banker with an extensive career spanning over 33 years in the banking sector. He embarked on his journey in 1990 as an Agriculture Field Officer at Bank of Maharashtra and has since held various significant positions. His experience includes working as a Zonal Manager in key locations such as Nagpur Zone, Mumbai Zone etc. Furthermore, he has contributed his expertise as a Director on the Board of Maharashtra Gramin Bank, PSB Alliance Pvt. Ltd. etc.

श्री कांबले की शैक्षिक योग्यताओं में पुणे के सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में प्राप्त मास्टर डिग्री शामिल है। वे भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट भी हैं। अपने पूरे करियर के दौरान, उन्होंने भारत में प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया है, जिनमें आईआईएम, आईडीबीआरटी, एनआईबीएम शामिल हैं। विशेष रूप से, उन्होंने वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (एफएसआईबी) के माध्यम से आयोजित आईआईएम बैंगलोर में पीएसबी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया।

यूको बैंक में कार्यपालक निदेशक की भूमिका ग्रहण करने से पूर्व श्री कांबले बैंक ऑफ महाराष्ट्र में महाप्रबंधक के पद पर थे, जहां उन्होंने मुंबई अंचल के प्रचालन का पर्यवेक्षण किया। श्री कांबले को संसाधन नियोजन, कृषि में ऋण प्राथमिकता, और व्यवसाय विकास कार्यक्षेत्र आदि सहित विविध बैंकिंग डोमेनों में काम की व्यापक विशेषज्ञता प्राप्त है।

Shri Kamble's educational qualifications include a Master's Degree in Economics from Pune's Savitribai Phule University and he is also a Certified Associate of the Indian Institute of Banking and Finance. Throughout his career, he has actively participated in numerous training programs conducted by prestigious institutions in India, including IIM, IDBRT, NIBM, among others. Notably, he successfully completed the Leadership Development Programme for Senior Management of PSBs at IIM Bangalore conducted through Financial Services Institutions Bureau (FSIB).

Before assuming the role of Executive Director at UCO Bank, Shri Kamble held the position of General Manager at Bank of Maharashtra, where he oversaw the operations of the Mumbai Zone. Shri Kamble possesses extensive expertise across diverse banking domains, including Resource Planning, Credit Prioritization in Agriculture, and Business Development Verticals, etc.

श्री सुधीर श्याम भारत सरकार के नामिती निदेशक

श्री सुधीर श्याम भारतीय आर्थिक सेवा (IES) के 1999 बैच के अधिकारी हैं, जो भारत सरकार के आर्थिक विकास कार्यक्रमों और नीतियों के निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी और समीक्षा में पेशेवर सहायता प्रदान करते हैं। उन्होंने दिल्ली विवविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक किया है। इसके बाद, उन्होंने जवाहर लाल नेहरूविश्वविद्यालय (JNU) से स्नातकोत्तर और दर्शनशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। उनका करियर तीन दशकों की अवधि में अर्थशास्त्र, प्रशासन और संबंधित क्षेत्रों में अनुभव के साथ फैला हुआ है। श्री सुधीर श्याम को वित्तीय क्षेत्र में काफी अनुभव है और उन्होंने वित्तीय सेवा विभाग में बैंकिंग, बीमा और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के क्षेत्र में जिम्मेदारी संभाली है। वह वर्तमान में बैंकों और वित्तीय संस्थानों को बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (RDDBFI अधिनियम) वे पहले स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और आईडीबीआई बैंक के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक रह चुके हैं। वे वर्तमान में वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) में आर्थिक सलाहकार के पद पर तैनात हैं। वर्तमान में वे 22.03.2022 से सीईआरएसएआई के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं।

Shri Sudhir Shyam, GOI Nominee Director

Shri Sudhir Shyam is an officer of 1999 batch of Indian Economic Service (IES) which provides professional backup in the formulation, implementation, monitoring and review of Economic Development Programmes and Policies of the Government of India. He has done his graduation in Economics from Delhi University. Subsequently, he completed his post-graduation and Master of Philosophy from Jawahar Lal Nehru University (JNU). His career spans over a period of three decades with experience in Economics, Administration and related fields. Shri Sudhir Shyam has considerable experience in Financial Sector and has handled responsibility in the area of Banking, Insurance and National Pension system in the Department of Financial Services. He is currently posted as Economic Advisor at Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM), MoF. Currently he is the Government Nominee Director on the Board of CERSAI since 22.03.2022.

डॉ. सरदा प्रसन मोहंती, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक

डॉ. सरदा प्रसन मोहंती को भारत सरकार द्वारा 05 अगस्त, 2024 से यूको बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है।

डॉ. मोहंती के पास बैंकिंग क्षेत्र में 28 वर्षों का समृद्ध अनुभव है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक में 25 वर्ष शामिल हैं। उन्हें विनियमन, पर्यवेक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान प्रणाली, मुद्रा प्रबंधन, वित्तीय समावेशन और विकास, मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्रों में अनुभव है। उन्होंने पूर्व में आरबीआई के मुंबई स्थित केंद्रीय कार्यालय और नई दिल्ली, कोलकाता और भुवनेश्वर स्थित आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्य किया है।

डॉ. मोहंती ने फेडरल रिजर्व, बेसल समिति, केडिट रिपोर्टिंग पर अंतर्राष्ट्रीय समिति जैसे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आरबीआई का प्रतिनिधित्व किया है और अमेरिका, स्विट्जरलैंड, यूकेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में साइबर सुरक्षा, लेखा मानकों, परिचालन जोखिम, मुद्रा प्रबंधन के क्षेत्रों में प्रशिक्षण/कार्यशालाओं में भाग लिया है।

डॉ. मोहंती ने उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से कृषि में मास्टर ऑफ साइंस, टेक्सास ऑस्टिन विश्वविद्यालय से डेटा साइंस एवं बिजनेस एनालिटिक्स में स्नातकोत्तर कार्यक्रम, आईआईएम बैंगलोर से सार्वजनिक नीति एवं प्रबंधन में पीजीडीएम और अंतर्राष्ट्रीय वित्त में पीएचडी की है। वे भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (सीएआईआईबी) के प्रमाणित एसोसिएट भी हैं।

Dr. Sarada Prasan Mohanty, RBI Nominee Director

Dr. Sarada Prasan Mohanty has been nominated by Government of India as Director on the Board of UCO Bank with effect from August 05, 2024.

Dr. Mohanty has 28 years of rich experience in banking sector inclusive of 25 years in Reserve Bank of India. He has experience in the areas of Regulation, Supervision, Information Technology, Payment Systems, Currency Management, Financial Inclusion and Development, Human Resource Management. He has served RBI's Central Office at Mumbai and RBI's regional offices at New Delhi, Kolkata and Bhubaneswar in the past.

Dr. Mohanty has represented RBI in various international forums like Federal Reserve, Basel Committee, International Committee on Credit Reporting and participated in the trainings / workshops in the areas of Cybersecurity, Accounting Standards, Operational Risk, Currency Management in countries such as USA, Switzerland, Ukraine, Russia, Australia, New Zealand, Singapore, Hongkong and Australia.

Dr. Mohanty has completed his Master of Science in Agriculture at Orissa University of Agriculture and Technology, Post Graduate Program in Data Science and Business Analytics from Texas Austin University, PGDM in Public Policy and Management from IIM Bangalore and Ph.D. in International Finance. He is also a Certified Associate of Indian Institute of Banking and Finance (CAIIB).

वर्तमान में वे भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में ओडिशा राज्य के क्षेत्रीय निदेशक के पद पर कार्यरत हैं तथा भारतीय रिजर्व बैंक में एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एवं साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं।

श्री सुभाष शंकर मलिक, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

श्री सुभाष शंकर मलिक को भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ संख्या 6/8/2022-बीओ दिनांक: 08.05.2023 के तहत यूको बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है। उनके पास कला स्नातक की डिग्री है और वे गोवा में कुछ सहकारी समितियों में वरिष्ठ पदों पर रहे हैं। वर्तमान में, वे आईपीबी, गोवा से जुड़े हुए हैं।

श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

श्री अंजन तालुकदार का जन्म 14 जनवरी, 1967 को हुआ था। उन्हें विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों में विधि, प्रबंधन और वित्त सहित विविध क्षेत्रों में 30 वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव है। वे वर्तमान में प्रीमियर क्रायोजेनिक्स लिमिटेड में कॉर्पोरेट मामलों, कानूनी मामलों और कंपनी सचिव के प्रमुख हैं और गुवाहाटी, असम में रहते हैं। श्री तालुकदार की शैक्षणिक योग्यता में बी.कॉम, एफसीएस और एलएलबी शामिल हैं। उन्होंने कई प्रबंधन विकास कार्यक्रम भी पूरे किए हैं और वे प्रतिष्ठित आईआईएम - अहमदाबाद और हेनली मैनेजमेंट कॉलेज, यूके के पूर्व छात्र हैं। अन्य पेशेवर गतिविधियों में वे आईसीएसआई के उत्तर-पूर्वी अध्याय के पूर्व अध्यक्ष, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के उद्योग और वाणिज्य संघ की बैंकिंग और बीमा समिति के पूर्व सदस्य, एक प्रकाशन गृह के प्रवर्तक निदेशक, लेखक और विधि, कराधान और प्रबंधन से संबंधित विषयों पर अतिथि शिक्षक रहे हैं। श्री तालुकदार को 11.04.2025 से यूको बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में मनोनीत किया गया है। उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने पर 11.04.2026 से निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया।

श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

श्री रवि कुमार अग्रवाल का जन्म 6 अगस्त, 1965 को हुआ था। वे पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वे छत्तीसग़ढ के रायपुर स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म 'अग्रवाल एंड बर्दिया' में पार्टनर हैं। श्री अग्रवाल भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के क्षेत्रीय सलाहकार बोर्ड में 4 वर्षों तक मानद सदस्य रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ-साथ उनकी शैक्षणिक योग्यता में बी.कॉम (ऑनर्स) और एलएलबी की डिग्री भी शामिल है। वे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की राजकोषीय विधि समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। श्री अग्रवाल को 11 अप्रैल, 2025 से यूको बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में मनोनीत किया गया था। उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने पर 11 अप्रैल, 2026 से निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया।

श्री राजेश कुमार अलावादी, शेयरधारक निदेशक

श्री राजेश अलावादी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने फरवरी 1988 में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में एक सीधी भर्ती अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला और विपणन, प्रशासन, बीमांकिक, कार्मिक, औद्योगिक संबंध और कानूनी कार्यों में लगभग 38 वर्षों का अनुभव रखते हैं।

अपने करियर के दौरान, उन्होंने बीकानेर और मेरठ डिवीजनों के विपणन प्रबंधक, पटना डिवीजन के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक (प्रभारी), उत्तरी क्षेत्र में क्षेत्रीय प्रबंधक (बीमांकिक) और उत्तरी क्षेत्र में बैंक और वैकल्पिक चैनल वर्टिकल के प्रमुख सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उन्होंने क्षेत्रीय प्रबंधक (कार्मिक और औद्योगिक संबंध) के रूप में भी कार्य किया और मध्य क्षेत्र, भोपाल में क्षेत्रीय प्रबंधक पद पर पदोन्नत हुए।

अप्रैल 2022 में उन्हें एलआईसी के केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में कार्यकारी निदेशक (कानूनी) के पद पर पदोन्नत किया गया और वे 31 दिसंबर 2025 को सेवानिवृत्त हुए।

Presently he holds the position of Regional Director for the State of Odisha, Reserve Bank of India, Bhubaneswar and additional Charge of Director of Enterprise Computing and Cybersecurity Training Institute, Reserve Bank of India.

Shri Subhash Shankar Malik, Part-time Non-Official Director

Shri Subhash Shankar Malik nominated as Director on the Board of UCO Bank vide GOI notification no. F no. 6/8/2022-BO.Idated 08.05.2023. He possesses degree of Bachelor of Arts and held senior positions in few co-operative societies at Goa. Currently, he is associated with IPB, Goa.

Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director

Born on January 14, 1967, Shri Anjan Talukdar has a working experience of over 30 years in various public and private sector organizations in diverse fields including legal, management and finance. He is currently Head Corporate Affairs, Legal and Company Secretary at Premier Cryogenics Ltd and is based in Guwahati, Assam. Shri Talukdar's educational qualifications include B. Com, FCS, LLB. He has also completed several Management Development Programmes and is an Alumni of the prestigious IIM - Ahmedabad and Henley Management College, UK. Among other professional activities he was the former Chairman of the N.E. Chapter of ICSI, former member of the Committee on Banking and Insurance of the Federation of Industries and Commerce of N.E. Region, promoter director of a publication house, author and guest faculty on subjects relating to law, taxation and management. Shri Talukdar has been nominated as Part-time Non-Official Director on the Board of UCO Bank w.e.f. 11.04.2025. He demitted from the office of Director w.e.f. 11.04.2026 on completion of term.

Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director

Born on August 06, 1965, Shri Ravi Kumar Agrawal is a Chartered Accountant by profession. He is a partner in CA firm 'Agrawal and Bardiya' and is based in Raipur, Chhattisgarh. Shri Agrawal has been honorary member in the Zonal Advisory Board of Life Insurance Corporation of India (LIC) for 4 years. Shri Agrawal's educational qualifications includes B. Com (Hons.) and LLB apart from being a certified CA. He has also been member of Fiscal Law Committee of the Institute of Chartered Accountants of India. Shri Agrawal has been nominated as Part-time Non-Official Director on the Board of UCO Bank w.e.f. 11.04.2025. He demitted from the office of Director w.e.f. 11.04.2026 on completion of term.

Shri Rajesh Kumar Ailawadi, Shareholder Director

Shri Rajesh Ailawadi is a Law Graduate from Campus Law Centre, University of Delhi. He joined Life Insurance Corporation of India in February 1988 as a Direct Recruit Officer and has nearly 38 years of experience in marketing, administration, actuarial, personnel, industrial relations and legal functions.

During his career, he held several important positions including Marketing Manager of Bikaner and Meerut Divisions, Senior Divisional Manager (In-charge), Patna Division, Regional Manager (Actuarial) in Northern Zone and Head of Bank and Alternate Channel Vertical in Northern Zone. He also served as Regional Manager (Personnel and Industrial Relations) and was elevated to Zonal Manager cadre in Central Zone, Bhopal.

He was elevated as Executive Director (Legal) at the Central Office of LIC, Mumbai in April 2022 and retired on 31st December 2025.

2.2.4. निदेशक मंडल की विशेषज्ञता / Expertise of the Board of Directors

क्र. सं. Sl No	निदेशक के नाम एवं पदनाम Name & Designation of Director	विशेषज्ञता Expertise
1.	श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार, गैर- कार्यपालक अध्यक्ष Shri Aravamudan Krishna Kumar, Part-time Non-Official Director and Non-Executive Chairman of the Board	बैंकिंग, वित्त, कॉर्पोरेट अभिशासन और नेतृत्व Banking, Finance, Corporate Governance and Leadership
2.	श्री अश्वनी कुमार, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Ashwani Kumar, Managing Director and Chief Executive Officer	बैंकिंग और वित्त, कार्यनीतिक प्रबंधन और नेतृत्व Banking and Finance, Strategic Management and Leadership
3.	श्री राजेन्द्र कुमार साबू कार्यपालक निदेशक Shri Rajendra Kumar Saboo Executive Director	बैंकिंग, कार्यनीतिक प्रबंधन और नेतृत्व Banking, Strategic Management and Leadership
4.	श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले कार्यपालक निदेशक Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble Executive Director	बैंकिंग, कार्यनीतिक प्रबंधन और नेतृत्व Banking, Strategic Management and Leadership
5.	श्री सुधीर श्याम भारत सरकार के नामिती निदेशक Shri Sudhir Shyam GOI Nominee Director	प्रशासन और शासन ओवरसाइट Administration and Governance Oversight.
6.	डॉ. सारदा प्रसन मोहन्ती, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक Dr. Sarada Prasan Mohanty RBI Nominee Director	बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण Banking Regulation and Supervision
7.	श्री सुभाष शंकर मलिक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Shri Subhash Shankar Malik, Part-time Non-Official Director	प्रशासन Administration
8.	श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशका Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director	कानूनी प्रबंधन, कानून और कराधान Legal management, Law and Taxation
9.	श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशका Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director	लेखांकन और कानून। Accountancy and Law.
10.	श्री श्री राजेश कुमार अलावादी, शेयरधारक निदेशक Shri Rajesh Kumar Ailawadi, Shareholder Director	विपणन, प्रशासन, बीमांकिक, कार्मिक, औद्योगिक संबंध और कानूनी कार्य Marketing, Administration, Actuarial, personnel, Industrial relations and Legal functions.

2.3 निदेशक मंडल की बैठकों की तारीख

समीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना 1970 के खंड 12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम 6 (छह) बैठकों तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में निर्धारित न्यूनतम 4 (चार) बैठकों की तुलना में निम्नलिखित तारीखों को निदेशक मंडल की 12 (बारह) बैठकें आयोजित की गईं :

2.3 Dates of Board Meetings:

During the period under review, 11 (Eleven) meetings of the Board were held on following dates, as against a minimum of 6 (six) prescribed under Clause 12 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and minimum of 04 (four) meetings stipulated under SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015:

28.04.2025	31.05.2025	19.06.2025	21.07.2025	19.08.2025	24.09.2025	17.10.2025
28.11.2025	06.01.2026	17.01.2026	23.03.2026			

3. निदेशक मंडल की समितियां:

भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों/निदेशों के अनुसरण में बैंक में निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य निर्णय प्रक्रिया को सुचारु और कारगर बनाना, समितियों के विचारार्थ विषयों के अंतर्गत आनेवाले विभिन्न कार्यकलापों की प्रभावी निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई करना है। निदेशक मंडल की विभिन्न स्थायी समितियों के विवरण नीचे दर्शाए गए हैं:

3.1 निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) :

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशानुसार हमारे बैंक ने केवल गैर-कार्यपालक निदेशको के साथ निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है। समिति के सभी निदेशक वित्तीय दृष्टि से शिक्षित हैं।

3.1.1 एसीबी एक सशक्त प्रबंधकीय व्यवस्था के रूप में लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण की प्रभाविता को सुनिश्चित करने और बढ़ाने हेतु बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा/निरीक्षण कार्य का सर्वेक्षण, समीक्षा करती है एवं निदेश देती है। आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में समिति इन उद्देश्यों के अनुसार बैंक के आंतरिक निरीक्षण/लेखापरीक्षा संबंधी कार्य - उसकी प्रणाली, गुणवत्ता एवं प्रभाविता की समीक्षा करती है। जहां तक बाह्य लेखापरीक्षा का संबंध है, समिति लांग फार्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए सभी मुद्दों की समीक्षा करती है। इसके अतिरिक्त यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट के मसौदे में लेखांकन नीतियों, रीतियों, अर्हताओं में परिवर्तन तथा लेखांकन मानक के अनुपालन के विशेष संदर्भ में समीक्षाकृत /लेखापरीक्षित लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के पूर्व बाह्य लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। इसके साथ ही यह भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाए गए सभी मुद्दों/समस्याओं के संबंध में भी कार्रवाई करती है। यह समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा-कार्य, समाधान, कपट एवं अन्य संबंधित विषयों की भी समीक्षा करती है।

3.1.2 31.03.2026 को समिति की संरचना इस प्रकार थी:

एसीबी की अध्यक्षता अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री रवि कुमार अग्रवाल ने की। एसीबी के सदस्य भारत सरकार के मनोनीत निदेशक श्री सुधीर श्याम, आरबीआई के मनोनीत निदेशक डॉ. सारदा प्रसन मोहन्ती, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री सुभाष शंकर मलिक और शेयरधारक निदेशक श्री राजेश कुमार अलावादी हैं। पूर्व शेयरधारक निदेशक सुश्री रचना खरे 25.12.2025 तक एसीबी की सदस्य थीं। कार्यकारी निदेशक श्री राजेंद्र कुमार साबू और कार्यकारी निदेशक श्री विजय एन कांबले एसीबी की बैठकों में आमंत्रित सदस्य हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, एसईबीआई (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 18 में निर्धारित न्यूनतम 4 (चार) बैठकों के मुकाबले एसीबी की 9 (नौ) बैठकें आयोजित की गईं।

3. Committees of the Board:

Pursuant to the instructions/guidelines/directives issued by the Reserve Bank of India/Government of India/SEBI, various committees of the Board have been constituted with the objective of streamlining the decision-making process, effective monitoring and follow up of various activities falling within the terms of references of such committees. Details of the various committees of the Board as on 31.03.2026 are as under:

3.1 Audit Committee of the Board (ACB):

As per directives of RBI, the Bank constituted the Audit Committee of the Board (ACB) with only Non-Executive Directors.

3.1.1 The ACB oversees, reviews and provides directions to the internal audit/ inspection function in the Bank in order to ensure and enhance the effectiveness of the audit and inspection function as a strong management tool. In respect of internal audit, the Committee reviews the internal inspection/ audit function of the Bank - the system, its quality and effectiveness in terms of the objectives. As regards external audit, the committee reviews all the issues raised in the Long Form Audit Report. Besides, it interacts with the external auditors before finalization of reviewed / audited accounts with special reference to change in accounting policies, practices, qualifications in the draft audit report and compliance with the accounting standards. It also addresses all issues / concerns raised in inspection report of RBI. Besides, the committee also reviews the internal control system, the areas of housekeeping, reconciliation, fraud and other related matters.

3.1.2 Composition of the Committee as on 31.03.2026 :

ACB was chaired by Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director. Members of ACB are Shri Sudhir Shyam, GOI Nominee Director, Dr. Sarada Prasan Mohanty, RBI Nominee Director, Shri Subhash Shankar Malik, Part-time Non-Official Director and Shri Rajesh Kumar Ailawadi, Shareholder Director. Ms. Rachna Khare, erstwhile Shareholder Director was the member of the ACB till 25.12.2025. Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director and Shri Vijay N Kamble, Executive Director are invitees to the meetings of ACB. During the period under review, 09 (Nine) meetings of the ACB were held as against a minimum of 4 (four) meetings in a year stipulated in Regulation 18 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

3.1.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की 9 (नौ) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

28.04.2025	17.06.2025	21.07.2025	18.08.2025
24.09.2025	17.10.2025	24.12.2025	17.01.2026
19.03.2026			

3.2 निदेशक मंडल की प्रबंध समिति (एमसीबी):

समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 के उपबंधों के अनुसार किया गया है। इसके सदस्य हैं: प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकगण, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ग) में निर्दिष्ट निदेशक तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) के खंड (ङ), (च), (ज) एवं (झ) में निर्दिष्ट निदेशकों में से निदेशक मंडल द्वारा नामित तीन निदेशक। निदेशक मंडल द्वारा नामित निदेशक एक बार में एक वर्ष से अधिक समय तक पद पर नहीं रहेंगे। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एमसीबी के अध्यक्ष हैं।

3.2.1 समिति का उद्देश्य निम्नलिखित पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना है :

i) अधिक राशि के उधार/ऋण, समझौता और बट्टे खाते डालने के प्रस्ताव,

ii) पूंजीगत और राजस्व व्यय हेतु तथा परिसर के अधिग्रहण और किराए पर लेने से संबंधित बड़ी राशि के प्रस्ताव, जिसमें परिसर के अधिग्रहण/किराए पर लेने के मानदंडों से विचलन भी शामिल है,

iii) कंपनियों के शेयरों/डिबेंचरों में निवेश सहित सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में अधिक राशि का निवेश करने के प्रस्ताव और हामीदारी, दान देने संबंधी अधिक राशि के प्रस्ताव और

iv) समय-समय पर इस समिति के पास भेजे गए इसी प्रकार के कोई अन्य मामले।

3.2.2 समिति की संरचना दिनांक 31.03.2026 को इस प्रकार थी:

एमसीबी की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अश्वनी कुमार ने की। एमसीबी के अन्य सदस्य कार्यकारी निदेशक श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यकारी निदेशक श्री विजय एन. कांबले, आरबीआई द्वारा नामित निदेशक डॉ. सारदा प्रसन मोहन्ती और अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री अंजन तालुकदार थे।

3.2.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की प्रबंध समिति की 15 (पन्द्रह) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं :

23.04.2025	28.05.2025	20.06.2025	30.07.2025	12.08.2025
11.09.2025	30.10.2025	28.11.2025	24.12.2025	28.01.2025
06.03.2026	23.03.2026			

3.1.3 During the period under review, 09 (Nine) meetings of the ACB were held on following dates:

28.04.2025	17.06.2025	21.07.2025	18.08.2025
24.09.2025	17.10.2025	24.12.2025	17.01.2026
19.03.2026			

3.2 Management Committee of the Board (MCB):

The Management Committee of the Board (MCB) is constituted as per provisions of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. Its members are the Managing Director and Chief Executive Officer, Executive Directors, directors referred in section 9(3)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 and two directors nominated by the Board from amongst the directors referred to in section 9(3)(e), 9(3)(f), 9(3)(h) and 9(3)(i) of the Banking companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970. The Directors nominated by the Board shall hold office for not more than one year at a time. The Managing Director and Chief Executive Officer acts as the Chairman of the MCB.

3.2.1 The objectives of the MCB are to consider and approve -

i) High value credit / loan, compromise and write-off proposals,

ii) High value proposals for capital and revenue expenditure and those relating to acquisition and hiring of premises including deviation from prescribed norms for acquisition / hiring of premises,

iii) Proposal for high value investments in GOI and other approved securities including investment in shares / debentures of companies as well as high value proposals of underwriting, making donations, and

iv) Any other matter of similar nature referred to it from time to time.

3.2.2 Composition of the Committee as on 31.03.2026 :

MCB was chaired by Shri Ashwani Kumar, Managing Director and Chief Executive Officer. Other members of MCB were Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, Shri Vijay N. Kamble, Executive Director, Dr. Sarada Prasan Mohanty, RBI Nominee Director and Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director.

3.2.3 During the period under review, 12 (Twelve) meetings of the MCB were held on the dates as follows:

23.04.2025	28.05.2025	20.06.2025	30.07.2025	12.08.2025
11.09.2025	30.10.2025	28.11.2025	24.12.2025	28.01.2025
06.03.2026	23.03.2026			

3.3 निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति :

3.3.1 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) बैंक के व्यवसाय के लिए जोखिम की विभिन्न श्रेणियों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी और मार्गदर्शन करती है और समय-समय पर समीक्षा और निगरानी के आधार पर ऐसी रणनीति तैयार करती है जिससे बैंक के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय संचालन की स्थिरता और दक्षता सुनिचित हो सके। यह बैंक में एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट (एएलएम) सिस्टम के कामकाज की निगरानी और पर्यवेक्षण भी करती है।

3.3.2 31.03.2026 को समिति की संरचना इस प्रकार थीः

आरएमसीबी की अध्यक्षता अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री सुभाष शंकर मलिक ने की। आरएमसीबी के सदस्य अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और बोर्ड के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अश्वनी कुमार, कार्यकारी निदेशक श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यकारी निदेशक श्री विजय एन कांबले, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री अंजन तालुकदार और अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री रवि कुमार अग्रवाल थे।

सुश्री रचना खरे, पूर्व शेयरहोल्डर निदेशक, 25.12.2025 को पद त्यागने तक समिति की अध्यक्ष थीं।

3.3.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान आरएमसीबी की 6 (छह) बैठकें इन तारीखों को आयोजित की गईं :

3.3 Risk Management Committee of the Board:

3.3.1 The Risk Management Committee of the Board (RMCB) identifies, evaluates, monitors and guides the Bank on various categories of risks to which the Bank's business is exposed and based on periodical review and monitoring, devises such strategies as would ensure stability and efficiency of the domestic and international business operations of the Bank. It also supervises and monitors the functioning of the Asset Liability Management (ALM) System in the Bank.

3.3.2 Composition of the Committee as on 31.03.2026 :

RMCB was chaired by Shri Subhash Shankar Malik, Part-time Non-Official Director. Members of RMCB were Shri Aravamudan Krishna Kumar, Part-Time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman of the Board, Shri Ashwani Kumar, Managing Director and Chief Executive Officer, Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director. Shri Vijay N Kamble, Executive Director, Shri Anjan Talukdar, Part-Time Non-Official Director and Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-Time Non-Official Director.

Ms. Rachna Khare, erstwhile Shareholder Director was the Chairperson of the Committee till the demitting of office on 25.12.2025.

3.3.3 During the period under review, 6 (Six) meetings of the RMCB were held on the dates as follows:

31.05.2025	19.06.2025	18.08.2025	24.09.2025	27.11.2025	20.03.2026

3.4 निदेशक मंडल की हितधारक संबंध समिति :

3.4.1 शेयरधारकों/अन्य प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों यथा- धन वापसी आदेश, शेयर प्रमाणपत्र, लाभांश वारंट आदि प्राप्त न होने के संबंध में शिकायतकर्ता की तुष्टि के अनुरूप शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 20 के अनुसार इस समिति का गठन किया गया है।

3.4.2 31.03.2026 को समिति की संरचना इस प्रकार थीः

समिति की अध्यक्षता अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री अंजन तालुकदार ने की। समिति के अन्य सदस्य कार्यकारी निदेशक श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यकारी निदेशक श्री विजय एन कांबले, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री रवि कुमार अग्रवाल और अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री सुभाष शंकर मलिक थे। सुश्री रचना खरे, जो पूर्व शेयरधारक निदेशक थीं, 25.12.2025 को अपना पद छोड़ने तक समिति की अध्यक्ष रहीं।

3.4.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, श्री प्रमोद रंजन मिश्रा की अध्यक्षता में दिनांक 18.08.2025 को समिति की 1 (एक) बैठक आयोजित की गई। समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्राप्त सभी शिकायतों का निवारण किया गया।

3.4.4 श्री विकास गुप्ता, कंपनी सचिव, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2025 के विनियम 6(1) के अनुसार अनुपालन आधिकारी हैं।

3.4.5 वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त शेयरधारकों की शिकायतों की स्थितिः

- वित्तीय वर्ष की शुरुआत में लंबित शेयरधारकों की शिकायतों की संख्या -14
- वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त शेयरधारकों की शिकायतों की संख्या - 945
- शेयरधारकों कीसंतुष्टि के अनुसार हल न की गई शेयरधारकों की शिकायतों की संख्या - 954
- वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या - 5

3.4. Stakeholders' Relationship Committee of the Board:

3.4.1 The Committee is constituted in terms of regulation 20 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 for speedy redressal of complaints/grievances of shareholders/other security holders like non-receipt of refund orders, share certificates, dividend warrants etc., to the satisfaction of the complainants.

3.4.2 Composition of the Committee as on 31.03.2026 :

The Committee was chaired by Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director. Other members of the committee were Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, Shri Vijay N Kamble, Executive Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director and Shri Subhash Shankar Malik, Part-time Non-Official Director. Ms. Rachna Khare, erstwhile Shareholder Director was the Chairperson of the Committee till the demitting of office on 25.12.2025.

3.4.3 During the period under review, 1 (one) meeting of the Committee was held on 18.08.2025.

3.4.4 Shri Vikash Gupta, Company Secretary, is the compliance officer in terms of Regulation 6(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

3.4.5 Status of shareholders' complaints received during the financial year:

- No. of shareholders' complaints pending at the beginning of the financial year -14
- No. of shareholders' complaints received during the financial year - 945
- No. of shareholders' complaints not solved to the satisfaction of shareholders - 954
- No. of pending complaints at the end of the financial year - 5

3.5 निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसीबी)

3.5.1 समिति बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करती है और निदेशक के रूप में निर्वाचित होने या चुने जाने वाले व्यक्तियों की "उचित एवं सही स्थिति" का निर्धारण करती है।

3.5.2 भारत सरकार और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, समिति में बोर्ड के गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे।

3.5.3 31.03.2026 को समिति की संरचना इस प्रकार थीः

समिति की अध्यक्षता अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री अंजन तालुकदार ने की। समिति के अन्य सदस्य अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और बोर्ड के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष श्री अरवामुदन कृष्ण कुमार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री सुभाष शंकर मलिक और शेयरधारक निदेशक श्री राजेश कुमार अलवादी थे। सुश्री रचना खरे, पूर्व शेयरधारक निदेशक, 25.12.2025 को अपना पद छोड़ने तक समिति की अध्यक्ष रहीं।

3.5.4 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, समिति की 1 (एक) बैठक 07.03.2026 को श्री सुभाष शंकर मलिक, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक की अध्यक्षता में आयोजित की गई।)

3.6 बड़ी राशि के कपटों की निगरानी हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति :

3.6.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, 'वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निर्देश', उनकी अधिसूचना संदर्भ संख्या, RBI/DOS/2024-25/IIS, DOS.CO.FMG.SEC. संख्या.5/23.04.OOI/2024-25 दिनांक 15.07.2024 के अनुसार।

आरबीआई के दिशानिर्देशों और बैंक की नीति के अनुसार, बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक विशेष धोखाधड़ी समिति का गठन किया गया है। समिति को सभी प्रकार की धोखाधड़ी की घटनाओं की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया है।

3.6.2 31.03.2026 को समिति की संरचना इस प्रकार थीः

समिति की अध्यक्षता अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और बोर्ड के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष श्री अरवामुदन कृष्ण कुमार ने की। समिति के अन्य सदस्य प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अश्वनी कुमार, कार्यकारी निदेशक श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यकारी निदेशक श्री विजय एन कांबले, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक श्री सुधीर श्याम, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री रवि कुमार अग्रवाल और शेयरधारक निदेशक श्री राजेश कुमार अलावादी थे।

पूर्व शेयरधारक निदेशक सुश्री रचना खरे 25.12.2025 को अपना पद छोड़ने तक समिति की सदस्य रहीं।

3.6.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस समिति की 4 (चार) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

31.05.2025	19.08.2025	27.11.2025	23.03.2026

3.7 निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)

3.7.1 निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में किया गया है।

3.5 Nomination and Remuneration Committee of the Board (NRCB):

3.5.1 The Committee evaluates performance of Bank's Whole-time Directors and determines "Fit and Proper status" of elected or to be elected Director.

3.5.2 As per Government of India and RBI guidelines, the Committee shall comprise of non-executive Directors of the Board.

3.5.3 Composition of the Committee as on 31.03.2026 :

The Committee was chaired by Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director. Other members of the committee were Shri Aravamudan Krishna Kumar, Part-time non-official Director as well as Non-Executive Chairman of the Board, Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director, Shri Subhash Shankar Malik, Part-time Non-Official Director and Shri Rajesh Kumar Ailawadi, Shareholder Director. Ms. Rachna Khare, erstwhile Shareholder Director was the Chairperson of the Committee till the demitting of office on 25.12.2025.

3.5.4 During the period under review, 1 (One) meeting of the Committee was held on 07.03.2026.

3.6 Special Committee of the Board for Monitoring and follow-up of cases of frauds:

3.6.1 In compliance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, "Master Directions on Fraud Risk Management in Commercial Banks (including Regional Rural Banks) and All India Financial Institutions", vide their notification bearing reference no, RBI/DOS/2024-25/IIS, DOS.CO.FMG. SEC. no.5/23.04. OOI/ 2024-25 dated 15.07.2024.

In accordance with RBI guidelines and Bank's policy, Special Committee for fraud was formed for the purpose of Monitoring and Follow-up of cases of Frauds reported by the Bank. The Committee is mandated to monitor the incidents of all fraud.

3.6.2 Composition of the Committee as on 31.03.2026 :

The Committee was chaired by Shri Aravamudan Krishna Kumar, Part-time Non-Official Director and Non-Executive Chairman of the Board. Other members of the committee were Shri Ashwani Kumar, Managing Director and Chief Executive Officer, Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, Shri Vijay N Kamble, Executive Director, Shri Sudhir Shyam, GOI Nominee Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director and Shri Rajesh Kumar Ailawadi, Shareholder Director.

Ms. Rachna Khare, erstwhile Shareholder Director was a member of the Committee till the demitting of office on 25.12.2025.

3.6.3 During the period under review, 4 (four) meetings of the Committee were held on the dates as follows:

31.05.2025	19.08.2025	27.11.2025	23.03.2026

3.7 Customer Service Committee of the Board (CSCB):

3.7.1 In compliance with the directives issued by Reserve Bank of India, the Customer Service Committee of the Board has been constituted.

3.7.2 समिति का उद्देश्यः

i) जनसेवा प्रक्रिया एवं कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा समिति की संस्तुतियों का कार्यान्वयन एवं पालन, साथ ही उसकी संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु,

ii) सदैव सभी श्रेणी के ग्राहकों के लिए ग्राहक-तुष्टि के स्तर में सुधार लाने हेतु,

iii) ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए नवीन उपायों पर विचार करने हेतु।

3.7.3 31.03.2026 को समिति की संरचना इस प्रकार थीः

समिति की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अश्वनी कुमार ने की। समिति के अन्य सदस्य कार्यकारी निदेशक श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यकारी निदेशक श्री विजय एन कांबले, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक श्री सुधीर श्याम, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री रवि कुमार अग्रवाल और शेयरधारक निदेशक श्री राजेश कुमार अलावादी थे। पूर्व शेयरधारक निदेशक सुश्री रचना खरे ने 25.12.2025 को अपना पद छोड़ने तक समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया।

3.7.4 समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस समिति की 4 (चार) बैठकें इन तारीखों को हुईं:

20.06.2025	24.09.2025	28.11.2025	23.03.2026

3.8 बैंक के मानव संसाधन संबंधी मुद्दों से संबंधित समिति (निदेशक मंडल की मानव संसाधन समिति)

सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए प्रबंधकीय स्वायत्तता संबंधी भारत सरकार के निदेशों के आलोक में बैंक के निदेशक मंडल को यह स्वतंत्रता दी गई है एवं उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह सरकारी नीतियों के व्यापक ढांचे के भीतर प्रबंधकीय मुद्दों पर निर्णय लें। स्वायत्तता से संबंधित एक क्षेत्र का संबंध मानव संसाधन से संबंधित नीति एवं क्रियाविधि के निर्माण से है।

3.8.1 31.03.2026 को समिति की संरचना इस प्रकार थीः

समिति की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अश्वनी कुमार ने की। समिति के अन्य सदस्य अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और बोर्ड के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष श्री अरवामुदन कृष्ण कुमार, कार्यकारी निदेशक श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यकारी निदेशक श्री विजय एन कांबले, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक श्री सुधीर श्याम, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री अंजन तालुकदार और शेयरधारक निदेशक श्री राजेश कुमार अलवादी थे। पूर्व शेयरधारक निदेशक सुश्री रचना खरे ने 25.12.2025 को अपना पद छोड़ने तक समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया।

3.8.2 समिति का उद्देश्य :

i) स्टाफ ढांचा, भर्ती, पदस्थापना, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, पदोन्नति, पेंशन आदि सहित बैंक से संबंधित मानव संसाधन संबंधी सभी मुद्दों के बारे में निर्णय करना,

ii) पात्रता मानदंड, चयन की पद्धति, प्रवेश के स्तरों आदि सहित भर्ती के लिए मानव संसाधन संबंधी नीति एवं क्रियाविधि बनाना,

iii) अधिकारियों एवं स्टाफ के पारिश्रमिक एवं क्षतिपूर्ति के बारे में निर्णय लेना,

iv) बैंक के पदधारियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी से संबंधित नीति निर्धारित करना एवं

v) शाखाओं के वर्गीकरण के लिए मानदंड विहित करना।

3.7.2 Objectives of the Committee:

i) To ensure implementation of and adherence to the recommendations of Committee on Procedures and Performance Audit of Public Services as well as compliance with its recommendations;

ii) To bring upon improvement in the level of customer satisfaction for all categories of clientele at all times;

iii) To consider innovative measures to enhance the quality of customer service.

3.7.3 Composition of the Committee as on 31.03.2026 :

The Committee was chaired by Shri Ashwani Kumar, Managing Director and Chief Executive Officer. Other members of the committee were Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, Shri Vijay N Kamble, Executive Director, Shri Sudhir Shyam, GOI Nominee Director, Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director and Shri Rajesh Kumar Ailawadi, Shareholder Director. Ms. Rachna Khare, erstwhile Shareholder Director, served as a member of the Committee until demitting office on 25.12.2025.

3.7.4 During the period under review, 4 (four) meetings of the Committee were held on the dates as follows:

20.06.2025	24.09.2025	28.11.2025	23.03.2026

3.8 Committee on HR Related Issues of the Bank (HR Committee of the Board):

In the light of directive of GOI of India on Managerial Autonomy to the Public Sector Banks (PSB), the Board of Directors of the Bank is granted the freedom and responsibility for deciding on managerial issues within the broad framework of the Government policies. One of the areas of autonomy relates to framing of HR policies and procedures.

3.8.1 Composition of the Committee as on 31.03.2026 :

The Committee was chaired by Shri Ashwani Kumar, Managing Director and Chief Executive Officer. Other members of the committee were Shri Aravamudan Krishna Kumar, Part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman of the Board, Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, Shri Vijay N Kamble, Executive Director, Shri Sudhir Shyam, GOI Nominee Director, Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director and Shri Rajesh Kumar Ailawadi, Shareholder Director. Ms. Rachna Khare, erstwhile Shareholder Director, served as a member of the Committee until demitting office on 25.12.2025.

3.8.2 Objectives of the Committee:

i) To decide all Human Resource issues relating to the Bank including staffing pattern, recruitment, placement, transfer, training, promotions, pensions, etc.,

ii) To frame HR policies and procedures for recruitment including eligibility criteria, mode of selection, levels of entry, etc.,

iii) To take decisions on remuneration and compensation of officers and staff,

iv) To lay down policy of accountability and responsibility of Bank officials, and

v) To prescribe standards for categorization of branches.

उपर्युक्त मामले सीधे बोर्ड से संबंधित हैं और इसलिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

3.8.3 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की 6 (छह) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित हुईं:

31.05.2025	19.08.2025	24.09.2025	28.11.2025
06.01.2026	20.03.2026		

3.9 निदेशक मंडल की सू.प्रौ. कार्यनीति समिति

3.9.1 प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं अन्य सूचना प्रौद्योगिकी पहल से संबंधित मामलों पर कार्यनीति बनाने हेतु निदेशक मंडल की सू.प्रौ. कार्यनीति समिति का गठन किया गया है।

3.9.2 31.03.2026 को समिति की संरचना इस प्रकार थी:

समिति की अध्यक्षता अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और बोर्ड के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष श्री अरवामुदन कृष्ण कुमार ने की। समिति के अन्य सदस्य प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अश्वनी कुमार, कार्यकारी निदेशक श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यकारी निदेशक श्री विजय एन कांबले, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक श्री सुधीर श्याम, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री अंजन तालुकदार और अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री रवि कुमार अग्रवाल थे। पूर्व शेयरधारक निदेशक सुश्री रचना खरे ने 25.12.2025 को अपना पद छोड़ने तक समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया।

3.9.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 5 (पाच) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

31.05.2025	18.08.2025	24.09.2025	27.11.2025	20.03.2026

3.10 एनपीए खातों मे वसूली की निगरानी के लिए निदेशक मंडल स्तरीय समिति:

3.10.1 बैंक में एक सख्त निगरानी प्रणाली स्थापित कराने के संबंध में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों के अनुपालन में दिनांक 07.12.2012 को एनपीए वसूली की निगरानी के लिए एक निदेशक मंडल स्तरीय समिति बनाई गई है, जो अनर्जक आस्तियों में वसूली की प्रगति पर लगातार निगरानी रखेगी।

3.10.2 31.03.2026 को समिति की संरचना इस प्रकार थी:

समिति की अध्यक्षता अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और बोर्ड के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष श्री अरवामुदन कृष्ण कुमार ने की। समिति के अन्य सदस्य प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अश्वनी कुमार, कार्यकारी निदेशक श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यकारी निदेशक श्री विजय एन कांबले, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक श्री सुधीर श्याम और अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री अंजन तालुकदार थे।

3.10.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 4 (चार) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

19.06.2025	18.08.2025	27.11.2025	20.03.2026

3.11 अपील मामलों के निपटान के लिए निदेशक मंडल की समिति:

3.11.1 अनुशासनिक प्राधिकारी की क्षमता में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा जारी आदेशों के विरुद्ध कर्मचारियों द्वारा की गई अपीलों का निपटान करने के लिए अपील मामलों के निपटान के लिए समिति गठित की गई है।

The matters pertaining to aforesaid areas were taken up directly with the Board, and therefore no meeting of the Committee was held during the period under review.

3.8.3 During the period under review, 6 (six) meetings of the Committee were held on dates as follows:

31.05.2025	19.08.2025	24.09.2025	28.11.2025
06.01.2026	20.03.2026		

3.9 IT Strategy Committee of the Board:

3.9.1 The IT Strategy Committee of the Board has been constituted to formulate strategies in the matters relating to technology upgradation and other IT initiatives.

3.9.2 Composition of the Committee as on 31.03.2026 :

The committee was chaired by Shri Aravamudan Krishna Kumar, Part time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman of the Board. Other members of the committee were Shri Ashwani Kumar, Managing Director and Chief Executive Officer, Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, Shri Vijay N Kamble, Executive Director, Shri Sudhir Shyam, GOI Nominee Director, Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director, and Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director. Ms. Rachna Khare, erstwhile Shareholder Director, served as a member of the Committee until demitting office on 25.12.2025.

3.9.3 During the period under review 05 (five) meetings of the committee were held on the dates as follows:

31.05.2025	18.08.2025	24.09.2025	27.11.2025	20.03.2026

3.10 Board Level Committee for Monitoring Recovery in NPAs accounts:

3.10.1 In compliance with the directives of Ministry of Finance, Government of India, to have a robust monitoring mechanism in the Bank, a Board Level Committee for Monitoring of Recovery in NPAs was constituted on 07.12.2012 to monitor progress in recovery of Non-Performing Assets on regular basis.

3.10.2 Composition of the Committee as on 31.03.2026 :

The Committee was chaired by Shri Aravamudan Krishna Kumar, Part Time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman of the Board. Other members of the committee were Shri Ashwani Kumar, Managing Director and Chief Executive Officer, Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, Shri Vijay N Kamble, Executive Director, Shri Sudhir Shyam, GOI Nominee Director and Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director.

3.10.3 During the period under review, 4 (four) meetings of the committee were held on dates as follows:

19.06.2025	18.08.2025	27.11.2025	20.03.2026

3.11 Committee of the Board for disposal of Appeal Cases:

3.11.1 The Committee for disposal of Appeal Cases is constituted to dispose off appeals preferred by the employees against the orders issued by Managing Director and Chief Executive Officer in the capacity of Disciplinary Authority.

3.11.2 31.03.2026 को समिति की संरचना इस प्रकार थीः

समिति की अध्यक्षता अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री सुभाष शंकर मलिक ने की। समिति के अन्य सदस्य भारत सरकार के मनोनीत निदेशक श्री सुधीर श्याम, आरबीआई के मनोनीत निदेशक डॉ. सरदा प्रसन मोहन्ती, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री अंजन तालुकदार और अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री रवि कुमार अग्रवाल थे। पूर्व शेयरधारक निदेशक सुश्री रचना खरे ने 25.12.2025 को अपना पद छोड़ने तक समिति की अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

3.11.3 समीक्षाधीन अवधि में समिति की बैठक नहीं हुई।

3.12 समीक्षा समिति (जान-बूझकर चूक करने वाले):

3.12.1 प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता वाली समीक्षा समिति (जानबूझकर चूक करने वाले) तथा इसमें बैंक के दो स्वतंत्र निदेशक/गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल हैं, जो जानबूझकर चूक करने वालों की घोषणा के लिए कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता वाली जानबूझकर चूक करने वालों की पहचान करने वाली समिति के आदेा की पुष्टि करते हैं।

3.12.2 31.03.2026 को समिति की संरचना इस प्रकार थीः

समिति की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अश्वनी कुमार ने की। समिति के अन्य सदस्य अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री रवि कुमार अग्रवाल और अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री सुभाष शंकर मलिक थे। पूर्व शेयरधारक निदेशक सुश्री रचना खरे ने 25.12.2025 को अपना पद छोड़ने तक समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया।

3.12.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 01 (एक) बैठक; दिनांक 24.12.2025 को आयोजित की गईं।

3.13 बोर्ड की कार्यनिष्पादन मूल्यांकन समिति

3.13.1 समिति का गठन भारत सरकार, एमओएफ, डीएफएस के दिशानिर्देश दिनांक 30.08.2019 के अनुसार किया गया है। समिति में सरकार द्वारा नामित निदेशक, एसीबी अध्यक्ष, शेयरधारक निदेशक शामिल हैं।

3.13.2 31.03.2026 को समिति की संरचना इस प्रकार थीः

समिति की अध्यक्षता अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और बोर्ड के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष श्री अरवामुदन कृष्ण कुमार ने की। समिति के अन्य सदस्य भारत सरकार के नामित निदेशक श्री सुधीर श्याम, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री सुभाष शंकर मलिक और शेयरधारक निदेशक श्री राजेश कुमार अलावादी थे। पूर्व शेयरधारक निदेशक सुश्री रचना खरे ने 25.12.2025 को अपना पद छोड़ने तक समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया।

3.13.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 02 (एक) बैठक; दिनांक 28.08.2024 को आयोजित की गईं।

19.08.2025	06.01.2026

3.14 गैर-पदोन्नति न होने के विरुद्ध अपील के निपटान के लिए बोर्ड की समिति

3.14.1 31.03.2026 को समिति की संरचना इस प्रकार थीः

समिति की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अश्वनी कुमार ने की। समिति के अन्य सदस्य कार्यकारी निदेशक श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यकारी निदेशक श्री विजय एन कांबले और

3.11.2 Composition of the Committee as on 31.03.2026 :

The Committee was chaired by Shri Subhash Shankar Malik, Part-time Non-Official Director. Other members of the committee were Shri Sudhir Shyam, GOI Nominee Director, Dr. Sarada Prasan Mohanty, RBI Nominee Director, Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director. Ms. Rachna Khare, erstwhile Shareholder Director, served as the Chairperson of the Committee until demitting office on 25.12.2025.

3.11.3 During the period under review, no meeting of the Committee was held.

3.12 Review Committee (Willful Defaulters):

3.12.1 The Review Committee (Willful Defaulters) headed by the Managing Director and Chief Executive Officer and consisting in addition, two independent directors/non-executive directors of the Bank confirm the order of the ED-headed Committee for Identification of Willful Defaulters for declaration of willful defaulters.

3.12.2 Composition of the Committee as on 31.03.2026 :

The Committee was chaired by Shri Ashwani Kumar, Managing Director and Chief Executive Officer. Other members of the committee were Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director and Shri Subash Shankar Malik, Part-time Non-Official Director. Ms. Rachna Khare, erstwhile Shareholder Director, served as a member of the Committee until demitting office on 25.12.2025.

3.12.3 During the period under review, 01 (One) meeting of the Committee was held on 24.12.2025.

3.13 Performance Evaluation Committee of the Board

3.13.1 The committee is constituted in terms of GOI, MOF, DFS guideline dated 30.08.2019. The committee comprises of Non-executive Chairman of the Board, Government Nominee Director, ACB Chairperson, Independent Directors.

3.13.2 Composition of the Committee as on 31.03.2026 :

The Committee was chaired by Shri Aravamudan Krishna Kumar, Part Time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman of the Board. Other members of the committee were Shri Sudhir Shyam, GOI Nominee Director, Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director, Shri Subhash Shankar Malik, Part-time Non-Official Director, and Shri Rajesh Kumar Ailawadi, Shareholder Director. Ms. Rachna Khare, erstwhile Shareholder Director, served as a member of the Committee until demitting office on 25.12.2025.

3.13.3 During the period under review, 02 (two) meetings of the Committee were held.

19.08.2025	06.01.2026

3.14 Committee of the Board for Disposal of Appeal against Non-Promotion

3.14.1 Composition of the Committee as on 31.03.2026 :

The Committee was chaired by Shri Ashwani Kumar, Managing Director and Chief Executive Officer. Other members of the Committee were Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director,

अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री सुभाष शंकर मलिक थे। पूर्व शेयरधारक निदेशक सुश्री रचना खरे ने 25.12.2025 को अपना पद छोड़ने तक समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया।

3.14.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

3.15 ऋण अनुमोदन समिति

3.15.1 समिति की संरचना दिनांक 31.03.2026 तक इस प्रकार है:

इस समिति की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अश्वनी कुमार ने की। समिति के अन्य सदस्य कार्यकारी निदेशक श्री राजेंद्र कुमार साबू और कार्यकारी निदेशक श्री विजय एन कांबले थे। ऋण महाप्रबंधक, जोखिम प्रबंधन महाप्रबंधक, मध्य कॉर्पोरेट ऋण महाप्रबंधक और वित्त महाप्रबंधक भी इस समिति के सदस्य थे।

3.15.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 33 बैठकें आयोजित की गईं।

3.16 बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति

3.16.1 31.03.2026 को समिति की संरचना इस प्रकार थी:

समिति की अध्यक्षता प्रबंध निदेाक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अवनी कुमार ने की। समिति के अन्य सदस्य कार्यकारी निदेाक श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यकारी निदेाक श्री विजय एन. कांबले, आंकालिक गैर-सरकारी निदेाक श्री रवि कुमार अग्रवाल और आंकालिक गैर-सरकारी निदेाक श्री सुभाष ंकर मलिक थे। पूर्व शेयरधारक निदेाक सुश्री रचना खरे ने 25.12.2025 को अपना पद छोड़ने तक समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया।

3.16.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, समिति की 02 (दो) बैठकें निम्नलिखित तिथियों पर।

26.08.2025	24.12.2025

3.17 व्यापार समीक्षा एवं विकास समिति

3.17.1 31.03.2026 को समिति की संरचना:

समिति की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अश्वनी कुमार ने की। समिति के अन्य सदस्य कार्यकारी निदेशक श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यकारी निदेशक श्री विजय एन. कांबले, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री रवि कुमार अग्रवाल और अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री सुभाष शंकर मलिक थे।

3.17.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, समिति की 4 (चार) बैठकें निम्नलिखित तिथियों पर आयोजित की गईं:

28.05.2025	20.09.2025	20.12.2025	18.03.2026

4.1 निदेशक मंडल और निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्योरा:

Shri Vijay N Kamble, Executive Director and Shri Subhash Shankar Malik, Part-time Non-Official Director. Ms. Rachna Khare, erstwhile Shareholder Director served as a member of the Committee until demitting office on 25.12.2025.

3.14.2 During the period under review 01(one) meeting of the committee was held on 19.08.2025.

3.15 Credit Approval Committee

3.15.1 Composition of the Committee as on 31.03.2026 :

The Committee was chaired by Shri Ashwani Kumar, Managing Director and Chief Executive Officer. Other members of the committee were Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, Shri Vijay N Kamble, Executive Director. General Manager- Credit, General Manager-Risk Management, General Manager - Mid Corporate Credit and General Manager - Finance were also the member of this committee.

3.15.2 During the period under review, 15 meetings of the Committee were held.

3.16 Board Level Corporate Social Responsibility (CSR) Committee

3.16.1 Composition of the Committee as on 31.03.2026 :

The committee was chaired by Shri Ashwani Kumar, Managing Director and CEO. Other members of the committee were Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, Shri. Vijay N. Kamble, Executive Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official director and Shri Subash Shankar Malik, Part-time Non-Official Director. Ms. Rachna Khare, erstwhile Shareholder Director, served as a member of the Committee until demitting office on 25.12.2025.

3.16.2 During the period under review 02(two) no. of meetings were held.

26.08.2025	24.12.2025

3.17 Business Review and Development Committee

3.17.1 Composition of the Committee as on 31.03.2026 :

The committee was chaired by Shri Ashwani Kumar, Managing Director and CEO. Other members of the committee were Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, Shir. Vijay N. Kamble, Executive Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official director and Shri Subash Shankar Malik, Part-time Non-Official Director.

3.17.2 During the period under review, 4 (four) meetings of the committee were held on dates as follows:

28.05.2025	20.09.2025	20.12.2025	18.03.2026

4.1 The details of attendance of meetings of the Board by the directors and of various Committees of the Board are as under:

बैठक/ Meetings of the										
निदेशक का नाम Name of Director	निदेशक मंडल Board of Directors		निदेशक मंडल की प्रबंध समिति Management Committee of the Board		निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति Customer Service Committee of the Board		निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति Risk Management Committee of the Board		बोर्ड की मानव संसाधन समिति Committee on HR related issues of the Bank	
	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended
श्री अरवामुदन कृष्ण कुमार, बोर्ड के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष Shri Aravamudan Krishna Kumar, Non-Executive Chairman of the Board	11	11	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	06	06	06	06
श्री अश्वनी कुमार, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (01.06.2023 से) Shri Ashwani Kumar, MD and CEO (From 01.06.2023)	11	11	12	12	04	04	06	06	06	06
श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director	11	11	12	12	04	04	06	06	06	06
श्री विजय एन कांबले, कार्यपालक निदेशक Shri Vijay N Kamble, Executive Director	11	10	12	12	04	04	06	05	06	06
श्री सुधीर श्याम, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक Shri Sudhir Shyam, GOI Nominee Director	11	09	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	04	04	NA	NA	06	05
डॉ. सारदा प्रसन मोहन्ती आरबीआई नामित निदेशक Dr. Sarada Prasan Mohanty, RBI Nominee Director	11	11	12	12	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Shri Anjan Talukdar, Part time Non-Official Director	11	11	11	10	04	04	06	06	06	06
श्री रविकुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Shri Ravi Kumar Agrawal, Part time Non-Official Director	11	10	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	04	03	06	05	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री सुभाष शंकर मलिक, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Shri Subhash Shankar Malik Part time Non-Official Director	11	11	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	NA	NA	06	06	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री राजेश कुमार अलावादी, शेयरधारक निदेशक Shri Rajesh Kumar Ailawadi, Shareholder Director	02	02	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	01	01	NA	NA	01	01
सुश्री रचना खरे, पूर्व शेयरधारक निदेशक # Ms. Rachna Khare, erstwhile Shareholder Director #	08	08	लागू नही NA	लागू नही NA	03	03	05	05	04	04

बैठक/ Meetings of the										
निदेशक का नाम Name of Director	एनपीए खातों में वसूली की निगरानी के लिए निदेशक मंडल स्तरीय समिति Board Level Committee for monitoring of recovery in NPA Account		बड़ी राशि के कपटों की निगरानी हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति Special Committee of Board for Monitoring Large Value Frauds		निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति Audit Committee of the Board		निदेशक मंडल की सू.प्रौ. कार्यनीति समिति IT Strategy Committee of the Board		निदेशक मंडल की हितधारक संबंध समिति Stakeholders' Relationship Committee of the Board	
	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended
श्री अरवामुदन कृष्ण कुमार, बोर्ड के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष Shri Aravamudan Krishna Kumar, Non-Executive Chairman of the Board	04	04	04	04	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	05	05	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री अश्वनी कुमार, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Ashwani Kumar, MD and CEO	04	04	04	04	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	05	05	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director	04	04	04	04	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	05	05	01	01
श्री विजय एन कांबले, कार्यपालक निदेशक Shri Vijay N Kamble, Executive Director	04	04	04	04	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	05	05	01	01
श्री सुधीर श्याम, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक Shri Sudhir Shyam, GOI Nominee Director	04	04	03	01	09	08	05	04	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
डॉ. सारदा प्रसन मोहन्ती आरबीआई नामित निदेशक Dr. Sarada Prasan Mohanty, RBI Nominee Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	09	09	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Shri Anjan Talukdar, Part time Non-Official Director	04	04	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	05	05	01	01
श्री रविकुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Shri Ravi Kumar Agrawal, Part time Non-Official Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	04	04	09	09	05	05	01	01
श्री सुभाष शंकर मलिक, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Shri Subhash Shankar Malik Part time Non-Official Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	09	09	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री राजेश कुमार अलावादी, शेयरधारक निदेशक Shri Rajesh Kumar Ailawadi, Shareholder Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	01	01	01	01	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	00	00
सुश्री रचना खरे, पूर्व शेयरधारक निदेशक # Ms. Rachna Khare, erstwhile Shareholder Director#	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	03	03	07	07	04	04	01	01

बैठक/ Meetings of the																				
निदेशक का नाम Name of Director	निदेशक मंडल की कार्यनिष्पादन मूल्यांकन समिति Performance Evaluation Committiee of the Board				निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति Nomination and Remunerations Committiee of the Board				निदेशक मंडल की अपील मामलों की निपटान समिति Committee of the Board for Disposal of Appeal Cases				समीक्षा समिति (जान-बूझकर चूककर्ता) Review Committee (Wilful Defaulters)				गैर पदोन्नति के विरुद्धे अपील के निपटान हेतु निदेशक मंडल की समिति Committee of the Board for Disposal of Appeal against Non-promotion				कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति Corporate Social Responsibility Committee				Business Review and Development Committee			
	आयोजित* Held*		उपस्थित Attended		आयोजित* Held*		उपस्थित Attended		आयोजित* Held*		उपस्थित Attended		आयोजित* Held*		उपस्थित Attended		आयोजित* Held*		उपस्थित Attended		आयोजित* Held*		उपस्थित Attended		आयोजित* Held*		उपस्थित Attended	
श्री अरवामुदन कृष्ण कुमार, बोर्ड के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष Shri Aravamudan Krishna Kumar, Non-Executive Chairman of the Board	02		02		01		01		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA	
श्री अश्वनी कुमार, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Ashwani Kumar, MD and CEO	लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		01		01		01		01		02		02		04		04	
श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director	लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		01		01		02		02		04		04	
श्री विजय एन कांबले, कार्यपालक निदेशक Shri Vijay N Kamble, Executive Director	लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		01		01		02		02		04		04	
श्री सुधीर श्याम, भारत सरकार के नामिती निदेशक Shri Sudhir Shyam, GOI Nominee Director	02		02		NA		NA		00		00		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA	
डॉ. सारदा प्रसन मोहन्ती आरबीआई नामित निदेशक Dr. Sarada Prasad Mohanty RBI Nominee Director	NA		NA		NA		NA		00		00		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA	
श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Shri Anjan Talukdar, Part time Non-Official Director	02		02		01		01		00		00		01		01		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA	
श्री रविकुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Shri Ravi Kumar Agrawal, Part time Non-Official Director	02		02		01		01		00		00		01		01		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		02		02		04		04	
श्री सुभाष शंकर मलिक, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Shri Subhash Shankar Malik, Part time Non-Official Director	02		02		01		01		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		01		01	
श्री राजेश कुमार अलावादी, शेयरधारक निदेशक Shri Rajesh Kumar Ailawadi, Shareholder Director	लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		00		00		00		00		00		00		00		00		00		00	
सुश्री रचना खरे, पूर्व शेयरधारक निदेशक # Ms. Rachna Khare, erstwhile Shareholder Director#	01		01		00		00		लागू नहीं NA		लागू नहीं NA		01		01		01		01		02		02		03		03	

नोट/Notes:

1. * समीक्षा अवधि के दौरान निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या / No. of meetings held during the tenure of the Director during the review period,
2. लागू नहीं - समिति के सदस्य नहीं / NA - Not a member
3. # सुश्री रचना खरे (शेयरधारक निदेशक) - अवधि 10.01.2025 से 25.12.2025 तक
   Ms. Rachna Khare (Shareholder Director) - For the period 10.01.2025 to 25.12.2025

4.2. 31.03.2026 तक वरिष्ठ प्रबंधन पदः **4.2. Senior Management Position as on 31.03.2026 :**

क्रमांक **Sl. No.**	नाम **Name**	पदनाम **Designation**
1	श्री अभिमननु राजक Shri Abhimannu Rajak	सीजीएम की देखरेख CGM overseeing - ● डीआईटी - संचालन DIT - Operations, ● डीआईटी - परियोजनाएं और उत्पाद विकास DIT - Projects & Product Development ● डीआईटी - अवसंरचना DIT - Infrastructure ● एनालिटिक्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और डेटा मैनेजमेंट Analytics, Centre of Excellence & Data Management ● संचालन एवं सेवा विभाग Operations & Services Department
2	श्री गौतम पात्रा Shri Goutam Patra	सीजीएम की देखरेख CGM overseeing - ● व्यवसाय विकास, भुवनेश्वर Business Development, Bhubaneshwar ● संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर समिति, ओडिशा Convenor, State Level Bankers' Committee, Odisha
3	श्री राजेश नागर Shri Rajesh Nagar	सीजीएम की देखरेख CGM overseeing - ● मानव संसाधन प्रबंधन, उत्पादकता प्रबंधन और आधिकारिक भाषा HRM, PSD & Official Language ● शिक्षण एवं विकास Learning & Development ● परिवर्तन प्रबंधन कार्यालय Transformation Management Office ● एआरबीडी और एफआई वर्टिकल ARBD and FI Vertical ● खुदरा बैंकिंग विभाग Retail Banking Department ● धन प्रबंधन एवं विपणन Wealth Management & Marketing ● अंतर्राष्ट्रीय विभाग International Department ● बोर्ड सचिवालय Board Secretariat

नोटः CGM का अर्थ है मुख्य महाप्रबंधक, DIT का अर्थ है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, HRM का अर्थ है मानव संसाधन प्रबंधन, PSD का अर्थ है कार्मिक सेवा विभाग, ARBD का अर्थ है कृषि और ग्रामीण बैंकिंग विभाग, FI का अर्थ है वित्तीय समावेशन।

Note : CGM stands for Chief General Manager ,DIT - Department of Information Technology, HRM - Human Resource Management, PSD - Personnel Services Department, ARBD - Agriculture and Rural Banking Department, FI-Financial Inclusion.

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान वरिष्ठ प्रबंधन में बदलाव का विवरणः-

Details of Changes in Senior Management during the FY 2025-26 :-

क्रमांक **Sl. No.**	नाम एवं पदनाम **Name & Designation**	परिवर्तन का विवरण **Details of Changes**
1	श्री अभिमननु राजक Shri Abhimannu Rajak	01.06.2025 से सीजीएम के पद पर पदोन्नत हुए Promoted to CGM w.e.f. 01.06.2025
2	श्री गौतम पात्रा Shri Goutam Patra	01.06.2025 से सीजीएम के पद पर पदोन्नत हुए Promoted to CGM w.e.f. 01.06.2025
3	श्री राजेश नागर Shri Rajesh Nagar	01.06.2025 से सीजीएम के पद पर पदोन्नत हुए Promoted to CGM w.e.f. 01.06.2025

5.0 आम बैठक / General Body Meeting

5.1 पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की बैठक / Shareholders Meetings held during the last three years :

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की आम बैठकों के ब्योरे इस प्रकार हैं

The details of the General Meetings of the Shareholders held during the last 3 years :

बैठक का नाम Name of the meeting	**तारीख एवं दिन** Date and Day	**समय** Time	**स्थान** Venue
20वीं वार्षिक आम बैठक 20th Annual General Meeting	17 जून, 2023 17th June, 2023	पूर्वाह्न 11.00 11.00 A.M.	वीडियो कोंफेरेंस के माध्यम से यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, 10 बीटीएम सरणी, कोलकाता-700001 डीम्ड स्थल Through Video Conference Deemed Venue was UCO Bank Head Office, 10, BTM Sarani, Kolkata-700001
असाधारण आम बैठक Extraordinary General Meeting	24 जनवरी, 2024 24th January, 2024	पूर्वाह्न 11.00 11.00 A.M.	वीडियो कोंफेरेंस के माध्यम से यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, 10 बीटीएम सरणी, कोलकाता-700001 डीम्ड स्थल Through Video Conference Deemed Venue was UCO Bank Head Office, 10, BTM Sarani, Kolkata-700001
21वीं वार्षिक आम बैठक 21th Annual General Meeting	18 जून, 2023 18th June, 2023	पूर्वाह्न 11.00 11.00 A.M.	वीडियो कोंफेरेंस के माध्यम से यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, 10 बीटीएम सरणी, कोलकाता-700001 डीम्ड स्थल Through Video Conference Deemed Venue was UCO Bank Head Office, 10, BTM Sarani, Kolkata-700001
असाधारण आम बैठक Extraordinary General Meeting	22 जनवरी, 2025 22nd January, 2025	पूर्वाह्न 11.00 11.00 A.M.	वीडियो कोंफेरेंस के माध्यम से यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, 10 बीटीएम सरणी, कोलकाता-700001 डीम्ड स्थल Through Video Conference Deemed Venue was UCO Bank Head Office, 10, BTM Sarani, Kolkata-700001
22वीं वार्षिक आम बैठक 22nd Annual General Meeting	19 जून, 2025 19th June, 2025	पूर्वाह्न 11.00 11.00 A.M.	वीडियो कोंफेरेंस के माध्यम से यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, 10 बीटीएम सरणी, कोलकाता-700001 डीम्ड स्थल Through Video Conference Deemed Venue was UCO Bank Head Office, 10, BTM Sarani, Kolkata-700001
असाधारण आम बैठक Extraordinary General Meeting	16 मार्च, 2026 16th March, 2026	पूर्वाह्न 11.00 11.00 A.M.	वीडियो कोंफेरेंस के माध्यम से यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, 10 बीटीएम सरणी, कोलकाता-700001 डीम्ड स्थल Through Video Conference Deemed Venue was UCO Bank Head Office, 10, BTM Sarani, Kolkata-700001

5.2. पिछली वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति :

पिछली वार्षिक आम बैठक 19 जून 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई थी। इस बैठक में निदेशक और बोर्ड के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष श्री अरवामुदन कृष्ण कुमार, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अश्वनी कुमार, कार्यकारी निदेशक श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यकारी निदेशक श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले, निदेशक और बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री रवि कुमार अग्रवाल और निदेशक और हितधारक संबंध समिति तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की अध्यक्ष सुश्री रचना खरे ने भाग लिया।

5.3. पिछले तीन वर्षों के दौरान पारित विशेष संकल्प

i) 17 जून, 2023 को आयोजित शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में फालों-आन सार्वजनिक आफ़र/क्वालीफाइड संस्थागत प्लेसमेंट और/या अन्य पूंजी उगाही विकल्प के माध्यम से रु. 10/-के 200,00,00,000 तक इक्विटी शेयर जारी करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया।

ii) 17 जून, 2023 को आयोजित शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में भारत सरकार की अधिसूचना एफ. संख्या 6/8/2022-बीओ.आई दिनांक 08.05.2023 के अनुसरण में अधिसूचना की तारीख यानी 08.05.2023 से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए यूको बैंक के बोर्ड में अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक के रूप में श्री सुभाष शंकर मलिक की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया।

iii) 24 जनवरी 2024 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध) योजना 1970, आरबीआई और भारत सरकार के प्रयोज्य दिशानिर्देश के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से एक निदेशक जो 1 फरवरी, 2024 से तीन साल की अवधि पूरी होने तक पद धारण करेगा, का चुनाव करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया। श्री प्रमोद रंजन मिश्र को 1 फरवरी, 2024 शेयरधारक श्रेणी के तहत निदेशक के रूप में चुना गया।

iv) 18 जून, 2024 को आयोजित शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव/योग्य संस्थागत प्लेसमेंट और/या अन्य पूंजी जुटाने के विकल्पों के माध्यम से 10/- पये प्रति शेयर मूल्य के 400,00,00,000 इक्विटी शेयर जारी करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया।

v) 18 जून, 2024 को आयोजित शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार को यूको बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया, जो कि भारत सरकार की अधिसूचना एफ.सं.6/26(iii)/2023-बीओ.आई दिनांक 21.02.2024 के अनुसार अधिसूचना की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेशें तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा।

vi) 19 जून, 2025 को आयोजित शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर/योग्य संस्थागत प्लेसमेंट और/या अन्य पूंजी जुटाने के विकल्पों के माध्यम से 10 रुपये रुपये प्रति शेयर के 270,00,00,000 इक्विटी शेयरों तक के निर्गमन के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया।

5.2. Attendance of the Directors in the last Annual General Meeting:

The last Annual General Meeting was held on 19th June 2025 through Video Conference. Shri Aravamudan Krishna Kumar, Director and Non-Executive Chairman of the Board, Shri Ashwani Kumar, Managing Director and Chief Executive Officer, Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble, Executive Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Director and Chairperson of Audit Committee of the Board and Ms. Rachna Khare, Director and Chairman of Stakeholder Relations Committee and Nomination and Remuneration Committee of the Board, attended the meeting.

5.3. Special Resolutions passed during last three years:

i) In the Annual General Meeting of the shareholders held on 17th June ,2023 a special resolution passed for issue of upto 200,00,00,000 equity shares of Rs.10/- each through Follow on public offer/Qualified Institutional Placement and/ or other capital raising options.

ii) In the Annual General Meeting of the shareholders held on 17th June ,2023 a special resolution passed for appointment of Shri Subhash Shankar Malik as part-time non-official director on the Board of UCO Bank pursuant to GOI Notification F.No.6/8/2022-BO.I dated 08.05.2023 for a period of three years from the date of notification i.e. 08.05.2023 or until further orders, whichever is earlier.

iii) In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 24th January 2024, a special resolution was passed to elect one director from amongst the shareholders of the Bank other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings)Act 1970 read with Nationalised Bank (Management and Miscellaneous)Scheme 1970 , applicable RBI and GOI Guidelines to assume office with effect from 1st February, 2024 and hold office until the completion of a period of three years. Shri Pramoda Ranjan Mishra was elected as Director under Shareholder Category w.e.f. 1st February, 2024.

iv) In the Annual General Meeting of the shareholders held on 18th June ,2024 a special resolution passed for issue of upto 400,00,00,000 equity shares of Rs.10/- each through Follow on public offer/Qualified Institutional Placement and/ or other capital raising options.

v) In the Annual General Meeting of the shareholders held on 18th June ,2024 a special resolution passed for appointment of Shri Aravamudan Krishna Kumar as Part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman on the Board of UCO Bank pursuant to GOI Notification F.No.6/26(iii)/2023-BO.I dated 21.02.2024 for a period of three years from the date of notification i.e. 21.02.2024 or until further orders, whichever is earlier.

vi) In the Annual General Meeting of the shareholders held on 19th June ,2025 a special resolution passed for issue of upto 270,00,00,000 equity shares of Rs.10/- each through Follow on public offer/Qualified Institutional Placement and/ or other capital raising options.

vii) 19 जून, 2025 को आयोजित शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में, भारत सरकार की अधिसूचना एफ. संख्या 6/1(ix)/2024-बीओ.आई दिनांक 11.04.2025 के अनुसार यूको बैंक के बोर्ड में श्री रवि कुमार अग्रवाल को अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया, जो अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए, यानी 11.04.2025 से, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा।

viii) 19 जून, 2025 को आयोजित शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या F.No.6/1(x)/2024-BO.I दिनांक 11.04.2025 के अनुसार, श्री अंजन तालुकदार को यूको बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए, यानी 11.04.2025 से या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करने का एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया।

6.0 संचार के साधन:

बैंक का मानना है कि सभी हितधारकों को बैंक की गतिविधियों, कार्य और उत्पाद पहल की पूरी जानकारी होनी चाहिए। बैंक की प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध रखनेवाले स्टॉक एक्सचेजों को बैंक के परिचालन और वित्तीय कार्यनिष्पादन के संबंध में उस तारीख को ही सूचित कर दिया जाता है जिस दिन बैंक के वित्तीय विवरणों का अनुमोदन/समीक्षा करनेवाली निदेशक मंडल की बैठक होती है। इसके अतिरिक्त बैंक का तिमाही/छमाही वार्षिक वित्तीय परिणाम बैंक की वेबसाइट (www.ucobank.com) पर प्रदर्शित किया जाता है। बैंक के ऐसे परिणाम को प्रेस विज्ञप्तियों/विज्ञापनों के माध्यम से सार्वजनिक करने के साथ ही प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों एवं अन्य रुचि लेनेवाले व्यक्तियों के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है।

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार 30.06.2023, 30.09.2023, 31.12.2023 एवं 31.03.2024 को समाप्त तिमाही के बैंक के गैर-लेखापरीक्षित किंतु समीक्षित वित्तीय परिणाम निर्धारित समय सीमा के भीतर कम से कम पूरे या अनौपचारिक रूप से पूरे भारत में प्रसारित होने वाले एक अंग्रेजी भाषा के राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र तथा क्षेत्र की भाषा में प्रकाशित एक दैनिक समाचार पत्र, जहां बैंक का पंजीकृत कार्यालय स्थित है यानी बांग्ला में प्रकाशित किए गए।

वार्षिक रिपोर्ट की पूर्ण सॉफ्ट कॉपी उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाती है जिन्होंने डिपॉजिटरी या बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराया है, और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति अन्य शेयरधारकों को अनुरोध पर भेजी जाती है।

7.0 साधारण शेयरधारकों के लिए सूचना :

7.1 रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट, शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकों की शिकायतों का निवारण:

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, हैदराबाद, बैंक का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट है। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों की सभी शिकायतें जैसे कि पता बदलना, बैंक अधिदेश में बदलाव/अपडेट, शेयरों का हस्तांतरण, शेयरों/बांडों के जारी करने से संबंधित अन्य गतिविधियाँ, उन्हें निम्नलिखित पते पर संबोधित की जा सकती हैं:

मे. केफिन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड
(इकाईः यूको बैंक)
सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32
गचीबाउली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानक्रामगुडा
हैदराबाद - 500032
फोन : 040-67162222, टोल फ्री नं. 1800 345 4001,
ई-मेल : einward.ris@kfintech.com

vii) In the Annual General Meeting of the shareholders held on 19th June ,2025 a special resolution passed for appointment of Shri Ravi Kumar Agrawal as Part-time Non-Official Director on the Board of UCO Bank pursuant to GOI Notification F.No.6/1(ix)/2024-BO.I dated 11.04.2025 for a period of one year from the date of notification i.e. 11.04.2025 or until further orders, whichever is earlier.

viii) In the Annual General Meeting of the shareholders held on 19th June ,2025 a special resolution passed for appointment of Shri Anjan Talukdar as Part-time Non-Official Director on the Board of UCO Bank pursuant to GOI Notification F.No.6/1(x)/2024-BO.I dated 11.04.2025 for a period of one year from the date of notification i.e. 11.04.2025 or until further orders, whichever is earlier.

6.0. Means of Communication:

The Bank believes that all the stakeholders should have access to complete information on its activities, performance and product initiatives. The information about the operational and financial performance of the Bank are communicated to the Stock Exchanges, where the securities of the Bank are listed immediately on the date of Board meeting approving/reviewing the financial statements of the Bank, besides posting of quarterly/half-yearly/annual financial results in Bank's website (www.uco.bank.in).Such results are also made public through press releases/advertisements as well as by presentation made to the representatives from print and electronic media and other interested members of the public.

As per the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 financial results of the Bank for the quarters ended on 30.06.2025, 30.09.2025 and 31.12.2025 were published within the prescribed time limit in atleast one English Language national daily newspaper circulating in whole or substantially the whole of India and in one daily newspaper published in the language of the region, where the registered office of the Bank is situated i.e. in Bengali.

Soft copies of full Annual Report are sent to all those shareholders who have registered their e-mail address(es) either with the Depositories or Bank's Registrar and Share Transfer Agent and physical copy of Annual Report is sent to other shareholders on request.

7.0. General Shareholders Information:

7.1 Registrar and Share Transfer Agent, Share Transfer system and Redressal of Investor's Grievances:

KFin Technologies Limited, Hyderabad is the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank. All grievances of shareholders holding shares in physical form regarding change of address, change/Updation of bank mandate, transmission of shares, amongst other activities in connection with the issue of Shares/Bonds may be addressed to them in their following address:

KFin Technologies Limited
(Unit : UCO Bank)
Selenium Tower B, Plot No. 31and32,
Gachibowli, Financial District, Nanakramguda,
Hyderabad - 500032
Phone: 040-67162222, Toll Free No. 1800 345 4001
e-mail: einward.ris@kfintech.com

बैंक ने निवेशकों के होल्डिंग के संबंध में विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्त विभाग, प्रधान कार्यालय, कोलकाता में पूर्ण सुविधा संपत्र के साथ कक्ष स्थापना की है।

शेयरहोल्डिंग के संबंधित विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बैंक ने वित्त विभाग, हेड ऑफिस, कोलकाता में 'शेयर्स सेक्शन' एक पूर्ण-क्रियात्मक सेल स्थापित किया है। बैंक के कार्यालयों या रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट के कार्यालय में प्राप्त होने वाली निवेशकों की शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाता है। सेबी दिशानिर्देश के अनुपालन में, यूको बैंक शेयर के संबंध में शेयरधारकों/निवेशकों द्वारा किए गए किसी भी शिकायतों के लिए एक विशेष ईमेल आईडी - hosgr.calcutta@uco.bank.co.in का निर्माण किया गया है।

निवेशक अपना अनुरोध/शिकायत बैंक के पास निम्नलिखित पते पर मेल कर सकते हैं:

श्री विकास गुप्ता
कंपनी सचिव
यूको बैंक : प्रधान कार्यालय
वित्त विभाग
2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस,तीसरा तल,
कोलकाता-700 001

टेलीफोन सं. (033) 44557227
ई-मेलः hosgr.calcutta@uco.bank.co.in

7.1.1 बैंक के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई में सूचीबद्ध हैं। एनएसई प्रतीक UCOBANK है और बीएसई स्क्रिप कोड 532505 है। बैंक पर दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान समय से कर रहा है।

7.3. शेयरों का अमूर्तीकरण

7.3.1 सेबी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 12/2019 दिनांक 27.03.2019 द्वारा निर्णय किया है कि प्रतिभूतियों के प्रसारण या स्थानांतरण के मामलों को छोड़कर, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को प्रभावित करने के अनुरोधों को तब तक संसाधित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रतिभूतियों को दिनांक 01.04.2019 से डिपॉजिटरी के साथ अमूर्तीकरण रूप में नहीं रखा जाता है। इसलिए, हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपनी भौतिक होल्डिंग को तुरंत अमूर्तीकरण कर दें।

अमूर्तीकरण के लिए, शेयरधारक अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी से संपर्क कर सकते हैं, जहां वे अपने संबंधित डीमैट खाते को बनाए रखते हैं। अमूर्तीकरण के लाभ इस प्रकार है:

i) झंझट रहित अंतरण;

ii)शेयर प्रमाणपत्र के नुकसान का कोई खतरा नहीं;

iii) लाभांश/कॉर्पोरेट लाभों का प्रत्यक्ष और शीघ्र जमा;

iv) नामांकन सुविधा;

v) एएसबीए/आईपीओ आदि के माध्यम से प्रत्यक्ष आवेदन।

भौतिक/डीमैट रूप में शेयर रखने वाले और अभी तक अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे भारत सरकार की हरित पहल का समर्थन करने के लिए अपनी ई-मेल आईडी को बैंक के आरटीए/अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी के साथ पंजीकृत करें।

बैंक के इक्विटी शेयर अनिवार्य रूप से डीमैट रूप में क्रय-विक्रय किए जाने हेतु उपलब्ध हैं। शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए बैंक ने एनएसडीएल एवं सीडीएसएल के साथ समझौता किया है। शेयरधारक अपना खाता रखनेवाले निक्षेपागार सहभागियों के पास अपने शेयरों का अर्मूतीकरण एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल के जरिए करवा सकते हैं। बैंक के इक्विटी शेयरों का आईएसआईएन कूट INE691A01018 है।

वर्ष 2025-26 के लिए स्टॉक एक्सचेंजों तथा डिपोजिटरी के वार्षिक सूचीकरण शुल्क तथा कस्टडी शुल्क का भुगतान नियत तारीख को किया गया है।

7.3.2 बैंक के पास दिनांक 31 मार्च, 2026 तक भौतिक एवं अमूर्तीकरण रूप में इक्विटी शेयरों की संख्या निम्नलिखित है:

Shareholders holding shares in dematerialised form may approach their Depository Participant for any queries/Updation/ change of details.

To meet various requirements of investor regarding their shareholding, the Bank has established 'Shares Section' a full-fledged cell at Finance Department, Head Office, Kolkata. The investors' grievances received at the Bank's Offices or at the office of the registrar and share transfer agent are redressed expeditiously. In compliance with the SEBI guidelines, a dedicated email id- hosgr.calcutta@uco.bank.in has been created for any complaints by the shareholders/investors regarding UCO Bank Shares.

The investors can mail their request /complaint to the Bank in the following address :

Shri Vikash Gupta
Company Secretary
UCO Bank Head Office
Finance Department
2, India Exchange Place, 3rd Floor,
Kolkata - 700 001

Phone No. (033) 44557227
Email: hosgr.calcutta@uco.bank.co.in

7.1.1 Shares of the Bank are listed on National Stock Exchange of India Limited, Mumbai and Bombay Stock Exchange, Mumbai. NSE Symbol is UCOBANK and BSE Scrip code is 532505. Bank is timely making payment of Annual listing fee to both the stock exchanges.

7.2. Dematerialization of Shares

7.2.1 SEBI vide its Press Release No. 12/2019 dated 27.03.2019 has decided that except in case of transmission or transposition of securities, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. 01.04.2019. Hence, shareholders are requested to dematerialize their physical holding immediately.

For dematerialization, shareholders may contact any SEBI registered Depository Participant, where they may open demat account. Benefits of dematerialization are as follows:

i) Hassle free transfer ;

ii) No threat of loss of share certificate;

iii) Direct and prompt credit of Dividend / Corporate benefits;

iv) Nomination facility;

v) Direct application through ASBA/IPO etc.

Shareholders holding shares in Physical / Demat form and not yet registered their email IDs are requested to register their e-mail ID with RTA of Bank / their respective Depository

Participant to support GOI's green initiatives.

The equity shares of the Bank are available for trading compulsorily in Demat form. The Bank has entered into an agreement with NSDL and CDSL for dematerialisation of shares. Shareholders can get their shares dematerialised with their Depository Participants maintaining their account either with NSDL or CDSL. The ISIN Code for the Bank's equity share is INE691A01018.

Annual Custody Fee of both the depositories for the year 2025-26 are paid by the Bank within due dates.

7.2.2 As on 31st March, 2026, the bank has following number of equity shares in physical and dematerialized form :

विवरण Particulars	शेयरों की संख्या No. of Shares	%शेयरधारिता % Shareholding
मूर्त/Physical	97,42,007	0.08
एनएसडीएल/NSDL	78,22,69,600	6.24
सीडीएसएल/CDSL	11,74,75,47,372	93.68
योग/Total	12,53,95,58,979	100

7.3.3 बैंक अपनी डी.एन. रोड शाखा, मुंबई के जरिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) के निक्षेपागार सहभागी (डी.पी) के रूप में कार्य कर रहा है।

7.3.4 बैंक ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं की है।

7.3.5 बैंक पण्य बाजार की गतिविधियां नहीं करता है।

7.2.3 The Bank is functioning as a Depository Participant (D.P) of National Securities Depository Ltd. (NSDL) through D.N. Road Branch, Mumbai.

7.2.4 The Bank has not issued any GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments during the period under review.

7.2.5 The Bank does not undertake commodity market activities.

7.4 शेयरधारिता का वितरण / DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING

7.4.1 दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का स्वरूप / Shareholding Pattern As on 31.03.2026

शेयरधारकों की श्रेणी Category of Shareholders	धारकों की सं. No. of holders	धारित शेयरों की संख्या No. of shares held	इक्विटी का % % of equity
अ. प्रवर्तक की शेयरधारिता			
A. Promoters' shareholding			
भारत सरकार / Government of India	1	11404910524	90.95
आ. संस्थाएं			
B.Institutions			
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक			
Foreign Portfolio Investors	17	10010137	0.08
वित्तीय संस्थाएं/बैंक / Financial Institutions/Banks	16	112292389	0.90
बीमा कंपनियां / Insurance Companies	12	388662341	3.10
म्यूचुअल फंड्स/ Mutual Funds	16	35028038	0.28
भारतीय रिजर्व बैक में पंजीकृत एनबीएफसी			
/ NBFCs Registered with RBI	3	502400	0.00
वैकल्पिक निवेश फंड/ Alternative Investment Funds	2	7073	0.00
भविष्य निधि/पेंशन निधि/Provident Funds/Pension Funds	1	14201270	0.11
इ/C. गैर-संस्थाएं / Non-Institutions			
i. ₹ 2 लाख तक के सामान्य शेयर पूंजी वाले वैयक्तिक शेयरधारक			
Individual shareholders holding nominal			
share capital up to ₹2 lakhs	835576	384408268	3.07
ii. ₹ 2 लाख से अधिक के सामान्य शेयर पूंजी वाले वैयक्तिक शेयरधारक			
Individual shareholders holding nominal			
share capital in excess of ₹ 2 Lakhs	2490	135214795	1.08
ई/D. अन्य/Others			
अनिवासी भारतीय / Non Resident Indians	3718	8716740	0.07
समाशोधन सदस्य / Clearing Members	3	1112	0.00
एचयूएफ/HUF	6024	15567644	0.12
कार्पोरेट निकाय / Bodies corporates	1183	28923619	0.23
न्यास / Trust	20	246776	0.00
विदेशी नागरिक / Foreign National	1	120	0.00
सॉव्रेन वैल्थ फ़ंड / Sovereign Wealth Fund	1	865733	0.01
योग/ TOTAL	**849084**	**12539558979**	**100.00**

7.4.2 31.03.2026 को शेयरधारिता श्रेणी का वितरण/Distribution of Shareholders Category wise as on 31.03.2026

शेयरों की संख्या की श्रेणी / Category No. of Shares)		शेयरधारकों की सं. No. of Share – Holders	कुल शेयरधारकों का % % of the total Shareholders	कुल शेयरों की सं. No. of Total Shares	कुल शेयरों का % % of the total Shares
से/From	तक/To				
1	5000	832505	98.05	268580416	2.14
5001	10000	9078	1.07	66847962	0.53
10001	20000	4655	0.55	66291589	0.53
20001	30000	1228	0.14	30610829	0.24
30001	40000	490	0.06	17060391	0.14
40001	50000	311	0.04	14265985	0.11
50001	100000	526	0.06	37902682	0.3
100001	और अधिक/and above	291	0.03	12037999125	96
	कुल/ TOTAL	849084	100.00	12539558979	100.00

7.4.3 दिनांक 31.03.2026 स्थिति के अनुसार बैंक के शीर्ष 10 शेयरधारक

7.4.3 Top 10 shareholders of the Bank as on 31.03.2026

क्र.सं. SN	शेयरधारक का नाम Name of the Shareholder	शेयरों की सं. No. of Share	कुल पूंजी में शेयर का % % if shares to total Capital
1	प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया /PRESIDENT OF INDIA	11404910524	90.95
2	लाइफ इंयोरेंस कॉरपोरेान ऑफ इंडिया		
	LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA	290046032	2.31
3	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड/		
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	66089584	0.53%
4	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड/SBI LIFE INSURANCE CO. LTD	28557046	0.23%
5	पंजाब नेशनल बैंक/PUNJAB NATIONAL BANK	15756558	0.13%
6	भारतीय प्रवासी बैंक/INDIAN OVERSEAS BANK	14201270	0.11%
7	पंजाब और सिंध बैंक/PUNJAB AND SIND BANK	14201270	0.11%
8	बैंक ऑफ बड़ौदा/BANK OF BARODA	14201270	0.11%
9	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया/CENTRAL BANK OF INDIA	13401270	0.11%
10	निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड/NIPPON LIFE INDIA TRUSTEE LTD	12426778	0.10%

7.5 कार्पोरेट लाभ/लाभांश इतिहास

शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश का विवरण निम्नानुसार है:

7.5 Corporate Benefits/Dividend History

Details of dividend paid to the shareholders are as under:

वर्ष Year	लाभांश प्रति शेयर (₹) Dividend Per Share (₹)	वर्ष Year	लाभांश प्रति शेयर (₹) Dividend Per Share (₹)
2003-04	0.80	2011-12	3.00
2004-05	1.00	2012-13	1.60
2005-06	-	2013-14 (अंतरिम/Interim)	2.00
		अंतिम/Final	1.00
2006-07	1.00	2014-15	2.00
2007-08	1.00	2015-16 to 2022-23	NIL
2008-09	1.00	2023-24	0.28
2009-10	1.50	2024-25	0.39
2010-11	3.00	2025-26	0.44

7.6.1. निवेशकर्ता शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अदत्त/अदावी लाभांश राशि का अंतरण

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 (बी)(1) के अनुसार जो लाभांश राशियां अदावी लाभांश खातों में अंतरित किए जाने की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अदत्त या अदावी रहती हैं उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेश शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दिया जाएगा। इन प्रावधानों का अनुपालन करते हुए बैंक ने वर्ष 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 2011-12, 2012-13, 2013-14 (अंतिरम एवं फाइनल) एवं 2014-15 का अदत्त लाभांश आईईपीएफ को अंतरित किया।

7.6.2. अदावी शेयर

बैंक के आरंभिक पब्लिक ऑफर जारी करने के बाद कुछ शेयर सर्टिफिकेट हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंटों के पास एप्लीकेशन फॉर्म में लिखे हुए पते के ठीक नहीं होने के कारण वापस लौट आए हैं। इसके बाद हुए परिवर्तन में बैंक को बोनाफाइड शेयर होल्डरों और ऐसे शेयरों के मालिकों से दावे अथवा अनुरोध प्राप्त होने हैं। सेबी एलओडीआर विनियम के अनुसार बैंक से अपेक्षा की जाती है कि वह बोनाफाइड शेयर होल्डरों अथवा उसके मालिकों से अब तक दावे न किए गए ऐसे शेयरों को डिमेटेरलाएज़ करे।

दिनांक 31.03.2026 तक जिन शेयरों का दावा नहीं किया गया है उनका विवरण इस प्रकार हैः

7.6.1 Transfer of Unpaid/Unclaimed Dividend amount to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

As per Section 10 (B) (1) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the dividend amounts which remain unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to unclaimed dividend accounts, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by Central Government. In pursuant to the above provisions, Bank transferred unclaimed dividend for the years 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 2011-12, 2012-13, 2013-14(interim and final) and 2014-15 to IEPF.

7.6.2. : Unclaimed Shares

Few of the share certificates were returned undelivered to our Registrar and Share Transfer Agents on account of improper address mentioned in the application forms and subsequent change in addresses of the shareholders. Bank is yet to receive claim/request from the bona fide shareholders/owners of such shares. As per the SEBI LODR Regulations, the Bank is required to dematerialize the shares which remained unclaimed by the bonafide shareholders/owners of such shares.

Following are details of the shares unclaimed as on 31.03.2026 :

क्र.सं. Sl No	विवरण Particulars	शेयरधारकों की संख्या No. of shareholders	शामिल शेयरों की संख्या No. of shares involved
i.	दिनांक 01.04.2025 की स्थिति के अनुसार अदावाकृत शेयर/ Shares unclaimed as on 01.04.2025	204	28100
ii.	वर्ष 2025-26 के दौरान दावाकृत और हिताधिकारी खाते में अंतरित शेयर/ Shares claimed and transferred to Beneficiary account during the year 2025-26	शून्य/NIL	शून्य/NIL
iii.	दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार अदावाकृत शेयर Shares unclaimed as on 31.03.2026	204	28100

असली धारक द्वारा दावा किए जाने तक दावा नहीं किए गए शेयरों के मामले में मताधिकार बद्धवत रहेगा।

The voting rights in respect of the unclaimed shares will remain frozen till the claim by the rightful owner.

7.7 बॉण्ड

7.7.1 बैंक ने समय-समय पर डिबेंचर प्रकृति के असुरक्षित, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बॉण्ड उठाए हैं। दिनांक 31.03.2026 को ऐसे बकाया बांडों का विवरण इस प्रकार हैः

7.7 BONDS

7.7.1 The Bank has raised unsecured, redeemable, non-convertible bonds in the nature of debentures from time to time. The details of such bonds outstanding as on 31.03.2026 are as follows:

क्र.सं. SN.	निर्गम विवरण Issue Description	आईएसआईएन नं. ISIN No.	आकार (₹ करोड़ में) Size (₹ in Rs. Crore)	निर्गम की तारीख Date of Issue	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	क्रय विकल्प की तारीख Call option date
1.	9.644% बासेल III टियर II बॉण्ड (शृंखला II) 9.644% Basel III Tier II Bonds (Series II)	INE691A08054	500	28.06.2019	28.06.2029	क्रय विकल्प नहीं No Call option
2.	9.71% बासेल III टियर II बॉण्ड (शृंखला III) 9.71% Basel III Tier II Bonds (Series III)	INE691A08062	500	16.12.2019	16.12.2029	क्रय विकल्प नहीं No Call option
3.	8.51% बासेल III टियर II बॉण्ड (शृंखला IV) 8.51% Basel III Tier II Bonds (Series IV)	INE691A08070	400	22.03.2022	22.03.2032	को या इसके बाद On or after 22.03.2027
4.	8.51% बासेल III टियर II बॉण्ड (शृंखला IV) 8.51% Basel III Tier II Bonds (Series IV)	INE691A08088	100	31.03.2022	31.03.2032	को या इसके बाद On or after 31.03.2027
5.	9.50% बासेल III टियर II बॉण्ड (शृंखला I) 9.50% Basel III AT I Bonds (Series I)	INE691A08096	500	17.03.2023	लागू नहीं/NA	को या इसके बाद On or after 17.03.2028

7.7.2 निर्गत करने के लिए बॉण्ड ट्रस्टी:

बैंक ने उपर्युक्त सभी बॉण्ड निर्गम बॉण्ड के निवेशकों के हितों के बचाव एवं सुरक्षा के लिए बॉण्ड ट्रस्टी के रूप में मेसर्स आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, मुंबई को नियुक्त किया है। ट्रस्टी का पता नीचे दिया गया है:

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड
एशियन भवन, भू-तल,
17, आर कमानी मार्ग, बल्लार्ड एस्टेट
मुंबई - 400 001. फोनः (002) 40807000;
ई-मेलः itsl@idbitrustee.com

सेंटबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया-एमएमओ बिल्डिंग,
तीसरी मंजिल (पूर्वी विंग), 55 एमजी रोड, फोर्ट,
मुंबई 400001.दूरभाषः (022) 2261 6217
ई-मेलः md@cfsl.in

7.7.2 Bond Trustee to the Issue:

The Bank has appointed IDBI Trusteeship Services Ltd., Mumbai and Centbank Financial Services Limited as Bond Trustees to the Bond Issues, to safeguard and to protect the interest of the investors of the Bonds. Address of the Trustees are given below:

IDBI Trusteeship Services Ltd.
Asian Building, Ground Floor,17,
R Kamani Marg, Ballard Estate
Mumbai - 400 001.
Tel: (022) 40807000;
e-mail: itsl@idbitrustee.com

Centbank Financial Services Ltd.
Central Bank of India-MMO Bldg,
3rd Floor (East Wing),
55 MG Road, Fort,
Mumbai 400001.
Tel: (022) 2261 6217
E-mail: md@cfsl.in

7.7.3 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार बैंक द्वारा निर्गत बॉन्ड क्रेडिट रेटिंग/
Credit Rating of Bonds Issued By The Bank As On 31.03.2026

रेटिंग एजेंसी का नाम **Name of the Rating Agencies**	**9.644% बासेल III टियर II बॉण्ड शृंखला II** **9.644% Basel III Tier II Bonds Series II**	**9.71% बासेल III टियर II बॉण्ड शृंखला II** **9.71% Basel III Tier II Bonds Series III**	**8.51% बासेल III टियर II बॉण्ड शृंखला IV** **8.51% Basel III Tier II Bonds Series IV**	**8.51% बासेल III टियर II बॉण्ड शृंखला IV** **8.51% Basel III Tier II Bonds Series V**	**9.50% बॉण्ड श्रृंखला XII बासेल III शृंखला I** **9.50% Basel III At I Bonds (Series I)**
इंडिया रेटिंग एवं रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड India Rating & Research Pvt. Ltd.	(एए / स्थिर) (AA / Stable)	(एए / स्थिर) (AA / Stable)	(एए / स्थिर) (AA / Stable)	(एए / स्थिर) (AA / Stable)	---
एक्विट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड Acuite Ratings & Research Ltd.	(एए / स्थिर) (AA / Stable)	(एए / स्थिर) (AA / Stable)	---	---	(एए- / स्थिर) (AA- / Stable)
केयर रेटिंग लिमिटेड Care Rating Ltd.	---	---	---	(एए / स्थिर) (AA / Stable)	---
इंफोमेरिक्स वैल्यूएशंस एडं रेटिंग प्रा. लिमिटेड Infomerics Valuations and Rating Pvt. Ltd.	---	---	---	---	(एए- / पॉजिटिव) (AA- / Positive)

7.7.4 31.03.2026 को सर्टिफिकेट ऑफ डिपाजिट पर केडिट रेटिंग

रेटिंग एजेंसी का नाम	रेटिंग	मूल्यांकित राशि रू. करोड़ में
क्रिसिल रेटिंग लिमिटेड	ए1+	10000

7.7.4 Credit Rating on Certificate of Deposits as on 31.03.2026

Name of Rating Agency	**Rating**	**Rated Amount (Rs. in crore)**
CRISIL Ratings Limited	A1+	10000

8.0 प्रकटीकरण :

बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 द्वारा शासित होता है। सेबी के निदेशों के अनुसार सूचीबद्ध सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर लागू, सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्कताएं) विनियम, 2015 के प्रावधान उसी सीमा तक लागू होंगे कि वह उन पर लागू संबंधित कानूनों एवं इस संबंध में भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों का अतिक्रमण नहीं करता है।

8.1 निदेशकों का पारिश्रमिक :

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्नलिखित है।

8.0. Disclosures:

The Bank is governed under the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1970, and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are being complied to the extent it is not inconsistent with the Banking Laws i.e. Banking Regulation Act 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 and the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. In case of inconsistency, Banking laws have been followed.

8.1. Remuneration of Whole time Directors:

Following are the details of remuneration paid to whole time director during the financial year 2025-26.

क्रमांक **Sr No**	नाम **Name**	मूल वेतन **Basic Pay**	महंगाई भत्ता **Dearness Allowance**	बकाया **Arrear**	प्रोत्साहन/ अन्य भत्ते **Incentive/ other allowances**	कुल **Total**	पीएफ/एनपीएस बैंक अंदान **PF / NPS Bank Contribution**	कुल योग **Grand Total**
1	अविनी कुमार प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी Shri Ashwani Kumar Managing Director & Chief Executive Officer	26.34	15.21	-	22.45	64.01	2.63	66.64
2	श्री राजेंद्र साबू कार्यकारी निदेशक Shri Rajendra Saboo Executive Director	26.69	15.41	10.70	21.50	74.30	3.38	77.68
3	श्री विजय एन कांबले कार्यकारी निदेशक Shri Vijay N Kamble Executive Director	22.35	12.91	-	19.10	54.35	2.23	56.59

8.1.1 गैर-कार्यकारी निदेशक को भुगतान की गई बैठक शुल्कः

बैंक गैर-कार्यकारी निदेशकों को बैठक शुल्क के अलावा कोई पारिश्रमिक नहीं देता है। निदेशकों को देय निम्नलिखित बैठक शुल्क को 28.11.2025 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदित किया गया था, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में निदेशकों के लिए बैठक शुल्क में संशोधन के संबंध में भारत सरकार के दिनांक 28.10.2025 के परिपत्र के अनरूप है।

8.1.1 Sitting Fee paid to Non-Executive director:

The Bank does not pay any remuneration to the non-Executive Directors except sitting fees. The following sitting fees payable to Directors were approved by the Board of Directors at its meeting held on 28.11.2025, in line with the Government of India circular dated 28.10.2025 regarding revision of sitting fees for Directors on the Boards of Public Sector Banks.

क्रम संख्या/ Sl No.	बैठक Meetimng	राशि (रु.) Amount (Rs.)
क a	बोर्ड बैठक में भाग लेने के लिए For attending Board meeting	60,000
ख b	बोर्ड समिति की बैठक में भाग लेने के लिए For attending meeting of Board Committee	30,000
ग c	बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करने के लिए [उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त] For chairing Board meeting [in addition to (a) above]	15,000
घ d	बोर्ड समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए [उपर्युक्त (ख) के अतिरिक्त] For chairing meeting of Board Committee [in addition to (b) above]	7,500

गैर-कार्यकारी निदे**श**क को भुगतान करने के मानदंड बैंक की वेबसाइट (https://ucobank.com/documents/d/guest/criteria-of-making-payments-to-non-executive-directors) पर उपलब्ध हैं।)

(बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(बी) एवं 9(3)(सी) के अंतर्गत नियुक्त/नामित बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यकारी निदेशकों, सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा सरकार द्वारा नामित आरबीआई नामित निदेशक

The criteria for making payment to non-executive director is hosted on the Bank's website (https://uco.bank.in/documents/d/guest/criteria-for-making-payment-to-non-executive-director-latest)

Sitting fees are not paid to the Managing Director and CEO, Executive Directors of the Bank, Government Nominee Director and Government nominated RBI Nominee Director appointed / nominated under Section 9(3)(b) and 9(3)(c) of the Banking Companies (Acquisition and transfer of Undertakings) Act, 1970

को बैठने की फीस नहीं दी जाती है। वर्ष 2025-26 के दौरान भुगतान की गई बैठने की फीस का विवरण निम्नानुसार है) :

respectively. Details of sitting fee paid during the Year 2025-26 are as under :

क्र. सं. Sl No.	निदेशक का नाम Name of the Director	राशि (रु.) Amount (Rs)
1.	श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार / Shri Aravamudan Krishna Kumar	14,35,000.00
2.	श्री रवि कुमार अग्रवल/Shri Ravi Kumar Agrawal	14,42,500.00
3.	श्री अंजन तालुकदार/Shri Anjan Talukdar	14,77,500.00
4.	श्री सुभाष शंकर मालिक/Shri Subhash Shankar Malik	10,42,500.00
5.	श्री राजेश कुमार अलावादी, शेयरधारक निदेशक दिनांक 08.03.2026 से प्रभावी Shri Rajesh Kumar Ailawadi, Shareholder Director w.e.f. 08.03.2026	2,10,000.00
6.	सुश्री रचना खरे, शेयरधारक निदेशक 25.12.2025 तक Ms. Rachna Khare, Shareholder Director up to 25.12.2025	10,65,000.00

8.2 भौतिक लेनदेन तथा आर्थिक संबंध का प्रकटीकरण :

बैंकिंग कारोबार के सामान्य अनुक्रम के अतिरिक्त बैंक ने अपने प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन आदि के साथ कोई ऐसा तात्विक उल्लेखनीय लेनदेन नहीं किया है जो बैंक के व्यापक हितों पर संभावित संकट पैदा कर सके। वर्ष के दौरान बैंक के परिप्रेक्ष्य में गैर-कार्यपालक निदेशक का कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं था।

बैंक के निदेशक तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता के अनुपालन में निदेशकगण, निदेशक मंडल या उसकी उपसमितियों की उन बैठकों में होने वाले विचार-विमर्श में भाग नहीं लेते हैं जिनमें निदेशकगण या उनके नातेदारों से संबंधित मामलों पर चर्चा की जाती है।

8.3 वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने पूंजी जुटाने के किसी भी विकल्प के माध्यम से धन नहीं जुटाया है।

8.4. 31 मार्च, 2026 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाज़ार से संबंधित किसी भी मामले पर सेबी या किसी अन्य सांविधिक/ नियामक प्राधिकरण द्वारा बैंक पर कोई गैर-अनुपालन का आरोप, दंड, आक्षेप नहीं लगाया गया है।

8.5 बैंक के संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण 31.03.2025 के तुलन-पत्र के लेखे पर नोट में किया गया है। संबंधित पार्टी लेनदेन से संबंधित नीति बैंक की वेबसाइट के तहत https:// www.ucobank.com/pdf/Policy-on-dealing-with-related-party-transactions.pdf पर दी गई है।

8.6 बैंक पण्य बाजार की गतिविधियां नहीं करता है; इसलिए पण्य मूल्य जोखिम और पण्य हेजिंग गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

8.7 दिनांक 31 मार्च, 2025 को निदेशक मंडल के निदेशकों के बीच कोई अंतर्संबन्ध नही है।

8.8 बैंक सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और सूचनाओं के संरक्षण (पीआईडीपीआई) संकल्प के तहत व्हिसल ब्लोअर नीति की शिकायतों पर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों का पालन करता है। बैंक ने व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार की है जो बैंक की वेबसाइट https:// uco.bank.in/documents/d/guest/whistle-blower-policy

8.2. Disclosure of Material Transactions and Pecuniary relationship:

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its directors or the management etc. that may have potential conflict with the interest of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive director vis-à-vis the Bank during the year.

In compliance of the Code of Conduct for Directors and Senior Management of the Bank, Directors do not take part in the deliberations of the Board and its sub-committees when the matters relating to them or their relatives are discussed.

8.3. During the Financial year 2025-26, Bank has not raised fund through any capital raising options.

8.4. There is no instance of non-compliance, penalties, strictures imposed on the Bank by SEBI or any other statutory/regulatory authority on any matter related to Capital Markets during the last three year ended on 31st March, 2026.

8.5. The related party transactions of the Bank are disclosed in the Note to accounts of the Balance Sheet as on 31.03.2026. The Policy on dealing with Related Party Transactions placed on website of the Bank under https://www.ucobank.com/pdf/Policy-on-dealing-with-related-party-transactions.pdf

8.6 The Bank does not undertake commodity market activities; hence there is no information on Commodity price risk and Commodity hedging activities.

8.7 Directors on the board have no inter se relationship as on 31st March, 2026.

8.8 Bank follows Central Vigilance Commission (CVC) guidelines on Whistle Blower policy complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. Bank has framed Whistle Blower Policy which is available on the Bank's website at https:// uco.bank.in/documents/d/guest/whistle-blower-policy

8.9 किसी भी कर्मी को निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति तक पहुँचने से वंचित नहीं किया गया है।

8.10 बैंक ने सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34 और अनुसूची V के तहत प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है और सेबी/कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय एवं किसी भी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए गए किसी भी निदेशक को प्रतिबंधित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। (प्रमाण पत्र अनुलग्नक III के रूप में संलग्न है।

8.11 गैर-कार्यकारी/स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किये गये परिचय कार्यक्रमों का विवरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है https://uco.bank.in/documents/d/guest/details-of-familiarilization-programmes-imparted-to-non-executive-_independent-directors-2024-25_2025-26.

8.12 बैंक का लाभांश वितरण दिशानिर्देश बैंक की वेबसाइट https://uco.bank.in/documents/d/guest/dividend-distribution-guidelines-2025-26.

8.13 सांविधिक लेखा परीक्षकों और नेटवर्क फर्म/नेटवर्क इकाई जिसका सांविधिक लेखा परीक्षक एक हिस्सा है, को समेकित आधार पर बैंक द्वारा भुगतान की गई सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क :

8.9 No personnel have/ has been denied access to the Audit Committee of the Board.

8.10 The Bank has obtained certificate under Regulation 34 and schedule V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and none of the directors have been debarred or disqualified from being appointed by SEBI/ Ministry of Corporate Affairs and any statutory authority. Certificate is annexed as Annexure III.

8.11 Details of familiarisation programmes imparted to Non-Executive /Independent Directors is available on the bank's website at https://uco.bank.in/documents/d/guest/details-of-familiarilization-programmes-imparted-to-non-executive-_independent-directors-2024-25_2025-26.

8.12 Dividend Distribution Policy of the Bank is available on Bank's Website at https://uco.bank.in/documents/d/guest/dividend-distribution-guidelines-2025-26.

8.13 Total fees for all services paid by the bank, on a consolidated basis to the Statutory Auditors and all entities in the network firm/network entity of which the statutory auditor is a part:

लेखापरीक्षकों 'शुल्क एवं व्यय' (शाखा लेखापरीक्षकों सहित) Auditors 'fee and expenses (including Branch auditors)	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2025
	रु./Rs. 51.50 करोड़/crore	रु./Rs. 45.60 करोड़/crore

8.14 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरणः

8.14 Disclosure in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:

वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या Number of Complaints filed during the Financial year	05
वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्या Number of Complaints disposed off during the year	04
वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending as on end of the financial year	01

8.15 यूको बैंक की कोई सहायक कंपनी नहीं है।

8.16 वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) 2015 के अनुसूची III के भाग A के अनुच्छेद A के अनुच्छेद 5ए के तहत निर्दिष्ट किए गए समझौते में प्रवेश नहीं किया।

8.15 UCO Bank does not have any subsidiaries.

8.16 During the FY 2025-26, Bank has not entered into any agreement as stipulated under clause 5A of Paragraph A of Part A of Schedule III of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) 2015.

9.0 विवेकाधीन आवश्यक्ताओं का अनुपालन

बैंक ने समय - समय पर सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, यथासंशोधित, में प्रदान की गई सभी लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। विवेकाधीन आवश्यकताओं के कार्यान्वयन सीमा निंम्नानुसार है :

9.0 COMPLIANCE TO DISCRETIONARY REQUIREMENTS

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time. The extent of implementation of discretionary requirements is as under:

क्र.सं. SN	विवेकाधीन आवश्यकताएं Discretionary Requirements	अनुपालन की स्थिति Status of Implementation
1.	**निदेशक मंडल / The Board** गैर-कार्यकारी अध्यक्ष को सूचीबद्ध इकाई के खर्च पर अध्यक्ष के कार्यालय को चलाने का हकदार होगा है और उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहण में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति की भी अनुमति होगी। A non-executive chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his/her duties.	भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 21.02.2024 के माध्यम से, श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार को यूको बैंक के बोर्ड में गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। Government of India vide its notification dated 21.02.2024, had appointed Shri Aravamudan Krishna Kumar as Non-Executive Chairman, on the Board of UCO Bank
2.	**शेयरधारक का अधिकार / Shareholders Rights** पिछले छह महीनों की महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय प्रदर्शन की छमाही घोषणा, प्रत्येक शेयरधारकों के घर में भेजी जा सकती है। A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.	बैंक वित्तीय परिणाम को वेबसाइट पर अपलोड कर अनुपालन सुनिश्चित करता है। The Bank ensures compliances by submitting the financial results to stock exchanges and uploading the same on Bank's website.
3.	**ऑडिट रिपोर्ट में संशोधित राय** सूचीबद्ध इकाई वित्तीय विवरणों की व्यवस्था की ओर अनाशोधित लेखा परीक्षा विक्ल्प की ओर बढ़ सकती है। **Modified opinion(s) in audit report** The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट अनधिकृत है। The Audit Report on the financial statements is unqualified.
4	**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रथक-पृथक पद** सूचीबद्ध इकाई अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है, जैसे कि अध्यक्ष - (ए) एक गैर-कार्यकारी निदेशक हो ; और (बी) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित 'रिश्तेदार' शब्द की परिभाषा के अनुसार प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी से संबंधित न हों। **Separate posts of Chairperson and the Managing Director or the ChiefExecutive Officer** The listed entity may appoint separate persons to the post of the Chairperson and the Managing Director or the Chief Executive Officer, such that the Chairperson shall - (a) be a non-executive director; and (b) not be related to the Managing Director or the Chief Executive Officer as per the definition of the term "relative" defined under the Companies Act, 2013.	भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 21.02.2024 के माध्यम से, श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार को यूको बैंक के बोर्ड में गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके अलावा, श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार का प्रबंध निदेशक एवं सीईओ से कोई संबंध नहीं है। Government of India vide its notification dated 21.02.2024, had appointed Shri Aravamudan Krishna Kumar as Non-Executive Chairman, on the Board of UCO Bank. Further, Shri Aravamudan Krishna Kumar is not related with Managing Director and CEO.

क्र.सं. विवेकाधीन आवश्यकताएं SN Discretionary Requirements	अनुपालन की स्थिति Status of Implementation
5. **आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग / Reporting of Internal Auditor** आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकता है। The Internal Auditor may report directly to the Audit Committee.	बैंक का अपना आंतरिक लेखा परीक्षा / निरीक्षण होता है और उनकी रिपोर्ट को समय-समय पर लेखापरीक्षा समिति के पास समीक्षा के लिए रखा जाता है। The Bank has its own Internal Audit/Inspection and their report are periodically placed to the Audit Committee for review.
6. **स्वतंत्र निदेशक** बाजार पूंजीकरण के अनुसार शीर्ष 2000 सूचीबद्ध संस्थाओं के स्वतंत्र निदेश कों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित करने का प्रयास करना चाहिए, जिसमें गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति न हो और सभी स्वतंत्र निदेशक ऐसी बैठकों में उपस्थित रहने का प्रयास करेंगे। **Independent Directors** The independent directors of top 2000 listed entities as per market capitalization shall endeavour to hold at least two meetings in a financial year, without the presence of non-independent directors and members of the management and all the independent directors shall endeavour to be present at such meetings.	वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की दो बैठकें आयोजित की गईं। बैठक में सभी स्वतंत्र निदेशक उपस्थित थे। Two meetings of independent directors were held during the FY 2025-26. All the independent directors were present in the meeting.

बैंक ने सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27 एवं विनियम 46 (2) के खंड (ख) से (झ) तथा अनुसूची V के पैरा ग, घ और ङ में निर्दिष्ट कॉरपोरेट गवर्नेंस आवश्यकताओं का अनुपालन इस सीमा तक किया है कि विनियमों की आवश्यकताएं बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों और समय-समय पर भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित दिशा-निर्देशों और निदेशों का उल्लंघन नहीं करती हैं।

The Bank has complied with Corporate Governance requirements specified in Regulation 17 to 27 and clauses (b) to (i) of Regulation 46(2) and para C , D and E of Schedule V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, to the extent that the requirements of the regulations do not violate the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1970 and the relative guidelines and directions issued by Government of India/Reserve Bank of India from time to time.

10.0. कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

एसईबीआई (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 के तहत आवश्यकतानुसार, वैधानिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों द्वारा जारी वर्ष 2025-26 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है और इसे अनुलग्नक I के रूप में संलग्न किया गया है।

10.0. AUDITORS REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

As required under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Auditors' Certificate on Corporate Governance for the year 2025-26 issued by the Statutory Central Auditors has been obtained and the same is annexed as Annexure I.

11.0. सीईओ और सीएफओ प्रमाणपत्र

एसईबीआई (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशन, 2015 के तहत वर्ष 2025-26 के लिए सीईओ और सीएफओ का प्रमाण पत्र निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया जाता है और यह कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट 2025-26 का अभिन्न अंग है, जिसे अनुलग्नक II के रूप में संलग्न किया गया है।

11.0. CEO & CFO CERTIFICATE

The Certificate of CEO & CFO under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for the year ended 2025-26, is submitted to the Board of Directors and the same is annexed as Annexure II.

12.0. बैंक-आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि

मैं घोषणा करता हूं कि निदेशक मंडल के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

12.0. AFFIRMATION OF COMPLIANCE WITH THE BANK'S CODE OF CONDUCT

I declare that all Board Members and Senior Management have affirmed compliance with the Bank's Code of Conduct for the Financial Year 2025-26.

कृते यूको बैंक

ह/-

(श्री अश्वनी कुमार)
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

For UCO Bank

sd/-

(Shri Ashwani Kumar)
Managing Director &
Chief Executive Officer

अनुलग्नक-I

कार्पोरेट अभिशासन से संबंधित लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

निदेशक मंडल,
यूको बैंक,
प्रधान कार्यालय,
10, वि.त्रै.म. सरणी
कोलकाता-700001

हमने सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनिमय, 2015 में यथाविनिर्दिष्ट 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए यूको बैंक द्वारा कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई क्रियाविधि और उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित रही। यह न तो लेखापरीक्षा और न ही बैंक के वित्तीय विवरण के बारे में राय की अभिव्यक्ति है।

बैंक द्वारा धारित अभिलेखों और दस्तावेजों के बारे में हमारी समीक्षा तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त विनियमो में यथाविनिर्दिष्ट कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन उस हद तक किया है कि वे आर.बी. आई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं करते हैं।

हम स्पष्ट करते हैं कि रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के अनुसार बैंक के खिलाफ 31 मार्च 2026 तक 14 निवेशक शिकायत लंबित है।

हम आगे यह भी कथित करते हैं कि यह अनुपालन बैंक के कार्य संपादन में प्रबंधन की दक्षता या प्रभाविता अथवा बैंक की भावी लाभप्रदता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है।

कृते पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार,
एफआरएन 008567C

(सीए प्रबुद्ध गुप्ता)
भागीदार
एमआरएन 400189
यूडीआईएनः 26400189BROTAS4746

कृते संजय दीप एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार,
एफआरएन 015951N

(सीए नकुल मित्तल)
भागीदार
एमआरएन 521742
यूडीआईएनः 26521742RBXCRP1028

कृते पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार,
एफआरएन 005223C

(सीए रुचि अग्रवाल)
भागीदार
एमआरएन 504134
यूडीआईएनः 26504134CMOXRY6243

कृते एच डी एस जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार,
एफआरएन 002871N

(सीए विनोद कुमार फतेहपुरिया)
भागीदार
एमआरएन 098709
यूडीआईएनः 26098709ABQMHS6600

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 25-04-2026

Annexure - I

Auditor's Certificate on Corporate Governance

To
The Board of Directors,
UCO Bank
Head Office,
10, B.T. M. Sarani
Kolkata – 700 001

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by UCO Bank for the year ended 31st March 2026, as stipulated in SEBI (Listing obligations and disclosure requirements) Regulations, 2015.

The compliance of the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion of the Financial Statements of the Bank.

On the basis of our review of records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us, in our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above-mentioned Regulations to the extent these do not violate RBI guidelines.

We state that there are 5 investor grievances pending as on 31st March 2026 against the Bank as per the records maintained by the Registrar and Share Transfer Agent.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For P S M G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 008567C

(CA PRABUDDHA GUPTA)
Partner
MRN 400189
UDIN: 26400189BROTAS4746

For SANJAY DEEP & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 015951N

(CA NAKUL MITTAL)
Partner
MRN 521742
UDIN: 26521742RBXCRP1028

FOR P V A R & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 005223C

(CA RUCHI AGARWAL)
Partner
MRN 504134
UDIN: 26504134CMOXRY6243

For H D S G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 002871N

(CA VINOD KUMAR FATEHPURIA)
Partner
MRN 098709
UDIN: 26098709ABQMHS6600

Place : Kolkata
Dated : 25-04-2026

अनुलग्नक-II

निदेशक मंडल
यूको बैंक
प्रधान कार्यालय
कोलकाता

विषय : सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत अनुपालन का प्रमाण पत्र

महोदय,

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुपालन में हम निम्न प्रकार से प्रमाणित करते हैंः

क) हमने बैंक के वर्ष 2025-26 के वित्तीय विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार-

i. इन विवरणों में कोई तात्विक असत्य विवरण अंतर्विष्ट नहीं है या किसी तात्विक तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या कोई भ्रामक विवरण अंतर्विष्ट नहीं है,

ii. ये दोनों विवरण बैंक के क्रियाकलापों का सही एवं उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं और ये विद्यमान लेखांकन मानकों, लागू विधियों एवं विनियमों के अनुपालन में हैं।

ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक द्वारा ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अनियमित है या बैंक की आचार संहिता का अतिक्रमण करता है।

ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किया है। इसके साथ ही हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की ऐसी रूपरेखा या परिचालन संबंधी कमियों, यदि हों, का प्रकटीकरण किया है जिनका हमें पता चला है और इन कमियों को दूर करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए या प्रस्तावित कदमों का भी हवाला दिया है।

घ) हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया हैः

i. वर्ष 2025-26 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में उल्लेखनीय परिवर्तन

ii. वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में उल्लेखनीय परिवर्तन तथा उसका प्रकटीकरण वित्तीय विवरण से संबंधित नोट में किया गया है; और

iii. हमारी जानकारी में आए उल्लेखनीय कपट के मामले और उसमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रबंधन या बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में उल्लेखनीय भूमिका अदा करनेवाले किसी कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई हो।

भवदीय,

ह/-
सुजय दत्ता
मुख्य वित्त अधिकारी

भवदीय,

ह/-
अश्वनी कुमार
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: कोलकाता
दिनांक : 25.04.2026

Annexure-II

To
The Board of Directors
UCO Bank
Head Office
Kolkata

Sub: Compliance Certificate under Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sirs,

Pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby certify that:

a) We have reviewed the financial statements and cash flow statement of the Bank for the year 2025-26 and to the best of our knowledge and belief:
   i. these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statement that might be misleading;
   ii. these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year 2025-26 which are fraudulent, illegal or violates Bank's Code of Conduct.

c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d) We have indicated to the Auditors and Audit Committee
   i. significant changes in internal control over financial reporting during the year 2025-26.
   ii. significant changes in accounting policies during the year and the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
   iii. instances of significant fraud which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significantrole in the Bank's internal control system over financial reporting.

For UCO Bank
Yours faithfully,

Sd/-
Sumit Khandelwal
Chief Financial Officer

For UCO Bank
Yours faithfully,

Sd/-
Ashwani Kumar
Managing Director &
Chief Executive Officer

Place: Kolkata
Date : 25.04.2026

अनुलग्नक-III

निदेशकों की अयोग्यता प्रमाण पत्र

[सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 34(3) और अनुसूची V पैरा सी खंड 10(i) के अनुसार]

सेवा में,
सदस्यगण
यूको बैंक
10, बीटीएम सरणी, कोलकाता -70001

मैंने यूको बैंक, जिसका पंजीकृत कार्यालय 10, बीटीएम सरणी, कोलकाता - 700001 पर स्थित है (जिसे आगे 'बैंक' कहा गया है), से संबंधित आवश्यक रजिस्टर, अभिलेख, प्रपत्र, रिटर्न और प्राप्त प्रकटीकरणों की जाँच की है, ताकि यह प्रमाण पत्र *भारतीय प्रतिभूति और विनिमय* बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) के साथ पढ़े गए अनुसूची V, पैरा-C, उपखंड 10(i) के अनुसार जारी किया जा सके।

हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा निदेशकों से संबंधित अभिलेखों और दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर, हम यह प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए यूको बैंक के निदेशक मंडल में शामिल कोई भी निदेशक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड / कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से अयोग्य या अपवर्जित नहीं किया गया है।

क्रमांक/Sl No.	निदेशक का नाम / Name of Director	नियुक्ति की तारीख/Date of Appointment
1.	अरवमुदन कृष्ण कुमार	21.02.2024
2.	अश्वनी कुमार	01.06.2023
3.	राजेन्द्र कुमार साबू	21.11.2022
4.	विजयकुमार निवृत्ति कांबले	09.10.2023
5.	सुधीर श्याम	13.05.2024
6.	डॉ. सारदा प्रसन मोहन्ती	05.08.2024
7.	सुभाष शंकर मलिक	08.05.2023
8.	राजेश कुमार ऐलावाड़ी	08.03.2026
9.	रवि कुमार अग्रवाल	11.04.2025
10.	अंजन तालुकदार	11.04.2025

बैंक के निदेशक मंडल में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिचित करना बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी केवल हमारे सत्यापन के आधार पर इस संबंध में एक राय व्यक्त करने तक सीमित है। यह प्रमाण पत्र न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के संबंध में कोई आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

ए सारस्वत एंड एसोसिएट्स
प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज

अनुज सारस्वत
संख्या - F10444
सी ओ पी - 13568
पीयर रिव्यू संख्या - 2539/2022
यूडीआईएन - F010444H000312383

स्थान: कोलकाता
दिनांक : 08.05.2026

Annexure-III

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

[Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C Clause 10(i) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

To,
The Members,
UCO Bank
10,BTM Sarani, Kolkata-70001

I have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the UCO Bank, having Registered Office at 10, BTM Sarani, Kolkata, 700001 (hereinafter referred to as "the Bank"), for the purposes of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Based on information and explanations given to us and on verification of the relevant records and documents related to Directors of UCO bank, we hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ended on 31st March, 2026 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors by the Securities and Exchange Board of India/ Ministry of Corporate affairs or any such other Statutory Authority:

Sl No.	Name of Director	Date of Appointment
1.	ARAVAMUDAN KRISHNA KUMAR	21.02.2024
2.	ASHWANI KUMAR	01.06.2023
3.	RAJENDRA KUMAR SABOO	21.11.2022
4.	VIJAYKUMAR NIVRITTI KAMBLE	09.10.2023
5.	SUDHIR SHYAM	13.05.2024
6.	SARADA PRASAN MOHANTY	05.08.2024
7.	SUBHASH SHANKAR MALIK	08.05.2023
8.	RAJESH KUMAR AILAWADI	08.03.2026
9.	RAVI KUMAR AGRAWAL	11.04.2025
10	ANJAN TALUKDAR	11.04.2025

Ensuring the eligibility for the appointment/ continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For **A Saraswat & Associates**
Practicing Company Secretaries

Anuj Saraswat
No. - F10444
COP - 13568
Peer Review No -2539/2022
UDIN: F010444H000312383

Place: Kolkata
Date: 08-05-2026

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

(सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियमन 24ए के अनुसरण में)

प्रति
सदस्यगण
यूको बैंक
10, बीटीएम सारणी,
कोलकाता - 700001

यूको बैंक (जिसे आगे बैंक कहा जाएगा) द्वारा प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा उत्तम कार्पोरेट व्यवहार के प्रति निष्ठा पर हमने सचिवीय लेखा परीक्षा की है। यह सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार से की गई है कि उससे कार्पोरेट आचरणों /सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन करने का तर्कसंगत आधार मिले। हम इसपर अपना विचार इस प्रकार व्यक्त करते हैं.

सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान बहियों, कागजात, कार्यवाही बहियों, दाखिल किए गए फार्मों तथा रिटर्नों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों, वेबसाइट, बैंक द्वारा स्टाक एक्सचेंजों की गई फाइलिंग तथा प्रस्तुतियां तथा बैंक, उसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के हमारे द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि 31 मार्च 2026 को समाप्त हुए वितीय वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान हमारे विचार से बैंक ने नीचे सूचीकृत सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि बैंक में नीचे दी हुई रिपोर्टिंग की सीमा तक, उसी तरीके से तथा उसके अध्यधीन निदेशक मंडल प्रक्रिया तथा अनुपालन -प्रणाली विद्यमान हैः

हमने बहियों, कागजात, कार्यवाही बहियों, दाखिल किए गए रिटर्नों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों 31 मार्च, 2026 की निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुरूप जांच की हैः

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम (जहाँ तक लागू हों);

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए)(यथा संशोधित) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(iii) डिपॉजिटरीज अधिनियम, 1996 और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम;

(iv) (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक बनाए गए नियम और विनियम)

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देशः-

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और टेकओवर) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018 (लेखा परीक्षण अवधि के दौरान बैंक पर प्रयोज्य नहीं);

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ एवं उद्यम इक्विटी) विनियम, 2021 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान प्रयोज्य नहीं);

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर परिवर्तनीय प्रतिभूतियों को जारी और सूचीबद्ध करना) विनियम, 2021;

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंट का रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 (जहाँ तक लागू हों);

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2009 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान प्रयोज्य नहीं).

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद) विनियम, 1998 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान प्रयोज्य नहीं)

(झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड प्केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) पंजीकरण एजेंसीफ विनियमन, 2011

(ञ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जमाकर्ताओं एवं प्रतिभागियों) विनियमन, 2018;

(v) बैंक पर विशिष्ट रूप से प्रयोज्य अन्य विधिः

- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949
- वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (एसएआरएफ़एईएसआई)
- बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970,

- राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970
- यूको बैंक सामान्य विनियम, 1998
- यूको बैंक (शेयर तथा बैठकें) संशोधित विनियम, 2003
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

हमने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 के अनुपालन की भी जॉच की है।

हमने यह अवलोकन किया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत कुछ मामलों में निर्धारित समय-सीमा के पश्चात उत्तर प्रदान किया गया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों के उपबंधों, दिशानिर्देशों, मानदंडों का अनुपालन किया है:

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि,

बैंक के निदेशक मंडल की संरचना बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होती है, जिसमें निदेशक मंडल में कार्यकारी एवं गैर-कार्यकारी निदेशकों के मध्य संतुलित प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। बैंक के निदेशक मंडल में शेयरधारक निदेशक को छोड़कर सभी निदेशक वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित/नियुक्त किए जाते हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में किए गए परिवर्तन उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए।

तथापि, यह देखा गया कि बैंक के श्रमिक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक निदेशक, गैर-श्रमिक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक निदेशक तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट श्रेणी के अंतर्गत एक निदेशक का नामांकन अभी तक केंद्र सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के अनुरूप नहीं किया गया है। इस संबंध में रिक्त पदों को भरने हेतु मामला वित्त मंत्रालय एवं वित्तीय सेवा विभाग को संदर्भित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि बैंक शीर्ष 500 सूचीबद्ध संस्थाओं में शामिल है, तथापि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवयकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ए) के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधानों के अनुसार 25 दिसंबर 2025 से निदेशक मंडल में कोई स्वतंत्र महिला निदेशक उपलब्ध नहीं थी।

बैंक ने आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार बोर्ड की ऑडिट कमेटी (एसीबी) का गठन किया है। निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण ऑडिट कमेटी का गठन सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियमन 18 के अनुरूप नहीं था। परिणामस्वरूप, ऑडिट कमेटी के दो-तिहाई सदस्यों के स्वतंत्र निदेशक होने की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकी।

बैंक ने भारत सरकार के दिशा-निर्देशों और आरबीआई परिपत्र दिनांक 02.08.2019 के अनुसार बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसीबी) का गठन किया है। 10.02.2025 से 31.03.2025 की अवधि के दौरान, बैंक के बोर्ड में निदेशकों की अपर्याप्तता के कारण एनआरसीबी के अध्यक्ष का पद रिक्त था। हालाँकि, केंद्र सरकार द्वारा बैंक के बोर्ड में दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद 25.04.2025 को अध्यक्ष का रिक्त पद भर दिया गया था।

सभी निदेशकों को निदेशक मंडल की बैठकों का विवरण, उसकी कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम-से-कम साथ दिन पहले दे दी जाती है। बैठक में सार्थक सहभागिता हो सके इसके लिए बैठक से पहले कार्यसूची की मदों पर और अधिक सूचना तथा स्पष्टीकरण ली जा सके इसकी व्यवस्था विद्यमान है।

निर्णय लिए गए तथा सदस्यों की असहमति नहीं हुई।

इसके आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों की निगरानी तथा उनके अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार तथा परिचानलन के अनुरूप प्रणाली तथा प्रक्रिया बैंक में विद्यमान है।

इसके आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान बैंक ने उक्त विधियों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों तथा मानकों के अनुसरण में ऐसा कोई विशेष आयोजन/कार्रवाई नहीं की जिसका कोई भारी प्रभाव बैंक पर पड़े सिवा इसके कि:

1. समीक्षाधीन अवधि के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक पर कुछ दंड लगाए गए, जिनका प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों के लेखा टिप्पणियों में तथा त्रैमासिक इंटीग्रेटेड फाइलिंग-गवर्नेंस के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंजों को भी किया गया है। तथापि, सेबी विनियमों के अनुपालन न करने के संबंध में कोई दंड नहीं लगाया गया।
2. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक के बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रति इक्विटी शेयर 0.44 रुपये के लाभांश की सिफारिश की है।

कृते ए सारस्वत एंड एसोसिएट्स
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव

ह/-

अनुज सारस्वत
मेंबर न. : F10444
सी ओ पी :13568
पीयर रिव्यु न. - 2539/2022
युडीआईएनः F010444H000303275

दिनांक : 08.05.2026
स्थान : हावड़ा

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2026

(Pursuant to Regulation 24A of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 2015)

To,
The Members,
UCO BANK
10, BTM Sarani,
Kolkata - 700001

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by UCO Bank (hereinafter called "The Bank"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the bank, the website, the filings and submissions made by the Bank to the Stock Exchanges and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit.We hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2026 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended on 31st March, 2026 according to the provisions of:

(i) The Companies Act,2013 and the rules made thereunder; (to the extent applicable);

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') (as amended) and the rules made thereunder;

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011.

b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (Not applicable to the Bank during the Audit Period);

d) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 (Not applicable to the Bank during the Audit Period);

e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021;

f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993. (to the extent applicable)

g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 (Not applicable to the Bank during the Audit Period);

h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998 (Not applicable to the Bank during the Audit Period);

i) The Securities and Exchange Board of India {KYC (Know Your Client) Registration Agency} Regulations, 2011.

j) The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018;

(v) Other laws specifically applicable to the Bank:

- The Banking Regulation Act 1949;
- Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI);
- The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970;

- Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970;
- UCO Bank General Regulations, 1998;
- UCO Bank (Shares and Meetings) Amendment Regulations, 2003;
- Information Technology Act, 2000;
- Right to Information Act, 2005.

We have also examined compliance with the applicable regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

We have observed that in certain cases under Right to Information Act, 2005, reply was furnished beyond the stipulated timeline. During the period under review, the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above.

We further report that,

The composition of the Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, which envisages an optimum balance between Executive and Non-Executive Directors on the Board. All the Directors on the Board of the Bank, except the Shareholder Director, are nominated / appointed by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India.The changes in the composition of the Board of Directors during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the said Act.

However, it is noted that one Director representing the workmen employees of the Bank,one Director representing the non-workmen employees of the Bank and one director under the category of Chartered Accountant have not yet been nominated by the Central Government, as required under the aforesaid Act. In this regard, the matter has been referred to the Ministry of Finance and the Department of Financial Services for filling up the vacant positions.

Further, it was observed that the Bank is among the top 500 listed entities; however, there was no Independent Woman Director on the Board with effect from 25th December 2025, pursuant to the requirement under Regulation 17(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Bank has constituted Audit Committee of the Board (ACB) as per RBI guidelines. Constitution of Audit Committee was not in compliance with Regulation 18 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, due to an inadequate number of Independent Directors. Consequently, the requirement that two-third member of the Audit Committee be Independent Director could not be fulfilled.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were duly sent and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

All decisions were carried through and there were no dissenting members' views.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the Audit Period, the Bank has not incurred any specific event / action that can have a major bearing on the Bank's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standard etc.

1. During the period under review, the Reserve Bank of India imposed certain penalties on the Bank which have been disclosed in the notes to Accounts of the financial statements as well as disclosed to Stock Exchanges through quarterly Integrated Filing-Governance. However, no penalties were imposed for the non-compliance with SEBI Regulations.
2. During the period under review, Board of the Bank has recommended a dividend of Rs. 0.44 per Equity Shares for the Financial Year 2025-26.

For **A Saraswat & Associates**
Practicing Company Secretaries

sd/-

Anuj Saraswat
Mem No. - F10444
COP - 13568
Peer Review No -2539/2022
UDIN:F010444H000303275

Place: Howrah
Date: 08/05/2026

31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2026

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

पूंजी एवं देयताएं **CAPITAL AND LIABILITIES**	अनुसूची **Schedule**	31.3.2026 की स्थिति **As on 31.3.2026** ₹	31.3.2025 की स्थिति **As on 31.3.2025** ₹
पूंजी /Capital	1	12539 55 90	12539 55 90
आरक्षित निधियां और अधिशेष Reserves & Surplus	2	20709 66 57	18465 31 80
जमाराशियां / Deposits	3	327562 52 64	293542 17 82
उधार Borrowings	4	23309 81 85	28687 48 53
अन्य देयताएं और प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	11736 87 39	9246 54 21
योग /TOTAL		**395858 44 35**	**362481 08 26**

कृते पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 008567C
For P S M G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 008567C

(सीए प्रबुद्ध गुप्ता)
भागीदार
एमआरएन 400189
(CA PRABUDHHA GUPTA)
Partner
MRN 400189

कृते संजय दीप एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 015951N
For SANJAY DEEP & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 015951N

(सीए नकुल मित्तल)
भागीदार
एमआरएन 521742
(CA NAKUL MITTAL)
Partner
MRN 521742

कृते पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 005223C
FOR P V A R & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 005223C

(सीए रुचि अग्रवाल)
भागीदार
एमआरएन 504134
(CA RUCHI AGARWAL)
Partner
MRN 504134

कृते एच डी एस जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 002871N
For H D S G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 002871N

(सीए विनोद कुमार फतेहपुरिया)
भागीदार
एमआरएन 098709
(CA VINOD KUMAR FATEHPURIA)
Partner
MRN 098709

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 25-04-2026

31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र (जारी)
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2026 (Contd.)

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

आस्तियां **ASSETS**	अनुसूची **Schedule**	31.3.2026 की स्थिति **As on 31.3.2026** ₹	31.3.2025 की स्थिति **As on 31.3.2025** ₹
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अधिशेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	10405 06 35	10358 91 52
बैंकों में अधिशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	13479 45 56	25767 99 65
निवेश/Investments	8	98777 39 96	94272 49 01
अग्रिम/Advances	9	257762 90 80	215134 57 88
अचल आस्तियां/Fixed Assets	10	4200 43 77	3851 95 03
अन्य आस्तियां/Other Assets	11	11233 17 91	13095 15 17
योग /TOTAL		**395858 44 35**	**362481 08 26**
आकस्मिक देयताएं/Contingent Liabilities	12	94440 56 29	128834 25 71
वसूली के लिए बिल/Bills for Collection	-	7691 41 94	7595 29 35

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के आनुसूचियां 1 से 18 लेखे के अभिन्न अंग हैं
The Schedules 1 to 18 form an integral part of the accounts.
As per our report of even date

श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार
गैर- कार्यपालक अध्यक्ष
Shri Aravamudan Krishna Kumar
Non-Executive Chairman

श्री अश्वनी कुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Shri Ashwani Kumar
Managing Director & Chief Executive Officer

श्री राजेन्द्र कुमार साबू
कार्यपालक निदेशक
Shri Rajendra Kumar Saboo
Executive Director

श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले
कार्यपालक निदेशक
Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble
Executive Director

श्री सुधीर श्याम
निदेशक
Shri Sudhir Shyam
Director

डॉ. सारदा प्रसन मोहन्ती
निदेशक
Dr. Sarada Prasan Mohanty
Director

श्री राजेश कुमार अलावादी
निदेशक
Shri Rajesh Kumar Ailawadi
Director

श्री सुभाष शंकर मलिक
निदेशक
Shri Subhash Shankar Malik
Director

श्री सुमित खण्डेलवाल
महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Shri Sumit Khandelwal
General Manager & Chief Financial Officer

श्री शैलेश नवलखा
सहायक महाप्रबंधक
Shri Shelesh Navlakha
Asst. General Manager

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 25-04-2026

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	अनुसूची Schedule	31.3.2026 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.3.2026 ₹	31.3.2025 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.3.2025 ₹
I. आय/INCOME			
अर्जित ब्याज / Interest Earned	13	26281 35 57	25066 91 14
अन्य आय /Other Income	14	3459 63 35	4406 63 43
योग/TOTAL		**29740 98 92**	**29473 54 57**
II. व्यय/EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / Interest Expended	15	16084 98 20	15436 82 73
परिचालन व्यय / Operating Expenses	16	7227 07 26	7999 40 83
प्रावधान और आकस्मिक व्यय / Provisions & Contingencies		3661 07 59	3592 32 08
योग/TOTAL		**26973 13 05**	**27028 55 64**
III. लाभ/हानि/PROFIT / LOSS			
वर्ष का निवल लाभ/(हानि) / Net Profit/(Loss) for the Year		2767 85 87	2444 98 93
लाभ/(हानि) पिछला अग्रानीत / Net Profit/(Loss) Brought Forward		3720 42 81	2513 73 80
योग/TOTAL		**6488 28 68**	**4958 72 73**

कृते पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 008567C
For P S M G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 008567C

(सीए प्रबुद्ध गुप्ता)
भागीदार
एमआरएन 400189
(CA PRABUDHHA GUPTA)
Partner
MRN 400189

कृते पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 005223C
FOR P V A R & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 005223C

(सीए रुचि अग्रवाल)
भागीदार
एमआरएन 504134
(CA RUCHI AGARWAL)
Partner
MRN 504134

कृते संजय दीप एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 015951N
For SANJAY DEEP & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 015951N

(सीए नकुल मित्तल)
भागीदार
एमआरएन 521742
(CA NAKUL MITTAL)
Partner
MRN 521742

कृते एच डी एस जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 002871N
For H D S G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 002871N

(सीए विनोद कुमार फतेहपुरिया)
भागीदार
एमआरएन 098709
(CA VINOD KUMAR FATEHPURIA)
Partner
MRN 098709

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 25-04-2026

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा (जारी)

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026 (Contd.)

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	अनुसूची को समाप्त वर्ष Schedule	31.3.2026 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.3.2026 ₹	31.3.2025 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.3.2025 ₹
IV. विनियोजन/APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण / Transfer to Statutory Reserves		691 96 47	611 24 73
पूंजी आरक्षित निधियों में अंतरण / Transfer to Capital Reserves		27 25 03	3 72 49
निवेश अस्थिरता आरक्षित में अंतरण / Transfer to Investment Fluctuation Reserves		1 91 85	134 28 42
प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend		551 74 06	489 04 28
शेषराशि तुलनपत्र में आगे लाई गई Balance Carried over to Balance Sheet		5215 41 26	3720 42 81
योग /TOTAL		**6488 28 68**	**4958 72 73**
मुख्य लेखा नीतियां / Principal Accounting Policies	17		
लेखों पर टिप्पणी / Notes on Accounts	18		
मूल एवं न्युनीकृत ईपीएस (₹) / Basic & Diluted EPS (₹)		**₹ 2.21**	**₹ 2.04**

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार अनुसूची 1 से 18 लेखे के अभिन्न अंग हैं
The Schedules 1 to 18 form an integral part of the accounts
As per our Report of even date

श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार
गैर- कार्यपालक अध्यक्ष
Shri Aravamudan Krishna Kumar
Non-Executive Chairman

श्री अश्वनी कुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Shri Ashwani Kumar
Managing Director & Chief Executive Officer

श्री राजेन्द्र कुमार साबू
कार्यपालक निदेशक
Shri Rajendra Kumar Saboo
Executive Director

श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले
कार्यपालक निदेशक
Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble
Executive Director

श्री सुधीर श्याम
निदेशक
Shri Sudhir Shyam
Director

डॉ. सारदा प्रसन मोहन्ती
निदेशक
Dr. Sarada Prasan Mohanty
Director

श्री राजेश कुमार अलावादी
निदेशक
Shri Rajesh Kumar Ailawadi
Director

श्री सुभाष शंकर मलिक
निदेशक
Shri Subhash Shankar Malik
Director

श्री सुमित खण्डेलवाल
महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Shri Sumit Khandelwal
General Manager & Chief Financial Officer

श्री शैलेश नवलखा
सहायक महाप्रबंधक
Shri Shelesh Navlakha
Asst. General Manager

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 25-04-2026

31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2026

अनुसूची 1 — पूंजी
Schedule 1 — CAPITAL

(000′ को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2026 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2026 ₹	31.3.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2025 ₹
प्राधिकृत पूंजी/Authorised Capital प्रत्येक ₹ 10/- के 1500,00,00,000 (1500.00,00,000) ईक्विटी शेयर/ 1500,00,00,000 (1500,00,00,000) Equity Shares of ₹ 10/- each	15000 00 00	15000 00 00
	15000 00 00	**15000 00 00**
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त पूंजी/ **Subscribed, Issued and Paid up Capital** प्रत्येक ₹ 10/- के 1253, 95, 58, 979 (1195, 59, 58,176) ईक्विटी शेयर/ 1253, 95, 58, 979 (1195, 59, 58, 176) Equity Shares of ₹ 10/- each [केन्द्र सरकार द्वारा धारित 1140,49,10,524 (1140,49,10,524) शेयर इसमें शामिल हैं]/ [includes 1140,49,10,524 (1140,49,10,524) shares held by Central Govt.]	12539 55 90	12539 55 90
योग /TOTAL	**12539 55 90**	**12539 55 90**

31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2026
अनुसूची 2 — आरक्षित निधियां और अधिशेष
Schedule 2 — RESERVES & SURPLUS

(000′ को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2026 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2026		31.3.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2025	
	₹	₹	₹	₹
I. **सांविधिक आरक्षित निधियां**/Statutory Reserve:				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	4020 37 88		3409 13 15	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / कटौती / Addition / Deduction during the year	691 96 47		611 24 73	
		4712 34 35		4020 37 88
II. **पूंजी आरक्षित निधियां**/Capital Reserve :				
क) पूंजीगत प्राप्ति/ a) Capital Gain				
अंतिम लेखे के अनुसार शेष/ Balance as per last account		1 17 00		1 17 00
ख/b)निवेश/Investment :				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	957 98 20		954 25 71	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/ Transfer from Profit and Loss Account	27 25 03		3 72 49	
	985 23 23		957 98 20	
		985 23 23		957 98 20
ग) अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यन : / c) Revaluation of Fixed Assets :				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	3046 87 67		2997 55 47	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Addition during the year	137 84 98		10 57 04	
वर्ष के दौरान कटौती/	3184 72 65		3008 12 51	
Deduction during the year	35 13 24		-38 75 16	
		3149 59 41		3046 87 67
III. शेयर प्रीमियम/ Share Premium				
प्रारंभिक शेष/ Opening Balance	5042 10 94		3625 71 03	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Addition during the year	–		1416 39 91	
वर्ष के दौरान कटौती/ Deduction during the year	–		–	
		5042 10 94		5042 10 94
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियां/ Revenue & Other Reserves				
क/a) सामान्य आरक्षित निधि/ General Reserve :				
प्रारंभिक शेष/ Opening Balance	-44 99 93		686 04 61	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Addition during the year	26 40 23		-731 04 54	
	-18 59 70		-44 99 93	
वर्ष के दौरान कटौती/ Deduction during the year	–		–	
		-18 59 70		-44 99 93

31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2026

अनुसूची 2 — आरक्षित निधियां और अधिशेष (जारी)
Schedule 2 — RESERVES & SURPLUS (Contd.)

(000′ को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2026 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2026		31.3.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2025	
	₹	₹	₹	₹
ख) विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधि/				
b) Foreign Currency Translation Reserve				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	872 54 88		792 01 40	
जोड़ें : विनिमय उचंत लेखे में अंतरण/				
Add: Transfer to/from Exchange Suspense				
वर्ष के दौरान परिवर्धन/				
Addition during the year	342 79 80		80 53 48	
	1215 34 68		872 54 88	
वर्ष के दौरान कटौती/				
Deduction during the year	–		–	
		1215 34 68		872 54 88
ग) निवेश आरक्षित निधि/				
c) Investment Reserve				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	–		5 16 79	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/कटौती/				
Addition/Deduction during the year	–		5 16 79	
		–		–
d) निवेश उतार-चढ़ाव रिचर्व/				
Investment Fluctuation Reserve				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	550 32 16		416 03 74	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/कटौती/				
Addition/Deduction during the year	1 91 85		134 28 42	
		552 24 02		550 32 16
e) एएफएस रिजर्व/				
AFS Reserve				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	298 50 19		298 50 19	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/काटौती/				
Addition/Deduction during the year	-443 68 81		–	
		-145 18 62		298 50 19
V. लाभ-शेष/Balance of Profit				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	3720 42 81		2513 73 80	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/				
Transfer from Profit and Loss Account	1494 98 45		1206 69 01	
		5215 41 26		3720 42 81
TOTAL(I to V)		**20709 66 57**		**18465 31 79**

31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2026

अनुसूची 3 — जमाराशियां/Schedule 3 — DEPOSITS

(000′ को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2026 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2026 ₹	31.3.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2025 ₹
अ/A. I. मांग जमाराशियां/Demand Deposits		
i) बैंकों से/From Banks	1066 34 35	1346 60 97
ii) अन्य से/From Others	16146 02 89	13336 82 11
II. बचत बैंक जमाराशियां/Savings Bank Deposits	101098 12 72	90481 50 04
III. मीयादी जमाराशियां/Term Deposits*		
i) बैंकों से/From Banks	18154 00 17	14174 79 82
ii) अन्य से/From Others	191098 02 50	174202 44 88
योग/TOTAL(I, II & III)	**327562 52 63**	**293542 17 82**
आ/B. i) भारत में शाखाओं की जमाराशियां/ Deposits of Branches in India	304667 82 60	276209 02 06
ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियां/ Deposits of Branches outside India	22894 70 04	17333 15 76
योग/TOTAL (i & ii)	**327562 52 64**	**293542 17 82**
*इसमें ग्रहणाधिकार अंकित जमा भी शामिल हैं। /*Includes Lien Marked deposits	14547 72 93	14514 62 97

अनुसूची 4 — उधार
Schedule 4 — BORROWINGS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2026 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2026 ₹	31.3.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2025 ₹
I. भारत में उधार/Borrowings in India		
i) भारतीय रिजर्व बैंक/Reserve Bank of India	5000 00 00	5000 00 00
ii) अन्य बैंक/Other Banks	10460 30 05	15556 45 00
iii) * अन्य संस्थाएं और अभिकरण/ * Other Institutions and Agencies	7530 00 55	7831 50 55
II. भारत के बाहर उधार/Borrowings outside India	319 51 25	299 52 98
योग (I एवं II) TOTAL (I & II)	**23309 81 85**	**28687 48 53**
ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार/ Secured borrowings included in I & II above	20990 30 60	26387 95 55
इसमें शामिल है/ Includes		
सिडबी पुनर्वित्त/SIDBI Refinance	2460 00 00	2761 50 00
नाबार्ड पुनर्वित्त/NABARD Refinance	3070 00 55	3070 00 55
बासेल III कंप्लाएंट टीयर - II बॉण्ड/ Basel-III Compliant Tier-II Bonds	1500 00 00	1500 00 00
एटि-1/AT - 1	500 00 00	500 00 00

31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2026

अनुसूची 5 — अन्य देयताएं और प्रावधान
Schedule 5 — OTHER LIABILITIES & PROVISIONS

(000′ को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2026 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2026 ₹	31.3.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2025 ₹
I. संदेय बिल/Bills Payable	762 13 32	593 70 98
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/ Inter Office Adjustments (Net)	227 66 51	184 61 50
III. प्रोद्भूत ब्याज/Interest Accrued	605 38 76	657 61 54
IV. * अन्य (इसमें प्रावधान शामिल हैं)/ * Others (including provisions)	10141 68 80	7810 60 16
योग /TOTAL	**11736 87 39**	**9246 54 18**
*इसमें शामिल हैं / * Includes		
मानक आस्तियों के एवज में प्रावधान/Provision on Standard Assets	2090 78 85	1278 74 60

अनुसूची 6 — भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष
Schedule 6 — CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2026 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2026 ₹	31.3.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2025 ₹
I. हाथ-नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं)/ Cash in hand (including Foreign Currency Notes)	739 69 03	587 39 65
II. भारतीय रिजर्व बैंक में जमाशेष/ Balances with Reserve Bank of India		
i) चालू खाते में/In Current Account	9665 34 73	9771 51 87
ii) अन्य खातों में/In Other Accounts	2 59	
योग (I एवं II)/TOTAL(I & II)	**10405 06 35**	**10358 91 52**

31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2026

अनुसूची 7 — बैंकों में जमाशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि
Schedule 7 — BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(000′ को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2026 की स्थिति के अनुसार **As on 31.3.2026** ₹	31.3.2025 की स्थिति के अनुसार **As on 31.3.2025** ₹
I. भारत में/In India		
i) बैंकों में जमाशेष/Balances with Banks		
क) चालू खातों में/		
a) In Current Accounts	18 30 97	3 68 74
ख) अन्य जमा खातों में/		
b) In Other Deposit Accounts	10626 48 58	16175 10 43
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि/ Money at Call and Short Notice		
क) बैंकों के पास/		
a) With Banks	-	7297 49 57
ख) अन्य संस्थाओं के पास/		
b) With Other Institutions	-	-
योग / TOTAL	**10644 79 55**	**23476 28 74**
II. भारत के बाहर/ Outside India		
i) चालू खातों में/In Current Accounts	425 80 04	248 90 16
ii) अन्य जमा खातों में/In Other Deposit Accounts	2323 45 75	2042 80 75
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि/ Money at Call and Short Notice	85 40 22	-
योग /TOTAL	**2834 66 01**	**2291 70 91**
कुल योग (I एवं II)/GRAND TOTAL (I&II)	**13479 45 56**	**25767 99 65**

31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2026

अनुसूची 8 — निवेश
Schedule 8 — INVESTMENTS

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2026 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2026 ₹	31.3.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2025 ₹
I. भारत में निम्नलिखित में निवेश/ Investments in India in		
i) सरकारी प्रतिभूतियां/Government Securities	71817 66 59	66470 16 12
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां/ Other Approved Securities		
iii) शेयर/Shares	1030 91 99	1044 45 83
iv) डिबेंचर और बंधपत्र/Debentures and Bonds	21973 47 35	22239 63 71
v) अनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम/एसोशिएट्स		
Investment in Associates	-	252 78 51
vi) अन्य / Others	497 18 85	1227 50 60
(क) एमएफई (ईटीएफ़) / a) MFE (ETF)	9 33 23	
(ख) वीसीएफ / b) VCF	11 61 12	
(ग) सुरक्षा रसीदें / c) Security Receipts	345 33 64	
(घ) सीपी / d) CP	46 89 00	
(ङ) इनविट / e) Invit	84 01 86	
योग/TOTAL	**95319 24 78**	**91234 54 77**
II. भारत के बाहर निम्नलिखित में निवेश/ Investments outside India in		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (इनमें स्थानीय प्राधिकरण शामिल हैं)/ Government Securities (including Local Authorities)	3458 15 18	3037 94 24
ii) अन्य निवेश / Other Investments	-	-
क/a) शेयर/Shares	-	-
ख/b) डिबेंचर/Debentures	-	-
ग/c) Others		
योग/TOTAL	**3458 15 18**	**3037 94 24**
कुल योग(I एवं II)*/GRAND TOTAL(I & II)**	**98777 39 96**	**94272 49 01**

** निवेशों पर मूल्यह्रास/अनर्जक निवेशों हेतु प्रावधान /

** Net of provision for Depreciation on Investments & Provision for Non-Performing Investments

	31.3.2026 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2026			31.3.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2025		
निवेश INVESTMENTS	सकल मूल्य Gross Value ₹	प्रावधान # Provision # ₹	निवल मूल्य Net Value ₹	सकल मूल्य Gross Value ₹	प्रावधान # Provision # ₹	निवल मूल्य Net Value ₹
I. भारत में/ In India	95837 08 82	517 84 04	95319 24 78	91829 78 97	595 24 20	91234 54 77
II. भारत के बाहर/ Outside India	3458 15 18	-	3458 15 18	3037 94 24	-	3037 94 24
योग/TOTAL	**99295 24 00**	**517 84 04**	**98777 39 96**	**94867 73 21**	**595 24 20**	**94272 49 01**

निवेश पर मूल्यह्रास/अनर्जक आस्ति निवेशों के लिए प्रावधान

Provision for Depreciation on Investment & Provision for Non-Performing Investments.

31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2026
अनुसूची 9 — अग्रिम
Schedule 9 — ADVANCES

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2026 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2026 ₹	31.3.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2025 ₹
अ/A. (i) खरीदे और भुनाए गए बिल/		
Bills Purchased and Discounted	8263 00 21	5587 54 69
(ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर देय ऋण /		
Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	93527 39 90	75413 98 40
(iii) मीयादी ऋण/Term Loans	155972 50 69	134133 04 79
योग/TOTAL	**257762 90 80**	**215134 57 88**
आ/B. (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत/ (बही ऋण के एवज में अग्रिम सहित)/		
Secured by Tangible Assets (includes advances against book debts)	200270 21 83	163398 65 44
(ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा संरक्षित/		
Covered by Bank/Govt. Guarantees	6287 21 90	7093 91 01
(iii) अप्रतिभूत/Unsecured	51205 47 08	44642 01 43
योग/TOTAL	**257762 90 81**	**215134 57 88**
इ/C. I. भारत में अग्रिम/Advances in India -		
(i) प्राथमिकता क्षेत्र/Priority Sectors	102663 04 25	79734 23 16
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र/Public Sectors	31500 16 12	27598 02 10
(iii) बैंक/Banks	5121 22 42	3956 55 49
(iv) अन्य/Others	90110 87 21	79335 07 21
योग/TOTAL	**229395 30 00**	**190623 87 96**
II. भारत के बाहर अग्रिम/Advances outside India -		
(i) बैंकों से प्राप्य/ Due from Banks	-	-
(ii) अन्य से प्राप्य/Due from Others		
(क) खरीदे और भुनाए गए बिल/		
(a) Bills Purchased and Discounted	3068 60 73	2470 95 29
(ख) सामूहिक उधार/		
(b) Syndicated loans	21987 26 08	18499 69 61
(ग) अन्य/		
(c) Others	3311 74 00	3540 05 02
योग/TOTAL	**28367 60 81**	**24510 69 92**
कुल योग (इ-I एवं इ-II)/GRAND TOTAL (C.I & C.II)	**257762 90 81**	**215134 57 88**

31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2026
अनुसूची 10 — अचल आस्तियां/Schedule 10 — FIXED ASSETS

(000′ को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2026 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2026 ₹	31.3.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2025 ₹
I. **परिसर**/ Premises		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर/ At cost as on 31st March of the preceding year	370 50 71	364 58 97
वर्ष के अंत में प्रचलित दरों पर विदेश स्थित शाखाओं से संबंधित आंकड़ों में परिवर्तन के कारण समायोजन/ Adjustment on account of conversion of figures relating to Foreign branches at rates as at year end	30 46 95	- 50 12
	400 97 66	364 08 85
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन/ Additions/adjustments during the year	27 28 99	6 52 25
	428 26 65	370 61 10
वर्ष के दौरान कटौती/Deduction during the year	26 60	10 39
	428 00 04	370 50 71
आज की तारीख तक पुनर्मूल्यन के कारण परिवर्धन-पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि/ Additions to date on account of revaluation credited to Revaluation Reserve	3393 85 84	3256 00 86
	3821 85 88	3626 51 57
निपटान हेतु धारित आस्तियों में अंतरण/ Transferred to Assets Held for Disposal	-	-
	3821 85 88	3626 51 57
अद्यतन मूल्यह्रास/Depreciation to date	473 96 64	401 83 64
योग/ TOTAL	**3347 89 24**	**3224 67 93**
II. अन्य अचल आस्तियां (इनमें फर्नीचर और फिक्सचर शामिल हैं) पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर/ Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures) At cost as on 31st March of the preceding year	3051 21 10	2717 55 16
वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार प्रचलित दरों पर विदेश स्थित शाखाओं से संबंधित आंकड़ों में परिवर्तन के कारण समायोजन/ Adjustment on account of conversion of figures relating to Foreign branches at rates as at year end	15 37 48	- 25 22
	3066 58 58	2717 29 94
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	552 82 33	368 66 20
	3619 40 90	3085 96 14
वर्ष के दौरान कटौती/Deductions during the year	162 11 35	34 75 04
	3457 29 55	3051 21 10
अद्यतन मूल्यह्रास/Depreciation to date	2679 23 04	2485 16 03
योग/ TOTAL	**778 06 51**	**566 05 06**
III. निपटान हेतु धारित आस्तियां/Assets Held for Disposal निवल बही मूल्य या निवल वसूली योग्य मूल्य पर, इनमें से जो भी कम हो/ At Net Book Value or Net Realisable Value whichever is less		
अ/A. परिसर/Premises	-	-
आ/B. अन्य अचल आस्तियां/Other Fixed Assets	-	-
योग/TOTAL	-	-
IV. चालू पूंजी संकर्म/Capital Work in Progress	74 48 02	61 22 04
योग/TOTAL		
कुल योग (I,II और III+IV)/GRAND TOTAL (I,II & III+IV)	**4200 43 77**	**3851 95 03**

31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2026

अनुसूची 11 — अन्य आस्तियां
Schedule 11— OTHER ASSETS

(000′ को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2026 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2026 ₹	31.3.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2025 ₹
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/ Inter-Office Adjustments (Net)		
II. प्रोद्भूत ब्याज/Interest Accrued	1982 11 04	2098 91 07
III. अग्रिम रूप से संदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर/ Tax paid in advance/Tax deducted at source	117 86 76	146 46 76
IV. लेखन सामग्री और स्टांप/Stationery and Stamps	3 50 60	4 24 61
V. दावों की तुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियां/ Non-Banking Assets acquired in satisfaction of claims	-	-
VI. आस्थगित कर आस्तियां/Deferred Tax Assets	4422 07 00	5978 04 00
VII. अन्य/Others*	4707 62 51	4867 48 73
योग/TOTAL	**11233 17 91**	**13095 15 17**
*इसमें नाबार्ड/सिडबी/आरआईडीएफ/एनएचबी के पास रखी गई जमा राशियाँ भी शामिल हैं। Includes deposits placed with NABARD/SIDBI/RIDF/NHB	1184 26 68	1980 64 98

अनुसूची 12 — आकस्मिक देयताएं
Schedule 12 — CONTINGENT LIABILITIES

(000′ को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2026 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2026 ₹	31.3.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2025 ₹
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया है/ Claims Against the Bank not Acknowledged as Debts	313 00 49	210 33 77
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता/ Liability for partly paid investments	41 11 30	1 10 52
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देयता/ Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	72372 40 97	107561 36 98
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां/ Guarantees Given on behalf of Constituents -		
क) भारत में/ A) In India	10110 66 61	7912 62 57
ख) भारत के बाहर/ B) Outside India	34 27 30	29 39 14
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व/ Acceptances, Endorsements and other Obligations	5023 34 61	4674 60 80
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है/ Other Items for which the bank is contingently liable #	6545 75 01	8444 81 93
योग/ TOTAL	**94440 56 29**	**128834 25 71**
# इसमे आईआरएस शामिल हैं/ Includes IRS	**2485 40 46**	**4315 40 46**

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026

अनुसूची 13 — अर्जित ब्याज / Schedule 13 — INTEREST EARNED

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

		31.3.2026 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2026 ₹	31.3.2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2025 ₹
I.	ब्याज/अग्रिमों पर बट्टा/बिल/Interest/Discount on Advances/Bills	18595 47 01	17117 09 32
II.	निवेशों पर आय/Income on Investments	6471 77 90	6346 74 14
III.	भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमाशेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज/ Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	1121 80 35	1502 05 15
IV.	अन्य/Others	92 30 31	101 02 53
	योग/TOTAL	**26281 35 57**	**25066 91 14**

अनुसूची 14 — अन्य आय
Schedule 14 — OTHER INCOME

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

			31.3.2026 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2026 ₹		31.3.2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2025 ₹
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली (निवल)/ Commission, Exchange and Brokerage (Net)		259 03 86		265 83 79
II.	निवेशों की बिक्री से लाभ/ Profit on Sale of Investments	451 23 48		395 36 81	
	घटाएं : निवेशों की बिक्री से हानि/ Less: Loss on Sale of Investments	85 21	450 38 27	1 48 78	393 88 03
III.	.निवेशों की पुनर्मूल्यांकन से लाभ/ Profit on Revaluation of Investments	13 89 53		13 89 53	
	घटाएं : निवेशों की पुनर्मूल्यांकन से हानि/ Less: Loss on Revaluation of Investments	68 38 13	-54 48 60	-38 45 67	52 35 20
IV.	भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ/ Profit on Sale of Land, Buildings and Other Assets	94 64		1 12 71	
	घटाएं : भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हानि/ Less: Loss on Sale of Land, Buildings and Other Assets	58 98	35 66	71 86	40 85
V.	विदेशी मुद्रा संव्यवहारों पर लाभ/ Profit on Exchange Transactions	152 47 56		321 92 24	
	घटाएं : विदेशी मुद्रा संव्यवहारों पर हानि/ Less: Loss on Exchange Transactions	160 24 78	-7 77 22	376 99 03	-55 06 79
VI.	भारत/विदेश में स्थापित अनुषंगियों/कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय/ Income earned by way of Dividends, etc. from Subsidiaries/Companies and/or Joint Ventures abroad/in India		11 38 87		8 69 10
VII.	विविध आय/ Miscellaneous Income #		2800 72 51		3740 53 25
	योग/TOTAL		**3459 63 35**		**4406 63 43**
	# इसमें रिट्रैन ऑफ अकाउंट्स की रिकवरी शामिल हैं / # Includes Recovery in Written Off Accounts		1326 78 48		2623 53 62

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026

अनुसूची 15 — व्यय किया गया ब्याज
Schedule 15 — INTEREST EXPENDED

(000′ को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2026 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2026 ₹	31.3.2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2025 ₹
I. जमाराशियों पर ब्याज/Interest on Deposits	14063 75 82	13068 00 09
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज/ Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank Borrowings	1327 17 12	1805 74 31
III. अन्य/Others	694 05 26	563 08 33
योग/TOTAL	**16084 98 20**	**15436 82 73**

अनुसूची 16 — परिचालन व्यय
Schedule 16 — OPERATING EXPENSES

(000′ को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2026 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2026 ₹	31.3.2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2025 ₹
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान/ Payments to and provisions for employees	4741 45 93	5453 10 54
II. किराया, कर और बिजली/Rent, Taxes and Lighting	390 45 93	434 92 41
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री/Printing & Stationery	28 58 41	45 63 37
IV. विज्ञापन और प्रचार/Advertisement and Publicity	23 65 45	13 98 68
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास/ Depreciation on Bank's Property	372 33 95	311 25 82
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय/ Directors' fees, allowances and expenses	1 99 52	1 21 57
VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा-लेखापरीक्षकों सहित)/ Auditors' fees and expenses (Including Branch Auditors)	51 50 12	45 60 06
VIII. विधि प्रभार/Law Charges	17 40 05	4 14 65
IX. डाक महसूल, तार, टेलीफोन आदि/ Postages, Telegrams, Telephones, etc.	22 05 91	19 21 23
X. मरम्मत और अनुरक्षण/Repairs and Maintenance	25 22 40	20 34 50
XI. बीमा/Insurance	422 21 46	395 04 86
XII. अन्य व्यय/Other Expenditure	1130 18 13	1254 93 14
योग/TOTAL	**7227 07 26**	**7999 40 83**

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. सामान्य

1.1 लेखांकन का आधार

ये वित्तीय विवरण, जब तक अन्यथा कथित न हो, लाभकारी कारोबारवाली संस्था की संकल्पना के तहत लेखांकन के परंपरागत लागत एवं प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए जाते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के तात्विक परिवर्तन के अनुरूप हैं। इनमें भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रयोज्य एवं सामान्यतः प्रचलित रीतियों की सीमा तक भारतीय रिज़र्व बैंक (आर. बी. आई.) द्वारा निर्धारित प्रयोज्य सांविधिक प्रावधान, नियामक मानदंड/दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी लेखांकन मानक निहित हैं।

विदेशी कार्यालयों/शाखाओं के मामले में, विशेष रूप से उल्लेख किए गए को छोड़कर, विदेशों में लागू सांविधिक प्रावधानों एवं लेखांकन प्रथाओं का अनुपालन किया गया।

1.2 अनुमानों का उपयोग

जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसंपत्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा समीक्षा अवधि के दौरान आय-व्यय की रिपोर्टिंग करते समय प्रबंधन को अनुमान लगाने होते हैं। प्रबंधन को विश्वास है कि उक्त वित्तीय विवरण तैयार करने में लगाए गये अनुमान सटीक और वाजिब हैं। तथापि वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। लेखा अनुमान मौजूदा एवं भविष्य की अवधियों में प्रत्याशित रूप से चिह्नित किया जाएगा।

2. अग्रिम

2.1 ऋण एवं अग्रिम का अर्जक एवं अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांत के आधार पर किया जाता है और अग्रिम के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के आनुसार किया जाता है।

भारत में अनर्जक अग्रिमों का निर्धारण विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है और भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ECGC) से प्राप्त / प्राप्य राशियों पर विचार करने के बाद उन्हें 'अवमानक', 'संदिग्ध' एवं 'हानि' आस्तियों में वर्गीकृत करके प्रावधान किए जाते हैं तथा अग्रिम का उल्लेख प्रावधान को घटाने के बाद किया जाता है।

2.2 विदेश स्थित शाखाओं के अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान संबंधित विदेशी राज्यों में लागू नियामक अपेक्षाओं या भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों, इनमें से जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।

2.3 मानक पुनर्संरचित आस्तियों एवं परियोजना ऋण के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के विवेक सम्मत दिशानिर्देशों एवं निदेशों के अनुसार किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार ग्लोबल पोर्टफोलियो के आधार पर मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान किए जाते हैं।

2.4 ओवरड्यू के माध्यम से केन्द्र सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित ऋण सुविधाओं को केवल तभी एनपीए माना जा सकता है जब सरकार अपनी गारंटी राशि की मांग किए जाने पर इंकार करे।

2.5 समझौता एवं निपटान संबंधी प्रस्तावों के मामले में पूर्ण वसूली के बाद बट्टे खाते डाले जाते हैं।

2.6 खाते को अंशतः विवेकपूर्ण बट्टे खाते डालने का कार्य सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद मामला-दर-मामला आधार पर अप्रतिभूत अंश के लिए किया जाता है।

2.7 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान किए जाने के अतिरिक्त पुनर्संरचित/पुर्ननिर्धारित आस्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है जिसे पुनर्संरचना किए जाने के पहले एवं बाद के ऋण के उचित मूल्य बीच के अंतर को उपलब्ध कराना होता है। शुद्ध अग्रिम का आकलन करते समय उचित मूल्य (डीएफयू) में कमी के लिए प्रावधान एवं उपर्युक्त के फलस्वरूप ब्याज में कमी लाई जाती है।

2.8 पूर्ववर्ती वर्षों में बट्टे डाले गए कर्ज में वसूली गई राशि को वसूली वर्ष में राजस्व के रूप में दिखाया जाता है।

2.9 प्रतिभूतिकृत कंपनी (एससी)/ पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) को वित्तीय आस्ति की बिक्री आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप निर्धारित बोर्ड अनुमोदित नीति के आधार पर की जाती है।

3. निवेश

3.1 बैंक निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए सावधानीपूर्ण मानदंडों का पालन करता है।

3.2 निवेश निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाते हैं:

- परिपक्वता तक रखे जाने वाले
- बिक्री के लिए उपलब्ध
- लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य निर्धारण। व्यापार के लिए रखे गए निवेश एक अलग उप-श्रेणी के रूप में रखे जाएंगे।

सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों में किए गए सभी निवेशों को अन्य निवेश श्रेणियों से अलग एक विशिष्ट श्रेणी में रखा जाएगा। बैलेंस शीट में रिपोर्टिंग के लिए, निवेशों को आगे निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:सरकारी प्रतिभूतियाँ, अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ, शेयर, ऋणपत्र और बांड, सहायक कंपनियाँ, संयुक्त उपक्रम तथा अन्य।

3.3 i. परिपक्वता तक रखे गए निवेशों को उनकी लागत पर रखा जाता है। इन प्रतिभूतियों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को सीधी रेखा विधि के अनुसार शेष अवधि में समायोजित किया जाता है। बिक्री पर प्राप्त लाभ को प्रारंभ में लाभ-हानि खाते में लिया जाता है और फिर करों की कटौती और सांविधिक आरक्षित खाते में स्थानांतरण के बाद पूंजी आरक्षित खाते में स्थानांतरित किया जाता है। संपत्ति की बिक्री पर होने वाला नुकसान सीधे लाभ-हानि खाते में लिया जाता है।

ii. बिक्री के लिए उपलब्ध निवेशों का दैनिक आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है। इन प्रतिभूतियों की अधिग्रहण लागत पर किसी भी छूट या प्रीमियम को सीधी रेखा विधि से समायोजित किया जाता है। सभी निवेशों की समग्र मूल्यांकन वृद्धि या गिरावट को सीधे एक आरक्षित खाते में लिया जाता है, बिना इसे लाभ-हानि खाते से गुजारने की आवयकता।

iii. उचित मूल्य निर्धारण श्रेणी में रखे गए निवेशों का उचित मूल्यांकन किया जाता है, और उत्पन्न शुद्ध लाभ या हानि सीधे लाभ-हानि खाते में दर्ज किया जाता है। इन प्रतिभूतियों का दैनिक मूल्यांकन किया जाता है, और इनमें छूट या प्रीमियम को सीधी रेखा विधि से समायोजित किया जाता है।

3.4 सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों में किए गए निवेशों को उनकी अधिग्रहण लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

3.5 वाणिज्यिक पत्र और कोषागार बिल को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

3.6 प्रसारित या उद्धृत निवेशों के लिए, बाजार मूल्य को स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध मूल्य के आधार पर लिया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों को बाजार मूल्य या वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा घोषित मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

3.7 अप्रकाशित निवेशों के लिए, इनकी कीमत नवीनतम बैलेंस शीट के ब्रेकअप मूल्य के आधार पर तय की जाती है, जो 12 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए; अन्यथा, प्रति कंपनी ₹1 की दर से मूल्यांकन किया जाता है।

3.8 बैंक द्वारा किए गए निवेशों को वसूली रेटिंग के आधार पर घोषित शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

3.9 निवेश लेन-देन पर आयोग, दलाली और टूटा हुआ अवधि ब्याज सीधे लाभ-हानि खाते में दर्ज किया जाता है।

3.10 बैंक निवेशों से आय की मान्यता और गैर-प्रर्दानकारी निवेशों के निर्धारण एवं प्रावधान के लिए सावधानीपूर्ण मानदंडों का पालन करता है।

4. संपदा, सयंत्र एवं उपकरण

4.1 भूमि तथा भवन को छोड़ कर संपदा, सयंत्र एवं उपकरण की मदों के लिए लागत मॉडल का उपयोग कर संचित मूल्य ह्रास को घटाते हुए ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया गया है। पुनर्मूल्याकन पर होने वाले अधिशेष को पुनर्मूल्यांकित आरक्षित नीधि में जमा किया गया है।

4.2 भारत में स्थित स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में प्रबंधन द्वारा उचित मानी गई अवमूल्यन की दर तथा उसे भारित करने की पद्धति निम्नानुसार हैं:-

परिसंपत्ति की श्रेणी	अवमूल्यन		मॉडेल
	दर	पद्धति	
दीर्घावधि अथवा बेमीयादी/नवीकरणीय पट्टे के अंतर्गत भूमि सहित भूमि	शून्य	शून्य	पुनर्मूल्यांकन
दीर्घावधि अथवा बेमीयादी/नवीकरणीय पट्टे के अंतर्गत धारित भूमि पर भवन सहित भवन	शेष उपयोगी जीवन में परिशोधित	एस एल एम	पुनर्मूल्यांकन
अन्य पट्टाधृत भूमि एवं भवन तथा ऐसी पट्टाधृत भूमि पर भवन	पट्टे की अवधि में परिशोधित	एस एल एम	लागत
फर्नीचर और उपस्कर	18.10	डब्ल्यूडीवी	लागत
कार्यालय उपकरण	20.00	डब्ल्यूडीवी	लागत
इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन, वातानुकूलन मशीनरी, रेफ्रिजरेटर, फोटो कॉपी मशीन इत्यादि	20.00	डब्ल्यूडीवी	लागत
मशीनरी जैसे, फ्रैंकिंग मशीन, ऑफिस मशीनरी, तोलन मशीन, टाइप राईटर, एडिंग मशीन, डुप्लिकेटिग मशीन	13.91	डब्ल्यूडीवी	लागत
मोटर वाहन	25.89	डब्ल्यूडीवी	लागत
साइकिल	20.00	डब्ल्यूडीवी	लागत
कंप्यूटर एवं कंप्यूटर के सहायक उपकरण (आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार) *	33.33	एस एल एम	लागत

* कंप्यूटर हार्डवेयर के आंतरिक हिस्सा वाले सॉफ्टवेयर तथा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर मूल्यह्रास का प्रावधान सीधी कटौती प्रणाली पर 33.33% की दर पर किया जाता है।

4.3 भारत के बाहर स्थित अचल आस्तियों की बाबत मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देश की स्थानीय विधि के अनुसार सीधी कटौती प्रणाली / अवलिखित मूल्य पद्धति के आधार पर किया जाता है।

4.4 पुनर्मूल्यन के कारण अतिरिक्त मूल्यह्रास की सममुल्य राशि पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि से राजस्व आस्ति निधि में अंतरित की जाति है।

4.5 कम मूल्य की संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण की मदें जिनकी लागत ₹1000/- तक है को प्रभारित किया गया है जबकि ऐसी मदें जिनकी लागत ₹1001/- से लेकर ₹5000/- है प्रत्येक को जिस तिमाही में इसे क्रय किया गया है 100% की दर से मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है।

4.6 30 सितंबर तक के लिए योग पर मूल्यह्रास संपूर्ण दर पर तथा इसके बाद योग पर आधे दर पर मूल्यह्रास किया गया है।

5. विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन का प्रभाव

5.1 विदेशी मुद्रा का लेनदेन

i) विदेशी मुद्रा में लेनदेन की तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर लागू करके रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक पहचान पर विदेशी मुद्रा लेनदेन रिकार्ड किए जाते हैं।

ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्ट भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) की बंद / हाजिर दर का उपयोग करके की जाती है।

iii) विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की, जो परंपरागत लागत आधार बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जाती है, रिपोर्ट लेनदेन की तारीख को विनिमय दर का उपयोग करके की जाती है।

iv) विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की रिपोर्ट भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की बंद हाजिर दर का उपयोग करके की जाती है।

v) मौद्रिक मदों के निपटान पर ऐसी दरों पर उत्पन्न होनेवाले अंतर को, जो प्रारंभ में रिकार्ड की गई दरों से भिन्न है, उस अवधि में आय या व्यय माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

vi) बकाया विदेशी मुद्रा संविदा एवं बिल का पुनर्मूल्यन भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की दरों के अनुसार किया जाता है और परिणामी लाभ/हानि को प्रत्येक माह के अंत में राजस्व में ले जाया जाता है।

vii) जो विदेशी विनिमय स्वैप व्यापार के लिए धारित नहीं किए जाते हैं उन्हें मार्क्ड टू मार्केट नहीं किया जाता है। ऐसे स्वाप पर अदा या प्राप्त प्रीमियम, स्वैप की नियत अवधि पर खर्च के रूप में परिशोधित अथवा आय के रूप में ग्रहण किए जाते हैं।

5.2 विदेशी परिचालन

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और प्रतिनिधि कार्यालयों को गैर-समाकलित परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

अदला-बदली

i) मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों एवं देयताओं तथा गैर-समाकलित विदेशी परिचालन की आकस्मिक देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा अधिसूचित बंदी विनिमय दरों पर परिणत किया जाता है।

ii) गैर-समाकलित विदेशी परिचालन संबंधी आय एवं व्यय को तिमाही औसत बंद दरों पर परिणत किया जाता है।

iii) गैर-समाकलित विदेशी परिचालन में निवल निवेश पर उत्पन्न विनिमय अंतर को निवल निवेश के निपटान तक विदेशी मुद्रा परिणत आरक्षित में संचित किया जाता है।

6. कर्मचारी हितलाभ

6.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ

कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा के एवज में सेवावधि के दौरान उनकी सेवा के लिए कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा, आकस्मिक छुट्टी आदि अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ अदा / जमा किया जाता है।

6.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

सेवोपरांत हितलाभ

अ) निर्धारित अंशदान योजना

क) एनपीएस भविष्य निधि जैसी निर्धारित अंशदान योजना में अंशदान को लाभ-हानि लेखा में भारित किया जाता है। जिन कर्मचारियों ने पेंशन हितलाभ का विकल्प नहीं लिया है उनका भविष्य निधि अंशदान बैंक द्वारा संचालित ट्रस्ट को किया जाता है।

ख) 1 अप्रैल 2010 या उसके बाद बैंक की सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारी एक निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कर्मचारी वेतन व महंगाई भत्ते (DA) का 10% अंशदान करते हैं और बैंक वेतन व महंगाई भत्ते का 14% अंशदान करता है। यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2004 से लागू की गई अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधानों के अंतर्गत संचालित होती है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है।

आ) **निर्धारित हितलाभ योजना**

बैंक ग्रेच्युटी और पेंशन योजनाएं संचालित करता है, जो कि निर्धारित लाभ योजनाएं (Defined Benefit Plans) हैं।

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। यह लाभ सेवानिवृत्ति, इस्तीफ़ा, मृत्यु या सेवा के दौरान किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण अक्षम हो जाने की स्थिति में पात्र कर्मचारियों को एकमुश्त भुगतान के रूप में दिया जाता है। भुगतान की राशि निम्न में से जो भी अधिक हो, उसके अनुसार निर्धारित होती हैः

1. ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के अनुसारः प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा या छह महीने से अधिक की आंशिक सेवा के लिए, अंतिम प्राप्त वेतन के आधार पर पंद्रह दिनों के वेतन के हिसाब से ग्रेच्युटी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹20,00,000/- तक है।

2. OSR/ द्विपक्षीय समझौते (Bipartite) के अनुसारः प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए एक माह का वेतन, जिसकी अधिकतम सीमा 15 माह के वेतन तक

है। यदि कोई अधिकारी 30 वर्ष से अधिक सेवा पूर्ण करता है, तो उसे 30 वर्षों से अधिक प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए आधे माह के वेतन के अतिरिक्त भुगतान के रूप में ग्रेच्युटी दी जाएगी।

वेस्टिंग (अधिकार प्राप्ति) सेवा के पाँच वर्षों (ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972) या दस वर्षों (OSR/ द्विपक्षीय समझौते, जैसा लागू हो) के पूर्ण होने पर होती है। बैंक एक स्वतंत्र बाह्य गणनाकार (Actuary) द्वारा नियमित अंतराल पर किए गए आंकिक मूल्यांकन के आधार पर एक ट्रस्टी द्वारा प्रशासित कोष में वार्षिक अंशदान करता है।

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन भी प्रदान करता है। यह लाभ सेवा समाप्ति, सेवा के दौरान मृत्यु या नियमन के अनुसार सेवा समाप्ति की स्थिति में वेस्टिंग होने पर मासिक भुगतान के रूप में दिया जाता है। वेस्टिंग विभिन्न नियमों के अनुसार विभिन्न चरणों में होती है। बैंक एक स्वतंत्र बाह्य गणनाकार द्वारा नियमित रूप से किए गए आंकिक मूल्यांकन के आधार पर ट्रस्टी द्वारा प्राासित कोष में अतिरिक्त वार्षिक अंशदान करता है, साथ ही प्रत्येक माह वेतन का 10% मासिक अंशदान करता है।

निर्धारित लाभ प्रदान करने की लागत परियोजना इकाई केडिट विधि का उपयोग कर गणनाकार द्वारा निर्धारित की जाती है, जो सामान्यतः त्रैमासिक आधार पर की जाती है। शुद्ध देनदारियों को लाभ-हानि विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है और इन्हें स्थगित नहीं किया जाता।

इ) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

बैंक के सभी पात्र कर्मचारी प्रतिपूरक अनुपस्थिति एवं छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार हैं। इस प्रकार के दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ लागत की निधि बैंक द्वारा आंतरिक रूप से प्रदान की जाती है।

इस प्रकार के अन्य निर्धारित दीर्घावधि हितलाभ प्रदान करने की लागत का अवधारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है जो साधारणतया तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। पश्च सेवा लागत को आस्थगित नहीं किया जाता है और उसे तत्काल लाभ-हानि लेखे में मान्यता दी जाती है।

पूर्णकालिक निदेशकों को सेवानिवृत्ति के पश्चात सेवोपरांत चिकित्सा सुविधा के रूप में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। लागत का आकलन एवं निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है और ऐसा मूल्यांकन सेवानिवृत्ति के साथ-साथ कार्यरत पूर्णकालिक निदेशकों के लिए तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। इस देयता को तत्काल लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है और इसे आस्थगित नहीं रखा जाता है।

6.3 विदेशी शाखाओं में नियुक्त कर्मचारियों के कर्मचारी हित लाभ का मूल्यांकन एवं लेखा जोखा संबंधित स्थानिय विधि/विनियमों के अनुसार किया जाता है।

7. ब्याज दर स्वैप

7.1 बचाव व्यवस्था के लिए किए गए ब्याज दर स्वैप लेन-देन की गणना उपचय आधार पर की जाती है तथा क्रय-विक्रय संबंधी लेन-देन के बाजार मूल्य को बहियों में अंकित किया जाता है तथा निवल मूल्यह्रास के लिए, यदि कोई हो, प्रावधान किया जाता है, जबकि मूल्यवृद्धि को, यदि हो, नजरअंदाज किया जाता है।

7.2 बचाव व्यवस्था के लिए किए गए समाप्त ब्याज दर स्वैप पर लाभ या हानि को आस्थगित रखा जाता है और उसकी पहचान स्वैप की संविदागत शेष अवधि अथवा आस्ति या देयता की शेष अवधि, इनमें से जो भी कम हो, में की जाती है।

7.3 क्रय-विक्रय स्वैप से संबंधित आय और व्यय की पहचान निपटान की तारीख को की जाती है।

7.4 क्रय-विक्रय स्वैप की समाप्ति पर हुए लाभ या हानि को तत्काल आय या व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

8. आस्तियों की अनर्जकता

जब कभी भी घटनाओं या स्थितियों में हुए परिवर्तन के कारण ऐसा लगे कि किसी आस्ति की रख-रखाव राशि की वसूली नहीं हो सकती है, तब अनर्जकता के आकलन हेतु संपदा सयंत्र एवं उपकरण की समीक्षा की जाती है। धारित और उपयोग की जानेवाली आस्तियों की वसूली योग्यता का आकलन किसी आस्ति की रख-रखाव राशि की तुलना में आस्ति द्वारा उत्पन्न होनेवाले आगामी निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से करके किया जाता है। यदि ऐसी आस्तियों को अनर्जक माना जाता है तो उसकी अनर्जकता का आकलन आस्ति के रख-रखाव की उस राशि से किया जाता है जो आस्ति के उचित मूल्य से अधिक होती है।

9. गैर बैंकिंग परिसंपत्तियां

गैर बैंकिंग परिसंपत्तियों को लागत के रूप में वर्णित किया जाता है

10. राजस्व की पहचान

10.1 उपचय आधार पर आय की पहचान की जाती है, जब तक अन्यथा न कहा जाए।

10.2 विदेशी कार्यालयों के मामले में स्थानीय नियम/संबंधित देश के मानकों अनुसार आय की पहचान की जाती है।

10.3 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार अनर्जक आस्तियो निवेशों से आय की पहचान वसूली आधार पर की जाती है।

10.3.1 एनपीए खातों में वसूली का विनियोजन

एनपीए खातों (जिसमें समझौता/NCLT समाधान शामिल है) में प्राप्त वसूली का विनियोजन निम्नलिखित क्रम में किया जाएगाः

- सर्वप्रथम मूलधन बकाया के विरूद्ध, जब तक कि उसकी पूर्ण वसूली न हो जाए;
- तत्पचात अप्रयोजित ब्याज के विरूद्ध;
- शेष राशि, यदि कोई हो, उन अन्य प्रभारों के विरूद्ध जो उधारकर्ता के खाते में डेबिट नहीं किए गए हैं, किन्तु लाभ एवं हानि खाते में आरोपित किए गए हैं।

वाद दायर/डिक्री प्राप्त खातों के संबंध में, वसूली का विनियोजन सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की शर्तों के अनुसार किया जाएगा। ऐसे मामलों में, जहाँ डिक्री मौन हो अथवा विनियोजन की विधि निर्दिष्ट न करती हो, वसूली का विनियोजन बैंक की गैर-वाद दायर/डिक्री प्राप्त खातों पर लागू नीति के अनुरूप किया जाएगा।

10.4 साख पत्र/बैंक गारंटी जारी करने पर प्राप्त कमीशन का निर्धारण साख पत्र/बैंक गारंटी की आवधि के आाधार पर होता है। लाभांश का हिसाब उसके प्राप्ति के अधिकार के स्थापित होने पर किया जाता है।

10.5 किराया आय, म्यूचुअल फंडों एवं विभिन्न जमा खातों के सेवा प्रभार से प्राप्त आय की पहचान वसूली के आधार पर की जाती है।

10.6 आयकर रिफंड पर ब्याय की पहचान वर्ष के दौरान वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर की जाती है।

10.7 निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ या हानि की पहचान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार की जाती है।

10.8 बट्टे खाते डाले गए अग्रिमों में वसूली/निवेश का लेखा जोखा "विविध आय" में रखा जाता है।

11. पट्टा

ए एस 19 के अनुसार-पट्टे, परिचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के पट्टे के भुगतान की पहचान पट्टे की अवधि हेतु लाभ और हानि खाते में की जाती है तथा वित्तीय पट्टे के मामले में परिसंपत्तियों की पहचान पट्टे के प्रिमीयम के लागत के रूप में लेखा बही में की जाती है तथा यह पट्टे की अवधि के साथ परिशोधित हो जाती है।

12. आय पर कर

12.1 चालू कर

लागू कर नियमों, न्यायिक उद्घोषणाओं/वैधिक मतों एवं विगत मूल्यांकन के आधार पर कर योग्य निर्धारित आय पर, लागू ब्याज दर के अनुसार चालू कर उपलब्ध करवाया जाता है।

12.2 आस्थगित कर

क) आस्थगित कर, कर योग्य आय एवं लेखा आय मे होने वाले एक समय अंतर को यथोचित रूप में लेने तथा एक या अधिक परवर्ती अवधि में प्रत्यावर्तित किए जाने को संकेतित करने वाला मान्य विषय है।

ख) आय पर कर के हेतु लेखा मानक 22 द्वारा अधिनियमित अथवा तुलन पत्र की तारीख पर अधिनियमित कर दर का उपयोग करते हुए आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयताओं की पहचान की जाती है।

ग) प्रबंधन का निर्णय के अनुसार आस्थगित कर/देयताओं की वसूली निश्चित रूप से होगी या नहीं इसके आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर इनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।

घ) असमाविष्ट मूल्य ह्रास एवं कर हानि को आगे बढाने से आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान तभी होगी जब विश्वसनीय प्रभावयुक्त अमूर्त निश्चितता हो ताकि इस प्रकार की आस्थिगत कर परिसंपत्ति को भविष्य में होने वाले लाभ से प्राप्त किया जा सके।

13. प्रति शेयर अर्जन

13.1 बैंक एएस 20 –'प्रति शेयर अर्जन', के अनुसार प्रति शेयर मूल और न्यूनीकृत अर्जन की रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल अर्जन का निर्धारण कर पश्चात निवल लाभ तथा अधिमानी शेयरों पर लाभांश को वर्ष में बकाया ईक्विटी शेयरों की औसत भारिता से भाग देकर किया जाता है।

13.2 प्रति शेयर अर्जन में कमी उस संभाव्य कमी को प्रकट करती है जो वर्ष के दौरान प्रतिभूति या ईक्विटी शेयर जारी करने हेतु अन्य संविदा जारी या परिवर्तित करने पर होती है। प्रति शेयर अर्जन में कमी का निर्धारण वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या और कम होनेवाले संभाव्य ईक्विटी शेयरों का उपयोग कर किया जाता है।

14. व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स)

बैंक बहुत कम ही डेरिवेटिव्स यथा विदेशी वायदा संविदा, ब्याज-दर एवं मुद्रा डेरिवेटिव्स का काम करता है। रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, वायदा दर करार एवं ब्याज दर फ्यूचर बैंक के साथ संव्यवहार करने वाले ब्याज-दर डेरिवेटिव्स हैं। मुद्रा स्वैप एवं मुद्रा फ्यूचर बैंक के साथ मुद्रा डेरिवेटिव्स संव्यवहार करने वाले विकल्प हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार डेरिवेटिव्स का मूल्यंकन निम्नप्रकार से किया जाता है:

(क) बचाव-व्यवस्या पर आय/व्यय का आकलन उपचय आधार पर किया जाता है।

(ख) विदेशी वायदा संविदा बाजार के लिए चिह्नित होता है और परिणामी मुनाफा तथा हानि को लाभ एवं हानि लेखा में शामिल किया जाता है।

(ग) विनिमय व्यापार अनुबंध व्यापार उद्देश्य से किया जाता है जिसका मूल्यांकन विदेशी मुद्रा द्वारा निर्धारित दर के आधार पर मौजूदा बाजार के अनुसार किया जाता है और परिणामी मुनाफा तथा हानि को लाभ एवं हानि लेखा में शामिल किया जाता है।

(घ) व्यापार स्वैप के समाप्ति से होने वाले हानि/लाभ को समाप्ति की तारीख में आय/व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। प्रतिरक्षा स्वैप की समाप्ति से होने वाले किसी लाभ/हानि को आस्थगित रखा है और स्वैप की बची हुई संविदागत अवधि या नामित आस्ति/देयताओं की शेष बची हुई अवधि के अनुसार चिह्नित किया जाता है।

(ङ) लाभ एवं हानि लेखे में देय रहने पर मुद्रा विकल्प के लिए प्रदत्त एवं प्राप्त प्रीमियम को लेखे में शामिल किया जाता है।

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्ति संबंधी लेखा विधि

आईसीएआई द्वारा इस संबंध में जारी एएस 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों" के अनुरूप बैंक प्रावधान की पहचान तभी करता है जब अतीत की किसी घटना के फलस्वरूप उसका वर्तमान दायित्व हो, संभव है कि आर्थिक लाभ को सन्निहित करनेवाले संसाधनों का बहिर्गमन दायित्व का निपटान करने हेतु अपेक्षित हो, और तब दायित्व की राशि का विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सके।

16. खंड रिपोर्टिंग

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एवं आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 अनुपालन कर व्यवसायिक खंड को प्राथमिक खंड रिपोर्टिंग के रूप में एवं भौगोलिक खंड को गौण मान्यता प्रदान करता है।

Schedule 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. GENERAL

1.1 BASIS OF ACCOUNTING

The financial statements are prepared under 'going concern' concept on historical cost convention and on accrual basis of accounting unless otherwise stated and conform in all material aspects to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise applicable statutory provisions, regulatory norms/guidelines prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), to the extent applicable and generally the practices prevailing in the banking industry in India.

In respect of foreign offices/branches, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

1.2 USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements in conformity with GAAP requires the Management to make estimates and assumptions while reporting assets and liabilities (including contingent liabilities) as at the date of the financial statements and income and expenses during the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. However, actual results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively in the current and future periods.

2. ADVANCES:

2.1 Loans and advances are classified as performing and non-performing based on the guidelines issued by the RBI and provisions for advances are made as per prudential norms of the Reserve Bank of India.

Non-performing advances in India are ascertained as per the prudential norms and provisions are made upon classifying the same into 'Sub-Standard', 'Doubtful', and 'Loss' assets after considering the claims Received / Receivable from ECGC and advances are stated after netting of provisions.

2.2 Provision on Non-performing advances of foreign branches is made on the basis of regulatory requirement prevailing at the respective foreign countries or RBI guidelines whichever is higher.

2.3 Provision on standard restructured assets and project loans have been made as per RBI prudential norms and directives. A general provision on Standard Assets is made on global portfolio basis as per prudential norms of RBI.

2.4 The credit facilities backed by the guarantee of the Central Government though overdue is treated as NPA only when Government repudiates its guarantee when invoked

2.5 In respect of Compromise and Settlement Proposals, write-off is done on complete realization.

2.6 Partial prudential write-off of accounts is done upto unsecured portion level on a case to case basis on approval by the Competent Authority.

2.7 For restructured/rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by RBI, which require the difference between the fair value of loan before and after restructuring is provided, in addition to provisions for NPAs. The provision for diminution in fair value (DFU) and interest sacrifice arising out of the above is reduced while arriving at net advance.

2.8 Amount recovered against debts written off in earlier years are recognized as revenue in the year of recovery.

2.9 Sale of Financial asset to Securitized Company (SC) / Reconstruction Company (RC) is done on the basis of Board approved Policy in line with the RBI guidelines.

3. INVESTMENTS

3.1 Bank follows the prudential norms formulated by Reserve Bank of India for classification, valuation and operation of investment portfolio.

3.2 Investments are classified into following categories

i) Held to Maturity

ii) Available for Sale

iii) Fair Value through Profit & Loss. Held for Trading (HFT) shall be a separate investment sub-category within FVTPL.

All investments in subsidiaries, associates and joint ventures shall be held in a distinct category for such investments separate from the other investment categories (viz. HTM, AFS and FVTPL). For Reporting in Balance Sheet, Investments are further classified into Investments in Government Securities, Other Approved Securities, Shares, Debentures & Bonds, Subsidiaries and Joint Ventures and Others.

3.3 (i) Investments classified as Held to Maturity are carried at cost. Any discount or premium on the securities under HTM shall be amortised over the remaining life of the instrument as per straight line method. Profit on sale is initially taken to Profit and Loss Account and then appropriated to Capital Reserve Account net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve. Loss on sale is charged to the Profit and Loss Account.

(ii) Investments classified as Available for Sale, are fair valued on a daily basis. Any discount or premium on the acquisition of debt securities under AFS is amortised over the remaining life of the instrument as per Straight Line method. The valuation gains and losses across all performing investments, irrespective of classification (i.e., Government securities, Other approved securities, Bonds and Debentures, etc.), held under AFS is aggregated. The net appreciation or depreciation is directly credited or debited to a reserve named AFS-Reserve without routing through the Profit & Loss Account.

(iii) Investments held in FVTPL are fair valued and the net gain or loss arising on such valuation is directly credited or debited to the Profit and Loss Account. Securities that are classified under the FVTPL are fair valued on a daily basis. Any discount or premium on the acquisition of debt securities under FVTPL is amortised over the remaining life of the instrument as per straight line method.

3.4 Investments in Subsidiaries, Associates and Joint Ventures are valued at acquisition cost.

3.5 Investment in Commercial Papers and Treasury Bills are valued at carrying cost.

3.6 In respect of traded/quoted Investments, Market price is taken from the quotes available in the stock exchanges. Government securities are valued at Market price or price declared by Financial Benchmarks India Private Ltd. (FBIL). For securities whose prices are not published by FBIL, the fair value of the quoted security shall be based upon quoted price as available from the trades/ quotes on recognised stock exchanges, reporting platforms or trading platforms authorized by RBI/SEBI.

3.7 In respect of unquoted investments:- at breakup value (without considering Revaluation Reserve, if any) as per the latest Balance sheet (not more than 12 months old) otherwise Rs. 1 per company.

3.8 Investments by Bank in SRs / PTCs / other securities issued by ARCs shall be valued periodically by reckoning the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments. Provided that when transferors invest in the SRs/PTCs issued by ARCs in respect of the stressed loans transferred by them to the ARC, the transferors shall carry the investment in their books on an ongoing basis, until its transfer or realization, at lower of the redemption value of SRs arrived based on the NAV as above, and the NBV of the transferred stressed loan at the time of transfer.

SRs guaranteed by the Government of India are valued by reckoning the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments. However, any unrealised gains recognised in the Profit and Loss Account on account of fair valuation of such investments is deducted from CET 1 capital, and no dividends be paid out of such unrealized gains.

3.9 Commission, brokerage, broken period interest on investment transactions are debited and /or credited to Profit and Loss Account in the year of transaction. Broken period interest paid/received on debt instruments are excluded from cost/sale consideration.

3.10 The bank follows the prudential norms for recognition income from investments and for ascertaining and provisioning non-performing investments.

4. PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT

4.1 Items of property, plant & equipment except land and building are stated at historical cost less accumulated depreciation using cost model. Land and building are stated at revalued amount less accumulated depreciation using revaluation model. Surplus arising on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

4.2 The rates of depreciation and method of charging depreciation as considered appropriate by the management in respect of fixed assets situated in India are as below:-

CATEGORY OF ASSETS	Depreciation		Model
	Rate	Method	
Land including land held under long-term or perpetual/renewable lease	NIL	NA	Revaluation
Building including building on land held under long-term or perpetual/renewable lease	Amortized over remaining useful life	SLM	Revaluation
Other lease-hold land & building and building on such leasehold land	Amortized over lease period	SLM	Cost
Furniture and Fixtures	18.10	WDV	Cost
Office Equipment	20.00	WDV	Cost
Electrical Installation, Air-conditioning Machinery, Refrigerator, Photo copying Machine etc.	20.00	WDV	Cost
Machinery e.g. Franking machine, office machinery, weighing machine typewriter, adding machine, Duplicating Machine	13.91	WDV	Cost
Motor Vehicle	25.89	WDV	Cost
Cycle	20.00	WDV	Cost
Computers and computer peripherals (as per RBI guidelines) *	33.33	SLM	Cost

* Depreciation on computer software including the software forming integral part of computer hardware is provided at Straight Line Method at the rate of 33.33%.

4.3 Depreciation in respect of fixed assets situated outside India is provided on straight line/written down value method as per the local laws of respective country.

4.4 Equivalent amount of additional depreciation arising out of revaluation is transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

4.5 Items of property, plant and equipment of small value costing upto Rs.1000 each are charged off whereas items costing between Rs.1001 and Rs.5000 each are depreciated @ 100% in the quarter in which the same are purchased.

4.6 Depreciation is provided at full rate on additions made upto 30th September and at half the rate on additions made thereafter.

5. EFFECT OF CHANGES IN FOREIGN EXCHANGE RATE

5.1 FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

i) Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.

ii) Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing/spot rate.

iii) Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms at historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

iv) Contingent Liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

v) Exchange differences arising on settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

vi) Outstanding forward exchange contracts are revalued every month as per month end FEDAI rates applicable based on maturity date of the forward contracts and the resultant gain/loss is taken to profit and loss at the end of each month.

vii) The foreign exchange swaps which are not held for trading are not marked to market. The premium paid or received on such swaps are amortized as expense or accreted as income over the life of the swap.

5.2 FOREIGN OPERATIONS

Foreign Branches and representative offices of the Bank have been classified as non-integral operations.

Translation

i) Both monetary and non-monetary foreign currency assets and liabilities including contingent liabilities of non-integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the balance sheet date.

ii) Income and expenditure of non-integral foreign operations are translated at quarterly average closing rates.

iii) Exchange differences arising on net investment in non-integral foreign operations are accumulated in Foreign Currency Translation Reserve until the disposal of the net investment.

6. EMPLOYEE BENEFITS

6.1 Short Term Employee Benefits

Short-term employee benefits, such as medical benefits, casual leave etc. which are paid in exchange for the services rendered by employees are recognized during the period when the employee renders the service.

6.2 Long Term Employee Benefits

Post-employment Benefits

A) Defined Contribution Plan

a) Contributions to Defined Contribution Schemes such as NPS, Provident Fund etc., are charged to the Profit & Loss Account as and when incurred. In respect of certain employees who have not opted for Pension Benefits, Provident Fund Contributions are made to a Trust administered by the Bank.

b) The employees joining the services of the bank on or after 1st April 2010 are covered by a defined contributory pension scheme where the employees contribute 10% of pay plus DA and the bank makes a contribution of 14% of the Pay plus DA. The scheme is governed by the provisions of the contributory pension scheme introduced for the employees of central government w.e.f 1st January 2004 and modified from time to time.

B) Defined Benefit Plan

The bank operates gratuity and pension schemes which are defined benefit plans.

The bank operates gratuity and pension schemes which are defined benefit plans. The Bank provides gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum / onetime payment to vested employees on superannuation or retirement or resignation or death or disablement due to accident or disease while in employment, for an amount equivalent to :

1) As per Gratuity Act 1972, For every completed year of service or part thereof in excess of six months, gratuity to an employee at the rate of fifteen days' wages based on the rate of wages last drawn by the employee concerned, subject to a maximum amount of Rs.20,00,000/- or

2) As per OSR/ Bipartite, The amount of gratuity shall be one month's pay for every completed year of service, subject to a maximum of 15 months' pay. Provided that where an officer has completed more than 30 years of service, he shall be eligible by way of gratuity for an additional amount at the rate of an additional amount at the rate of one half of a month's pay for each completed year of service beyond 30 years, whichever is higher Vesting occurs upon completion of five years (Payment of Gratuity Act, 1972) / ten years (OSR/ Bipartite) (as applicable) of service. The Bank makes annual contributions to a fund administered by Trustees based on an independent external actuarial valuation carried out at regular intervals.

   The Bank provides pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and regular payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment as provided under regulation. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes additional annual contributions to funds administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out at regular intervals besides monthly contribution @ 10% of pay per month.

   The cost of providing defined benefits is determined by actuarial valuation using the projected unit credit method which is normally carried out on quarterly basis. Net liabilities are immediately recognized in the statement of profit and loss and are not deferred.

C) Other Long Term Employee benefits

All eligible employees of the bank are entitled to compensated absences; leave travel concession. The costs of such long-term employee benefits are internally funded by the Bank.

The cost of providing these other long term benefits is determined by actuarial valuation using the projected unit credit method which is normally carried out on quarterly basis. Past service cost is immediately recognized in the statement of profit and loss and is not deferred.

Medical benefits are extended to full time Directors, after their retirement as post-retirement medical benefits. The cost is ascertained and determined by actuarial valuation using the projected unit credit method and such valuation is carried out on quarterly basis for retired as well as in service full time Directors. The liability is immediately recognized in the statement of profit & loss and not deferred.

6.3 Employee benefits relating to employees employed at foreign branches and offices are valued and accounted for as per the respective local laws/regulations.

7. INTEREST RATE SWAPS

7.1 The Interest Rate Swap transactions undertaken for hedging are accounted for on accrual basis and transactions for trading are marked to market and net depreciation is provided for whereas appreciation, if any, is ignored.

7.2 Gain or loss on terminated interest rate swap transactions undertaken for hedging is deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or remaining life of the asset or liability.

7.3 Income and expenses relating to the trading swaps are recognized on the settlement date.

7.4 Gain or losses on the termination of the trading swaps are recorded as income or expense immediately.

8. IMPAIRMENT OF ASSETS

Items of property, plant and equipment are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment, to be recognized, is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

9. NON-BANKING ASSETS

Non-Banking Assets are stated at cost.

10. REVENUE RECOGNITION

10.1 Income is recognized on accrual basis, unless otherwise stated.

10.2 In respect of foreign offices, income is recognized as per local laws/ standards of respective country.

10.3 Income from non-performing assets/investments is recognized on realization basis in terms of RBI guidelines.

10.3.1 Appropriation of Recoveries in NPA Accounts

In NPA accounts (including compromise/NCLT Resolution), recoveries are appropriated in the following order:

- First towards principal outstanding, until fully recovered;
- Thereafter towards unapplied interest;
- Balance, if any, towards other charges not debited to the borrower's account but charged to Profit & Loss.

In respect of suit filed/decreed accounts, recoveries shall be appropriated in accordance with the terms of the decree passed by the competent court. In cases where the decree is silent or does not specify the manner of appropriation, recoveries shall be appropriated in line with the Bank's policy applicable to non-suit filed/decreed accounts.

10.4 Commission on issuance of Letters of Credit/ Bank Guarantees is recognized over the tenure of LC/BG. Dividend is accounted when the right to receive the same is established.

10.5 Rental Income, Income on Units of Mutual Funds and Service Charges on various Deposit Accounts are recognized on realization basis.

10.6 Interest on Income-tax refund is recognized in the year it was actually received.

10.7 Profit or loss on sale of investments is recognized as per RBI guidelines.

10.8 Recoveries in Written off Advances / Investments are accounted for as 'Miscellaneous Income'.

11. LEASE

In accordance with AS 19 - Leases, lease payments for assets taken on operating lease are recognized in the profit & loss account over the period of lease and in respect of assets taken on finance lease, the asset is recognized in the books taking the lease premium as the cost and the same is amortized over the period of the lease.

12. TAXES ON INCOME

12.1 Current Tax

Current tax is provided using applicable tax rates on the taxable income determined on the basis of applicable tax laws, judicial pronouncements / legal opinions and the past assessments.

12.2 Deferred Tax

a) Deferred Tax is recognized subject to consideration of prudence, on timing difference, representing the difference between the taxable income and accounting income that originated in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods.

b) Deferred tax asset or liability is recognized using the tax rates that have been enacted or substantially enacted by the Balance Sheet date as per Accounting Standard 22 Accounting for Taxes on Income.

c) Deferred tax assets/liabilities are re-assessed at each reporting date, based upon management's judgement as to whether their realisation is considered as reasonably certain.

d) Deferred Tax Assets on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses are recognized only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future profits.

13. EARNINGS PER SHARE

13.1 The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 - 'Earnings per Share'. Basic earnings per share computed by dividing the net profit after tax and dividend on preferential shares by weighted average number of equity shares outstanding for the year.

13.2 Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at year end.

14. Derivatives

The Bank rarely deals in derivatives i e Forex Forward Contracts, interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures. Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

(a) Income/expenditure on hedging derivatives are accounted on accrual basis.

(b) Forex forward contracts are Marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the profit and loss account.

(c) Exchange Traded Contracts entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

(d) Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/ expenditure. Any gain/loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

(e) Premium paid and received on currency options is accounted when due in the profit and loss account.

15. ACCOUNTING FOR PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

In conformity with Accounting Standard AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

16. Segment Reporting

The Bank recognizes the Business segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment, in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

अनुसूची / SCHEDULE 18
अनुबंध III / Annexure III
लेखे के संबंध में टिप्पणियां / NOTES ON ACCOUNTS

1. विनियामक पूंजी / Regulatory Capital:

i) नियामक पूंजी की संरचना/Composition of Regulatory Capital

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. Sl. no	मदें/Items	2025-26	2024-25
(i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)		
	Common Equity Tier 1 capital (CET 1)	27,224.38	23,682.47
(ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी /Additional Tier 1 capital	378.16	500.00
(iii)	टियर 1 पूंजी/Tier 1 capital (i + ii)	27,602.54	24,182.47
(iv)	टियर 2 पूंजी/Tier 2 Capital	3,365.76	3,133.60
(v)	कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2)/Total capital (Tier 1+Tier 2)	30,968.30	27,316.06
(vi)	कुल जोखिम अनिर्धारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए)		
	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	1,66,417.13	1,47,707.34
(vii)	सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1) / आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में चुकता शेयर पूंजी और आरक्षित निधियां		
	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs) /		
	Paid-up share capital and reserves as percentage of RWAs)	16.36%	16.03%
(viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी)		
	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	16.59%	16.37%
(ix)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी)		
	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	2.02%	2.12%
(x)	पूंजी-जोखिम अनिर्धारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)		
	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR)		
	(Total Capital as a percentage of RWAs)	18.61%	18.49%
(xi)	उत्तोलन अनुपात/Leverage Ratio	-	-
(xii)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत		
	Percentage of the shareholding of Government of India	90.95%	90.95%
(xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई प्रदत्त इक्विटी पूंजी की राशि		
	Amount of paid-up equity capital raised during the year	0.00	583.60
(xiv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि		
	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year	0.00	0.00
(xv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि		
	Amount of Tier 2 capital raised during the year	0.00	0.00

ii) रिज़र्व से ड्रा डाउन - शून्य

ii) Draw Down from Reserves - Nil

2. आस्ति देयता प्रबंध/Asset Liability Management

i) दिनांक 31.03.2026 को आस्तियों एवं देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूपः/
Maturity pattern of certain items of asset and liabilities as on 31.3.2026:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण PARTICULARS	1दिन 1 Day	2 से 7 दिन तक 2 to 7 days	8 से 14 दिन तक 8 to 14 days	15 से 30 दिन तक 15 to 30 days	31 दिन से 2 माह तक 31days to 2 months	2 माह से अधिक से लेकर 3 माह तक Over 2 months and upto 3 months	3 माह से अधिक से लेकर 6 माह तक Over 3 months and upto 6 months	6 माह से अधिक से लेकर 1 वर्ष तक Over 6 months and upto 1 year	1 वर्ष अधिक से लेकर 3 वर्ष तक Over 1 year and upto 3 years	3 वर्ष तक अधिक से लेकर 5 वर्ष तक Over 3 years and upto 5 year	5 बर्ष से अधिक Over 5 years	कुल Total
जमा/Deposits	4.080	9.687	4,787	9,743	21,804	14,131	44,598	81,637	38,193	10,102	88,798	3,27,562
अग्रिम / Advances	1.168	1.820	2,095	4,959	7,154	10,518	11,642	21,844	32,772	28,607	1,40,172	2,62,751
निवेश / Investments	853	859	1,190	354	129	414	1,110	3,392	12,271	32,492	46,229	99,295
उधार/Borrowings	111	2,500	-	379	2,500	1,091	5,346	1,855	7,317	1,711	500	23,310
विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency Assets	4.148	4,192	986	1,984	3,978	1,676	7,819	3,453	9,412	4,097	3,566	45,310
विदेशी मुद्रा देयताएं Foreign Currency Liabilities	720	3,004	1,500	2,424	3,332	2,798	8,403	2,480	14,387	2,113	2,906	44,067

ii) चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) / LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR) :

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण/Quantitative Disclosure:

चलनिधि कवरेज अनुपात/Liquidity Coverage Ratio: (राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

		30.06.2025 को समाप्त तिमाही Quarter ended 30.06.2025		30.09.2025 को समाप्त तिमाही Quarter ended 30.09.2025		31.12.2025 को समाप्त तिमाही Quarter ended 31.12.2025		31.03.2026 को समाप्त तिमाही Quarter ended 31.03.2026	
		कुल अभारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल अभारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल अभारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल अभारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)
उच्च गुणवत्तायुक्त चल परिसंपत्तियां/ High Quality Liquid Assets									
1	कुल उच्च गुणवत्तायुक्त चल परिसंपत्तिया (HQLA) Total High quality Liquid Assets(HQLA)		66,576.74		70,490.39		72,171.72		68,275.68
नकदी निकासी/Cash Outflows									
2	खुदरा जमा और छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से प्राप्त जमा, जिनमें से: Retails Deposit and deposits from small business customers, of which:	1,87,398.27	18,649.82	1,87,912.57	18,693.51	1,89,390.00	18,841.03	1,88,716.35	17,627.05
(i)	स्थिर जमा /Stable Deposit	1,800.07	90.00	1,954.85	97.74	1,959.41	97.97	24,891.68	1,244.58
(ii)	अल्प स्थिर जमा/Less Stable Deposit	1,85,598.20	18,559.82	1,85,957.72	18,595.77	1,87,430.59	18,743.06	1,63,824.67	16,382.47
3	अरक्षित थोक वित्त पोषण, जिनमें से Unsecured Wholesale Funding, of which	82,163.88	33,559.56	88,786.17	36,516.40	91,908.07	37,366.36	97,178.04	41,173.31
(i)	परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षी पार्टियां) Operational Deposits (All Counter Parties)	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii)	गैर-परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षी पार्टियां) Non- Operational Deposits (All Counter Parties)	75,633.02	30,616.28	88,786.17	36,516.40	91,908.07	37,366.36	97,178.04	41,173.31
(iii)	अप्रतिभूत ऋण//Unsecured Debt								
4	प्रतिभूत थोक निधियन / Secured Wholesale Funding		-		-		-		-
5	अतिरिक्त जरुरतें, जिनमें/ Additional Requirements, of Which	33,101.49	5,358.10	32,985.80	5,317.82	33,418.69	4,258.10	34,109.44	4,554.73
(i)	व्युत्पन्न एक्सपोज़र एवं अन्य संपार्श्विक जरूरतों से संबंधित निकासी Outflows related to derivative exposures and other Collateral Requirements	1,676.06	1,676.06	1,601.28	1,601.28	86.78	86.78	88.54	88.54

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

		30.06.2025 को समाप्त तिमाही Quarter ended 30.06.2025		30.09.2025 को समाप्त तिमाही Quarter ended 30.09.2025		31.12.2025 को समाप्त तिमाही Quarter ended 31.12.2025		31.03.2026 को समाप्त तिमाही Quarter ended 31.03.2026	
		कुल अभारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल अभारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल अभारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल अभारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन हानि से संबंधित निकासी Outflows related to loss of funding on debt Products	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii)	ऋण एवं चलनिधि सुविधाएं Credit and Liquidity facilities	35,724.95	4,111.98	35,256.47	4,103.83	37,094.49	4,547.58	34,020.90	4,466.19
6	अन्य संविदा निधियन दायित्व Other Contractual funding Obligations	1,632.75	1,632.75	2,643.72	2,643.72	2,899.16	2,899.16	2,015.20	2,015.20
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व Other Contingent Funding Obligations	13,269.68	398.09	13,462.67	403.88	14,418.08	432.54	15,024.92	450.75
8	कुल नकदी निकासी **Total Cash Outflows**		**60,028.27**		**63,962.63**		**64,173.45**		**65,821.04**
नकदी आगमन/ Cash Inflows									
9	प्रतिभूत उधार (उदा. रिवर्स रेपो) Secured Lending (eg. Reverse Repos)	-	-	-	-	-	-	-	-
10	पूर्णतः अर्जक एक्सपोज़र से आगमन Inflows from Fully Performing Exposures	7,875.25	6,828.07	7,813.98	7,017.13	5,494.23	4,645.91	7,410.64	6,379.62
11	अन्य नकदी आगमन Other Cash inflows	331.33	327.42	415.51	415.51	281.06	281.06	178.93	178.93
12	**कुल नकदी आगमन/Total Cash inflows**	8,206.58	7,155.49	8,229.49	7,432.64	5,775.29	4,926.98	7,589.56	6,558.55
		कुल समायोजित मूल्य/Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य/Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य/Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य/Total Adjusted Value	
13	**कुल एचक्यूएलए/ Total HQLA**		66,576.74		70,490.39		72,171.72		68,275.68
14	**कुल निवल नकदी निकासी** **Total Net Cash Outflow**		52,872.78		56,529.99		59,246.48		59,698.82
15	**चलनिधि कवरेज अनुपात (%)** **Liquidity Coverage Ratio (%)**		125.92%		124.70%		121.82%		114.37%

***2025-26 का औसत एलसीआर यानी अप्रैल 2025 से मार्च 2026** = 121.70% / *Average of Daily LCR of 2025-26, i.e. April 2025 to March 2026 = 121.70%

एलसीआर डेटा और परिणाम का गुणात्मक मूल्यांकनः

तरलता कवरेज अनुपात (LCR) की शुरुआत इस उद्देश्य से की गई है कि बैंक पर्याप्त स्तर पर अप्रभावित उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (HQLAs) बनाए रखे, जिसे अगले 30 कैलेंडर दिनों के समय के लिए अपने तनावग्रस्त बहिर्वाह को पूरा करने के लिए नकदी में परिवर्तित किया जा सके। RBI ने बैंकों को बैंक स्तर पर न्यूनतम 100% LCR बनाए रखने का आदेश दिया है।

तदनुसार, बैंक बैंक स्तर पर एलसीआर का खुलासा कर रहा है। बैंक की हांगकांग और सिंगापुर में दो विदेशी शाखाएँ हैं, जिनके लिए अलग से एलसीआर की आवश्यकता नहीं है।

एलसीआर के संचालकः

बैंक मुख्य संचालन को निरंतर आधार पर न्यूनतम विनियामक आवश्यकता से काफी ऊपर एलसीआर को बनाए रखता है, जो निम्नप्रकार हैंः

Qualitative Assessment of LCR data and Result :

Liquidity Coverage Ratio (LCR) has been introduced with the objective to ensure that Bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLAs) that can be converted into cash to meet its stressed outflows for next 30 calendar day time horizon. RBI mandates Banks to maintain minimum LCR of 100% at Bank level.

Accordingly, Bank is disclosing the LCR at Bank level. The Bank is having two overseas branches at Hong Kong and Singapore for which there is no separate LCR requirement.

Drivers of LCR:

The Bank has been maintaining the LCR well above the minimum regulatory requirement on an ongoing basis on the main drivers of which are as under:

संचालक / Drivers	विवरण/Particulars
उच्च गुणवत्ता वाली चल परिसंपत्तियों का स्तर (एचक्यूएलए) Level of High Quality Liquid Assets (HQLA)	बैंक अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता से अधिक सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में एचक्यूएलए का पर्याप्त स्तर बनाए हुए है, अर्थात डीटीएल का 18% जिसे आसानी से परिसमाप्त किया जा सकता है या तनावपूर्ण स्थितियों में त्वरित तरलता उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दिनांक 31.03.2026 तक, बैंक के पास आज्ञापक एसएलआर आवश्यकता से अधिक डीटीएल का 3.41% भारमुक्त होल्डिंग था। (कुल अधिशेष एसएलआर, डीटीएल का 5.18% है) The Bank is maintaining substantial level of HQLA in the form of Government Securities in excess of the mandatory SLR requirement, i.e. 18% of DTL which can be easily liquidated or could be used for generating quick liquidity in stressed conditions. Bank was unencumbered holding 3.41% of DTL in excess of mandatory SLR requirement as on 31.03.2026. (Total Excess SLR is 5.18% of DTL)
रिटेल जमा/लघु कारोबार करने वाले ग्राहकों से निधि की प्राप्ति Funding from Retail Deposits / Small Business Customers	चूंकि खुदरा ग्राहकों से मिलने वाले वित्तपोषण के साथ-साथ छोटे व्यवसाय ग्राहकों से मिलने वाले वित्तपोषण को तनाव की स्थिति में स्थिर माना जाता है, इसलिए बैंक इन स्रोतों से वित्तपोषण प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और कॉर्पोरेट जमा तथा बैंक/एफआई/एनबीएफसी से मिलने वाले जमा पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। वर्तमान में, 31.03.2026 तक इस खंड में बैंक की जमाराशियों की कुल संरचना कुल वैश्विक जमाराशियों का 60.75% है। As funding from Retail customers as well as funding from Small business customers are considered stable during Stress Scenario and accordingly, Bank is focusing on sourcing funding from these sources and is reducing its dependence on corporate deposits and deposits from Bank / FI / NBFC. Presently, Bank's total composition of Deposits in this segment is 60.75% of Total Global Deposits as on 31.03.2026.

उच्च गुणवत्ता चल परिसंपत्तियां (एचक्यूएलए): हमारे एचक्यूएलए में निम्नांकित शामिल हैंः

- **स्तर 1 की परिसंपत्तियां**
  1. उपलब्ध तैयार नकदी जिसमें सीआरआर के अतिरिक्त मौजूद नकदी रिजर्व शामिल है।
  2. बाध्यकारी एसएलआर के अतिरिक्त मौजूद सरकारी प्रतिभूतियां।
  3. एसएलआर प्रतिभूतियों के रूप में शुद्ध मांग एवं मियादी देयताओं के 2% तक की सीमांत स्थायी सुविधा।
  4. तरलता कवरेज अनुपात के लिए तरलता प्राप्त करने की सुविधा कुल निवल मांग और समय देनदारियों के 16 प्रतिशत तक की सीमा में एसएलआर वाली प्रतिभूतियों के रूप में उपलब्ध है।
  5. स्थायी जमा सुविधा
- **स्तर 2 की परिसंपत्तियां (बैंकों/वित्तीय संस्था द्वारा जारी न की गई)**
- **स्तर 2ए परिसंपत्तियां - 15% हेयरकट के साथ**
  1. सॉवरेन सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों (पीएसई) पर दावों या उनके द्वारा गारंटीकृत दावों का प्रतिनिधित्व करनेवाली विक्रय योग्य प्रतिभूतियां जिनका जोखिम भार 20% का है।

High Quality liquid Assets (HQLA): Our HQLA comprises of following:

a. Level 1 Assets

1. Cash in hand including Cash Reserve in excess of CRR.
2. Govt. Securities in Excess of Mandatory SLR
3. Marginal standing Facility up to 2% of Net Demand and Time Liabilities in the form of SLR securities.
4. Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio up to 16% of Net Demand and Time Liabilities in the form of SLR securities.
5. Standing Deposit Facility.

b. Level 2 Assets (Not issued by Banks/Financial Institution)

c. Level 2A assets- With Haircut of 15%

1. Marketable securities representing claims on or claims guaranteed by Sovereigns Public Sector Entities (PSEs) having risk weight 20%.

2. कारपोरेट बॉन्ड एवं वाणिज्यिक कागजात जिनकी न्यूनतम रेटिंग एए- है।

- **स्तर 2बी परिसंपत्तियों के अंतर्गत - 50% हेयरकट के साथ**

1. सॉवरेन द्वारा निर्गमित या गारंटीकृत प्रतिभूतियां जिनका जोखिम भार 20% से अधिक परंतु 50% से अधिक नहीं है (जैसे एए एवं ए रेटिंग के बॉन्ड)।
2. कॉर्पोरेट कर्ज प्रतिभूतियां (वाणिज्यिक कागजात सहित) जिनकी बाह्य रेटिंग ए+ से बीबीबी- के मध्य है।
3. एनएसई सीएनएक्स निफ्टी सूचकांक और/या एस एंड पी बीएसई सेन्सेक्स सूचकांक में शामिल कॉमन ईक्विटी शेयर

एचक्यूएलए की संरचना: 31 मार्च 2026 को समाप्त तीन महीनों के दौरान बैंक ने 68,275.68 करोड़ रुपये का औसत HQLA बनाए रखा, जिसमें लेवल 1 की संपत्ति HQLA के कुल स्टॉक का लगभग 99.57% हिस्सा है। लेवल 1 की संपत्ति अधिक स्थिर प्रकार की संपत्ति है, जिसमें किसी भी नकदी बहिर्वाह को पूरा करने के लिए कोई हेयरकट नहीं है या कम है। लिक्विडिटी कवरेज अनुपात (FALLCR) के लिए लिक्विडिटी का लाभ उठाने की सुविधा HQLA का सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी 31.03.2026 तक कुल औसत HQLA का लगभग 72.59%। (एफएएलएलसीआर और एमएसएफ कुल भारित एचक्यूएलए का 81.40% हिस्सा हैं)।

लेवल 1 परिसंपत्तियों की तुलना में लेवल 2 की परिसंपत्ति गुणवत्ता में कम है, 40% के अधिकतम अनुमत स्तर के मुकाबले एचक्यूएलए के कुल स्टॉक का 0.20% है। लेवल 2 परिसंपत्तियाँ, लेवल 1 परिसंपत्तियाँ की तुलना में कम गुणवत्ता वाले होते हैं। बैंक की लेवल 2 परिसंपत्तियाँ पर निर्भरता कम है। इसलिए, 2ए और 2बी परिसंपत्तियों पर लेवल 1 परिसंपत्तियों की तुलना में अधिक हेयरकट लगाया जाता है। 31.03.2026 तक, ये कुल वेटेड एचक्यूएलए का 0.43% हिस्सा हैं, जबकि अधिकतम अनुमेय सीमा 40% है।

धन स्रोतों की एकाग्रता: हमारे फंडिंग स्रोत विविध देनदारियों के पोर्टफोलियो के साथ अच्छी तरह से फैले हुए हैं जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

- गैर-परिपक्व जमा (चालु जमा/बचत जमा)
- सावधि जमा जिसका अधिकांश हिस्सा खुदरा ग्राहकों से आ रहा है।

फंडिंग प्रोफाइल : 31.03.2026 तक खुदरा जमा और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमा राशि कुल भारित नकदी बहिर्वाह (कुल गैर-भारित नकदी बहिर्वाह का 60.46%) का लगभग 24.71% योगदान देती है। गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट, केंद्रीय बैंक, बहुपक्षीय विकास बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से जमा राशि 31.03.2026 तक कुल भारित नकदी बहिर्वाह (कुल गैर-भारित नकदी बहिर्वाह का 18.03%) का 35.34% योगदान देती है।

31.03.2026 तक कुल अ-भारित नकदी बहिर्वाह में अन्य कानूनी इकाई से अ-भारित देयता का प्रतिशत 6.94% था।

बैंक ने एल सी आर श्रेणी के अनुसार जमा प्रोफाइल के स्रोतों के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित की है। बैंक नियमित अंतराल पर फंडिंग स्रोतों की निगरानी भी करता है, ताकि कम स्थिरता वाले निधियों के संकेन्द्रण की निगरानी की जा सके।

बैंक शीर्ष 20 जमाकर्ताओं के संकेन्द्रण की भी नियमित अंतराल पर निगरानी करता है। बैंक एलसीआर के आधार पर स्ट्रेस टेर्स्टिंग और रिवर्स स्ट्रेस टेर्स्टिंग भी करता है।

डेरिवेटिव एक्सपोजर और संभावित संपार्श्विक कॉल्स

डेरिवेटिव एक्सपोजर को उन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के निवल नकद अंतर्वाह और निवल नकद बहिर्वाह के रूप में दिखाया जाता है, जो 30 दिनों के भीतर परिपक्व हो रहे हैं।'

2. Corporate Bonds and Commercial Papers having minimum rating of AA-.

d. Level 2B assets -With Haircut of 50%

1. Securities issued or guaranteed by sovereigns having risk weight higher than 20% but not higher than 50% (i.e. Bonds with Rating AA & A)
2. Corporate Debt Securities (including Commercial Paper) having external rating between A+ and BBB-
3. Common Equity Shares Included in NSE CNX Nifty index and/or S&P BSE Sensex index.

Composition of HQLA: The Bank during the three months ended 31st March 2026 maintained average HQLA of Rs.68,275.68 crore of which Level 1 Assets contribute to approximately 99.57% of the total stock of HQLA. Level 1 assets are more stable form of asset with no or lower haircut for meeting any cash outflow. Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio (FALLCR) constitutes the highest portion to HQLA i.e. around 72.59% approx. of the total average HQLA as on 31.03.2026 . (FALLCR and MSF constitutes 81.40% of Total Weighted HQLA).

Level 2 assets which are lower in quality as compared to Level 1 assets. Bank is having low reliance on Level 2 assets. Hence, 2A, 2B Assets having higher hair cut as compared to the Level 1 Asset constituting 0.43% of the total weighted HQLA as on 31.03.2026 against maximum permissible level of 40%.

Concentration of Funding Sources: Our Funding sources are well diversified comprising mainly of:

- Non-maturing deposits (Current Deposit/ Saving Deposit)
- Term Deposit of which majority portion is from Retail Customers.

Funding Profile: Retail Deposits along with Deposits from Small Business Customer put together contribute around 24.71% of total weighted Cash outflow (60.46% of total un-weighted Cash outflow) as on 31.03.2026. Deposits from Non-financial Corporates, Central Banks, Multilateral development banks and PSEs contribute to 35.34% of total weighted Cash outflows (18.03% of total un-weighted Cash outflows) as on 31.03.2026.

The percentage of Unweighted Liability from Other Legal entity to Total Un-weighted Cash outflows stood at 6.94% as on 31.03.2026.

Bank has ceiling limit capped for sources of Deposit profile as per LCR categories. Bank is also monitoring the funding sources on regular interval with the objective to monitor/reduce the concentration of funds having lower stability.

Bank also monitors the concentration of top 20 depositors on regular intervals. Bank is also conducting Stress testing and Reverse Stress testing based on LCR.

Derivative exposures and potential collateral calls:

Derivative exposure is shown as Net Derivative cash inflows and outflows within for derivative contracts maturing within 30 days.

अवधि के दौरान होने वाले परिवर्तन और समय के साथ होने वाले परिवर्तन

उच्च गुणवत्ता वाले तरल संपत्तियों (एचक्यूएलए) में परिवर्तनः

बैंक ने स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (एसडीएफ) के तहत, शेष राशियों का प्रबंधन, लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप किया है। इसके परिणामस्वरूप ऐसी शेष राशि को उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) के रूप में शामिल किया गया है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) में वृद्धि हुई है, जिसे पहले बहिर्वाह में शामिल किया गया था।

बहिर्वाह में परिवर्तन :

बैंक ने नियामकीय स्पष्टीकरणों के अनुरूप 'लेन-देन आधारित' और 'संबंध आधारित' खातों पर 'स्थिर' तथा 'कम स्थिर' श्रेणियों में जमाराशियों के वर्गीकरण को परिष्कृत किया है। तदनुसार, वेतन तथा पेंशन जमाराशियों के अतिरिक्त, संबंध तथा लेन-देन खातों के मानदंडों को पूरा करने वाली कुछ जमाराशियाँ - जैसे कि बैंक के साथ एकाधिक जमा संबंध तथा/या ऋण संबंध रखने वाले ग्राहक- को स्थिर जमाओं के रूप में माना गया है।

इस पुनर्वर्गीकरण से निकासों में कमी आई है तथा एलसीआर में सुधार हुआ है।

एलसीआर में मुद्रा असंगतिः

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, एलसीआर मानक को एक ही मुद्रा में पूरा करना आवश्यक है और संभावित मुद्रा बेमेल को बेहतर ढंग से समझने के लिए, प्रत्येक मुद्रा में एलसीआर की निगरानी करने की आवश्यकता है। तदनुसार, बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की नियामक आवश्यकता के अनुरूप, दैनिक आधार पर भारतीय रुपये (आईएनआर) में एलसीआर का संधारण कर रहा है। बैंक, हांगकांग तथा सिंगापुर स्थित अपने विदेशी केंद्रों के संबंधित नियामकों द्वारा निर्धारित तरलता अनुपात की भी निगरानी करता है।

तरलता प्रबंधन के केंद्रीकरण की डिग्री और समूह की इकाइयों के बीच पारस्परिक समन्वय का विवरणः

बैंक के लिए तरलता प्रबंधन, बोर्ड द्वारा अनुमोदित एएलएम नीति द्वारा निर्देशित होता है, जिसकी बोर्ड द्वारा वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है। प्रधान कार्यालय के जोखिम प्रबंधन विभाग के अंतर्गत एएलएम सेल, तरलता से संबंधित विभिन्न रिपोर्ट तैयार करता है और उन्हें दैनिक आधार पर निवेश समिति (आईसी) के समक्ष प्रस्तुत करता है। मासिक तरलता संबंधी रिपोर्ट हर महीने परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) के समक्ष और त्रैमासिक आधार पर बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) के समक्ष रखी जाती है। इंट्राडे तरलता प्रबंधन का कार्य ट्रेजरी विभाग द्वारा किया जाता है और इसे दैनिक आधार पर निवेश समिति (आईसी) के समक्ष और त्रैमासिक आधार पर परिसंपत्ति देयता समिति ((एएलसीओ) के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित एएलएम नीति में निर्धारित एक आकस्मिक निधि योजना (सीएफपी) भी मौजूद है, जो तरलता अनुपात के उल्लंघन की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाइयों की रूपरेखा तैयार करती है।

एलसीआर गणना में ऐसे अन्य अंतर्वाह एवं बहिर्वाह, जो एलसीआर के सामान्य प्रारूप में शामिल नहीं हैं, लेकिन जिन्हें संस्था अपनी तरलता प्रोफ़ाइल के लिए प्रासंगिक मानती हैः

बैंक की तरलता प्रोफ़ाइल से संबंधित सभी अंतर्वाह और बहिर्वाह उपरोक्त टेम्पलेट में दर्ज किए जा रहे हैं।

Intra Period Changes as well as changes over time

Changes in High Quality Liquid Assets (HQLA):

The Bank has aligned its treatment of balances under the Standing Deposit Facility (SDF) with applicable regulatory guidance, resulting in inclusion of such balances as part of HQLA, thereby contributing to an increase in HQLA which was previously included in outflows.

Changes in Outflows:

The Bank has refined the classification of deposits into 'stable' and 'less stable' categories in line with regulatory clarifications on 'transactional' and 'relationship'-based accounts. Accordingly, in addition to salary and pension deposits, certain deposits meeting the criteria of relationship and transactional accounts- such as customers maintaining multiple deposit relationships and/or loan relationships with the Bank-have been considered as stable deposits.

This reclassification has resulted in a reduction in outflows and an improvement in the LCR.

Currency mismatch in the LCR:

As per the RBI guidelines the LCR standard is required to be met on one single currency and in order to better capture potential currency mismatch the LCR in each currency needs to be monitored. Accordingly, Bank is maintaining LCR on daily basis in INR which is as per the regulatory requirement of RBI. Bank also monitors liquidity ratio as prescribed by the respective regulators of its Overseas Centers at Hong Kong and Singapore.

A description of the Degree of centralisation of liquidity management and interaction between the group's units:

The liquidity management for the bank is guided by the Board Approved ALM Policy which is reviewed by the Board on an annual basis. ALM Cell under Risk Management Department of Head Office prepares various liquidity related reports and places the same before Investment Committee (IC) on a daily basis. Monthly liquidity related reports are placed before the Asset Liability Management Committee (ALCO) on monthly basis and before Risk Management Committee of Board (RMCB) on quarterly basis. Intraday liquidity management is managed by Treasury Department and the same is presented before Investment Committee (IC) on a daily basis and before Asset Liability Committee (ALCO) on a quarterly basis.

Bank also has in place Contingency Funding plan (CFP) as outlined in the Board approved ALM Policy which outlines the course of actions in case of a breach in liquidity ratios.

Other inflows and outflows in the LCR calculation that are not captured in the LCR common template but which the institution considers relevant for its liquidity profile:

All inflows and outflows relevant to liquidity profile of the bank are being captured in the above template.

iii) निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर):

एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्प्लेटः

	(₹ करोड़ में)	तिमाही 1					तिमाही 2					तिमाही 3					तिमाही 4				
		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य				निर्धारित मूल्य	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य				निर्धारित मूल्य	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य				निर्धारित मूल्य	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य				निर्धारित मूल्य
		कोई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष		कोई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष		कोई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष		कोई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	
	एएसएफ मद																				
1	पूंजीः (2+3)	-	-	-	79,594	79,594	-	-	-	74,165	74,165	-	-	-	7,88,455	78,455	-	-	-	52,812	52,812
2	विनियामक पूँजी	-	-	-	27,849	27,489	-	-	-	27,715	27,715	-	-	-	28,321	28,321	-	-	-	28,321	28,321
3	अन्य पूंजी साधन	-	-	-	52,105	52,105	-	-	-	46,450	46,450	-	-	-	50,134	50,134	-	-	-	24,491	24,491
4	खुदरा जमा और छोटे व्यवसाय के ग्राहकों के जमाः (5 + 6)	93,649	-	84,280	-	1,65,289	98,123	-	87,994	-	1,72,871	1,01,234	-	83,905	-	1,71,978	1,05,550	-	89,318	-	1,80,890
5	स्थिर जमा	66,970	-	36,094	-	97,911	69,890	-	37,408	-	1,01,932	71,499	-	35,560	-	1,01,706	74,150	-	36,917	-	1,05,514
6	अल्प स्थिर जमा	26,679	-	48,186		67,378	28,234	-	505,87	-	70,938	297,35	-	48,344	-	70,271	31,350	-	52,401	-	75,376
7	थोक वित्त पोषणः (8+9)	-	-	83,881	-	41,941	-	-	777,11	-	38,856	-	-	78,916		39,458	-	-	82,139	-	41,069
8	प्रचालनात्मक जमा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	अन्य थोक वित्त पोषण	-	-	83,881	-	41,941	-	-	777,11	-	38856	-	-	78,916	-	39,485	-	-	82,139	-	41,069
10	अन्य देयताएंः (11 + 12)	9,186	9,539	6,966	-	-	22,323	5,329	3,834	-	-	21,938	15,454	-	-	-	22,425	44,310	-	-	-
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं	1,391	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1204	-	-	-	-	646	-	-	-	-
12	अन्य सभी देयताएं और इक्विटी जो कि उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं की गई हैं	7,795	9,539	6,966	-	-	22,318	5,329	3,834	-	-	20,734	15,454	-	-	-	21,779	44,309.98	-	-	-
13	कुल एएसफ (1+4+7+10)	1,02,835	9,539	1,75,127	79,594	2,86,824	1,20,447	5,329	1,69,540	74,165	2,85,892	1,23,172	15,454	1,62,821	78,455	2,89,891	1,27,925	44,310	1,71,457	52,821	2,74,771
	आरएसएफ मद																				
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए)	-	84,331	-	-	4,649	-	93,535	-	-	5,177	-	88,405	-	-	4,638	-	97501.52	-	-	5,939
15	परिचालन प्रयोजनों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में रखी गई जमाएं	175	-	-	-	87	61	-	-	-	30	109	-	-	-	55	73	-	-	-	37
16	अर्जक ऋण और प्रतिभूतियांः (17 + 18 + 19 + 21 + 23)	-	-	103,937	1,17,102	1,41,461	-	-	91,886	1,24,135	1,39,885	-	-	1,05,170	1,26,811	1,51,555	-	-	123,576.24	1.16,817.50	1,51,065.68
17	स्तर 1 एचक्यूएलए (उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति) द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को दिए गए निष्पादित ऋण।	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा रक्षित वित्तीय संस्थानों के अर्जक ऋण और वित्तीय संस्थानों को असुरक्षित अर्जक ऋण	-	-	176,24	-	8,812	-	-	7,882	-	3,941	-	-	12,478	-	6,239	-	-	5,059.33	-	2,530

एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्प्लेटः

		तिमाही 1					तिमाही 2					तिमाही 3					तिमाही 4				
	(₹ करोड़ में)	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य				निर्धारित मूल्य	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य				निर्धारित मूल्य	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य				निर्धारित मूल्य	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य				निर्धारित मूल्य
		कोई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष		कोई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष		कोई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष		कोई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों, खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों के अर्जक ऋण, और संप्रभु, केंद्रीयबैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों के अर्जक ऋण, जिनमें सेः	-	-	86,313	63,519	93,175	-	-	84,004	69,655	96,122	-	-	92,691	79,049	1,09,898	-	-	1,18,517	76,831	1,18,231
20	ऋण जोखिम के लिए बासल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	-	-	863,13	63,519	93,175	-	-	84,004	69,655	96,122	-	-	92,691	79,049	1,09,898	-	-	1,18,517	76,831	1,18,231
21	अर्जक आवासीय बंधक, जिनमें सेः	-	-	-	30,359	19,733	-	-	-	32,431	21,080	-	-	-	25,899	16,835	-	-	-	18,481	11,972
22	केडिट जोखिम के लिए बासल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	-	-	-	30,359	19,733	-	-	-	32,431	21,080	-	-	-	25,899	16,835	-	-	-	18,481	11,972
23	प्रतिभूतियां जो डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं हैं और एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं हैं	-	-	-	23,224	19,741	-	-	-	22,049	18,742	-	-	-	21,862	18,583	-	-	-	21,569	18,334
24	अन्य संपत्तियां: (25 से 29 पंक्तियों का योग)	60,160	-	-	-	60,103	59,907	-	-	-	59,907	58,546	-	-	-	58,546	57,938	-	-	-	57,938
25	सोने सहित भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	व्युत्पन्न अनुबंधों और सीसीपी के डिफ़ॉल्ट फंड में अभिदायों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में प्रविष्ट की गई अस्तियाँ	383	-	-	-	325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	एनएसएफआर व्युत्पन्न अस्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	प्रविष्ट किए गए घट-बढ़ मार्जिन की कटौती से पूर्व एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं	70	-	-	-	70	48	-	-	-	48	422	-	-	-	422	48.14	-	-	-	48
29	अन्य सभी संपत्तियां जो उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	59,708	-	-	-	59,708	59,859	-	-	-	59,859	58,123	-	-	-	58,123	57,890	-	-	-	57,890
30	तुलन पत्र में शामिल नहीं होने वाली मदें	35,362	-	-	-	1,738	51,003	-	-	-	2,277	52,045	-	-	-	2,307	45,644	-	-	-	2,041
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)	95,696	84,313	1,03,937	1,17,102	2,08,039	1,10,971	93,535	1,886	1,24,315	2,07,277	1,10,700	88,405	1,05,170	1,26,811	2,17,100	1,03,655	97,502	1,23,576	1,16,818	2,17,020
32	निवल स्थिर निधियन अनुपात (%)					137.87%					137.93%					133.53%					126.61%

iii) Net Stable Funding Ratio(NSFR):

NSFR Disclosure Template:

		QUARTER 1					QUARTER 2					QUARTER 3					QUARTER 4				
	(₹ in Crore)	Unweighted value by residual maturity				Weighted value	Unweighted value by residual maturity				Weighted value	Unweighted value by residual maturity				Weighted value	Unweighted value by residual maturity				Weighted value
		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	
	ASF Item																				
1	Capital: (2+3)	-	-	-	79,594	79,594	-	-	-	74,165	74,165	-	-	-	7,88,455	78,455	-	-	-	52,812	52,812
2	Regulatory capital	-	-	-	27,849	27,489	-	-	-	27,715	27,715	-	-	-	28,321	28,321	-	-	-	28,321	28,321
3	Other capital instruments	-	-	-	52,105	52,105	-	-	-	46,450	46,450	-	-	-	50,134	50,134	-	-	-	24,491	24,491
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	93,649	-	84,280	-	1,65,289	98,123	-	87,994	-	1,72,871	1,01,234	-	83,905	-	1,71,978	1,05,550	-	89,318	-	1,80,890
5	Stable deposits	66,970	-	36,094	-	97,911	69,890	-	37,408	-	1,01,932	71,499	-	35,560	-	1,01,706	74,150	-	36,917	-	1,05,514
6	Less stable deposits	26,679	-	48,186		67,378	28,234	-	505,87	-	70,938	297,35	-	48,344	-	70,271	31,350	-	52,401	-	75,376
7	Wholesale funding: (8+9)	-	-	83,881	-	41,941	-	-	777,11	-	38,856	-	-	78,916		39,458	-	-	82,139	-	41,069
8	Operational deposits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Other wholesale funding	-	-	83,881	-	41,941	-	-	777,11	-	38856	-	-	78,916	-	39,485	-	-	82,139	-	41,069
10	Other liabilities: (11+12)	9,186	9,539	6,966	-	-	22,323	5,329	3,834	-	-	21,938	15,454	-	-	-	22,425	44,310	-	-	-
11	NSFR derivative liabilities	1,391	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1204	-	-	-	-	646	-	-	-	-
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	7,795	9,539	6,966	-	-	22,318	5,329	3,834	-	-	20,734	15,454	-	-	-	21,779	44,309.98	-	-	-
13	Total ASF (1+4+7+10)	1,02,835	9,539	1,75,127	79,594	2,86,824	1,20,447	5,329	1,69,540	74,165	2,85,892	1,23,172	15,454	1,62,821	78,455	2,89,891	1,27,925	44,310	1,71,457	52,821	2,74,771
RSF Item																					
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)	-	84,331	-	-	4,649	-	93,535	-	-	5,177	-	88,405	-	-	4,638	-	97501.52	-	-	5,939
15	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	175	-	-	-	87	61	-	-	-	30	109	-	-	-	55	73	-	-	-	37
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+ 23)	-	-	103,937	1,17,102	1,41,461	-	-	91,886	1,24,135	1,39,885	-	-	1,05,170	1,26,811	1,51,555	-	-	123,576.24	1.16,817.50	1,51,065.68
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	-	-	176,24	-	8,812	-	-	7,882	-	3,941	-	-	12,478	-	6,239	-	-	5,059.33	-	2,530

NSFR Disclosure Template:

		QUARTER 1					QUARTER 2					QUARTER 3					QUARTER 4				
	(₹ in Crore)	Unweighted value by residual maturity				Weighted value	Unweighted value by residual maturity				Weighted value	Unweighted value by residual maturity				Weighted value	Unweighted value by residual maturity				Weighted value
		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	
19	Performing loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks, and PSEs, of which:	-	-	86,313	63,519	93,175	-	-	84,004	69,655	96,122	-	-	92,691	79,049	1,09,898	-	-	1,18,517	76,831	1,18,231
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	-	-	863,13	63,519	93,175	-	-	84,004	69,655	96,122	-	-	92,691	79,049	1,09,898	-	-	1,18,517	76,831	1,18,231
21	Performing residential mortgages, of which:	-	-	-	30,359	19,733	-	-	-	32,431	21,080	-	-	-	25,899	16,835	-	-	-	18,481	11,972
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	-	-	-	30,359	19,733	-	-	-	32,431	21,080	-	-	-	25,899	16,835	-	-	-	18,481	11,972
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	-	-	-	23,224	19,741	-	-	-	22,049	18,742	-	-	-	21,862	18,583	-	-	-	21,569	18,334
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	60,160	-	-	-	60,103	59,907	-	-	-	59,907	58,546	-	-	-	58,546	57,938	-	-	-	57,938
25	Physical traded commodities, including gold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs	383	-	-	-	325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	NSFR derivative assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted	70	-	-	-	70	48	-	-	-	48	422	-	-	-	422	48.14	-	-	-	48
29	All other assets not included in the above categories	59,708	-	-	-	59,708	59,859	-	-	-	59,859	58,123	-	-	-	58,123	57,890	-	-	-	57,890
30	Off-balance sheet items	35,362	-	-	-	1,738	51,003	-	-	-	2,277	52,045	-	-	-	2,307	45,644	-	-	-	2,041
31	Total RSF (14+15+16+24+30)	95,696	84,313	1,03,937	1,17,102	2,08,039	1,10,971	93,535	1,886	1,24,315	2,07,277	1,10,700	88,405	1,05,170	1,26,811	2,17,100	1,03,655	97,502	1,23,576	1,16,818	2,17,020
32	Net Stable Funding Ratio (%)					137.87%					137.93%					133.53%					126.61%

गुणात्मक चर्चा:

पृष्ठभूमि:

नेट स्टेबिलिटी फंडिंग रेशियो (NSFR) दिशा-निर्देश बैंकों को फंडिंग तनाव के जोखिम को कम करने के लिए पर्याप्त स्रा से स्थिर संसाधनों के साथ अपनी परिसंपत्तियों को वित्तपोषित करने की आवश्यकता के द्वारा लंबी अवधि के समय क्षितिज पर फंडिंग जोखिम में कमी सुनिश्चित करते हैं। NSFR को आवश्यक स्थिर फंडिंग राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर फंडिंग की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है। RBI ने मई 2018 में नेट स्टेबिलिटी फंडिंग रेशियो के कार्यान्वयन पर नियम जारी किए हैं, जिसमें न्यूनतम आवश्यकता कम से कम 100% के बराबर है। कार्यान्वयन 01 अक्टूबर 2021 से प्रभावी है।

तरलता पर बेसल III नियमों का पाठ (टेक्स्ट) - 'बेसल III: तरलता जोखिम मापन, मानक और निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय ढांचा' दिसंबर 2010 में जारी किया गया था, जिसमें तरलता पर वैश्विक नियामक मानकों का विवरण प्रस्तुत किया गया था।

फंडिंग तरलता के लिए बेसल समिति द्वारा दो न्यूनतम मानक, अर्थात, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो (एलसीआर) और नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो (एनएसएफ़आर), दो अलग लेकिन एक-दूसरे के पूरक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित किए गए थे।

एलसीआर यह सुनिश्चित करके बैंकों की संभावित तरलता बाधाओं के प्रति अल्पकालिक लचीलेपन को बढ़ावा देता है कि उनके पास 30 दिनों तक चलने वाले गंभीर तनाव परिदृश्य से निपटने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) उपलब्ध हो। वहीं, एनएसएफआर बैंकों को निरंतर आधार पर वित्त पोषण के अधिक स्थिर स्रोतों से अपनी गतिविधियों को संचालित करने की आवश्यकता पर बल देकर लंबी अवधि के लिए लचीलेपन को बढ़ावा देता है।

एनएसएफआर का उद्देश्य:

एनएसएफआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक अपनी परिसंपत्तियों की संरचना और तुलन पत्र से इतर गतिविधियों के संबंध में एक स्थिर फंडिंग प्रोफाइल बनाए रखे। एक स्थायी वित्त पोषण संरचना का उद्देश्य बैंक के वित्त पोषण के नियमित स्रोतों में व्यवधान के कारण बैंक की तरलता की स्थिति के क्षरण की संभावना को कम करना है जिससे इसकी विफलता का जोखिम बढ़ जाएगा और संभावित रूप से व्यापक प्रणालीगत तनाव हो सकता है।

एनएसएफआर की परिभाषा:

एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर वित्तपोषण (आरएसएफ) की राशि के सापेक्ष **उपलब्ध स्थिर वित्तपोषण (एएसएफ) की राशि के रूप में** परिभाषित किया गया है।

एनएसएफ़आर की गणना :

एनएसएफ़आर की गणना निम्न प्रकार से की जाती है:-

$$\text{एनएसएफ़आर} = \frac{\text{उपलब्ध स्थिर निधीयन}}{\text{आवश्यक स्थिर निधीयन}} >= 100\%$$

उपर्युक्त अनुपात चालू आधार पर कम से कम 100% के बराबर होना चाहिए। एनएसएफआर बैंकों पर दिनांक 01.10.2021 से प्रभावी है और आरबीआई की पोर्टल पर तिमाही फाइलिंग अनिवार्य है। लेखापरीक्षित परिणामों के प्रकाशन के उपरांत एनएसएफ़आर को त्रैमासिक आधार पर आरबीआई को प्रस्तुत किया जाता है।

"उपलब्ध स्थिर वित्तपोषण" (एएसएफ) को पूँजी और देयताएं के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है और एनएसएफआर द्वारा विचार किए गए समय क्षितिज पर विश्वसनीय होने की उम्मीद है, जो एक वर्ष तक बढ़ा है।

उदाहरण :

क) कुल विनियामक पूँजी (एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाली टियर 2 लिखतों को छोड़कर)।

ख) एक वर्ष या उससे अधिक की प्रभावी अवशिष्ट परिपक्वता के साथ अन्य पूँजीगत लिखत और देयताएं।

Qualitative Disclosure:

Background:

Net Stability Funding Ratio (NSFR) guidelines ensure reduction in funding risk over longer duration time horizon by requiring bank to fund their assets with sufficiently stable resources of funding in order to mitigate the risk of funding stress. The NSFR is defined as the amount of available stable funding relative to the amount required stable funding. RBI has issued the regulations on the implementation of Net stability funding Ratio in May 2018 with minimum requirement of equal to at least 100%. The implementation is effective from 01st October 2021.

The **Basel III rules text on liquidity** - "Basel III: International framework for Liquidity Risk measurement, standards and monitoring" was issued in December 2010 which presented the details of global regulatory standards on liquidity.

Two minimum standards, viz., Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) for funding liquidity were prescribed by the Basel Committee for achieving two separate but complementary objectives.

The LCR promotes short-term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that they have sufficient High Quality Liquid Assets (HQLAs) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. **The NSFR promotes resilience over a longer-term time horizon by requiring banks to fund their activities with more stable sources of funding on an ongoing basis.**

Objective of NSFR:

The objective of NSFR is to ensure that Bank maintains a stable funding profile in relation to the assets requiring stable funding. A sustainable funding structure is intended to reduce the probability of erosion of bank's liquidity position due to disruptions in bank's regular sources of funding that would increase the risk of its failure and potentially lead to broader systemic stress.

Definition of NSFR:

The NSFR is defined as the amount of Available Stable Funding (ASF) relative to the amount of Required Stable Funding (RSF).

Computation of NSFR:

The NSFR is computed as follows:

$$\text{NSFR} = \frac{\text{Available Stable Funding}}{\text{Required Stable Funding}} >= 100\%$$

The above ratio should be equal to at least 100% on an ongoing basis. The NSFR is binding on Banks w.e.f. 01.10.2021 and quarterly filing on RBI portal is mandatory. The NSFR is being filed to RBI on quarterly basis after publishing of Audited Results.

"Available Stable Funding" (ASF) is defined as the portion of capital and liabilities expected to be reliable over the time horizon considered by the NSFR, which extends to one year.

Example:

a) Total regulatory capital (excluding Tier 2 instruments with residual maturity of less than one year).

b) Other capital instruments and liabilities with effective residual maturity of one year or more.

ग) **रिटेल एवं लघु व्यवसाय ग्राहकों (इसे बड़े कॉरपोरेट/ संस्थान से जमाराशि की तुलना में अधिक स्थिर माना जाता है)** द्वारा प्रदान की गई स्थिर और कम स्थिर गैर-परिपक्वता (मांग) जमाराशि तथा एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ सावधि जमा

घ) सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बहुपक्षीय और राष्ट्रीय विकास बैंकों से एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ वित्तपोषण।

किसी विशिष्ट संस्थान के लिए **आवश्यक स्थिर वित्तपोषण ("आवश्यक स्थिर वित्तपोषण") (आरएसएफ)** उस संस्था द्वारा धारित विभिन्न परिसंपत्तियों की चलनिधि विशेषताओं और अवशिष्ट परिपक्वताओं के साथ-साथ इसके तुलन-पत्र से इतर जोखिमों का एक कार्य है।

उदाहरण :

क) भार रहित स्तर 1 की परिसंपत्तियां, सिक्कों, बैंक नोटों, सीआरआर और एसएलआर प्रतिभूतियों को छोड़कर

ख) भार रहित स्तर 2ए एवं स्तर 2बी परिसंपत्तियां

ग) अन्य सभी परिसंपत्तियां जो एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाली उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं, जिसमें गैर-वित्तीय कॉरपोरेट ग्राहकों को 'मानक' ऋण, रिटेल और लघु व्यवसाय ग्राहकों को और सरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रमों को 'मानक' ऋण शामिल हैं।

घ) एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ भार रहित 'मानक' आवासीय बंधक और मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत न्यूनतम जोखिम भार निर्धारित किया गया।

ङ) मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से अधिक जोखिम भार वाले अन्य भार रहित निष्पादन ऋण तथा एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता, वित्तीय संस्थानों के ऋण को छोड़कर।

च) गैर-निष्पादित ऋण, एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ वित्तीय संस्थानों को ऋण, गैर-विनिमय-व्यापारिक इक्विटी, अचल परिसंपत्तियां, नियामक पूँजी से कटौती की गई मदें, प्रतिधारित ब्याज, बीमा परिसंपत्तियां, सहायक हितों एवं चूक प्रतिभूतियों सहित उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल अन्य सभी परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं।

c) Stable & less stable non-maturity (demand) deposits and term deposits with residual maturity of less than one year provided by retail and small business customers (it is considered more stable than deposits from large corporates/ institution)

d) Funding with residual maturity of less than one year from sovereigns, PSEs, and multilateral and national development banks.

"Required Stable Funding" (RSF) is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held by that institution as well as those of its Off-Balance Sheet (OBS) exposures.

Example:

a) Unencumbered Level 1 assets, excluding coins, banknotes, CRR and SLR Securities.

b) Unencumbered Level 2A & Level 2B assets.

c) All other assets not included in the above categories with residual maturity of less than one year, including 'standard' loans to non-financial corporate clients, to retail and small business customers, and 'standard' loans to sovereigns and PSEs.

d) Unencumbered 'standard' residential mortgages with a residual maturity of one year or more and assigned the minimum risk weight under the Standardized Approach.

e) Other unencumbered performing loans with risk weights greater than 35% under the Standardized Approach and residual maturities of one year or more, excluding loans to financial institutions.

f) All other assets not included in the above categories, including non-performing loans, loans to financial institutions with a residual maturity of one year or more, non-exchange-traded equities, fixed assets, items deducted from regulatory capital, retained interest, insurance assets, subsidiary interests and defaulted securities.

प्रमुख संचालक/ Key Drivers

उपलब्ध स्थिर निधियन (एएसएफ़) Available Stable Funding (ASF)	पूंजी आधार, गैर-वित्तीय कंपनियों से खुदरा जमा आधार, निधियन और वित्तीय संस्थानों से दीर्घकालिक वित्त पोषण मुख्य संचालक हैं। रिटेल ग्राहकों से अपरिपक्व जमाराशियां और एक वर्ष या उससे अधिक की प्रभावी अवशिष्ट परिपक्वता वाली जमाराशियां या देयताएं बेहतर स्रोत के रूप में मानी जाती हैं क्योंकि वे अधिक स्थायी प्रकृति की होती हैं। The main drivers are Capital, Retail Deposit, funding from Non-Financial Companies and Long term funding from financial Institutions. Non-Maturing deposits from Retail Customers and Deposits or Liabilities having with effective residual maturity of one year or more are better source considered as they are more stable in nature.
वांछित स्थिर निधियन Required Stable Funding	सीआरआर और एचक्यूएलए यानी भारमुक्त एसएलआर प्रतिभूतियों को कम निधि की आवश्यकता होती है, इसलिए उनकी उच्च तरलता के कारण स्थिर निधियन की कम राशि को आकर्षित किया जाता है। अर्जक ऋणों की अवशिष्ट परिपक्वता पर अलग-अलग निधियन की आवश्यकता होती है। CRR and HQLA i.e. Unencumbered SLR securities are considered to have lower fund requirement considered hence require low amount of stable funding due to their high liquidity. Performing loans have different funding requirement based on their residual Maturity.

यूको बैंक की स्थिति:

बैंक निरंतर आधार पर 100% के अधिकतम नियामक आवश्यक अनुपात से काफी ऊपर एनएसएफआर बनाए हुए है। 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का एनएसएफआर 126.61% रहा। 31 मार्च 2026 तक उपलब्ध स्थिर निधि (एएसएफ़) 2,74,771 करोड़ थी और आवश्यक स्थिर निधि (आरएसएफ़) 2,17,020 करोड़ थी, जो दर्शाती है कि बैंक के पास अपनी धन संबंधी आवश्यकताओं को प्रबंधित करने के लिए पर्याप्त स्थिर कोष स्रोत हैं और यह 105% की आंतरिक सीमा से भी ऊपर है।

UCO Bank's Position:

Bank is maintaining NSFR much above the maximum regulatory required ratio of 100% on an ongoing basis. Bank's NSFR for the year ending as on 31st March 2026 stood at 126.61%. The Available Stable Funding (ASF) as on 31st March 2026 stood at 2,74,771 crore and Required Stable Funding stood at 2,17,020 crore which shows Bank has sufficient stable source of fund manage its fund requirement and which is above the internal limit of 105%.

3. निवेश/Investments:

i) निवेश पोर्टफोलियो की संरचना / **Composition of Investment Portfolio:**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	2025-26							2024-25						
	एचटीएम / HTM		एएफएस/ AFS	एफवीटीपीएल / FVTPL		सहायक कंपनियाँ, संबद्ध कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम Subsidiaries, Associates & JV		एचटीएम / HTM		एएफएस/ AFS	एफवीटीपीएल / FVTPL		सहायक कंपनियाँ, संबद्ध कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम Subsidiaries, Associates & JV	
	लागत पर At cost	उचित मूल्य Fair Value		एचएफटी HFT	नॉन एचएफटी Non-HFT	लागत पर At cost	उचित मूल्य Fair Value	लागत पर At cost	उचित मूल्य Fair Value		एचएफटी HFT	नॉन एचएफटी Non-HFT	लागत पर At cost	उचित मूल्य Fair Value
I. भारत में निवेश / Investments in India														
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ / Government Securities	69,593.85	68,424.19	18,139.65	1,932.90	0.00			64,945.66	63,395.039	1,8865.51	525.33	0.00		
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other approved securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
(iii) शेयर / Shares	0.00	0.00	0.00	368.15	1,020.70			0.00	0.00	1,166.84	0.00	58.82		
(iv) ऋणपत्र और बंधपत्र / Debentures and Bonds	1,741.01	1,718.92	2,339.24	0.00	213.73			1,849.79	1,909.01	2,575.00	0.00	200.62		
(v) सहायक कंपनियाँ, संबद्ध कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम Subsidiaries, associates and joint ventures						0.00	0.00						252.79	252.79
(vi) अन्य / Others	0.00	0.00	46.89	0.00	440.97			0.00	0.00	1,166.84	0.00	58.82		
कुल / Total	**71,334.87**	**70,143.11**	**20,525.78**	**2,301.05**	**1675.40**	**0.00**	**0.00**	**66,795.45**	**65,304.05**	**2,2607.36**	**932.34**	**1,241.86**	**252.79**	**252.79**
घटाएँ: मूल्यह्रास / एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provisions for impairment/NPI	74.29	67.51	87.56	25.95	330.05	0.00	0.00	88.37	83.92	87.56	20.58	398.73	0.00	0.00
निवल / Net	71,260.58	70,075.60	20,438.22	2,275.10	1,334.79	0.00	0.00	66,707.08	65,220.13	2,2519.80	911.76	843.13	252.79	252.79
II. भारत के बाहर निवेश / Investments outside India														
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय निकायों सहित) Government securities (including local authorities)	919.63	874.95	2,490.38	0.00	0.00			907.16	851.77	2,087.74	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) सहायक कंपनियाँ, संबद्ध कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम Subsidiaries, associates and joint ventures						0.00	0.00						0.00	0.00
(iii) अन्य निवेश / Other investments			48.16	0.00	0.00			0.00	0.00	43.03	0.00	0.00		
कुल / Total	**919.63**	**874.95**	**2,538.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**907.16**	**851.77**	**2,130.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
घटाएँ: मूल्यह्रास/एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provisions for impairment/NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल / Net	919.63	874.95	2,538.54	0.00	0.00	0.00	0.00	907.16	851.77	2,130.77	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल निवेश / Total investments (I+II)	72,180.21	70,950.55	22,976.76	2,275.10	1,334.79	0.00	0.00	67,614.24	66,071.90	2,4650.57	911.76	843.13	252.79	252.79

(ii) तुलन पत्र (बैलेंस शीट) पर उचित मूल्य (फेयर वैल्यू) पर मापे गए निवेश पोर्टफोलियो का उचित मूल्य पदानुक्रम /
Fair Value hierarchy of investment portfolio measured at fair value on balance sheet

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	2025-26								2024-25							
	एएफएस / AFS				एफवीटीपीएल / FVTPL				एएफएस / AFS				एफवीटीपीएल / FVTPL			
	स्तर 1/ Level 1	स्तर 2/ Level 2	स्तर 3/ Level 3	कुल/ Total	स्तर 1/ Level 1	स्तर 2/ Level 2	स्तर 3/ Level 3	कुल/ Total	स्तर 1/ Level 1	स्तर 2/ Level 2	स्तर 3/ Level 3	कुल/ Total	स्तर 1/ Level 1	स्तर 2/ Level 2	स्तर 3/ Level 3	कुल/ Total
I. भारत मे निवेश / Investments in India																
(i) सरकारी प्रतिभूतियां /Government securities	18,139.65	0.00	0.00	18,139.65	1,932.90	0.00	0.00	1,932.90	18,571.51	0.00	0.00	18,571.51	525.33	0.00	0.00	525.33
(ii) अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां / Other approved securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) शेयर / Shares	0.00	0.00	0.00	0.00	368.11	260.17	760.57	1,388.85	0.00	0.00	0.00	0.00	407.05	0.00	982.38	1,389.43
(iv) डिबेन्चर और बॉन्ड / Debentures and Bonds	2,291.57	47.67	0.00	2,339.24	118.57	95.15	0.00	213.73	2,449.82	114.36	0.00	2,564.18	711.19	129.43	0.00	200.62
(v) सहायक कंपनियां,सहयोगी और संयुक्त उद्यम/ Subsidiaries, associates and joint ventures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.79	252.79
(vi) अन्य / Others	46.89	0.00	0.00	46.89	84.02	0.00	356.95	430.41	1,166.84	0.00	0.00	1,166.84	6.00	0.00	52.82	58.82
कुल / Total	**20,478.11**	**47.67**	**0.00**	**20,525.78**	**2,503.60**	**355.32**	**1,117.52**	**3,965.89**	**22,188.17**	**114.36**	**0.00**	**22,302.53**	**1,009.57**	**129.43**	**1,287.98**	**2,426.99**
II. भारत के बाहर निवेश/Investments outside India																
(i) सरकारीप्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित) Government securities (including local authorities)	2490.38	0.00	0.00	2490.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2087.74	0.00	0.00	2087.74	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) सहायक कंपनियां,सहयोगी और संयुक्त उद्यम Subsidiaries, associates and joint ventures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) अन्य निवेश / Other investments	48.16	0.00	0.00	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	43.03	0.00	0.00	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल / Total	**2,538.54**	**0.00**	**0.00**	**2,538.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,130.77**	**0.00**	**0.00**	**2,130.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
कुल निवेश / Total investments (I+II)	**23,016.65**	**47.67**	**0.00**	**23,064.32**	**2,503.60**	**355.32**	**1,106.96**	**3,965.89**	**2,4318.94**	**114.36**	**0.00**	**24,433.30**	**1,009.57**	**129.43**	**1,287.98**	**2,426.99**

(iii) एएफएस - रिजर्व और लाभ हानि खाते में मान्यता प्राप्त लेवल 3 वित्तीय साधनों पर शुद्ध लाभ/ हानि
Net gains / (losses) on Level 3 financial instruments recognised in AFS-Reserve and Profit and Loss Account

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	2025-26	2024-25
एएफएस-रिजर्व मे दर्ज / Recognised in AFS-Reserve	6.03	7.90
लाभ और हानि खाते में दर्ज / Recognised in Profit and Loss Account	78.96	17.40

नोटः इस प्रकटीकरण में लेवल 3 संपत्तियाँ शामिल नहीं हैं जहां संपत्ति का मूल्यांकन एफबीआईएल / एफआईएमएमडीए द्वारा घोषित मूल्य पर आधारित है।
Note: This disclosure excludes Level 3 assets where the valuation of the asset is the price declared by FBIL / FIMMDA for that asset.

(iv) एचटीएम से की गई बिक्री का विवरण / Details of sales made out of HTM:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

		2025-26	2024-25
A	एचटीएम में प्रतिभूतियों का प्रारम्भिक वहन मूल्य Opening carrying value of securities in HTM	67,702.61	75,527.43
B	वर्ष के दौरान बेची गई सभी एचटीएम प्रतिभूतियों का वहन मूल्य Carrying value of all HTM securities sold during the year	1,895.12	277.22
C	घटाएंः नियामक सीमा से छूट वाली स्थितियों के तहत बेची गई प्रतिभूतियों का वहन मूल्य Less: Carrying values of securities sold under situations exempted from regulatory limit	769.51	0.00
D	बेची गई प्रतिभूतियों का वहन मूल्य Carrying value of securities sold (D=B-C)	1,125.61	277.22
E	एच टी एम में प्रतिभूतियों के शुरुआती वहन मूल्य के प्रतिशत के रूप में बेची गई प्रतिभूतिया Securities sold as a percentage of opening carrying value of securities in HTM (E=D÷A)	1.66%	0.37%
F	लाभ पर बेची गई एच टी एम प्रतिभूतियों के संबंध में पूंजी आरक्षित मे स्थानांतरित राशि Amount transferred to Capital Reserve in respect of HTM securities which were sold at a gain	55.85	7.63

(v) निवेश श्रेणियों के बीच पुनर्वर्गीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन) निर्देश, 2025 के अनुसार, बैंकों को अपनी मर्जी से निवेश श्रेणियों के बीच पुनर्वर्गीकरण करने की अनुमति नहीं है।

किसी बैंक को निवेश श्रेणियों (जैसे, एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल) के बीच पुनर्वर्गीकरण करने के लिए बोर्ड और पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस), आरबीआई की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।

उपरोक्त निर्देशों का हवाला देते हुए, बैंक ने अपने निवेशों का पुनर्वर्गीकरण नहीं किया है।

(v) Reclassification between Categories of Investments

As per Reserve Bank of India (Commercial Banks- Classification, Valuation, and Operation of Investment Portfolio) Directions, 2025, Banks are not permitted to reclassify investments across categories at their own discretion.

A bank shall require prior approval of the Board and Department of Supervision (DoS), RBI to reclassify investments between categories (viz., HTM, AFS, and FVTPL).

Referring to the above directions, bank has not reclassified its investments.

(vi) गैर-निष्पादित निवेशों (एनपीआई) और निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि के प्रावधानों का संचलन
Movement of provisions for non-performing investments (NPIs) and investment fluctuation reserve

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. Sl. no	विवरण / Particulars	2025-26	2024-25
i)	एनपीआई की ओर रखे गए प्रावधानों का संचलन Movement of provisions held towards NPIs		
	क)/(a) प्रारंभिक शेष / Opening balance	511.87	646.81
	(ख)/b) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान / Add: Provisions made during the year	17.83	68.52
	(ग)/c) घटाएं : बट्टे खाते /वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन / Less: Write off / write back of excess provisions during the year	81.33	203.46
	(घ)/d) अंतिम शेष / Closing balance	448.37	511.87
ii)	निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व का संचलन / Movement of Investment Fluctuation Reserve		
	क)/(a) प्रारंभिक शेष / Opening balance	550.32	416.04
	(ख)/b) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान / Add: Amount transferred during the year	1.92	0.00
	(ग)/c) घटाएंः आहरण / Less: Drawdown	0.00	0.00
	(घ)/d) अंतिम शेष / Closing balance	552.24	416.04
iii)	आईएफआर में जमा शेष, एएफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) श्रेणी के निवेशों की जमा शेषराशि के प्रतिशत के रूप में। Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and FVTPL (including HFT) category.	2%	2.28%

vii) गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश संविभाग :

क) अनर्जक गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश -

vii) Non-SLR Investment Portfolio:

(a) Non performing Non-SLR investments -

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. Sl. no	विवरण / Particulars	2025-26	2024-25
क)/(a)	प्रारंभिक शेष / Opening balance	511.87	646.81
(ख)/b)	वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year	17.83	68.52
(ग)/c)	वर्ष के दौरान कमी / Reductions during the above period	81.33	203.46
(घ)/d)	अंतिम शेष / Closing balance	448.37	511.87
(इ)/e)	किए गए कुल प्रावधान / Total provisions held	448.37	511.87

ख/b) गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश के जारीकर्ताओं की संरचना/ Issuer composition of Non SLR investments

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

सं. No.	जारीकर्ता Issuer	राशि Amount		निजी तौर पर शेयर आवंटन की सीमा Extent of Private Placement		'निवेश श्रेणी से निम्न' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' Securities		'रेटिंग से इतर' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unrated' Securities		'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities	
(1)	(2)	(3) 31.03.2026	(4) 31.03.2025	(5) 31.03.2026	(6) 31.03.2025	(7) 31.03.2026	(8) 31.03.2025	(9) 31.03.2026	(10) 31.03.2025	(11) 31.03.2026	(12) 31.03.2025
क/a)	स.क्षे.के उपक्रम/ PSUs	19,655.62	21,111.70	19,523.91	19,608.75	0.00	0.00	18109.18	18,085.79	17,782.10	19,151.63
ख/b)	वित्तीय संस्थाएं /FIs	1,514.91	691.20	203.05	246.84	0.00	49.54	203.05	54.48	203.05	147.08
ग/c)	बैंक / Banks	584.50	2026.05	441.93	464.70	0.00	0.00	109.00	179.33	0.00	0.00
घ/d)	निजी कंपनियां / Private Corporates	1,555.19	1,091.62	712.09	898.67	80.37	31.36	565.91	933.91	517.00	532.40
ङ/e)	अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/सम्बद्ध Subsidiaries/Joint Ventures	0.00	252.79	0.00	252.79	0.00	0.00	0.00	252.79	0.00	252.79
च/f)	अन्य /Others	757.36	229.29	690.58	227.45	0.00	0.00	398.92	204.31	617.12	227.45
छ/g)	घटाएं- मूल्यह्रास के प्रति किया गया प्रावधान Less: provision held towards depreciation	69.48	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h)	घटाएंः एनपीआई के लिए रखा गया प्रावधान Less: provision held towards NPI	448.36	511.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	योग / Total	**25549.74**	**24807.42**	**21,571.55**	**21,699.20**	**80.37**	**80.90**	**19,386.07**	**1,9710.61**	**19119.27**	**20,311.35**

viii) रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य और बाजार मूल्य के संदर्भ में) / Repo transactions (in face value terms and market value terms):

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during 2025-26		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Minimum outstanding during 2025-26		वर्ष के दौरान दैनिक औसत Daily Average outstanding during 2025-26		31 मार्च 2026 को बकाया outstanding 31st March 2026	
	एफ वी FV	एम वी MV	एफ वी FV	एम वी MV	एफ वी FV	एम वी MV	एफ वी FV	एम वी MV
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ Securities sold under Repos								
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government Securities	0.00	0.00	12,300.35	12,298.58	2,863.01	2,875.59	0.00	0.00
ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ/Corporate Debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iii. अन्य प्रतिभूतियाँ / Any other security	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ Securities purchased under Reverse Repos								
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government Securities	0.00	0.00	3482.45	3481.93	161.75	172.37	0.00	0.00
ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ/Corporate Debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iii. अन्य प्रतिभूतियाँ / Any other security	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - ऋण जोखिम का हस्तांतरण और वितरण) निर्देश, 2025 दिनांक 28 नवंबर, 2025 के भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निर्देशों (संदर्भ संख्या आरबीआई /डीओआर /2025-26/159 डीओआर.एसटीआर.आरई.सं.78/21.04.048/2025-26) के अनुसार, बैंक ने सरकारी गारंटीकृत प्रतिभूति प्राप्तियों के आवधिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों को लागू किया है। दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने 31 मार्च, 2026 को ऐसी प्रतिभूति प्राप्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया, जिसके परिणामस्वरूप रु. 438.82 लाख का पुनर्मूल्यांकन लाभ हुआ। यह राशि 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही के लाभ और हानि खाते में जमा की गई है। पुनर्मूल्यांकन हानि रु. 1362.64 लाख रही, जिसे लाभ और हानि खाते में दर्ज किया गया है।

Pursuant to RBI Master directions ref no RBI/DOR/2025-26/159 DOR.STR.RE.No.78/21.04.048/2025-26 on Reserve Bank of India (Commercial Banks- Transfer and Distribution of Credit Risk) Directions, 2025" dated November 28,2025, the Bank has implemented the prescribed guidelines for periodic valuations of Government Guaranteed Security Receipts. In accordance with the guidelines, the Bank carried out a revaluation of such security receipts as on March 31, 2026 resulting in a revaluation profit of Rs. 438.82 Lakhs. This amount has been credited to the Profit and Loss account for the quarter ended March 31, 2026, the revaluation loss aggregated to Rs.1362.64 Lakhs, which has been recognized in the Profit and Loss Account.

(ix) सरकारी प्रतिभूति उधार (जीएसएल) लेनदेन (बाजार मूल्य के संदर्भ में)/
Government Security Lending (GSL) transactions (in market value terms)

31 मार्च, 2026 तक/As at 31st March 2026

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया **Minimum outstanding during the year**	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया **Maximum outstanding during the year**	वर्ष के दौरान दैनिक औसत **Daily Average outstanding during the year**	वर्ष के दौरान लेनदेन की कुल प्रमात्रा **Total volume of transactions during the year**	वर्ष के दौरान 31 मार्च, 2026 **Outstanding as on March 31, 2026**
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ Securities lent through GSL transactions	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ Securities borrowed through GSL transactions	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ Securities placed as collateral under GSL transactions	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ Securities received as collateral under GSL transactions	-	-	-	-	-

31 मार्च, 2025 तक/As at 31st March 2025

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया **Minimum outstanding during the year**	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया **Maximum outstanding during the year**	वर्ष के दौरान दैनिक औसत **Daily Average outstanding during the year**	वर्ष के दौरान लेनदेन की कुल प्रमात्रा **Total volume of transactions during the year**	वर्ष के दौरान 31 मार्च, 2026 **Outstanding as on March 31, 2026**
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ Securities lent through GSL transactions	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ Securities borrowed through GSL transactions	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ Securities placed as collateral under GSL transactions	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ Securities received as collateral under GSL transactions	-	-	-	-	-

4. आस्ति गुणवत्ता :

i) धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण

के अनुसार 31.03.2026

(राशि करोड़ ₹ में)

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	कुल मानक अग्रिम	कुल अर्नजक अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम तथा अनर्जक अस्तियाँ						
प्रारंभिक जमा राशि	2,14,066.27	1,184.74	3,329.33	1,404.47	5,918.54	2,19,984.81
जोड़ें: वर्ष के दौरान योग					2,197.10	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतीयां*					2,425.44	
अंतिम शेष राशि	2,57,060.99	1,339.09	2,930.58	1,420.53	5,690.20	2,62,751.19
*सकल एनपीए में कमी का कारण:						
i) उन्नयन छद्र					487.00	
ii) वसूली (उन्नयित खातों में वसूली के अतिरिक्त वसूली					660.74	
iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते					1,152.59	
iv) बिंदु (iii) के अलावा बट्टे खाते डालना					125.11	
प्रावधान (फ्लोटिंग प्रावधानों को छोड़कर)						
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक जमा	1278.74	305.48	3124.10	1404.47	4834.05	6112.79
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					1,415.67	
घटाएं: लौटाए गए अतिरिक्तप्रावधान/बट्टा खातेडाले गए ऋण					1,277.07	
धारित प्रावधानों का अंतिम जमशोष		653.48	2898.01	1420.53	4972.02	4972.02
निवल अनर्जक संपत्तियां						
प्रारंभिक जमा शेष					1,068.31	
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए योग					1,049.27	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती					1,415.67	
अंतिम जमा शोष					701.91	
प्लवमान प्रावधान						
प्रारंभिक जमा शेष						
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धित प्रावधान						
घटाएं: वर्ष के दौरान निकाले गए प्रावधान						
प्लवमान प्रावधान का अंतिम जमा शेष						
तकनीकी बट्टे खाते तथा उनपर किए गए वसूली						
तकनीकी/अधिोष बट्टे खातों का प्रारंभिक जमाोष						26,386.72
जोड़ें : वर्ष के दौरान तकनीकी/अधिोष बट्टे खाते						1,058.32
घटाएं: वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी/ अधिोष बट्टे खातों में वसूली						1,415.61
अंतिम जमशोष						26,029.43

के अनुसार 31.03.2025 (राशि करोड़ ₹ में)

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	कुल मानक अग्रिम	कुल अर्नजक अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम तथा अनर्जक अस्तियाँ						
प्रारंभिक जमा राशि	180413.74	1138.57	3883.74	1441.00	6463.31	186877.05
जोड़ें: वर्ष के दौरान योग					2247.91	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतीयां					2792.68	
अंतिम शेष राशि	214066.27	1184.74	3329.33	1404.47	5918.54	219984.81
*सकल एनपीए में कमी का कारण:						
i) उन्नयन छद्र					524.52	
ii) वसूली (उन्नयित खातों में वसूली के अतिरिक्त वसूली					702.06	
iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते					1329.43	
iv) बिंदु (iii) के अलावा बट्टे खाते डालना					236.67	
प्रावधान (फ्लोटिंग प्रावधानों को छोड़कर)						
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक जमा	1090.20	228.50	3090.94	1440.97	4760.41	5850.61
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					1639.15	
घटाएं: लौटाए गए अतिरिक्तप्रावधान/बट्टा खातेडाले गए ऋण					1565.51	
धारित प्रावधानों का अंतिम जमशोष	1278.74	305.48	3124.10	1404.47	4834.05	6112.79
निवल अनर्जक संपत्तियां						
प्रारंभिक जमा शेष					1621.65	
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए योग					1085.81	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती					1639.15	
अंतिम जमा शोष					1068.31	
प्लवमान प्रावधान						
प्रारंभिक जमा शेष						
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धित प्रावधान						
घटाएं: वर्ष के दौरान निकाले गए प्रावधान						
प्लवमान प्रावधान का अंतिम जमा शेष						
तकनीकी बट्टे खाते तथा उनपर किए गए वसूली						
तकनीकी/अधिोष बट्टे खातों का प्रारंभिक जमोष						28645.64
जोड़ें : वर्ष के दौरान तकनीकी/अधिोष बट्टे खाते						1114.28
घटाएं: वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी/ अधिोष बट्टे खातों में वसूली						3373.20
अंतिम जमशोष						26386.72

4. Asset Quality:

a) Classification of advances and provisions held

As on 31.03.2026 (Amount in ₹ Crore)

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening Balance	2,14,066.27	1,184.74	3,329.33	1,404.47	5,918.54	2,19,984.81
Add: Additions during the year					2,197.10	
Less: Reductions during the year*					2,425.44	
Closing balance	2,57,060.99	1,339.09	2,930.58	1,420.53	5,690.20	2,62,751.19
*Reductions in Gross NPAs due to:						
i) Up gradation					487.00	
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					660.74	
iii) Technical/ Prudential Write-offs					1,152.59	
iv) Write-offs other than those under (iii) above					125.11	
Provisions (excluding Floating Provisions)						
Opening balance of provisions held	1278.74	305.48	3,124.10	1,404.47	4,834.05	6,112.79
Add: Fresh provisions made during the year					1,415.67	
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					1,277.07	
Closing balance of provisions held		653.48	2,898.01	1,420.53	4,972.02	4,972.02
Net NPAs						
Opening Balance					1,068.31	
Add: Fresh additions during the year					1,049.27	
Less: Reductions during the year					1,415.67	
Closing Balance					701.91	
Floating Provisions						
Opening Balance						
Add: Additional provisions made during the year						
Less: Amount drawn down during the year						
Closing balance of floating provisions						
Technical write-offs and the recoveries made thereon						
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						26,386.72
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						1,058.32
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						1,415.61
Closing balance						26,029.43

As on 31.03.2025 (Amount in ₹ Crore)

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening Balance	180413.74	1138.57	3883.74	1441.00	6463.31	186877.05
Add: Additions during the year					2247.91	
Less: Reductions during the year					2792.68	
Closing balance	214066.27	1184.74	3329.33	1404.47	5918.54	219984.81
*Reductions in Gross NPAs due to:						
i) Up gradation					524.52	
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					702.06	
iii) Technical/ Prudential Write-offs					1329.43	
iv) Write-offs other than those under (iii) above					236.67	
Provisions (excluding Floating Provisions)						
Opening balance of provisions held	1090.20	228.50	3090.94	1440.97	4760.41	5850.61
Add: Fresh provisions made during the year					1639.15	
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					1565.51	
Closing balance of provisions held	1278.74	305.48	3124.10	1404.47	4834.05	6112.79
Net NPAs						
Opening Balance					1621.65	
Add: Fresh additions during the year					1085.81	
Less: Reductions during the year					1639.15	
Closing Balance					1068.31	
Floating Provisions						
Opening Balance						
Add: Additional provisions made during the year						
Less: Amount drawn down during the year						
Closing balance of floating provisions						
Technical write-offs and the recoveries made thereon						
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						28645.64
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						1114.28
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						3373.20
Closing balance						26386.72

अनुपात (प्रतिशत में)/ **Ratios (in per cent)**	**2025-26**	**2024-25**
सकल अनर्जक अस्ति से सकल अग्रिम / Gross NPA to Gross Advances	2.17%	2.69%
निवल अनर्जक अस्ति से निवल अग्रिम / Net NPA to Net Advances	0.27%	0.50%
प्रावधान व्याप्ति अनुपात / Provision coverage ratio	97.79%	96.69%

ख) क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए :/B) Sector-wise Advances and Gross NPAs:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्र. सं. Sl. No.	**क्षेत्र** /Sector	2025-26			2024-25		
		कुल बकाया अग्रिम/ Outstanding Total Advances	**सकल एनपीए/ Gross NPAs**	**उस क्षेत्र में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत/ Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector**	**कुल बकाया अग्रिम/ Outstanding Total Advances**	**सकल एनपीए/ Gross NPAs**	**उस क्षेत्र में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत/ Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector**
i)	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र / **Priority Sector**						
क) a)	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप/ Agriculture and allied activities	37,336	3,488	9.34%	29,575	3,275	11.07%
ख) b)	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार के लिए पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम/ Advances to industries sector eligible as priority sector lending	5,061	76	1.51%	2,598	52	2.00%
ग/c)	सेवा क्षेत्र/Services	38,404	1,596	4.16%	36,185	2,090	5.77%
घ/d)	वैयक्तिक ऋण /Personal loans	24,841	196	0.79%	17,388	187	1.07%
	उप-योग / Sub-total (i)	105,642	5,356	5.07%	85,746	5,604	6.53%
ii)	**गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Non-priority Sector**						
क) a)	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप/ Agriculture and allied activities	0	0	0.00%	0	0	0.00%
ख/b)	उद्योग/Industry	30,709	83	0.27%	25,019	5	0.02%
ग/c)	सेवा क्षेत्र/Services	0	0	0.00%	0	0	0.00%
घ/d)	वैयक्तिक ऋण /Personal loans	1,26,400	251	0.20%	84,709	310	0.36%
	उप-योग / Sub-total (ii)	1,57,109	334	0.21%	1,09,728	315	0.29%
	कुल/Total (I + ii)	**2,62,751**	**5,690**		**1,95,474**	**5,919**	**3.03%**

उन उप-क्षेत्रों का विवरण जहां बकाया अग्रिम, कुल बकाया अग्रिमों के 10 प्रतिशत से अधिक है:
Details of sub-sectors where the outstanding advances exceeds 10 percent of the outstanding total advances:

क्षेत्र/ Sector	**कुल बकाया/ Total Outstanding**	**10% की सीमा/ 10% Threshold**	**उप-क्षेत्र/ Sub-Sector**	**उप-क्षेत्र बकाया/ Sub-Sector Outstanding**
कृषि एवं संबद्ध/ Agriculture & Allied	37,336	3,734	फसल ऋण/ Crop Loans	15,009
			निवेश ऋण Investment Credit	9,125
सेवाएं/Services	38,404	3,840	सूक्ष्म/Micro	27,351

iii) विदेश स्थित आस्तियां, अनर्जक आस्तियां और राजस्व /Overseas Assets, NPA's and Revenue

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	**2025-26**	**2024-25**
कुल आस्तियां/Total Assets	33,371.94	29,227.83
कुल अनर्जक आस्तियां/Total NPAs	0.00	0.00
कुल राजस्व/Total revenue	1,763.90	1,935.75

iv) समाधान योजना और पुनर्गठन का विवरण

दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे के संबंध में आरबीआई परिपत्र डीबीआर संख्या बीपी बीसी 45/21.04.048/2018-19 दिनांक 07.06.2019 का प्रभाव निम्नानुसार है :

iv) Particulars of resolution plan and restructuring

Impact of RBI circular DBR No BP BC 45/21.04.048/2018-19 dated 07.06.2019 on prudential framework for resolution of stressed assets is as under :

आरबीआई परिपत्र से प्रभावित ऋण राशि (ए) Amount of loans impacted by RBI Circular (a)	एनपीए के रूप में वर्गीकृत किये जाने वाले ऋण राशि (बी) Amount of loans to be classified as NPA (b)	31.03.2026 तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत (बी) में से ऋणों की राशि (सी) Amount of loans as on 31.03.2026 out of (b) classified as NPA (c)	आरबीआई परिपत्र के अंतर्गत आने वाले ऋणों के लिए अतिरिक्त वांछित प्रावधान (डी) Additional Provision required for loans covered under RBI Circular (d)	(डी) में से प्रावधान 31.03.2026 तक पहले ही कर दिया गया है (इ) Provision out of (d) already made by 31.03.2026 (e)
1,286.58	534.50	534.50	347.69	347.69

(v) परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में भिन्नता:

बैंकों को आरबीआई की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में भिन्नता के लिए उपयुक्त प्रकटीकरण करने होंगे, यदि निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

(क) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं के अंतर्गत निर्धारित एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान, संदर्भ अवधि के लिए प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पूर्व घोषित लाभ के पाँच प्रतिशत से अधिक है और

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के अंतर्गत पहचाना गया अतिरिक्त सकल एनपीए, संदर्भ अवधि के लिए घोषित वृद्धिशील सकल एनपीए के पाँच प्रतिशत से अधिक है।

हमारे बैंक में, भिन्नताएं ऊपर निर्दिष्ट सीमा के भीतर हैं, इसलिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आरबीआई की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में परिसंपत्ति वर्गीकरण और एनपीए के लिए प्रावधान में भिन्नता के बारे में कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है।

(vi) ऋण अन्तरण प्रकृतिकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - वित्तीय विवरणः प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निर्देश, 2025 दिनांक 28.11.2025 के अंतर्गत 31.03.2026 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान हस्तांतरित/अधिग्रहित ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:-

(क) बैंक ने 31.03.2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान कोई भी ऐसा ऋण डिफ़ॉल्ट में हस्तांतरित नहीं किया है

(v) Divergence in Asset Classification and Provisioning:

Banks shall make suitable disclosures for divergence in asset classification and provisioning consequent to RBI's annual supervisory process as, if either or both of the following conditions are satisfied:

(a) The additional provisioning for NPA assessed by Reserve Bank of India as part of its supervisory processes, exceeds five per cent of the reported profit before provisions and contingencies for the reference period and

(b) The additional Gross NPA identified by the Reserve Bank of India as part of its supervisory process exceeds five percent of the reported incremental Gross NPAs for the reference period.

In our Bank, divergences are within threshold limit as specified above, hence no disclosure on divergence in asset classification and provisioning for NPAs is required with respect to RBI's annual supervisory process for FY 2024-25.

(vi) Disclosure of transfer of loan exposures

Details of loans transferred/acquired during the financial year ended on 31.03.2026 under the Reserve Bank of India (Commercial Banks - Financial Statements: Presentation and Disclosures) Directions, 2025 dated 28.11.2025 are given below:-

(a) Bank has not transferred any Loans not in default during the financial year ending on 31.03.2026. The details of loans not in default acquired through direct assignment is given below:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण **Particulars**	**दिनांक 31.03.2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान** **During Financial Year ended on 31.03.2026**			
अधिग्रहित ऋण की कुल राशि (करोड़ रुपये में)	खुदरा Retail	कृषि Agriculture	एमएसएमई MSME	अन्य OTHER
Aggregate amount of loans acquired (Rs. in crore)	1,942.18	2,381.43	शून्य/NIL	1358.14
भारित औसत शेष परिपक्वता (माह में)				
Weighted average residual maturity (in months)	77	95	शून्य/NIL	8
प्रवर्तक द्वारा भारित औसत होल्डिंग अवधि (माह में)				
Weighted average holding period by originator (in months)	35	16	शून्य/NIL	6
लाभकारी आर्थिक हितों का प्रतिधारण				
Retention of beneficial economic interest	10%	10%	शून्य/NIL	10%
मूर्त जमानत व्याप्ति				
Tangible security coverage	231%	256%	शून्य/NIL	187%
मूल्यांकित ऋणों का रेटिंग के आधार पर वितरण				
Rating wise distribution of rated loans	NA	NA	NA	NA

ख) बैंक ने एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋणों का अधिग्रहण नहीं किया है। हस्तांतरित अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का विवरण निम्नानुसार है :-

b) The details of Non-Performing Assets (NPAs) transferred are as under:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण **Particulars**	एआरसी के लिए **To ARCs**	अनुमति प्राप्त स्थानांतरितियों के लिए **To permitted transferees**	अन्य स्थानांतरितियों के लिए (कृपया निर्दिष्ट करें) **To other transferees (please specify)**
खातों की संख्या / No: of accounts	1	शून्य/NIL	शून्य/NIL
हस्तांतरित ऋणों का कुल मूलधन Aggregate principal outstanding of loans transferred	50.41	शून्य/NIL	शून्य/NIL
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि Weighted average residual tenor of the loans transferred	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
हस्तांतरित ऋणों का शुद्ध बही मूल्य (हस्तांतरण के समय) Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
कुल प्रतिफल राशि Aggregate consideration	30.32	शून्य/NIL	शून्य/NIL
पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	156.96	शून्य/NIL	शून्य/NIL

वर्ष के दौरान अधिग्रहित किए गए ऋणों का विवरण / Details of loans acquired during the year

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

(सभी राशियाँ करोड़ में)/ (all amounts in crore)	एससीबी, आरआरबी, सहकारी बैंक, एआईएफआई, एसएफबी और एनबीएफसी सहित एचएफसी से From SCBs, RRBs, Co-operative Banks, AIFIs, SFBs and NBFCs including HFCs	एआरसी से From ARCs
अधिग्रहीत ऋणों की कुल बकाया मूल राशि Aggregate principal outstanding of loans acquired	-	-
ऋणों के बकाया के रूप में भुगतान की गई कुल राशि Aggregate consideration paid outstanding of loans acquired	-	-
अधिग्रहीत ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि Weighted average residual tenor of loans acquired	-	-

(ग) बैंक ने 31.03.2026 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान विशेष उल्लेख खाते के रूप में वर्गीकृत ऋणों का अधिग्रहण और हस्तांतरण नहीं किया है।

(c) Bank has not acquired and transferred loans classified as Special Mention Account during the Financial year ended on 31.03.2026

(घ) दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार केडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को सौंपी गई वसूली रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में धारित एसआर के वितरण का विवरणः -

(d) Details of the distribution of the SRs held across various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit rating agencies as on 31.03.2026:

वसूली रेटिंग बैंड **Recovery Rating Band**	बही लागत (राशि करोड़ में) **Book Cost (amount in crores)**
आरआर/RR1+ (Above 150%)	शून्य/NIL
आरआर/RR1 (Above 100% upto 150%)	345.34
आरआर/RR2 (Above 75% upto 100%)	शून्य/NIL
आरआर/RR3 (Above 50% upto 75%)	शून्य/NIL
आरआर/RR4 (Above 25% upto 50%)	शून्य/NIL
आरआर/RR5 (upto 25%)	शून्य/NIL
अनरेटेड/Unrated	शून्य/NIL
कुल/Grand Total	**345.34**

नोटः तनावग्रस्त ऋण (एनपीए और एसएमए) की बिक्री के कारण अतिरिक्त प्रावधान की राशि में हुई उलटफेरः शून्य
Note: Quantum of Excess provision reversed on account of sale of stressed Loan (NPA & SMA): NIL

(vii) सह-ऋण व्यवस्था (सीएलए) पर प्रकटीकरण:/Disclosures on Co-Lending Arrangements (CLA):

विवरण/Particulars	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार/ As at 31st March 2025			31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार/ As at 31st March 2026		
1 सीएलए की राशि (सकल बकाया) Quantum of CLA (Gross outstanding)	2,248			1,662		
2 भारित औसत ब्याज दर Weighted Average Rate of Interest	9.92%			9.42%		
3 वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भुगतान की गई फीस Fee paid during the FY 2025-26	6.64			5.94		
4 वे व्यापक क्षेत्र जिनके अंतर्गत सीएलए परिसंपत्तियां मौजूद हैं Broad Sectors under which CLA asset exist	खुदरा Retail	कृषि Agri	एमएसएमई MSME	खुदरा Retail	कृषि Agri	एमएसएमई MSME
	386	121	1741	696	418	548
5 सीएलए के अंतर्गत ऋण का प्रदर्शन Performance of Loan under CLAs						
- मानक ऋण / Standard Loans	2,217.86			1,625.88		
- अनर्जक ऋण / Non-Performing Loans	30.14			36.12		
6 डिफ़ॉल्ट हानि गारंटी (डीएलजी) से संबंधित विवरण Details related to Default Loss Guarantee (DLG)	शून्य/NIL			शून्य/NIL		

(viii) कपट खाते :

(viii) Fraud accounts :

विवरण Particulars	चालू वर्ष/ Current year	गत वर्ष/ Previous year
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या/ Number of frauds reported	429	139
शामिल राशि (₹ करोड़)/ Amount involved in fraud (₹ crore)	823.59	338.74
इस तरह की धोखाधड़ी के लिए प्रावधान की राशि (₹ करोड़)/ Amount of provision made for such frauds (₹ crore)	814.02(*)	290.35
वर्ष के अंत में 'अन्य भंडार' से डेबिट किए गए असंशोधित प्रावधान की राशि (₹ करोड़) Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (₹ crore)	शुन्य/Nil	शुन्य/Nil

(*) चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 31.03.2026 को धोखाधड़ी खातों (भुगतान संबंधी धोखाधड़ी के अलावा अग्रिम और गैर-अग्रिम) में बकाया राशि 814.02 करोड़ है और पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 290.35 करोड़ है और पूरी बकाया राशि पर 100% प्रावधान किया गया है।/

Outstanding Balance in fraud accounts (Advance & Non- Advance other than payment related frauds) as on 31.03.2026 for current FY 2025-26 is Rs. 814.02 Crore & for previous FY 2024-25 is Rs. 290.35 Crore and 100% provision has been made on entire outstanding balance.

(ix) परियोजना वित्त से संबंधित प्रकटीकरणः / Disclosure related to project finance:

क्र सं Sl no.	मद का विवरण Item Description	खातों की संख्या Number of accounts	कुल बकाया राशि (करोड़ रुपये में) Total outstanding (in Rs. crore)
1	तिमाही की शुरुआत में कार्यान्वयन खाते के अंतर्गत परियोजनाएं Projects under implementation accounts at the beginning of the quarter	275	7,921.42
2	तिमाही के दौरान स्वीकृत कार्यान्वयन खातों के अंतर्गत परियोजनाए Projects under implementation accounts sanctioned during the quarter	34	73.74
3	कार्यान्वयन खातों के अंतर्गत वे परियोजनाएं जिनमें तिमाही के दौरान डीसीसीओ प्राप्त किया गया है Projects under implementation accounts where DCCO has been achieved during the quarter	50	1,281.58
4	तिमाही के अंत में कार्यान्वयन खातों के अंतर्गत परियोजनाएं (1+2+3) Projects under implementation accounts at the end of the quarter (1+2+3)	259	6,809.33
5	'4' में से - वे खाते जिनके संबंध में मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार से संबंधित समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है। Out of '4' - accounts in respect of which resolution process involving extension in original / extended DCCO, as the case may be, has been invoked.	34	2,099.52
5.1	'5' खातों में से - वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना लागू की जा चुकी है। Out of '5' - accounts in respect of which Resolution plan has been implemented.	24	1,926.94
5.2	पाँच खातों मे से वे खाते जिनके लिए समाधान योजना लागू की जा रही है। Out of '5' - accounts in respect of which Resolution plan is under implementation.	1	2.71
5.3	'5' खातों में से - वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना विफल रही है। Out of '5' - accounts in respect of which Resolution plan has failed.	0	0
6	'5' खातों में से, वे खाते जिनके संबंध में मूल/विस्तारित डीसीसीओ (जैसा भी मामला हो) में विस्तार से संबंधित समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है, परियोजना के दायरे और आकार में परिवर्तन के कारण। Out of '5', accounts in respect of which resolution process involving extension in original / extended DCCO, as the case may be, has been invoked due to change in scope and size of the project.	5	42.18
7	'5' खातों में से, वे खाते जिनके संबंध में मूल/विस्तारित डीसीसीओ (जैसा भी मामला हो) में विस्तार से संबंधित लागत वृद्धि का वित्तपोषण किया गया था। Out of '5', account in respect of which cost overrun associated with extension in original / extended DCCO, as the case may be, was funded	1	31
8	'7' खातों में से, वे खाते जहां वित्तीय समापन के दौरान एसबीसीएफ स्वीकृत किया गया था और लगातार नवीनीकृत किया गया था। Out of '7', accounts where SBCF was sanctioned during financial closure and renewed continuously	0	0
9	'7' खातों में से, वे खाते जिनमें एसबीसीएफ पूर्व-स्वीकृत नहीं था या निरंतर नवीनीकृत नहीं किया गया था। Out of '7', accounts where SBCF was not pre sanctioned or renewed continuously	0	0
10	'4' खातों में से, वे खाते जिनके संबंध में समाधान प्रक्रिया, जिसमें मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार शामिल नहीं है, लागू की गई है। Out of '4' - accounts in respect of which resolution process not involving extension in original / extended DCCO, as the case may be, has been invoked.	4	249.10
11	'8' खातों में से, वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना लागू की जा चुकी है। Out of '8' - accounts in respect of which Resolution plan has been implemented.	0	0
12	'8' खातों में से, वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना कार्यान्वयन के अधीन है। Out of '8' - accounts in respect of which Resolution plan is under implementation.	0	0
13	'8' खातों में से, वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना विफल रही है। Out of '8' - accounts in respect of which Resolution plan has failed.	0	0

x) कोविड-19 से संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचे के तहत प्रकटीकरण:

भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - वित्तीय विवरणः प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निर्देश, 2025 दिनांक 28.11.2025 के अनुसार कोविड-19 से संबंधित तनाव के लिए संकल्प ढांचे के तहत कार्यान्वित संकल्प योजना का विवरण 31 मार्च 2026 को निम्नानुसार हैः

x) Disclosure under Resolution Framework for COVID-19-related Stress:

Details of resolution plan implemented under Resolution Framework for COVID 19 related stress in terms of Reserve Bank of India (Commercial Banks - Financial Statements: Presentation and Disclosures) Directions, 2025 dated 28.11.2025 at 31st March 2026 are as under:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

उधारकर्ता के प्रकार Type of Borrower	माधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में जोखिम - 30.09.2025 तक की स्थिति (ए) Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of 30.09.2025 (A)	(ए)में से, 31.03.2026 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कुल ऋण जो एनपीए में चला गया Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year ending 31.03.2026	(ए) मे से 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि Of (A) amount written off during the half - year ending 31.03.2026	(ए) मे से 31.03.2026 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कर्जदारों द्वारा चुकाई गई रकम Of (A) amount paid by the borrowers during the half-year ending 31.03.2026	(ए) मे से 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान बंद की गई राशि Of (A) amount closed during the half -year ending 31.03.2026	समाधान योजना लागू होने के बाद मानक के तौर पर वर्गीकृत किए गए खातों में जोखिम - 31.03.2026 तक की स्थिति Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at 31.03.2026
वैयक्तिक ऋण / Personal Loans	688.47	6.93	0.00	45.22	22.60	613.72
कारपोरेट व्यक्ति / Corporate Persons*	504.00	24.04	0.00	28.40	26.91	424.65
में से एमएसएमई / Of which MSME's	504.00	24.04	0.00	28.40	26.91	424.65
अन्य / Others	90.70	1.28	0.00	4.38	9.19	75.85
कुल / Total	**1,283.17**	**32.25**	**0.00**	**78.00**	**58.70**	**1,114.22**

* दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड, 2016 की धारा 3(7) में यथा विश्लेषित

*As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

5. ऋण/Exposure:

i) स्थावर-संपदा क्षेत्र को ऋण / Exposure to Real Estate Sector

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/**Category**	**2025-26**	**2024-25**
i) प्रत्यक्ष ऋण/Direct exposure		
क) आवासीय संपत्ति बंधक - ऐसी आवासीय संपत्ति को बंधक रखकर दिए गए पूर्णतः प्रतिभूत उधार जो उधारकर्ता के दखल में है या होगी या जो किराए पर दी गई हो (प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम में शामिल करने योग्य वैयक्तिक आवास ऋण अलग से दर्शाए जाएं) एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी		
(a) Residential Mortgages - Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; (Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances may be shown separately);. Exposure would also include non-fund based (NFB) limits	40,496.18 17,939.11	32,793.60 13,807.69
ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा को (कार्यालय भवन, खुदरा कारोबार का स्थान, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किराए वाले वाणिज्यिक परिसर, उद्योग या वेयर हाउस के लिए खाली स्थान, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं विनिर्माण आदि) बंधक रखकर दिए गए प्रतिभूत उधार। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल है।		
(b) Commercial Real Estate - Lending secured by mortgages on commercial real estate's (office buildings retail space multi-purpose commercial premises multi-family residential buildings multi-tenanted commercial premises industrial or warehouse space land acquisition development and construction etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;	2,543.29	2,083.94
(सी) बंधक समर्थित प्रतिभूति (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूत ऋणों में निवेश - (c) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures -		
i. आवासीय / Residential	शुन्य/Nil	शुन्य/Nil
ii. वाणिज्यिक स्थावर संपदा /Commercial Real Estate.	शुन्य/Nil	शुन्य/Nil
ii) अप्रत्यक्ष ऋण / Indirect Exposure		
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) को निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित ऋण Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	6,340.76	4,837.96
स्थावर-संपदा क्षेत्र को कुल ऋण / Total Exposure to Real Estate Sector	**49,380.24**	**39,715.50**

ii) **पूंजी बाजार को एक्सपोजर/Exposure to Capital Market** (राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	विवरण/Particulars	2025-26	2024-25
(i)	ऐसे ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसकी आधारभूत निधि का पूर्णतः निवेश कार्पोरेट ऋण में न किया गया हो;		
	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	542.41	514.95
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में निवेश हेतु व्यक्तियों को शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर अग्रिम;		
	Advances against shares/ bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	0.09	शुन्य/Nil
(iii)	किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति माना जाता है;		
	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	शुन्य/Nil	शुन्य/Nil
(iv)	किन्हीं अन्य प्रयोजन के लिए उस सीमा तक अग्रिम, जो शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत हो यानी जहां शेयर/परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर/ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिट से भिन्न प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम को पूरी तरह संरक्षित न करती हो;		
	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	शुन्य/Nil	शुन्य/Nil
(v)	शेयर दलालों को दिए जाने वाले प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम तथा शेयर दलालों एवं शेयर संतुलनकर्ताओं की ओर से जारी गारंटी;		
	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	526.22	266.22
(vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर कंपनियों को संस्वीकृत ऋण;		
	Loans sanctioned to corporate against the security of shares /bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	शुन्य/Nil	शुन्य/Nil
(vii)	प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गम के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण;		
	Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	शुन्य/Nil	शुन्य/Nil
(viii)	शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम की बाबत बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धता;		
	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	शुन्य/Nil	शुन्य/Nil
(ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए शेयर दलालों को वित्तपोषण/financing to stockbrokers for margin trading;	शुन्य/Nil	शुन्य/Nil
(x)	वेंचर कैपिटल फंड (रजिस्ट्रीकृत एवं अरजिस्ट्रीकृत दोनों) सभी एक्सपोजर		
	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	14.21	5.00
	पूंजी बाजार को कुल एक्सपोजर /Total exposure to Capital Market	**1,083.03**	**786.17**

iii) जोखिम श्रेणीवार कंट्री एक्सपोजर / Risk Category wise Country Exposure

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

जोखिम श्रेणी Risk Category	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार ऋण (निवल) Exposure (net) as at 31st March 2026	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार किया गया प्रावधान Provision held as at 31st March 2026	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार ऋण (निवल) Exposure (net) as at 31st March 2025	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार किया गया प्रावधान Provision held as at 31st March 2025
महत्वहीन/Insignificant	12,396.80	5.4831	13,260.81	6.0045
कम/Low	9,821.5511	0.0532	10,254.53	4.7630
मामूली रूप से कम/ Moderately low	385.2844	0.0254	433.12	0.00
संतुलित /Moderate	419.5166	0.9018	370.07	0.00
माध्यम उच्च/ Moderately high	242.4611	0.1200	216.57	0.00
उच्च /High	7.7801	0.0000	1.86	0.00
अत्यंत उच्च / Very High	2.4682	0.0000	0.00	0.00
कुल/TOTAL	**23,275.8623**	**6.5836**	**24,536.96**	**10.7675**

iv) अप्रतिभूत अग्रिम/Unsecured Advances

(राशि करोड़ ₹. में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार/ As at 31st March 2026	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार/ As at 31st March 2025
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम Total Unsecured Advances of the Bank	51,540.31	44,642.01
क) उपरोक्त में से, अग्रिम की राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण, आदि पर प्रभार लिया गया है a) Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	शुन्य/Nil	शुन्य/Nil
ख) ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का आनुमानिक मूल्य b) The estimated value of such intangible securities	शुन्य/Nil	शुन्य/Nil

(v) अंतः समूह एक्सपोजर - शून्य

(vi) फैक्टरिंग एक्सपोजर्स - शून्य

(vii) अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, हमारे बैंक ने एसएमई एवं कारपोरेट सहित उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र पर नीति बनाई है जिसे निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। इस नीति में अन्य बातों के अलावा निम्न प्रावधान हैं:

- एसएमई सहित सभी ग्राहकों के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र (यूएफसीई) की निगरानी एवं समीक्षा।
- अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र युक्त निकायों के एक्सपोज़र के लिए वृद्धिशील पूंजी एवं प्रावधानगत आवश्यकताएं।
- संरक्षण प्रदान करने के लिए यूएफसीई प्रभार का निर्धारण और यूएफसीई रखनेवाले निकायों को हतोत्साहित करना।

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों तथा हमारे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुरूप उनके घटकों के लिए उपलब्ध आंकड़ों, वित्तीय विवरणों और उधारकर्ताओं से प्राप्त घोषणा के आधार पर बैंक ने पूंजी अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र (यूएफसीई) हेतु 31.03.2026 तक 78.85 लाख रुपये की देयता का अनुमान लगाया है।

(v) Factoring Exposures - Nil

(vi) Intra-group exposures - Nil

(vii) Unhedged foreign currency exposure

In terms of RBI Guidelines, our Bank has framed a policy on 'Unhedged Foreign Exchange Exposure by borrowers including SMEs and Corporates duly approved by the Board. The policy inter-alia provides for:

- Monitoring and review of Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) of all customers including SMEs.
- Incremental capital and provisioning requirements for exposures to entities with Unhedged Foreign Currency Exposure.
- Stipulation of UFCE Charge in order to provide protection and discourage entities having UFCE.

Based on the available data and financial statements and the declaration from borrowers, the bank has estimated the liability of Rs. 78.85 Lakhs as on 31.03.2026 on Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) to their constituents in terms of RBI Circulars and our Board approved policy and provision for the same has been provided in the books.

6. जमा, अग्रिम, ऋण का संकेंद्रण एवं एनपीए /Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs

क)/ जमाराशियों का संकेंद्रण a) Concentration of deposits

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	2025-26	2024-25
बीस अत्यधिक बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां Total deposits of the twenty largest depositors	42,804.22	40,763.58
कुल जमाराशियों के % के अनुपात में बीस अत्यधिक बड़े जमाकर्ता Percentage of deposits of twenty largest depositors to total deposits of the bank	13.07%	13.89%

ख) अग्रिमों का संकेंद्रण **b) Concentration of Advances**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	2025-26	2024-25
बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम Total advances to twenty largest borrowers	50,589.34	43,284.41
बैंक के कुल अग्रिम की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिम का प्रतिशत Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the Bank	19.23%	16.27%

ग) ऋण का संकेंद्रण **c) Concentration of Exposures**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	2025-26	2024-25
बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल ऋण Total exposure to twenty largest borrowers/customers	51,654.57	45,138.38
बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल ऋण की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए ऋण का प्रतिशत Percentage of exposures to twenty largest borrowers/customers to total exposure of the Bank on borrowers/customers	19.63%	15.59%

घ) अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण **d) Concentration of NPAs**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	2025-26	2024-25
शीर्ष बीस एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर Total Exposure to the top twenty NPA accounts	428.96	244.83
सकल एनपीए में से शीर्ष बीस एनपीए एक्सपोजर का प्रतिशत। Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs.	7.54%	4.14%

7. व्युत्पन्न / Derivatives

(i) डेरिवेटिव पोर्टफोलियो का विवरण / Details of Derivative Portfolio

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

	2025-26			2024-25		
	स्तर Level 1	स्तर Level 2	स्तर Level 3	स्तर Level 1	स्तर Level 2	स्तर Level 3
ब्याज दर डेरिवेटिव/Interest Rate Derivatives						
एमटीएम - परिसंपत्तियाँ/MTM - Assets	5.17	0.00	0.00	15.16	0.00	0.00
एमटीएम - देनदारियाँ/MTM - Liabilities	4.18	0.00	0.00	13.48	0.00	0.00
लाभ और हानि खाते में मान्य शुद्ध लाभ/हानि						
Net Gain / Loss recognised in Profit &Loss Account	0.35	0.00	0.00	1.68	0.00	0.00
विनिमय दर डेरिवेटिव / Exchange Rate Derivatives						
एमटीएम - परिसंपत्तियाँ/MTM - Assets	787.32	0.00	0.00	759.09	0.00	0.00
एमटीएम - देनदारियाँ/MTM - Liabilities	815.70	0.00	0.00	845.68	0.00	0.00
लाभ और हानि खाते में मान्य शुद्ध लाभ/हानि						
Net Gain / Loss recognised in Profit &Loss Account	-28.39	0.00	0.00	-86.59	0.00	0.00
केडिट जोखिम डेरिवेटिव/Credit Risk Derivatives						
एमटीएम - परिसंपत्तियाँ/MTM - Assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एमटीएम - देनदारियाँ/MTM - Liabilities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ और हानि खाते में मान्य शुद्ध लाभ/हानि						
Net Gain / Loss recognised in Profit &Loss Account	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य डेरिवेटिव (निर्दिष्ट करें) / Other Derivatives (specify)						
एमटीएम - परिसंपत्तियाँ/MTM - Assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एमटीएम - देनदारियाँ/MTM - Liabilities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ और हानि खाते में मान्य शुद्ध लाभ/हानि						
Net Gain / Loss recognised in Profit &Loss Account	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ii) अग्रिम दर समझौता/ब्याज दर स्वैप / Forward rate agreement/Interest rate swap

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

मदें / Items	2025-26	2024-25
i) स्वाप करार का आनुमानिक मूलधन The notional principal of swap agreements	2485.40	4315.40
ii) करार के अंतर्गत काउंटर पार्टियों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में चूक किए जाने पर उठाई जानेवाली हानि Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	15.17	15.16
iii) स्वाप में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक Collateral required by the bank upon entering into swaps	0.00	0.00
iv) स्वाप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण Concentration of credit risk arising from the swaps	0.00	0.00
v) स्वाप बही का उचित मूल्य The fair value of the swap book	0.36	1.68

नोटः स्वैप को दर्ज करने की लेखांकन नीतियां हमारी वर्तमान डेरिवेटिव्स नीति के अनुसार हैं। यह ट्रेड तिथि, ब्याज प्रोद्भवन, मध्यवर्ती ब्याज निपटान तिथि, पुनर्निर्धारण तिथि और समाप्ति तिथि पर की जाने वाली लेखांकन प्रविष्टियों को परिभाषित करती है। किए गए स्वैपों की प्रकृति में मुख्यतः ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप शामिल हैं।

केडिट जोखिम को नियंत्रित करने के लिए, प्रतिपक्ष केडिट मूल्यांकन, पूर्व निर्धारित मानदंडों के अनुसार, उद्योग और समूह जोखिम की जाँच के साथ किया जाता है। डेरिवेटिव के एमटीएम की निगरानी दैनिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। बासेल-III विनियमन के अनुसार, जैसा कि मार्केट रिस्क पॉलिसी में परिभाषित है, पूंजी प्रभार (कैपिटल चार्ज) के साथ-साथ केडिट रूपांतरण कारक (सीसीएफ) को भी ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा, चूंकि हमारे डेरिवेटिव लेनदेन केंद्रीय प्रतिपक्ष (सेंट्रल काउंटर पार्टी), जैसे कि सीसीआईएल के माध्यम से संचालित होते हैं, इससे केडिट जोखिम काफी कम हो जाता है।

बाजार जोखिम को नियंत्रित करने हेतु हम विभिन्न जोखिम मापदंडों, जैसे पूंजी प्रभार, डेरिवेटिव एक्सपोजर आदि का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त, बाजार जोखिम नीति/डेरिवेटिव नीति में निर्दिष्ट विभिन्न बाजार जोखिम मानक, जैसे कट-लॉस ट्रिगर, ओपन पोजीशन लिमिट, पीवी01 आदि निर्धारित किए गए हैं तथा उनकी निरंतर निगरानी की जाती है।

Note: The accounting policies for recording Swap is as per our extant Derivatives policy. It defines accounting entries to be undertaken on trade date, interest accrual, intermittent interest settlement date, revolution date and termination date. The nature of Swaps undertaken comprises of overnight Index Swaps.

For containing credit risk, counterparty credit assessment is undertaken with industry and group exposure checks with pre specified limits. The MTM of derivatives is monitored through daily valuation. Capital charge along with credit conversion factor (CCF) is also taken into consideration as per Basel III regulation as defined in Market Risk Policy. Moreover, as our derivative transactions are routed through central counter party e.g. CCIL, it reduces the credit risk to a larger extent.

To contain market risk, we use various risk metrics e.g. capital charge, derivative exposure, etc. Besides, various market risk parameters as specified in Market Risk Policy/Derivative Policy e.g. cut-loss triggers, open position limits, PV01 etc. have been set and being monitored.

iii) विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न / Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	2025-26	2024-25
i)	वर्ष के दौरान प्रारंभ किए गए विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	शून्य/Nil	शून्य/Nil
ii)	दिनांक 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2026 (instrument wise)	शून्य/Nil	शून्य/Nil
iii)	ऐसे विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) जो बकाया हैं परंतु "अत्यंत प्रभावी" नहीं हैं Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	शून्य/Nil	शून्य/Nil
iv)	ऐसे विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का दैनिक बाजार मूल्य (लिखतवार) जो बकाया हैं परंतु "अत्यंत प्रभावी" नहीं हैं Mark to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	शून्य/Nil	शून्य/Nil

(iv) व्युत्पन्न में ऋण जोखिम का प्रकटीकरण

ए) गुणात्मक प्रकटीकरण

i) व्युत्पन्न लेनदेन में जोखिम प्रबंध की संरचना और गठन :

संगठनात्मक ढांचे के अंतर्गत कॉर्पोरेट स्तर पर निवेश स्कंध है जो कार्यपालक निदेशकगण अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा अंततः निदेशक मंडल को रिपोर्ट करता है। लेन देन के समय उनके बारे में जोखिम प्रबंध विभाग को सूचित किया जाता है।

ii) जोखिम मूल्यांकन, जोखिम सूचना और जोखिम निगरानी प्रणालियों का क्षेत्र और स्वरूपः

क) बैंक द्वारा किए गए ब्याज दर स्वाप (आईआरएस) संबंधी लेनदेन केवल बचाव व्यवस्था एवं क्रयविक्रय के प्रयोजनार्थ किए जाते हैं। व्युत्पन्न भी एक उत्पाद के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार ग्राहकों को दिए जाते हैं। ये लेन देन भारिबैंक की नीतियों के आधार पर बनाई गई बैंक की नीतियों के अनुसार किए जाते हैं।

(iv) Disclosures on risk exposure in derivatives

(a) Qualitative disclosures-

i) The Structure and organization for management of risk in derivatives trading:

The organization structure consists of Investment Wing at the Corporate level which report to the Executive Directors, Chairman & Managing Director and ultimately to the Board. Risk Management Department is informed of the transactions as and when they take place.

ii) The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems:

a) The Interest Rate Swap (IRS) transactions undertaken by the Bank are for hedging and trading purposes. Derivative as a product is also offered to the customer as per RBI norms. Such transactions are undertaken as per policies of the Bank formulated based on RBI guidelines.

ख) ब्याज दर स्वैप संविदाओं की शेष अवधि के लिए बेंच मार्क ब्याज दरों की उतार चढाव के आधार पर ब्याज दर व्युत्पन्न लेन देन पर जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है। सभी ब्याजदर व्युत्पन्न लेनदेन को जोखिम मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ शामिल किया गया है। जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है और इसकी रिपोर्ट प्र.नि एवं मु.का.अ./का.नि. के समक्ष प्रतिदिन और निदेशक मंडल के समक्ष आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाती है। ब्याज दर व्युत्पन्न लेन-देन की मार्क टू मार्केट स्थिति के आधार पर जोखिम की निगरानी की जाती है।

(iii) जोखिम से बचाव और/या उसके शमन के लिए नीतियां तथा बचाव/शमन की निरंतर प्रभाविता की निगरानी रखने हेतु कार्यनीति एवं प्रक्रिया:

परिसंपत्तियों या देयताओं के वास्तविक ब्याज भार के लिए ब्याज दर स्वाप किया जाता है। अनुमानिक मूल धन और बचाव की परिपक्वता निहित परिसंपत्ति/देयता के मूल्य/परिपक्वता से अधिक नहीं होती है। बकाया ब्याज दर स्वाप संविदाओं की मार्क टू मार्केट स्थिति के आधार पर जोखिम पर निगरानी रखी जाती है तथा तदनुसार बचाव की प्रभाविता निर्धारित की जाती है।

ब्याज दर स्वाप करने पर अपेक्षित संपार्श्विक शून्य है। पूंजी अपेक्षा अवधारित करने के लिए सुसंगत परिवर्तनकारक से गुणा की गई ब्याज दर स्वाप की अनुमानिक मूल राशि और प्रति पार्टी की संबंधित जोखिम भारिता को हिसाब में ले लिया गया है।

बाजार जोखिम को नियंत्रित करने हेतु हम विभिन्न जोखिम मापदंडों, जैसे पूंजी प्रभार, डेरिवेटिव एक्सपोजर आदि का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त, बाजार जोखिम नीति/डेरिवेटिव नीति में निर्दिष्ट विभिन्न बाजार जोखिम मानक, जैसे कट-लॉस ट्रिगर, ओपन पोजीशन लिमिट, पीभी01 आदि निर्धारित किए गए हैं तथा उनकी निरंतर निगरानी की जाती है।

iv) बचाव और गैर-बचाव लेनदेन रिकॉर्डिंग के लिए लेखांकन नीति; आय, प्रीमियम और छूट की मान्यता; बकाया अनुबंधों का मूल्यांकन; प्रावधान, संपार्श्विक और ऋण जोखिम न्यूनीकरण:

स्वॉप्स को रिकॉर्ड करने के लिए लेखांकन नीतियां हमारी मौजूदा डेरिवेटिव्स नीति के अनुसार हैं। यह विभिन्न लेखांकन प्रविष्टियों को परिभाषित करती है जो व्यापार तिथि, ब्याज एकत्रीकरण, अंतरालिक ब्याज निपटान तिथि, पुनरावृत्ति तिथि और समाप्ति तिथि पर किए जाने चाहिए।

आय की पहचान, प्रीमियम और डिस्काउंट, असमाप्त अनुबंधों का मूल्यांकन, प्रावधान, कोलेटरल और केडिट रिस्क मिटिगेशन हमारे बैंक की डेरिवेटिव्स नीति के अनुसार है।

प्रतिपक्ष केडिट मूल्यांकन, पूर्व निर्धारित मानदंडों के अनुसार उद्योग और समूह जोखिम की जाँच के साथ किया जाता है। डेरिवेटिव के एमटीएम की निगरानी दैनिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। बासेल-III विनियमन के अनुसार, जैसा कि मार्केट रिस्क पॉलिसी में परिभाषित है, पूंजी प्रभार (कैपिटल चार्ज) के साथ-साथ केडिट रुपांतरण कारक (सीसीएफ) को भी ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा, चूंकि हमारे डेरिवेटिव लेनदेन केंद्रीय प्रतिपक्ष (सेंट्रल काउंटर पार्टी), जैसे कि सीसीआईएल के माध्यम से संचालित होते हैं, इससे केडिट जोखिम काफी हद तक कम हो जाता है।

v) ब्याज दर अदला- बदली (स्वैप) हेतु अन्य प्रकटीकरण :

बैंक ने अंतर्निहित आस्तियों एवं देयताओं पर नियत से अस्थिर और अस्थिर से नियत ब्याज दर स्वैप का कार्य किया है। यदि प्रतिपक्ष अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो उपर्युक्त आईआरएस पर आय का नुकसान रु. 5.17 करोड़ होगा। आईआरएस लेनदेन से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम की कोई संकेद्रण नहीं है क्योंकि प्रतिपक्ष भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड है और एक्सपोजर की अनुमति सीमा के भीतर है।

b) The risk is measured in the interest rate derivative transactions depending on the movement of benchmark interest rates for the remaining life of the interest rate swap contracts. All interest rate derivative transactions are included for the purpose of risk measurement. The risk is evaluated and reports are placed to the CMD/ED daily and Board periodically. Risk is monitored based on the mark to market position of the interest rate derivative transactions.

(iii) Policies for hedging and /or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigates:

IRS is undertaken on the actual interest bearing underlying assets or liabilities. The notional principal amount and maturity of the hedge does not exceed the value and maturity of underlying asset/liability. The risk is monitored on the mark to market basis of the outstanding interest rate swap contracts and accordingly the effectiveness of the hedge is determined.

Collateral required upon entering into IRS is Nil due to presence of central counterparty (CCIL). Notional principal amount of IRS multiplied by the relevant conversion factor and the respective risk weight of the counter party has been taken into account for determining the capital requirements.

To contain market risk, we use various risk metrics e.g. capital charge, derivative exposure, etc. Besides, various market risk parameters as specified in Market Risk Policy/ Derivative Policy e.g. cut-loss triggers, open position limits, PV01 etc. have been set and being monitored.

(iv) Accounting policy for recording hedge and non-hedge transactions; recognition of income, premiums and discounts; valuation of outstanding contracts; provisioning, collateral and credit risk mitigation:

The accounting procedure for recording hedge contract is as per our extant Derivative policy. It defines designation of hedging instruments, hedged items, qualifying criteria for hedge accounting, hedge reporting etc.

For recognition of income, premiums and discounts, valuation of outstanding contracts, provisioning, collateral and credit risk mitigation is as per our Bank's Derivative Policy.

Counterparty credit assessment is undertaken with industry and group exposure checks with pre specified limits. The MTM of derivatives is monitored through daily valuation. Capital charge along with credit conversion factor (CCF) is also taken into consideration as per Basel III regulation as defined in Market Risk Policy. Moreover, as our derivative transactions are routed through central counter party e.g. CCIL, it reduces the credit risk to a larger extent.

(v) Other Disclosures for Interest Rate Swaps:

The Bank has undertaken fixed to floating and floating to fixed interest rate swaps on underlying assets and liabilities. The loss of income on the above IRS will be Rs. 5.17 Cr, in case counter-parties fail to fulfill their obligations. There is no concentration of credit risk arising from IRS transactions undertaken as the counter-parties are the Clearing Corporation of India Ltd. and the exposure is within the exposure limit permitted.

बी/b) प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण/Quantitative disclosures- (राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. Sl.No.	विवरण Particulars	2025-2026		2024-2025	
		मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest Rate Derivatives	मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest Rate Derivatives
1	व्युत्पन्न (आनुमानिक मूलधन राशि) Derivatives (Notional Principal Amount)				
	क)/a) बचाव के लिए / For Hedging	15,522.28	0.00	25,169.00	400.00
	ख)/b) क्रय-व्रिकय के लिए / For Trading	56,338.34	2,485.40	82,392.37	3915.40
2	मार्क्ड टू मार्केट स्थिति / Marked to Market Positions [1]				
	क)/a) आस्ति (+) / Assets (+)	34.95	0.36	14.00	1.68
	ख)/b) देयता (-) / Liabilities (-)	19.57	0.00	9.38	0.00
3	ऋण एक्स्पोजर / Credit Exposure	2,522.01	6.63	3,294.30	48.57
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01) Likely impact of one percentage change in Interest rate (100*PV01)				
	क) / a) बचाव व्युत्पन्न पर / On hedging derivatives				
	अधिकतम / Maximum (+1%)	लागू नहीं/ NA	लागू नहीं/ NA	लागू नहीं/ NA	1.49
	न्यूनतम / Minimum (-1%)	लागू नहीं/ NA	लागू नहीं/ NA	लागू नहीं/ NA	-2.44
	ख)/b) क्रय-व्रिकय व्युत्पन्न पर / Trading derivatives				
	अधिकतम / Maximum (+1%)	लागू नहीं/ NA	1.56	लागू नहीं/ NA	-10.26
	न्यूनतम / Minimum (-1%)	लागू नहीं/ NA	-0.84	लागू नहीं/ NA	13.62
5	वर्ष के दौरान 100*पीवी01 के अधिकतम और न्यूनतम निम्नलिखित पर पाए गए Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	क) / a) बचाव-व्यवस्था पर- / On hedging			लागू नहीं/NA	
	अधिकतम / Maximum	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	0.82
	न्यूनतम / Minimum	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	-0.48
	ख)/b) क्रय-व्रिकय पर / On trading				
	अधिकतम / Maximum	लागू नहीं/NA	0.45	लागू नहीं/NA	-6.09
	न्यूनतम / Minimum	लागू नहीं/NA	-1.17	लागू नहीं/NA	1.65

* उपरोक्त आईआरएस पर आय का नुकसान अगर प्रतिपक्षी अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल हो तो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹5.17 करोड़।

*The loss of income on above IRS if counterparties fail to fulfil their obligation will be Rs. 5.17 crore for F.Y. 2025-26.

सी) केडिट चूक विनिमय

बैंक का दिनांक 31.03.2026 को केडिट चूक विनिमय पर कोई एक्सपोजर नहीं है।

c) Credit default swaps

Bank has no exposure on Credit Default Swap as on 31.03.2026.

8. प्रतिभूतिकरण के संबंध में प्रकटीकरण **8. Disclosures relating to securitisation**

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. विवरण Sl. Particulars No.	मार्च 31/ Mar 31 2026	मार्च 31/ Mar 31 2025
1. प्रवर्तक द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए संपत्ति रखने वाले एसपीई की संख्या (यहां केवल बकाया प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर से संबंधित एसपीवी की सूचना दी जाएगी) No of SPEs holding assets for securitisation transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures)	शून्य/NIL	शून्य/NIL
2. एसपीई के बहीखातों के अनुसार प्रतिभूत संपत्ति की कुल राशि Total amount of securitised assets as per books of the SPEs	शून्य/NIL	शून्य/NIL
3. तुलन पत्र की तिथि को एमआरआर का अनुपालन करने के लिए प्रवर्तक द्वारा बनाए गए एक्सपोजर की कुल राशि Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet	शून्य/NIL	शून्य/NIL
ए/a) तुलन पत्र के अलावा एक्सपोजर / Off-balance sheet exposures		
• पहला नुकसान/First loss		
• अन्य /Others	शून्य/NIL	शून्य/NIL
b) तुलनपत्र पर एक्सपोजर / On-balance sheet exposures		
• पहला नुकसान/First loss		
• अन्य/Others	शून्य/NIL	शून्य/NIL
4. एमआरआर के अलावा अन्य प्रतिभूतिकरण लेनदेन में एक्सपोजर की राशि Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR	शून्य/NIL	शून्य/NIL
ए/a) तुलन पत्र के अलावा एक्सपोजर / Off-balance sheet exposures		
i) Exposure to own securitisations		
• पहला नुकसान/First loss		
• अन्य/Others		
ii) Exposure to third party securitisations		
• पहला नुकसान/First loss		
• अन्य/Others	शून्य/NIL	शून्य/NIL
बी/b) तुलन पत्र के अलावा एक्सपोजर / On-balance sheet exposures		
i) Exposure to own securitisations		
• पहला नुकसान/First loss		
• अन्य/Others		
ii) तीसरे पक्ष की प्रतिभूतियों का एक्सपोजर / Exposure to third party securitisations		
• पहला नुकसान/First loss		
• अन्य/Others	शून्य/NIL	शून्य/NIL
5. प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल और प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री पर लाभ/हानि Sale consideration received for the securitised assets and gain/loss on sale on account of securitisation	शून्य/NIL	शून्य/NIL
6. नकदी सहायता, प्रतिभुतिकरण के उपरांत अस्ति-शोधन आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का प्रकार और मात्रा (बकाया मूल्य) Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of, liquidity support, post-securitisation asset servicing, etc.	शून्य/NIL	शून्य/NIL

क्र.सं. विवरण Sl. Particulars No.	मार्च 31/ Mar 31 2026	मार्च 31/ Mar 31 2025
7. प्रदान की गई सुविधा का प्रदर्शन। कृपया प्रत्येक सुविधा के लिए अलग से प्रदान करें अर्थात। ऋण वृद्धि, चलनिधि सहायता, सर्विसिंग एजेंट आदि। प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के रूप में कोष्ठक में प्रतिशत का उल्लेख करें। Performance of facility provided. Please provide separately for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention per cent in bracket as of total value of facility provided. ए/a) भुगतान की गई राशि/Amount paid बी/b) चुकौती प्राप्त/Repayment received सी/c) बकाया राशि/Outstanding amount	शून्य/NIL	शून्य/NIL
8. पूर्व में देखे गए पोर्टफोलियो की औसत चूक दर। कृपया प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग अर्थात आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें। Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc	शून्य/NIL	शून्य/NIL
9. समान अंतर्निहित आस्ति पर दिए गए अतिरिक्त/टॉप अप ऋण की राशि और संख्या। कृपया प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग अर्थात आरएमबीएस, वाहन ऋण इत्यादि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें। Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans, etc.	शून्य/NIL	शून्य/NIL
10. निवेशकों की शिकायतें/Investor complaints ए/a) प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त और;/Directly/Indirectly received and; बी/b) बकाया शिकायतें/Complaints outstanding	शून्य/NIL	शून्य/NIL

9. तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानदंड के अनुसार समेकित किया जाना है)

बैंक ने किसी एसपीवी को प्रायोजित नहीं किया है।

9. Off balance sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Bank has not sponsored any SPVs.

10. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) में राशि अंतरण

10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	2025-26	2024-25
डीईएएफ को अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष Opening balance of amounts transferred to DEAF	1270.33	686.47
जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि Add: Amount transferred to DEAF during the year	219.19	649.04
घटाएं : दावों हेतु डीईएएफ द्वारा प्रतिपूरित राशि Less: Amount reimbursed by DEAF towards claims	144.26	65.18
डीईएएफ को अंतरित राशि का अंत शेष Closing balance of amounts transferred to DEAF	1345.26	1270.33

11. शिकायतों का प्रकटन

i) **बैंक को ग्राहकों और ओम्बड्समैन के कार्यालय से प्राप्त शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी**

11. Disclosure of complaints

i) Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Offices of Ombudsman

क्र.सं. Sr. No	विवरण Particulars	2025-26	2024-25
	बैंक को उसके ग्राहकों द्वारा प्राप्त शिकायतें Complaints received by the bank from its customers		
1.	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at beginning of the year	2,084	1,985
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	1,21,336	83,127
3.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या Number of complaints disposed during the year	1,19,671	83,028
	3.1 उनमें से बैंक द्वारा अस्वीकार की गई शिकायतों की संख्या Of which, number of complaints rejected by the bank	15,092	7,343
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	3,749	2,084
	ओम्बड्समैन कार्यालय से बैंक को प्राप्त संपोषणीय शिकायतें Maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman		
5.	ओम्बड्समैन से बैंक को प्राप्त संपोषणीय शिकायतों की संख्या Number of maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman	3,086	2,347
	5.1. मद 5 में से ओम्बड्समैन द्वारा बैंक के पक्ष में निपटाई गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by Office of Ombudsman	1,991	1,465
	5.2 मद 5 में से ओम्बड्समैन द्वारा जारी समझौता/ मध्यस्थता/परामर्श के माध्यम से निपटाई गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved through conciliation/mediation/advisories issued by Office of Ombudsman	548	882
	5.3 मद 5 में से ओम्बड्समैन द्वारा बैंक के विरुद्ध पारित दण्ड के पश्चात निपटाई गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the bank	00	00
6.	निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए दंडों की संख्या (अपील किए गये के अलावा) Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	00	00

नोट : संपोषणीय शिकायतें ओम्बड्समैन योजना 2006 में विशेष रूप से उल्लिखित आधारों पर शिकायतों को संदर्भित करती हैं और इस योजना के दायरे में आती हैं।

Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in Integrated Ombudsman Scheme, 2021 (Previously Banking Ombudsman Scheme, 2006) and covered within the ambit of the Scheme.

बैंकिंग लोकपाल शिकायत विवरण/ Banking Ombudsman Complaints Details : -

क्र.सं. Sr. No	बैंकिंग लोकपाल की शिकायतें Banking Ombudsman Complaints	वित्तीय वर्ष/ FY 2025-26	वित्तीय वर्ष/ FY 2024-25
1	वर्ष की शुरुआत में बैंकिंग लोकपाल की लंबित शिकायतों की संख्या No of BO Complaints Pending at the Beginning of the year	44	24
2	वर्ष के दौरान प्राप्त बैंकिंग लोकपाल शिकायतों की संख्या No of BO Complaints Received during the year	3,086	2,347
3	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल की शिकायतों का निवारण किया गया No of BO Complaints Redressed during the year	3,109	2,327
4	वर्ष के अंत में लंबित बैंकिंग लोकपाल शिकायतों की संख्या No of BO Complaints Pending at the End of the year	21	44

ii) ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के उच्च पाँच आधार /

Top Five Grounds of Complaints by the bank from Customers

ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के उच्च पाँच आधार / Top Five Grounds of Complaints by the bank from customers					
शिकायतों के आधार (से संबंधित शिकायतें) **Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)**	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या **Number of Complaints pending at the beginning of the year**	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें **Number of Complaints received during the year**	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि/कमी का % **% increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year**	वर्ष की समाप्ति में लंबित शिकायतों की संख्या **Number of Complaints pending at the end of the year**	मद सं. 5 में 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या **Of 5, number of complaints pending beyond 30 days**
1	2	3	4	5	6
चालू वर्ष/Current Year 2025-26					
Failed/Disputed Transactions/Internet/Mobile/ Electronic Banking	2,053	1,04,535	50.22%	3302	137
खाता खुलवाना/खाते के संचालन में दिक्कत/ Account Opening / difficulty in operation of accounts	9	5,246	-19.95%	28	0
ऋण एवं अग्रिम/ Loans and advances	4	3,613	108.00%	13	0
एटीएम/डेबिट कार्ड/ ATM/Debit Card	2	2,156	56.35%	12	0
पूर्वज्ञाति के बिना शुल्क का लगाया जाना / अत्यधिक शुल्क / पूर्व-बंदी शुल्क Levy of charges without prior notice / excessive charges / foreclosure charges	5	1,176	-29.33%	8	0
अन्य / Others	11	4,610	109.17%	386	0
अन्य / Total	**2,084**	**1,21,336**	**45.96%**	**3749**	**137**

ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के उच्च पाँच आधार / Top Five Grounds of Complaints by the bank from customers					
शिकायतों के आधार (से संबंधित शिकायतें) **Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)**	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या **Number of Complaints pending at the beginning of the year**	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या **Number of Complaints received during the year**	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि/ कमी का % **% increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year**	वर्ष की समाप्ति में लंबित शिकायतों की संख्या **Number of Complaints pending at the end of the year**	मद सं. 5 में 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या **Of 5, number of com-plaints pending beyond 30 days**
1	2	3	4	5	6
विगत वर्ष/Previous Year 2024-25					
इंटरनेट मोबाइल/ इलेक्ट्रानिक बैंकिंग Internet/Mobile/ Electronic Banking	1,867	69,590	-22%	2053	118
एटीएम/डेबिट कार्ड/ ATM/Debit Card	43	1,379	-63%	2	0
खाता खुलवाना/खाते के संचालन में दिक्कत/ Account Opening / difficulty in operation of accounts	14	6,553	160%	9	0
ऋणों एवं अग्रिमों से संबंधित / Loans & Advances	6	1,737	9%	4	0
पूर्वज्ञाति के बिना शुल्क का लगाया जाना / अत्यधिक शुल्क / पूर्व-बंदी शुल्क Levy of charges without prior notice / excessive charges / foreclosure charges	3	1,664	69%	5	0
अन्य / Others	52	2,204	-61%	11	2
अन्य / Total	**1,985**	**83,127**	**-20%**	**2084**	**120**

12. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित जुर्माने का प्रकटन

(ए) वित्तीय वर्ष 01.04.2025 से 31.03.2026 के दौरान, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47(क)(1)(ग) के साथ पठित धारा 51(1) और धारा 46(4)(1) तथा केडिट सूचना कंपनियाँ (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25(i)(iii) के साथ पठित धारा 23(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 38,60,000 (अड़तीस लाख साठ हज़ार रुपये) का जुर्माना लगाया, तथा करेंसी चेस्ट संचालन के अलावा अन्य मामलों में 80,000 (केवल अस्सी हज़ार रुपये) का जुर्माना लगाया, जो कुल मिलाकर 39,40,000 (केवल उनतालीस लाख चालीस हज़ार रुपये) है।

(वी) वित्तीय वर्ष 01.04.2025 से 31.03.2026 के दौरान, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47(ए)(1)(ग) के साथ पठित धारा 51 एवं 46(4)(i) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने करेंसी चेस्ट संचालन से संबंधित 18,00,658.22 (केवल अठारह लाख छह सौ अट्ठावन रुपये और बाईस पैसे) का जुर्माना लगाया है।

12. Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India

(a) During the Financial Year from 01.04.2025 to 31.03.2026, Reserve Bank of India, in exercise of powers conferred under Section 47(A)(1)(c) read with Section 51(1) and 46(4)(i) of the Banking Regulation Act, 1949, and section 25(i)(iii) read with section 23(4) of the credit Information companies (Regulation) Act, 2005, imposed a penalty of Rs. 38,60,000 (Rupees Thirty-eight Lakh Sixty Thousand) and in matters other than currency chest operations Rs.80,000 (Eighty Thousand only), totaling Rs. 39,40,000 (Thirty nine Lakhs Forty Thousand Only).

(b) During the Financial Year from 01.04.2025 to 31.03.2026, Reserve Bank of India, in exercise of powers conferred under Section 47(A)(1)(c) read with Section 51 and 46(4)(i) of the Banking Regulation Act, 1949, has imposed a penalty of Rs. 18,00,658.22 (Eighteen Lakh Six hundred Fifty Eight and Paise Twenty Two only) relating to currency chest operations.

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

क्रम सं S. no	व्यतिक्रम का स्वरूप Nature of Breach	राशि Amount
1	मैले एवं फटे-पुराने नोटों में विसंगतियां / Discrepancies in soiled and mutilated notes	0.025
2	भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियाँ / Deficiency detected during RBI Inspection	0.119
3	विलंबित अथवा त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग / Delayed or wrong reporting	0.016
4	सीसी (कैश केडिट) एवं नकद प्रेषण में विसंगतियाँ / Discrepancies in CC and cash remittances	0.018
5	बचत जमाओं पर ब्याज के भुगतान की आवधिकता, लॉकर किराया तथा स्वयं सहायता समूहों के संबंध में केडिट सूचना रिपोर्टिंग के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना Non-compliance of RBI guidelines with regard to the Periodicity of payment of interest in saving deposits, Locker rent and Credit information reporting in respect of Self Help groups	0.386
6	एटीएम नकदी समाप्त / ATM cash out	0.008
7	विविध / Miscellaneous	0.003
	कुल /Total	**0.575**

13.पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण

13. Disclosures on remuneration

(राशि लाख में)/Amount in Lakh)

विवरण Details	2025-2026	2024-2025
श्री अश्विनी कुमार (एमडी और सीईओ) वेतन और परिलब्धियां Shri Ashwani Kumar (MD & CEO) Salary & Emoluments Paid	66.64	49.85
श्री राजेंद्र कुमार साबू (ईडी) वेतन और परिलब्धियां Shri Rajendra Kumar Saboo (ED) Salary & Emoluments Paid	77.68	44.48
श्री विजय एन कांबले (ईडी) वेतन और परिलब्धियां Shri Vijay N Kamble (ED) Salary & Emoluments Paid	56.59	39.39

14.अन्य प्रकटीकरण

i) कारोबार अनुपात

14. Other Disclosures

i) Business Ratios

	विवरण/ Particulars	2025-26	2024-25
i)	कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय/ Interest Income as a percentage to Working Funds	7.48%	7.76%
ii)	कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय/ Non-interest income as a percentage to Working Funds	0.98%	1.36%
iii)	जमा मूल्य / Cost of Deposits	4.72%	4.85%
iv)	निवल ब्याज मार्जिन /Net Interest Margin	3.03%	3.08%
v)	कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन आय Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.83%	1.87%
vi)	आस्तियों पर आय / Return on Assets	0.79%	0.76%
vii)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा व अग्रिम) (करोड़ ₹ में) / Business (deposits plus advances) per employee(in ₹ crore)	28.08	24.35
viii)	प्रति कर्मचारी लाभ (लाखों ₹ में) / Profit per employee (in ₹ crore)	0.13	0.12

ii) बैंकाश्योरेंस से कारबार :

बैंकएश्योरेंस से आय का विवरण नीचे दिया गया है:

ii) Bancassurance business:

Details of income from Bancassurance is given below:

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

क्र.सं./Sl. No.	कारोबार का प्रकार / Type of Business	2025-26	2024-25
1	लाइफ/Life	54.97	49.67
2	नॉन-लाइफ/Non-Life	11.11	12.36

iii) मार्केटिंग और वितरण/Marketing and distribution:

ए) फ़िस्दम के माध्यम से वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स का डिजिटल वितरण

a) Digital distribution of Wealth Management Products through Fisdom

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

कारोबार का प्रकार / Type of Business	वित्तीय वर्ष/FY 2025-26	वित्तीय वर्ष/FY 2024-25
म्युचुअल फंड/Mutual Fund	2.23	1.57

बी) यूको-एसबीआई को-ब्रांडेड केडिट कार्ड के उपयोग के माध्यम से अर्जित केडिट कार्ड कमीशन

b) Credit Card Commission earned through usage of UCO-SBI Co-Branded Credit Card

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

कारोबार का प्रकार / Type of Business	वित्तीय वर्ष/FY 2025-26	वित्तीय वर्ष/FY 2024-25
केडिट कार्ड / Credit Card	2.19	2.62

(iv) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के उधार प्रमाणपत्रों (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटीकरण

1. वित्त वर्ष 2025-26 में खरीदे गए कुल पीएसएलसी शून्य
2. वित्त वर्ष 2025-26 में बेचे गए कुल पीएसएलसी रु. 1500 करोड़ (लघु एवं सीमांत किसान वर्ग)

(iv) Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)

1. Total PSLC- Purchased in FY 2025-26: NIL
2. Total PSLC - Sold in FY 2025-26 : Rs. 1,500 Crores (under Small & Marginal Farmer segment)

v) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions and contingencies

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. Sl. No.	लाभ और हानि खाते में नामे (डेबिट) किया गया प्रावधान Provision debited to Profit and Loss Account	2025-26	2024-25
1.	एनपीआई के लिए प्रावधान / Provision towards NPI	-63.51	35.4
2.	एनपीए के प्रति प्रावधान /Provision towards NPA	1362.62	1632.82
3.	आयकर के लिए किया गया प्रावधान/Provision made towards Income Tax	49.66	53.26
4.	अन्य प्रावधान और आकस्मिक व्ययः-/Other Provisions and Contingencies :-		
ए/a)	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision towards Standard Assets	802.09	185.61
बी/b)	कानूनी मामले/आकस्मिक व्यय/धोखाधड़/Legal Cases / Contingencies/Frauds	18.14	1.66
सी/c)	उचित मूल्य में कमी /Diminution in Fair Value	0.00	0.76
डी/d)	आस्थगित कर आस्तियां /Deferred Tax Assets	1555.97	1335.33
ई/e)	बकाया वेतन संोधन /Arrear Wage Revision	0	0
एफ/f)	विविध प्रावधान /Miscellaneous Provision	-63.89	347.52

(vi) आईएफ़आरएस अभिसरण भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) पृष्ठभूमि का कार्यान्वयन

पृष्ठभूमिः

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), को भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 11 फरवरी, 2016 के अनुसार 1 अप्रैल, 2018 से भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एएस) लागू करना था। तथापि आरबीआई द्वारा यथासंस्तुत वैधानिक संशोधनों के कारण भारत सरकार की दिनांक 22.03.2019 की अधिसूचना द्वारा विचाराधीन होने के कारण आरबीआई ने आईएनडी एस के कार्यान्वयन को अगले आदेश तक आस्थगित रखा है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने ईमेल दिनांक 8 अगस्त, 2021 के माध्यम से भारतीय लेखा मानक प्रोफार्मा में वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की आवृत्ति को तिमाही से घटाकर अर्धवार्षिक करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे 30 सितंबर को समाप्त होने वाली छमाही के लिए प्रोफार्मा भारतीय लेखा मानक आधारित वित्तीय विवरण और 31 मार्च के लिए पूर्ण वर्षीय प्रोफार्मा भारतीय लेखा मानक आधारित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें।)

आईएनडी एएस के कार्यान्वयन की प्रगतिः

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को प्रोफ़ॉर्मा इंड-एस वित्तीय बयानों को जमा कर दिया है, जिसमें पूंजी और लाभ में परिवर्तन का समाधान है, छमाही आधार पर और पिछले जीएएपी आंकड़ों की तुलना की गई है। यह आखिरी बार 30 नवंबर, 2025 को सितंबर, 2025 को समाप्त होने वाले छमाही के लिए प्रस्तुत किया गया था।

(vii) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

(vi) Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standard (IND AS)

Background:

Scheduled Commercial Banks (SCBs), excluding Regional Rural Banks (RRBs), were required to implement Indian Accounting Standards (Ind AS) from April 1, 2018 vide RBI Circular dated February 11, 2016. However RBI has deferred implementation of Ind AS till further notice due to the legislative amendments as recommended by RBI are under consideration of the Government of India vide its notification dated 22.03.2019. RBI vide email dated 8th August'2021 decided to reduce the frequency of Ind AS proforma financial statement submission from quarterly to half yearly. Accordingly, Banks are advised to submit proforma Ind AS based financial statements for the half year ending September 30 and full year proforma Ind AS based financial statements for March 31.

Progress on IND AS implementation:

Bank has submitted the Proforma IND-AS Financial statements to Reserve Bank of India with reconciliation of change in Equity & profit on half yearly basis and last submitted on November 30, 2025 for the half year ended September, 2025 compared with the previous GAAP figures.

(vii) Payment of DICGC Insurance Premium

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण/ Particulars	2025-26	2024-25
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान /Payment of DICGC Insurance Premium	364.57	321.06
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया/ Arrears in payment of DICGC premium (For FY 2024-25)*	17.36	शून्य/Nil

*इसमें रुपये 2.31 करोड़ का विलंबित ब्याज शामिल है / Includes delayed Interest of Rs. 2.31 Cr

(viii) बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, 11वें द्विपक्षीय समझौते और 11 नवंबर, 2020 के संयुक्त नोट के तहत पारिवार पेंशन में संशोधन के कारण कोई अतिरिक्त देनदारी नहीं थी क्योंकि बैंक ने पहले ही 31 मार्च 2023 तक परिवार पेंशन में संशोधन के कारण पूरी अतिरिक्त देनदारी वसूल कर ली थी। 31 मार्च 2026 तक अपरिशोधित प्रावधान शून्य है।

(ix) एमएसएमई पुनर्संरचित खाते

ए) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - अग्रिमों की पुनर्संरचना' पर आरबीआई सर्क्युलर क्रमांक DBR No. BP. BC. 18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01.01.2019, DOR No. BP.BC.34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11.02.2020 तथा RBI/2020-21/17 DOR.No.BP.BC/4/21.04.048/2020-21 दिनांक 06.08.2020 के अनुसार, एमएसएमई पुनर्संरचित खातों का विवरण 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान निम्नानुसार हैः

(viii) Disclosure on amortisation of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of banks

During the FY 2025-26, there was no additional liability on account of revision in family pension consequent to the 11th Bipartite Settlement and Joint Note dated November 11, 2020 as Bank had already charged the entire additional liability on account of revision in family pension upto the year ended 31st March 2023. As on 31st March 2026, unamortized provision is Nil.

(ix) MSME Restructured Accounts :

a. In accordance with the RBI Circular No. DBR.No.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated 01.01.2019, DOR.No.BP.BC.34/21.04.048/2019-20 dated 11.02.2020 and RBI/2020-21/17 DOR.No.BP.BC/4/21.04.048/2020-21 dated 06.08.2020 on Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector - Restructuring of Advances, the details of MSME restructured accounts as on 31st March, 2026 are as under:

पुनर्गठित खातों की संख्या No. of Accounts Restructured	सम्मिलित राशि (करोड़ रुपये में) Amount Involved (Rs. in Crore)	धारित प्रावधान (करोड़ रुपये में) Provisions held (Rs. in Crore)
193	53.99	5.39

बी) रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर संख्या DOR.STR.REC.12/21.04.048/2021-22 दिनांक 05.05.2021 के अनुसार 'रिज़ोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 - कोविड-19 संबंधित छोटे, लघु, और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के तनाव का समाधान', 31 मार्च 2026 को पुनर्गठित खातों का विवरण निम्नलिखित हैः

b. In accordance with RBI Circular no.DOR.STR.REC.12/21.04.048/2021-22 dated 05.05.2021 on "Resolution Framework 2.0 - Resolution for Covid-19 related stress of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)", the details of restructured accounts as on 31st March, 2026 are as under:

पुनर्गठित खातों की संख्या No. of Accounts Restructured	सम्मिलित राशि (करोड़ रुपये में) Amount Involved (Rs. in Crore)	धारित प्रावधान (करोड़ रुपये में) Provisions held (Rs. in Crore)
4559	370.65	37.06

(x) आकस्मिक देयताएं

तुलन-पत्र की अनुसूची 12 के क्रम सं. (1) यथाउल्लिखित देयताएं क्रमशः न्यायालय के निर्णय, माध्यस्थम पंचाट, न्यायालय से परे निपटारा, अपील के निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्व की शर्तें, न्यागत होने और संबंधित पार्टियों द्वारा की गई मांग पर निर्भर करती है तथा जहां बैंक के विरुद्ध दावा तर्कसंगत हो तो उस स्थिति में आवश्यक प्रावधान किया जाता है।

आयकर, जीएसटी एवं सेवा कर के संबंध में आयकर/सेवा कर/जीएसटी विभाग द्वारा पारित आदेशों के अनुसार विवादित मांग को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत अनुसूची 12 में दर्शाया गया है। प्रबंधन द्वारा कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि उक्त मामले विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष निपटान हेतु लंबित हैं।

(x) Contingent Liabilities

Such liabilities as mentioned at Serial No. (I) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the judgment of court, arbitration award, out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, respectively and necessary provision is made where claim against the Bank is tenable.

Disputed demand as per orders passed by Income Tax/service tax/GST Department on account of income tax, GST, and service tax has been shown in schedule 12 under Contingent Liability. No provision has been considered necessary by the Management as matters are pending for disposal before various Competent Authorities.

(xi) हरित जमा से जुटाई गई निधियों के उपयोग पर पोर्टफोलियो-स्तरीय जानकारी।

(xi) Portfolio - Level information on the use of Funds raised from green deposits.

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	2025-26	2024-25	संचयी* Cumulative*
कुल हरित जमाराशि जुटाई गई (ए)/ Total green deposits raised (A)	187.61	45.70	212.85
हरित जमाराशि निधियों का उपयोग** / Use of green deposit funds**			
(1) नवीकरणीय ऊर्जा / Renewable Energy	187.61	45.70	233.31
(2) ऊर्जा दक्षता / Energy Efficiency	-	-	-
(3) स्वच्छ परिवहन / Clean Transportation	-	-	-
(4) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन / Climate Change Adaptation	-	-	-
(5) सतत जल और अपशिष्ट प्रबंधन / Sustainable Water and Waste Management	-	-	-
(6) प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण / Pollution Prevention and Control	-	-	-
(7) हरित भवन / Green Buildings	-	-	-
(8) सजीव प्राकृतिक संसाधनों और भूमि उपयोग का सतत प्रबंधन / Sustainable Management of Living Natural Resources and Land Use	-	-	-
(9) स्थलीय और जलीय जैव विविधता संरक्षण कुल हरित जमाराशि निधि आवंटित (बी उ 1 से 9 का योग) Terrestrial and Aquatic Biodiversity Conservation	-	-	-
Total Green Deposit funds allocated (B = Sum of 1 to 9)	187.61	45.70	233.31
हरित जमाराशि निधियों की आवंटित नहीं की गई राशि (सी उ ए - बी) Amount of Green Deposit funds not allocated (C = A - B)	-		-
पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं को उनके आवंटन के लंबित हरित जमाराशि आय के अस्थायी आवंटन का विवरण Details of the temporary allocation of green deposit proceeds pending their allocation to the eligible green activities/projects	-		-

* इसमें वह संचयी राशि शामिल होगी, जब से आरई ने ग्रीन डिपॉजिट की पेशकश शुरूकी है। उदाहरण के लिए, यदि किसी बैंक ने 1 जून, 2023 से ग्रीन डिपॉजिट जुटाना शुरूकिया है, तो 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण में 1 जून, 2023 से 31 मार्च, 2025 तक जुटाई गई और आवंटित की गई जमाराशियों का विवरण शामिल होगा। इसके अलावा, वर्ष के दौरान जुटाई गई ग्रीन डिपॉजिट की वास्तविक राशि और ऐसे फंडों के उपयोग के बारे में इस प्रकटीकरण के तहत जानकारी दी जाएगी।

**प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत, नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान प्रत्येक उप-क्षेत्र को आवंटित निधियों के आधार पर उप-श्रेणियाँ प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान 'नवीकरणीय ऊर्जा' के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि जैसी उप-श्रेणियाँ प्रदान कर सकते हैं।

* This shall contain the cumulative amount since the RE started offering green deposits. For example, if a bank has commenced raising green deposits from June 1, 2023, then the annual financial statement for the period ending March 31, 2025, would contain particulars of deposits raised and allocated from June 1, 2023, till March 31, 2025. Further, the actual amount of green deposits raised during the year and use of such funds shall be given under this disclosure.

**Under each category, REs may provide sub-categories based on the funds allocated to each sub-sector. For example, REs may provide sub-categories like solar energy, wind energy, etc. under "Renewable Energy"

xii) बैंकों द्वारा जारी किए गए लेटर्स ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) का प्रकटीकरण।

बैंक ने वित्त वर्ष 2025-2026 और वित्त वर्ष 2024-2025 के दौरान कोई भी लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) जारी नहीं किया है

xiii) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - वित्तीय विवरणः प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2025, दिनांक 28 नवंबर, 2025 के प्रावधानों के अनुसार, "अनुसूची 14-अन्य आय" के अंतर्गत उप-शीर्ष "विविध आय" में सम्मिलित वे मद, जो कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक हैं, निम्नानुसार हैंः

xii) Disclosure of Letters of Comfort (LoCs) issued by banks

Bank has not issued any letter of Comfort (LoCs) during the FY 2025-2026 and FY 2024-2025

xiii) In terms of Reserve Bank of India (Commercial Banks - Financial Statements: Presentation and Disclosures) Directions, 2025 dated 28.11.2025, the disclosure relating to item under subhead "Miscellaneous Income" under the head "Schedule 14-Other Income" exceeds one percent of total income, are as under:

प्रमुख/उप-शीर्षक का विवरण Particulars of Head/ Sub-Head	उप-शीर्ष के अंतर्गत मद Item under the Sub-Head	राशि (करोड़ रुपये में) Amount (Rs. In Crore)	प्रतिशत में In Percentage Tems
अनुसूची 14-अन्य आय उप शीर्ष- विविध आय Schedule 14-Other Income Sub Head- Misc Income	बट्टे खाते में वसूली Recovery in Written off	1,326.78	4.46%

xiv) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - वित्तीय विवरणः प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2025, दिनांक 28 नवंबर, 2025 के प्रावधानों के अनुसार, यह पुष्टि की जाती है किः

क) अनुसूची 5 - अन्य देयताएँ एवं प्रावधान के अंतर्गत उप-शीर्ष "अन्य" में कोई भी मद, बैंक की कुल आय के 1% से अधिक नहीं है।

ख) अनुसूची 11- अन्य परिसंपत्तियाँ के अंतर्गत उप-शीर्ष "अन्य" में कोई भी मद, बैंक की कुल आय के 1ऽ से अधिक नहीं है।

ग) अनुसूची 16 - परिचालन व्यय के अंतर्गत उप-शीर्ष "अन्य व्यय" में कोई भी मद, बैंक की कुल आय के 1% से अधिक नहीं है।

xv) भारत सरकार ने 29 मौजूदा श्रम कानूनों को समाहित करते हुए चार नए श्रम कोड अधिसूचित किए हैं, जो 21.11.2025 से प्रभावी हैं। बैंक नए श्रम कोड के प्रावधानों का निरंतर अनुपालन सुनिश्चित कर रहा है। प्रबंधन द्वारा नई श्रम संहिताओं के वित्तीय प्रभावों का मूल्यांकन भी किया गया है, जिसमें मजदूरी की संशोधित परिभाषा तथा निश्चित अवधि के रोजगार के कारण उत्पन्न ग्रेच्युटी देयता शामिल है, तथा यह आकलन किया गया है कि यह प्रभाव नगण्य है (लेखा पुस्तकों में समुचित रूप से लेखांकित) तथा इसका बैंक की वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है।

xiv) In terms of the Reserve Bank of India (Commercial Banks - Financial Statements: Presentation and Disclosures) Directions, 2025 dated November 28, 2025, it is confirmed that:

a) No item under Schedule 5 - Other Liabilities and Provisions, within the sub-head "Others", exceeds 1% of the Bank's total assets.

b) No item under Schedule 11 - Other Assets, within the sub-head "Others", exceeds 1% of the Bank's total assets.

c) No item under Schedule 16 - Operating Expenses, within the sub-head "Other Expenditure", exceeds 1% of the Bank's total income.

xv) The Govt. of India has notified four new Labour codes subsuming 29 existing labour legislations with effect from 21.11.2025. The Bank continues to comply with the provisions of the new labour codes. The management has also evaluated the financial implications of the new labour codes including gratuity liability on account of revised definition of wages and fixed term employment and assessed that impact is negligible (duly accounted in books) and does not have any significant financial implication for the Bank.

अनुलग्नक II / Annexure II
पार्ट बी / Part B

लेखा मानक के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं

1 अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, अवधि पूर्व मदें तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन (एएस-5)

लाभ-हानि लेखा में कोई "अवधि पूर्व मद" शामिल नहीं की गई है, जिसे भा.रि. बैंक के दिशानिर्देशों के साथ पठित आईसीएआई द्वारा जारी एएस-5 के अनुसार प्रकट किया जाना अपेक्षित है। पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में कोई बदलाव नही हुआ है (सिवाय निवेश सम्बंधित आरबीआई के दिशा निर्देश के)।

2 राजस्व को मान्यता (एएस-9):

राजस्व को मान्यता अनुसूची-17 की लेखांकन नीति सं. 10 के अनुसार दी गई है।

3 एएस-11: विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव:

i) क) एकीकृत विदेशी परिचालन : प्रतिनिधि कार्यालय, तेहरान, ईरान

ख) गैर-एकीकृत विदेशी परिचालनः सिंगापुर केंद्र और हांगकांग केंद्र

ii) गैर-एकीकृत केंद्र के लिए विनिमय दरें

एसजीडी	73.5250
एचकेडी	12.1050

iii) लेखाबंदी दर

एसजीडी	73.5250
एचकेडी	12.1050

iv) विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित (एफसीटीआर)

बैंक ने लाभ और हानि खाते में विदेशी परिचालन से लाभ के प्रत्यावर्तन पर विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित में रखे गए आनुपातिक विनिमय लाभ या हानि को मान्यता नहीं दी है।

Disclosures Requirement as per Accounting Standards:

1. Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies (AS-5):

There was no material "prior period item" included in Profit and Loss account required to be disclosed as per AS - 5 issued by ICAI read with RBI guidelines. There is no change in the Significant Accounting Policies adopted during the year ended 31st March 2026 as compared to those followed in the previous financial year 2024-25.

2. Revenue Recognition (AS-9):

Revenue is recognized as per accounting policy No. 10 of Schedule -17.

3. AS-11: The Effects of changes inforeign Exchange Rates:

i) a) Intergral Foreign Operations : Representative Office, Tehran, Iran

b) Non - Integral Foreign Operations: Singapore Centre & Hong Kong Centre

ii) Exchange rates for Non - Integral Centre

SGD	73.5250
HKD	12.1050

iii) Closing Rate

SGD	73.5250
HKD	12.1050

iv) Foreign Currency Translation Reserve (FCTR)

Bank has not recognized in profit and loss account the proportionate exchange gains or losses held in foreign currency translation reserve on repatriation of profits from overseas operations.

4 सेगमेंट रिपोर्टिंग (एएस-17) / Segment Reporting (AS- 17)

भाग-अ : कारोबार सेगमेंट / Part A: Business Segment

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

कारोबार सेगमेंट / Business Segment	(ए) ट्रेजरी / (a)Treasury		(बी) कारपोरेट/ होलसेल बैंकिंग / (b)Corporate/ Wholesale Banking		(सी) रिटेल बैंकिंग / (c)Retail Banking		(1) डिजिटल बैंकिंग / (1) Digital Banking		(2) अन्य रिटेल बैंकिंग / (2) Other Retail Banking		(डी) अन्य बैंकिंग परिचालन / (d) Other Banking Operations		योग / Total	
विवरण / Particulars	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
राजस्व/ Revenue	8,030.96	8,294.18	10981.99	11,306.48	10,666.32	9,816.60	0.23	.017	10666.10	9,816.43	61.71	56.28	29,740.99	29,473.54
परिणाम/ Result	2,343.52	1,794.73	1000.85	1,035.76	967.40	946.81	-7.56	-2.61	970.95	949.42	61.71	56.28	4,373.48	3,833.58
अनावंटित व्यय/ Unallocated Expenses													0.00	0.00
परिचालन लाभ/ Operating Profit													**4,373.48**	**3,833.58**
आयकर/ Income Tax													**1,605.63**	**1,388.59**
असामान्य लाभ/हानि Extraordinary Profit/Loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल लाभ/ Net Profit													**2,767.86**	**2,444.99**
सेगमेंट आस्तियां/ Segment Assets	1,26,306.74	1,35,026.42	1,36,457.72	12,1815.13	1,32,599..35	1,05,199.46	1.20	0.95	1,32,598.16	1,05,198.51	494.63	440.07	3,95,858.44	3,62,481.08
अनावंटित आस्तियां/ Unallocated assets													0.00	0.00
कुल आस्तियां/ Total Assets													**3,95,858.44**	**3,62,481.05**
सेगमेंट देयताएं/ Segment Liabilities	1,07,524.71	1,09,835.63	146,234.27	1,35,568.55	1,42,099.47	1,17,076.90	20.71	16.28	1,42,078.76	1,17,060.62	0.00	0.00	3,95,858.44	3,62,481.08
अनावंटित देयताएं/ Unallocated Liabilities													0.00	0.00
कुल देयताएं/ Total Liabilities													**3,95,858.44**	**3,62,481.08**

भाग-आ : भौगोलिक सेगमेंट / Part B: Geographic segment (राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	देशी/Domestic		अंतरराष्ट्रीय/International		योग/Total	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
राजस्व/Revenue	27,977.09	27,537.80	1,763.90	1,935.75	29,740.99	29,473.55
आस्तियां/Assets	3,62,486.51	3,33,253.25	33,371.94	29,227.83	3,95,858.44	3,62,481.08

5 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एएस-18) :

क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

i) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

श्री अश्वनी कुमार (01.04.2025 to 31.03.2026)

ii) कार्यपालक निदेशकगण

श्री राजेंद्र कुमार साबू (01.04.2025 to 31.03.2026)

श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले (01.04.2025 to 31.03.2026)

5. Related Party Disclosures (AS-18):

a) Key Management Personnel

i) Managing Director (MD) & CEO

Shri Ashwani Kumar (01.04.2025 to 31.03.2026)

ii) Executive Directors (ED)

Shri Rajendra Kumar Saboo (01.04.2025 to 31.03.2026)

Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble (01.04.2025 to 31.03.2026)

बी) प्रमुख प्रबन्धन कार्मिकों के लेनदेन/ b) Transactions with Key Management Personnel

(राशि लाख ₹ में / Amount in ₹ lakh)

Details	2025-2026	2024-2025
श्री अश्वनी कुमार (प्रबंध निदेशक एवं सीईओ) वेतन और परिलब्धियां Shri Ashwani Kumar (Managing Director & Chief Executive Officer) Salary & Emoluments Paid	66.64	49.85
श्री राजेंद्र कुमार साबू (कार्यपालक निदेशक) वेतन और परिलब्धियां Shri Rajendra Kumar Saboo (Executive Director) Salary & Emoluments Paid	77.68	44.48
श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले (कार्यपालक निदेशक) वेतन और परिलब्धियां Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble (Executive Director) Salary & Emoluments Paid	56.59	39.39

नोटः एएस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार, बैंक-ग्राहक संबंधों की प्रकृति में लेनदेन का खुलासा नहीं किया गया है, जिसमें प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के साथ लेनदेन शामिल हैं।

Note: In terms of Paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel.

सी) सहयोगी

दिनांक 31.03.2026 तक, बैंक की कोई सहयोगी संस्था नहीं है। भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-07042025-262329 दिनांक 7 अप्रैल, 2025 के अनुसरण में, यूको बैंक द्वारा प्रायोजित पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक (पीबीजीबी) का विलय बंगीय ग्रामीण विकास बैंक और उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथ कर दिया गया है, जिससे पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के प्रायोजन के तहत पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक का गठन हुआ है।

6. एएसस-21 और 23 की प्रयोज्यता :

चूँकि बैंक का वित्तीय वर्ष 2025-26 में कोई सहयोगी उपक्रम नहीं है, इसलिए आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 21- " समेकित वित्तीय विवरण" तथा लेखा मानक 23- " समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी उपक्रमों में निवेश का लेखांकन" लागू नहीं होता है।

7. अमूर्त आस्तियां (एएस-26) :

अचल आस्तियों में कंप्यूटर साफ्टवेयर शामिल है जिसे आईसीएआई द्वारा जारी एएस-26 के अनुसार अमूर्त आस्तियां माना गया है। साफ्टवेयर आस्ति की घट-बढ़ नीचे दी गई है:

c) Associates

Bank has no associate as on 31.03.2026. Pursuant to Gazette Notification No. CG-DL-E-07042025-262329 dated April 7, 2025, issued by the Government of India, Paschim Banga Gramin Bank (PBGB), sponsored by UCO Bank, has been amalgamated with Bangiya Gramin Vikash Bank and Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, to form West Bengal Gramin Bank, effective May 1, 2025, under the sponsorship of Punjab National Bank (PNB).

6. APPLICABILITY OF AS- 21 and 23:

Since Bank has no associate in the Financial Year 2025-26, requirement of Accounting Standard 21-" Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 23-" Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by the ICAI are not applicable.

7. Intangible Assets (AS-26):

Fixed Assets include computer software, which has been considered as intangible assets as per AS-26 issued by the ICAI. The movement in software asset is given below:

दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार अमूर्त आस्तियां/Intangible Assets as on 31.03.2026

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्रम. सं. विवरण Sl. No Particulars	दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2026	दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2025
1 वर्ष के प्रारंभ में सकल ब्लॉक Gross Block at the beginning of the year	222.27	188.01
2 घटाएं. : पिछले वर्ष के एमओसी के खातों का समाधान Less: Adjustment on account of MOC of the previous year	-0.46	12.44
3 वर्ष के आरंभ में निवल अवरूद्ध Net Block at the beginning of the year	222.73	175.57
4 वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	317.34	95.02
5 घटाएं: अमूर्त आस्तियों का पूर्णतः परिशोधित विमोचन Less: Retirement of intangibles fully amortised	117.99	48.32
6 योग/Total	422.08	222.27
7 घटाएं: अद्यतित परिशोधन (परिशोधित आस्तियों की नेट ऑफ राशि) Less: Amortization up to date (Net of amount on assets retired)	127.42	113.47
8 घटाएं: अपसामान्य हानि / Less: Impairment Loss	-	-
9 वर्ष के अंत में निवल ब्लॉक Net Block at the end of the year	294.66	108.80

दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार अमूर्त आस्तियां-परिशोधन/Intangible Assets - Amortization as on 31.03.2026

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

परिशोधन Amortization	दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2026	दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2025
10 सकल प्रारंभिक शेष/Gross Opening balance	113.47	90.2
11 घटाएं : पिछले वर्ष के एमओसी के कारण समायोजन Less: Adjustment on account of MOC of the previous year	-0.46	4.14
12 शुद्ध प्रारंभिक शेष /Net Opening Balance	113.93	86.06
13 जोड़ें: अपसामान्य हानि/Add: Impairment Loss	-	-
14 जोड़ें: वर्ष के दौरान मान्य परिशोधन/ Add: Amortization recognised during the year	131.48	75.73
15 घटाएं: विमोचित आस्तियों पर विनियोजन/ Less: Appropriation on assets retired	117.99	48.32
16 अंतिम शेष/Closing Balance	127.42	113.47

8. आस्तियों की अनर्जकता (एस-28) :

लेखा मानक-28 "आस्तियों की अनर्जकता" के खंड 5 से खंड 13 तक के अर्थान्तर्गत तात्विक अनर्जकता के लक्षण नहीं दिखाई देने की बात को ध्यान में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष की बाबत अचल आस्तियों की अनर्जकता अपेक्षित नहीं है।

9(क) एस-24 की प्रयोज्यता

चूंकि बैंक की कोई सहायक कंपनियाँ या सहयोगी/संयुक्त उपक्रमों में नियंत्रक हित नहीं है, अतः आईसीएआई द्वारा जारी एस-24 - डिस्कन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस बैंक पर लागू नहीं होता है।

9(ख) एस-27 की प्रयोज्यता

आईसीएआई द्वारा जारी एस -27 - संयुक्त उपक्रमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग बैंक पर लागू नहीं होता है।

10. एएस-15-कर्मचारी हितलाभ (संशोधित):

i. बैंक द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2007 से भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15 (संशोधित) 'कर्मचारी लाभ' को अपनाया गया।

ii. लेखा मानक -15 (संशोधित) के अनुसार आवयक लाभ और हानि खाते और तुलन पत्र (बैलेंस शीट) में मान्यता प्राप्त रोजगार पूर्व लाभों और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों की सारांश स्थिति निम्नानुसार हैः -

8. Impairment of Assets (AS-28):

In view of the absence of the indication of material impairment within the meaning of clause 5 to clause 13 of Accounting Standard - 28 "Impairment of Assets" no impairment of fixed assets is required in respect of current financial year.

9.(a) APPLICABILITY OF AS- 24

As the Bank does not have Subsidiaries or controlling interest in Associates/Joint Ventures, AS-24 - Discontinuing Operations issued by the ICAI are not applicable to the Bank.

9.(b) APPLICABILITY OF AS- 27

AS 27 - Financial Reporting of Interest in Joint Ventures Operations issued by the ICAI are not applicable to the Bank

10. AS - 15 -Employee Benefits (Revised):

i. The Bank had adopted Accounting Standard 15 (Revised) "Employees Benefits" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, with effect from 1st April, 2007.

ii. The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit & Loss Account and Balance sheet as required in accordance with Accounting Standard -15 (Revised) are as under:

परिभाषित हितलाभ योजनाएं

(ए) दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

Defined Benefit Schemes:

(a) Changes in the present value of the obligations

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

निधिक/FUNDED					अनिधिक/UNFUNDED					
विवरण / Particulars	पेंशन Pension		उपदान Gratuity		छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एलएफसी/ एलटीसी LFC/ LTC		निदेशकों को चिकित्सा सुविधा Medical Benefits to Directors	
	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025
वर्ष के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of obligation as at the beginning of the year	10,095.47	9,531.08	1120.25	922.21	960.60	779.10	44.15	42.56	3.13	2.92
ब्याज लागत Interest Cost	684.69	598.03	85.34	61.21	75.50	54.46	3.47	2.97	0.26	0.20
चालू सेवा लागत Current Service Cost	501.60	489.91	70.98	70.83	195.96	182.78	0	0	0	0
प्रदत्त हितलाभ Benefit Paid	1355.00	1,421.00	69.00	93.00	0	0	0	0	0	0
बीमांकिक हानि/(लाभ) दायित्व Actuarial loss/(gain) on Obligations	534.40	897.44	88.63	159.00	(164.34)	(55.74)	(3.63)	(1.38)	0.19	(0.20)
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of Obligation at year end	10,461.16	1,00,95.47	1,296.21	120.25	1,067.72	960.60	51.26	44.15	3.78	3.33

(बी) योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन

(b) Change in Fair Value of Plan Asset

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/ Particulars	पेंशन/ Pension 2026	पेंशन/ Pension 2025	उपदान/ Gratuity 2026	उपदान/ Gratuity 2025
वर्ष के आरंभ में योजना आस्ति के उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	9,992.87	9,241.98	1065.25	709.92
योजना आस्ति पर अनुमानित प्रतिफल Expected return on Plan Assets	802.43	747.67	85.54	56.62
नियोक्ता अंशदान /Employer's contribution	861.59	1,450.40	196.05	372.83
प्रदत्त हितलाभ /Benefit Paid	1,355.00	1,531.00	69.00	103.00
दायित्व पर बीमांकिक लाभ/(हानि) Actuarial gain/(loss) on Obligation	(31.41)	(116.18)	6.98	28.88
वर्ष के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य Fair Value of Plan Asset at the end of the year	10,270.48	9,792.87	1284.83	1,065.25

(सी) तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त राशि

(c) Amount recognized in Balance Sheet

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

निधिक/FUNDED					अनिधिक/UNFUNDED					
विवरण Particulars	पेंशन Pension		उपदान Gratuity		छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एलएफसी/ एलटीसी LFC/ LTC		निदेशकों को चिकित्सा सुविधा Medical Benefits to Directors	
	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025
वर्ष के अंत में दायित्वों का अनुमानित वर्तमान मूल्य Estimated Present value of obligations as at the end of the year	10,461.15	10,095.47	1,296.21	1,120.25	1,067.73	960.60	51.25	44.15	3.78	3.33
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का वास्तविक उचित मूल्य Actual Fair value of Plan Assets as at the end of the year	10,270.48	9,792.87	1,284.83	1,065.25	1,050.03	930.92	44.15	42.56	3.33	2.92
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयताए/आस्ति Net Liability /Asset recognized in Balance Sheet	190.67	302.60	11.38	55.00	17.70	29.68	7.10	1.59	0.45	0.41

(d) लाभ-हानि लेखा विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय/Expenses Recognized in the Profit and Loss Account

(राशि करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

		पेंशन Pension		उपदान Gratuity		छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एलएफसी/ एलटीसी LFC / LTC		निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Medical Benefits to Directors	
		2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025
चालू सेवा लागत (ए) Current Service Cost (A)		501.60	489.91	70.98	70.83	195.96	182.78	0	0	0	0
ब्याज लागत (बी) / Interest Cost (B)		684.68	598.03	85.34	61.21	75.50	54.46	3.47	2.97	0.26	0.21
योजना आस्ति पर प्रत्याशित प्रतिफल (सी) Expected Return on Plan Asset (C)		802.43	747.68	85.54	56.62	0	0	0	0	0	0
वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक हानि/लाभ (डी) Net Actuarial Loss/Gain Recognized in the Year (D)		565.81	1013.62	81.65	130.12	(164.34)	(55.74)	(3.63)	(1.38)	0.19	0.20
राशि /Amount (A+B-C+D)		949.67	1353.89	152.43	205.54	107.12	181.50	7.10	1.59	0.45	0.41
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लाभ-हानि लेखा विवरणी में व्यय को शामिल किया गया Expenses Recognized in Statement of Profit/ Loss during the FY 2021-22	प्रावधान खाता के माध्यम से - नोट 1(ए) Through Provision Account-Note 1 **(A)**	949.67	1353.89	152.43	205.54	107.12	181.50	7.10	1.59	0.45	0.41
	बैंक का सामान्य अंशदान (बी) Banks Ordinary Contribution **(B)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार, As per RBI direction, (C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल/Total (A+B+C)	949.67	1353.89	152.43	205.54	107.12	181.50	7.10	1.59	0.45	0.41

बीमांकिक लाभ/हानि समाधान/ **Actuarial Gain/Loss Reconciliation**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

निधिक/FUNDED					अनिधिक/UNFUNDED					
विवरण **Particulars**	पेंशन **Pension**		उपदान **Gratuity**		छुट्टी का नकदीकरण **Leave Encashment**		एलएफसी/ एलटीसी **LFC/ LTC**		निदेशकों को चिकित्सा सुविधा **Medical Benefits to Directors**	
	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025
वर्ष के लिए बीमांकिक हानि/(लाभ)- दायित्व Actuarial Loss/(Gain) for the Year - Obligation	534.40	897.44	88.63	159.00	164.34	55.74	3.63	1.38	0.19	0.20
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)- आस्ति योजना Actuarial Gain/(Loss) for the Year - Plan Asset	565.81	1,013.62	81.65	130.12	0	0	0	0	0	0
वर्ष के लिए कुल हानि/(लाभ) Total Loss /(Gain) for the Year	1,100..21	1,911.06	170.28	289.12	164.34	55.74	3.63	1.38	0.19	0.20
वर्ष के दौरान मान्य बीमांकिक हानि/(लाभ) Actuarial Loss/(Gain) Recognized in the Year	1,100.21	1,911.06	170.28	289.12	164.34	55.74	3.63	1.38	0.19	0.20

निवेश के ब्योरे :

क) उपदान निधि के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम में निवेश - 100%

ख) पेंशन निधि की बाबत उचित मूल्य के प्रतिशत के रूप में योजना आस्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ

Investment Details:

a) Investment with LIC of India for Gratuity Fund - 100%

b) Major Categories of Plan assets as percentage of Fair Value in respect of Pension Fund

निवेश की प्रकृति /Nature of Investment	% of Total Investment
ईक्विटी /Equities	-
नियत आय एवं ऋण प्रतिभूतियां Fixed income & debt securities	100.00%
विशेष जमा / Special Deposit	-
अन्य आस्तियां एन्युटी कांट्रेक्टर Other Assets / Annuity contractor	-
कुल/Total	**100.00%**

मूल बीमांकिक अनुमान / Principal Actuarial Assumptions :

मृत्यु दर तालिका/Mortality Rate Table	जीवन बीमा निगम/LICI (1994-96)
अधिवर्षिता आयु/Superannuation Age	60 वर्ष/60 Years
समयपूर्व सेवानिवृत्ति और विकलांगता/Early Retirement & Disablement	10 प्रतिवर्ष प्रति हजार / 10 Per Thousand Per Annum 45 वर्ष की आयु से अधिक के 6 / 6 Above age 45 29 से 45 वर्ष के बीच के 3 / 3 between 29 and 45 29 वर्ष से कम आयु के 1 / 1 below age 29
रियायती दर/Discount Rate	7.27%
मुद्रास्फीति दर/Inflation Rate	6.00%
योजना आस्ति पर प्रतिफल/Return on Plan Asset	8.03%
शेष सक्रिय जीवन/Remaining Working Life	11 वर्ष/11 years
प्रयुक्त सूत्र/Formula Used	अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति/Projected Unit Credit Method

11. प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) -(एएस-20) / Earnings Per Share (EPS)- (AS-20):

ईपीएस का परिकलन/Calculation of EPS

	31.3.2026	31.3.2025
ईक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कर के बाद निवल लाभ (करोड़ ₹ में) Net profit after tax available for equity shareholders (₹ in crore)	2,767.86	2,444.99
ईक्विटी शेयरों की संख्या Number of equity shares	12539558979	12539558979
जोखिम धारित ईक्विटी शेयरों की संख्या Weighted Number of equity shares	12539558979	11963952708
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (राशि ₹ में) Nominal Value per Share (Amount in ₹)	10	10
प्रति शेयर बेसिक एवं डाइल्युटेड अर्जन (राशि ₹ में) Basic & Diluted Earnings per Share (Amount in ₹)	2.21 2.21	2.04 2.04

12. आय पर कर का लेखांकन (एस-22)

क) बैंक का वर्ष के दौरान कोई वर्तमान आयकर दायित्व नहीं है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान लेखा मानक एएस-22 के अनुसार ₹1555.98 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹ 1335.32 करोड़ वापस कर दिया गया है) की निवल राशि की पहचान डेफर्ड टैक्स एसेट के रूप में की गई है।

12. Accounting for Taxes on Income (AS-22) :

a) The Bank does not have any current Income Tax obligation during the year. During the FY 2025-26, net amount of Rs. 1555.98 Crore (Rs. 1335.32 Crore has been reversed for FY 2024-25) has been reversed as Deferred Tax Assets as per accounting standard AS-22.

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2026	दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2025
आस्थगित कर आस्तियां / Deferred Tax Assets		
आगे ले जायी गई हानि / Carried Forward Loss	2973.98	4860.77
छुट्टी के नकदीकरण के लिए प्रावधान / Provision for leave encashment	432.51	395.08
उचित मूल्य में ह्रास / Diminution in fair value	0.00	0.00
कर्मचारियो के लाभ के लिए प्रावधान/ Provision for Employee Benefits	0.00	0.00
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Standard Assets	726.10	445.82
निवेश मूल्यांकन में अंतर / Difference in investment valuation	0.00	0.00
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on Fixed Assets	103.61	90.57
आकस्मिक देयताएँ /अन्य के लिए प्रावधान /Provision held for Contingent Liabilities/Others	185.87	185.81
योग:/TOTAL :	**4,422.07**	**5,978.05**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2026	दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2025
आस्थगित कर देयताएं/Deferred Tax Liabilities		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on Fixed Assets	--	--
निवेश मूल्यन में अंतर / Difference in Investment valuations	--	--
योगः/TOTAL:	--	--
आस्थगित कर आस्तियां (निवल) / Deferred Tax Assets (Net)	**4,422.07**	**5,978.05**

बैंक ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीएए के तहत उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन किया है और 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष तथा कर वर्ष 2026-27 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के पुराने प्रावधानों के अनुसार ही आय पर कर की गणना जारी रखने का विकल्प चुना है।

15. कोष्ठक में दिखाए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं। पिछले वर्ष के आंकड़ों को जैसा आवश्यक समझा गया है पुनः समूहित/ पुनःव्यवस्थित/ पुनः निर्धारित किया गया है।

Bank has evaluated the options available under section 115BAA of Income Tax Act, 1961 and opted to continue to recognize the taxes on income as per the old provisions of Income Tax Act, 1961 for the quarter and year ended 31st March 2026 and tax year 2026-27.

15. The bracketed figures indicate previous year's figures. Previous year's figures have been re-grouped /re-arranged/re-casted wherever considered necessary.

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

ब्योरे/Particulars		31.3.2026 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2026 ₹	31.3.2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2025 ₹
अ.	**परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाहः**		
A.	**Cash Flow from Operating Activities :**		
	कर पूर्व निवल लाभ /Net Profit before taxes	43734843	38335837
	समायोजन/Adjustments for :		
	अचल आस्तियों पर अवक्षयण/ Depreciation on fixed assets	3723395	3112582
	निवेश पर अवक्षयण/प्रावधान/Depreciation/Provision on investments	(90204)	(169972)
	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision for non-performing assets	13626200	16328235
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision for Standard Assets	8020853	1856098
	अन्य मदों के लिए प्रावधान/Provision for other items	15102214	16852682
	अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ)/ हानि/(Profit)/Loss on sale of fixed assets	(3566)	(4085)
	गौण ऋण पर ब्याज के भुगतान/प्रावधान (इसे अलग माना गया) Interest paid on subordinated debt (treated separately)	1393200	1390549
	गौण ऋण पर ब्याज के एटी-1 (इसे अलग माना गया) Interest paid on AT-1 debts (treated separately)	475000	475000
	अनुषंगियों/अन्य से प्राप्त लाभांश/Dividend Received	(113887)	(86910)
	उप-योग/Sub-total	**85868048**	**78090016**
	घटाव : प्रदत्त प्रत्यक्ष कर/Less: Direct Tax Paid	0	0
		85868048	**78090016**
	समायोजन/Adjustments for :		
	निवेश में (वृद्धि)/कमी हेतु / (Increase)/Decrease in investments	(44958891)	(13510974)
	अग्रिम में (वृद्धि)/कमी हेतु /(Increase)/Decrease in advances	(439909492)	(347455372)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी हेतु /(Increase)/Decrease in other assets	3060026	15278748
	उधार में (वृद्धि)/कमी हेतु /Increase/(Decrease) in borrowings	(56279074)	(15238184)
	जमा में (वृद्धि)/कमी हेतु /Increase/(Decrease) in deposits	340203482	304124055
	अन्य देनदारियों एवं प्रावधान में (वृद्धि)/कमी हेतु Increase/(Decrease) in other liabilities & provisions	6174123	(2162863)
	परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (अ)		
	Net Cash Flow from Operating Activities (A)	**(105841778)**	**19125426**
आ.	**निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाहः**		
B.	**Cash Flow from Investing Activities :**		
	अचल आस्तियों की खरीद/Purchase of fixed assets	(5933729)	(3715658)
	अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान/Sale/disposal of fixed assets	1627361	352628
	प्राप्त लाभांश/Dividend Received	113887	86910
	निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (आ)		
	Net Cash Flow from Investing Activities (B)	**(4192481)**	**(3276120)**

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण (जारी)
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026 (Contd.)

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

ब्योरे/Particulars		31.3.2026 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2026 ₹	31.3.2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2025 ₹
इ.	**वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह/**		
C.	**Cash Flow from Financing Activities :**		
	इक्विटी शेयरों का आवंटन/Allotment of Equity Shares	0	5836008
	इक्विटी शेयरों के जारी करने पर प्राप्त प्रीमियम Share Premium on issue of Equity Shares	0	14163991
	भारत सरकार द्वारा पूंजी निवेश (शेयर आवेदन राशि में रखा गया) Capital infusion by GOI (Kept in Share Application Money)	0	0
	ईएसपीएस आवेदन धनराशि /Amount of ESPS Application Money	0	0
	एटी - 1 बॉन्ड को जारी करना / Issue of AT-1 Bonds	0	0
	बेसल-III अनुरूप टियर-2 बॉण्ड्स का निर्गम/Issue of Basel-III compliant Tier 2 Bonds	0	0
	एटी-1 बांड्स का मोचन / Redemption of AT-1 Bonds	0	0
	अपर टियर-2 बाँडों का मोचन/Redemption of Upper Tier-2 Bonds	0	0
	Redemption of Subordinated Debts	0	0
	नाबार्ड / सिडबी/एनएचबी से पुनर्वित्त प्राप्त/ को मोचन / Refinance from / Redemption to - NABARD/SIDBI/NHB	(3015000)	43908200
	प्रदत्त लाभांश/Dividend Paid	(4890428)	(3347668)
	एटी -1 बॉन्ड पर भुगतान किया गया ब्याज / Interest paid on AT-1 Bonds	(475000)	(475000)
	अपर टी-2 ऋण उपकरणों पर दिया गया ब्याज Interest paid on Upper T-2 Debt Instruments	0	0
	गौण ऋण पर दिया गया ब्याज/ Interest paid on subordinated debts	(1393200)	(1390549)
	वित्तपोषण कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (इ) **Net Cash Flow from Financing Activities (C)**	**(9773628)**	**58694982**
	नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (अ+आ+इ) **Net increase in Cash & Cash Equivalents (A+B+C)**	**(119807887)**	**74544288**

श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार
गैर- कार्यपालक अध्यक्ष
Shri Aravamudan Krishna Kumar
Non-Executive Chairman

श्री अश्वनी कुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Shri Ashwani Kumar
Managing Director & Chief Executive Officer

श्री राजेन्द्र कुमार साबू
कार्यपालक निदेशक
Shri Rajendra Kumar Saboo
Executive Director

श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले
कार्यपालक निदेशक
Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble
Executive Director

श्री सुधीर श्याम
निदेशक
Shri Sudhir Shyam
Director

डॉ. सारदा प्रसन मोहन्ती
निदेशक
Dr. Sarada Prasan Mohanty
Director

श्री राजेश कुमार अलावादी
निदेशक
Shri Rajesh Kumar Ailawadi
Director

श्री सुभाष शंकर मलिक
निदेशक
Shri Subhash Shankar Malik
Director

श्री सुमित खण्डेलवाल
महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Shri Sumit Khandelwal
General Manager & Chief Financial Officer

श्री शैलेश नवलखा
सहायक महाप्रबंधक
Shri Shelesh Navlakha
Asst. General Manager

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 25-04-2026

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष का एकल नकदी प्रवाह विवरण (जारी)
STANDALONE CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026 (Contd.)

(000′ को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	ब्योरे/Particulars	31.3.2026 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2026 ₹	31.3.2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2025 ₹
	विदेशी मुद्रा की घट-बढ़ के लिए समायोजन (ई)/ Adjustment for Foreign Exchange Fluctuation (D)	(2616039)	(3528782)
	नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (अ+आ+इ+ई)/ Net increase in Cash & Cash Equivalents (A+B+C+D)	**(122423926)**	**71015506**
	क्रमश:1 अप्रैल 2025 और 2024 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य Cash and Cash Equivalents as on April 1,2025 & 2024 respectively	**361269117**	**290253611**
	क्रमश: 31 मार्च 2026 और 2025 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य Cash and Cash Equivalents as on March 31,2026 & 2025 respectively	**238845191**	**361269117**
ई. D	**वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य Cash and Cash Equivalents at the beginning of the Year** हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट एवं स्वर्ण सहित) Cash in Hand (including foreign currency notes and gold) भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियां/Balance with Reserve Bank of India **बैंकों में जमाराशियां तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balance with Banks and Money at Call and Short Notice**	 5873965 97715187 257679965 **361269117**	 7168202 94803520 188281890 **290253612**
उ. E	**वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य Cash and Cash Equivalents at the end of the Year** हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट एवं स्वर्ण सहित) Cash in Hand (including foreign currency notes and gold) भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियां/Balance with Reserve Bank of India बैंकों में जमाराशियां तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	 7396903 96653732 134794556 **238845191**	 5873965 97715187 257679965 **361269117**

कृते पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 008567C
For P S M G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 008567C
(सीए प्रबुद्ध गुप्ता)
भागीदार
एमआरएन 400189
(CA PRABUDHHA GUPTA)
Partner
MRN 400189

कृते संजय दीप एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 015951N
For SANJAY DEEP & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 015951N
(सीए नकुल मित्तल)
भागीदार
एमआरएन 521742
(CA NAKUL MITTAL)
Partner
MRN 521742

कृते पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 005223C
FOR P V A R & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 005223C
(सीए रुचि अग्रवाल)
भागीदार
एमआरएन 504134
(CA RUCHI AGARWAL)
Partner
MRN 504134

कृते एच डी एस जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 002871N
For H D S G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 002871N
(सीए विनोद कुमार फतेहपुरिया)
भागीदार
एमआरएन 098709
(CA VINOD KUMAR FATEHPURIA)
Partner
MRN 098709

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 25 -04-2026

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

यूको बैंक के सदस्य

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने यूको बैंक (बैंक) की संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2026 के तुलन-पत्र, एवं लाभ और हानि लेखे तथा तत्संबंधी समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार सहित वित्तीय विवरणों पर नोट तथा अन्य विवेचनात्मक सूचना सम्मिलित है।

इनमें:

i) प्रधान कार्यालय, 49 जोन, 1 ट्रेज़री शाखा को शामिल करते हुए 21 शाखाओं की लेखापरीक्षा हमने की है,

ii) 1044 शाखाओं (सेवा शाखाओं एवं हब्स को शामिल करते हुए) की लेखा परीक्षा शाखा लेखा परीक्षकों ने की है

iii) 2 विदेशी शाखाओं की लेखा परीक्षा स्थानीय विदेशी लेखा परीक्षकों ने की है।

हमारे तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा जिन शाखाओं की लेखा परीक्षा की गई है उन शाखाओं का चयन बैंक के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को दिए गए दिशानिर्देश के अनुसार किया गया है। इसी में 2455 शाखाओं से प्राप्त तुलनपत्र तथा लाभ-हानि खाते को भी, जिनका लेखा परीक्षण नहीं किया गया है, शामिल हैं। जिन शाखाओं की लेखा परीक्षा नहीं हुई है उन शाखाओं से 21.83% अग्रिम का, 46.01% जमा का, 22.61% ब्याज आय का तथा 44.23% ब्याज व्यय का कारोबार होता है।

2. हमारे विचार से तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरणी बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के द्वारा बैंक के संबंध में यथा अपेक्षित, यथारूप अपेक्षित सूचना देता है तथा वह भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप है और यह निम्नलिखित बातों की जानकारी देता है:

क) बैलेंस शीट, उस पर दिए गए नोट्स के साथ पढ़ी जाए तो यह एक पूर्ण और निष्पक्ष बैलेंस शीट है जिसमें सभी आवयक विवरण शामिल हैं, इसे ठीक से तैयार किया गया है ताकि 31 मार्च, 2026 तक बैंक के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रदर्शित किया जा सके;

ख) लाभ और हानि खाता, उस पर दिए गए नोटों के साथ पढ़ने पर लाभ का सही संतुलन पता चलता है और

ग) नकदी प्रवाह विवरण उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का सही और उचित विवरण देता है।

अभिमत का आधार

3. हमने अपना लेखा-परीक्षण भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) द्वारा जारी किए गए लेखा-परीक्षण मानकों (SAs) के अनुसार किया। उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षण के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं, साथ ही उन नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार जो एकल वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा-परीक्षण के लिए प्रासंगिक हैं और हमने भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/दिशा-निर्देशों और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों और भारतीय रिज़र्व बैंक ('RBI') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अधीन समय-समय पर संशोधित ICAI लेखांकन मानक शामिल हैं। इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा-परीक्षण साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

4. मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने में सबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में बताए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है:

लेखापरीक्षा के प्रमुख विषय	प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों पर लेखापरीक्षकों की अनुक्रिया
अग्रिमों का वर्गीकरण, अनर्जक अग्रिमों की पहचान करना और उनका प्रावधान **अग्रिमों के अंतर्गत** खरीदे एवं भुनाए गए बिल, नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण और मीयादी ऋण। इन्हें बैंक / सरकारी गारंटी और असुरक्षित अग्रिमों के रूप में कवर की गई मूर्त संपत्ति (बुक देट के बदले अग्रिम) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उन पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर प्रावधान किया जाता है। वर्गीकरण तथा प्रावधान बैंक के कोर बैंकिंग सौल्यूशन (सीबीएस) के तहत बैंक के आईटी साफ्ट्वेयर द्वारा किया जाता है। विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार एनपीए के लिए प्रावधान मुख्यतः उसके एनपीए होने की अवधि तथा उसके एवज में रखी हई प्रतिभूति की वसूलीयोग्यता पर निर्भर है। क्योंकि प्रतिभूति के मूल्यांकन में अनुमान और निर्णय का उच्च स्तर शामिल होता है, विवेकपूर्ण मानदंडों के किसी भी अनुचित आवेदन या प्रतिभूति के अवास्तविक मूल्य पर विचार करने की स्थिति में, अग्रिमों का अभिव्यक्त मूल्य व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से गलत तरीके से कहा जा सकता है और वित्तीय विवरणियों में अग्रिमों की राशि के महत्व को देखते हुए, अग्रिमों का वर्गीकरण तथा उन पर प्रावधानीकरण को हमारी लेखा परीक्षा में लेखापरीक्षा के प्रमुख विषय माना गया है।	हमने आस्ति वर्गीकरण और इसके प्रावधान के संबंध में बैंक के सॉफ्टवेयर, भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों दिशानिर्देशों तथा निदेशों और बैंक के आंतरिक निर्देशों और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया अपनाई। हमने अग्रिमों की निगरानी, पहचान / वर्गीकरण जिसमें संगत डाटा गुणता की जांच भी शामिल है, के संबंध में आईटी सॉफ्टवेयर नियंत्रण तथा अन्य महत्वपूर्ण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की गुणवत्ता तथा सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट डाटा की समीक्षा, मूल्यांकन एंव जांच की। वृहद और दबावग्रस्त अग्रिमों के टेस्ट जांच द्वारा परिचालनों / कार्यनिष्पादनों और निगरानी की समीक्षा, एवं दस्तावेज़ीकरण ताकि किसी भी अग्रिम खाते में असंतोषजनक आचरण या कमजोरी का पता लगाया जा सके, यह सत्यापित किया जा सके कि इसका वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड के अनुरूप है। इसके अलावा, हमने आंतरिक / विनियामक निरीक्षण, समवर्ती लेखा परीक्षकों आदि की कई रिपोर्टों का भी उल्लेख किया है और बैंक के अग्रिम पोर्टफोलियो पर इसकी टिप्पणियों के परिणामी प्रभाव का मूल्यांकन किया है स्वचालन की प्रक्रिया को और मजबूत करने की गुंजाइश है।
निवेश का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेश की पहचान और प्रावधान निवेश में विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचर, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंक द्वारा किए गए निवेश शामिल हैं। ये आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के अधीन प्रचालित होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के ये निर्देश, अन्य बातों के साथ-साथ निवेश का मूल्यांकन, निवेश का वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेश की पहचान, आय की संगत गैर-मान्यता और इसके एवज में किए प्रावधान को शामिल किए जाते हैं। उपर्युक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना है, जिसमें विभिन्न स्रोतों से डेटा / सूचना का संग्रह शामिल है, जैसे बीएसई / एनएसई द्वारा उद्धृत दरें, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण इत्यादि का मूल्यांकन, लेनदेन की मात्रा, त्वरित निवेश और विनियामक फोकस की डिग्री, जटिलताओं और निर्णय की सीमा को ध्यान में रखते हुए, इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मानदंड के रूप में निर्धारित किया गया है। तदनुसार, हमारा ऑडिट मूल रूप से निवेश के मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेश की पहचान और निवेश से संबंधित प्रावधान पर केंद्रित था।	निवेश के प्रति हमारा लेखा परीक्षा दृष्टिकोण भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र / निर्देशों के संदर्भ में मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान (एनपीआई), निवेश से संबंधित प्रावधान / मूल्यह्रास के संबंध में आंतरिक नियंत्रण और ठोस लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की समझ शामिल है। हमने बैंक के आंतरिक नियंत्रण तंत्र का मूल्यांकन किया और देखा कि वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान / मूल्यह्रास के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई निर्देशों का अनुपालन किया जाता है या नहीं। हमने इन निवेशों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए विभिन्न स्रोतों जैसे एफआईएमएमडीए दरों, बीएसई / एनएसई आदि पर उद्धृत दरों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया; वर्तमान निवेश के चयनित नमूने के लिए, हमने आरबीआई के मास्टर परिपत्रों एवं निहित दिशा-निर्देश के साथ सटीकता और अनुपालन हेतु प्रत्येक वर्ग की प्रतिभूति का पुनर्मूल्यांकन कर परीक्षण किया। हमने एनपीआई की पहचान की प्रक्रिया का और इसके विपरीत आय और प्रावधान के सृजन के उलट का आकलन और मूल्यांकन भी किया; उपर्युक्त के अलावा, हमने आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार प्रावधान को बनाए रखने और मूल्यह्रास की फिर से गणना करने के लिए महत्वपूर्ण ऑडिट प्रक्रियाएं भी कीं। हमने आरबीआई के निर्देशों के संदर्भ में विभिन्न निवेश पोर्टफोलियो से जुड़े खुलासों की प्रस्तुतियों का भी मूल्यांकन किया स्वचालन की प्रक्रिया को और मजबूत करने की गुंजईश है।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों सहित कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधान और आकस्मिक देनदारियों का आकलन, अन्य पार्टियों द्वारा दायर विभिन्न दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए। बैंक कई कराधान और अन्य विवादों में शामिल है, जिसके अंतिम परिणामों की आसानी से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है और जिसके परिणामस्वरूप भारी देनदारियां हो सकती हैं। मुकदमों से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन जटिल धारणाओं पर आधारित है, जिसके लिए निर्णय करने की आवश्यकता होती है और इस तरह के निर्णय, मुख्य रूप से, कार्यवाही के परिणाम की भविष्यवाणी से जुड़ी अनिश्चितताओं के आकलन और वित्तीय वक्तव्यों में खुलासे की पर्याप्तता से संबंधित होते हैं। आवश्यक निर्णय, इस तरह के मुकदमों का महत्व और मूल्यांकन प्रक्रिया की जटिलता के कारण् यह क्षेत्र हमारे ऑडिट के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया था।	इस प्रमुख लेखा परीक्षा के मामले के प्रत्युत्तर में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में शामिल था : • कानूनी और कर मुकदमों, और लंबित प्रशासनिक कार्यवाही की पहचान करने के लिए लागू प्रक्रिया और प्रासंगिक नियंत्रण का आकलन। • विधिक पूर्वोदाहरणों तथा समान वादों के अन्य रूलिंगों का विचार करते हुए बैंक द्वारा संभावित विधिक तथा कर जोखिमों के मूल्यांकन हेतु उपयोग की गई धारणा का आकलन । • सबसे महत्वपूर्ण विवादों की स्थिति और प्रमुख प्रासंगिक प्रलेखों के निरीक्षण के बारे में कानूनी विभाग के साथ पूछताछ। • जहां कही उपलब्ध हो विशेषज्ञों से प्राप्त विचारों का विश्लेषण। • वित्तीय विवरणी के नोट में प्रकटन की पर्याप्तता की समीक्षा।
वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया में प्रयुक्त प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियाँ। बैंक की परिचालन एवं वित्तीय प्रक्रियाएँ मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों द्वारा संचालित होती हैं, क्योंकि प्रतिदिन बड़ी मात्रा में लेनदेन संसाधित किए जाते हैं। परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र को प्रमुख लेखा परीक्षण विषय के रूप में चिन्हित किया गया है, क्योंकि इन प्रक्रियाओं की शुद्धता एवं दक्षता काफी हद तक कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) तथा अन्य सहायक प्रणालियों पर निर्भर करती है। हमारे लेखा परीक्षण दृष्टिकोण में निवेश, आय की मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण तथा अग्रिमों हेतु प्रावधान से संबंधित लेनदेन के प्रसंस्करण के लिए सीबीएस एवं संबंधित अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के स्थिर एवं सतत प्रदर्शन पर भरोसा किया गया, जो लागू आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप है। यह भरोसा विविध परिसंपत्तियों एवं विविध देनदारियों के अंतर्गत शेष राशियों के प्रणाली-आधारित सामंजस्य एवं अवधि-विलेषण तथा अन्य संबंधित खातों पर भी लागू होता है।	हमारी लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं के आधार पर, हमने बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों, जिसमें कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) एवं अन्य सहायक अनुप्रयोग शामिल हैं, पर निर्भरता का आकलन किया है, जो उच्च मात्रा वाले लेनदेन एवं वित्तीय प्रतिवेदन गतिविधियों के प्रसंस्करण में सहायक हैं। हमने प्रासंगिक आईटी नियंत्रणों, जिसमें अनुप्रयोग नियंत्रण एवं अभिगम नियंत्रण शामिल हैं, की रूपरेखा, कार्यान्वयन एवं परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण-आधारित जांच के माध्यम से मूल्यांकन किया है। साथ ही, हमने अनुप्रयोगों में व्यावसायिक नियमों एवं प्रणाली में विन्यस्त तर्क के मध्य सामंजस्य का भी सत्यापन किया है। तदनुसार, लागू आरबीआई दिशानिदशों के अनुरूप निवेश, आय की मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं अग्रिमों हेतु प्रावधान से संबंधित लेनदेन के लिए सीबीएस एवं संबंधित प्रणालियों के सतत एवं सुसंगत संचालन पर हमने भरोसा किया है। विविध परिसंपत्तियों एवं विविध देनदारियों के अंतर्गत शेष राशियों के सामंजस्य एवं अवधि-विलेषण सहित अन्य संबंधित खातों से संबंधित प्रणाली-आधारित प्रक्रियाओं पर भी हमारे परीक्षणों के परिणामों के आधार पर भरोसा किया गया है।

5. अन्य बातें

क) इन एकल वित्तीय विवरणों में 938 शाखाओं की प्रासंगिक विवरणियां शामिल हैं, जिनमें इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से नियुक्त अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा की गई जिसमें 2 विदेशी शाखाएं शामिल हैं। अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित इन शाखाओं में 31 मार्च 2026 को 43.54% अग्रिम, 46.27% जमा और 81.55% गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां और 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए राजस्व का 26.30%/31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व का 27.51% शामिल हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और जहाँ तक यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, हमारी राय में, पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

ख) अपनी लेखापरीक्षा के संचालन में, हमने 31 मार्च, 2026 तक 2455 शाखाओं के संबंध में अलेखापरीक्षित रिटर्न पर ध्यान दिया है, जिसमें 21.89% अग्रिम, 46.01% जमा और 16.30% गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां और 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के लिए राजस्व का 17.79% तथा 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व का 16.98% शामिल हैं।

इस विषयक के संबंध में हमारे मन में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

एकल वित्तीय विवरणी तथा उसपर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से इतर सूचना

6. बैंक का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में प्रबंधन विमर्श और विश्लेषण, निदेशक की रिपोर्ट, बासेल III के तहत आधार 3 प्रकटन, लिवरेज अनुपात, तरलता कवरेज अनुपात, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारकों की जानकारी शामिल है। लेकिन उसमें वित्तीय विवरण और उसपर हमारे लेखा परीक्षण की रिपोर्ट शामिल नहीं है, जो उस तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और बेसल III के तहत स्तम्भ 3 प्रकटीकरण और हम उसपर कोई आश्वासन निष्कर्ष नहीं देते हैं।

एकल वित्तीय विवरणों के ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी उपर्युक्त में पहचान की गई अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करते हुए, हमें विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ गंभीर रूप से असंगत है या ऑडिट के संबंध में हमारी जानकारी, या और कोई बात प्रधान रूप से गलत रूप से कही (मिसस्टेमेंट) गई प्रतीत होती है।

यदि, इस लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त की गई अन्य जानकारी पर हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कुछ महत्वपूर्ण गलत कथन (मिसस्टेमेंट) है। हमसे उस तथ्य की रिपोर्ट करने की अपेक्षा है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

इस लेखा परीक्षण प्रतिवेदन की तिथि तक प्राप्त अन्य जानकारी पर हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उक्त अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण त्रुटिपूर्ण विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक होता है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने हेतु कुछ भी नहीं है।

जब हम निदेशकों की रिपोर्ट पढ़ते हैं, जिसमें वार्षिक रिपोर्ट में अनुलग्नक, यदि कोई हो, तो, यदि हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि इसमें कोई सामग्री गलत है, तो हमें इस मामले को इससे संबंधित विभाग को बताने की अपेक्षा होगी।

प्रबंधन तथा गवर्नेंस के प्रभारीजनों का एकल वित्तीय विवरणी के प्रति दायित्व

7. बैंक के निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणियों जो आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक, और समय-समय पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश को शामिल करते हुए वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और बैंक के नकदी प्रवाह के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है, की प्रस्तुति के संबंध में जिम्मेदार हैं। इस जिम्मेदारी में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव, उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उसका प्रयोग; जो उचित और विवेकपूर्ण हैं वैसे निर्णय करना और धारणा बनाना और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन करना, कार्यान्वयन और रखरखाव करना, जो कि लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और जिसमें चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही सही खास बातों का गलत कथन नहीं हो, भी शामिल है।

वित्तीय विवरणी तैयार करने में प्रबंधन का यह दायित्व है कि वह यथा प्रयोज्य रूप में चल संस्थान के संबंध में मामलों को प्रकट करते हुए यदि प्रबंधन लिक्विडेट करने, परिचालन बंद करने अथवा ऐसा करने के अतिरिक्त उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न बचा हो इनमें से किसी प्रकार की योजना न हो तो चल संस्थान लेखाकरण आधारों का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित करे कि बैंक एक चल संस्थान के रूप में कारोबार करने में सक्षम है।

वित्तीय विवरणी की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षकों के दायित्व

8. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही क्यों न हो, प्रमुख रूप से गलत कथन से मुक्त हैं, और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी ओपीनियन भी शामिल होगी। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई परीक्षा यदि विद्यमान हो तो, किसी महत्वपूर्ण गलत कथन (मिस स्टेटमेंट) का पता हमेशा लगा ही लेगी। गलत कथन (मिस स्टेटमेंट) धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और इन्हें मेटेरियल तभी माना जाता है जब व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप में इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने ये समर्थ हों। इस के अनुसार किसी लेखा परीक्षा के एक अंग के रूप में हम संपूर्ण लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा पेशेवर संशयवादिता रखते हैं।

- वित्तीय विवरणी के महत्वपूर्ण मिसस्टेटमेंट के जोखिम की पहचान तथा उसका आकलन करने है चाहे वे कपट के कारण हुए हों या त्रुटि वश। हम अपनी लेखा परीक्षा को उन जोखिमों के प्रति अनुक्रियाशील बनाने के लिए डिजाइन तथा उसे पूरा करते हैं तथा ऐसा लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्तकरते हैं जो हमारे अभिमत को आधार देने में पर्याप्त तथा समुचित सिद्ध हों। चूंकि कपट में मिलीभगत, कपट, धोखाधड़ी, जानबूझ कर की गई चूक, मिस रिप्रेसेंटेशन अथवा इंटरनेट नियंत्रण की अवहेलना शामिल है, कपट के कारण हुए महत्वपूर्ण मिसस्टेटमेंट के जोखिम का पता न लगा पाना त्रुटि के कारण हुए महत्वपूर्ण मिसस्टेटमेंट के जोखिम का पता न लगा पाने से ज्यादा गंभीर बात है।

- वित्तीय विवरणों और ऐसे नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में क्या बैंक के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है, इस पर हमारी राय व्यक्त करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करने है।

- प्रयुक्त लेखाकरण मानदंडों की समुचितता का मूल्यांकन करते है तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखाकरण प्राक्कलन तथा संबंधित प्रकटन की तार्किकता का पता लगाते है।

- लेखाकरण के गोइंग कंसर्न आधार के प्रबंधन प्रयोग की तर्कसंगतता पर निष्कर्ष व्यक्त करने है तथा प्राप्त किए गए लेखाकरण साक्ष्यों के आधार पर एक चल संस्थान के रूप में बैंक के बने रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करनेवाली महत्वपूर्ण अनिश्चयता है या नहीं यह बताने हैं। यदि हम यह निष्कर्ष दें कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता है तो हमें अपने लेखापरीक्षण रिपोर्ट में वित्तीय विवरणी में संबंधित प्रकटन के अंतर्गत इस ओर ध्यान खींचना होगा, यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हुए तो हमें अपने अभिमत में आशोधन करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारीलेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भविष्य की घटनाएं तथा परिस्थितियां बैंक को एक चल संस्थान (गोइंग कंसर्न) के रूप में जारी रहने से रोक भी सकतीं हैं।

- प्रकटनों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं कि निष्पक्ष प्रस्तुति हो सके।

9. मैटेरियल होना एकल वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि एकल वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के क्षेत्र की योजना बनाना और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में और (ii) एकल वित्तीय विवरणों में किसी भी चिन्हित किए गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन में।

10. जो गवर्नेंस के दायित्व में हैं हम उन लोगों से अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध क्षेत्र एवं समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों जिसमें हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की महत्वपूर्ण कमियां भी शामिल हैं, के विषय में संपर्क में रहने हैं।

11. जो गवर्नेंस के दायित्व में हैं हम उन लोगों को स्वतंत्रता के ऊपर बनाई गई वह विवरणी भी उपलब्ध कराते हैं जिसे हमने संगत आचारगत अपेक्षाओं के साथ तैयार किया है तथा उनसे हम उन संबंधों तथा अन्य बातों के विषय में भी बताते हैं जिनका प्रभाव हमारी स्वतंत्रता पर पड़ता हुआ समझा जा सकता है। जहां आवश्यक हुआ हम संबंधित सुरक्षा के विषय में भी बताते हैं।

12. जो गवर्नेंस के प्रभार में हैं उनसे हुई बातों से हमने उन बातों का निश्चय किया जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इस प्रकार वे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले (की ऑडिट मैटर) हैं। यदि हमें विधि एवं विनियम मामले को सार्वजनिक प्रकटन से वारित न करें अथवा जब अत्यंत विरल दशा में हमीं किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में प्रकट न करने का निर्णय करें करें क्योंकि ऐसा करने का विपरीत प्रभाव वैसे संवाद के लोकहित लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, हम इन बातों को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में रिपोर्ट करते हैं।

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

13. बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है;

14. उक्त पैराग्राफ में दर्शित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अध्यधीन तथा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम 1970/1980 तथा उसमें अभिव्यक्त प्रकटन की सीमाओं के अध्यधीन जैसा कि बैंकिंग विनियमन, 1949 की धारा 30 की उपधारा (3) के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं किः

क) हमने वे सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;

ख) बैंक के जो लेन देन जो हमारे संज्ञान में आए हैं, बैंक की शक्तियों के भीतर हुए हैं; तथा

ग) हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त रिटर्न पर्याप्त पाए गए हैं ।

15. इसके आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि

क) हमारी राय में, विधि द्वारा यथावश्यक खातों की उचित बहियां बैंक द्वारा तक रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है और जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखा परीक्षा उद्देश्य के लिए पर्याप्त है;

ख) इस रिपोर्ट में बरता गया तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरणी, खाते की बहियों के साथ और हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं/कार्यालयों से प्राप्त विवरणियों के साथ संगत हैं;

ग) शाखा कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट जिनका लेखा परीक्षण बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के अनुसरण के प्रावधान के अनुसार में बैंक के लेखापरीक्षकों ने किया है जो हमारे पास भेजे गए हैं, इस रिपोर्ट को तैयार करते समय उन्हें भली-भांति बरता गया है।

घ) हमारी राय में, तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरणी प्रयोज्य लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं, जहां तक वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखाकरण नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

16. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए दायित्वों की रिपोर्टिंग, के साथ पठित बाद में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी संचार दिनांक 19 मई, 2020, के संबंध में पत्र सं. डीओएस.एआरजी.सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 की आवश्यकता के अनुसार आगे उपर्युक्त पत्र में निर्दिष्ट मामलों पर रिपोर्ट प्रस्तुत हैं जो इस प्रकार हैः

क) हमारे विचार में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों का प्रत्येक दृष्टिकोण से अनुपालन करते हैं और वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

ख) वित्तीय लेनदेन या उन मामलों पर कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं है जिनका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

ग) 31 मार्च, 2026 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के अनुसार 31 मार्च, 2026 तक किसी भी निदेशक को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

घ) खातों के रखरखाव और संबंधित अन्य मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

ङ) इस रिपोर्ट के साथ बैंक की वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के परिचालन प्रभावशीलता संबंधी हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट अनुलग्नक-ए में दी गई है। हमारी रिपोर्ट दिनांक 31 मार्च, 2026 के अनुसार बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के परिचालन प्रभावशीलता पर असंशोधित राय व्यक्त करता है।

कृते पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार,
एफआरएन 008567C

(सीए प्रबुद्ध गुप्ता)
भागीदार
एमआरएन 400189
यूडीआईएनः 26400189FPZINQ6943

कृते संजय दीप एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार,
एफआरएन 015951N

(सीए नकुल मित्तल)
भागीदार
एमआरएन 521742
यूडीआईएनः 26521742FNFOBM5450

कृते पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार,
एफआरएन 005223C

(सीए रुचि अग्रवाल)
भागीदार
एमआरएन 504134
यूडीआईएनः 26504134CCXAKY4477

कृते एच डी एस जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार,
एफआरएन 002871N

(सीए विनोद कुमार फतेहपुरिया)
भागीदार
एमआरएन 098709
यूडीआईएनः 26098709DILQWS6654

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 25-04-2026

Independent Auditors' Report

To
The Members of UCO Bank
Report on Audit of the Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Financial Statements of UCO Bank("the Bank"), which comprises the Balance Sheet as at 31st March, 2026, and the Statement of Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are incorporated the returns for the year ended on that date of:

   i) The Head Office, 49 Zones, 21 branches inclusive of 1 treasury branch audited by us

   ii) 1044 branches (including Service branches and Hubs) audited by statutory branch auditors

   iii) 02 overseas branches audited by overseas local auditors.

The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement are the returns from 2455 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 21.89% of advances, 46.01% of deposits, 22.61% of interest income and 44.23% of interest expenses.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and give:

a. The Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2026;

b. The Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit and

c. The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India(ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the financial statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the ICAI Accounting Standards, as amended from time to time subject to Directions/Guidelines issued by the Reserve Bank of India, and provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI") from time to time these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

4. Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements for the year ended 31st March 2026 These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report:

Key Audit Matters	Auditor's Response to Key Audit Matters
Classification of Advances, Identification and Provisioning for non-performing advances Advances include Bills purchased and discounted, Cash credits, Overdrafts, Loans repayable on demand and Term loans. These are further categorized as secured by Tangible assets (including advances against Book Debts), covered by Bank/ Government Guarantees and Unsecured advances. The advances are classified as performing and non-performing advances (NPA) and provisioning thereon is made in accordance with the prudential norms as prescribed by the Reserve Bank of India (RBI). The classification and provisioning is done by Bank's IT software under its Core Banking Solution (CBS).The extent of provisioning of NPA under the prudential norms are mainly based on its ageing and recoverability of the underlined security. In the event of any improper application of the prudential norms or consideration of the incorrect value of the security, as the valuation of the security involves high degree of estimation and judgement, the carrying value of the advances could be materially misstated either individually or collectively, and in view of the significance of the amount of advances in financial statements, the classification of the advances and provisioning thereon has been considered as Key Audit Matter in our audit.	We obtained an understanding of the Bank's Software, circulars, guidelines and directives of the RBI and the Bank's internal instructions and procedures in respect of asset classification and its provisioning and adopted the following audit procedures: We evaluated and tested of the effectiveness of the IT software controls and other key internal control mechanisms with respect to the advances monitoring, identification/ classification, including testing of relevant data quality, and review of the data entered in the software. Review of the documentations, operations/ performance and monitoring of the advance accounts, on test check basis of the large and stressed advances, to ascertain any overdue unsatisfactory conduct or weakness in any advance account, to verify that its classification is in accordance with the prudential norms of RBI. Further, we have also referred many of the reports of the internal/regulatory inspection, concurrent auditors etc. and evaluated the consequent impact of the observations therein on the advance portfolio of the Bank.There is scope for further strengthening the automation process.
Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security receipts and other approved securities. These are governed by the circulars and directives of the RBI. These directions of RBI, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against. The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FIMMDA rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies etc. Considering the complexities and extent of judgement involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, this has been determined as a Key Audit Matter. Accordingly, our audit was focused on valuation of investments, classification, identification of non-performing investments and provisioning related to investments.	Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars/directives included the understanding of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning/depreciation related to Investments. We evaluated and made an understanding of the Bank's internal control mechanism to comply with relevant RBI directions regarding valuation, classification, identification of NPIs, provisioning/depreciation related to investments; We also assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources like FIMMDA rates, rates quoted on BSE/NSE etc., for determining fair value of these investments; For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security. We also assessed and evaluated the process of identification of NPIs and corresponding reversal of income and creation of provision there against; In addition to above, we also carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. We also evaluated the presentations of the various investment portfolio related disclosures in terms of RBI directions.There is scope for further strengthening the automation process.

Assessment of Provisions and Contingent liabilities in respect of certain litigations including Direct and Indirect Taxes, various claims filed by other parties not acknowledged as debt The Bank is involved in a number of taxation and other disputes for which final outcomes cannot be easily predicted and which could potentially result in significant liabilities. The assessment of the risks associated with the litigations is based on complex assumptions, which require the use of judgement and such judgement relates , primarily , to the assessment of the uncertainties connected to the prediction of the outcome of the proceedings and to the adequacy of the disclosures in the financial statements. Because of the judgement required, the materiality of such litigations and the complexity of the assessment process, the area was considered a key matter for our audit.	Our audit procedure in response to this key Audit Matter included • Assessment of the process and relevant controls implemented to identify legal and tax litigations, and pending administrative proceedings. • Assessment of assumptions used in the evaluation of potential legal and tax risks performed by the Bank considering the legal precedence and other rulings in similar cases. • Inquiry with the legal department regarding the status of the most significant disputes and inspection of the key relevant documentation. • Analysis of opinion received from the experts where ever available. • Review of the adequacy of the disclosures in the notes to the financial statements.
Key Information Technology (IT) systems used in financial reporting process. The Bank's operational and financial processes are largely driven by IT systems, given the high volume of transactions handled on a daily basis. Consequently, this area has been identified as a Key Audit Matter, since the accuracy and efficiency of these processes significantly depend on the Core Banking Solution (CBS) and other supporting systems. Our audit approach involved placing reliance on the stable and consistent performance of the CBS and related application software for processing transactions relating to investments, income recognition, asset classification, and provisioning for advances, in accordance with applicable RBI guidelines. This reliance also extends to system-driven reconciliation and ageing of balances under Sundry Assets and Sundry Liabilities, as well as other associated accounts.	Based on our audit procedures, we have assessed the Bank's dependence on IT systems, including the Core Banking Solution (CBS) and other allied applications, which support the processing of high-volume transactions and financial reporting activities. We have evaluated the design, implementation, and operating effectiveness of relevant IT controls, including application and access controls, on a test check basis.We have also verified the alignment between business rules and system-configured logic within the applications. Accordingly, we have placed reliance on the consistent functioning of the CBS and related systems for transactions pertaining to investments, income recognition, asset classification, and provisioning for advances, in accordance with applicable RBI guidelines. System-driven processes such as reconciliation and ageing of balances under Sundry Assets and Sundry Liabilities, along with other relevant accounts, have also been relied upon based on the results of our testing.

5. Other Matters

A) These financial statements incorporate the relevant returns of 938 branches including 2 foreign branches audited by the other auditors specially appointed for this purpose. These branches audited by other auditors cover 43.54% of advances, 46.27% of deposits and 81.55% of non-performing assets as on 31stMarch 2026 and 26.30%/27.51%of revenue for the quarter ended 31st March, 2026/ for the year ended 31st March 2026. The financial statements/information of these branches have been audited by the Statutory Branch Auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, are based solely on the report of such branch auditors.

B) In conduct of our audit, we have taken note of the unaudited returns in respect of 2455 branches cover 21.89% of advances, 46.01% of deposits and 16.30% of Non-Performing assets as on 31st March, 2026 and 17.79%/16.98% of revenue for the quarter ended 31st March, 2026/ for the year ended 31st March 2026.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Information other than the Financial Statements and Auditors' Report thereon

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information primarily comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Director's Report, Pillar 3 Disclosures under Basel III, Leverage Ratio, Liquidity Coverage Ratio, Corporate Governance and Shareholders Information but does not include the financial statements and our auditor's report thereon, which is expected to be made available to us after that date.

   Our opinion on thefinancial statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosures under the Basel III disclosure and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

   In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

   Based on the work we have performed on the other information obtained prior to the date of this audit report, if we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the other information, including annexures in annual report, if any, thereon, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of this financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

   In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of thesefinancial statements. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit for expressing our opinion on whether the bank has adequate internal financial controls with reference to financial statements and the operating effectiveness of such control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

9. Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in thefinancial statements.

10. We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

11. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

12. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

13. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

14. Subject to the limitations of the audit indicated in above paragraphs and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and subject also to the limitations of disclosure required therein as required by sub-section (3) of section 30 of the Banking Regulation, 1949, we report that:

a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

15. We further report that:

a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purpose of our audit have been received from branches/offices not visited by us;

b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;

c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank as per the provisions under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d) In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

16. As required by letter No. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks - Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters as specified in the aforesaid letter as under:

a) In our opinion, the aforesaid Financial Statements comply with the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.

c) On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2026, none of the directors is disqualified as on March 31, 2026 from being appointed as a director in terms of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013.

d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

e) Our audit report on the operating effectiveness of the internal financial controls over financial reporting of the Bank is given in Annexure A to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of the Bank as at 31st March 2026.

For P S M G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 008567C

(CA PRABUDDHA GUPTA)
Partner
MRN 400189
UDIN: 26400189FPZINQ6943

For SANJAY DEEP & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 015951N

(CA NAKUL MITTAL)
Partner
MRN 521742
UDIN: 26521742FNFOBM5450

FOR P V A R & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 005223C

(CA RUCHI AGARWAL)
Partner
MRN 504134
UDIN: 26504134CCXAKY4477

For H D S G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 002871N

(CA VINOD KUMAR FATEHPURIA)
Partner
MRN 098709
UDIN: 26098709DILQWS6654

Place : Kolkata
Dated : 25-04-2026

स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट- अनुबंध- ए
Annexure A to the Independent Auditor's Report

(सम तिथि पर हमारी रिपोर्ट खंड 'अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट के अंतर्गत पैराग्राफ 11(ई) में संदर्भित)

(Referred to in paragraph 11(e) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

भारतीय रिजर्व बैंक (द 'आरबीआई') के पत्र डीओएस.एआरजी.सं. 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (यथासंशोधित), (द 'आरबीआई पत्राचार') द्वारा अपेक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग के अतिरिक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता पर रिपोर्ट

Report on the Operating Effectiveness of Internal Financial Controls Over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter DOS.ARG.No. 6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended), (the "RBI communication")

1. हमने उस तिथि पर समाप्त वर्ष हेतु बैंक की वित्तीय विवरणी के लेखापरीक्षा के साथ संयोजक के रूप में 31 मार्च, 2026 तक यूको बैंक ('बैंक') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता का लेखापरीक्षा किया है जिसमें बैंक शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल है।

   We have audited the Operating Effectiveness of Internal Financial Controls over Financial Reporting of UCO Bank ('the "Bank") as of 31st March 2026 in conjunction with our audit of the financial Statements of the Bank for the year ended on that date which includes Internal Financial Controls over Financial Reporting of the Banks branches.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

Management's Responsibility for Internal Financial Controls over Financial Reporting

2. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक तत्वों के बारे में विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के अतिरिक्त आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखने एवं स्थापित करने की ज़िम्मेदारी बैंक प्रबंधन की है। इन जिम्मेदारियों में डिजाइन, समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन एवं रखरखाव भी शामिल है जिसे बैंक की नीतियों का पालन, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों का पता लगाना एवं निवारण, लेखा संबंधी अभिलेखों की परिशुद्धता एवं पूर्णता सहित इसके कारोबार को व्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से संचालित किया गया तथा बैंकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों के अंर्तगत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं को समय पर तैयार करना भी शामिल है।

   The Management of the Bank is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business including adherence to Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी/Auditor's Responsibility

3. हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता पर अपनी राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की डिजाइन एवं कार्यान्वयन डिजाइन की उपयुक्तता का मूल्यांकन शामिल है।

   Our responsibility is to express an opinion on the operating effectiveness of Internal Financial Controls over Financial Reporting of the Bank based on our audit. Our audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting includes an evaluation of the adequacy of the design and implementation of such internal financial controls over financial reporting.

4. हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आसीएआई') द्वारा जारी ('मार्गदर्शन नोट') तथा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग (एसए) के गाइडेंस नोट के अनुसार लेखापरीक्षा किया है जोकि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर किसी सीमा तक प्रयोज्य है। उन मानदंडों एवं गाइडेंस नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हुआ है, के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें।

   We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note') issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting operated effectively in all material respects.

5. हमारी लेखापरीक्षा में बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा प्रमाणन प्राप्त करने हेतु कार्यनिष्पादन प्रक्रिया शामिल है। चयनित प्रक्रिया वित्तीय विवरणियों के गलत अनुमान चाहे धोखाधड़ी के हों या गलती से किए गए हों, के जोखिम के मूल्यांकन के साथ वित्तीय विवरणियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करते हैं।

Our audit involves performing procedure to obtain audit evidence about the operating effectiveness of the internal financial control over financial reporting of the Bank. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

6. हम विश्वास करते हैं कि जो लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य हमें मिले हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी लेखापरीक्षा राय हेतु आधार मुहैया कराने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the operating effectiveness of the Bank's internal financial controls over financial reporting.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ -

Meaning of internal Financial Controls over Financial Reporting

7. किसी बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा लेखा सिद्धांतों पर सामान्यतः स्वीकार्य के अनुसार बाह्य प्रयोजनों हेतु वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के संबंध में यथोचित आश्वासन देती है। किसी बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां एवं प्रक्रियाएं शामिल हैं जो- (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित जिसमें बैंक की आस्तियों के लेनदेन एवं वृत्तियां में सही और निष्पक्ष रूप से उचित विवरण हों (2) उचित आश्वासन प्रदान करना कि आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणियों को तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन आवश्यक रूप से दर्ज किए जाते हैं और बैंक की प्राप्तियां एवं व्यय केवल बैंक के प्रबंधन एवं निदेशकों के अनुसार किए जा रहे हैं, और (3) बैंक की आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या स्वरूप का समय पर पता लगाना या निवारण के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान कराना जिससे वित्तीय विवरणियों के भौतिक प्रभाव का पता लगाया जा सके।

A Bank's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank, (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Bank, and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

8. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें नियंत्रण पर अनुचित प्रज्ञान का दबाव या आपसी सांठगांठ की संभावना या चूक या धोखाधड़ी के कारण भौतिक ग़डबड़ी हो सकती है और जिसका पता नहीं चला हो। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का कोई पूर्वानुमान जोखिम के अधीन है क्योंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है अथवा स्थितियों में बदलाव, या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है।

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

अन्य मामले / Other Matters

9. बैंक ने अपने विभागों और परिचालन इकाइयों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के तहत अनुपालन की समीक्षा और परीक्षण के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए सलाहकार नियुक्त किया था और गैप- अध्ययन के दौरान आकलित किए गए गैप को कम करने के लिए रिपोर्ट/सुझाव प्रदान किया था। इस संबंध में सलाहकार द्वारा 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट दी गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संदर्भ में सलाहकार द्वारा दिए गए रिपोर्ट/सुझावों की प्रबंधन द्वारा सकारात्मक समीक्षा की गई है और बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली में आवयक सुधार लागू किए गए हैं। हालाँकि बैंक की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

Bank had appointed consultant for internal financial controls over financial reporting for review and testing of compliance under internal financial controls over financial reporting for their departments & operational units and provided report/suggestion to mitigate the gap assessed during gap study. In this regard, report has been given by consultant for the year ended 31st March 2026. The report/suggestions given by consultant for internal financial controls over financial reporting has been reviewed by the management positively and necessary improvement has been implemented in the internal financial control system of the Bank. However, there is no impact on the financials of the Bank.

10. हमारी उक्त रिपोर्ट अब तक 1065 शाखाओं हब सहित की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता से संबंधित है, जिसमें 1044 शाखाओं की लेखा परीक्षा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है और 21 शाखाओं की लेखा परीक्षा हमारे द्वारा की गई है। 1044 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता का पता लगाने के दौरान हमने उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर भरोसा किया है।

Our aforesaid report insofar related to the operating effectiveness of Internal Financial Control over Financial Reporting of 1065 branches including hubs, in which 1044 branches are audited by the branch auditors appointed for this purpose and 21 branches audited by us. While ascertaining the operating effectiveness of Internal Financial Control over Financial Reporting of 1044 branches, we have relied on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

इस मामले में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

Our opinion is not modified in respect of this matter.

अभिमत/Opinion

11. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, बैंक के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2026 तक प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे और यह भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों के बारे में विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों पर आधारित है।

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2026, based on the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

कृते पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 008567C
For P S M G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 008567C

(सीए प्रबुद्ध गुप्ता)
भागीदार
एमआरएन 400189
(CA PRABUDHHA GUPTA)
Partner
MRN 400189
यूडीआईएन/UDIN : 26400189FPZINQ6943

कृते संजय दीप एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 015951N
For SANJAY DEEP & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 015951N

(सीए नकुल मित्तल)
भागीदार
एमआरएन 521742
(CA NAKUL MITTAL)
Partner
MRN 521742
यूडीआईएन/UDIN : 26521742FNFOBM5450

कृते पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 005223C
FOR P V A R & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 005223C

(सीए रुचि अग्रवाल)
भागीदार
एमआरएन 504134
(CA RUCHI AGARWAL)
Partner
MRN 504134
यूडीआईएन/UDIN : 26504134CCXAKY4477

कृते एच डी एस जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 002871N
For H D S G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 002871N

(सीए विनोद कुमार फतेहपुरिया)
भागीदार
एमआरएन 098709
(CA VINOD KUMAR FATEHPURIA)
Partner
MRN 098709
यूडीआईएन/UDIN : 26098709DILQWS6654

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 25-04-2026

लाभांश वितरण दिशानिर्देश /Dividend Distribution Guidelines

शेयरधारक निम्नलिखित वेबलिंक के माध्यम से बैंक के लाभांश वितरण दिशानिर्देशों तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं -
https://uco.bank.in/documents/d/guest/dividend-distribution-guidelines-2025-26

Shareholders may access the dividend distribution guidelines of the Bank using the following weblink -
https://uco.bank.in/documents/d/guest/dividend-distribution-guidelines-2025-26

31 मार्च 2026 की स्थिति में बासेल III प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी बासेल III पूंजी नियमन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंकों को बासेल III पूंजी आवश्यकताओं के अंतर्गत पिलर 3 प्रकटीकरण करना आवश्यक है। उक्त प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट www.uco.bank.in पर निम्नलिखित वेब-लिंक के अंतर्गत उपलब्ध हैः https://ucobank.com/basel-iii-disclosures

BASEL III Disclosure as on 31st March 2026

In accordance with guidelines issued by the Reserve Bank of India on Basel III Capital Regulations, Banks are required to make Pillar 3 disclosures under Basel III capital requirements. The said disclosures are available on Bank's website www.uco.bank.in under the following web-link: https://ucobank.com/basel-iii-disclosures

यूको बैंक UCO BANK
84th YEAR OF THE NATION'S TRUST

Scan for E-Annual Report

यूको बैंक

UCO BANK

Head Office 10, B.T.M. Sarani, Kolkata-700001

यूको बैंक UCO BANK
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)

सम्मान आपके विश्वास का Honours Your Trust

Printed at Swapna, Kolkata-79